माला, खंड 31, अंक 14

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2007
13 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 31 में अंक 11 से 17 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 11 Jan 2009

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 14, मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2007/13 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 264	1–44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 265 से 280	45–69
अतारांकित प्रश्न संख्या 2440 से 2660	69–487
सभा पटल पर रखे गए पत्र	487–511
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	511–512
अबुजा (नाइजीरिया) में हुए बावनवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल की सहभागिता संबंधी प्रतिवेदन	513
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन	513
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
उनसठवां से पैंसठवां प्रतिवेदन	513–514
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
इक्यावनवां से चौवनवां प्रतिवेदन	514–515
रेल संबंधी स्थायी समिति	
पैंतीसवां प्रतिवेदन	515
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	516–524
(एक) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी. चिदम्बरम	516
(दो) इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	517–519

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विजय हान्डिक	519-522
(चार) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के एक सौ छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	523-524
(पांच) ''भारत रत्न पुरस्कार'' के बारे में दिनांक 15.05.2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 5313 में शुद्धि करने वाला विवरण	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	523
पराचिकित्सा और भौतिक चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2007	525
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
1 दिसम्बर, 2007 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य	525-528
सदस्यों द्वारा निवेदन	
टरमैक पर दुर्घटनाएं रोकने हेतु विमानपत्तनों पर एयरोब्रिजेज की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में	537
संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007 और संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुच्छेद 244 और 332 का संशोधन)	541-544
नियम 377 के अधीन मामले	544-551
(एक) गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के उन्नयन के लिए सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	544-545
(दो) उड़ीसा में सिलसुआं और बड़बील स्थित अंतर्देशीय विमानपत्तनों का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त नायक	545-546
(तीन) धान की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री बिक्रम केशरी देव	546
(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कालपी नगर स्थित पुरातात्विक महत्व के स्मारकों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता	
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	546-547

विषय कॉलम

(पांच) केरल के मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज 547

(छह) दूरसंचार क्षेत्र में निजी जीएसएम आपरेटरों को स्पेक्ट्रम आबंटन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती 548

(सात) भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के बारे में एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 549

(आठ) जम्मू-कश्मीर में ऊधमपुर-बारामूला रेल लाइन के निर्माण का विस्तार कुपवाड़ा तक किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 549-550

(नौ) मध्य प्रदेश के सागर में मलथौन से महाराजपुर तक चार लेन वाले एक्सप्रेस राजमार्ग पर वृक्षारोपण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 550

(दस) बिहार के औरंगाबाद जिले के गोडीहा में ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन पर रेलवे हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार 550-551

(ग्यारह) उड़ीसा के जाजपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन जेना 551

नियम 193 के अधीन चर्चा

राज्य के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता 552-637

डा. सिबैस्टियन पाल 552

प्रो. रासा सिंह रावत 552-556

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 556-564

प्रो. एम. रामदास 565-568

एडवोकेट सुरेश कुरूप 568-571

श्री वीरचन्द्र पासवान 572-575

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 576-579

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 580-581

विषय **कॉलम**

डा. टोकचोम मैन्या 582–584

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा 584–585

श्री किरिप चालिहा 585–590

श्रीमती रंजीत रंजन 590–592

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा 593–596

श्री मित्रसेन यादव 597–599

श्री एम. अप्पादुरई 599–601

श्रीमती किरण माहेश्वरी 601–604

श्री ब्रह्मानन्द पंडा 604–606

श्री बिक्रम केशरी देव 606–609

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 611–613

श्री हंस राज भारद्वाज 613–636

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 637–643

विचार करने के लिए प्रस्ताव 637

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 637

श्री गणेश सिंह 638–639

श्री अधीर चौधरी 639–643

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 653

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 654–660

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 661–662

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 661–662

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2007/13 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 261, श्री जी. करुणाकर रेड्डी।

उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***261. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु एवं मध्यम उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान निवेश की कितनी प्रतिशत सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) नई औद्योगिक नीति, 1991 के अनुकरण में अगस्त, 1991 में "लघु छोटे एवं ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने एवं उन्हें सुदृढ़ीकृत करने हेतु नीतिगत उपाय" की घोषणा की गई जिसमें इस बात की व्यवस्था थी कि लघु उद्योगों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों की इक्विटी भागीदारी कुल शेयरधारिता के 24 प्रतिशत से अधिक न हो। यह पूंजी बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तथा इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण प्रोत्साहन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक उपाय था।

2. 10 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. 857(ई) में लघु उद्योगों/सहायक औद्योगिक उपक्रमों को परिभाषित किया गया था। इसमें इस बात की व्यवस्था थी कि कोई लघु उद्योग उपक्रम किसी अन्य औद्योगिक उपक्रमों का अनुषंगी न बने या उसके स्वामित्व में न हो या नियंत्रित न हो। इसमें वैसे अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा इक्विटी भागीदारी (विदेशी एवं घरेलू दोनों) को 24 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 जो दिनांक 2.10.2006 से अस्तित्व में आया, केवल संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र को परिभाषित करता है तथा अन्य औद्योगिक उपक्रमों से इक्विटी भागीदारी (घरेलू एवं विदेशी दोनों) को 24 प्रतिशत तक सीमित नहीं करता है।

4. उपर्युक्त के मद्देनजर, सरकार ने दिनांक 10.12.1997 की अधिसूचना सं. 857(ई) को समाप्त करने तथा उसमें आगे संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस अधिसूचना को समाप्त करने के बाद, अन्य औद्योगिक उपक्रम, एसएसआई उपक्रमों में 100 प्रतिशत तक इक्विटी भागीदारी (घरेलू एवं विदेशी दोनों) करने में सक्षम होंगे।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के पैरा 4 में कहा गया है कि:

> "उपर्युक्त के मद्देनजर, सरकार ने दिनांक 10.12.1997 की अधिसूचना सं. 857(ई) को समाप्त करने तथा उसमें आगे संशोधन करने का निर्णय लिया है। इस अधिसूचना को समाप्त करने के बाद, अन्य औद्योगिक उपक्रम, एसएसआई उपक्रमों में 100 प्रतिशत तक इक्विटी भागीदारी (घरेलू एवं विदेशी दोनों) करने में सक्षम होंगे।"

उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; इस बढ़ोत्तरी से भारतीय उद्योग कितना प्रभावित होगा; और अन्य देशों द्वारा उक्त निवेश किए जाने को ध्यान में रखते हुए देश में लघु और मध्यम उद्यमों के हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री कमल नाथ: इस सभा द्वारा अधिनियम पारित होने के बाद उस अधिनियम पर आधारित एक जरूरत है। इस अधिनियम

द्वारा किए गए कार्यों में से एक निवेश पर 24 प्रतिशत की सीमा के उपबंध को हटाना था। लघु उद्योग मुख्यत: अपने संयंत्र और महीनों में निवेश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। संसद द्वारा अधिनियम पारित किए जाने के परिणामत: एक अधिसूचना जारी की जानी है। औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम की धारा 11(ख)(3) के अंतर्गत एक प्रक्रिया है, जो सभा अथवा सदस्यों को इसे देखने के लिए 30 दिनों का उपबंध करता है। सभा पटल पर एक मसौदा अधिसूचना रखी गयी है, जिसकी जांच माननीय सदस्यगण कर सकते हैं। अत: यह प्रक्रिया अपनायी जाएगी और इसमें 3-4 महीनों का समय लगेगा।

जहां तक संरक्षण का प्रश्न है, जब सभा ने यह अधिनियम पारित किया इस पर सक्रियता से विचार किया गया। प्रश्न यह है कि लघु उद्योगों की पहुंच प्रौद्योगिकी, पूंजी बाजार और कुछ हद तक ऋणों तक अवश्य होनी चाहिए। इस उपबंध को हटाकर लघु उद्योगों की लोच बनी रहेगी। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में लघु उद्योगों का योगदान 5.83 प्रतिशत है और वस्तुत: निर्यात में इसका योगदान 32.92 प्रतिशत है। राष्ट्रीय तथा रोजगार के दृष्टिकोण से 312 लाख कामगारों को रोजगार देने वाला यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अत: हमारे विचार से इस उपबंध द्वारा लघु उद्योग को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: दिनांक 5 नवम्बर, 2007 के 'द स्टेट्समैन' दिल्ली में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि देश में चमड़ा उद्योग व आटो उद्योग के लिए लाभकारी कदम के तौर पर इटली लगभग 3 मिलियन यूरो से अधिक की राशि भारत में लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए एक परियोजना में लगाएगा।

उपर्युक्त के मद्देनजर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इटली की सरकार द्वारा कोई शर्त भी रखी गयी है और क्या भारत में ऐसे निवेश के लिए कोई अन्य देश भी आगे आया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्री कमल नाथ: भारत सरकार ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं किन्तु औद्योगिक क्लस्टर्स विभिन्न विशिष्ट इकाइयों का ध्यान रखते हैं, यह एक चालू योजना है जो इकाइयों का ध्यान रखती है; ऐसा पश्चिम बंगाल में है जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं। इस संबंध में किसी के साथ केन्द्र सरकार का कोई समझौता नहीं है।

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, उत्तर के भाग 'क' में माननीय मंत्री ने कहा है कि अन्य औद्योगिक उपक्रम घरेलू तथा विदेशी दोनों लघु उद्योग उपक्रमों के इक्विटी में शतप्रतिशत भाग ले सकेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या लघु और मध्यम उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवेश से इन उद्योगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। क्या माननीय मंत्री को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इस खतरे की जानकारी है?

श्री कमल नाथ: महोदय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कोई खतरा नहीं है। हम गत दो दशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खतरे के बारे में सुनते आ रहे हैं। अभी तक कोई खतरा सामने नहीं आया है। प्रश्न यह है कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यन्त मुख्य भाग लघु उद्योग को प्रौद्योगिकी तथा उन्नयन की आवश्यकता है। उद्योगों को स्वयं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मांग करनी है। यह निर्णय किसी और को नहीं करना है कि उन्हें इसकी आवश्यकता है अथवा नहीं। उद्योगों को ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता के बारे में स्वयं सोचना है। जब अधिनियम पारित किया गया तब इस पर विचार किया गया और मेरे विचार से लघु उद्योग को कोई खतरा या संकट नहीं है। इससे हमारे लघु उद्योग क्षेत्र की केवल मजबूती व सहायता मिलेगी।

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप क्या करेंगे?

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, इस विषय पर एक समग्र चर्चा जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय: दूसरी एक प्रक्रिया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता रहा हूं कि यदि वे किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियम पुस्तक में कुछ प्रक्रियाएं हैं। यदि वे उसका पालन करते हैं तो मैं उन्हें देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बड़े और मध्यम उद्योगों में एफडीआई आये तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उनका अपग्रेडेशन करना जरूरी है। उसमें अगर इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और फारेन डायरेक्ट इन्वैस्टमेंट उसमें आयेगा तो छोटे उद्योग उसकी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पायेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आपने कोई योजना बनाई है और क्या आपने उनकी आर एंड डी का अपग्रेडेशन करने के लिए, उच्चीकरण करने के लिए कोई सहायता की है या नहीं?

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष जी, ऐसा कोई शक या संकेत कि एफडीआई के आने से, हमारे जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, वे प्रभावित होंगे, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। माइक्रो स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डैवलेपमेंट एक्ट इस सदन ने पास किया था, इस पर बहस और चर्चा हुई थी। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे जो छोटे उद्योग हैं, उनको टेक्नोलाजी में एक्सेस मिले, सुविधाएं मिले। उनकी सुविधाओं के लिए कई स्कीमें हैं जिनमें क्रैडिट गारंटी स्कीम है, परफोर्मेंस एवं क्रैडिट रेटिंग स्कीम है, आईएसओ सर्टिफिकेशन रिइम्बर्समेंट स्कीम है, माइक्रो एंड स्माल इंडस्ट्री क्लस्ट्रल डैवलेपमेंट प्रोग्राम है, क्रैडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, इंटेग्रेटिड इंफ्रास्ट्रक्टर डैवलेपमेंट स्कीम है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंप्टीटिवनेस प्रोग्राम की कई ऐसी सुविधाएं हैं। इसलिए हमारे छोटे और कुटीर उद्योगों के लिए, हमारी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि इनको सुविधाएं दी जाएं और इनकी मदद की जाए।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, लघु और मध्यम उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने वाले उद्योग हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश अधिकतर लघु उद्योग या तो कमजोर हैं, या रुग्ण हैं अथवा परिसमापन के मार्ग पर हैं और इसके परिणामस्वरूप कई कामगार बेरोजगार हैं। यदि गैर-निष्पादनकारी आस्तियां होंगी तो उन उद्योगों को बैंकों से पुनर्वित्तपोषण प्राप्त नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु मंत्रालय कौन से कदम उठाने जा रहा है। जगह उपलब्ध है और उद्योग हैं विशेषत: महाराष्ट्र में एमआईडीसी ने सभी सुविधाएं दी हैं। किन्तु वित्त की कमी के कारण ये उद्योग बंद हैं और कामगार बेरोजगार हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: मेरा प्रश्न उन उद्योगों के पुनर्वित्तपोषण तथा पुनरुद्धार के संबंध में है। वे उद्योग रुग्ण होने के कारण बंद हैं।

श्री कमल नाथ: इसके लिए आवश्यक योजनाएं लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा बनायी जाती हैं तथा पुनर्वित्तपोषण हेतु आवश्यक सुविधाओं पर लघु उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें बड़ी संख्या में लोग रोजगार में लगे हैं। यह मानना कि यह क्षेत्र संकट में है, सही नहीं होगा। पूरा क्षेत्र कठिनाई में नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ इकाइयां ही कठिनाई में हैं और इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य सही हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह क्षेत्र आज हमारे देश के निर्यात में 38.5 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। यदि यह क्षेत्र समाप्त हो रहा है और रुग्ण है तो यह क्षेत्र इतना योगदान नहीं करता। निर्यात के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतएव, लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण देना एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और बैंकों द्वारा एक निर्धारित ब्याज दर पर लघु उद्योगों को ऋण दिया जाना है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: सरकार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खोलने की हमेशा वकालत करती रही है। प्रौद्योगिकी आएगी और हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में समग्र सुधार आएगा। किन्तु हम खुदरा क्षेत्र में इतना प्रौद्योगिकी उन्नयन होता देख नहीं पा रहे हैं। अत: क्या सरकार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोलने से होने वाले परिणामों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी?

अध्यक्ष महोदय: इसका खुदरा क्षेत्र से कुछ लेना-देना नहीं है। प्रश्न लघु और मध्यम क्षेत्र के बारे में है।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, मेरा खुदरा क्षेत्र से नहीं बल्कि लघु और मध्यम क्षेत्र से तात्पर्य था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लघु क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खोलने के बाद होने वाले असर का ठोस अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी?

अध्यक्ष महोदय: एक और समिति।

श्री कमल नाथ: इस सभा द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित करने के बाद जिससे यह संभव हुआ है, मुझे नहीं लगता कि जिसे इस सभा ने पारित किया हो उसकी जांच एक समिति करे। अत: दोनों सदनों द्वारा इस अधिनियम को पारित करने के बाद ऐसी समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सभा ने इस अधिनियम को पारित करके जो काम किया है उसकी जांच एक समिति कैसे कर सकती है?

लघु उद्योगों की हिस्सेदारी

+*262. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में कुल औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म, कुटीर और लघु उद्योगों की हिस्सेदारी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार पृथक-पृथक कितनी है;

(ख) क्या इन उद्योगों को औद्योगिक उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) 2003-04, 2005-06 और 2005-06 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान देश के कुल विनिर्माण आउटपुट में सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र का भाग क्रमश: 38.74%, 38.62% और 38.56% अनुमानित है। कुल विनिर्माण आउटपुट में राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार भाग केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है।

(ख) और (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में एमएसई का भाग बढ़ाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

1. प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)
2. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी)
3. परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति)
4. आईएसओ-9000/आईएसओ-14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना
5. कयर क्षेत्र हेतु उत्पादन आधारभूत संरचना के विकास की योजना
6. निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना; और
7. बार कोड प्रमाणन की प्रतिपूर्ति की योजना।

इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदान की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वित्तीय सहायता (जहां कहीं उपलब्ध है) अनुबंध-I से VII में दी गई है।

(घ) एमएसएमई मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं का उद्देश्य मुख्यत: उत्पादकता एवं कुल विनिर्माण आउटपुट में एमएसई क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। इनमें से, एमएसई के संवर्धन और विकास के लिए हाल ही में उठाए गए निम्नलिखित कदम उल्लेखनीय हैं: (1) इस क्षेत्र को पांच वर्षों की अवधि में क्रेडिट प्रवाह को दुगुना करने के उद्देश्य से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज; (2) एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन; (3) एमएसई क्षेत्र के समग्र (होलिस्टिक) एवं एकीकृत विकास के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्रदान करना; (4) एमएसएमई क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय, विपणन और कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) प्रारंभ करना; (5) एमएसई के संवर्धन के लिए संवर्धनात्मक पैकेज की व्यवस्था जिसमें एमएसई के संवर्धन और विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले प्रस्ताव/योजनाएं शामिल हैं।

अनुबंध I

तकनीकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम:

* योजनांतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसईएस) के आधुनिकीकरण हेतु बैंकों के माध्यम से एक करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए 15 सब्सिडी प्रदान की जाती है।
* योजनांतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त अनुदान का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा निम्नानुसार है (चालू वर्ष की फिगर उपलब्ध नहीं है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	योजना के अंतर्गत दी गई सब्सिडी		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	162.51	123.87	978.12
2.	बिहार	19.20	0.00	0.00

1	2	3	4	5
3.	चंडीगढ़	0.00	17.67	12.19
4.	छत्तीसगढ़	51.09	61.21	126.86
5.	दिल्ली	81.75	37.46	108.05
6.	दमन और दीव	0.00	0.00	15.00
7.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	14.68
8.	गोवा	0.00	5.97	16.01
9.	गुजरात	58.12	83.59	278.29
10.	हरियाणा	4.52	57.07	386.10
11.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.96	0.00
12.	झारखण्ड	0.00	16.78	39.19
13.	कर्नाटक	91.29	295.17	967.13
14.	केरल	0.00	11.24	20.22
15.	मध्य प्रदेश	43.02	31.27	56.94
16.	महाराष्ट्र	173.90	158.24	841.26
17.	उड़ीसा	2.40	14.40	157.97
18.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	8.10
19.	पंजाब	94.61	71.58	276.57
20.	राजस्थान	126.40	206.78	336.43
21.	तमिलनाडु	374.08	505.74	1990.30
22.	उत्तर प्रदेश	45.52	79.82	53.67
23.	पश्चिम बंगाल	17.87	22.17	49.96
	योग	1346.28	1800.99	6733.04

नोट: सीएलसीएसएस की वैद्यता की अवधि 31.3.2007 को समाप्त हो गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सीएलसीएसएस का विस्तार सरकार के विचाराधीन है। अतः वर्ष 2007-08 के दौरान सीएलसीएसएस की प्रगति शून्य समझी जाए।

अनुबंध II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास अभिक्रम (एमएसई-सीडीपी)

* क्लस्टरों एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए योजना के तहत कुल परियोजना लागत (प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के अधीन) के 80 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जाती है।

* योजना के तहत विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (27.11.07 तक) में प्रदत्त राज्य/संघ शासित प्रदेशवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	90.96	20.38	162.70	0.00
2.	असम	4.79	3.93	17.15	0.00
3.	बिहार	35.04	97.90	48.30	3.87
4.	छत्तीसगढ़	0.00	5.19	6.10	3.87
5.	दिल्ली	3.45	6.11	21.32	0.00
6.	गोवा	1.60	4.36	14.20	20.16
7.	गुजरात	9.44	8.20	264.49	0.00
8.	हरियाणा	1.90	4.45	22.36	21.97
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	2.53	6.15	7.92
10.	जम्मू-कश्मीर	37.79	218.00	48.95	0.00
11.	झारखण्ड	10.10	3.43	8.41	0.00
12.	कर्नाटक	2.80	10.40	29.31	21.43
13.	केरल	4.55	6.21	757.74	17.22
14.	मध्य प्रदेश	3.17	5.27	20.35	17.62
15.	महाराष्ट्र	1.42	1.27	9.40	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.50	0.00
17.	नागालैंड	4.30	13.82	17.50	9.88
18.	उड़ीसा	24.15	15.97	27.02	50.89
19.	पंजाब	81.27	63.70	66.30	29.67

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	28.00	24.00	26.30	32.33
21.	तमिलनाडु	11.09	1.35	17.60	70.25
22.	त्रिपुरा	0.00	0.00	1.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	52.99	11.21	56.29	93.28
24.	उत्तराखण्ड	76.49	62.08	38.10	27.29
25.	पश्चिम बंगाल	6.15	73.16	256.85	3.87
	योग	491.45	662.92	1944.39	431.52

अनुबंध III

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार की स्कीमः

* योजनांतर्गत परम्परागत इकाइयों के समूह विकास (क्लस्टर डेवेलपमेंट) हेतु कामन फेसिलिटी केन्द्र की स्थापना, विपणन संवर्द्धन क्रियाकलाप, नवीन उत्पाद/अभिकल्प आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

* वर्ष 2006-07 में जारी निधियों का राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा नियमानुसार है। पुनः योजना मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा अक्तूबर, 2005 में जारी किए गए हैं। अतः वर्ष 2005-06 में नोडल एजेन्सीज द्वारा कोई निधि नहीं जारी की गई। (चालू वर्ष की फिगर उपलब्ध नहीं है)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2006-07 के दौरान जारी निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	89.50
2.	असम	13.80
3.	बिहार	47.65
4.	गोवा	10.00
5.	गुजरात	17.60
6.	हरियाणा	38.55
7.	जम्मू-कश्मीर	78.60
8.	कर्नाटक	105.70
9.	केरल	78.55
10.	मध्य प्रदेश	3.80
11.	महाराष्ट्र	7.60
12.	नागालैंड	30.95
13.	उड़ीसा	23.80
14.	राजस्थान	61.91
15.	तमिलनाडु	186.25
16.	उत्तर प्रदेश	12.25
17.	उत्तराखण्ड	34.75
18.	पश्चिम बंगाल	44.75
19.	चंडीगढ़	38.55
20.	मिजोरम	3.80
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.00
22.	लक्षद्वीप	10.00
23.	पुडुचेरी	10.00
	योग	958.36

अनुबंध IV

आईएसओ-9000/आईएसओ-14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना:

* योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा आईएसओ-9000/आईएसओ-14001 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्राप्त व्यय के 75% (अधिकतम 75,000/- रुपए के अधीन) की मात्रा तक प्रतिपूर्ति की जाती है।
* योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान एवं वर्तमान वर्ष (31.10.07 तक) में राज्य/संघ शासित प्रदेशवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्नोक्त है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	88.04	65.81	35.93	5.18
2.	असम	1.76	1.97	0.38	0.00
3.	बिहार	8.76	5.62	4.63	0.00
4.	चंडीगढ़	8.66	14.24	7.33	1.01
5.	छत्तीसगढ़	5.74	8.01	5.00	1.82
6.	दादरा और नगर हवेली	6.18	7.64	2.81	0.69
7.	दमन और दीव	11	10.36	3.01	1.76
8.	दिल्ली	44.55	43.23	21.25	7.6
9.	गोवा	4.88	0.96	0.58	0.00
10.	गुजरात	38.71	42.69	22.86	7.14
11.	हरियाणा	177.86	186.28	91.09	19.7
12.	हिमाचल प्रदेश	6.82	11.54	7.54	0.94
13.	जम्मू-कश्मीर	0.49	7.26	3.49	0.64
14.	झारखण्ड	18.95	9.64	2.91	0.00
15.	कर्नाटक	99.52	125.07	75.77	11.97
16.	केरल	24.05	33.82	13.7	4.49
17.	मध्य प्रदेश	27.88	22.53	7.42	1.3
18.	महाराष्ट्र	367.32	447.08	397.53	96.65
19.	मेघालय	0.00	0.00	0.63	0.00

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	13.25	8.21	5.64	1.82
21.	पाण्डिचेरी	3.54	5.2	7.07	2.82
22.	पंजाब	119.04	122.71	81.82	10.46
23.	राजस्थान	90.84	84.23	59.59	7.12
24.	तमिलनाडु	295.57	415.76	302.86	63.38
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.68	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	184.02	180.9	78.78	11.49
27.	उत्तराखण्ड	9.65	10.1	9.02	6.98
28.	पश्चिम बंगाल	75.86	73.84	37.14	11.29
	योग	1732.92	1944.69	1286.45	276.22

अनुबंध V

उत्पादन आधारभूत संरचना योजना का विकास

* कयर इकाइयों की स्थापना/विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए नई इकाइयों को मशीनरी के लागत के 25 प्रतिशत तक तथा अन्य आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं हेतु अधिकतम 1.50 लाख रुपये तथा आधुनिकीकरण के लिए 50,000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

* विगत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत प्रदत्त राज्य/संघ शासित प्रदेशवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नोक्त है (चालू वर्ष की फिगर उपलब्ध नहीं है):

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय सहायता (लाख रुपये में)		
		2004-05	2005-06	2006-07
1.	केरल	1.05	3.98	2.39
2.	तमिलनाडु	80.28	20.27	66.90
3.	कर्नाटक	29.46	91.07	10.00
4.	आंध्र प्रदेश	1.50	4.00	1.50
5.	उड़ीसा	0.00	2.68	1.50
6.	उत्तर प्रदेश	0.50	0.00	0.00
	कुल	112.79	122	82.29

अनुबंध VI

निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम:

* योजनांतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु किसी ख्याति प्राप्त क्रेडिट रेटिंग संस्था द्वारा क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए देय शुल्क की 75% तक की सीमा तक (अधिकतम राशि 40,000/- रुपये तक) सहायता प्रदान की जाती है।

* योजनांतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 (अक्टूबर, 2007 तक) जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है (राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है):

क्र.सं.	वर्ष	जारी निधियां (लाख रुपयों में)
1.	2005-2006	450.00
2.	2006-2007	831.00
3.	2007-2008 (अक्तूबर, 2007 तक)	482.88

नोट: योजना अप्रैल, 2005 में शुरू की गई थी।

अनुबंध VII

क्षतिपूर्ति हेतु बार कोडिंग प्रमाणीकरण योजना:

* सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा बार कोड अपनाने के प्रोत्साहन हेतु 18,750/- रुपये की अधिकतम सीमा एवं 3,750/- रुपये वार्षिक आवर्ती शुल्क की आगामी तीन वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जाती है।

* योजनांतर्गत विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2007-08 (अक्टूबर, 2007 तक) जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है (राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है):

क्र.सं.	वर्ष	जारी निधियां (लाख रुपयों में)
1.	2004-2005	7.91
2.	2005-2006	10.50
3.	2006-2007	9.90
4.	2007-2008 (अक्तूबर, 2007 तक)	8.63

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय श्री महावीर प्रसाद जी ने काफी ईमानदारी के साथ इस उत्तर में कबूल किया है कि लगातार तीन वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी घट रही है। लगातार तीन वर्षों में देश के कुल विनिर्माण आउटपुट में सूक्ष्म और लघु उद्यम की हिस्सेदारी क्रमशः घट रही है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, आंकड़ों में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में तकनीकी उन्नयन हेतु क्रेडिट विखंड सब्सिडी भी लगातार घटती गई है। सीएलसीएसएस की प्रगति वर्ष 2007-08 में लगभग शून्य हो गई। पारम्परिक उद्योगों के पुनरुत्थान की स्कीम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में लगातार घट रही है। आईएसओ-9000 वर्ष 2004-05 से अभी तक घटने को क्रमशः माननीय मंत्री जी ने कबूल किया है।

मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि इस पद्धति से हर क्षेत्र में स्कीम का लेखा-जोखा जो आपने दिया, उससे यह साबित होता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के संबंध में गत तीन वर्षों में राज्यों की नीति बदली है और विशेष आर्थिक सहायता और बड़े उद्योगों के संबंध में नीति बनाने का यह परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, बड़े उद्योगों में कम लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी अवस्था में सरकार और माननीय मंत्री जी अपनी नीति बदलने के संबंध में, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में बड़े उद्योगों को मदद की जाती है, उसी प्रकार की सहायता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को देने के संबंध में क्या नीति बदलेंगे और अगर बदलेंगे तो कब बदलेंगे और इन नीतियों का स्वरूप क्या होगा तथा क्या सभागृह में नीति का स्वरूप लेकर आएंगे?

अध्यक्ष महोदय: आप क्या संस्कृत के प्रोफेसर हैं?

प्रो. महादेवराव शिवनकर: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन तीन प्रश्न एक साथ नहीं पूछने चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे से पूर्व माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के संबंध में अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र की नीति को बदलने का कोई विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम 2 अक्टूबर, 2006 से एक विधेयक दोनों सदनों

में लाए थे और इस विधेयक में विभिन्न प्रकार के उपाय लाए थे कि किस प्रकार से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ाने के लिए हम कार्यक्रम बना रहे हैं। इस कार्यक्रम के बारे में माननीय वाणिज्य मंत्री जी ने जो बताया है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, इसमें उद्योगों को बढ़ाने की बात है। लेकिन आपका जो तर्क है कि ये उद्योग घटते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, यह कहना बिलकुल ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, कृपया विषय से दूर न जाएं।

[हिन्दी]

मंत्री जी आप यहां देखिए।

श्री महावीर प्रसादः ये उद्योग घट नहीं रहे हैं। जो स्पष्ट और सही विवरण था, तथ्यात्मक विवरण सदन में मैंने रखा। हमने मंजूर किया कि कुछ जगहों पर हमने जो योजनाएं चलाई हैं, जिनके लिए हमने वित्त दिया है, उनमें तकनीकी आधार पर कुछ जगहों में कमी आई है, उसे हमने स्वीकार भी किया है। हमने बहुत सी योजनाएं जो अब चालू की हैं, जो वर्ष 2007-08 में प्रस्तावित थीं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक हिस्सेदारी की बात है लघु उद्यम क्षेत्र ने 312.52 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया है, खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में 88.92 लाख तथा कयर क्षेत्र में हमने 6.40 लाख रोजगार दिया है। मैं यह साबित करना चाहता हूं कि जब से यूपीए सरकार बनी है, हमारे मंत्रालय ने तब से इसमें बढ़ोत्तरी की है और आशा है कि यदि माननीय प्रोफेसर साहब से मदद मिले, तो हम इस सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम रोजगार उत्पन्न करेंगे। यही मंत्रालय है, जो करोड़ों-करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मेरे विचार से यह बहुत विस्तृत उत्तर है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर से सदन को मिसलीड किया है।

अध्यक्ष महोदयः आप सदन को लीड कीजिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकरः महोदय, यह जो लिखित उत्तर है, इसमें मंत्री जी ने हर मुद्दे पर कबूल किया है कि लगातार घट हो रही है।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रश्न पूछने का समय है।

प्रो. महादेवराव शिवनकरः प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रैडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम इस वर्ष ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इसे संस्कृत में बोलिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकरः अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जवाब में ऐसा ही कहा है। यह योजना 2007-08 में लगभग बंद है। क्या मंत्री जी उसे चालू करने के संबंध में विचार कर रहे हैं? यदि हां तो कब कर रहे हैं? नागपुर में महयान में और पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में इस प्रकार की बड़ी योजनाओं के लिए भूमि लेकर किसानों को त्रस्त किया जा रहा है। उसके एवज में क्या ऐसी छोटी-छोटी योजनाओं को चालू किया जाएगा? मैंने प्रश्न पूछा है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रैडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम चालू क्यों नहीं की है, क्या उसे चालू करेंगे, यदि हां तो कब चालू करेंगे?

अध्यक्ष महोदयः आपने इस क्वैश्चन के साथ नंदीग्राम किस लिए लगा दिया?

[अनुवाद]

वह नंदीग्राम के बारे में नहीं जानते।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है। मैंने उसका जवाब दिया कि 2007-08 के लिए सीएलसीएसएस योजना बंद है लेकिन वह सरकार के विचाराधीन है। चूंकि यह बहुत अच्छी योजना है, हम एक करोड़ पर 15 परसेंट सब्सिडी देते हैं। इसे पुनः चालू करने के लिए हमारा मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है। हम इसे शीघ्र पुनः चालू करेंगे। ...*(व्यवधान)*

प्रो. महादेवराव शिवनकरः महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः नहीं, तीसरे अनुपूरक को अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदासः महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारत के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछने के पीछे मुख्य विचार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास में अन्तर क्षेत्रीय असमानताओं को जानना है। किन्तु मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार नहीं है। उन्होंने केवल राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर दिया है और वह भी आंशिक रूप से, तथा वह केवल कुल विनिर्माण निर्गम बता रहे हैं कुल औद्योगिक निर्गम नहीं। अतएव, मुझे पता नहीं है कि क्यों माननीय मंत्री राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए। यदि वह ये बता पाते तो बेहतर होता। किन्तु सभी संकेतकों को देखते हुए यदि आप देश के कुल औद्योगिक निर्गम को देखें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी गिरती जा रही है। विभिन्न अध्ययनों ने इसे दर्शाया है और माननीय मंत्री महोदय द्वारा किए गए सभी उपायों के बावजूद इस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता गिरती जा रही है क्योंकि लघु, मध्यम और कुटीर उद्यमों में बड़े उद्योगों के प्रवेश से कड़ी प्रतिस्पर्धा की स्थिति है।

महोदय, इन परिस्थितियों में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में इन उद्यमों के हिस्से में वृद्धि के लिए सरकार क्या उपाय करेगी?

अध्यक्ष महोदय: इसी का उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: थोड़ा ब्रीफ में जवाब दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना है कि विकास दर घट रही है। सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 11.5 प्रतिशत है और सूक्ष्म, लघु क्षेत्र की विकास दर 13 प्रतिशत है। मैं साबित करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक एनएमसीपी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक परिषद बनायी गई है। विभिन्न योजनाओं के आधार पर जो कमी है, उसे पूरा करने के लिए हमारा मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है। हमारे कार्यक्रम बढ़ते जाएंगे। यही एक मंत्रालय है जो बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय: लघु उद्योगों के बारे में क्वैश्चन्स हैं, इसलिए लघु-लघु जवाब भी होने चाहिए।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, क्रैडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत एक करोड़ पर 15 परसेंट सब्सिडी दी जाती हैं। इसके ऊपर के एमाउंट पर भी सब्सिडी देने पर विचार करने की आवश्यकता है। आप प्रपोजल्स आने पर सब्सिडी देते हैं। क्या उसके लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है या नहीं? आपका मंत्रालय करोड़ों लोगों को रोजगार देता है लेकिन बेरोजगार करने वाला मंत्रालय कौन सा है?

अध्यक्ष महोदय: आप क्वैश्चन के लास्ट पार्ट को छोड़ दीजिए, केवल फर्स्ट पार्ट का जवाब दीजिए कि एक करोड़ रुपए की राशि को ज्यादा करेंगे या नहीं?

श्री महावीर प्रसाद: अभी तक जो नियम है, जो हमारी योजना है वह एक करोड़ तक की है। माननीय सदन इस पर विचार करेगा तो हम इस पर कोई व्यवस्था लाएंगे लेकिन अभी एक करोड़ की सीमा है और उस पर 15 परसेंट सब्सिडी देते हैं।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या लघु, सूक्ष्म तथा ग्राम उद्योगों का विकास करने तथा इन्हें आकार देने के लिए आशयित संस्थाओं की स्थिति काफी कमजोर है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि हमारी स्वतंत्रता के छः दशक बाद भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खादी वस्तुओं को बढ़ावा देने में सफल नहीं हुआ है। यह बताया गया है कि खादी उद्योगों का वार्षिक टर्नओवर मात्र 50 करोड़ है।

महोदय, जहां तक मेरे राज्य का संबंध है, संबलपुरी सारी, सोनपुरी पट्टा आदि जैसे सभी परम्परागत हथकरघा उत्पाद सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों से हैं तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात हैं। अत:, इन कुटीर, सूक्ष्म तथा लघु इकाइयों का विकास करने के लिए माननीय मंत्री महोदय क्या उपाय करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप 'संबलपुर' के बारे में पूछ रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: जैसा कि माननीय सदस्य ने केवीआईसी के विषय में पूछा है कि इसकी बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि इसे ठीक करने के लिए हमने स्फूर्ति योजना चालू की है और 100 कलस्टर्स हैं, जिसमें 25 क्वायर बोर्ड में, 25 खादी बोर्ड में और 50 केवीआईसी में ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कलस्टर टाइप की स्फूर्ति योजना चला रहे हैं जिससे रिहायशी खादी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. के.एस. मनोज। कृपया संक्षिप्त पूरक प्रश्न पूछिए। हम इस प्रश्न पर 20 मिनट ले चुके हैं।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। काफी शिकायतें आ रही हैं, विशेषकर केरल से शिकायतें आ रही हैं कि कई उद्यमियों को वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ये शिकायतें मंत्रालय के नोटिस में आई हैं और मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपको इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम चलाई गई है, उसमें कोलेटरल को कम करने के लिए या लघु उद्योग में उद्यमी जब उद्योग लगाते हैं तो बैंक उनसे जमानत मांगता है, भारत सरकार ने सिडबी की मदद से 4:1 के अनुपात में क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम बनाई है जिसमें 75 परसेंट भारत सरकार गारंटी लेगी और यदि महिला है, तो 80 परसेंट गारंटी लेगी। हां, यह बात सही है कि सही काम के लिए जांच कर रहे हैं जहां प्रगति कम हुई है लेकिन प्रगति को ठीक करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम को बहुत सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती किरण माहेश्वरी। आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा था।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंटरी क्वैश्चन पूछने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी अभी जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा उनके मंत्रालय से करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं और इन स्कीमों के माध्यम से इस बात की घोषणा की। लेकिन जो तथ्य हैं वे इससे विपरीत हैं। इन्होंने अपने जवाब में कहा है-

[अनुवाद]

देश के कुल विनिर्माण उत्पाद में सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एम.एस.ई.) क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान क्रमशः 38.74 प्रतिशत, 38.62 प्रतिशत तथा 38.56 प्रतिशत होने का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय: यह उत्तर में दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: यह लगातार एज इट इज रह रहा है, यानी इसमें कहीं भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि एक तरफ यह कहते हैं कि हम योजनाओं को चला रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं से जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि यह योजना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और योजना का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जो योजना राजस्थान में चल रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न रखिए। आप काफी मुखर सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: सर, मैं आपके माध्यम से ही सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, क्योंकि बड़े-बड़े अखबारों में योजनाओं के नाम आते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको और अनुमति नहीं है। यह काफी है।

[हिन्दी]

यह भाषण का टाइम नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: महोदय, मैं टू दि प्वाइंट सवाल पूछना चाहती हूं कि कुटीर योजनाएं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब योजनाएं महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगी। पूरे देश में जिस तरीके से आज महिलाएं स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं, रोजगार की ओर बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या कुटीर योजनाओं और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से आप महिलाओं

को कोई विशेष पैकेज दे रहे हैं। ऐसा आपने कहीं अंकित नहीं किया है। मैं राजस्थान के उदयपुर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह काफी है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या महिलाओं के लिए आप कुछ कर रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, माहेश्वरी जी एक विदुषी महिला सदस्य हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि अभी-अभी हमने क्लस्टर के बारे में सदन में जवाब दिया है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से यदि हम इस वक्त कहीं क्लस्टर लगा रहे हैं तो 90 प्रतिशत उन्हें छूट देने जा रहे हैं और हमारी सरकार ने यह निश्चित किया है कि महिलाओं, दलितों, पिछड़ी जातियों और सेवा से रिटायर्ड लोगों के लिए सबके लिए जो नई स्कीम आई है, उसमें हम उन्हें प्राथमिकता देने जा रहे हैं, ऐसी हमारी योजना है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का अवैध खनन

+
***263. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लौह अयस्क का अवैध खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवैध खनन के कारण हुई कुल हानि के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक लौह अयस्क के इस अवैध खनन में कुल कितने लोगों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार लौह-अयस्क के अवैध खनन की कुछ घटनाएं सरकार की जानकारी में आयी हैं। वर्ष 2004-05 से आज की तारीख तक छत्तीसगढ़ और गोवा राज्य में लौह अयस्क के अवैध खनन का एक-एक मामला, आंध्र प्रदेश में 15, कर्नाटक में 340 और उड़ीसा में 483 मामले सूचित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) केवल लौह-अयस्क के अवैध खनन के कारण हुए कुल नुकसान का आकलन केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार गौण खनिजों सहित अवैध खनन में पाये गये खनिजों का अनुमानित कुल मूल्य 97.39 करोड़ रुपए है। राज्य सरकारों ने जुलाई, 2005 से जून, 2007 की अवधि में अवैध खनन के 69003 मामलों का पता लगाया है। पता लगाये गये मामलों में से राज्य सरकारों ने 12780 अदालती मामले दर्ज किये हैं और जुर्माने/अर्थदण्ड के तौर पर 137.27 करोड़ रुपए वसूल किये हैं।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इस देश में अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन धड़ल्ले से हो रहा है तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभी तक 69,003 मामलों का पता लगाया गया है। केवल उड़ीसा में क्योंझर जिले के बारबिल में तथा मयूरभंज जिले में कई मामलों का पता लगा है। इस प्रकार के अवैध क्रियाकलाप सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ के बिना नहीं किए जा सकते। इसलिए, मैं गत तीन वर्षों के दौरान इन अवैध लौह-अयस्क खनन मामलों में दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों का ब्यौरा जानना चाहूंगी। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार अवैध खनन, जिसके परिणामस्वरूप काफी नुकसान हो रहा है, में संलिप्त व्यक्तियों तथा अधिकारियों को हतोत्साहित करने के लिए मृत्युदंड सहित और अधिक सख्त कानून लागू करने पर विचार कर रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कैपिटल पनिशमैन्ट तो कोई कोर्ट देती नहीं है।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि प्रथमत: भारत सरकार का खान मंत्रालय सभी राज्य सरकारों से कृतिक बल समितियों तथा उड़नदस्तों का गठन करने के लिए सूचित कर चुकी है। कृतिक बल समिति में पहले राज्यों के खान सचिव सदस्य होंगे जो कि अध्यक्ष होंगे।

खान तथा भूगर्भ निदेशक संयोजक होंगे। इसमें राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी जैसे वन अधिकारी, प्रदूषण समिति के सदस्य तथा भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) के सदस्य भी शामिल होंगे। देश में आज इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स तथा 20 राज्यों में कृतिक बल समितियों का गठन किया गया है। उन्हें अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करने की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। अतः, यह कहना सही नहीं है कि कुछ नौकरशाह उत्तरदायी हैं और वे ऐसा कर रहे हैं। खान मालिक ही चोरी करते हैं। यह चोरी का मामला है। यह कानून और व्यवस्था का मामला है। राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। हम राज्य सरकारों को यह कहते हुए सुस्पष्ट निदेश दे रहे हैं कि कृतिक बल द्वारा कारगर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम प्रत्येक तिमाही यह भी समीक्षा कर रहे हैं कि वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अतः, हम आश्वासन देते हैं कि पूरी कार्रवाई की गई है तथा सख्त कार्रवाई की गई है।

जहां तक दंड का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि दंड और अन्य बातें क्या हैं। इसलिए न्यायालयों ने ऐसा कहा है। इस चरण पर हम इसे नहीं बदल सकते।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: यहां यह सब काफी आकर्षक लगता है लेकिन राज्यों में इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। आपने स्वयं अपने उत्तर में यह बताया है कि अभी तक पता लगाए गए 69,0003 मामलों में राज्य सरकारों ने सिर्फ 12,780 कोर्ट मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने 137.27 करोड़ रुपए का अर्थदंड वसूल किया है। अतः, कार्यकुशलता कारक कहां है? क्या कदम उठाए जा चुके हैं? मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने के लिए कहूंगी।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि कुल 69,003 मामलों में से 54,069 मामलों में राज्य सरकारों के दस्ते द्वारा दंडित किया गया है। अतः, अवैध खनन की मात्रा के ऊपर उन्होंने जुर्माना लगाया है तथा दंड दिया है। 12780 मामलों में न्यायालय में मामले दर्ज किए गए हैं। 1554 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। अतः, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 9400 मामलों को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा चुका है जिसमें आरोपियों को सजा दी गई है।

श्री अधीर चौधरी: देश के विभिन्न राज्यों में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। निजी कंपनियों के लिए खनन क्षेत्र खोले जाने के पश्चात अवैध खनन की घटना में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कितनी कंपनियों द्वारा अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क की खरीद की जा रही है और उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: लौह अयस्क के संबंध में हमें यह सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी है कि आंध्र प्रदेश में 15 मामलों का पता लगाया गया है। छत्तीसगढ़ और गोवा के मामले में प्रत्येक राज्य में एक-एक मामले का पता चला है।

अध्यक्ष महोदय: यह आपके उत्तर में है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: मैं आंकड़े दे रहा हूं। उत्तर में आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: कर्नाटक में 340 मामलों का पता लगाया गया है। वर्ष 2007 के लिए यह आंकड़ा 289 था। उड़ीसा में भी 2004-05 में आंकड़ा 150 मामलों का तथा 2007 में 164 मामलों का है। मामले से मेरा आशय कंपनियों के शामिल होने से है। अतः, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका पहले ही पता लगाया गया है, कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष महोदय: वे उपयोग कर रहे हैं या खनन कर रहे हैं। ठीक है। बस।

श्री रूपचंद पाल: अवैध खनन ऐसा मामला नहीं है जिसकी विशेष रूप से केवल राज्य सरकारों द्वारा जांच कराई जाए बल्कि सच्चाई यह है कि हमारे पास कोई संगत अर्थपूर्ण राष्ट्रीय खनिज नीति नहीं है। यह लौह अयस्क नीति का भाग है। आप पाएंगे कि खान विभाग अपनी नीति के रूप में कुछ घोषणा कर रहा है और इस्पात मंत्रालय अलग व्याख्या कर रहा है। अनवर हुडा समिति द्वारा अपनी सिफारिश दिए जाने के पश्चात हमने सरकार की दो अवधारणाओं को पाया कि राष्ट्रीय खनिज नीति क्या होनी चाहिए। इस बीच, अवैध खनन और ये सब कार्य हो रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि यह सरकार इस सभा के समक्ष वाद-विवाद और चर्चा हेतु राष्ट्रीय खनिज नीति को कब ला रही है?

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: राष्ट्रीय खनिज नीति को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा रहा है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद इसके शायद अगले सत्र में संसद में आने की संभावना है।

डा. एम. जगन्नाथ: माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में अवैध खनन में 15 कंपनियां लिप्त हैं। महोदय, अनंतपुर जिले में एक कंपनी ने अतिक्रमण कर लिया है....

अध्यक्ष महोदय: यही कठिनाई है। आप एक कंपनी का ब्यौरा नहीं दे सकते हैं।

डा. एम. जगन्नाथ: परंतु महोदय, यह प्रासंगिक है।

अध्यक्ष महोदय: प्रासंगिक है या नहीं इसका निर्णय मैं लूंगा।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, आप मेरी बात सुनकर निर्णय ले सकते हैं। परंतु यह बात प्रासंगिक है महोदय।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

डा. एम. जगन्नाथ: जिस क्षेत्र पर अतिक्रमण करके एक प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया था वह उस खनन कंपनी को आबंटित नहीं किया गया था। कुछ स्थानीय प्रतिनिधि उस स्थान को देखना चाहते थे। कंपनी ने धमकी दी थी कि उस स्थान पर आने वाला व्यक्ति, चाहे वह विधायक हो अथवा संसद सदस्य हो, यदि वह उस स्थान पर आता है, तो उसको पत्थर मारकर हत्या कर दी जाएगी। यह समाचार व्यापक रूप से समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोई खनिक इस तरह कह सकता है और इस पर सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रासंगिक नहीं है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, यदि क्या चाहें तो मैं उत्तर दे सकता हूं।

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मंत्री जी तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरे निर्णय को चुनौती मत दीजिए।

डा. एम. जगन्नाथ: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका निवेदन अस्वीकार किया जाता है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपसे अनुरोध है कि बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य द्वारा कही गई किसी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: डा. जगन्नाथ, मुझे आपसे सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: उनके द्वारा कहे गए एक शब्द को भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मुझे वह नियम दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस तरह के डाक्टर हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे वह नियम दीजिए। यदि आपने रेखा पार की तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। अध्यक्षपीठ को चुनौती देना आजकल फैशन सा हो गया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश के अंदर प्राकृतिक संपदा का जिस प्रकार से अवैध रूप से खनन हो रहा है, उस पर माननीय मंत्री जी ने क्या कार्रवाई की है? जिस प्रकार लौह-अयस्क का अवैध खनन हो रहा है, उसी प्रकार अन्य प्राकृतिक संपदाओं का भी अवैध खनन हो रहा है। उसको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या कदम उठाए हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो भारत सरकार, खान मंत्रालय पूरे देश में चल रहे अवैध खनन के बारे में बहुत चिंतित है। हमने संबंधित मुख्य मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रुचि लें कि उड़न दस्ते निरीक्षण हेतु तत्काल खानों में जाएं और देखें कि क्या खनन कार्य नियमों के अनुसार चल रहा है या कोई अवैध खनन चल रहा है। इसी प्रकार, भारतीय खान ब्यूरो जो मंत्रालय का एक भाग है, राज्य सरकारों के साथ उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई की तिमाही समीक्षा कर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहा है। इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय इस बारे में बहुत चिंतित है कि राज्य सरकारों द्वारा कितनी कार्रवाई की जा रही है। यदि वे अवैध खनन के विरुद्ध समुचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उन्हें पक्के निर्देश देते हैं और कभी-कभी हम उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम बख्शेंगे में नहीं।

अध्यक्ष महोदय: हमने तीन प्रश्नों में लगभग 45 मिनट का समय लिया है। यदि यही तरीका है तो हमें इतने सारे प्रश्न मुद्रित नहीं करने चाहिए और अध्यक्षपीठ को चुनौती देना भी फैशन बन गया है।

श्री अनंत कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा सभा पटल पर रखा गया उत्तर पूर्णत: भ्रामक है। महोदय, मैं आपके माध्यम से आपके और माननीय मंत्री के ध्यानार्थ इसे पढ़कर सुनाऊंगा। पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि वर्ष 2004-05 से आज तक छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों में लौह अयस्क के अवैध खनन के एक-एक मामले, आंध्र प्रदेश में 15 मामले, कर्नाटक में 340 और उड़ीसा में 483 मामलों की रिपोर्ट की गई है। इसका मतलब कुल मामलों की संख्या 835 है। अब आप कृपया अगला पैराग्राफ देखिए। अगले पैराग्राफ के अंतिम भाग में उन्होंने बताया है कि राज्य सरकारों ने जुलाई 2005 से जून 2007 तक की अवधि में अवैध खनन के 69003 मामलों का पता लगाया है। पहले और दूसरे पैराग्राफ के बीच संबंध मेरी समझ में नहीं आता है।

तत्पश्चात मंत्री जी द्वारा यह भी बताया जाता है कि अवैध खनन का कुल मूल्य केवल मामूली 97.39 करोड़ रुपये है जबकि लगाया गया और वसूल किया गया जुर्माना 137.27 करोड़ रुपये है। इसलिए, इसमें भी कोई संबंध नहीं है। अत:, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से केवल एक बात कहना चाहूंगा कि उन्हें इन सभी तथ्यों को सही करके ही सदन के समक्ष आना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यह अवैध खनन कच्चे लौह अयस्क के निर्यात से जुड़ा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि लौह अयस्क इस देश की अति मूल्यवान संपत्ति है। अत:, मूल्यवर्धन सिर्फ इस देश में होना चाहिए। इसलिए, इस संबंध में माननीय मंत्री जी क्या नीतिगत परिवर्तन करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: अवैध खनन को रोकने के लिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री अनंत कुमार अति वरिष्ठ सदस्य हैं तथा पूर्व मंत्री भी हैं। वह इन दो पैराग्राफों को समुचित रूप से पढ़ना भूल गए हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि कैसे वह गलत हैं और मैं सही। उन्होंने कहा कि मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें स्पष्ट करने दीजिए क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, पहला पैरा केवल लौह अयस्क के लिए प्रासंगिक है जबकि दूसरा सारी खनिज सामग्री के के लिए प्रासंगिक है। इसलिए, आंकड़े मेल नहीं खाते हैं। अत:, वह गलत हैं, मैं सही हूं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से श्री अनंत कुमार का मौनधारण भी इस बात को स्वीकार करता है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, यदि आप प्रश्न देखें तो यह पूछा गया है कि ''केवल लौह अयस्क के ऐसे खनन में दोषी पाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है।'' यह सभी खनिजों से संबंधित प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री गलत हैं और मैं सही हूं।

महोदय, उन्हें सभा के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वे इस तरह सभा को गुमराह नहीं कर सकते हैं। यदि वह यह नहीं जानते हैं कि लौह अयस्क तथा अन्य खनिजों के बीच क्या अंतर है ...*(व्यवधान)* प्रश्न हमारे सामने हैं तथा उत्तर भी हमारे सामने है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री को इसे सही करने का अनुदेश दें तथा तब सभा में लौटें।

अध्यक्ष महोदय: मेरे अनुसार वह यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्न (ग) में 'यह लौह अयस्क का अवैध खनन नहीं है।' वह सोचते हैं कि उन्होंने विनम्रतापूर्वक सभी अवैध खनन की जानकारी दे दी। क्या यह सही है?

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: नहीं महोदय, कृपया मुझे स्पष्ट करने दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बात केवल यह है कि वह नहीं समझते, मैं नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: केवल यही नहीं। मैं आपका ध्यान प्रश्न में बताए तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह बताया गया है कि 'पता लगाए गए मामलों में से राज्य सरकार ने 12,780 न्यायालय में मामले दर्ज किए गए।' यह खेल लौह अयस्क से संबंधित है जबकि उन्होंने बताया कि उन्होंने पता लगाया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई गलती होगी तो वह इसमें सुधार कर लेंगे।

श्री रूपचंद पालः महोदय, दोनों सही हैं तथा दोनों गलत हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मेरे विचार से आपको उन्हें चाय पर आमंत्रित करना चाहिए।

श्री अनंत कुमारः महोदय, मैं डा. रेड्डी के यहां चाय पर निश्चित ही जाऊंगा, लेकिन उन्हें इस माननीय सभा में सही उत्तर लेकर आने दें। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, महोदय। यह एक गंभीर चूक है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने बात समझ ली है। आप इसे देखें।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः नहीं, महोदय। यदि आप अनुमति दें तो मैं स्पष्टीकरण दूंगा तथा उन्हें आश्वस्त करूंगा। कृपया दूसरा पैरा देखें: "केवल लौह अयस्क के अवैध खनन के चलते हुई कुल हानि का आकलन केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।" इसका अंग्रेजी में क्या अर्थ है?

अध्यक्ष महोदयः एक प्याली चाय से कुछ ज्यादा।

...*(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः अतः, यह केवल लौह अयस्क के लिए नहीं रखा जा सकता है। इसके आगे कहा गया है कि "तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार लघु खनिजों सहित अवैध खनन में पता लगाए गए खनिजों का कुल अनुमानित मूल्य–"इसका अर्थ है लघु खनिजों सहित सभी खनिज। यह केवल लौह अयस्क नहीं है।

श्री अनंत कुमारः कृपया अंतिम वाक्य देखें। ...*(व्यवधान)* आप उन्हें निदेश दें, महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री अनंत कुमारः नहीं महोदय, आप उन्हें निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदयः मुझे विश्वास है कि यदि कोई गलती होगी, तो माननीय सदस्य इसकी जांच करा लेंगे।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः महोदय, मैंने सही उत्तर दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं एक सही उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः यदि आप महसूस करते हैं कि वे अब भी सभा को गुमराह कर रहे हैं तो आपके पास इसे उठाने के कई विकल्प मौजूद हैं।

श्री अनंत कुमारः महोदय, मैं आपको लिखूंगा।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः महोदय, दो प्रकार के खनन हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने उस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है, माननीय मंत्री जी।

...*(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः एक लौह अयस्क की तथा दूसरी सभी खनिजों का खनन है। ...*(व्यवधान)* यह सभी खनिजों से संबंधित है ...*(व्यवधान)* इसलिए, वे गलत हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः महोदय, संसदीय कार्य मंत्री माननीय मंत्री श्री रेड्डी को समर्थन देते हुए अपने स्थान से जा रहे हैं। यह सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह कैबिनेट कार्यकरण है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः महोदय, उनका खड़ा होना तथा समर्थन देना सभा के प्रति उनके दायित्व का अंग नहीं है। ...*(व्यवधान)* इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। ...*(व्यवधान)* वे किस प्रकार जा सकते हैं, महोदय? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः महोदय, वह गलत हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः यह सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः इस क्वेश्चन में बहुत टाइम हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संसदीय कार्य मंत्री को कृपया फटकार लगाएं; वे अध्यक्षपीठ की अनुमति

के बिना अपना स्थान छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तथा दूसरे माननीय मंत्री के कान में कुछ नहीं कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कैबिनेट के कार्यकरण का अच्छा उदाहरण है। वे सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह समाप्त हो चुका है। मैंने दूसरे सदस्य को बुलाया है। प्रश्न सं. 264, श्री मोहन रावले।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, हम इस मसले पर पूरी चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। ऐसे डिस्कशन नहीं होता है। आपको नोटिस देना होगा। आप नोटिस दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा स्थगित कर दूंगा और चला जाऊंगा। देश यह देखे कि आप किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रश्न संख्या 264 बुलाया है, श्री मोहन रावले। इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा, वह समाप्त हो चुका है। मैं प्रश्न संख्या 264 पर आया हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा स्थगित कर दूंगा तथा चला जाऊंगा देश यह देखे कि सभा में क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त कुमार, मैंने आपसे अनुरोध किया यदि कोई बात है तो आप मुझे पत्र लिखें, मैं उसे देखूंगा। किसी को भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: हम इस पर समग्र चर्चा चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त कुमार आप जानते हैं कि किस प्रकार चर्चा कराई जा सकती है। आप अपने उपनेता से पूछें— वे एक वरिष्ठ नेता है—कि किस प्रकार चर्चा कराई जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्र.सं. 264 के उत्तर में माननीय वाणिज्य मंत्री के बयान के अलावा एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री मोहन रावले

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उनका पहला उत्तर है, वह बड़े सत्यनिष्ठ मंत्री हैं। डा. रेड्डी मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूं। सिर्फ चाय नहीं, कुछ और भी आवश्यक है।

...*(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मेरे कार्यालय में आने दीजिए, मैं उन्हें यकीन दिला दूंगा, मैं उन्हें स्पष्ट कर दूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

निर्यातकों को नुकसान

***264. श्री मोहन रावले:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यात में गिरावट की वर्तमान प्रवृत्ति के कारण निर्यात क्षेत्र में वस्तुओं के उत्पादन पर और रोजगार में कमी आने के बारे में आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) यद्यपि, आयातों में समग्रतः वृद्धि हुई है, तथापि वृद्धि दर में गिरावट आई है। तथापि वस्त्र, चर्म, समुद्री उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे कतिपय क्षेत्रों में निर्यातों में निवल गिरावट आई है, जिसके कारण रोजगार का नुकसान हुआ है। यद्यपि, सही-सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, तथापि अनुमान है कि यदि उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं, तो रोजगार का कुल नुकसान 2 मिलियन का हो सकता है।

रुपए की मजबूती से उत्पन्न प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए निर्यातकों को राहत प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी) दरों में बढ़ोत्तरी;

(2) शुल्क प्रति अदायगी दरों में बढ़ोत्तरी;

(3) ईसीजीसी प्रीमियम दरों में कमी;

(4) एसएमई क्षेत्र तथा 13 अन्य क्षेत्रों के सभी निर्यातकों के लिए पोतलदान पूर्व एवं पोतलदान पश्चात ऋण पर ब्याज दर में 2% की आर्थिक सहायता तथा चर्म एवं अन्य विनिर्माताओं, समुद्री उत्पादों, सिले-सिलाए वस्त्रों व कालीनों सहित परन्तु मानव निर्मित फाइबर एवं हस्तशिल्प को छोड़कर वस्त्रों की सभी श्रेणियों के संबंध में 2% की अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान;

(5) निर्यातकों को अंतिम उत्पाद शुल्क एवं केन्द्रीय बिक्री कर की त्वरित प्रतिपूर्ति;

(6) निर्यातकों के मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खातों में बकाया राशि पर अधिकतम एक मिलियन अम. डालर के अध्यधीन ब्याज के भुगतान का प्रावधान;

(7) 10 सेवाओं के संबंध में निर्यातों हेतु सेवा कर (वापसी/छूट);

(8) कृषि एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से शुरू की गई एक स्कीम विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना का दायरा बढ़ाकर उसमें अतिरिक्त उत्पादों को शामिल किया गया है और बजट आवंटन 300 करोड़ रुपए से दोगुना करके 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है;

(9) चुनिन्दा वस्त्र सामग्रियों पर सीमाशुल्क घटा दिया गया है;

(10) अंतिम उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति में अनुमोदन की तिथि से 30 दिनों से अधिक का विलम्ब होने पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान।

रोजगार के नुकसान को रोकने के लिए और राहत देने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें बताया है कि

[अनुवाद]

निर्यात में पूरी तरह से वृद्धि हुई है वहीं विकास दर में गिरावट आई है।

[हिन्दी]

यानी उन्होंने यह मान लिया है कि ...*(व्यवधान)* सर, मिनिस्टर साहब ने खुद मान लिया है कि इस समय ग्रोथ में बहुत डिक्लाइन आई हुई है। उन्होंने लिखा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अनन्त कुमार जी, प्लीज आप बैठिए। देखिए 55 मिनिट्स हो गए हैं।

श्री मोहन रावले: सर, उन्होंने लिखा है कि

[अनुवाद]

वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पादों और हस्तशिल्प जैसे कतिपय क्षेत्रों में शुद्ध कमी आई है।

[हिन्दी]

उन्होंने खुद लिखा है और मंत्री जी मान रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि

[अनुवाद]

जब तक उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं तब तक यह कुल घाटा 20 लाख तक रहेगा।

[हिन्दी]

सर, अब ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग करना बन्द कर दी है। मैन्यूफैक्चरर्स भी घाटे में जा रहे हैं। लगता है वे भी अपनी फैक्ट्रीज बन्द कर देंगे।

महोदय, मंत्री जी ने जो दूसरा जवाब दिया है उसमें लिखा है कि

[अनुवाद]

प्री और पोस्ट शिपमेंट पर ब्याज दर 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता का उपबंध है।

[हिन्दी]

सर, पहले तो 11 परसेंट था। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्रीज नहीं बचेंगी।

अध्यक्ष महोदय: प्लीज क्वैश्चन कीजिए।

श्री मोहन रावले: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि क्या जो रेट आफ इंटरैस्ट है, उसे आप इसे 5 परसेंट करेंगे?

श्री कमल नाथ: सर, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं क्योंकि रुपए की वैल्यू बढ़ने से ऐसा हो रहा है। अक्तूबर, 2006 और अक्तूबर, 2007 में 15 प्रतिशत रुपए का एप्रीसिएशन हुआ है। इससे हमारे निर्यात के कई सैक्टर प्रभावित हुए हैं। खासकर वे सैक्टर जो एम्प्लायमेंट जनरेटिंग हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं और जिस स्थान पर वे हैं, वहां से बोलने के लिए उन्होंने आपसे परमीशन नहीं ली है।

अध्यक्ष महोदय: कौन?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह लागू नहीं होता है। अवज्ञाकारी मत बनिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप मंत्री थे। आप जानते हैं कि यह मंत्रियों पर लागू नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा मत कीजिए। मुझे आपसे काफी स्नेह है।

अब, माननीय मंत्री जी।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ: अध्यक्ष महोदय, जो सैक्टर एम्प्लायमेंट जनरेटिंग हैं, वे इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। माननीय सदस्य की यह बात बिलकुल सही है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि मैरीन प्रोडक्ट्स में माइनस 15 परसेंट, पिछले छः महीने में। पिछले साल के इन्हीं छः महीनों की तुलना में। लैदर 1 परसेंट, काटन, यार्न और फैब्रिक्स मेडअप 2.77 परसेंट, टैक्सटाइल्स 7.99 परसेंट, कारपेट्स 16.23 परसेंट, हैंडीक्राफ्ट 34.6 परसेंट। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि इनमें डिक्लाइन हुआ है। इसके साथ-साथ हमें राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके यहां कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज में कितना-कितना डिक्लाइन हुआ है। हमें इस बात की भी चिन्ता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हमें सूचित किया है कि लगभग 30-35 परसेंट एम्प्लायमेंट हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और लैदर सैक्टर में इससे प्रभावित हुआ है और उन्होंने हमें यह भी सूचित किया है कि इसके कारण 12 हजार लोग हैंडलूम सैक्टर में, 35 हजार लोग पावरलूम सैक्टर में, 7 हजार लोग निटवियर सैक्टर में, 24 हजार लोग मिल सैक्टर में, 50 हजार निटवियर सैक्टर में लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं। यह बात सच है कि हमने जो एक मूल्यांकन किया है उसके अनुसार लगभग 20 लाख लोगों को इसमें अनएम्प्लायमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी हमसे कहा है कि इसके कारण उनके यहां 50 हजार लोग बेरोजगार हुए हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें सूचना दी है कि चमड़ा क्षेत्र में 20 प्रतिशत गिरावट के कारण 50,000 व्यक्ति बेरोजगार हो गए

हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार ने हमें सूचना दी है कि 35000 कारीगरों से रोजगार छिन रहा है। गृह मंत्रालय ने हमें सूचना दी है कि तमिलनाडु में छह लाख श्रमिक जिनमें से 90 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं और माचिस उद्योग में कार्यरत हैं वे प्रभावित हो रहे हैं।

[हिन्दी]

इसलिए यह बात सही है कि हमने एक पैकेज वित्त मंत्रालय की सहमति से एनाउंस किया था। वित्त मंत्रालय ने उसमें कुछ संशोधन किए, तब यह घोषित हुआ। अब हम विचार कर रहे हैं कि जो इंटरैस्ट रेट पहले दो परसेंट किया, अब फिर से सबवैंशन दो परसेंट किया है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी जो कदम उठाने हैं उनके बारे में हम वित्त मंत्रालय से चर्चा कर रहे हैं और इसे हम कैबीनेट में ले जाने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अब, आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 11 परसेंट टैक्सटाइल में बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि टैक्सटाइल में 3 करोड़ 50 लाख लोग काम कर रहे हैं, यानी साढ़े 20 लाख तो यहीं होते हैं। इसके अलावा काफी, रबर एवं अन्य सभी जगह प्राब्लम है। मंत्री जी ने कहा कि डालर गिर गया है। मैं बताना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

डालर का अभूतपूर्व आगम हो रहा है, जिसका सट्टेबाजी के उद्देश्य से शेयर बाजार में निवेश किया जा रहा है, जिसके कारण रुपया मजबूत हो रहा है जिससे विशेषकर निर्यात प्रभावित हुआ है। निर्यात के मूल्य में कोई मार्जिन नहीं है और इसमें लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टाइम नहीं है, जल्दी पूछिए।

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ढांचागत मुद्दे के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं क्योंकि इस मुद्दे के कारण शेयर बाजार में सट्टेबाजी के लिए डालर आ रहे हैं।

[हिन्दी]

यह सर हाट मनी है। आज शेयर मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन यह कभी भी गिर सकता है। यह सब पैसा बाहर से आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मोहन रावले जी, टाइम नहीं है। जल्दी पूछिए।

श्री मोहन रावले: सर, जो सेबी के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि यह ब्लैक मार्केट और अंडरवर्ल्ड का पैसा है। क्या इसे रोकने के लिए आपने कोई कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ: महोदय, रुपए के मूल्य में वृद्धि दो कारणों से हो रही है। एक कारण है डालर का आगम। दूसरा कारण है डालर के मूल्य में आ रही वैश्विक गिरावट। इसलिए हम पर दोहरी मार पड़ रही है। एफ आई आई, जिसके बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे थे, में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश दोनों में सतत वृद्धि हो रही है। शेयर बाजार में संस्थागत निवेश के बारे में क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, इसके बारे में निर्णय वित्त मंत्रालय को लेना है, परन्तु हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि शेयर बाजार के अतिरिक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभ हो रहा है और इतना आगम कभी नहीं हुआ। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे और वह जिस मुद्दे पर सभा का ध्यान आकर्षित कर रहे थे वह है शेयर बाजार में संस्थागत निवेश। वित्त मंत्रालय को इस पर ध्यान देना होगा। मेरे मंत्राल का इससे कोई संबंध नहीं है परन्तु डालर के मूल्य में वैश्विक रूप से गिरावट आ रही है। यह बात हमें समझनी चाहिए। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अक्तूबर 2006 से 2007 के बीच डालर के मूल्य में 15.1 प्रतिशत की गिरावट आई।

पाउन्ड में 5.6 प्रतिशत गिरावट आई। रुपया जापानी येन के मुकाबले में 12.4 प्रतिशत मजबूत हुआ है। इसी प्रकार से यूरो के मुकाबले यह 2.1 प्रतिशत मजबूत हुआ है। अत: रुपया केवल डालर से मुकाबले ही मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि यह अन्य मुद्राओं के मुकाबले की मजबूत हो रहा है। अन्य पूर्वी एशियाई देशों के संदर्भ में जोकि हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, हम भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन देशों की मुद्रा के मूल्य में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी हमारी मुद्रा में हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच (एपीईसी)

***265. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच (एपीईसी) ने इसकी सदस्यता के लिए भारत द्वारा आवेदन करने के बावजूद उसे अपनी सदस्यता देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी बढ़ाने के मद्देनजर सरकार द्वारा एपीईसी के विस्तार के अगले चरण के दौरान इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) जी, नहीं। भारत द्वारा सितम्बर, 1991 में एपीईसी की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक से पूर्व एपीईसी की सदस्यता हेतु आवेदन किया गया था। वर्ष 1997 में वैंकूवर में आयोजित एपीईसी नेताओं की 5वीं बैठक में आर्थिक नेताओं द्वारा एपीईसी सदस्यता पर 10 वर्षों के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। सितम्बर, 2007 में सिडनी में हुई एपीईसी की शिखर बैठक में सदस्यता के मुद्दे पर पुनर्विचार करते हुए आर्थिक नेताओं की संयुक्त घोषणा के जरिए एपीईसी की सदस्यता पर रोक को वर्ष 2010 तक लागू रखने का निर्णय लिया गया था। एपीईसी में सदस्य के रूप में शामिल होने के संबंध में भारत की स्थिति यह है कि हम एपीईसी में तभी शामिल होंगे जब एपीईसी के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से हमारी सदस्यता का समर्थन किया जाए।

विदेशी कंपनियों द्वारा प्रसारण मानकों का उल्लंघन

***266. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी प्रसारण कंपनियां, प्रसारण हेतु निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना ही कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितनी विदेशी कंपनियों ने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का कंपनीवार अनुपालन किया है; और

(घ) मानकों का उल्लंघन करने वाली विदेशी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं। तथापि, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6(6) में संशोधन करने वाली अधिसूचनाओं के अनुसार विदेश से अपलिंक किए जा रहे कुल 50 टीवी चैनलों को दिनांक 11.5.2006 से भारत में डाउनलिंक करने की समवत अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा वर्ष 2006 और 2007 के दौरान पांच टी वी चैनलों को भी भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति तथा 1 टी वी चैनल को भारत में डाउनलिंक करने की सशर्त अनुमति दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) में यथा-उल्लिखित टी वी चैनलों की सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	चैनलों के नाम	कंपनियों के नाम
1	2	3
I. समवत अनुमत चैनल		
1.	सी एन एन इंटरनेशनल	टर्नर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा.लि.
2.	कार्टून नेटवर्क	टर्नर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा.लि.
3.	बूमरैंग	टर्नर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा.लि.
4.	टी सी एम टर्नर क्लासिक	टर्नर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा.लि.
5.	पोगो	टर्नर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा.लि.
6.	एच बी ओ	टर्नर इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा.लि.
7.	डिज्नी चैनल	वाल्ट डिज्नी कंपनी (इंडिया) प्रा.लि.

1	2	3
8.	टून डिज्नी	वाल्ट डिज्नी कंपनी (इंडिया) प्रा.लि.
9.	डिस्कवरी चैनल	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा.लि.
10.	एनीमल प्लेनेट	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा.लि.
11.	डिस्कवरी ट्रैवल एंड लिविंग	डिस्कवरी कम्युनिकेशंस (इंडिया) प्रा.लि.
12.	बी 4 यू म्यूजिक	बी 4 यू टेलीविजन नेटवर्क (आई) प्रा.लि.
13.	बी 4 यू मूवीज	बी 4 यू टेलीविजन नेटवर्क (आई) प्रा.लि.
14.	टेन स्पोर्ट्स	ताज टेलीविजन (इंडिया) प्रा.लि.
15.	सेट मैक्स	सेट इंडिया प्रा.लि.
16.	ए एक्स एन	सेट इंडिया प्रा.लि.
17.	सेट पिक्स	सेट इंडिया प्रा.लि.
18.	सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल	सेट इंडिया प्रा.लि.
19.	एनीमैक्स	सेट इंडिया प्रा.लि.
20.	सब	सेट इंडिया प्रा.लि.
21.	टी वी 5 मांडे	कैटविजन प्राडक्ट्स लि.
22.	ए बी सी एशिया पैसिफिक	सेटप्रो हाल्डिंग्स प्रा.लि.
23.	गॉड टी वी	एंजेल मीडिया नेटवर्क प्रा.लि.
24.	एफ टी वी	नियान साल्यूशंस प्रा.लि.
25.	वोयेजिज टी वी	नियान साल्यूशंस प्रा.लि.
26.	दि एम जी एम	एसेल श्याम कम्युनिकेशन लि.
27.	रियेलिटी टी वी	एसेल श्याम कम्युनिकेशन लि.

1	2	3
28.	बी बी सी वर्ल्ड	बी बी सी वर्ल्ड (इंडिया) प्रा.लि.
29.	स्टार गोल्ड	गोल्ड मूवीज प्रा.लि.
30.	चैनल (वी)	वी म्यूजिक एंड इंटरएक्टिव चैनल्स इंडिया प्रा.लि.
31.	स्टार मूवीज	स्टार इंटरनेशनल नेटवर्क्स प्रा.लि.
32.	स्टार वर्ल्ड	स्टार इंटरनेशनल नेटवर्क्स प्रा.लि.
33.	चैनल (वी) इंटरनेशनल	स्टार इंटरनेशनल नेटवर्क्स प्रा.लि.
34.	स्टार वन	वन इंटरटेनमेंट नेटवर्क प्रा.लि.
35.	विजय	विजय टेलीविजन प्रा.लि.
36.	स्टार उत्सव	स्टार इंडिया प्रा.लि.
37.	स्टार प्लस	स्टार इंडिया प्रा.लि.
38.	नेशनल ज्योग्राफिक	एन जी सी नेटवर्क (इंडिया) प्रा.लि.
39.	दि हिस्ट्री चैनल	एन जी सी नेटवर्क (इंडिया) प्रा.लि.
40.	एम टी वी	एम टी वी नेटवर्क्स इंडिया प्रा.लि.
41.	निक	एम टी वी नेटवर्क्स इंडिया प्रा.लि.
42.	वी एच 1	एम टी वी नेटवर्क्स इंडिया प्रा.लि.
43.	जी अरेबिया	जी टेलीफिल्म्ज लि.
44.	जी स्टूडियो	जी टेलीफिल्म्ज लि.
45.	जी कैफे	जी टेलीफिल्म्ज लि.
46.	जी ट्रैंड्ज	जी टेलीफिल्म्ज लि.

1	2	3
47.	डेस्टार टेलीविजन नेटवर्क	डेस्टार टेलीविजन नेटवर्क (इंडिया) प्रा.लि.
48.	ई एस पी एन	ई एस पी एन साफ्टवेयर इंडिया प्रा.लि.
49.	स्टार स्पोर्ट्स	ई एस पी एन साफ्टवेयर इंडिया प्रा.लि.
50.	ड्यूश वेले टी वी	कैबसेट चैनल्स प्रा.लि.
II.	**भारत में डाउनलिंक करने के लिए अनुमत चैनल**	
1.	ब्लेसिंग टी वी	नोएडा साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क लि.
2.	पी टी सी पंजाबी न्यूज	इंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क प्रा.लि.
3.	बी टी वी	भारतीय मानविक विजनन कम्युनिकेशंस लि.
4.	सीबीबीज	बी बी सी वर्ल्ड (इंडिया) प्रा.लि.
5.	बी बी सी इंटरटेनमेंट	बी बी सी वर्ल्ड (इंडिया) प्रा.लि.
III.	**सशर्त अनुमत चैनल**	
1.	स्टार क्रिकेट	ई एस पी एन साफ्टवेयर इंडिया प्रा.लि.

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फूलों का निर्यात

***267. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

. क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान भारत से देशवार कुल कितनी मात्रा में फूलों का निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य कितना था;

(ख) क्या सरकार का भारत से ताजे फूलों के निर्यात पर मालभाड़ा संबंधी राजसहायता में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 (अप्रैल-मई) में भारत से निर्यातित फूलों की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है:

(मात्रा मी. टन में, रुपये करोड़ में)

उत्पाद/मद	2006-07		2007-08 (अप्रैल-मई, 2007)
	मात्रा	मूल्य	मूल्य
सूखे फूल तथा पौधों के भाग	28343	224	54*
ताजे फूल टहनीयुक्त	11904	342	

*पुष्पोत्पादों हेतु (स्रोत: एपीडा)

(ख) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की प्रस्तावित 11वीं योजना स्कीम में, हवाई मार्ग द्वारा ताजे टहनीयुक्त फूलों के निर्यात हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा संयुक्त परिवहन सहायता के निर्धारण के लिए परिवहन सहायता हेतु 10वीं योजना स्कीम की तुलना में मानकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस स्कीम में इस उत्पाद के लिए भाड़ा सब्सिडी में किसी वृद्धि की सिफारिश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्र

***268. श्री काशीराम राणा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में एक अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हीरा उद्योग तथा इसमें लगे कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) हीरा उद्योग एवं उसके कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) रत्न एवं आभूषणों जिनमें तराशे तथा पालिश किए गए हीरे भी शामिल हैं, के निर्यात को विदेश व्यापार नीति (2004-09) में एक थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(2) अपरिष्कृत हीरों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अपरिष्कृत हीरों के आयात पर सीमाशुल्क घटाकर 0% कर दिया गया है।

(3) अपरिष्कृत हीरों के आयात हेतु बैंक गारंटी के बगैर अग्रिम प्रेषणों की अनुमति प्रदान की गई है।

(4) स्वर्ण और प्लेटिनम से इतर धातुओं हेतु योग्य वस्तुओं, औजारों, मशीनों तथा उपकरणों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी विगत वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2% और स्वर्ण एवं प्लैटिनम के लिए 1% होगी। तथापि, रोडियम प्लेटेड चांदी के आभूषणों के लिए हकदारी 3% होगी।

(5) एक वित्तीय वर्ष में 3,0,000/- रुपए तक के रत्न एवं आभूषणों के नमूनों अथवा रत्न एवं आभूषण मदों के पिछले तीन वर्ष के निर्यात कारोबार की 0.25%, जो भी कम हो, की शुल्क मुक्त आयात हकदारी की अनुमति प्रदान की गई है।

(6) आयकर अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ तराशने व पालिश करने को विनिर्माण माना गया है।

(7) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को परिष्करण एवं पुन: आयात हेतु तराशे व पालिश किए गए बेशकीमती एवं कीमती नगीनों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(8) तराशे और पालीश किए गए हीरों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(9) जहां घोषित लाभ कुल कारोबार का 8% अथवा इससे अधिक है, वहां हीरा यूनिटों हेतु कुल कारोबार के आधार पर आयकर लागू किया गया है।

इसके अलावा, सरकार विदेशी बाजारों में शुरू किए गए विभिन्न विक्रय संवर्धन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

सरकार ने देश में कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1979; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; ठेका श्रम (उत्सादन एवं निषेध) अधिनियम, 1970 जैसे कई विधान अधिनियमित किए हैं।

[अनुवाद]

छात्राओं हेतु आवास सुविधाएं

***269. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं हेतु खाने-पीने और रहने की सुविधाओं में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना में गैर-सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अनुदान रोकने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) ''माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए भोजन और छात्रावास संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ करने'' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में बालिका छात्रावास संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम में कक्षा 6 से कक्षा 8 में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को 10,000 रुपए प्रति छात्रा, प्रतिवर्ष के आवर्ती अनुदान और 3,000 रुपए प्रति छात्रा एकमुश्त अनावर्ती अनुदान प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

केन्द्र सरकार भी जुलाई, 2004 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम संचालित कर रही है जिसके तहत विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा

अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए उच्च बालक-बालिका अन्तर तथा कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में आवासीय स्तर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के प्रबंधन में गैर-सरकारी संगठनों और 'लाभ न कमाने वाले' अन्य संगठनों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन में सामने आई कुछ समस्याओं के कारण इसे संशोधित करने पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2004-05 के लिए किसी नए आवेदन पर विचार न किया जाए।

(घ) और (ङ) टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में कार्यान्वयन के संदर्भ में इस स्कीम का मूल्यांकन किया है। इसने अप्रैल, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

* मौजूदा स्कीम से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है;
* केन्द्र और राज्य सरकारों को बालिकाओं के लिए विद्यालय और छात्रावास संचालित करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए;
* सरकार को प्रत्यक्ष रूप से छात्रावासों का संचालन करना चाहिए;
* सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जारी रखा जाना चाहिए;
* गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बालिका छात्रावासों का वित्त पोषण अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। पिछला रिकार्ड बेहतर रखने वाले संगठनों को ही इस प्रकार के छात्रावास संचालित करने चाहिए;
* अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं को सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है;
* अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं, विकलांग बालिकाओं और अनाथ तथा बेसहारा बालिकाओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए;
* इस स्कीम के कार्यान्वयन में पंचायतों को सहभागी बनाया जाना चाहिए।

यौन उत्पीड़न संबंधी समिति

***270. श्री के. सुब्बारायण:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत समितियों के गठन हेतु केन्द्र सरकार को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने इन समितियों का गठन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के बीच, 1992 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 666-70 में, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कामगार महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए हैं एवं उपयुक्त कानून लागू होने तक इसे संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून के रूप में भी माना है। दिशानिर्देशों में एक यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए महिलाओं को नियुक्त करने वाले प्रत्येक संगठन में शिकायत संबंधी समिति का गठन किए जाने से संबंधित है। तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यों में यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत संबंधी समितियों के गठन किए जाने हेतु केन्द्र सरकार को कोई विशिष्ट निर्देश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ये दिशानिर्देश जो कि उल्लिखित कानून के दायरे में आते हैं, नियोक्ताओं या कार्यस्थल के प्रभारी लोगों के लिए अनुप्रयोज्य हैं, चाहे वे सार्वजनिक या निजी सेक्टर हो या अन्य संस्थान, सरकार या अन्य कोई कार्यालय तथा इसका अनुपालन न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध कानून के उल्लंघन हेतु कार्रवाई की जा सकती है।

इसको दृष्टि में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकारें, राज्यों में दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों/संगठनों सहित नियोजक द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाई के बारे में सूचना संकलित करना व्यवहार्य नहीं माना गया है।

केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से, शिकायत संबंधी समितियों का गठन करने और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करने हेतु सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों, विश्वविद्यालयों/संस्थानों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना

*271. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कालरशिप स्कीम) की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07 के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित तथा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने दिनांक 28.02.2007 को अपने बजट भाषण में कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के घोषणा की है जिसमें 6000/- रु. प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी की दर से एक लाख विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधि अभिनिर्धारित अथवा आबंटित नहीं की गई है।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 120 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस स्कीम के वित्तपोषण हेतु 3000 करोड़ रु. की एक संचित निधि सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

(ङ) इस स्कीम के तहत अभी तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान में गैर-सरकारी संगठनों का कार्य-निष्पादन

*272. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) हेतु राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी साक्षरता परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) क्या गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार असंतोषजनक कार्य-निष्पादन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के तहत गैर-सरकारी संगठनों को जिला विशेष के सघन तथा सीमित क्षेत्रों हेतु बुनियादी साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा एवं नवाचारी परियोजनाओं जैसी साक्षरता परियोजनाएं आरम्भ करने, नव साक्षरों के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन, अनुसंधान अध्ययन आरम्भ करने, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन/सेमिनार आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को संस्वीकृत इन परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक तथा तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों के तत्वावधान में राज्य संसाधन केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वर्ष 2006-07 में एक नया राज्य संसाधन केन्द्र संस्वीकृत किया गया। इस अवधि के दौरान अनन्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों में कोई साक्षरता परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई।

(ख) और (ग) गैर-सरकारी संगठनों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा उनकी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। राज्य संसाधन केन्द्रों के निष्पादन की समीक्षा वार्षिक कार्य योजना बैठकों के माध्यम से भी की जाती है।

(घ) और (ङ) गैर-सरकारी संगठनों के असन्तोषजनक कार्यनिष्पादन के संबंध में प्राप्त सूचना को संबद्ध राज्य सरकारों को भेजा जाता है अथवा पृथक रूप से उसकी जांच इस विभाग द्वारा की जाती है। जांच के लम्बित परिणाम के कारण इन परियोजनाओं के लिए अनुदान रिलीज को रोक दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या		
		2004-05 गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की संख्या	2005-06 गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की संख्या	2006-07 गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की संख्या
1.	असम	-	01	
2.	बिहार	-	01	-
3.	गुजरात	-	01	-
4.	हरियाणा	-	01	-
5.	कर्नाटक	-	04	-
6.	मध्य प्रदेश	-	-	02
7.	उड़ीसा	-	-	01
8.	तमिलनाडु	-	-	01
9.	उत्तर प्रदेश	03	03	01
10.	उत्तराखण्ड	02	01	-
11.	दिल्ली	01	05	02
	कुल	06	17	07

दूरदर्शन और आकाशवाणी के नए केन्द्र

***273. श्री संतोष गंगवार:**
श्री अनंत गुढे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक देश में दूरदर्शन/आकाशवाणी के राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने नए केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकारों से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के नए केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) नए दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने संबंधी अनुरोध समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होते रहते हैं और टीवी/रेडियो का विस्तार करने के लिए योजनाएं बनाते समय इन अनुरोधों पर विचार किया जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अनुमोदित किया जाना है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक शुरू किए गए दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा

वर्ष	दूरदर्शन		आकाशवाणी	
	राज्य	खोले गए दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या	राज्य	खोले गए आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या
2004-05	सिक्किम	1	जम्मू-कश्मीर	1
2005-06	आंध्र प्रदेश	1	छत्तीसगढ़	1
	पंजाब	1	गुजरात	1
	तमिलनाडु	2	केरल	1
			मध्य प्रदेश	2
			उड़ीसा	1
			तमिलनाडु	1
			पश्चिम बंगाल	1
2006-07	-	-	जम्मू-कश्मीर	2
2007-08	जम्मू-कश्मीर	1	बिहार	1
(नवम्बर, 07 तक)	केरल	1	जम्मू-कश्मीर	2
			तमिलनाडु	1

[अनुवाद]

भोजन और छात्रावास की सुविधाओं के लिए केन्द्रीय योजना

***274. श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में ऐसी कितनी शैक्षिक संस्थाएं हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत भोजन और छात्रावास की सुविधा शुरू करने हेतु अनुदान दिया गया है और राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान अनुदान जारी किए जाने हेतु ऐसे लम्बित आवेदनों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत अनुदान जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) ऐसी कोई केन्द्र प्रायोजित योजना नहीं है जिसके तहत भोजन और छात्रावास सुविधाएं आरम्भ करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदान जारी किया जाता हो। तथापि, ऐसी एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन तथा छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2004-05 तक गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति को छोड़कर इस

योजना के तहत वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। इस प्रकार सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या के ब्यौरे के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों में किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पैरा (क) में उल्लिखित केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आवेदन केवल अलग-अलग गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त किए जाने थे न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में भोजन और छात्रावास सुविधाओं की केंद्रीय योजना के तहत अनुदान अथवा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले संगठनों/किए गए व्यय का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
		संख्या	लाख रु.	संख्या	लाख रु.	संख्या	लाख रु.
1.	आंध्र प्रदेश	26	104.02	41	194.19	19	109.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	1	3.10	1	3.10
3.	असम	4	25.14	3	12.50	-	-
4.	बिहार	1	4.20	5	17.93	1	4.50
5.	गुजरात	1	7.96	10	41.61	3	11.85
6.	हरियाणा	2	4.67	1	2.03	-	-
7.	झारखण्ड	1	9.00	2	9.90	-	-
8.	कर्नाटक	25	80.25	15	73.96	10	48.13
9.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	2	66.98
10.	महाराष्ट्र	2	14.20	12	48.70	4	22.20
11.	मणिपुर	4	26.70	4	19.00	2	9.00
12.	उड़ीसा	13	42.36	15	66.74	12	59.29
13.	राजस्थान	2	8.04	1	10.00	-	-
14.	तमिलनाडु	-	-	4	15.95	1	6.00
15.	उत्तर प्रदेश	8	40.48	2	7.20	1	8.50
16.	पश्चिम बंगाल	-	-	2	9.60	-	-

तटीय सुरक्षा हेतु व्यापक योजना

*275. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से तटीय सुरक्षा हेतु किसी व्यापक योजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है/आबंटित किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ङ) वर्ष 2005-06 से शुरू करके पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किए जाने के लिए एक व्यापक तटीय सुरक्षा योजना जनवरी 2005 में मंजूर की गई थी। ''राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार'' विषय पर मंत्री दल की सिफारिशों के आधार पर यह योजना राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित एजेंसियों से विचार करने के पश्चात बनाई गई थी।

तटीय सुरक्षा योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों की गश्त एवं निगरानी के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करके तटीय चौकसी बढ़ाना है और यह गुजरात, महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल नामक तटीय राज्यों और दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह नामक 4 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 73 तटीय थानों, 97 चैक पोस्टों, 58 आउट पोस्टों और 30 प्रचालनात्मक बैरकों को मंजूरी दी गई है। थानों को आधुनिक नौवहन एवं सामुद्रिक उपस्करों से युक्त 204 नौकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 153 जीपों और 312 मोटर साइकिलों को मंजूरी दी गई है। कम्प्यूटर एवं उपकरणों के लिए प्रति थाने को 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता भी प्रदान की जाएगी।

इस योजना का पांच वर्षों के लिए मंजूर अनावर्ती परिव्यय 400 करोड़ रुपया और जहाजों के ईंधन, रख-रखाव एवं मरम्मत तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए 151 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय मंजूर किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत निधियों को जारी किए जाने की प्रक्रिया विभिन्न तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य की प्रगति के अनुरूप रही है। इस योजना के अंतर्गत उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) द्वारा मंजूर कुल वित्तीय परिव्यय और अब तक जारी की गई कुल निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपयों में)	इस योजना के अंतर्गत अब तक जारी निधियां (लाख रुपयों में)
1.	गुजरात	5842.60	816.00
2.	महाराष्ट्र	4092.60	460.80
3.	गोवा	1653.50	102.45
4.	कर्नाटक	2711.90	150.15*
5.	केरल	4356.00	120.60
6.	तमिलनाडु	4408.00	309.20
7.	आंध्र प्रदेश	3267.00	204.90
8.	उड़ीसा	2722.50	83.37
9.	पश्चिम बंगाल	3353.40	203.90
10.	पाण्डिचेरी	544.50	44.50
11.	लक्षद्वीप	936.80	76.00
12.	दमन और दीव	668.35	38.35
13.	अंडमान और निकोबार	2604.00	100.04
	कुल	37161.15	2710.26
	सीजी को प्रशिक्षण प्रभार		86.757
	कुल योग		2797.017

*50.00 लाख रुपये जारी किए जाने की प्रक्रिया में है।

सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति

*276. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विद्रोह की समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोई योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य उक्त योजना के अंतर्गत आते हैं;

(ग) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान तथा आज की तारीख तक विभिन्न राज्यों को प्रतिपूर्ति की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए व्यय की मदों की सूची का ब्यौरा क्या है तथा व्यय के कितने प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की गई है; और

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों को शामिल किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) सरकार विद्रोह की समस्या से प्रभावित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर में हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में कुछ मदों के संबंध में सहायता और आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद प्रभावित कुछ जिलों के बारे में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) की प्रतिपूर्ति के लिए तीन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों को एसआरई योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान और वर्ष 2007-08 में आज की तारीख तक प्रतिपूरित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को व्यय की मुख्य मदों की प्रतिपूर्ति में अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस बटालियनों/इण्डिया रिजर्व बटालियनों के गठन पर हुए व्यय, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत न आने वाले सुरक्षा संबंधी अवस्थापनात्मक कार्य, राज्य में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त संभारतंत्र संबंधी सहायता, राज्य पुलिस बलों के कुछ प्रचालनात्मक प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय, एयरलिफ्ट प्रभार, राज्य पुलिस बलों को विशेष प्रचालनात्मक प्रशिक्षण, विशेष पुलिस अधिकारी एवं ग्राम रक्षा समितियों सहित समुदाय पुलिस व्यवस्था के उपाय, हिंसा पीड़ितों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान, जम्मू-कश्मीर के मामले में आप्रवासियों का पुनर्वास, नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात सुरक्षा बलों के लिए बीमा प्रीमियम और विद्रोहियों/अतिवादियों के समर्पण एवं उनके पुनर्वास पर व्यय शामिल है।

(ङ) इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान, 30.11.2007 तक विभिन्न राज्य सरकारों को की गई प्रतिपूरित धनराशि निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	प्रतिपूरित की गई धनराशि (करोड़ रु. में)	
		2006-07	2007-08 (30.11.2007 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	6.10	5.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.28	-
3.	असम	90.86	53.01
4.	बिहार	0.04	2.30
5.	छत्तीसगढ़	9.68	6.50
6.	हिमाचल प्रदेश	2.90	0.68
7.	जम्मू-कश्मीर	238.22	79.31
8.	झारखण्ड	14.72	4.40
9.	मध्य प्रदेश	2.51	1.70
10.	महाराष्ट्र	5.26	3.70
11.	मणिपुर	13.60	5.16
12.	मेघालय	3.91	0.18
13.	नागालैंड	25.55	4.41
14.	उड़ीसा	7.16	6.73
15.	त्रिपुरा	18.24	-
16.	उत्तर प्रदेश	-	0.80
17.	पश्चिम बंगाल	1.50	2.80

नोट: वामपंथी अतिवाद से प्रभावित राज्यों के मामले में, निर्दिष्ट धनराशियों में राज्यों को दिया गया अग्रिम भी शामिल है।

चाय उद्योग

*277. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री हरिभाई राठौड़:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के चाय उद्योग के नवीकरण हेतु अल्पावधि का कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) सरकार ने उत्पादकता में वृद्धि करने तथा उत्पादित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से चाय बागानों का जीवन काल बढ़ाने के उद्देश्य से पुनर्रोपण तथा पुनरुद्धार कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु एक विशेष प्रयोजन चाय निधि (एसपीटीएफ) की स्थापना की है। यह स्कीम चाय बोर्ड के जरिए लागू की जा रही है।

सरकार की मंशा 4761 करोड़ रु. की वित्तीय परिव्यय से 2.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (पुनर्रोपण के लिए 1.7 लाख हेक्टेयर तथा पुनरुद्धार के लिए 0.42 लाख हेक्टेयर) को शामिल करने की है, जिसमें 15 वर्ष की अवधि में पुनर्रोपण हेतु 4360 करोड़ रु. तथा पुनरुद्धार हेतु 401 करोड़ रु. शामिल हैं। तथापि, शुरुआत में 567.10 करोड़ रु. (4761.10 करोड़ रु. की सब्सिडी तथा पूंजी अंशदान हेतु 91.00 करोड़ रु.), जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं, के अनुमानित परिव्यय से यह स्कीम 11वीं योजना के अंत तक कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई है। इस अवधि के दौरान पुनर्रोपण तथा पुनरुद्धार हेतु लिया जाने वाला अनुमानित क्षेत्र 85,044 हेक्टेयर होने का अनुमान है जिसमें 68,154 हेक्टेयर में पुनर्रोपण तथा 16,890 हेक्टेयर में पुनरुद्धार शामिल है। स्कीम के अंतर्गत कर्जदार द्वारा मार्जिन मनी के रूप में 25% का अंशदान करना अपेक्षित है। 25% की व्यवस्था सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाएगी और शेष 50% विशेष प्रयोजन चाय निधि से ऋण के रूप में होगा। स्कीम को चाय उद्योग से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड द्वारा अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके अंतर्गत चाय बागानों तथा फैक्टरियों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है। सरकार ने दिनांक 01.04.2007 की स्थिति के अनुसार बंद पड़े चाय बागानों के लिए एक पुनर्स्थापन पैकेज भी घोषित किया है और इसके परिणामस्वरूप बंद पड़े 33 चाय बागानों में से 10 बागान अब खुल गए हैं।

स्कूल दुग्ध कार्यक्रम

*278. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दूध की बहुतायत के समय (फ्लश सीजन) दुग्ध पाउडर का बफर स्टाक सृजित करने तथा इस समय चल रही मध्याह्न भोजन योजना के साथ स्कूल दुग्ध कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) मध्याह्न भोजन योजना के साथ स्कूल दुग्ध कार्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शिक्षा उपकर

*279. श्री एल. राजगोपाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) से संग्रहित शिक्षा उपकर का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा उपकर एकत्र करने से संबंधित राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित शिक्षा उपकर राशि एकत्रित की गई:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2004-05	4176.51
2005-06	7134.32
2006-07*	9196.26
2007-08* (अप्रैल-सितम्बर, 2007)	5142.51

*अस्थाई आंकड़े

मोटर यान विनियमन विधेयक

*280. **श्री हरिन पाठक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मोटर यान (ईंधन का उपयोग) विनियमन विधेयक के संबंध में विभिन्न राज्यों से विधेयक प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन विधेयकों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले भारत सरकार के अनुमोदन के लिए गुजरात सरकार से गुजरात मोटर यान (ईंधन का उपयोग) विनियमन विधेयक, 2005 प्राप्त हुआ है। राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ और सहमति हेतु भारत सरकार के अनुमोदन हेतु गृह मंत्रालय में किसी अन्य राज्य से ऐसा कोई विधेयक प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात मोटर यान (ईंधन का उपयोग) विनियमन विधेयक, 2005 का लक्ष्य सार्वजनिक और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की दृष्टि से राज्य में मोटर यानों से निकलने वाले धुंए से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम करना तथा राज्य में मोटर यानों में ईंधन के उपयोग को विनियमित करना है।

(ग) राज्य विधानों की तीन दृष्टियों से जांच की जाती है अर्थात् (1) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता, (2) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन, (3) विधायी और संविधानिक वैधता। गुजरात मोटर यान (ईंधन का उपयोग) विनियमन विधेयक, 2005 के मामले में नीतिगत विषय शामिल हैं, जिनको हल किए जाने की आवश्यकता है, अत: कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

शिक्षकों की अनुपस्थिति

2440. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्यालय शिक्षकों की अनुपस्थिति, गरीब तथा वंचित क्षेत्रों से आने वाले शिष्यों की उपेक्षा तथा निरीक्षण प्रणाली का कार्य न करने की समस्याओं से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(च) भविष्य में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में एक स्वतंत्र अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षक उपस्थिति दर की औसत 80% है।

भारत सरकार ने राज्यों को यह सलाह दी है कि वे प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक उपस्थिति का अनुवीक्षण करें और जवाबदेही तथा शिक्षक उपस्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त तंत्रों की व्यवस्था करें।

भेषज उद्योग

2441. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फार्माक्सिल उत्तर भारत में भेषज उद्योग के विकास की उपेक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हैदराबाद तथा महाराष्ट्र की तुलना में उत्तर भारत फार्माक्सिल द्वारा किए गए व्ययों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) फार्माक्सिल द्वारा उत्तर क्षेत्र में भेदभाव दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। फार्मेक्सिल का मुख्य कार्य सम्पूर्ण भारत से औषधियों, भेषजों एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना है। वह सूचना के प्रसार, निर्यात संबंधी विषयों पर सेमिनारों के आयोजन तथा देश के भीतर एवं देश से बाहर मेलों आदि में भागीदारी जैसे विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों के जरिए इन उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करती है। सभी कार्यकलापों में सभी क्षेत्रों के निर्यातकों ने भागीदारी की है।

(ख) फार्मेक्सिल का मुख्यालय हैदराबाद में है और केन्द्रीकृत खाते मुख्यालय में रखे जाते हैं। तथापि, फार्मेक्सिल के दिल्ली एवं मुम्बई में क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां से संबंधित क्षेत्रों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों में बहुमूल्य खनिज

2442. **श्री गणेश सिंह:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन क्षेत्रों में बहुमूल्य खनिजों का भंडार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खनिज संसाधनों के उचित दोहन करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत तैयार किए गए नियमों में छूट देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, खनिजों के संसाधन वन क्षेत्रों में स्थित हैं। वन (संरक्षण अधिनियम, 1980 का स्वरूप विनियामक है न कि निषेधात्मक और सरकार के पूर्व अनुमोदन से वन भूमि का, खनिज संसाधनों के गवेषण सहित वनेतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को डिग्रियां दिया जाना

2443. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन छात्रों के लिए परीक्षा तथा डिग्री देने के संबंध में विनिर्दिष्ट नियम क्या हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय से नियमित छात्र के रूप में बी.ए. (आनर्स) हिन्दी के दो वर्ष के पाठ्यक्रम पूरे किए हैं लेकिन तीसरे वर्ष किसी कारणवश या सरकारी नौकरी में आ जाने के चलते अपना अध्ययन जारी नहीं रख सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे छात्र उसी महाविद्यालय से पूर्व छात्र के रूप में शिक्षा प्राप्त करने तथा परीक्षा देने के योग्य हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे छात्रों का महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है जो गत दो वर्षों के दौरान शिक्षा से वंचित रहे; और

(ङ) ऐसे विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने देने का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय प्रासंगिक अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, अध्यादेशों और संविधियों के अनुसार कार्य करता है। विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान नियम ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने तथा डिग्री. प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते जिन्होंने पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि पूर्ण नहीं की है। दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के बारे में केंद्रीय रूप से कालेज-वार कोई ब्यौरा नहीं रखता।

[अनुवाद]

खनन के लिए पट्टा आवेदन को मंजूरी दिया जाना

2444. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
डा. राजेश मिश्रा:
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पट्टा पर खनन की अनुमति देने में लिया जाने वाला समय अन्य देशों की तुलना में पांच वर्ष से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तिथि के अनुसार भारत इस्पात प्राधिकरण तथा अन्य को लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए खनन पट्टा प्रदान करने तथा व्यपगत खनन पट्टा के नवीकरण के कई आवेदन-पत्र कुछ राज्य सरकारों, विशेष रूप से झारखंड के पास लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पट्टे पर खनन की अनुमति देने में विलंब के कारण छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा मूल्य पर गैर रक्षित उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु अवैध खनन के भ्रष्ट कार्य में लिप्त हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाया हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार की जानकारी में कुछ मामले आये हैं जिनमें खनिज रियायत प्रदान करने में खनिज रियायती नियमावली, 1960 में विहित समय-सीमा से अधिक समय लिया गया। योजना आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने उसके कारणों का मूल्यांकन किया है और विलम्बों को कम करने के उपायों की सिफारिश की है। एचएलसी की रिपोर्ट खान मंत्रालय की वेबसाइट (http://mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) खनन पट्टे का आवेदक, खनन पट्टे के लिए अपना आवेदन-पत्र संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत करता है जो खनिजों की मालिक हैं और खनन पट्टे प्रदान करती हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के लिए ही केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। संबंधित राज्य सरकार के पास लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ङ) और (च) समय-समय पर अवैध खनन की घटनाएं केन्द्र सरकार की जानकारी में आयी हैं। राज्य सरकारों को खनिजों आदि के अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण के निवारण के लिए खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अंतर्गत नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य/जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने के भी निर्देश दिए हैं और स्थिति की निगरानी की जा रही हैं।

(छ) खनिज रियायत नियमावली, 1960 में ऐसी समय-सीमा का उपबंध पहले से ही विद्यमान है जिसमें राज्य सरकार को खनन पट्टे हेतु पूर्ण आवेदन-पत्र पर निर्णय लेना होता है। विलम्ब के मामले में राज्य सरकार को विलम्ब के कारण लिखित में देने होते हैं।

[हिन्दी]

सेब में कीड़ा

2445. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका से आयातित सेबों में कीड़ा पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में खतरे से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में संक्रमित उत्पादों के परीक्षण के लिए उन्नत तंत्र उपलब्ध नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/प्रस्ताव हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, नहीं। अमेरिका से आयातित सेब की खेपों में संगरोधी कीटों के अवरोधन अथवा ऐसे आयातों द्वारा भारतीय पादप संगरोध विनियमनों के अनुपालन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) से (च) भारतीय पादप संगरोध तंत्र ने प्रवेश के पत्तनों (हवाई तथा समुद्री) पर संगरोध केन्द्र स्थापित किए हैं। अधिकांश पादप संगरोध केन्द्रों विशेषकर नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता जिनके जरिए आयातित वस्तुओं का प्रमुख हिस्सा देश में प्रवेश करता है, ने निरीक्षण की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संगरोधी कीटों और रोगों के निदान तथा आयातित कृषि वस्तुओं को जारी करने के लिए अनुमोदन हेतु प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित की हैं। सेब की आयातित खेपों में पहुंचने पर भारत के लिए महत्वपूर्ण संगरोधी कीटों और रोगों से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाता है। इससे देश में संगरोधी कीटों और रोगों के प्रवेश पर रोक सुनिश्चित होती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर संयुक्त उद्यम

2446. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी संयुक्त उद्यम-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) पिछले तीन वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष, अगस्त, 2007 तक के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) से देश-वार अनुमोदित संयुक्त उद्यमों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एफडीआई संयुक्त उद्यम अनुमोदनों (अप्रैल, 2004 से अगस्त, 2007 तक) वर्ष-वार ब्यौरा

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर)

क्र.सं.	देश	2004-05 अप्रैल-मार्च		2005-06 अप्रैल-मार्च		2006-07 अप्रैल-मार्च		2007-08 अप्रैल-अगस्त		योग	
		सं.	मूल्य	सं.	मूल्य	सं.	मूल्य	सं.	मूल्य	सं.	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आस्ट्रेलिया	12	7.12	3	2.36	0	0.00	1	0.60	16	10.08
2.	आस्ट्रिया	6	0.87	1	0.24	2	1.37	0	0.00	9	2.47
3.	बेहरीन	1	0.00	0	0.00	0	0.00	00	0.00	1	0.00
4.	बेल्जियम	5	0.25	1	0.00	1	[illegible]	0	0.00	7	0.25
5.	बरमुडा	3	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.02
6.	बुल्गारिया	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.14
7.	कनाडा	9	0.69	2	0.07	0	0.00	0	0.00	11	0.76
8.	केयमैन द्वीप समूह	2	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2.22
9.	चैनल द्वीप समूह	3	2.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	2.68
10.	चीन	2	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.00	3	0.05
11.	साइप्रस	1	0.10	0	0.00	2	132.34	1	9.36	4	141.80
12.	डेनमार्क	6	69.53	2.	0.05	3	0.00	0	0.00	11	69.57
13.	फिनलैंड	4	3.39	1	1.39	0	0.00	0	0.00	5	4.78
14.	फ्रांस	22	4.65	4	10.83	7	1.92	10	0.62	43	18.01
15.	ग्रीस	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
16.	जर्मनी	36	9.52	14	19.05	3	122.83	0	0.00	53	151.41
17.	हांग कांग	12	0.64	1	0.00	2	0.00	0	0.00	15	0.64
18.	हंगरी	1	1.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.55
19.	इण्डोनेशिया	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	आयरलैंड	2	0.04	1	0.74	1	0.95	0	0.00	4	1.74
21.	आइसले आफ मान	2	0.68	1	0.01	0	0.00	0	0.00	3	0.69
22.	इजराइल	4	1.00	0	0.00	1	0.46	0	0.00	5	1.46
23.	इटली	14	12.84	8	12.81	4	927.90	1	0.00	27	953.55
24.	जापान	31	26.37	13	5.26	7	14.08	4	13.66	55	59.38
25.	कोरिया (दक्षिण)	8	2.57	0	0.00	2	0.00	0	0.00	10	2.57
26.	कुवैत	2	0.65	0	0.00	0	0.00	3	0.00	5	0.65
27.	लग्जमबर्ग	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	812.14	1	812.14
28.	मलेशिया	5	0.66	1	0.33	1	0.00	0	0.00	7	0.99
29.	मारीशस	85	468.27	38	150.13	27	405.51	17	404.84	167	1,428.75
30.	एनआईआर	45	251.81	31	49.44	23	789.83	4	5.90	103	1,096.98
31.	नेपाल	1	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.08
32.	नीदरलैंड	15	4.07	3	0.61	3	0.76	1	1.11	22	6.56
33.	न्यूजीलैंड	2	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.11
34.	ओमान	2	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.05
35.	पनामा	1	0.00	1	1.11	0	0.00	1	0.24	3	1.35
36.	फिलीपिंस	0	0.00	1	3.16	0	0.00	0	0.00	1	3.16
37.	रूस	1	0.16	0	0.00	1	44.59	0	0.00	2	44.75
38.	सऊदी अरब	2	6.26	1	15.29	0	0.00	0	0.00	3	21.55
39.	सिंगापुर	51	35.82	13	7.65	4	107.68	5	5.98	73	157.13
40.	स्काटलैंड	1	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.03
41.	दक्षिण अफ्रीका	3	2.24	1	7.53	1	9.17	0	0.00	5	18.94
42.	स्पेन	4	2.20	3	13.63	1	0.00	1	3.65	9	19.48
43.	श्रीलंका	3	0.48	2	0.04	1	0.00	0	0.00	6	0.52
44.	स्वीडन	4	0.00	2	0.03	1	6.30	1	0.00	8	6.33
45.	स्वीटजरलैंड	20	61.55	7	107.94	1	5.79	0	0.00	28	175.28
46.	ताइवान	6	0.90	3	1.32	0	0.00	0	0.00	9	2.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	थाइलैंड	10	43.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	43.55
48.	सं.अ. अमीरात	34	19.19	1	0.69	0	0.00	2	95.50	37	115.39
49.	यू.के.	59	49.63	18	219.58	5	1.36	4	0.80	86	271.37
50.	यू.एस.ए.	210	115.43	29	29.06	17	305.22	4	8.18	260	457.89
51.	उक्रेन	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01
52.	ब्रिटिश बर्जीनिया	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00
53.	वेस्टइंडीज	3	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.35
54.	कहीं नहीं दर्शाये गये देश	1	0.43	0	0.00	3	262.82	0	0.00	4	263.26
55.	जार्डन	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
56.	मिश्र	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02
57.	यमन	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.01
58.	ब्रिटिश आईसलेज	2	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.02
59.	वानुआटू	0	0.00	1	0.08	0	0.00	0	0.00	1	0.08
60.	वर्जिन द्वीप समूह	1	4.75	2	0.18	0	0.00	0	0.00	3	4.93
61.	एफआईआईएस	0	0.00	0	0,00	6	575.48	3	521.20	9	1,096.67
	कुल योग	767	1,215.69	210	660.60	131	3,716.38	65	1,883.79	1173	7,476.47

[अनुवाद]

माओवादी धमकियों से निपटने हेतु सहायता

2447. श्री सुनील खां: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से राज्य में 'माओवादी' खतरे से निपटने के लिए सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीआरपीएफ टीम को पश्चिम बंगाल भेजने में कोई अनुचित विलम्ब हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) संबंधित राज्य सरकारें नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती हैं। केन्द्र सरकार कई उपाय करके उनके प्रयासों में और संसाधनों से मदद करती है जिनमें केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती, जो संबंधित राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं, राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण में सहायता, आसूचना का आदान-प्रदान करना, अंतर-राज्य समन्वय बनाना और विभिन्न मंत्रालयों की कई योजनाओं के माध्यम से विकास संबंधी कार्यों में सहायता प्रदान करना शामिल हैं। अंतर-राज्य प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल की 32 बटालियनें और राज्य सशस्त्र

पुलिस की 1 बटालियन की राज्य पुलिस बलों की सहायता हेतु विभिन्न राज्यों में नक्सल-विरोधी कार्यों के लिए तैनाती की गई हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल में 1 बटालियन शामिल है।

कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, उनसे संबंधित समस्याओं से निपटने का कार्य मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्र में आती है। विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती समय-समय पर अन्य बातों के साथ-साथ व्याप्त कानून और व्यवस्था की निर्भर समग्र स्थिति और अन्य बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। राज्य पुलिस बलों के सहायतार्थ नवंबर, 2007 के पूर्वार्द्ध में पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 6 कंपनियां उपलब्ध कराई गईं। तैनाती करने में कोई विलंब नहीं हुआ।

हथियारों की लाइसेंसिंग

2448. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथियारों की बेरोकटोक बिक्री उच्चतम न्यायालय के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों से इस आरोप पर प्रतिक्रिया मांगी है कि ऐसे लाइसेंस बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए जारी किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों तथा केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को हथियारों के लाइसेंस पर इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या निदेश जारी किए हैं; और

(च) हथियारों के लाइसेंस के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 2007 की 462 दायर की गई है। भारत संघ और राजस्थान सरकार इस रिट याचिका के प्रतिवादी है। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादियों को 07.09.2007 को एक नोटिस जारी किया है इस रिट याचिका में निम्नलिखित मुख्य याचनाएं की गई हैं:-

(1) राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में शस्त्र लाइसेंस घोटालों में संलिप्त सेना के कार्मिकों सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रस्तुत याचिका में उठाए गए मुद्दों की सीबीआई जैसी एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कराने का निदेश देना;

(2) गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार को निदेश देना कि शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत यथा प्राविधानित सत्यापन/शिनाख्त किए बिना जिन आवेदकों को अवैध रूप से लाइसेंस जारी किए गए हैं उनके लाइसेंस तुरंत निरस्त करने का निदेश दे।

(3) भारत संघ को शस्त्र अधिनियम, 1959 के उपबंधों का कड़ाई से पालन करने और देश के सभी राज्यों के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपनाए जाने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी करना जिसके द्वारा लाइसेंस जारी करने के कार्य को खास राज्य के आवेदक के पूर्ववृत्त की संबंधित थाने से रिपोर्ट की अनिवार्य अपेक्षा और समुचित सत्यापन पूरा होने के पश्चात गृह मंत्रालय द्वारा किया जाना अनिवार्य बनाया जाए न कि कलेक्टर द्वारा, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है।

(4) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सेना के उन संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई शुरू करने का निदेश देना जिनके नाम का प्रारम्भिक रिपोर्ट में कलेक्टर ने उल्लेख किया है।

(च) शस्त्र अधिनियम, 1959 में शस्त्रों की अवैध बिक्री करने के लिए दण्ड के प्रावधान का जिक्र है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने के मामले में राज्य सरकार समुचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

तम्बाकू उत्पादों की खपत और उत्पादन

2449. श्री के.एस. राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विभिन्न तम्बाकू उत्पादों की कुल कितनी खपत तथा उत्पादन है;

(ख) क्या सरकार के पास तम्बाकू की खेती तथा खपत तथा बाजार में तम्बाकू उत्पादों की आपूर्ति पर राजसहायता समाप्त करने

के मामले पर अध्ययन करने के लिए विशेष निकाय गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) बीड़ी, गुटखा तथा अन्य चबाने वाले तम्बाकू जैसे तम्बाकू उत्पादों का लघु/असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः घरेलू खपत हेतु उत्पादन किया जाता है। इन उत्पादों के उत्पादन तथा खपत संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और इन्हें एकत्र किया जायेगा तथा सदन के सभा पटल पर रख दिया जायेगा। तथापि, सिगरेटों का उत्पादन तथा बिक्री संबंधी पिछले तीन वर्ष के आंकड़े नीचे दिये हैं:-

(मात्रा मिलियन नग में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2005-06	108206	103262
2006-07	113835	108179
2007-08 (सितंबर तक)	56200	54308

(ख) और (ग) तम्बाकू की खेती पर सरकार किसी तरह की राजसहायता नहीं दे रही है और इसलिए राजसहायताओं को समाप्त करने संबंधी मुद्दे का अध्ययन करने के लिए विशेष निकाय की स्थापना करने का प्रश्न नहीं उठता है।

तिहाड़ जेल में तमिलनाडु पुलिस की तैनाती

2450. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली के बीच 1997 से 1999 के बीच तिहाड़ जेल में तमिलनाडु विशेष पुलिस की तैनाती हेतु बकाया की अदायगी के संबंध में कोई विवाद है जैसा कि 29 सितम्बर 2007 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तिहाड़ जेल में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की तैनाती करने के क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितनी अदायगी की जानी है;

(घ) क्या उक्त मामले को निपटा लिया गया है;

(ङ) केन्द्र सरकार के पास उक्त मामला कब से लंबित है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को रकम अदा करने के संबंध में क्या कदम उठाए जा गए हैं/प्रस्तावित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने तमिलनाडु विशेष पुलिस की तिहाड़ जेल में तैनाती के संबंध में 1.4.1997 से 30.4.1999 तक की अवधि के लिए 22,10,49,361.00 रु. की अदायगी सहित 1.4.1997 से 31.3.2006 तक के तैनाती प्रभारों की अदायगी कर दी है। तमिलनाडु विशेष पुलिस की तैनाती तिहाड़ जेल में और साथ ही कैदियों के हित में और भाषाई व्यवधान के कारण सुरक्षा कर्मियों एवं कैदियों के बीच किसी भी अनावश्यक घनिष्ठता को रोकने के लिए की गई है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय व्यापार का संवर्धन

2451. श्री राजनराय बुधौलिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास क्षेत्रीय व्यापार के विकास को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना पर सरकार द्वारा किए गए जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश की सीमा पर सीमाशुल्क कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसी कोई विशिष्ट स्कीम नहीं, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय व्यापार का संवर्धन किया जाता हो। तथापि, भारत ने श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल एवं भूटान के साथ मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) तथा बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एवं श्रीलंका के साथ दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अफगानिस्तान, चिली तथा मर्कोसुर के साथ अधिमानी व्यापार करारों पर भी हस्ताक्षर किए हैं और वह क्षेत्रीय अधिमानी व्यापार करारों अर्थात एशिया प्रशांत व्यापार करार जिसके बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य, लाओ पीडीआर तथा श्रीलंका सदस्य हैं तथा वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली (जो सभी विकासशील देशों के लिए

खुली है) पर भी हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। भारत की थाईलैण्ड के साथ एक शीघ्र फलदायी स्कीम भी है, जिसमें 82 उत्पादों पर रियायतों का आदान-प्रदान किया जाता है।

(घ) वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के कुल 136 भू-सीमाशुल्क केन्द्र, 36 सीमाशुल्क विमानपत्तन एवं 95 सीमाशुल्क पत्तन अधिसूचित किए गए हैं।

ग्रामीण उद्योग

2452. श्री एम. अंजनकुमार यादवः क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार ग्रामीण उद्योग स्थापित करने तथा इसके विकास के लिए कितनी राशि आबंटित की गई तथा उपयोग की गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) पात्र उद्यमियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना की जाती है। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है और बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आरईजीपी के आरंभ से लेकर 31.3.2007 तक 3,94,621 लोगों को रोजगार प्रदान करके 19,249 ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश में वर्ष 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित ग्रामोद्योगों की स्थिति निम्न प्रकार है:

ग्रामीण उद्योग	परियोजनाओं की संख्या	रोजगार (लोगों की संख्या)	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये)
खाद्य एवं कृषि आधारित उद्योग	627	14627	8373.81
वन आधारित उद्योग	124	1399	518.28
हैंडमेड पेपर/फाईबर	360	1842	4824.28
खनिज आधारित उद्योग	93	27921	666.95
पोलिमर एवं रसायन आधारित उद्योग	36	1413	519.91
ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी	292	6073	2303.70
सर्विस/टैक्सटाईल	581	6475	208.18
कुल	2113	59750	17415.11

(ख) आर ई जी पी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना के लिए अनुमोदित अनुदान के वी आई सी को जारी किए जाते हैं जो बदले में बैंकों को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां (मार्जिन मनी सहायता हेतु) जारी करता है। वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आर ई जी पी के तहत के वी आई सी द्वारा आवंटित मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है तथा उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत आवंटित मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	31	5.63	5.30
2.	दिल्ली	12.5	18.67	16.88

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	2101.03	1465.39	1824.72
4.	हिमाचल प्रदेश	667.63	933.35	1243.75
5.	जम्मू-कश्मीर	670.32	889.3	1053.93
6.	पंजाब	2056.67	1833.1	1657.13
7.	राजस्थान	2985.66	3400.45	3273.79
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	186.67	45.00
9.	बिहार	1196	783.13	707.95
10.	झारखण्ड	906	914.21	503.84
11.	उड़ीसा	1036.43	1086.42	982.13
12.	पश्चिम बंगाल	2158.74	2785.12	2366.76
13.	अरुणाचल प्रदेश	97	126.94	114.75
14.	असम	1431	1874.17	1694.25
15.	मणिपुर	285	227.74	205.88
16.	मेघालय	285	373.34	337.50
17.	मिजोरम	426	558.18	1104.60
18.	नागालैंड	162	212.8	192.37
19.	सिक्किम	171	132.57	243.00
20.	त्रिपुरा	248.11	268.8	119.83
21.	आंध्र प्रदेश	2975.63	3610.27	3913.69
22.	कर्नाटक	1885	2469.68	2232.60
23.	केरल	1193	1705.08	1541.40
24.	लक्षद्वीप	1	1.9	1.72
25.	पुडुचेरी	23.64	78.74	71.18
26.	तमिलनाडु	1197.24	1487.79	1410.46
27.	दादरा और नगर हवेली	14	0	0.00
28.	गोवा	285	373.34	237.50
29.	गुजरात	574	752.31	680.09

1	2	3	4	5
30.	महाराष्ट्र	1988.15	2342.74	1917.84
31.	छत्तीसगढ़	1112.69	1121.92	1414.22
32.	मध्य प्रदेश	1542.74	1584.86	1432.72
33.	उत्तराखण्ड	836.31	746.68	575.00
34.	उत्तर प्रदेश	3746	4807.73	3169.95
	कुल	34401.49	39159.02	36291.73

विवरण II

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	21.45	3.63	3.47
2.	दिल्ली	8.09	16.66	18.37
3.	हरियाणा	2142.25	1782.18	1749.31
4.	हिमाचल प्रदेश	657.72	889.90	1165.42
5.	जम्मू-कश्मीर	584.55	833.56	1565.20
6.	पंजाब	1834.63	837.21	1826.00
7.	राजस्थान	2064.33	2679.91	2106.77
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.16	218.87	22.15
9.	बिहार	281.69	570.54	715.67
10.	झारखण्ड	320.60	351.12	357.92
11.	उड़ीसा	863.05	837.22	1055.54
12.	पश्चिम बंगाल	1999.62	2100.06	2396.03
13.	अरुणाचल प्रदेश	66.03	126.54	144.45
14.	असम	1277.42	2719.99	1717.35

1	2	3	4	5
15.	मणिपुर	73.66	43.85	128.99
16.	मेघालय	196.03	234.14	255.06
17.	मिजोरम	257.48	995.54	1043.60
18.	नागालैंड	204.46	286.22	192.13
19.	त्रिपुरा	214.14	289.95	151.47
20.	सिक्किम	165.78	139.54	278.41
21.	आंध्र प्रदेश	3394.19	3627.58	3674.06
22.	कर्नाटक	1063.83	1697.66	2424.27
23.	केरल	1027.95	1603.41	1567.36
24.	लक्षद्वीप	0.00	16.39	0.00
25.	पुडुचेरी	9.05	12.66	42.76
26.	तमिलनाडु	1147.28	1217.13	1438.04
27.	गोवा	88.90	103.68	95.25
28.	गुजरात	530.55	883.08	756.10
29.	महाराष्ट्र	1439.17	1596.48	1837.03
30.	छत्तीसगढ़	1000.91	1152.87	1215.03
31.	मध्य प्रदेश	2125.71	1114.33	1531.38
32.	उत्तराखण्ड	578.63	617.86	601.44
33.	उत्तर प्रदेश	3596.64	2495.99	2903.32
	कुल	29239.95	32095.75	34979.35

जम्मू और कश्मीर में गैर-कश्मीरियों को धमकी

2453. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 2007 के "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित 'घाटी में फिर छिड़ी गैर-कश्मीरियों को निकालने की मुहिम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आतंकवादियों की धमकी से कश्मीर छोड़कर चले गए गैर-कश्मीरी कर्मचारी तथा अधिकारियों की क्या संख्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को घाटी में रह रहे गैर-कश्मीरी व्यक्तियों तथा अधिकारियों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार को कोई अनुदेश जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जम्मू और कश्मीर से गैर-कश्मीरियों के पलायन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 20 जुलाई, 2007 का लांगेट हदवाड़ा में एक कश्मीरी लड़की के साथ तथाकथित बलात्कार और उसके बाद हुई उसकी हत्या की घटना के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर के 2 व्यक्तियों सहित 4 व्यक्तियों को आरोपित गिरफ्तार किया गया कतिपय पृथकतावादी ग्रुपों द्वारा राज्य के बाहर के नागरिकों को (जो मुख्य रूप से राज्य के बाहर से आए कामगार हैं) राज्य छोड़ने की धमकियां और चेतावनी दी गई। इसके परिणामस्वरूप, घाटी के काफी संख्या में गैर-स्थानीय कामगार और श्रमिकों में हलचल महसूस की गई। सरकार ने राज्य सरकार को सलाह जारी की है और उभरते सुरक्षा परिदृश्य का संयुक्त रूप से प्रबोधन किया है। राज्य में बाहर से आए नागरिकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए मुख्य मंत्री और विभिन्न पार्टियों और संगठनों के कई अन्य पदाधिकारियों द्वारा वक्तव्य और अपील जारी करने सहित राज्य सरकार ने तत्काल कदम उठाए। विभिन्न स्रोतों से पड़ रहे दबाव के अंतर्गत, पृथकतावादी ग्रुपों ने भी धमकियां वापिस लेते हुए वक्तव्य दिए।

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, राज्य से बाहर से आकर रह रहे श्रमिकों और कामगारों वाले क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करना और आपरेशन चलाना, ऐसे कामगारों के सर्वेक्षण सहित मुद्दे के कई पहलुओं की जांच करने के लिए प्रत्येक जिले में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सहायक श्रम आयुक्त को शामिल करते हुए संयुक्त समितियों का गठन करना, ऐसी किसी गतिविधि के विरुद्ध लोगों में आम धारणा पैदा करने और राज्य में बाहर से आकर रह रहे कामगारों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा न करने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ बैठक करना शामिल है।

किए गए कई उपायों के परिणामस्वरूप, राज्य में बाहर से आकर रह रहे नागरिकों की बाहरी आवाजाही/निर्गमन के अनुसार कई व्यक्ति जो घाटी से पलायन कर गए हैं, भी घाटी में वापस आ गए हैं। इसके अतिरिक्त, हाल ही में, किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई नई धमकी नहीं मिली है।

[अनुवाद]

स्टेशनरी की खरीद

2454. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** स्टेशनरी की खरीद के बारे में 27 फरवरी, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपर्युक्त अता.प्र. (च) से (ज) भाग में मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक जानकारी एकत्र कर ली जाएगी;

(घ) क्या एनसीसीएफ से उच्चतर दर पर खरीदी गई स्टेशनरी वस्तुएं केंद्रीय भंडार में निम्नतर दर पर उपलब्ध थीं;

(ङ) यदि हां, तो उच्चतर दर पर खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण थे; और

(च) इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 136, जिसका उत्तर 27 फरवरी, 2007 को दिया गया था के भाग (च) से (ज) में मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है और उसे उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए 22 नवम्बर, 2007 को संसदीय कार्य मंत्रालय (कार्यान्वयन प्रकोष्ठ) को प्रस्तुत कार्यान्वयन रिपोर्ट में प्रदान करा दिया गया।

(घ) और (ङ) लेखनसामग्री की मदों की दरें उसकी गुणवत्ता, ब्रांड, आकार आदि के कारण भिन्न-भिन्न होती हैं और इस कारण इन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात ही दरों की सार्थक तुलना किया जाना संभव है।

(च) लेखन सामग्री की सभी मदों की खरीद सामान्य वित्तीय नियम, 2005 में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप निविदाएं आमंत्रित करके की जा रही है इसके अतिरिक्त, लेखन सामग्री और अन्य मदों की खरीद केंद्रीय भंडार एनसीसीएफ और अन्य बहु राज्यीय सहकारी समितियों से स्थानीय खरीद किए जाने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जुलाई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14.12.1994-कल्याण (खंड-2) प्राप्त होने के पश्चात इसमें निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

महाविद्यालय शिक्षा तथा प्रयोगशालाओं की दयनीय स्थिति

2455. श्री राकेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रयोगशालाओं तथा महाविद्यालय शिक्षा की दयनीय स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) मध्य प्रदेश के ऐसे शैक्षिक संस्थानों का ब्यौरा क्या है जहां सिलेबस के अनुसार आवश्यक शैक्षिक उपकरण एआईसीटीई द्वारा कम आपूर्ति में पाए गए;

(घ) क्या सरकार ऐसे महाविद्यालयों के मानकों में 'मोडराब्स' योजना के माध्यम से वृद्धि सुनिश्चित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार परिषद अनुमोदन आगे देने के प्रस्तावों पर कार्रवाई के दौरान तकनीकी संस्थाओं में प्रयोगशालाओं की स्थिति के बारे में नियमित रूप से जानकारी रखती है। परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की 43 तकनीकी संस्थाओं की प्रयोगशालाओं की कमियों के बारे में सूचित किया है।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उन सभी संस्थाओं को माडराब स्कीम के माध्यम से अनुदान प्रदान करती है जो इस प्रकार का अनुदान देने हेतु परिषद की पालिसी को पूरा करती है।

[अनुवाद]

दीर्घावधि वीजा

2456. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न दूतावासों/वाणिज्यिक दूतावासों से आवेदनकर्त्ताओं को दीर्घावधि वीजा देने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इन आवेदन-पत्रों को मंजूरी मिल जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

वीजा से संबंधित धोखाधड़ी के मामले

2457. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वीजा से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार दर्ज किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए वीजा की जालसाजी के मामलों से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

हवाई अड्डा	2004	2005	2006	2007 (30.06.2007 तक)
दिल्ली	122	174	119	60
मुम्बई	62	126	100	67
कोलकाता	0	4	5	0
चेन्नई	4	4	14	3
अमृतसर	13	21	22	0

वीजा सहित यात्रा दस्तावेजों की वास्तविकता सुनिश्चित करने और जालसाजी का पता लगाने के लिए देश की सभी आप्रवास जांच चौकियों (आईसीपी) पर आप्रवास अधिकारियों को मिलान करने के लिए यात्रा दस्तावेजों और वीजा की नमूना प्रतियां की गई हैं। संभावित हेर-फेर का पता लगाने के लिए वीजा सहित यात्रा दस्तावेजों की जांच करने हेतु उन्हें अल्ट्रा वायेलट लैंप्स/मैग्निफाइंग ग्लासेज प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख आईसीपी में फुल पेज (क्यूडीएक्स) पासपोर्ट रीडिंग मशीनें (पीआरएम) और प्रश्नगत दस्तावेजों के परीक्षक (क्यूडीएक्स) मशीनें भी लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त सभी आईसीपी के आप्रवास काउंटरों के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे वीजा सहित जाली/नकली यात्रा दस्तावेजों का पता लगा सकें।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना के आबंटन में वृद्धि

2458. श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का मध्याह्न भोजन योजना की धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि आबंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के संघ बजट में मध्याह्न भोजन योजना के लिए 7324 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी जो वर्ष 2006-07 के बजट प्रावधान से 37% की वृद्धि दर्शाती है। प्रत्येक वर्ष मध्याह्न भोजन योजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। प्राथमिक (कक्षा I-V) और उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII) के लिए कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 29.11.07 को जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों की लागत की प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम को की जाती है और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किए गए दावों के आधार पर की जाती है।

विवरण

29.11.07 तक वर्ष 2007-08 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रु. लाख में)
1	2	3
गैर-पूर्वोत्तर राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	23385.71
2.	बिहार	28587.04
3.	छत्तीसगढ़	12430.55
4.	गोवा	268.23
5.	गुजरात	12013.77
6.	हरियाणा	5029.06
7.	हिमाचल प्रदेश	2569.15
8.	जम्मू-कश्मीर	3072.20
9.	झारखण्ड	10994.42
10.	कर्नाटक	19100.67
11.	केरल	6193.56
12.	मध्य प्रदेश	34628.27
13.	महाराष्ट्र	31066.95
14.	उड़ीसा	22404.68
15.	पंजाब	6315.25
16.	राजस्थान	32781.69
17.	तमिलनाडु	15043.29
18.	उत्तराखण्ड	2478.47
19.	उत्तर प्रदेश	66347.52
20.	पश्चिम बंगाल	35694.37
	कुल	370404.83

1	2	3
विधान परिषद वाले संघ राज्य क्षेत्र		
21.	दिल्ली	2418.31
22.	पुडुचेरी	196.04
	कुल	2614.35
विधान परिषद सहित संघ राज्य क्षेत्र		
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	92.39
24.	चंडीगढ़	252.73
25.	दादरा और नगर हवेली	159.87
26.	दमन और दीव	52.84
27.	लक्षद्वीप	0.00
	कुल	557.83
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य		
28.	अरुणाचल प्रदेश	560.09
29.	असम	5262.34
30.	मणिपुर	946.32
31.	मेघालय	2755.18
32.	मिजोरम	397.29
33.	नागालैंड	1001.20
34.	सिक्किम	321.70
35.	त्रिपुरा	1803.75
	कुल	13047.88
	सकल योग	386624.88

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य तथा उपलब्धियां

2459. श्री महावीर भगोरा: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीयोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन आफ इंडिया में कार्यरत कंपनी-वार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संगठन-वार बजट अनुमान की तुलना में इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कम राशि व्यय की गई है जिसके चलते लक्ष्य तथा उपलब्धियों के बीच भारी अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संगठन-वार तथा उत्पादन-वार लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षकों को वेतन

2460. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूलों में कार्यरत एम.ए.बी.एड./बी.ए.बी.एड./डाइट/एनटीटी शिक्षकों को दिहाड़ी मजदूरों से भी कम वेतन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल एक विषय है, अत: अधिकांश विद्यालय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठनों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा प्रबंधित विद्यालयों में शिक्षकों को समय-समय पर लागू किए गए केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन का भुगतान किया जा रहा है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उपनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि "भारत में स्थित विद्यालयों द्वारा उनके कर्मचारियों को वेतन एवं अनुमत्य भत्तों का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए जो राज्य सरकारों द्वारा संचालित

विद्यालयों में समकक्ष श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन से कम न हो अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान आदि के अनुरूप हो।" केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसके पास उप नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है, को वेतन के भुगतान में अनियमितताओं से संबंधित कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अन्य स्कूलों के लिए राज्य सरकारें तथा परीक्षा बोर्ड ही कार्रवाई कर सकते हैं।

[अनुवाद]

एनसीटीई द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रमों को मान्यता

2461. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कार्उंसिल आफ टीचर्स एजूकेशन (एनसीटीई) राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बी.एड. महाविद्यालयों को मान्यता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एनसीटीई उन मामलों में एम.एड. पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं दे रही है जहां संबद्ध राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया है;

(घ) यदि हां, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के मानदंड एवं प्रक्रिया) विनियम 2005, जैसाकि 13.01.2006 को अधिसूचित किया गया था, मानदण्डों के लिए प्राप्त आवेदन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे जाने चाहिएं। सूचना प्राप्ति के बाद संबंधित राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन प्राप्ति से 60 दिन के अन्दर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समिति के कार्यालय के लिए आवेदन पर अपनी सिफारिश करेंगे। यदि सिफारिश नकारात्मक है तो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वे सभी कारण बताएगा जो आवेदन पर निर्णय लेते समय संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा ध्यान में रखे जाएंगे। यदि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से 60 दिन में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो यह समझा जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कोई सिफारिश नहीं करनी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के (मान्यता के मानदंड व प्रक्रिया) विनियम, 2005 के प्रावधान बी.एड. व एम.एड. सहित सभी प्रकार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पर लागू होते हैं।

चावल निर्यात

2462. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निर्यात हेतु बासमती चावल की श्रेणी में पूसा-1121 धान की किस्म को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) निर्यात प्रयोजनों के लिए धान की पूसा-1121 किस्म को बासमती चावल की श्रेणी में शामिल करने हेतु चावल निर्यातक समुदाय से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भी वैज्ञानिक विकास की जरूरत और देश के वाणिज्यिक हितों के संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए बासमती की एक वैकल्पिक परिभाषा का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रस्ताव पर सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक बैठक में चर्चा की गई थी परन्तु इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खनिज भंडार क्षेत्र

2463. श्री अनन्त नायक: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार तथा खनिज-वार कुल कितने खनिज भंडार क्षेत्र हैं;

(ख) भंडार क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र का अब तक दोहन हुआ है;

(ग) क्या सरकार के पास खनिज भंडार क्षेत्रों का खनन तथा दोहन का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ प्रस्तावित हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) क्षेत्रों का संरक्षण पहले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था, अत: कुल संरक्षित क्षेत्रों के ब्यौरे और खनन के लिए दोहन की प्रतिशतता केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं और खनन पट्टा प्रदान करने सहित खनिज रियायत प्रदान करती है। केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन केवल खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के संबंध में आवश्यक है।

(घ) खनिजों का खनन किसी विशेष खनिज की आर्थिक व्यवहार्यता और बाजार मांग द्वारा निर्धारित होता है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कोस्टर रेगुलेशन एक्ट का संशोधन

2464. डा. के.एस. मनोज: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कोस्टल रेगुलेशन एक्ट में संशोधन से तटवर्ती लोगों को ज्यादा कठिनाईयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति सुधार सुझाने के लिए की है;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना नामक एक अधिसूचना जारी की गई थी। विगत वर्षों में इस अधिसूचना में कई संशोधन किए जा चुके हैं। जुलाई, 2004 में भारत सरकार द्वारा कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना 1991 के कार्यान्वयन तथा यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करने के संबंध में समीक्षा तथा सिफारिश करने के लिए डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति गठित की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं:-

(1) एकरूप विनियामक दृष्टिकोण की बजाय समेकित तटीय जोन प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन।

(2) प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा को ध्यान में रखते हुए तट की संवेदनशीलता के आधार पर तटीय विस्तार के साथ विकास।

(3) विनियमन के लिए महासागर जोन को शामिल करना।

(4) नीति और विधायी विषयों के निपटारे हुत तटीय जोन प्रबंधन के लिए संस्थान की स्थापना।

(5) समयबद्ध तरीके से तटीय क्षेत्रों और समुद्री पानी के प्रदूषण को कम करना।

(6) कच्छ वनस्पति, मूंगा, कच्छुआ प्रजनन क्षेत्रों जैसे तटीय पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और उनके मानचित्र बनाना।

(7) तटीय जैवरक्षक का विकास।

(ङ) सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया है तथा तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ 16.11.2007 को तथा स्टेक होल्डरों के साथ 23.11.2007 को चर्चा की है। पहचान किए गए तटीय विस्तार के साथ संवेदनशील रेखा के सीमांकन हेतु चार वैज्ञानिक संगठनों के जरिए पायलट स्तरीय अध्ययन भी शुरू किए गए हैं।

चाय का उत्पादन

2465. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के नीलगिरि क्षेत्र में चाय की कितनी मात्रा का उत्पादन होता है;

(ख) क्या नीलगिरी क्षेत्र में चाय का उत्पादन करने वाले किसानों को अपनी फसल का पर्याप्त लाभप्रद मूल्य और समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नीलगिरि क्षेत्र में चाय के उत्पादन को सुधारने और चाय उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य और समर्थन मूल्य प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) नीलगिरि क्षेत्र में चाय का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 90 मिलियन कि.ग्रा. है।

(ख) से (घ) चाय सहित किसी वस्तु की कीमत मुख्यत: मांग और पूर्ति की बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। नीलगिरि क्षेत्र में कुल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा लघु उपजकर्ता क्षेत्र से आता है। लघु उपजकर्ताओं के पास अपनी प्रसंस्करण सुविधाएं नहीं होती हैं और वे या तो निजी उद्यमियों के स्वामित्व वाले चाय कारखाने, जिन्हें क्रीत पत्ती कारखाना कहा जाता है, या समीपस्थ बड़े चाय बागान कारखाने को अपनी हरी पत्तियों की आपूर्ति करते हैं। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उपजकर्ताओं का उनकी हरी पत्तियों के उचित कीमत प्राप्त हो, चाय बोर्ड ने एक कीमत भागीदारी फार्मूला लागू किया है जिसके अंतर्गत चाय के कारखानों को निवल बिक्री आय का 60% हिस्सा उपजकर्ताओं को देना अपेक्षित होता है। उक्त कीमत-भागीदारी फार्मूले को यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया जा सकता है कि लघु चाय उपजकर्ताओं को उनकी उपज की समुचित कीमत प्राप्त होती है।

नीलगिरि क्षेत्र सहित देश में चाय के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से चाय बोर्ड चाय क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजना स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिनके अंतर्गत चाय क्षेत्र को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने उत्पादकता में वृद्धि करने और चाय की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से चाय बागानों की आयु में वृद्धि करने के उद्देश्य से पुनर्रोपण और पुनरुद्धार कार्यकलापों का वित्तपोषण करने के लिए विशेष प्रयोजन चाय निधि की हाल ही में स्थापना की है।

मदरसे और मकतबे

2466. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मदरसे और मकतबे हैं;

(ख) उनमें से राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मदरसे और और मकतबे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत आते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार और संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त मदरसों और मकतबों में पढ़ रही मुस्लिम लड़कियों पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मदरसों और मकतबों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन मदरसों और मकतबों को सहायता प्रदान की जाती है जो 6-14 वर्ष की आयु समूह के औपचारिक विद्यालयों में अध्ययन न करने वाले बच्चों को राज्य पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए नामांकित करते हैं। आंध्र प्रदेश के 526 मदरसों को इस समय सहायता प्रदान की जा रही है जिनमें 25,112 बालक और 16,291 बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, इन मदरसों में 1122 विद्या स्वयं सेवक अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन मदरसों के बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए ब्लाकों में बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य मदरसा बोर्ड से सम्बद्ध और कतिपय शर्तों को पूरा करने वाले मदरसे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इसमें 2000 रुपए प्रति वर्ष प्रति विद्यालय की दर से अनुदान, कम कीमत वाली सहायक शिक्षण सामग्री के लिए 500 रुपए प्रति शिक्षक, प्रति वर्ष की दर से शिक्षक अनुदान, बालिकाओं के लिए नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों और मानदण्डों के अनुसार यदि

अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शिक्षकों की पात्रता भी शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 8309 मदरसों को सहायता दी गई है। इनका राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल मदरसों की संख्या
1.	असम	395
2.	बिहार	882
3.	मध्य प्रदेश	4017
4.	राजस्थान	1002
5.	उत्तर प्रदेश	997
6.	पश्चिम बंगाल	508
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	उड़ीसा	500

खनन पट्टे

2467. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(2) और 11(5) के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बारी से पहले प्राथमिकता के आधार पर संभावित लाइसेंस/खनन पट्टे देने की शक्ति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक किन-किन आवेदकों को खनन पट्टे दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का एम एम डी आर अधिनियम, 1957 के उपबंधों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्राथमिकता के आधार पर आबंटन निष्पक्ष है और क्षमताओं का मूल्यांकन गुणों के आधार पर किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 11(5) के अनुसार राज्य सरकार किन्हीं विशिष्ट कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी ऐसे आवेदक जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ था, के बजाए किसी ऐसे आवेदक को खनिज रियायत प्रदान कर सकती है जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ था। तथापि, एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित खनिजों के मामले में केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।

(ख) पिछले तीन वर्षों से आज तक एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 11(5) के प्रावधानों को लागू करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को संसूचित किए गए पूर्व अनुमोदन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	अनुमोदन की तारीख
1	2	3
1.	मैसर्स केरल रेयर अर्थस् एण्ड मिनरल्स लि.	30.6.2004
2.	मैसर्स केरल रेयर अर्थस् एण्ड मिनरल्स लि.	30.6.2004
3.	मैसर्स केरल रेयर अर्थस् एण्ड मिनरल्स लि.	30.6.2004
4.	मैसर्स केरल रेयर अर्थस् एण्ड मिनरल्स लि.	30.6.2004
5.	मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कोरपोरेशन लि.	13.9.2004
6.	मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लि.	20.4.2005
7.	मैसर्स केरल रेयर अर्थस् एण्ड मिनरल्स लि.	21.6.2005
8.	मैसर्स केरल रेयर अर्थस् एण्ड मिनरल्स लि.	21.6.2005

1	2	3
9.	मैसर्स केरल रेयर अर्थस् एण्ड मिनरल्स लि.	21.6.2005
10.	मैसर्स पुताम्बेकर मिनरल्स	30.6.2005
11.	मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लि.	11.7.2005
12.	मैसर्स प्रसाद ग्रुप रिसोर्सेज प्रा.लि.	16.8.2005
13.	मैसस एएमएल स्टील एण्ड पावर लि.	16.8.2005
14.	मैसर्स निरंजन हाई टेक लि.	16.8.2005
15.	मैसर्स जगदम्बा पावर एण्ड एलाय लि.	14.12.2005
16.	मैसर्स गोवा मिनरल्स प्रा.लि.	9.3.2006
17.	द सेन्ट्रल इण्डिया माइनिंग एण्ड मार्केटिंग कोरपोरेशन	13.3.2006
18.	मैसर्स गोपानी आयरन एण्ड पावर (इंडिया) प्रा.लि.	01.06.2006
19.	श्री धर्मेन्द्र दुबे	29.06.2006
20.	मैसर्स शिवालिक मिनरल्स	24.07.2006

(ग) और (घ) खनिज रियायतें प्रदान करते समय अर्हता के आधार पर क्षमताओं के उपयुक्त मूल्यांकन के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11(3) के तहत उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं।

दंगा और आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा

2468. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दंगों से तथा आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों को अलग-अलग कितना मुआवजा दिया जाता है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक धनराशि का उपयोग न होने के कारण विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आवास देने हेतु स्वीकृत राशि व्यपगत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों वर्गों के अंतर्गत और कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) संविधान के अंतर्गत लोक व्यवस्था, राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें सामान्यतः दंगों और आतंकवादी गतिविधियों के पीड़ितों के लिए मुआवजे/अनुग्रह राशि की घोषणा करती है और प्रदान करती है। प्रत्येक ऐसी घटना के पीड़ितों को राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे/अनुग्रह राशि का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से मानीटर नहीं किया जाता।

तथापि, केन्द्र सरकार आतंकवादी गतिविधियों के पीड़ितों को प्रदान किए गए मुआवजे/अनुग्रह राशि पर जम्मू तथा कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सल प्रभावित राज्यों द्वारा खर्च किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। रेलवे में ऐसी घटनाओं के मामले में रेलवे दावा अधिकरण द्वारा निर्णित दावों के अलावा रेल मंत्रालय अनुग्रह राशि का भुगतान करता है।

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित दरों पर 1984 के सिख विरोधी दंगों तथा 2002 की गुजरात की साम्प्रदायिक हिंसा के प्रभावित व्यक्तियों को अतिरिक्त अनुग्रह राशि सहायता की घोषणा की है।

(1) मृत्यु के प्रत्येक मामले में 3.5 लाख रुपए;

(2) घायल होने के प्रत्येक मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता को घटाकर 1.25 लाख रुपए

(3) आवासीय सम्पत्ति तथा अबीमित वाणिज्यिक/औद्योगिक सम्पत्ति की क्षति हेतु पहले से प्रदान राशि को घटाकर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि का 10 गुणा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासियों से प्राप्त निवेश प्रस्ताव

2469. श्री सुरेश अंगडि: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनिवासियों से कर्नाटक राज्य सहित देश में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सभी प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) कर्नाटक सहित अनिवासी भारतीयों से पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

वर्ष	अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु प्राप्त कुल प्रस्ताव	कर्नाटक में अनिवासियों द्वारा निवेश हेतु प्राप्त प्रस्ताव
2004	49	6
2005	44	6
2006	25	शून्य

(ग) प्राप्त किये गये सभी प्रस्तावों पर विचार किया गया था और जहां नीति संबंधी जरूरतें पूरी की गई थी, अनुमोदन प्रदान किये गये थे।

(घ) सभी तरह से पूर्ण प्रस्तावों के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर सरकार के निर्णय के बारे में सूचना दी जाती है।

कयर उत्पादों का निर्यात

2470. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किन-किन देशों को कितनी कीमत के और मात्रा में कयर उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) इसमें केरल का कितना योगदान है; और

(ग) सरकार द्वारा कयर उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए कयर उत्पादों के मूल्य और मात्रा का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) केरल ने कयर और कयर उत्पादों के कुल निर्यात का लगभग 80% का योगदान किया।

(ग) सरकार, कयर बोर्ड के माध्यम से निर्यात बाजार के विकास के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यक्रम चला रही है, जैसे:

(1) अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में भागीदारी।

(2) विदेशी व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम और कैटलाग शो तथा भारत की विशेषीकृत प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(3) बिक्री संवर्धन दौरों और विदेशी मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए विदेशी बाजार विकास सहायता योजना के तहत निर्यातकों को वित्तीय सहायता बढ़ाना।

(4) निर्यातों, आदि में उत्तम प्रदर्शन के लिए कयर उद्योग पुरस्कार।

(5) क्रेता-विक्रेता बैठकों को सुगम बनाना।

विवरण

(1) अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के दौरान निर्यात किए गए कयर उत्पादों के मूल्य और मात्रा का देश-वार ब्यौरा

(मात्रा टनों में और मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	देश	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1.	यूएसए	32583.14	18625.43
2.	यूके	9333.14	4941.59
3.	नीदरलैंड्स	22323.01	3667.31
4.	जर्मनी	5909.35	3011.05

1	2	3	4
5.	इटली	5274.13	2419.48
6.	फ्रांस	3885.41	1962.23
7.	स्पेन	7418.98	1848.68
8.	आस्ट्रेलिया	4082.09	1072.55
9.	कनाडा	2238.28	1010.17
10.	बेल्जियम	2218.01	903.22
11.	स्वीडन	1192.67	659.11
12.	जापान	891.96	584.75
13.	तुर्की	1131.87	577.41
14.	साऊथ अफ्रीका	1332.47	500.03
15.	डेनमार्क	692.29	388.32
16.	साउथ कोरिया	6343.11	380.40
17.	ग्रीस	686.29	378.52
18.	पुर्तगाल	853.40	348.24
19.	यूएई	1600.87	336.98
20.	सऊदी अरब	662.28	270.91
21.	ब्राजील	469.24	244.98
22.	चिली	350.46	225.85
23.	कुवैत	666.79	217.36
24.	इजरायल	579.21	190.59
25.	न्यूजीलैंड	360.09	181.07
26.	पोलैंड	747.53	170.68
27.	नार्वे	296.66	145.28
28.	आस्ट्रिया	249.25	143.54
29.	आलद्वीप आइलैंड	1309.01	128.76
30.	मलेशिया	387.27	119.38
31.	ईरान	426.27	108.896
32.	लेबनान	265.75	106.18
33.	केन्या	1549.03	102.21
34.	मिस्र	241.46	92.81
35.	आयरिश रिपब्लिक	311.16	91.00
36.	रूस	209.81	89.93
37.	हंगरी	490.42	84.57
38.	पनामा	119.36	61.15
39.	मोरक्को	186.85	60.01
40.	लैटिवीया	101.94	59.18
41.	अर्जेंटीना	114.51	58.19
42.	यूगोस्लाविया	132.53	57.45
43.	ताईवान	195.50	56.46
44.	फिनलैंड	78.04	44.75
45.	एक्वाडोर	572.00	43.60
46.	श्रीलंका	513.93	42.95
47.	हांगकांग	63.88	38.00
48.	मैक्सिको	131.22	35.98
49.	कोलम्बिया	94.16	33.85
50.	नाईजीरिया	67.18	30.22
51.	स्विटजरलैंड	41.65	26.18
52.	चेकोस्लोवाकिया	55.19	25.16
53.	लीबीया	39.59	23.29
54.	क्रोशिया	46.59	22.73
55.	चीन	48.10	20.18
56.	केमरून	46.53	19.94
57.	सिंगापुर	32.70	18.73
58.	अल्जीरिया	53.31	17.68

1	2	3	4
59.	उरूग्वे	34.87	17.12
60.	साईप्रस	25.93	15.26
61.	घाना	24.82	13.37
62.	डोमिनिकन रिपब्लिक	21.26	13.08
63.	रूमानिया	22.68	12.66
64.	ओमान	41.45	12.25
65.	वैनेजुएला	28.64	11.95
66.	पाकिस्तान	52.05	11.79
67.	जमाईका	14.85	11.56
68.	पेरू	22.70	11.36
69.	उक्रैन	25.01	10.74
70.	लिथुआनिया	19.95	10.61
71.	मारिशस	20.90	9.44
72.	बोसनिया और हरजेगोविना	11.31	6.77
73.	कतर	14.28	6.54
74.	बलगारिया	14.52	4.88
75.	ट्यूनीशिया	7.24	4.61
76.	फिजी द्वीप	5.64	4.36
77.	जार्डन	64.00	3.41
78.	थाईलैंड	5.22	3.39
79.	बेहरीन	6.49	3.09
80.	जाम्बिया	4.30	2.78
81.	फिलीपींस	3.89	2.42
82.	माल्टा	4.17	2.37
83.	ब्रूनेई	33.00	2.15
84.	जिबोटी	28.00	1.80
85.	सीरिया	24.00	1.64
86.	यूगांडा	25.00	1.34
87.	क्यूबा	10.80	0.93
88.	ग्वाटेमाला	1.68	0.83
89.	पपुआ न्यूगिनी	0.91	0.62
	कुल	122926.79	47340.27

(2) अप्रैल 2005 से मार्च 2006 के दौरान निर्यात किए गए कयर उत्पादों के मूल्य और मात्रा का देश-वार ब्यौरा

(मात्रा टनों में और मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	देश	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1.	यूएसए	35709.88	20469.77
2.	यूके	9319.51	4846.41
3.	जर्मनी	6693.03	3815.30
4.	नीदरलैंड	20329.53	3539.77
5.	इटली	4774.05	2130.24
6.	स्पेन	8243.09	1947.23
7.	फ्रांस	3530.02	1793.40
8.	कनाडा	2716.49	1291.22
9.	बेल्जियम	2395.69	1052.40
10.	आस्ट्रेलिया	3940.65	963.20
11.	दक्षिण कोरिया	13287.32	843.87
12.	स्वीडन	1270.67	714.20
13.	जापान	1052.75	651.81
14.	यूएई	3893.91	559.37
15.	दक्षिण कोरिया	1319.02	470.24
16.	टर्की	826.06	452.88
17.	ग्रीस	767.03	376.02

1	2	3	4
18.	डेनमार्क	696.20	344.36
19.	पुर्तगाल	922.18	331.99
20.	ब्राजील	653.00	323.08
21.	कुवैत	855.25	270.83
22.	सऊदी अरब	780.04	267.73
23.	पोलैंड	924.03	236.12
24.	चिली	1251.72	205.64
25.	इजराईल	1251.72	205.64
26.	न्यूजीलैंड	373.27	185.60
27.	नार्वे	490.66	182.04
28.	आस्ट्रिया	324.96	174.35
29.	लेबनान	289.71	137.10
30.	मलेशिया	512.24	130.45
31.	हंगरी	699.74	115.09
32.	मिस्र	375.16	114.72
33.	मोरक्को	391.97	113.28
34.	ईरान	306.01	112.78
35.	केन्या	1566.87	107.83
36.	रूस	204.32	90.05
37.	मैक्सिको	377.19	87.20
38.	अर्जेंटीना	161.44	85.81
39.	तन्जानिया	629.00	84.54
40.	मालदीव द्वीप	272.46	78.88
41.	आयरिश रिपब्लिक	148.88	67.96
42.	लाटिविया	107.48	67.37
43.	लीबिया	120.10	63.24
44.	एक्वाडोर	590.12	57.35
45.	यूगोस्लाविया	111.21	43.42
46.	फिनलैंड	77.30	40.94
47.	उक्रेन	77.61	37.36
48.	जार्डन	55.54	33.50
49.	उरूग्वे	44.77	30.71
50.	साइप्रस	66.58	30.21
51.	पेरू	40.43	26.98
52.	चेकोस्लोवाकिया	41.52	25.96
53.	क्रोशिया	38.60	24.63
54.	वेनेजुएला	46.45	22.97
55.	श्रीलंका	48.38	21.98
56.	कोलम्बिया	53.00	21.64
57.	अल्जीरिया	51.00	21.49
58.	सिंगापुर	36.34	20.77
59.	घाना	32.95	19.95
60.	लिथुआनिया	40.28	19.70
61.	ताईवान	43.66	19.69
62.	मारीशस	41.72	17.97
63.	हांगकांग	80.87	17.17
64.	थाईलैंड	54.51	15.44
65.	नाईजीरिया	24.22	13.42
66.	सीरिया	17.40	12.13
67.	समोआ	17.40	12.13
68.	बहरीन	26.86	11.58
69.	कतर	20.37	11.50
70.	स्विटजरलैंड	12.92	8.43
71.	आईसलैंड	13.33	8.32

1	2	3	4
72.	चीन	14.04	7.88
73.	नीदरलैंड	15.00	7.28
74.	जमाईका	12.83	7.13
75.	ओमान	15.38	5.96
76.	उजबेकिस्तान	100.00	5.78
77.	बुल्गारिया	14.30	5.29
78.	मार्शल द्वीप	8.66	5.03
79.	जिबोटी	78.00	4.80
80.	पनामा	6.26	4.54
81.	पाकिस्तान	25.50	4.50
82.	कोस्टारिका	6.74	4.33
83.	डोमिनिकन रिपब्लिक	5.34	3.37
84.	स्लोवेनिया	3.33	2.54
85.	त्रिनिडाड	3.15	1.99
86.	यूगांडा	25.00	1.47
87.	यमन	3.60	1.14
88.	ट्यूनिशिया	11.00	1.09
89.	ब्रुनेई	11.00	0.75
90.	माल्टा	1.28	0.69
91.	फिजी द्वीप	0.34	0.32
	कुल	136026.97	50844.75

(3) अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के दौरान निर्यात किए गए कयर उत्पादों के मूल्य और मात्रा का देश-वार ब्यौरा

(मात्रा टनों में और मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	देश	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1.	यूएसए	38264.01	22197.72
2.	यूके	10413.69	5539.44
3.	जर्मनी	7661.43	4591.79
4.	नीदरलैंड	26759.76	4195.24
5.	स्पेन	10276.37	2628.59
6.	इटली	6129.29	2539.16
7.	कनाडा	3824.68	1965.94
8.	फ्रांस	3047.72	1714.56
9.	आस्ट्रेलिया	6000.66	1510.31
10.	बेल्जियम	2300.09	1003.87
11.	चीन	8633.49	991.50
12.	साऊथ कोरिया	13118.80	963.32
13.	स्वीडन	1388.39	846.62
14.	जापान	1284.31	813.39
15.	टर्की	1471.38	742.96
16.	ग्रीस	1222.49	662.91
17.	दक्षिण अफ्रीका	1268.88	511.14
18.	ब्राजील	881.59	451.24
19.	यूएई	2738.41	451.20
20.	पोलैंड	1278.38	410.91
21.	पुर्तगाल	996.32	403.67
22.	डेनमार्क	735.91	400. 94
23.	सऊदी अरब	937.26	393.03
24.	इजरायल	2142.22	295.29
25.	कुवैत	763.58	264.89
26.	चिली	375.43	254.91
27.	ईरान	738.81	236.98
28.	नार्वे	542.34	214.12
29.	मैक्सिको	594.92	198.70

1	2	3	4
30.	मालदीव	420.59	195.51
31.	मलेशिया	1928.23	182.57
32.	न्यूजीलैंड	454.33	178.80
33.	मिश्र	637.15	176.11
34.	आस्ट्रीया	316.69	156.75
35.	रूस	439.43	148.53
36.	हंगरी	824.32	138.37
37.	लाटिविया	336.61	127.90
38.	आयरिश रिपब्लिक	504.39	125.41
39.	उरूग्वे	170.04	124.92
40.	अर्जेंटीना	241.09	124.25
41.	लेबनान	192.61	98.07
42.	केन्या	1412.10	89.51
43.	लीबिया	133.79	86.38
44.	मोरक्को	374.85	85.05
45.	हांगकांग	603.54	81.87
46.	फिनलैंड	141.77	75.54
47.	एक्वाडोर	749.05	74.46
48.	जिबुटी	875.60	68.13
49.	साईप्रस	172.53	58.45
50.	ताईवान	209.17	49.42
51.	यूगोस्लोवाकिया	68.54	47.50
52.	उक्रैन	149.38	45.81
53.	तंजानिया	350.27	39.46
54.	कोलम्बिया	49.57	38.19
55.	अलजेरिया	60.90	37.23
56.	पनामा	57.59	34.74

1	2	3	4
57.	सिंगापुर	55.74	33.41
58.	स्विटजरलैंड	53.35	31.18
59.	वैनेजुला	61.06	28.28
60.	क्रोशिया	57.76	27.69
61.	चेकोस्लोवाकिया	42.50	25.74
62.	जोर्डन	68.60	22.94
63.	नाईजीरिया	33.86	20.02
64.	घाना	43.04	19.37
65.	ओमान	95.73	17.56
66.	पेरू	24.94	15.63
67.	बोसनिया और हरजेगोविना	19.36	14.28
68.	अफगानिस्तान	18.57	11.98
69.	लिथुवानिया	20.99	11.28
70.	बेहरीन	40.88	10.48
71.	मारीशस	41.17	10.32
72.	गबोन	15.59	10.22
73.	जमाईका	47.91	9.98
74.	थाईलैंड	13.02	9.13
75.	पैरागुए	12.85	8.93
76.	मार्शल आइलैंड	16.98	8.74
77.	फिजी आइलैंड	11.72	8.15
78.	रूमानिया	30.41	7. 97
79.	कांगो	10.45	7.43
80.	डोमोनिकन रिपब्लिक	17.35	6.63
81.	गुवाटेमाला	10.16	अ 6.45
82.	आईसलैंड	11.87	6.20
83.	सीरिया	10.85	6.05

1	2	3	4
84.	श्रीलंका	49.24	5.88
85.	एलसलवाडोर	41.50	5.46
86.	पाकिस्तान	25.50	5.14
87.	कतर	13.85	5.05
88.	ट्यूनीशिया	6.96	3.66
89.	बंगलादेश	8.45	2.57
90.	दक्षिणी यमन	27.00	1.82
91.	कैमरून	2.83	1.49
92.	न्यू कलडोनिया	1.47	1.34
93.	स्लोवाक रिपब्लिक	1.93	1.30
94.	बुल्गारिया	8.82	1.29
95.	त्रिनिडाड	3.35	0.91
96.	ब्रुनेई	11.00	0.78
97.	यमन	1.38	0.61
	कुल	168754.75	60516.59

(4) अप्रैल 2007 से सितम्बर 2007 के दौरान निर्यात किए गए कयर उत्पादों के मूल्य और मात्रा का देश-वार ब्यौरा

(मात्रा टनों में और मूल्य लाख रुपये में)

क्र.सं.	देश	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4
1.	यूएसए	18798.63	10463.23
2.	यूके	4649.01	2367.88
3.	नीदरलैंड	16244.76	2343.12
4.	जर्मनी	3312.92	1728.28
5.	स्पेन	6425.74	1254.38
6.	इटली	2839.24	1217.50
7.	कनाडा	2384.80	979.30
8.	चीन	7731.99	845.23
9.	फ्रांस	1480.65	816.97
10.	आस्ट्रेलिया	3341.76	799.17
11.	बेल्जियम	1329.86	447.01
12.	दक्षिण कोरिया	6193.37	421.56
13.	स्वीडन	669.70	392.26
14.	ब्राजील	808.61	374.30
15.	जापान	596.82	368.26
16.	ग्रीस	588.52	309.75
17.	टर्की	574.79	261.47
18.	पुर्तगाल	628.55	239.48
19.	दक्षिण अफ्रीका	648.94	238.67
20.	मैक्सिको	811.37	225.58
21.	यूएई	1391.14	219.47
22.	पोलैंड	642.19	202.13
23.	इजराइल	1396.48	155.39
24.	ईरान	451.45	114.39
25.	न्यूजीलैंड	239.16	113.02
26.	उरूग्वे	150.88	103.82
27.	नार्वे	309.62	100.80
28.	डेनमार्क	232.77	99.34
29.	कुवैत	315.59	96.33
30.	सऊदी अरब	235.69	90.84
31.	मिस्र	537.08	85.37
32.	लेबनान	157.81	84.77
33.	फिनलैंड	109.96	77.21
34.	मोरक्को	357.50	72.81
35.	केन्या	936.63	67.86

1	2	3	4
36.	मलेशिया	383.02	67.52
37.	कोलम्बिया	102.42	56.44
38.	मालदीव	202.11	55.98
39.	रूस	133.45	52.71
40.	आस्ट्रिया	103.20	52.71
41.	अर्जेंटीना	108.25	50.24
42.	जिबुटी	669.33	47.04
43.	साईप्रस	108.87	44.01
44.	लीबिया	69.97	39.87
45.	लाटिवीया	57.43	37.57
46.	हंगरी	270.32	37.52
47.	हांगकांग	261.02	36.73
48.	पनामा	61.87	34.44
49.	आईरिश रिपब्लिक	99.56	31.43
50.	उक्रेन	118.57	29.59
51.	चिल्ली	42.17	25.32
52.	ताईवान	176.05	23.90
53.	सिंगापुर	71.80	20.50
54.	इक्वाडोर	213.15	19.80
55.	चेकोस्लोवाकिया	38.04	19.59
56.	एलसलवाडोर	166.14	19.18
57.	क्रोएशिया	41.90	18.96
58.	यूगोस्लाविया	108.39	16.82
59.	बेहरीन	25.78	16.13
60.	स्वीटजरलैंड	30.61	15.28
61.	जार्डन	67.12	13.13
62.	नाईजीरिया	21.90	12.25
63.	रियूनियन	16.42	11.15
64.	वेनेजुला	22.63	10.49
65.	तंजानिया	225.00	9.49
66.	बुल्गारिया	25.58	8.17
67.	कतर	18.71	6.13
68.	सीरिया	20.78	6.04
69.	गवाटेमाला	9.59	5.96
70.	यमन	52.18	5.67
71.	वियतनाम	8.28	5.47
72.	फिलीपीन्स	11.87	5.09
73.	डोमिनिकन रिपब्लिक	8.98	5.03
74.	त्रिनिडाड	8.53	4.79
75.	श्रीलंका	16.10	4.21
76.	सूरीनाम	6.89	3.76
77.	एलबानिया	9.00	3.59
78.	थाईलैंड	5.38	3.59
79.	पेरू	32.62	3.50
80.	आईसलैंड	7.83	3.43
81.	घाना	6.16	3.38
82.	कोस्टारिका	7.66	3.37
83.	जाम्बिया	4.49	3.01
84.	रूमानिया	5.32	3.00
85.	ब्रुनेई	14.48	2.74
86.	लिथवानिया	5.02	2.50
87.	फिजी आईलैंड	2.19	1.76
88.	दक्षिण यमन	11.43	1.43
89.	माल्टा	2.09	1.23

1	2	3	4
90.	मारीशस	4.58	1.19
91.	सेंट लुसिया	4.40	1.02
92.	यूगांडा	0.82	0.39
93.	यमन	0.70	0.31
	कुल	91852.13	28802.50

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

2471. डा. रामेश्वर उरांव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कार्यरत निर्यातोन्मुखी इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या इन इकाइयों को केन्द्र सरकार से विभिन्न प्रकार की वित्तीय छूट प्राप्त हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) दिनांक 31.3.2006 तथा 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार देश में प्रचालनरत निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान इन इकाइयों द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा क्रमशः लगभग 11200 मिलियन अम.डा. तथा 11500 मिलियन अम.डा. (अनंतिम) रही है।

(ग) और (घ) निर्यातोन्मुखी स्कीम के अंतर्गत इकाइयां आयातों पर सीमाशुल्क से छूट, घरेलू खरीद पर उत्पाद शुल्क से छूट तथा पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, उत्पादन कार्यकलापों के लिए अपेक्षित खपत योग्य वस्तुओं पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति की पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, वे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्यात आय पर निगम कर से छूट की भी पात्र हैं।

विवरण

देश में प्रचालनरत निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रचालनरत ईओयू की संख्या	
		31.3.2006 की स्थिति के अनुसार	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4
2.	आंध्र प्रदेश	206	218
3.	असम	1	0
4.	बिहार	1	0
5.	चंडीगढ़	5	3
6.	छत्तीसगढ़	4	4
7.	दादरा और नगर हवेली	19	20
8.	दमन और दीव	12	17
9.	दिल्ली	48	56
10.	गोवा	30	30
11.	गुजरात	253	266
12.	हरियाणा	89	102
13.	हिमाचल प्रदेश	4	7
14.	जम्मू-कश्मीर	1	2.
15.	झारखण्ड	7	7
16.	कर्नाटक	510	385
17.	केरल	57	60
18.	मध्य प्रदेश	30	20
19.	महाराष्ट्र	312	367
20.	मेघालय	0	1
21.	मिजोरम	0	1

1	2	3	4
22.	उड़ीसा	13	14
23.	पाण्डिचेरी	13	14
24.	पंजाब	24	34
25.	राजस्थान	90	101
26.	तमिलनाडु	417	437
27.	उत्तर प्रदेश	99	106
28.	उत्तरांचल	2	2
29.	पश्चिम बंगाल	83	83
	कुल	2334	2362

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2007 का धीमा कार्यान्वयन

2472. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एन.ई.आई.पी.पी.) 2007 के धीमे कार्यान्वयन के बारे में जानकारी है जैसाकि एफआईएनईआर ने दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं तथा राजसहायता के संवितरण और आयकर छूट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नीति के कार्यान्वयन हेतु किसी निगरानी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 दिनांक 1.4.2007 को घोषित की गई थी। इसके तहत लाभ प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए विस्तृत अधिसूचनाएं 6 महीने के भीतर जारी की गई थीं। आयकर छूट, केन्द्रीय उत्पाद कर छूट की अनुमति देने वाली अधिसूचनाएं अप्रैल-मई, 2007 में जारी की गई थीं तथा पूंजी निवेश राजसहायता, ब्याज राजसहायता एवं व्यापक बीमा की अनुमति देने हेतु जुलाई एवं सितंबर, 2007 में अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। इसलिये, एनईआईआईपीपी, 2007 के कार्यान्वयन में कोई विलंब नहीं हुआ है।

तथापि, विभिन्न राजसहायता योजनाओं, जिसके लिये पर्याप्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है, के तहत राजसहायताओं के वितरण हेतु कई दावे लंबित हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। निधियों को जारी करने तथा उसके उपयोग सहित, एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत विभिन्न योजनाओं/उपायों की निगरानी करने हेतु एक उच्च स्तरीय/सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उच्च स्तरीय समिति/सलाहकार समिति

(1)	सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	-	अध्यक्ष
(2)	सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
(3)	सचिव, बैंकिंग और बीमा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
(4)	सचिव, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
(5)	सलाहकार (उद्योग), योजना आयोग	-	सदस्य

(6)	सलाहकार (उत्तर-पूर्व), योजना आयोग	-	सदस्य
(7)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी	-	सदस्य
(8)	उत्तर-पूर्व क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग)	-	सदस्य
(9)	विकास आयुक्त लघु उद्योग, भारत सरकार	-	सदस्य
(10)	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
(11)	मुख्य नियंत्रक लेखा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, भारत सरकार	-	सदस्य
(12)	संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य सचिव

2. इस समिति के सम्मुख विचारार्थ विषय निम्न हैं:

समिति निम्नलिखित की निगरानी करेगी:

(1) एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत विभिन्न योजनाओं की समय से अधिसूचना।

(2) निधियों को जारी करने व उसके उपयोग सहित, एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत विभिन्न योजनाओं/उपायों की निगरानी करना।

(3) एनईआईआईपीपी, 2007 के कार्यान्वयन में समय-समय पर आने वाली कठिनाईयों को दूर करना।

3. समिति के अध्यक्ष को किसी अन्य सदस्य या विशेष अतिथि को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

4. समिति अन्य विभागों/विशेषज्ञों/अभिकरणों से इनपुट/सुझाव मंगा सकती है।

एफआईआर दर्ज करना

2473. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज न करने और अस्पतालों से चिकित्सा कानूनी मामला (एमएलसी) रिपोर्ट एकत्र न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कुल कितने दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस को भविष्य में प्रत्येक एफआर दर्ज करने का निदेश देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गरीब बच्चों को प्रवेश

2474. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई पब्लिक स्कूल समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने से इंकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में पब्लिक स्कूल खोलने हेतु निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन शर्तों का पालन न करने वाले ऐसे कुल कितने स्कूलों की पहचान की गई है; और

(ङ) ऐसे स्कूलों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) चूंकि शिक्षा समवर्ती विषय है, स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंध न उप नियमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में दाखिला धर्म, नस्ल, जाति, पन्थ, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेद-भाव किए बिना दिया जाना चाहिए। जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षण का संबंध है, यह उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू शिक्षा अधिनियमन/नियमों द्वारा अभिशासित होगा जहां पर स्कूल स्थित है।"

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों को संबंधन प्रदान करने के मानदंड इसके संबंधन उपनियमों में दिए गए हैं। कुछ अनिवार्य अपेक्षाएं इस प्रकार हैं:-

(1) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र।

(2) स्कूल कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी/न्यास/कम्पनी द्वारा संचालित होना चाहिए।

(3) लगभग 2 एकड़ अथवा यथाअनुपात माप की भूमि एक स्थान पर उपलब्ध हो।

(4) स्कूल संचालित करने वाली सोसाइटी/न्यास/कम्पनी गैर-स्वामित्व स्वरूप की होनी चाहिए।

(5) मानदंडों के अनुसार शिक्षकों की संख्या सहित समुचित अवसंरचना तथा अन्य सुविधाएं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधन उपनियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे अठ्ठारह स्कूलों की संबद्धता को रद्द कर दिया है।

[अनुवाद]

पारस्परिक व्यापार संबंधी करार

2475. श्री रामजीलाल सुमनः
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कुछ पश्चिमी देशों के बीच पारस्परिक व्यापार और पूंजी निवेश के संबंध में कोई बातचीत हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) भारत इस समय पश्चिमी देशों में से केवल यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एक व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (टीआईए) को अंजाम देने हेतु बातचीत कर रहा है। यह बातचीत 28.6.2007 को आरंभ हुई थी और दोनों ही पक्षों ने अब तक मूल पाठ-विषयक (टेक्सचुअल) प्रस्तावों पर बातचीत की है। व्यापार और निवेश समझौतों का लक्ष्य वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बाधाओं को दूर करके तथा निवेश के जरिये बाजार पहुंच की अनुमति देकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना होता है।

मोबाइल फोन का प्रयोग

2476. श्री दलपत सिंह परस्तेः
श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज):

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मोबाइल फोन का प्रयोग करने की अनुमति न देने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी स्कूलों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी/निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित सभी शैक्षिक संस्थानों में मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सरकार ने इस प्रकार की कोई सलाह नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) शिक्षा के समवर्ती विषय होने के कारण, स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संबंध है, शैक्षिक संस्थाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारत में आतंकवादी संगठनों की उपस्थिति

2477. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई आतंकवादी संगठन देश के कई राज्यों विशेषकर कश्मीर, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और ये क्षेत्र अन्य विकासात्मक कार्यों के मामले में पिछड़े हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) विगत कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की समग्र स्थिति में निश्चित रूप से निरन्तर सुधार देखने को मिला है। विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31.10.2007 तक इस वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31.10.2007 तक इस वर्ष के दौरान नक्सल प्रभावित राज्यों में घटनाओं की संख्या का स्तर वही है। इसके अलावा भीतरी प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं के कुछ मामले हुए हैं, जोकि चिन्ता का विषय है। सरकार की नीति है कि वह आतंकवाद द्वारा सृजित चुनौतियों का सामना सरकार की बहु आयामी रणनीति से करेगी। इस रणनीति के अनुसरण में सरकार ने राजनैतिक, सुरक्षा और विकास पहलुओं पर विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार उन सभी समूहों के साथ वार्ता करने की इच्छुक है जो हिंसा त्यागने को सहमत हों। सुरक्षा मोर्चे पर आतंकवादी रोधी उपायों में सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावकारी सीमा प्रबंधन, आतंकवादी हिंसा बहुल क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय बलों की तैनाती, बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों के आसपास चौकसी एवं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना, आसूचना संग्रहण और भागीदारी क्षमता, खासकर निचले स्तर पर, सुदृढ़ करना, पुलिस बलों का संवर्धन और आधुनिकीकरण करना, इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करना, केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों को विकसित तकनीक, आयुध एवं उपस्करों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शामिल है और आतंकवाद के वैश्विक प्रभावों से निपटने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। विकासात्मक मोर्चे पर आतंकवाद/अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को संवर्द्धित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

रायल्टी दरें

2478. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री मोहन रावले:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
डा. रामेश्वर उरांव:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान मंत्रालय ने रायल्टी की दरों की समीक्षा हेतु विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री ने भी गृह मंत्रालय को यह निदेश दिया है कि वह खनिज संपदा संपन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों

की एक बैठक बुलाएं और सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले उनकी राय पर विचार करें;

(ग) क्या सरकार ने समिति तथा खनिज संपदा संपन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार मांग को किस हद तक पूरा कर पाई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कुछ खनिज समृद्ध राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खनिज नीति से संबंधित मुद्दों पर माननीय गृहमंत्री, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2007 संबंधी मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष, से मुलाकात की थी जिसमें उन्होंने खनिजों पर रायल्टी मूल्यानुसार आधार पर निर्धारित करने का भी अनुरोध किया था। मंत्रियों के समूह की सिफारिशें तथा प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट तथा भराई के लिए बालू से भिन्न) की रायल्टी दरों की समीक्षा वाली अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाना पकाने की प्रणाली

2479. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास लंबित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अग्रेषित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत परिवर्तित खाना पकाने की प्रणाली पर खर्च होने वाली राशि संबंधी प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ख) प्रस्ताव को अनुमोदित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाना पकाने की परिवर्तित प्रणाली पर खर्च के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

[अनुवाद]

बागवानी हेतु निर्यात नीति

2480. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद ने बागवानी के लिए बेहतर निर्यात नीति का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टेलीविजन चैनलों को लाइसेंस

2481. श्री रशीद मसूद: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक चैनलवार कितने नए टीवी चैनलों को लाइसेंस प्रदान किये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चैनलवार सरकार के अनुमोदन के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ग) क्या उन सभी टीवी चैनलों, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान लाइसेंस प्राप्त हुए हैं, ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो चैनलवार इसके क्या कारण हैं; और

(च) ये लाइसेंस कब तक दे दिए जाएंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) वर्ष 2005 के दौरान 25 निजी उपग्रह टीवी चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई थी, वर्ष 2006 के दौरान 37 चैनलों को अनुमति दी गई थी और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 26.11.2007 तक 63 चैनलों को अनुमति दी गई है। इन चैनलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) दिनांक 26.11.2007 तक की स्थिति के अनुसार भारत से अपलिंक करने की अनुमति हेतु 86 चैनलों के आवेदनपत्र मौजूदा अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच के विभिन्न चरणों में हैं। ऐसे चैनलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) से (ङ) मौजूदा अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार अपलिंक करने के लिए अनुमति आवेदक कंपनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई अनुमति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर चैनल का परिचालन शुरू कर देगी जिसमें असफल रहने पर सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् अनुमति वापस ली जा सकती है। कुल 4 चैनलों नामतः सत्या टीवी, बिजनेस टुडे, केबीसी न्यूज और टीएमएल वाइस आफ इंडिया यू.पी. ने निर्धारित समय-सीमा के विस्तार हेतु मंत्रालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

(च) कोई निश्चित समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है क्योंकि इस प्रक्रिया में अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ अंतर-मंत्रालयीय परामर्श शामिल होता है।

विवरण I

क्र.सं.	वर्ष 2005 के दौरान भारत से अपलिंक करने के लिए अनुमत चैनलों के नाम
1	2
1.	एशियानेट प्लस
2.	जागरण यू.एस.ए.
3.	जागरण यू.के.
4.	क्लासिक सिनेमा यू.एस.ए.
5.	क्लासिक सिनेमा यू.के.
6.	एक्शन सिनेमा यू.एस.ए.
7.	एक्शन सिनेमा यू.के.
8.	जी सिनेमा यू.एस.ए.
9.	अल्फा गुजराती यू.एस.ए.
10.	अल्फा गुजराती यू.के.
11.	एन.डी.टी.वी. मेट्रो नेशन
12.	एनई-हाई फाई
13.	स्टार आनन्दो
14.	आईबीएन-7
15.	सुदर्शन
16.	झंकार मूवीज
17.	सी.एन.एन.-आई.बी.एन.
18.	सत्या टी.वी.
19.	संगीत बांग्ला
20.	यो म्यूजिक
21.	कस्तूरी
22.	पावर विजन
23.	टाइम्स नाऊ
24.	प्ले टी वी
25.	जनमत

क्र.सं.	वर्ष 2006 के दौरान भारत से अपलिंक करने के लिए अनुमत चैनलों के नाम
1	2
1.	जया मैक्स
2.	वी
3.	बिजनेस टुडे
4.	एशियानेट कन्नड़
5.	उदय वर्थेगलू
6.	उदय मूवीज
7.	जेमिनी न्यूज
8.	जेमिनी म्यूजिक
9.	सुर संगीत-2
10.	एन ई बंगला

1	2
11.	टी.वी. 9 कन्नड़
12.	टी.वी. 9 मुम्बइया
13.	एस 1 तड़का
14.	जी तेलुगू
15.	जी कन्नड़
16.	लेमन टी.वी.
17.	म्यूजिक इंडिया
18.	के.बी.सी. न्यूज
19.	इमायम टी.वी.
20.	वृन्दावन टी.वी.
21.	मनोरमा न्यूज साउथ
22.	मनोरमा न्यूज नार्थ
23.	मनोरमा न्यूज सेंट्रल
24.	कोलकाता टी वी
25.	24 घंटा
26.	मक्काल टी.वी.
27.	टी.वी.-100
28.	प्रज्ञा टी.वी.
29.	नियो स्पोर्ट्स
30.	नियो स्पोर्ट्स प्लस
31.	ओ टी वी
32.	सी.टी.वी.एन.-ए.के.डी.-प्लस
33.	पी.बी.सी. टी वी
34.	चैनल नं. 1
35.	गंगा
36.	मेगा टी वी
37.	धालीवाल टी वी

क्र.सं.	वर्ष 2007 के दौरान 26.11.2007 तक भारत से अपलिंक करने के लिए अनुमत चैनलों के नाम
1	2
1.	एशियानेट सितारा
2.	सुवर्णा न्यूज
3.	एस.टी.वी. गोवा न्यूज
4.	एस.टी.वी. यू.पी. न्यूज
5.	एस.टी.वी. हरियाणा न्यूज
6.	जी.टी.वी. रशिया
7.	जी. टाकीज
8.	मूवी आन डिमांड-हिन्दी
9.	मूवी आन डिमांड-अंग्रेजी
10.	एम.एच. वन श्रद्धा
11.	एम.एच. वन न्यूज
12.	स्टार माजा
13.	जी 24 तास
14.	रियल एस्टेट
15.	मी मराठी
16.	टी वी 5
17.	जय हिन्द
18.	स्पेस
19.	स्टैंडर्ड वर्ल्ड
20.	टाइम टी.वी.
21.	एन.टी.वी.
22.	भक्ति
23.	आजाद
24.	टी एम एल वाइस आफ इंडिया
25.	मनोरंजन टी.वी.

1	2
26.	सुबह वार्ता
27.	विस्सा
28.	राज म्यूजिक
29.	कलाइगनर टी.वी.
30.	राज न्यूज
31.	न्यूज लाइव
32.	संस्कृति
33.	एनडीटीवी गुड टाइम्स
34.	मनोरमा न्यूज इंटरनेशनल
35.	बिंदास
36.	बिंदास मूवीज
37.	श्री वेंकटेश्वर
38.	लाइफ 24
39.	ई-24
40.	जे मूवी
41.	आई टी.वी.
42.	न्यूज एक्स
43.	न्यूज 24
44.	बिज 24
45.	नाइन एक्स
46.	नाइन एक्स एम
47.	मा न्यूज
48.	मा भक्ति
49.	मा म्यूजिक
50.	चैनल 10
51.	चैनल ऐट
52.	कलाइगनर टीवी
53.	तुलसी
54.	महुआ
55.	एन.डी.टी.वी. इमेजिन
56.	टी.एम.एल. वायस आफ इंडिया लाइफस्टाइल
57.	टी.एम.एल. वायस आफ इंडिया म्यूजिक
58.	टी.एम.एल. वायस आफ एन.सी.आर.
59.	टी.एम.एल. वायस आफ इंडिया, बांगला
60.	टी.एम.एल. वायस आफ इंडिया, गुजराती
61.	टी.एम.एल. वायस आफ इंडिया मराठी
62.	आशीर्वाद
63.	होम शाप 18

विवरण II

क्र.सं.	26.11.2007 की स्थिति के अनुसार अनुमोदन के लिए लंबित चैनलों के नाम
1	2
1.	आर टी.वी.
2.	स्वेन टी.वी.
3.	वेलनेस
4.	चैनल ईस्ट
5.	राइज टी.वी.
6.	नक्षत्रा टी.वी.
7.	एनडीटीवी मेट्रो नेशन चेन्नई
8.	एनडीटीवी मेट्रो नेशन मुम्बई
9.	एनडीटीवी मेट्रो नेशन कोलकाता
10.	एनडीटीवी मेट्रो नेशन बंगौलर
11.	एनडीटीवी मिडिल ईस्ट

1	2
12.	टी.वी.-9 गुजराती
13.	टी.वी.-9 एन.सी.आर.
14.	बालीवुड
15.	फोकस
16.	हमार टी.वी.
17.	एच.वाई.टी.वी.
18.	विरसा
19.	सी.एन.बी.सी.-टी.वी. 18-1
20.	सी.एन.बी.सी.-टी.वी. 18-2
21.	सी.एन.बी.सी.-टी.वी. 18-3
22.	वसंत
23.	समय
24.	म्यूजिक च्वाइस
25.	यूनिटी
26.	सी.एन.ई.बी.
27.	सी.एन.एन.आई.बी.एन.-चैनल-1
28.	सी.एन.एन.आई.बी.एन.-चैनल-2
29.	सी.एन.एन.आई.बी.एन.-चैनल-3
30.	पी.एन.सी. न्यूज
31.	पी.टी.सी. म्यूजिक
32.	पी.टी.सी. सिख वर्ल्ड
33.	यूनिटी हरियाली
34.	कोलकाता प्लस
35.	राज न्यूज कन्नड
36.	राज न्यूज मलयालम
37.	राज न्यूज तेलुगू
38.	राज म्यूजिक कन्नड
39.	राज म्यूजिक मलयालम
40.	राज म्यूजिक तेलुगू
41.	राज किड्स कन्नड़
42.	राज किड्स कन्नड़ मलयालम
43.	राज किड्स कन्नड़ तेलुगू
44.	राज किड्स कन्नड़ तमिल
45.	वी.सी.एन.एल.
46.	सृष्टि
47.	विमिन्स वर्ल्ड
48.	एच.बी.एन.
49.	आहा
50.	मालेमाला
51.	ए टू जेड
52.	साई टी.वी.
53.	वर्ल्ड सिनेमा
54.	अनहोनी-मिस्ट्रीज आफ दि अनएक्सप्लेंड
55.	तहकीकात
56.	इंडी सिनेमा
57.	टापर
58.	वाई टी.वी.
59.	वेस्ट टी.वी.
60.	यू.टी.वी. न्यूज
61.	हम भोजपुरिया
62.	ईरा चैनल
63.	विजन टी.वी.
64.	विजन टी.वी. इंटरटेन
65.	विजन टी.वी. म्यूजिक

1	2
66.	विजन टी.वी. शिक्षा
67.	थाई टी.वी.
68.	श्री गिरि न्यूज
69.	श्री गिरि टी.वी.
70.	पालिमेर टी.वी.
71.	एस.ए.एन.
72.	एशियानेट न्यूज
73.	आईबीएन लोकमत
74.	सौभाग्य
75.	एस.ए.ए.एम.टी.वी.
76.	डी.एन.एन.
77.	रेनबो
78.	वनिता टी.वी.
79.	सिम्पली स्पाइस
80.	आई.टी.वी. न्यूज
81.	ग्लोबल टी.वी.
82.	एक्सप्लोर टी.वी.
83.	टीटीवी
84.	कैरियर टी.वी.
85.	कैलाईगनर ईसाई अरूवि
86.	कलियागनर सैथीगल

प्रवेश परीक्षा पत्रों का लीक होना

2482. श्री हरिसिंह चावडा:
श्री काशीराम राणा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश परीक्षा पत्र लीक किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उन्हें क्या सजा दी गई;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ऐसे कदमों से सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) अखिल भारतीय इंजीनियरी/वास्तुकला प्रवेश परीक्षा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-संयुक्त प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, आल इंडिया प्रि-मेडिकल/प्रि-डेन्टल प्रवेश परीक्षा और आई.सी.ए.आई./आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई./आई.सी.एस.आई. के वर्ष 2006 और 2007 के दौरान कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। तथापि, कोरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि 5 अगस्त, 2007 को आयोजित चार्टेड एकाउन्टेंसी कोर्स में दाखिले हेतु कामन प्रोफिशेंसी टेस्ट-2007 को तथाकथित प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया। यह कामन प्रोफिशेंसी टेस्ट 2007, 26 अगस्त, 2007 को पुनः आयोजित किया गया। संस्थान की परिषद ने इस संबंध में एक एफ.आई.आर. दर्ज की है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं/निकाय समय-मय पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं और जहां कहीं भी आवश्यक होता है वहां आवश्यक कार्रवाई करते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्होंने परीक्षा की विद्यमान पद्धति का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी और इस प्रणाली को आगे और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपाय सुझाए हैं। इसके अतिरिक्त समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त उपाय पहले ही किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा हेतु मानक

2483. श्री उदय सिंह:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत सप्ताह लंदन में जारी टाइम्स हायर क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी सूची में पहली 200 यूनिवर्सिटी में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्व की 200 उच्च यूनिवर्सिटी में देश की सात में से किसी भी आईआईटी के न होने के क्या कारण हैं जबकि रैंकिंग में 10 से अधिक चीनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं;

(ग) क्या रैंकिंग सर्वेक्षण में 28 देश हैं और क्या पहली 10 यूनिवर्सिटी यूएसए या यूके की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मुकाबला करने लायक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) यद्यपि, कतिपय संस्थाएं या एजेंसियां अपने मानदण्डों के अनुसार कभी-कभी विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं की वरीयता सूचियां प्रकाशित करती हैं, तथापि विश्वविद्यालयों की वैश्विक वरीयता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है।

(ङ) उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता-सुधार एक सतत प्रक्रिया है। उच्चतर शिक्षा के विस्तार, शामिल न किए गए राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं की स्थापना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और आयोजना एवं वास्तुकला स्कूलों की स्थापना के लिए ग्यारहवीं योजना में योजनागत आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की अभिकल्पना की गई है। उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान वर्तमान संस्थाओं की क्षमता में विस्तार, उच्चतर शिक्षा में राज्य परिव्यय में वृद्धि के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन, विश्वविद्यालयों में विज्ञान आधारित अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण, सेमेस्टर प्रणाली की शुरूआत, संकाय सुधार कार्यक्रम और अन्य सुधार भी प्रस्तावित हैं।

इम्फाल में एफ एम स्टेशन

2484. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इम्फाल स्टेशन पर एफ एम रेडियो सेवा प्रयोगिक आधार पर चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे एक नियमित आधिकारिक चैनल के तौर पर कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की राजधानियों में भी एफएम चैनल चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) इम्फाल स्थित एफ.एम. ट्रांसमीटर को 1.7.2005 से नियमित सेवा के लिए चालू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजधानियों में कार्यशील एफ.एम. ट्रांसमीटर ईटानगर, गुवाहाटी, शिलांग, अगरतला, आइजोल एवं कोहिमा में हैं।

[हिन्दी]

बिना भवन वाले विद्यालय

2485. श्री अजीत जोगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने बिना भवन वाले विद्यालय हैं; और

(ख) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा 2005-2006 के लिए तैयार किए गए जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार 46364 प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सभी नए विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु निधि उपलब्ध कराता है। विद्यालय अनुदान 2000 रु. प्रति स्कूल तथा रखरखाव अनुदान 5000 रु. प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से स्कूल की आवश्यक वस्तुओं के प्रतिस्थापन व रखरखाव हेतु दिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2005-06 में भवन रहित स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4046
2.	अरुणाचल प्रदेश	193
3.	असम	211

1	2	3
4.	बिहार	2148
5.	छत्तीसगढ़	7835
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	495
8.	हरियाणा	24
9.	हिमाचल प्रदेश	315
10.	जम्मू-कश्मीर	684
11.	झारखण्ड	7896
12.	कर्नाटक	558
13.	केरल	5
14.	मध्य प्रदेश	13347
15.	महाराष्ट्र	334
16.	मणिपुर	124
17.	मेघालय	125
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	956
21.	पंजाब	81
22.	राजस्थान	5712
23.	सिक्किम	10
24.	तमिलनाडु	21
25.	त्रिपुरा	0
26.	उत्तर प्रदेश	731
27.	उत्तरांचल	153
28.	पश्चिम बंगाल	308
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
30.	चंडीगढ़	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	46
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पाण्डिचेरी	0
	भारत	46364

पड़ोसी देशों में आतंकवादी प्रशिक्षण कैम्प

2486. योगी आदित्यनाथ:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के खिलाफ कार्य कर रहे आतंकवादियों के प्रशिक्षण कैंप पड़ोसी देश विशेषरूप से पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले पर उन देशों से बातचीत की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या पड़ोसी देश भारत में जाली मुद्रा की तस्करी में भी शामिल हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) सरकार द्वारा उग्रवादियों की गतिविधियों तथा देश में जाली मुद्रा की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा की स्थिति का ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	पूर्वोत्तर में घटनाओं की संख्या	जम्मू और कश्मीर में घटनाओं की संख्या	नक्सल प्रभावित राज्यों में घटनाओं की संख्या
2005	1332	1990	1608
2006	1366	1667	1509
2007 (31.10.2007 तक)	1275	959	1285

उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर में सक्रिय भारतीय विद्रोही ग्रुपों में बांग्लादेश और म्यांमार में प्रशिक्षण, आश्रय और शस्त्रों के भण्डारण के लिए अनेक कैम्प स्थापित किए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवादी इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है।

(ग) से (च) दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली में आहूत भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त आतंकवाद रोधी तंत्र की द्वितीय बैठक में दोनों पक्षों ने आतंकवादी घटनाओं के बारे में नवीन सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जिनमें मार्च, 2007 में हुई पहली बैठक में विचार किए गए मुद्दे भी शामिल हैं। वे उपायों की पहचान करने विशिष्ट सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और जांच में सहायता किया जाना जारी रखने के लिए सहमत हुए। इस द्विपक्षीय बैठक में पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और जारी आतंकवादी इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित भारत की चिंताओं को भी प्रकट किया गया।

सरकार ने भारतीय विद्रोही ग्रुपों के कैंपों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के मामले को बंगलादेश सरकार के साथ विभिन्न मंचों पर उठाया है। हाल ही में यह मामला अगस्त, 2007 में नई दिल्ली में हुई भारत और बंगलादेश के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता में उठाया गया था। बंग्लादेशी पक्ष का कहना था कि भारत के प्रतिकूल उक्त ग्रुपों द्वारा चलाए जाने वाली किसी भी गतिविधि के खिलाफ वे प्रभावी कार्रवाई करेंगे और समय पर सूचना दिए जाने पर तुरंत कार्रवाई किए जाने के लिए सहमत हुए।

फरवरी, 2007 में म्यांमार में हुई भारत और म्यांमार के बीच 13वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक में सुरक्षा से संबंधित मामलों सहित परस्पर चिंताओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्ष इस संबंध में एक दूसरे के बीच पूरा-पूरा सहयोग करने के लिए सहमत हुए।

(छ) और (ज) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में बड़ी मात्रा में जाली भारतीय मुद्रा लाने का कार्य स्थापित चैनलों और बाह्य तत्वों द्वारा किया जा रहा है।

(झ) सरकार, आतंकवादी संगठनों द्वारा दी गई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग करके बहु-आयामी रणनीति बनाई गई है जिसमें सीमा-पार से घुसपैठ रोकने के उपाय करना, आतंकवादी हिंसा संभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करना, संवेदनशील क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास निरंतर सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, आसूचना का आदान-प्रदान करना, पुलिस आधुनिकीकरण योजनाओं के माध्यम से आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाना तथा उनके कौशल और उनकी तकनीकी क्षमताओं का उन्नयन करना और इंडिया रिजर्व बटालियों आदि का गठन करना शामिल है। परस्पर कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण संधियों, सूचना और आसूचना आदि के आदान-प्रदान की व्यवस्था करके आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

किशोर शिक्षा कार्यक्रम

2487. श्री रायापति सांबासिवा रावः
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) का कार्यान्वयन हो रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यक्रम को लागू करने से इंकार कर दिया है अथवा इसे आंशिक रूप से लागू किया है; और

(घ) एईपी की समीक्षा के क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के सहयोग से सभी राज्यों

तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम नामक एक शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया गया था। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को इस कार्यक्रम के तहत जारी की गई राशियों और वर्ष 2007-08 के दौरान उनके लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात सरकार ने किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को लागू न करने का निर्णय लिया है और केरल सरकार ने इस कार्यक्रम की विषयवस्तु की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार इस कार्यक्रम की विषयवस्तु की समीक्षा कर रही है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उसने इस कार्यक्रम को मौजूदा स्वरूप में लागू न करने का निर्णय लिया है।

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) ने किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम हेतु टूलकिट की समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की है। इसके अलावा, इस मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे स्थानीय परिवेश तथा सामाजिक-आर्थिक लोकाचार के संदर्भ में इन सामग्रियों के अनुकूलन हेतु इनकी समीक्षा करें।

विवरण

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के तहत जारी की गई राशियों और वर्ष 2007-08 के दौरान उनके लिए किये गए आबंटन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005-06 (रु. लाख में)	2006-07 (रु. लाख में)	2007-08 (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.00	6.00	सभी राज्यों के लिये कुल आबंटित धनराशि 1935.00 लाख रु. है। किसी भी राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई है।
2.	आंध्र प्रदेश	300.00	360.00	
3.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	9.34	
4.	असम	79.20	169.80	
5.	बिहार	170.00	162.00	
6.	चंडीगढ़	6.50	6.10	
7.	छत्तीसगढ़	25.00	250.00	
8.	दादरा	1.00	1.20	
9.	दमन	2.50	4.50	
10.	दिल्ली	52.00	88.00	
11.	गोवा	10.00	2550	
12.	गुजरात (अहमदाबाद सहित)	425.00	285.00	
13.	हरियाणा	60.00	50.00	
14.	हिमाचल प्रदेश	50.00	27.00	

1	2	3	4	5
15.	जम्मू-कश्मीर	41.75	38.40	सभी राज्यों के लिये कुल आबंटित धनराशि 1935.00 लाख रु. है। किसी भी राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई है।
16.	झारखण्ड	60.00	50.00	
17.	कर्नाटक	196.00	400.00	
18.	केरल	269.00	100.00	
19.	लक्षद्वीप	2.00	5.00	
20.	मध्य प्रदेश	320.00	180.00	
21.	महाराष्ट्र (मुम्बई सहित)	530.23	788.00	
22.	मणिपुर	35.00	33.15	
23.	मेघालय	10.00	40.77	
24.	मिजोरम	35.00	48.83	
25.	नागालैंड	40.00	46.20	
26.	उड़ीसा	100.00	310.57	
27.	पाण्डिचेरी	3.00	12.00	
28.	पंजाब	113.00	85.00	
29.	राजस्थान	125.00	180.00	
30.	सिक्किम	20.00	17.00	
31.	तमिलनाडु (चैन्नई सहित)	288.00	525.00	
32.	त्रिपुरा	10.00	10.00	
33.	उत्तर प्रदेश	135.50	364.42	
34.	उत्तराखण्ड	60.00	75.00	
35.	पश्चिम बंगाल	560.00	766.25	
	कुल	4154.68	5520.03	1935.00

शिक्षा नीति में सुधार

√2488. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा नीति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या समय की यह मांग है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और समाज के कमजोर वर्गों के संदर्भ में शिक्षा नीति में किए जा रहे सुधारों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान करती है जिसका निहितार्थ यह है कि एक प्रदत्त स्तर तक सभी छात्रों को जाति, धर्म, स्थान अथवा बालक-बालिका का भेद किए बिना तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार को भी प्राथमिकता देती है। नई शिक्षा नीति का निर्माण संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है।

अल्पसंख्यक शिक्षा में लगे गैर-सरकारी संगठन

2489. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठनों की राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल सहित देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

अल्पसंख्यकों के लिए संस्थानों का श्रेणीकरण

2490. श्री पी.सी. थामस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं का श्रेणीकरण अल्पसंख्यक संस्था के रूप में करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में मान्यता प्राप्त इन संस्थाओं से संबंधित अल्पसंख्यक प्रबंधन एवं अन्य भूमिका, दायित्व एवं अधिकार क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) संविधान के अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अथवा संचालित संस्थाओं को सरकार अथवा वह प्राधिकरण जिसके अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार की संस्थाएं आती हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) में उक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को भी परिभाषित किया गया है। जबकि राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती तथापि केन्द्र सरकार ने तीन सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के रूप में मान्यता प्रदान की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मान्यता का मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 12ख और धारा 12ग के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग भी किसी शिक्षा संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने में सक्षम है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग ने अभी तक 26 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों की 1128 अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को संचालित करने के अधिकार में इनमें दाखिले और नियुक्तियों का अधिकार भी शामिल है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

2491. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से केंद्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) ग्वालियर और जबलपुर, मध्य प्रदेश में दो को सम्मिलित करते हुए देश में चार केन्द्र-पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बीस और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा 2006 में योजना आयोग के सिद्धान्तः अनुमोदन के लिए भेजा गया था। जैसे कि योजना आयोग ने इच्छा जाहिर की है, इस मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्य-दल सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जांच कर रहा है। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से वहां भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए संघ सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नए संस्थानों के स्थापना-स्थल पर अभी निर्णय नहीं लिया गया।

[अनुवाद]

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम

2492. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सब्जी एवं जड़ी-बूटी उत्पाद आधारित कृषि उद्योगों सहित कृषि आधारित उद्योगों को देशभर में बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जड़ी-बूटी एवं सब्जी आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत की गई सहायता का राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आरईजीपी के माध्यम से सृजित किए गए रोजगार का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के सहयोग से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र का क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। आरईजीपी के तहत पात्र उद्यमियों को 25 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों सहित जिसमें सब्जी तथा हर्बल उत्पाद आधारित उद्योग भी शामिल हैं, ग्रामोद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से ऋण तथा केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता (सब्सिडी) प्राप्त की जाती है।

(ग) आरईजीपी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना के लिए अनुमोदित अनुदान केवीआईसी को जारी किए जाते हैं जो बदले में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए बैंकों को निधियां (मार्जिन मनी सहायता हेतु) जारी करता है। आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योगों के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समूह, जिसमें सब्जी तथा हर्बल उत्पाद आधारित उद्योग भी शामिल हैं के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान प्रदत्त मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत अनुमानतः सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत ग्रामोद्योगों के कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समूह के लिए प्रदत्त मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्जिन मनी सहायता
1	2	3
1.	दिल्ली	4.84
2.	हरियाणा	256.92
3.	हिमाचल प्रदेश	234.58
4.	जम्मू-कश्मीर	172.42
5.	पंजाब	556.78
6.	राजस्थान	681.86
7.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.97

1	2	3
8.	बिहार	352.75
9.	झारखण्ड	50.23
10.	उड़ीसा	422.21
11.	पश्चिम बंगाल	907.34
12.	अरुणाचल प्रदेश	57.78
13.	असम	686.94
14.	मणिपुर	38.57
15.	मेघालय	56.32
16.	मिजोरम	417.44
17.	नागालैंड	37.31
18.	सिक्किम	60.58
19.	त्रिपुरा	39.55
20.	आंध्र प्रदेश	918.91
21.	कर्नाटक	969.70
22.	केरल	285.85
23.	पुडुचेरी	7.59
24.	तमिलनाडु	511.95
25.	गोवा	20.18
26.	गुजरात	82.86
27.	महाराष्ट्र	716.36
28.	छत्तीसगढ़	410.51
29.	मध्य प्रदेश	469.36
30.	उत्तराखण्ड	98.67
31.	उत्तर प्रदेश	1230.34
	कुल	10764.67

विवरण II

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	188	36	50
2.	दिल्ली	144	112	267
3.	हरियाणा	35691	26541	28339
4.	हिमाचल प्रदेश	12256	12276	17102
5.	जम्मू-कश्मीर	9406	18284	23274
6.	पंजाब	30665	16654	35604
7.	राजस्थान	38287	59596	44168

1	2	3	4	5
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	93	4495	323
9.	बिहार	5049	11445	12334
10.	झारखण्ड	6855	3756	7289
11.	उड़ीसा	15241	9670	16311
12.	पश्चिम बंगाल	36581	36853	42834
13.	अरुणाचल प्रदेश	1219	1857	2106
14.	असम	25768	49595	30912
15.	मणिपुर	1313	416	1881
16.	मेघालय	3789	1962	2174
17.	मिजोरम	5180	18255	16455
18.	नागालैंड	3851	5549	3358
19.	त्रिपुरा	3994	5616	5851
20.	सिक्किम	3227	1750	2208
21.	आंध्र प्रदेश	66463	66050	59750
22.	कर्नाटक	19478	27129	42420
23.	केरल	16434	30586	30144
24.	लक्षद्वीप	0	292	0
25.	पुडुचेरी	146	187	854
26.	तमिलनाडु	19159	20055	25216
27.	गोवा	1670	801	1389
28.	गुजरात	8581	17947	13520
29.	महाराष्ट्र	25040	30928	27182
30.	छत्तीसगढ़	18347	17348	17719
31.	मध्य प्रदेश	40539	15365	22332
32.	उत्तराखण्ड	10471	10948	10962
33.	उत्तर प्रदेश	64900	45322	51123
	कुल	530025	567676	595451

[हिन्दी]

ज्ञान सिटी की स्थापना

2493. श्री पंकज चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में युवाओं को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्थान पर उच्च शिक्षा के सभी उत्कृष्ट संस्थानों को लाकर एक ज्ञान सिटी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना कब तक आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस योजना पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों में मुस्लिमों की नियुक्ति

2494. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
श्री ए. साई प्रताप:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सच्चर समिति ने अर्द्धसैनिक बलों में मुस्लिम कोटा के संबंध में कुछ सिफारिशें दी हैं;

(घ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) 1.04.2007 से 30.09.2007 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती किए गए अल्पसंख्यकों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

बल	भर्ती अल्पसंख्यक
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	1,108
सीमा सुरक्षा बल	119
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	480
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	757
सशस्त्र सीमा बल	18
असम राईफल	532

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

अमरीकी व्यवसाय शिष्टमंडल का दौरा

2495. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी व्यवसाय शिष्टमंडल ने भारत में निवेश अवसरों का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया था जैसाकि दिनांक 23 सितम्बर, 2007 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की कुल कितनी राशि की प्रतिबद्धता की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) चालू वर्ष के दौरान निवेश तथा द्विपक्षीय व्यापार पर विचार-विमर्श करने तथा संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक अमरीकी व्यवसाय तथा सरकारी शिष्टमण्डलों ने भारत का दौरा किया है। अमरीकी शिष्टमण्डल द्वारा किये गये कुछ दौरों के ब्यौरों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

* दिनांक 12 फरवरी, 2007 को एशियन अमेरिकन होटल आनर्स एसोसिएशन से शिष्टमण्डल।

* दिनांक 23 फरवरी, 2007 को रोलिंस ग्रुप के चेयरमैन के नेतृत्व में यूएस इन्वेस्टर्स का शिष्टमण्डल।

* दिनांक 6 मार्च, 2007 को जे पी मोर्गन चेस एंड कंपनी के मिडवेस्ट क्षेत्र के चेयरमैन के नेतृत्व में शिष्टमण्डल।

* दिनांक 19 मार्च, 2007 को अमेरिकन बायो इण्डस्ट्री एलायंस से शिष्टमण्डल।

* दिनांक 15 फरवरी, 2007 को वाणिज्य उप सहायक सचिव के नेतृत्व में शिष्टमण्डल।

* दिनांक 13 अप्रैल, 2007 को इण्डो-यू एस ट्रेड पालिसी फोरेन मीटिंग में उपस्थित होने के लिए शिष्टमण्डल।

* दिनांक 4 मई, 2007 को बे एरिया इकोनोमिक फोरम, यू एस ए से शिष्टमण्डल।

* दिनांक 20 जून, 2007 को सिटी ग्रुप तथा पेरी केपिटल का शिष्टमण्डल।

* दिनांक 21 जून, 2007 को सिटी ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट के नेतृत्व में शिष्टमण्डल।

* सितम्बर, 2007 में इण्डो-अमेरिकन चेम्बर आफ कामर्स द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए विभिन्न अमेरिकन कंपनियों से शिष्टमण्डल।

* दिनांक 13 सितम्बर, 2007 को हर्राह एन्टरटेनमेंट इंक, यू एस ए का शिष्टमण्डल।

* दिनांक 22 अक्तूबर, 2007 को एसोसिएशन आफ मेन्यूफेक्चरिंग टेक्नालोजी, यू एस ए से शिष्टमण्डल।

* दिनांक 29 अक्तूबर, 2007 को गवर्नर, स्टेट आफ उटाह, यू एस ए के नेतृत्व में शिष्टमण्डल।

* दिनांक 18 अक्तूबर, 2007 को प्रेसीडेंट एंड सी ई ओ, बायोजन इंक, के नेतृत्व में शिष्टमण्डल।

* 20 से 27 अक्तूबर, 2007 के दौरान गवर्नर, स्टेट आफ मिनेसोटा के नेतृत्व में शिष्टमण्डल।

(ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन व्यावसायिक शिष्टमण्डलों ने भारत में निवेश तथा व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय व्यापार हाउसिस के साथ विचार-विमर्श किया। इस अवस्था पर, इन दौरों से एफडीआई अन्तर्वाहों की मात्रा बताना संभव नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान यू एस ए से प्राप्त वास्तविक एफ डी आई निम्नानुसार है:-

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-अगस्त)
एफ डी आई अन्तर्वाह (अमेरिकी मिलियन डालर)	669	502	856	396

मृत्यु एवं आत्महत्या के मामलों संबंधी एनसीआरबी रिपोर्ट

2496. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) देश में दुर्घटना से मृत्यु, आत्महत्या तथा किसानों द्वारा आत्महत्या से संबंधित आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एनसीआरबी द्वारा रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों की अलग-अलग राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या एनसीआरबी के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं वास्तविक आत्महत्या से कम हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) किसानों द्वारा आत्महत्या की पहचान के लिए राज्य-स्तर पर क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(च) किसान आत्महत्या की श्रेणी में महिलाओं एवं काश्तकारों सहित ऐसे मामलों के संबंध में वास्तविक आंकड़े रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी, हां। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) ''भारत में दुर्घटना में हुई मौतें एवं आत्महत्यायें'' शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो देश में दुर्घटनाओं और आत्महत्याओं के कारण मानव जीवन की क्षति के आंकड़ों का संग्रह होता है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय अभिलेख ब्यूरो को यथासूचित वर्ष 2004 से 2006 के दौरान राज्य/संघ राज्य-वार और लिंग वार दुर्घटनात्मक मौतों, आत्महत्याओं और किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I से III में दिया गया है।

(ग) और (घ) एन सी आर बी कोई अनुमानित आंकड़े नहीं रखता है। किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं सहित आत्महत्याओं का विवरण एन सी आर बी को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दिया जाता है। एन सी आर बी अपने अधिदेश के अनुरूप आंकड़े संकलित करता है।

(ङ) और (च) एन सी आर बी की वार्षिक रिपोर्ट "भारत में दुर्घटना में हुई मौतें एवं आत्महत्यायें" के लिए, किसानों की आत्महत्याओं पर लिंगवार आंकड़ों सहित, आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित एक प्रपत्र में भेजे जाते हैं।

विवरण I

2004-2006 के दौरान हुई दुर्घटनात्मक मौतों की राज्य/संघ राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2004			2005			2006*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	17216	4813	22029	18589	5643	24232	21810	5977	27787
2.	अरुणाचल प्रदेश	241	66	307	228	27	255	265	21	286
3.	असम	2215	709	2924	2413	589	3002	2976	954	3930
4.	बिहार	4136	1591	5727	4184	1417	5601	4753	1739	6492
5.	छत्तीसगढ़	8187	3112	11299	8985	3168	12153	9096	3348	12444
6.	गोवा	940	173	1113	924	165	1089	1052	166	1218
7.	गुजरात	12972	4301	17273	14870	4696	19766	15338	5177	20515
8.	हरियाणा	6643	1190	7833	6642	1207	7849	8102	1483	9585
9.	हिमाचल प्रदेश	1687	288	1975	1901	341	2242	1778	396	2174
10.	जम्मू-कश्मीर	1659	315	1974	1781	724	2505	1663	495	2158
11.	झारखण्ड	1064	533	1597	2931	981	3912	3372	1082	4454
12.	कर्नाटक	11936	3713	15649	14386	4088	18474	16196	4397	20593
13.	केरल	6581	1488	8069	6822	1465	8287	7542	1438	8980
14.	मध्य प्रदेश	17855	7681	25536	19660	8388	28048	20696	8831	29527
15.	महाराष्ट्र	39090	12414	51504	39333	13316	52649	43275	13828	57103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	187	26	213	217	41	258	201	47	248
17.	मेघालय	220	33	253	217	47	264	224	42	266
18.	मिजोरम	103	32	135	118	33	151	183	22	205
19.	नागालैंड	67	15	82	55	10	65	85	8	93
20.	उड़ीसा	5975	2297	8272	6349	2282	8631	6713	2442	9155
21.	पंजाब	4781	1232	6013	4812	836	5648	5734	1052	6786
22.	राजस्थान	13689	3798	17487	13711	3426	17137	14598	4345	18943
23.	सिक्किम	143	48	191	208	35	243	185	58	243
24.	तमिलनाडु	14982	5240	20222	17070	4884	21954	17946	5553	23499
25.	त्रिपुरा	394	258	652	392	215	607	427	192	619
26.	उत्तर प्रदेश	19054	5112	24166	19296	4829	24125	19604	5429	25033
27.	उत्तरांचल	1438	289	1727	1405	315	1720	1502	353	1855
28.	पश्चिम बंगाल	8920	3488	12408	8570	3030	11600	8311	3020	11331
	कुल (राज्य)	202375	64255	266630	216069	66398	282467	233627	71895	305522
	संघ शासित क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	902	933	1835	1436	1422	2858	143	44	187
30.	चंडीगढ़	292	70	362	262	80	342	248	59	307
31.	दादरा और नगर हवेली	156	29	185	188	31	219	173	47	220
32.	दमन और दीव	74	13	87	88	12	100	98	16	114
33.	दिल्ली (संघ शासित)	5619	1304	6923	6068	1303	7371	6213	1309	7522
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	2	1	3	4	2	6
35.	पाण्डिचेरी	772	469	1241	693	122	815	704	122	826
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	7815	2818	10633	8737	2971	11708	7583	1599	9182
	कुल (अखिल भारत)	210190	67073	277263	224806	69369	294175	241210	73494	314704

*अनंतिम आंकड़े

स्रोत: भारत में दुर्घटना में हुई मौतें एवं आत्महत्याएं।

विवरण II

2004-2006 के दौरान हुई आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2004			2005			2006*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	9082	4444	13526	8865	4577	13442	8863	4413	13276
2.	अरुणाचल प्रदेश	49	30	79	49	21	70	96	33	129
3.	असम	1945	894	2839	1951	895	·2846	2116	915	3031
4.	बिहार	212	139	351	327	216	543	299	319	618
5.	छत्तीसगढ़	2986	1509	4495	3305	1576	4881	3060	1566	4626
6.	गोवा	212	102	314	197	85	282	183	92	275
7.	गुजरात	2850	1926	4776	2902	1863	4765	3048	1987	5035
8.	हरियाणा	1454	628	2082	1493	553	2046	1766	550	2316
9.	हिमाचल प्रदेश	236	135	371	214	145	359	301	156	457
10.	जम्मू-कश्मीर	51	61	112	196	98	294	152	110	262
11.	झारखण्ड	233	184	417	523	285	808	521	335	856
12.	कर्नाटक	8018	3919	11937	7707	3850	11557	8048	4164	12212
13.	केरल	6598	2455	9053	6830	2414	9244	6583	2443	9026
14.	मध्य प्रदेश	3634	3161	6795	2851	2597	5448	3503	2932	6435
15.	महाराष्ट्र	9903	4826	14729	9603	4823	14426	10510	4984	15494
16.	मणिपुर	32	9	41	23	4	27	24	12	36
17.	मेघालय	39	16	55	50	21	71	69	23	92
18.	मिजोरम	53	7	60	47	8	55	60	10	70
19.	नागालैंड	25	6	31	21	6	27	19	9	28
20.	उड़ीसा	2544	1671	4215	2554	1654	4208	2373	1692	4065
21.	पंजाब	516	129	645	482	106	588	610	162	772
22.	राजस्थान	2486	1239	3725	2858	1320	4178	2910	1353	4263
23.	सिक्किम	56	42	98	62	47	109	98	47	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	तमिलनाडु	7946	4893	12839	7507	4569	12076	7509	4872	12381
25.	त्रिपुरा	433	337	770	401	314	715	428	337	765
26.	उत्तर प्रदेश	1954	1683	3637	1772	1677	3449	1761	1338	3099
27.	उत्तरांचल	148	89	237	180	93	273	173	153	326
28.	पश्चिम बंगाल	7661	5763	13424	8614	6401	15015	9120	6605	15725
	कुल (राज्य)	71356	40297	111653	71584	40218	111802	74203	41612	115815
	संघ शासित क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	81	41	122	86	53	139	96	37	133
30.	चंडीगढ़	52	23	75	63	26	89	56	24	80
31.	दादरा और नगर हवेली	20	19	39	41	28	69	23	19	42
32.	दमन और दीव	5	8	13	25	7	32	14	8	22
33.	दिल्ली (संघ शासित)	799	457	1256	777	468	1245	960	532	1492
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	1	1	2
35.	पाण्डिचेरी	338	201	539	340	198	538	349	177	526
	कुल (संघ शासित)	1295	749	2044	1332	780	2112	1499	798	2297
	कुल (अखिल भारत)	72651	41046	113697	72916	40998	113914	75702	42410	118112

*अनंतिम आंकड़े

स्रोत: भारत में दुर्घटना में हुई मौतें एवं आत्महत्याएं।

विवरण III

2004-2006 के दौरान किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	2004			2005			2006*		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2218	448	2666	2017	473	2490	2000	607	2607
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	4	20	18	7	25	4	0	4
3.	असम	316	15	331	256	43	299	295	27	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	23	0	23	32	7	39	38	8	46
5.	छत्तीसगढ़	1213	182	1395	1200	212	1412	1212	271	1483
6.	गोवा	7	1	8	10	1	11	5	0	5
7.	गुजरात	452	71	523	519	96	615	411	76	487
8.	हरियाणा	144	16	160	128	12	140	181	9	190
9.	हिमाचल प्रदेश	43	9	52	20	0	20	22	0	22
10.	जम्मू-कश्मीर	1	0	1	1	1	2	30	4	34
11.	झारखण्ड	21	0	21	124	0	124	103	0	103
12.	कर्नाटक	1706	257	1963	1663	220	1883	1450	270	1720
13.	केरल	860	43	903	1073	45	1118	1028	96	1124
14.	मध्य प्रदेश	1347	291	1638	1055	193	1248	1178	197	1375
15.	महाराष्ट्र	3799	348	4147	3638	288	3926	4111	342	4453
16.	मणिपुर	2	0	2	2	0	2	0	0	0
17.	मेघालय	11	0	11	4	0	4	3	0	3
18.	मिजोरम	2	0	2	0	0	0	1	0	1
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	1	1	2
20.	उड़ीसा	299	80	379	204	50	254	241	42	283
21.	पंजाब	73	1	74	47	0	47	85	0	85
22.	राजस्थान	675	74	749	436	25	461	356	39	395
23.	सिक्किम	30	19	49	34	7	41	27	8	35
24.	तमिलनाडु	1297	302	1599	1002	253	1255	342	84	426
25.	त्रिपुरा	15	0	15	29	0	29	7	0	7
26.	उत्तर प्रदेश	401	95	496	422	100	522	346	65	411
27.	उत्तरांचल	18	4	22	15	9	24	33	18	51
28.	पश्चिम बंगाल	797	25	822	853	112	965	963	226	1189
	कुल (राज्य)	15786	2285	18071	14802	2154	16956	14473	2390	16863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	संघ शासित क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	0	3	7	1	8	6	0	6
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	7	0	7	13	0	13	12	0	12
32.	दमन और दीव	2	0	2	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली (संघ शासित)	12	1	13	7	0	7	3	0	3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	119	26	145	144	3	147	169	6	175
	कुल (संघ शासित)	143	27	170	171	4	175	• 191	6	197
	कुल (अखिल भारत)	15929	2312	18241	14973	2158	17131	14664	2396	17060

*अनंतिम आंकड़े

स्रोत: भारत में दुर्घटना में हुई मौतें एवं आत्महत्याएं।

[हिन्दी]

एल्युमिनियम का उत्पादन

2497. श्री टेकलाल महतो: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एल्युमिनियम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में एल्युमीनियम की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक एल्युमीनियम के उत्पादन का सरकारी एवं निजी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) देश में प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एल्युमिनियम उत्पादन की उनकी वर्तमान संस्थापित क्षमता और पूर्वानुमानित क्षमता निम्नानुसार होगी:-

कंपनी का नाम	वर्तमान में संस्थापित क्षमता (मीट्रिक टन)	11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्वानुमानित क्षमना (मीट्रिक टन)
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	3,45,000	4,60,000
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)	3,45,000	10,00,000
मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (मालको)	38,000	38,000
हिण्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4,61,000	15,00,000
कुल	11,89,000	29,98,000

(ख) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), सार्वजनिक क्षेत्र की एक मात्र कंपनी है जो प्राथमिक एल्युमिनियम का उत्पादन कर रही है। संबंधित कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों से आज तक प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियों के द्वारा उत्पादित एल्युमिनियम की कुल मात्रा निम्नानुसार है:-

कंपनी का नाम	उत्पादन मीट्रिक टन में (एमटी)			
	2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल-अक्तूबर, 2007#
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	3,38,483	3,58,954	3,58,734	2,08,847
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको)	1,00,272	1,60,155	3,13,189	2,10,953
मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (मालको)	35,649	36,718	37,652	21,917
हिण्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4,09,068	4,29,140	4,42,686	2,75,505
कुल	8,83,472	9,84,967	11,52,261	7,17,222

#अनंतिम आंकड़े

जेल प्रशासन हेतु प्रशासनिक सुधार संस्थान की स्थापना

2498. **श्री हेमलाल मुर्मु:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जेल प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सहायता से प्रशासनिक सुधार संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी निधियां आवंटित की गई/उपयोग की गई;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक जेल प्रशासन के विरुद्ध निष्क्रियता, अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए;

(घ) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न जेलों में सुरंग खोदे जाने की घटना प्रकाश में आई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी जेल प्रशासन के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के तहत कारागार राज्य का विषय है। कारागार प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेवारी मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों की होती है। यह आंकड़ा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) अभी हाल ही में, मेरठ जेल में सुरंग खोदने की घटना ध्यान में आई है। प्रारम्भिक जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वार्डरों, एक हैड वार्डर और 1 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया है। कारागार जेलर और उप महानिरीक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो गयी है और राज्य सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों को जेलों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने और इस संबंध में एहतियाती उपाय किए जाने की सलाह देती रहती है।

खाद्यान्नों का आयात

2499. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के कुछ उपबंधों के कारण खाद्यान्नों का आयात करने वाले देशों को अपने बाजारों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोलना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गेहूं उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) जी, नहीं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) करारों के अंतर्गत खाद्यान्नों के आयात हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बाजार खोलने के बारे में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं। कृषि संबंधी वार्ताओं में भारत की प्रमुख वरीयताओं में से एक वरीयता विकासशील देशों को उनके कम आय वाले और संसाधनहीन कृषकों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने में समर्थ बनाने की रही है। विकासशील सदस्य देशों के पास खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास के मानदण्डों पर आधारित संकेतकों द्वारा निर्देशित विशेष उत्पादों (एसपी) के रूप में एक उपयुक्त संख्या में टैरिफ लाइनों को निर्दिष्ट करने की लोचशीलता भी होगी।

[अनुवाद]

लापता सुरक्षा कार्मिक

2500. श्री अबु अयीश मंडल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में लापता केंद्रीय सुरक्षा कार्मिकों के बारे में कोई सूचना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बल-वार कितने मामले दर्ज किए गए तथा कितने कार्मिकों का पता लगाया गया;

(ग) क्या सरकार ने पुलिस द्वारा उनकी ड्यूटी अवधि के दौरान सामना किए जाने वाले मानसिक दबाव के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लापता कार्मिकों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के लापता कार्मिकों के मामलों तथा पता लगाए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

बल	के दौरान दर्ज लापता कार्मिकों के मामले			पता लगाए गए मामले (वर्ष)
	2005	2006	2007	
सीआरपीएफ	शून्य	01	शून्य	शून्य
बीएसएफ	02	04	01	शून्य
सीआईएसएफ	02	02	03	02 (2007)
आईटीबीपी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एसएसबी	04	शून्य	04	शून्य
असम राइफल्स	शून्य	01	शून्य	शून्य
एनएसजी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मामले संबंधित राज्य पुलिस के पास दर्ज हैं तथा इन पर नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।

(2) सीपीएमएफ कार्मिकों के बीच कराए गए अध्ययन से परिवार से अलगाव, उच्च क्रियाशीलता, जीवन को लगातार जोखिम, लम्बे ड्यूटी घंटे आदि मानसिक तनाव के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक हैं। तनाव को कम करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किए गए उपाय हैं: बेहतर आवास सुविधा, पारदर्शी अवकाश नीति, कमांडरों/अधिकारियों और टुकड़ियों के बीच औपचारिक तथा

अनौपचारिक नियमित वार्तालाप, शिकायत निवारण मशीनरी को पुनः नवीकृत करना, टेलीफोन सुविधाओं, मनोरंजन और खेल सुविधाओं, श्रेष्ठ स्वास्थ्य देखभाल, सुविधाएं, योग कक्षाओं आदि का प्रावधान।

उच्च शिक्षा संबंधी नई नीति का निर्माण

2501. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री गणेश सिंह:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री के.एस. राव:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या की पुनर्संरचना सुनिश्चित करने, सेमेस्टर प्रणाली अपनाने, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सब्सिडी प्राप्त भूमि पर प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए एक नई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में उच्च स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कितनी निधियों की आवश्यकता है और कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) 11वीं योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात विकास हेतु संस्थानों के आवंटन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने के पात्र विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है जिसके साथ वे उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अकादमिक सुधार शुरू कर सके और सुलभता और समानता संबंधी समस्याओं को दूर कर सकें।

अल-बदर की धमकियां

2502. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के, विशेषकर हरियाणा के धार्मिक स्थलों, मेलों/समारोह स्थलों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमलों के बारे में अल-बदर द्वारा दी गई चेतावनी की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी धमकियों का मुकाबला करने तथा देश में आतंकवादी समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं। देश के विशेषकर हरियाणा के धार्मिक स्थलों, मेलों/समारोह स्थलों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले किए जाने के बारे में अल-बदर द्वारा जारी की गई चेतावनी के संबंध में कोई विशेष इनपुट नहीं है। तथापि, मैसूर में गिरफ्तार अल-बदर के दो आतंकवादियों ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों/संस्थानों पर हमले की योजना का खुलासा किया है। आतंकवादी तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों, बड़े प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण भवनों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बहु परिवहन प्रणालियों आदि पर हमला किए जाने की संभावना के बारे में सूचना समय-समय पर प्राप्त होती रहती है और राज्यों को भी इससे सूचित किया जाता है।

(ग) सरकार आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ता से वचनबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों के साथ सघन समन्वय से एक बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है जिसमें शामिल हैं सीमापार से घुसपैठ रोकने के लिए उपाय करना, आतंकवादी हिंसा सम्भावित क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती करना, संवेदनशील क्षेत्रों और बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों के आसपास चौकसी करना और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों का सुदृढ़ीकरण और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए उनकी क्षमता का उन्नयन करना और इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन आदि। आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से पारस्परिक विधिक सहायता, प्रत्यर्पण संधियों की व्यवस्था, सूचना एवं आसूचना के आदान-प्रदान के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

विज्ञापन उद्योग की वृद्धि

2503. **श्री सूरज सिंह:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों में देश के विज्ञापन उद्योग में उच्च वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किए गए कारोबार का कुल मूल्य कितना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार की विकासात्मक योजनाओं तथा नीतियों के संबंध में जनता में सूचना के प्रसार हेतु नोडल मंत्रालय है। इस मंत्रालय का माध्यम एकक-विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की संचार संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन देश भर के सारे विज्ञापन उद्योग के संबंध में सूचना इस मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

राज्य विश्वविद्यालयों को निधियों का आवंटन

2504. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य विश्वविद्यालयों को निधियों के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम अनुदान मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(घ) राज्य विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें अनुदान में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें धारा 2(च) के तहत शामिल किया गया है और जिन्हें विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता के लिए अनुमोदित प्रणाली के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2बी के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों को पंचवर्षीय योजनाओं के तहत अनुदानों का आवंटन विधिवत रूप से गठित विशेषज्ञ समितियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर आधारित होता है। चूंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का अनुरक्षण केन्द्र का उत्तरदायित्व है तथा राज्य विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए निधियन के आवंटन की तुलना राज्य विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता से नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

लुक ईस्ट पालिसी

2505. श्री तापिर गाव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "लुक ईस्ट पालिसी" के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सीमा-व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस नीति के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार के आरंभ होने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से म्यांमार तथा चीन के साथ सीमा व्यापार खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत की "लुक ईस्ट नीति" के अनुसरण में भारत ने सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए हैं और वह आसियान के साथ सीईसीए तथा थाइलैंड के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर वार्ता कर रहा है।

भारत और म्यांमार के बीच 21.1.94 को सीमा व्यापार संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे 12.4.95 से लागू किया गया था। इस करार में यह परिकल्पना की गयी है कि शुरूआत में मणिपुर में मोरेह एवं मिजोरम में चम्पई स्थित सीमाशुल्क चौकियों तथा म्यांमार में तदनुरूपी तमू एवं रही के जरिए सीमा व्यापार किया जाएगा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीमा व्यापार की मात्रा निम्नानुसार है:-

(मूल्य: लाख रुपए में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2002-03	392.20	1262.10	1654.30
2003-04	985.30	884.50	1939.80
2004-05	584.70	490.98	1075.68
2005-06	387	521	908
2006-07	613	269	882

(ग) से (ङ) म्यांमार के साथ व्यापार करने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर तीन अनुमोदित भू-सीमाशुल्क केन्द्र अर्थात मोरेह (मणिपुर), चम्पई (मिजोरम) तथा नाम्पौंग (अरुणाचल प्रदेश) हैं। तथापि, सीमा व्यापार के लिए मोरेह स्थित केवल एक सीमाशुल्क चौकी ही प्रचालनरत है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का निर्यात

2506. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार खाद्यान्न बाजार में देश का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के घटते निर्यात के परिणामस्वरूप इस बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व व्यापार संगठन की खुला बाजार नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) वर्ष 2005 में वैश्विक खाद्यान्न निर्यात में भारत का हिस्सा (खाद्य कृषि संगठन के अनुसार) 0.7% रहा था। वैश्विक खाद्यान्न निर्यात में प्रतिशत हिस्सा कम रहने का कारण उच्च घरेलू खपत और देश में ही खाद्यान्नों की उच्च कीमतें रहा है। तथापि, भारत सरकार ने प्रीमियम बासमती चावल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु अनेक पहलें की हैं। यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे अनेक प्रमुख गंतव्यों में वैट सैम्पलिंग और गिफ्ट पाउचों द्वारा संवर्धनात्मक प्रक्रिया शुरू की गई है। यूरोपीय संघ के बाजार हेतु डीएनए परीक्षण की जरूरत को पूरा करने के लिए सेंटर फार डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक, हैदराबाद में बासमती चावल के डीएनए परीक्षण के लिए एक विशिष्ट सुविधा सृजित की गई है। बासमती चावल के फसल पूर्व और फसल पश्चात प्रबंधन के लिए संपूर्ण अधिदेश के साथ मोदीपुरम, मेरठ में एक बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है।

(घ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में कृषि संबंधी वार्ताओं में भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता विकसित देशों में कृषि उत्पादों में घरेलू सहायता और टैरिफ में पर्याप्त और प्रभावी कटौती करवाना है। इसके अलावा वह विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली निर्यात सब्सिडियों की समाप्ति को लक्ष्य बना रहा है। इससे हमारे कृषि निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। वैश्विक बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार भी अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास, बाजार विकास और परिवहन सहायता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

बांगलादेश में हुजी आतंकवादी

2507. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कुछ ऐसे हुजी आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए बांग्लादेश सरकार से सहयोग मांग रही है जिनके वहां छिपे होने का संदेह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सरकार ने पड़ोसी देशों से भारत विरोधी तत्वों के साथ-साथ आतंकवादी गुटों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए बंगलादेशी भूमि के प्रयोग से संबंधित मामले को बंगलादेश सरकार के साथ उठाया है। बंगलादेश सरकार ने उच्चस्तर पर आश्वस्त किया है कि उनकी भूमि को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए

प्रयोग नहीं होने देगा। भारत सरकार उनके आश्वासन को पूरा किए जाने के बारे में ठोस और सतत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता पर जोर दे रही है।

[हिन्दी]

अल्पावधिक कम्प्यूटर आपरेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

2508. श्री सुभाष महरिया:
श्री रामदास आठवले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य को विश्व बैंक परियोजना की नियमित शिक्षा योजना के अंतर्गत अल्पावधिक कम्प्यूटर आपरेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए निधियों का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने अभ्यर्थियों को अल्पावधिक कम्प्यूटर आपरेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(घ) क्या कम्प्यूटर आपरेटर प्रशिक्षण के लिए नामांकन में विशेषकर ग्रामीण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के नामांकन में कोई अनियमितताएं हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) इस मंत्रालय ने महाराष्ट्र, राजस्थान राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों सहित राज्य सरकारों को विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत अल्पावधिक कम्प्यूटर आपरेटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए निधियां आबंटित नहीं की हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न

2509. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री अनन्त नायक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत कितना वित्तीय आवंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात वित्तपोषण के प्रावधान में परिवर्तन करने का है;

(ग) क्या कई राज्य सरकारें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी वित्तपोषण के विद्यमान प्रावधान की लगातार मांग कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्यों की मांगें सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया गया व्यय क्रमशः 576.46 करोड़ रुपए तथा 27896.25 करोड़ रु. था।

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी सर्व शिक्षा अभियान के लिए दसवीं योजना के निधीयन पैटर्न को जारी रखने का अनुरोध किया है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान तथा उसके पश्चात सर्व शिक्षा अभियान के लिए निधीयन पैटर्न में भारत सरकार द्वारा निम्नवत् संशोधन किया गया है:-

(1) *पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए:—* केन्द्र सरकार तथा राज्यों के बीच निधीयन पैटर्न ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए 65:35, तीसरे वर्ष अर्थात् 2009-10 के लिए 60:40 तथा चौथे वर्ष अर्थात् 2010-11 के लिए 55:45 तथा 2011-12 से आगे की अवधि के लिए 50:50 होगा।

(2) *आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए:—* आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम के तहत केन्द्र और राज्यों के बीच निधियों का शेयरिंग पैटर्न 90:10 होगा, इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित 10% हिस्से में से होगा।

भारतीय उद्योग संबंधी प्रदर्शनियों का आयोजन

2510. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ देशों में भारतीय उद्योग संबंधी प्रदर्शनी का आयोजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितने स्टाल लगाए जाएंगे तथा कौन-कौन से विभाग भाग लेंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) आईटीपीओ विभिन्न देशों में होने वाली प्रदर्शनियों में भारतीय उद्योगों की भागीदारी की व्यवस्था करता है। चालू वर्ष और अगले वर्ष में इनका आयोजन अमरीका, ब्राजील, मैक्सिको, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, यूनान, जर्मनी, स्विटजरलैंड, रूस, लीबिया, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, जापान, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया आदि में करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रत्येक वर्ष लगभग 800 भारतीय कम्पनियां/संगठन विभिन्न मेलों में भागीदारी करते हैं। अलग-अलग मेलों में कम्पनियों की भागीदारी उत्पाद क्षेत्र और मेले की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। निजी कम्पनियों और उद्योग एसोसिएशनों के अलावा भागीदारों में सरकार, मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निर्यात संवर्धन परिषदें और वस्तु बोर्ड शामिल हैं। भागीदारों, स्टालों और सरकारी विभागों की संख्या प्रत्येक आयोजन में भिन्न-भिन्न होती है और इसकी पुष्टि आम-तौर पर मेले से दो सप्ताह पहले की जाती है।

[अनुवाद]

अधिमानी व्यापार समझौता

2511. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दक्षिण अफ्रीका तथा मर्कोसुर जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरूग्वे एवं पराग्वे शामिल हैं, के साथ अधिमानी व्यापार समझौते (पीटीए) के लिए तकनीकी वार्ता शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय भेषज कम्पनियों तथा बैंकों को दक्षिण अफ्रीका में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दक्षिण अफ्रीका तथा ब्राजील के बाजार में भारतीय कम्पनियों को महत्वपूर्ण पहुंच प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमाशुल्क संघ (एसएसीयू), जिसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्स्वाना, लेसोथो, नामीबिया और स्वाजीलैंड शामिल हैं, के बीच अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) हेतु प्रथम दौर की वार्ताएं 5-6 अक्तूबर, 2007 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुई थीं। यह बातचीत सम्पूर्ण एसएसीयू के साथ पीटीए हेतु की जा रही है, न कि विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका के साथ पीटीए के लिए।

भारत और मर्कोसुर, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे एवं उरूग्वे शामिल हैं, के बीच अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) हेतु वार्ताएं सम्पन्न हो गई हैं। भारत-मर्कोसुर पीटीए एवं उसके अनुबंधों पर क्रमशः 25 जनवरी, 2004 और 19 मार्च, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। मर्कोसुर देशों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन के पश्चात यह करार लागू हो जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय भेषज कम्पनियों ने स्थानीय प्राधिकरणों के पास अपने डोजियरों के पंजीकरणों हेतु लम्बी प्रक्रिया की ओर संकेत किया है, जिसका सामना दूसरे देशों की कम्पनियों को भी करना होता है।

(ङ) 31 मार्च, 2002 से सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका सहित अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने की अनिवार्यता के मद्देनजर की गई पहलों में से एक पहल के रूप में "फोकस अफ्रीका" कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसी प्रकार, वर्ष 1997 से सरकार ने ब्राजील सहित लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में बाजार पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक समेकित "फोकस: एलएसी" कार्यक्रम शुरू किया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यापार संवर्धन के प्रयासों में शामिल संगठनों को जागरूक और जिम्मेदार बनाना है ताकि वे लक्षित फोकस क्षेत्रों में अपने निर्यात संवर्धन कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें एवं उनमें तेजी ला सकें।

केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

2512. श्री एस. अजय कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने बच्चों का केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन चाहने की घटती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार केन्द्रीय विद्यालयों में सामान्य श्रेणी कोटा में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने निम्नलिखित सहित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कई कदम उठाए हैं (1) अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, (2) स्कूलों का नियमित निरीक्षण, (3) पर्याप्त अध्यापन-अध्ययन सामग्री तथा संसाधनों का प्रावधान, (4) अध्यापन तथा अध्ययन आदि में आई.सी.टी. का प्रयोग।

(घ) और (ङ) दाखिला मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारियों या अन्य उच्च श्रेणी के पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध नहीं होते तो सामान्य श्रेणी की सीटों में स्वतः ही वृद्धि हो जाएगी।

लौह-अयस्क का निर्यात

2513. डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे.एम. आरून रशीद:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन दशकों के दौरान लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि से इस्पात आयात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात के व्यापक स्तर पर आयात में कमी लाने के लिए घरेलू इस्पात निर्माताओं को खनिज संसाधन आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस्पात का आयात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निर्यात-आयात नीति से नियंत्रित होता है। देश में लौह अयस्क के पर्याप्त संसाधन हैं। राज्य सरकारें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार लौह अयस्क की रियायत सहित खनिज रियायत प्रदान करती हैं।

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति

2514. श्री कीरेन रिजीजू: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा रोजगार प्रदान करने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त उपलब्धियों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान के.वी.आई.सी. द्वारा जारी धनराशि का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछड़ रहे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान खादी के संबंध में खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा उत्पादन बढ़ाने और रोजगार प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत ग्रामोद्योगों के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV में दिया गया है।

(ख) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान केवीआईसी द्वारा जारी निधियों का राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(ग) 2006-07 के दौरान आरईजीपी के तहत निर्धारित रोजगार का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया था। केवीआईसी राज्यों

और संघ शासित प्रदेशों में योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा आयोजित करता है। केवीआईसी द्वारा नियमित आधार पर इसके फील्ड अधिकारियों को बुलाकर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों की अलग-अलग समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थी। मांग की पूर्ति के लिए तथा फील्ड कार्यालयों में व्यय न किए गए शेष को समायोजित करने के लिए भी लक्ष्यों की वास्तविक परियोजना लागत के आधार पर समीक्षा की जाती थी जिससे कि फील्ड के लिए प्राप्त की गई निधियों का उचित रूप से उपयोग किया जा सके। विभिन्न बैंकों में संस्वीकृति के लिए अनुमानतः 4,771 परियोजनाएं लंबित हैं जिसमें लगभग 64.62 करोड़ रु. की मार्जिन मनी शामिल है। केवीआईसी के राज्य एवं प्रभागीय कार्यालय परियोजनाओं की संस्वीकृति में तेजी लाने के उद्देश्य से मामले पर बैंकों के साथ विचार करता है। केवीआईसी राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों तथा बैंकों की परियोजना वित्तीयन शाखाओं के प्रमुख जिला प्रबन्धकों के साथ संयुक्त रूप से नियमित आधार पर राज्य स्तर की समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए भी पहलें करता है। इस प्रकार की समीक्षाएं प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं ताकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। ऐसी बैठकों में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियत लक्ष्यों की प्राप्ति जैसी मुद्दों को भी उठाया जाता है। उपरोक्त कदमों के अलावा केवीआईसी परियोजना प्रस्तावों को शार्टलिस्ट करने, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने तथा परियोजनाओं की तैयारी में उद्यमियों की सहायता करने/दिशानिर्देश देने तथा उन्हें बैंकों को विचार करने हेतु भेजने के लिए प्रत्येक राज्य में स्थानीय समितियां भी गठित करता है।

विवरण I

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान खादी उत्पादन के लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)			उपलब्धि (संख्या)		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.35	0.35	0.36	0.34	0.35	0.35
2.	दिल्ली	158.00	160.00	172.97	156.57	154.25	179.54
3.	हरियाणा	3000.00	3450.00	3442.03	2940.77	3358.08	3687.01
4.	हिमाचल प्रदेश	292.00	330.00	331.69	294.66	323.6	356.50
5.	जम्मू-कश्मीर	800.00	720.00	718.42	836.02	700.9	719.54
6.	पंजाब	1090.00	1025.00	1031.08	1106.6	1005.93	1009.25
7.	राजस्थान	2700.00	2750.00	2798.96	2777.49	2730.69	2887.99
8.	बिहार	800.00	675.00	677.07	842.05	660.56	764.26
9.	झारखण्ड	275.00	300.00	305.77	278.11	298.31	311.78
10.	उड़ीसा	265.00	230.00	231.07	262.75	228.36	251.99
11.	पश्चिम बंगाल	4650.00	4850.00	4912.62	4582.55	4792.8	4855.40
12.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	6.00	6.11	5.88	5.96	6.76
13.	असम	450.00	480.00	485.48	443.98	473.64	490.86

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	58.50	56.50	57.22	59.20	55.82	62.50
15.	मेघालय	4.50	4.15	4.18	4.65	4.08	4.21
16.	मिजोरम	55.00	60.00	60.30	58.83	58.83	59.82
17.	नागालैंड	43.00	73.00	73.80	42.75	72.00	74.85
18.	त्रिपुरा	8.00	8.30	8.33	4.02	8.13	8.16
19.	सिक्किम	4.00	4.00	4.04	9.37	3.94	6.28
20.	आंध्र प्रदेश	1560.00	1530.00	1554.35	1612.69	1516.44	1539.84
21.	कर्नाटक	3375.00	3400.00	3386.51	3404.07	3303.91	3445.66
22.	केरल	1100.00	1200.00	1219.84	1004.01	1190.09	1512.22
23.	पुडुचेरी	12.00	5.40	5.44	12.79	5.31	6.56
24.	तमिलनाडु	5600.00	5750.00	5748.25	5595.67	5608.05	6245.36
25.	गुजरात	2700.00	2850.00	2851.15	2783.8	2781.61	2908.33
26.	महाराष्ट्र	280.00	290.00	291.20	284.10	284.10	292.18
27.	छत्तीसगढ़	740.00	760.00	772.41	784.81	753.57	697.50
28.	मध्य प्रदेश	500.00	550.00	562.85	491.60	549.12	561.37
29.	उत्तराखण्ड	1050.00	1090.00	1087.69	1057.63	1061.16	1051.67
30.	उत्तर प्रदेश	14500.00	15500.00	15706.75	14416.3	14840.73	15153.60
	कुल	46076.35	48107.7	48507.94	46154.06	46830.32	49151.34

विवरण II

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान खादी में रोजगार के लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)			उपलब्धि (संख्या)		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	50	54	56	56	56	58
2.	दिल्ली	3850	3950	3955	3919	3935	3953
3.	हरियाणा	38000	38100	38122	37809	37932	37998

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	हिमाचल प्रदेश	7900	8000	7837	7786	7798	7798
5.	जम्मू-कश्मीर	23500	23800	23748	24429	23630	23908
6.	पंजाब	42500	42050	42064	42673	41855	41710
7.	राजस्थान	60000	60500	60595	60320	60294	61177
8.	बिहार	102000	102105	102169	101761	101661	102828
9.	झारखण्ड	3000	3100	3215	3148	3199	3245
10.	उड़ीसा	2850	2900	2884	3074	2870	2915
11.	पश्चिम बंगाल	62500	63100	63325	62972	63010	69276
12.	अरुणाचल प्रदेश	65	70	73	55	73	79
13.	असम	11000	11450	11523	11197	11466	11573
14.	मणिपुर	450	480	476	474	474	483
15.	मेघालय	75	80	85	75	85	95
16.	मिजोरम	15	15	17	6	17	22
17.	नागालैंड	470	480	482	442	480	480
18.	त्रिपुरा	125	130	133	119	132	180
19.	सिक्किम	170	175	177	178	176	132
20.	आंध्र प्रदेश	24000	24200	24258	24377	24137	26043
21.	कर्नाटक	30000	28000	27918	34178	27779	28777
22.	केरल	15000	15250	15304	15119	15228	12215
23.	पुडुचेरी	700	310	318	1045	316	335
24.	तमिलनाडु	38000	37500	38478	38759	38287	39972
25.	गुजरात	26900	27000	26901	26781	26767	27246
26.	महाराष्ट्र	2100	2250	2271	2257	2260	2363
27.	छत्तीसगढ़	2200	2300	2456	2991	2444	3655
28.	मध्य प्रदेश	4200	4600	4645	3714	4622	4660
29.	उत्तराखण्ड	26800	27250	27339	26444	27207	27730
30.	उत्तर प्रदेश	335000	350000	349358	327404	339656	342797
	कुल	863420	879199	880182	863562	867846	883703

विवरण III

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आर ई जी पी के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों के लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)			उपलब्धि (संख्या)		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	4	22	5	8	3	2
2.	दिल्ली	24	29	15	9	15	13
3.	हरियाणा	896	1233	1193	1140	1058	869
4.	हिमाचल प्रदेश	573	592	760	469	650	803
5.	जम्मू-कश्मीर	457	550	724	922	1402	1716
6.	पंजाब	1122	1206	1493	864	440	1022
7.	राजस्थान	1733	1837	2769	1537	2133	1340
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	114	15	152	6	598	127
9.	बिहार	959	345	638	254	692	849
10.	झारखण्ड	727	222	745	240	217	221
11.	उड़ीसा	665	444	885	991	650	857
12.	पश्चिम बंगाल	1705	1660	2268	2584	2078	2290
13.	अरुणाचल प्रदेश	78	94	103	43	76	88
14.	असम	1148	2088	1526	1658	2229	1599
15.	मणिपुर	229	19	185	102	65	139
16.	मेघालय	229	148	304	146	206	165
17.	मिजोरम	342	966	455	162	365	990
18.	नागालैंड	130	212	173	151	316	156
19.	त्रिपुरा	165	152	219	233	306	212
20.	सिक्किम	81	74	108	139	106	89
21.	आंध्र प्रदेश	1992	3246	2940	1988	2278	2113
22.	कर्नाटक	1512	1601	2011	934	1314	1689
23.	केरल	957	1062	1389	914	1217	912

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	लक्षद्वीप	2	1	2	0	26	0
25.	पुडुचेरी	5	10	64	7	56	164
26.	तमिलनाडु	911	880	1212	925	1036	1075
27.	गोवा	228	148	304	138	136	104
28.	गुजरात	466	705	613	376	516	412
29.	महाराष्ट्र	1429	1664	1908	1773	3120	2296
30.	छत्तीसगढ़	687	826	914	656	551	691
31.	मध्य प्रदेश	970	1167	1291	1361	736	934
32.	उत्तराखण्ड	457	428	608	513	527	641
33.	उत्तर प्रदेश	3003	3069	3784	2210	1532	1509
	कुल	24000	26715	31760	23453	26650	26087

विवरण IV

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान आर ई जी पी के तहत अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिए लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य (संख्या)			उपलब्धि (संख्या)		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	75	448	85	188	36	50
2.	दिल्ली	500	278	272	144	112	267
3.	हरियाणा	19625	25242	29362	35691	26541	28339
4.	हिमाचल प्रदेश	12500	12120	20014	12256	12276	17102
5.	जम्मू-कश्मीर	10000	13510	16959	9406	18284	23274
6.	पंजाब	24550	24686	26666	30665	16654	35604
7.	राजस्थान	37900	45869	52680	38287	59596	44168
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2500	278	724	93	4495	323
9.	बिहार	20975	9118	11392	5049	11445	12334

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	झारखण्ड	15900	4559	8471	6855	3756	7289
11.	उड़ीसा	14550	9118	15804	15241	9670	16311
12.	पश्चिम बंगाल	37300	33972	40514	36581	36853	42834
13.	अरुणाचल प्रदेश	1700	1946	1846	1219	1857	2106
14.	असम	25100	47000	27263	25768	49595	30912
15.	मणिपुर	5000	389	3312	1313	416	1881
16.	मेघालय	5000	3058	5430	3789	1962	2174
17.	मिजोरम	7475	21739	17774	5180	18255	16455
18.	नागालैंड	2850	4336	3096	3851	5549	33581
19.	त्रिपुरा	3600	3114	3910	3227	5616	2208
20.	सिक्किम	1775	1501	1928	3994	1750	5851
21.	आंध्र प्रदेश	43575	57768	62978	66463	66050	59750
22.	कर्नाटक	33075	35320	35926	19478	27129	42420
23.	केरल	20925	23852	24804	16434	30586	30144
24.	लक्षद्वीप	25	27	28	0	292	0
25.	पुडुचेरी	100	222	1145	146	187	854
26.	तमिलनाडु	19925	17959	22696	19159	20055	25216
27.	गोवा	5000	3058	3822	1670	801	1389
28.	गुजरात	10075	14456	10944	8581	17947	13520
29.	महाराष्ट्र	31375	34250	34080	25040	30928	27182
30.	छत्तीसगढ़	15025	17014	22756	18347	17348	17719
31.	मध्य प्रदेश	21225	24019	23054	40539	15365	22332
32.	उत्तराखण्ड	10000	8785	9252	10471	10948	10962
33.	उत्तर प्रदेश	65725	57125	51013	64900	45322	51123
	कुल	524925	556136	590000	530025	567676	595451

विवरण V

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योगों के तहत प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खादी			ग्रामोद्योग		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	1.38
2.	दिल्ली	262.94	280.66	438.34	1051.10	307.58	263.73
3.	हरियाणा	325.72	331.44	565.31	2192.81	1348.76	1579.61
4.	हिमाचल प्रदेश	142.34	131.33	268.56	697.68	833.23	1146.76
5.	जम्मू-कश्मीर	110.30	60.65	252.32	712.96	786.43	933.59
6.	पंजाब	463.38	224.43	490.89	2178.85	1868.63	1743.19
7.	राजस्थान	607.83	643.59	926.65	2794.05	3364.09	3415.15
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	104.09	149.78	100.25
9.	बिहार	264.52	161.72	301.37	584.70	733.84	835.01
10.	झारखण्ड	121.95	53.47	168.73	182.79	778.86	882.10
11.	उड़ीसा	15.39	48.21	23.14	1156.83	975.20	1054.86
12.	पश्चिम बंगाल	280.90	87.30	384.69	2606.58	2395.38	2473.26
13.	अरुणाचल प्रदेश	3.84	2.00	2.16	91.12	182.00	166.20
14.	असम	82.26	63.27	126.07	1364.83	2948.35	2250.77
15.	मणिपुर	8.16	4.83	4.46	177.55	286.93	239.20
16.	मेघालय	3.02	3.02	1.88	299.60	420.86	370.02
17.	मिजोरम	2.00	2.00	3.80	454.66	1142.46	1164.66
18.	नागालैंड	8.11	6.00	37.06	223.71	248.75	221.90
19.	त्रिपुरा	13.57	4.96	0.00	192.38	164.44	151.84
20.	सिक्किम	5.09	1.00	0.00	337.61	305.03	272.32
21.	आंध्र प्रदेश	162.07	117.13	273.73	3019.60	4174.51	3951.20
22.	कर्नाटक	196.15	435.68	916.36	1800.69	2402.23	2508.95
23.	केरल	310.88	286.62	801.25	1424.13	1735.84	1743.36

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	767.70	1687.71	0.00	1507.99	1604.00	1822.99
25.	पुडुचेरी	0.00	0.00	1317.80	12.28	5.61	54.67
26.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
27.	गोवा	6.67	5.58	6.28	279.93	179.70	369.37
28.	गुजरात	619.07	554.96	604.86	767.31	1111.88	896.20
29.	महाराष्ट्र	89.35	211.20	184.58	2452.80	2516.11	2235.26
30.	छत्तीसगढ़	27.31	54.23	55.97	1165.16	1179.46	1169.19
31.	मध्य प्रदेश	176.60	119.71	118.64	1710.57	1517.56	1336.49
32.	उत्तराखण्ड	230.82	405.66	353.76	695.12	675.21	738.42
33.	उत्तर प्रदेश	3296.52	2295.04	3657.31	4494.43	4941.94	4484.12
	केवीआईसी की विभाग इकाइयां	242.54	410.32	52.27	3957.68	5057.23	5764.25
	महायोग	8847	8693.72	12338.24	40691.59	46344.83	46348.93

राजभाषा हिन्दी का क्रियान्वयन

2515. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा हिन्दी का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजभाषा हिन्दी का अनुपालन नहीं करने के लिए चूककर्ता अधिकारियों पर दण्ड/उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और राजभाषा के रूप में हिन्दी के उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी, नहीं। विभिन्न मंत्रालयों आदि से प्राप्त रिपोर्टों/रिटर्न के अनुसार राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में राजभाषा हिन्दी सहित केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि प्रयासरत हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संघ की राजभाषा हिन्दी से संबंधित नीति का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के कार्यालयों में प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से किया जाना है। तद्नुसार इस विभाग तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि द्वारा राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

(1) सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाना जोकि संबंधित मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों आदि में राजभाषा अधिनियम और नियमों तथा आदेशों के अनुपालन पर निगाह रखेगी।

(2) हिन्दी समितियों की बैठकों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना।

(3) राजभाषा विभाग के अधीन देश भर में 8 प्रमुख नगरों में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी में हो रहे कार्य की मानिटरिंग किया जाना।

(4) केन्द्र सरकार के कार्मिकों को हिन्दी भाषा/आशुलिपि/टंकण तथा अनुवाद का प्रशिक्षण दिलाना।

(5) कम्प्यूटर के माध्यम से हिंदी में कार्य करना, प्रशिक्षण के लिए साफ्टवेयर तैयार करना और वर्ल्ड वाइड वेब पर निःशुल्क उपलब्ध कराना।

(6) सरकारी कार्यालयों आदि का राजभाषाई निरीक्षण करना व विभिन्न प्रोत्साहन व पुरस्कार योजनाएं चलाना।

(7) प्रकाशनों तथा प्रचार सामग्री का निःशुल्क वितरण करना।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अध्यापक-छात्र अनुपात

2516. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में भारतीय प्रौद्योगिकी-संस्थानों (आईआईटी) में अध्यापक-छात्र अनुपात कितना है;

(ख) क्या गत वर्षों के दौरान इस अनुपात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या और अधिक अध्यापक नियुक्त करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में शिक्षक-छात्र अनुपात नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	शिक्षक-छात्र अनुपात
1.	आई.आई.टी. मुम्बई	1:12
2.	आई.आई.टी. खड़गपुर	1:13.5
3.	आई.आई.टी. कानपुर	1:11
4.	आई.आई.टी. रुड़की	1:12
5.	आई.आई.टी. गुवाहाटी	1:13
6.	आई.आई.टी. मद्रास	1:11
7.	आई.आई.टी. दिल्ली	1:13

(ख) और (ग) आई.आई.टी. खड़गपुर, आई.आई.टी. मद्रास और आई.आई.टी. मुम्बई में पिछले दस वर्षों के दौरान शिक्षक-छात्र अनुपात में गिरावट आई है। इन तीन संस्थानों में इस गिरावट के कारण हैं छात्रों की दाखिला क्षमता में वृद्धि और उपयुक्त संकाय सदस्यों की अनुपलब्धता। अन्य आई.आई.टी. में पिछले दस वर्षों के दौरान शिक्षक-छात्र अनुपात कमोबेश एक सा रहा है।

(घ) से (ङ) संकाय की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और संस्थान रिक्त पदों को भरने के सभी प्रयास करते हैं। आई.आई.टी. सशक्त अकादमिक पृष्ठभूमि वाले सक्षम संकाय की नियुक्ति के लिए कड़ी भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। आई.आई.टी. गुणवत्तावयुक्त संकाय सदस्यों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त कार्य नीति अपनाते हैं जिसमें अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, प्रारंभिक अनुसंधान संस्थान और परामर्शी प्रभारों में हिस्सेदारी की उपयुक्त स्कीमें शामिल हैं। आई.आई.टी. ने अपने पी.एच.डी. कार्यक्रमों में दाखिला क्षमता में वृद्धि की है ताकि ऐसे पात्र व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की जाए जो बाद में संकाय पद संभाल सकें।

मक्का का निर्यात

2517. श्री पी.सी. गद्दीगउडरः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार कुल कितनी मात्रा में मक्का का निर्यात किया गया है तथा इससे कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या मक्का के निर्यात पर प्रतिबंध है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि प्रतिबन्ध हटाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मक्के की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) इस समय मक्का के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

विवरण I

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

स्रोत: डीजीसीआईएस वार्षिक खण्ड (मात्रा: कि.ग्रा. में, मूल्य रुपए में)

	2004-05		2005-06		2006-07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
उत्पाद: मक्का (दाने), बीज से इतर						10059000
बांग्लादेश	234109386.00	1406043340.00	261334572.00	1847440845.00	289153336.00	2113366127.00
इंडोनेशिया	31745000.00	201144300.00	0.00	0.00	108146395.00	828716570.00
श्रीलंका	75634000.00	479542281.00	92767600.00	597500046.00	77606000.00	573783518.00
मलेशिया	219128423.00	1424695113.00	3374900.00	22853437.00	46066130.00	339837991.00
यूएई	18245500.00	111740256.00	5430122.00	34644238.00	23616000.00	194950180.00
सिंगापुर	5474900.00	36378368.00	1714121.00	12362846.00	9106285.00	70328928.00
नेपाल	5200964.00	26626986.00	13948190.00	63845459.00	13052047.00	60670498.00
सूडान	0.00	0.00	0.00	0.00	385100.00	54743624.00
चीन चाइपेई	7238000.00	49229505.00	542550.00	8214800.00	5799000.00	52166884.00
सेशेल्स	713900.00	50107166.00	5224602.00	40800256.00	4666200.00	3923753.00
इरीट्रिया	0.00	0.00	18000.00	161522.00	3535000.00	25966239.00
वियतनाम	1750000.00	11000500.00	0.00	0.00	2971000.00	23341967.00
इराक	0.00	0.00	0.00	0.00	2323000.00	22054491.00
थाइलैंड	0.00	0.00	400000.00	2116780.00	452000.00	7336532.00
ओमान	1800000.00	12988800.00	0.00	0.00	365000.00	3196240.00
कांगो	0.00	0.00	0.00	0.00	226432.00	1516133.00
भूटान	441000.00	1989650.00	258900.00	1087174.00	199905.00	830627.00
स्विट्जरलैंड	1000.00	8275.00	0.00	0.00	100000.00	672355.00
यूके	117891.00	1222074.00	46000.00	312535.00	8100.00	148461.00
इटली	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	132430.00
तंजानिया	2664000.00	18309472.00	0.00	0.00	20000.00	71391.00
यूएसए	36000.00	232186.00	47000.00	601564.00	8400.00	35774.00
ब्रूनेई	20000.00	136067.00	0.00	0.00	1000.00	12496.00

1	2	3	4	5	6	7
केन्या	15725000.00	1096436225.00	0.00	0.00	10000.00	5954.00
सऊदी अरब	180000.00	2594914.00	105500.00	1610540.00	1000.00	4660.00
कनाडा	1000.00	6022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बहरीन	5000.00	22718.00	45000.00	674363.00	0.00	0.00
बेलीज	118000.00	662480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हांगकांग	4043300.00	25530532.00	200000.00	1358633.00	0.00	0.00
जापान	0.00	0.00	46000.00	335900.00	0.00	0.00
कोरिया गणराज्य	48915000.00	371795509.00	1500.00	21174.00	0.00	0.00
आस्ट्रेलिया	14000.00	120053.00	29000.00	319745.00	0.00	0.00
मालदीव	10500.00	57847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यमन अ.ग.	33250000.00	216253057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
न्यूजीलैंड	0.00	0.00	90410.00	1295549.00	0.00	0.00
पाकिस्तान	12426500.00	85398614.00	6884500.00	52386884.00	0.00	0.00
फिलिपीन्स	2131800.00	11239010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दक्षिण अफ्रीका	0.00	0.00	6800000.00	68225432.00	0.00	0.00
सेनेगल	1000.00	13974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुवैत	1200.00	10746.00	4000.00	45283.00	0.00	0.00
उत्पाद कुल	727567364.00	4654753440.00	399312467.00	2758215023.00	591297230.00	4413243823.00

विवरण II

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

स्रोतः डीजीसीआईएस वार्षिक खण्ड (मात्राः कि.ग्रा. में, मूल्य रुपए में)

	2004-05		2005-06		2006-07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
उत्पादः मक्का (दाने), बीज					10051000	
फिलिपिंस	13159160.00	245372168.00	3338480.00	125163805.00	10030772.00	185759966.00
थाइलैण्ड	23000.00	220819.00	3818100.00	149003640.00	2811080.00	97067253.00

1	2	3	4	5	6	7
वियतनाम	3867250.00	32137435.00	592420.00	12306785.00	8973000.00	77311592.00
श्रीलंका	48726200.00	335731384.00	5333500.00	31559081.00	6554000.00	51373538.00
बांगलादेश	11688500.00	83860432.00	2758300.00	17824934.00	5013840.00	51192335.00
इंडोनेशिया	24629000.00	185591049.00	1200000.00	28110315.00	5362265.00	41447248.00
पाकिस्तान	28000.00	632077.00	90500.00	987192.00	2100000.00	19724570.00
यूएई	20070467.00	142781951.00	1453920.00	13404910.00	1609900.00	15685211.00
नेपाल	4322605.00	21168807.00	440769.00	4316600.00	1298089.00	14114211.00
सिंगापुर	838160.00	5831981.00	466500.00	3250802.00	1007000.00	9669561.00
मलेशिया	138022542.00	905845268.00	730000.00	6520390.00	880000.00	6216086.00
चीन	0.00	0.00	40500.00	664868.00	350150.00	3851220.00
कोरिया जन.गण.	81151000.00	528375248.00	36000.00	1292231.00	118000.00	1863689.00
कुवैत	0.00	0.00	42000.00	605780.00	5600.00	37883.00
डेनमार्क	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2968.00
यूएसए	0.00	0.00	1950.00	2506.00	0.00	0.00
बहरीन	0.00	0.00	22400.00	1 59098.00	0.00	0.00
ब्रूनेई	0.00	0.00	600.00	12521.00	0.00	0.00
भूटान	59400.00	324000.00	161500.00	1090191.00	0.00	0.00
चीनी ताइपेई	1525000.00	10748696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फ्रांस	108000.00	1318780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
म्यांमार	0.00	0.00	3000.00	179800.00	0.00	0.00
हांगकांग	1140230.00	7455164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सूडान	500.00	5538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जापान	2400000.00	16109520.00	3000.00	109975.00	0.00	0.00
तंजानिया	77000.00	689188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेशेल्स	120000.00	1074846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यमन अ.ग.	2700000.00	18646875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नामीबिया	0.00	0.00	101000.00	5246185.00	0.00	0.00
सेनेगल	0.00	0.00	870.00	8732.00	0.00	0.00
यूके	33000160	555543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्पाद कुल	354689014.00	2544476769.00	20635309.00	401820341.00	46114096.00	575317331.00

[हिन्दी]

सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापिकाएं

2518. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सर्व-शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त किये जा रहे अध्यापकों में से 50 प्रतिशत महिलाएं नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने पुरुष तथा महिला अध्यापक नियुक्त किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे में प्रारम्भिक स्कूलों में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला अध्यापकों की भर्ती का प्रावधान है।

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रारम्भिक स्कूल प्रणाली में पुरुष और महिला अध्यापकों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्यों में प्रारम्भिक स्तर पर पुरुष तथा महिला अध्यापक

क्र.सं.	राज्य	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1415	1552	2967
2.	आंध्र प्रदेश	266150	196719	462869
3.	अरुणाचल प्रदेश	7231	3510	10741
4.	असम	104655	44214	148869
5.	बिहार	153001	54346	207347
6.	चंडीगढ़	823	4039	4862
7.	छत्तीसगढ़	111861	50846	162707
8.	दादरा और नगर हवेली	467	496	963
9.	दमन और दीव	128	353	481
10.	दिल्ली	19304	44980	64284
11.	गोवा	1275	4226	5501
12.	गुजरात	101176	105517	206693
13.	हरियाणा	36683	26368	63051
14.	हिमाचल प्रदेश	31382	21396	52778
15.	जम्मू-कश्मीर	43309	46099	89408
16.	झारखण्ड	78692	32596	111288

1	2	3	4	5
17.	कर्नाटक	112594	115191	227785
18.	केरल	31641	82627	114268
19.	लक्षद्वीप	380	215	595
20.	मध्य प्रदेश	221612	156889	378501
21.	महाराष्ट्र	342675	166727	509402
22.	मणिपुर	13040	8880	21920
23.	मेघालय	14812	10633	25445
24.	मिजोरम	6597	6636	13233
25.	नागालैंड	11449	7927	19376
26.	उड़ीसा	111609	57623	169232
27.	पुडुचेरी	2147	3735	5882
28.	पंजाब	27773	44931	72704
29.	राजस्थान	258386	96053	354439
30.	सिक्किम	4455	3453	7908
31.	तमिलनाडु	101211	230302	331513
32.	त्रिपुरा	22624	7720	30344
33.	उत्तर प्रदेश	356486	170549	527035
34.	उत्तरांचल	28246	23261	51507
35.	पश्चिम बंगाल	169313	64965	234278
	कुल	2794601	1895575	4690176

स्रोत: जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2005-06

[अनुवाद]

बाजार केन्द्रित वेबसाइट

2519. श्री एम. शिवन्ना: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निर्यात तथा घरेलू बाजार की आवश्यकता पूर्ति के लिए बाजार केन्द्रित वेबसाइट खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://commerce.gov.in पर निर्यातकों और आयातकों के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध है। वाणिज्य विभाग की वेबसाइट के होमपेज पर वाणिज्य विभाग के अधीन व्यापार से संबंधित संगठनों की वेबसाइट से संपर्क की व्यवस्था है। इसके अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय की

http://dgft.delhi.nic.in नामक वेबसाइट है, जिसमें निर्यातकों एवं आयातकों के लिए व्यापार संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई है। वाणिज्य विभाग की वेबसाइट की डीजीएफटी वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक भी है।

[हिन्दी]

निर्यात वृद्धि दर

2520. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 के दौरान निर्यात दर कम होकर 14 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान भारत के कुल निर्यात के मूल्य की वृद्धि दर में, अम. डालर और भारतीय रुपये दोनों के रूप में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमी आई है। अप्रैल-अक्तूबर, 2007 के दौरान कुल निर्यात में अमरीकी डालर के रूप में 20.9% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 24.1% रही थी। रुपये के रूप में, अप्रैल-अक्तूबर, 2007 के दौरान निर्यात वृद्धि 7.1% थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि दर 30.0% रही थी।

(ग) निर्यात संवर्धन सरकार का सतत प्रयास रहता है और विदेश व्यापार नीति और उसके वार्षिक पूरक अंकों के अनुसार समय-समय पर पहलें की जाती हैं। इन पहलों में एसईजेड अधिनियम, 2005 लागू करना, फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना, शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम आदि शामिल हैं। इसके अलावा, रुपये की मजबूती द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित निर्यातकों के लिए भी विशेष पैकेज घोषित किया गया है।

वस्तुओं का निर्यात तथा आयात

2521. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात तथा आयात की गई वस्तुओं तथा उनके मूल्य एवं मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अवैध निर्यात तथा आयात को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) निर्यातित तथा आयातित वस्तुओं, उनकी मात्रा व मूल्य का ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस) द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी-खंड-1 (पुन: निर्यात सहित निर्यात) एवं खण्ड-2 (आयात) में दिया गया है। यह सूचना वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://commerce.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(ख) और (ग) सरकार ने अवैध निर्यात एवं आयात को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ जांच की दृष्टि से जरूरी मामलों का पता लगाने के लिए साफ्टवेयर लगाना, अपवंचनरोधी उपकरणों की संख्या बढ़ाना, पुराने अपराधियों के डाटाबेस को अद्यतन बनाना, तस्करी रोकने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात करना, आसूचना संग्रहण तंत्र का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का उपयोग

2522. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन के उपयोग के खतरे के बारे में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा कोई अध्ययन किया गया है जैसाकि दिनांक 5 नवम्बर, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन के उपयोग से संबंधित कानून में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) जी हां। मोबाइल फोन प्रयोग करने के सुरक्षा निहितार्थ पर वर्ष 2004 में एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों का विवरण निम्नलिखित है:-

(1) इस अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि गाड़ी चलाते या टहलते समय मोबाइल पर बात करने के कारण गाड़ी चलाने के लिए अपेक्षित कितनी (दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी, बायोमैकेनिकल और ज्ञान संबंधी) दक्षता की जरूरत पड़ती है।

(2) इस अध्ययन में यह बताया गया है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में अधिक जोखिमपूर्ण है क्योंकि भारत में दुपहिया चालकों की संख्या अधिक हैं और हेलमेट का सही प्रयोग तथा दुपहिया वाहन का संतुलन बनाना चार पहिये वाली गड़ी की तुलना में अधिक मुश्किल है।

(3) अध्ययन में यह बताया गया है कि गाड़ी चलाते समय हैंड हेल्ड मोबाइल फोनों की तुलना में हैंड फ्री मोबाइल ज्यादा सुरक्षित है।

(4) यद्यपि मोबाइल फोन पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास अधिक (79 प्रतिशत एवं 98 प्रतिशत) होते हैं परन्तु गाड़ी चलाते समय सेल फोन का प्रयोग पुरुष अधिक करते हैं ऐसी रिपोर्ट है 22% पुरुष गाड़ी चलाते समय सेल फोन का 'अक्सर' प्रयोग करते हैं जबकि महिलाएं केवल 18% इसी तरह 24% पुरुष गाड़ी चलाते समय सेल फोन का प्रयोग 'कभी-कभी' करते हैं जबकि केवल 8.6% महिलाएं सेलफोन का प्रयोग 'कभी-कभार' करती हैं।

(5) सेल फोन के प्रयोग का शिक्षा के स्तर से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति मोबाइल फोन का प्रयोग अधिक सजगता से करते हैं।

(6) सेल फोन रखने एवं उनका प्रयोग करने में उम्र का भी काफी संबंध है क्योंकि युवा वर्ग बुजुर्ग की तुलना में सेल फोन का प्रयोग अधिक करते हैं।

(7) यह देखा गया है कि सतर्कता समूह, वाणिज्यिक चालक और गृहणियां सैल फोनों का अधिक इस्तेमाल करती हैं।

(8) दिल्ली में किए गए एक अध्ययन में भाग लेने वाले 50% तक चालक यह महसूस करते हैं कि यातायात योजना के अंतर्गत उनके साथी चालक द्वारा सैल फोन के प्रयोग के कारण उनकी सुरक्षा बाधित हुई है।

यह अध्ययन केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की इन-हाउस अनुसंधान परियोजना थी और इसका उद्देश्य उसके निष्कर्षों को सरकारी एजेंसी/विभाग को प्रस्तुत करना नहीं था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार

2523. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी नीति की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार एवं कदाचार के मामले भी शामिल होंगे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (छ) जी, नहीं, इस मंत्रालय में केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के विरुद्ध केंद्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आम लोगों के जरिए प्राप्त भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों से संबंधित शिकायतें इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों/दिशा-निर्देशों/सलाह के अनुसार निपटाई जाती है।

विवरण

संस्थाओं की सूची

(दिनांक 3.12.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	संस्थाओं के नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यायल, नई दिल्ली	10
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	4
3.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद	4
4.	विश्वविद्यायल अनुदान आयोग	7
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	1
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	1
7.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थान	1
8.	राष्ट्रीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	1
9.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता	2
10.	आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद	2
11.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	1
12.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इन्दौर	2
13.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	1
14.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय	1
15.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	1
16.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	3
17.	एबीवी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	1
18.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	1
19.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	4
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर	3
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र	1
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल	2

1	2	3
23.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	1
24.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई	3
25.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	3
26.	एजूकेशनल कंसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड	2
27.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	4
28.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	5
29.	आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल	3
30.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	1
31.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	3
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	1
33.	संत लोगोंवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी	2
34.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद	1
35.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	1
36.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	4
37.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	1
38.	नागालैंड विश्वविद्यालय	1
39.	मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल	1
40.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1
41.	राष्ट्रीय ढलाई एवं कढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	2
42.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	1
43.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	1
44.	असम विश्वविद्यालय	1
45.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	1
46.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	1
47.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान	1
48.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	1
49.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची	1

1	2	3
50.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	1
51.	नवोदय विद्यालय समिति	1
52.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	1
53.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	1

[हिन्दी]

फिजियोथिरेपी पाठ्यक्रम शुरू किया जाना

2524. श्री विजय कृष्ण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने फिजियोथेरापी में तीन माह का पाठ्यक्रम शुरू किया है तथापि, यह विश्वविद्यालय पहले से ही एम.बी.बी.एस. की तर्ज पर इसी विषय में (4) वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) इसके कारण तथा तर्क क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ऐसे पाठ्यक्रम शुरू कर आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो आम आदमी तथा डिग्री धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जाने प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय का "आरिएंटेशन टू फिजिकल फिटनेस एण्ड स्पोर्टस मेडिसिन" नामक अल्प-कालीन, 3 माह की अवधि का पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित पाठ्यक्रम नान-क्रेडिट पाठ्यक्रम होगा जिसका उद्देश्य इस विषय पर केवल प्रारंभिक सूचना देना है जो किसी भी व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम के बराबर नहीं होगा।

[अनुवाद]

तेजपुर तथा असम विश्वविद्यालयों को अनुदान

2525. श्री अनवर हुसैन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) से ग्यारहवीं योजना के दौरान तेजपुर विश्वविद्यालय तथा असम विश्वविद्यालय सिल्चर ने कुल कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 11वीं योजना के दौरान तेजपुर विश्वविद्यालय और असम विश्वविद्यालय ने क्रमशः 409.58 करोड़ रुपये और 283.43 करोड़ रुपये के योजनागत अनुदान का प्रस्ताव किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक तेजपुर विश्वविद्यालय और असम विश्वविद्यालय को योजनागत स्कीमों के तहत क्रमशः 10.87 करोड़ रुपये तथा 11.00 करोड़ रुपये का तदर्थ योजनागत अनुदान जारी किया है।

लॉटरी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए समिति

2526. श्री नरसिंगराव एच. सूर्यवंशी:
श्री शिंगाडा दामोदर बारकू:
श्री वसंतराव मोरे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में लॉटरी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लाटरी (विनियम) अधिनियम, 1998 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संशोधन कब तक कर दिए जाने की संभावनाएं हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) राज्य सभा में 23.12.1999 को प्रस्तुत लाटरी (निषेध) विधेयक (1999) की जांच किए जाने के लिए श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की विभागीय संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया था।

(ख) विधेयक पर समिति में सर्वसम्मति नहीं थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि सदस्यों द्वारा व्यक्त भिन्न-भिन्न विचारों के आधार पर सरकार राजनीतिक स्तर पर इस संबंध में सर्वसम्मति बना सकती है। दिनांक 6.2.2006 को बुलाई गई सभी पार्टियों की बैठक में उत्साह वर्धक विचार यह था कि लाटरी बंद नहीं की जानी चाहिए बल्कि लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 का विनियमन और अधिक कठोर और प्रभावी होना चाहिए।

(ग) इस समय ऐसा कोई विधेयक विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्रम समस्याएं

2527. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश के विभिन्न भागों में रोजगार चाहने वालों को कथित रूप से बंधक बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों की सुरक्षा, संरक्षा एवं वापसी व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) अगस्त, 2007 में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को छत्तीसगढ़ सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जम्मू और कश्मीर के बडगांव जिले के छत्तीसगढ़ के 75 श्रमिकों के अवैध कारावास का उल्लेख किये जाने के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर सरकार को श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के लिए उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ मामले को उठाया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बडगांव में उक्त श्रमिकों के संबंध में बंधक किए जाने के कोई साक्ष्य नहीं हैं।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अध्येतावृत्ति

2528. श्री डी. विट्ठलराव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) स्नातक परीक्षा में प्रथम तथा द्वितीय रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए 2000/- रुपये प्रतिमाह की दर से मेरिट अध्येतावृत्ति दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल विश्वविद्यालय स्नातक-परीक्षा के रैंक धारकों को इस आधार पर यह अध्येतावृत्ति नहीं दी जाती है क्योंकि वहां पर आनर्स-प्रणाली नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार केरल विश्वविद्यालय के छात्रों को भी अध्येतावृत्ति देने के निर्णय पर पुनः विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। वर्ष 2005-07 की अवधि के लिए स्नोतकोत्तर मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयनित 180 विश्वविद्यालय रैंक धारकों में से 40 रैंक धारक केरल के विश्वविद्यालयों से हैं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

आई.ए.एस. कैडर में पदोन्नति

2529. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ दानिक्स कैडर के अधिकारियों से उन्हें आई.ए.एस. कैडर में पदोन्नति दिए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि तक गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार को आई ए एस में समावेशण आई ए एस के आगमु (ए जी एम यू) संवर्ग में समावेशण के लिए संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने में विलम्ब, आई ए एस में समावेशण हेतु न्यूनतम योग्यता मापदंड बनाए जाने इत्यादि से संबंधित मुद्दों के बारे में कुछ दानिक्स अधिकारियों के साथ-साथ दानिक्स अधिकारी संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संघ द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों को मानना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। कुछ दानिक्स अधिकारियों की व्यक्तिगत शिकायतें भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सामने रखी गई हैं। योग्य दानिक्स अधिकारियों का आई ए एस में समावेशण किए जाने के लिए छानबीन समिति की बैठक, संगत मामलों में अधिकरण द्वारा पारित निर्देशों पर विचार किए जाने के बाद, 19.10.2007 को आयोजित की गई है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की उम्र

2530. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों विशेषकर दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग (डीसीई) तथा नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी) दिल्ली में सेवानिवृत्ति की उम्र नहीं बढ़ाई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) संकाय में अध्यापकों की संख्या-बनाए रखने के लिए इन संस्थानों में इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इन संस्थानों पर दिल्ली विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दोहरे नियंत्रण के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में के लिए डी.सी.ई. तथा एन.एस.आई.टी. को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से डी-लिंक करने का है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली तथा केन्द्र से निधियां प्राप्त करने वाली उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के संस्वीकृत पदों पर अधिवर्षिता की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अधिवर्षिता की आयु को बढ़ाने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा वे उचित समझें। इसके लिए ऐसी संस्थाओं के लिए उस सरकार के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेना होगा।

(च) से (ज) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, अत: कोई समय सीमा निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

विद्यार्थियों के लिए लैपटाप का प्रावधान

2531. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में प्रत्येक स्नातक विद्यार्थी को ब्राड बैण्ड सुविधा सहित लैपटाप प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समेकित दूरसंचार प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन के लिए योजना आयोग को एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने योजना आयोग को उनके अभिमत एवं टिप्पणियों हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन नामक एक योजना का मसौदा भेजा है। उक्त योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, विषय वस्तु तैयार करने तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच कनेक्टिविटी की व्यवस्था है।

डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रकाशित चैलेंजर पेपर

2532. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डब्ल्यूटीओ की एग्रीकल्चर नेगोसिएशन चेयर द्वारा प्रकाशित चैलेंज पेपर में विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को और अधिक उदारता दिए जाने के लिए और अधिक चिन्ता दर्शाई गई है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे देश तथा अन्य विकासशील देशों के कृषि हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) दिनांक 17 जुलाई, 2007 को कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति (विशेष सत्र) के अध्यक्ष ने बाजार पहुंच और घरेलू सहायता से संबंधित कृषि वार्ताओं संबंधी रूपरेखाओं के पाठ का मसौदा (डीएमटी) प्रस्तुत किया था। डीएमटी की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:-

(1) जी-20 गठबंधन, जिसका भारत सदस्य है, द्वारा यथा प्रस्तावित बाजार पहुंच के अंतर्गत विकसित और विकासशील देशों के लिए पृथक टैरिफ बैंडों का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, विकसित देशों के लिए प्रस्तावित कटौतियां जी-20 द्वारा किए गए प्रस्तावों से कुछ कम हैं।

(2) डीएमटी में संकेतकों, जिन पर डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा बातचीत की जानी है, के आधार पर विशेष उत्पादों (एसपी) को स्व-विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है, जो अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय आंकड़ों से सत्यापन के लिए खुले हैं। एसपी के व्यवहार के संबंध में डीएमटी में यह प्रस्ताव है कि सभी एसपी पर कुछ कटौतियां होनी चाहिए जो जी-33 के इस प्रस्ताव के विपरीत हैं कि कम से कम 50% एसपी को किसी भी टैरिफ कटौती से छूट दी जानी चाहिए।

(3) डीएमटी में यह प्रस्ताव किया गया है कि विशेष रक्षोपाय तंत्र में विकासशील देशों के किसानों की जरूरतों अर्थात् ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। तदनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि एसएसएम आयातों के लिए उपलब्ध नहीं होने चाहिए बल्कि केवल घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों और इन उत्पादों के स्थानापन्नों पर उपलब्ध होने चाहिए। डीएमटी में आगे यह उल्लेख किया गया है कि सुस्पष्ट पाठ तैयार करने से पहले काफी तकनीकी कार्य की जरूरत है।

(4) घरेलू सहायता के संबंध में, डीएमटी में समग्र व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता (ओटीडीएस) और सहायता की समग्र मात्रा (एएमएस) में कमी करने के लिए कुछ प्रस्ताव किए गए हैं।

(ग) विकासशील देशों में से अल्प विकसित देशों समेत विकासशील देशों की जरूरतें और हित दोहा कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। विकसित देशों द्वारा कृषि के क्षेत्र में घरेलू सहायता और टैरिफों में पर्याप्त और प्रभावी कमी करने के साथ-साथ विकासशील देशों को उनके कम आय वाले और संसाधनहीन किसानों के हितों के संरक्षण और संवर्धन में सक्षम बनाना वार्ताओं में भारत की प्रमुख वरीयता है। विकासशील देशों के लिए उपलब्ध लोचशीलताओं का उपयोग टैरिफ कमियों अथवा वचनबद्धताओं के प्रभाव से कृषि से इतर संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण हेतु किया जाएगा।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन

2533. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रबन्धन पद्धति तथा उनमें सरकारी सहयोग की भूमिका का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए चीनी पद्धति के आधार पर उत्पादन, विपणन, आदि पर ध्यान केन्द्रित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ङ) समय के साथ, भारत ने चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल बढ़ाने के लिए उनके संवर्धन व विकास हेतु अपनी अनूठी नीति विकसित की है। केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजारों तक पहुंच, परिष्कृत आधारभूत संरचना, ऋण की बेहतर उपलब्धता, उद्यमियों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण हेतु सुविधाओं के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सहयोगी उपाय प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। इन योजनाओं में, एमएसई की प्रबंधकीय क्षमताएं बढ़ाने के लिए अन्य के साथ-साथ, उद्यमिता और प्रबंधन विकास कार्यक्रम (ईडीपी और एमडीपी), अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर हेतु लघु उद्योग निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एसएसआई-एमडीए), शामिल हैं। उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने 2 अक्तूबर, 2006 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम को चालू करने के अलावा, (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज, (2) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) जैसी योजनाओं सहित ये पहलें आम लोगों द्वारा एमएसएमई की स्थापना के लिए समर्थन प्रदान करती हैं (वेबसाइट http://www.dcmsme.gov.in पर विवरण उपलब्ध है)।

शराब के अवैध व्यापार में पुलिस की संलिप्तता

2534. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शराब के अवैध व्यापार में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के शामिल होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है जैसाकि दिनांक 18 सितम्बर, 2007 के 'अमर उजाला' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कुल कितने कार्मिक शामिल पाए गए हैं तथा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली-पुलिस के कार्यकरण को पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री चेतना प्रकाश, निवासी उत्तम नगर, दिल्ली द्वारा एक सीडब्ल्यूपी सं. 490/07 चेतन प्रकाश बनाम पुलिस आयुक्त दायर की गई थी। इस याचिका के अनुसरण में एक सहायक उप निरीक्षक, जो 31.5.2007 को सेवानिवृत्त हो गए थे, को छोड़कर सभी पुलिस कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन, नांगलोई में 26 पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार उन्मूलन (पीओसी) अधिनियम की धारा 7/13 (आई) (डी) (2) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 702/07 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। इनमें से एक कांस्टेबल की मृत्यु हो चुकी है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में उसी शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक अन्य सी डब्ल्यू पी सं. 1897/05 के अनुसरण में पुलिस स्टेशन डाबरी के 10 पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध पीओसी अधिनियम की धारा 7/13 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 383/07 के तहत भी एक मामला दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में सी एफ एस एल रिपोर्ट के चलते कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी कार्य प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं, गश्त ड्यूटी और पुलिस पिकेटों में तैनात कार्मिकों की गतिविधियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक जांच; संदिग्ध चरित्र के कार्मिकों पर निगरानी रखना; कठोर कार्रवाई शुरू करना जैसे कि निलम्बित करना, गैर-संवेदनशील एककों में स्थानांतरण करना, पुलिस में जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसे दुराचारों आदि में शामिल पाए गए पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध मामलों में विभाग द्वारा दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध मामले दर्ज करना तथा मुख्य/अल्प दंड हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना, शिकायतों के प्रबोधन और उनको हल करने के लिए पुलिस मुख्यालय में सिंगल विन्डो सिस्टम की स्थापना करना, वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करने के लिए जनता को सुविधा उपलब्ध करवाना, पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी उत्पीड़न के मामले में सतर्कता शाखा के फ्लाइंग स्क्वाड तथा पीसीआर की सुविधा, पुलिस की भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में अधिक सतर्क रहने के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पोस्ट आफिस बाक्स सं. 171 की सुविधा उपलब्ध करवाना। इस सुविधा के जरिए जनता भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें भेज सकती हैं जिन पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का कवरेज

2535. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का कवरेज बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में योजना को लागू करने के लिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) देश में स्थलीय पद्धति में जनसंख्यावार और क्षेत्रवार दूरदर्शन की कवरेज क्रमशः लगभग 91% तथा 79% है। स्थलीय प्रसारण हेतु कवर न किए गए क्षेत्रों और देश के शेष भागों को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा (कू बैंड में) के जरिए बहु चैनल टीवी/रेडियो कवरेज उपलब्ध करवायी गयी है जिसे पूरे देश में (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) प्राप्त किया जा सकता है।

स्थलीय कवरेज का विस्तार करने और इसमें सुधार लाने हेतु 10वीं योजना की जारी स्कीमों के भाग के रूप में दूरदर्शन की 155 ट्रांसमीटर परियोजनाएं और आकाशवाणी के 249 ट्रांसमीटर/स्टूडियो इस समय कार्यान्वयनाधीन है। इसके अतिरिक्त, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को डीटीएच सेवा (सी-बैंड में) उपलब्ध कराने हेतु एक स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी कवरेज के विस्तार और इसमें सुधार करने संबंधी स्कीमों पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार हैं:

व्यय (करोड़ रुपये में)

वर्ष	दूरदर्शन	आकाशवाणी
2004-05	47.40	11.29
2005-06	61.72	19.09
2006-07	93.98	21.47
2007-08	24.63	6.17

(ङ) दूरदर्शन और आकाशवाणी की ग्यारहवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विदेशी छात्र

2536. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी छात्र भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आईआईटी-वार ऐसे कितने छात्रों का पंजीकरण किया गया;

(ग) क्या आईआईटी का विचार विदेशी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशों में भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान आई.आई.टी. में नामांकित विदेशी छात्रों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	संस्थान का नाम	विदेशी छात्रों की संख्या		
		2005-06	2006-07	2007-08
1.	आई.आई.टी. मुम्बई	4	5	8
2.	आई.आई.टी. खड़गपुर	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आई.आई.टी. कानपुर	6	4	6
4.	आई.आई.टी. रूड़की	31	42	23
5.	आई.आई.टी. गुवाहाटी	शून्य	शून्य	शून्य
6.	आई.आई.टी. मद्रास	4	3	6
7.	आई.आई.टी. दिल्ली	शून्य	शून्य	1

(ग) और (घ) संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2008 का एक केन्द्र दुबई में स्थापित करने का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय प्रमाण-पत्र

2537. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने वर्ष 2001 से आज की तिथि तक विभिन्न विनिर्माताओं को जारी किए गए प्रमाण-पत्रों को अस्वीकृत/रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को डीजीएस एण्ड डी द्वारा प्रमाण-पत्रों को पुनः जारी करने के लिए कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001 से आज की तारीख तक 97 मामलों में विनिर्माताओं को जारी डीजीएस एण्ड डी पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए गए थे। निरस्त करने के कारणों में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा व्यावसायिक सौदों पर प्रतिबंध लगाया जाना, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र को स्वयं वापस किया जाना, विनिर्माताओं का डीजीएस एण्ड डी से सीधे सौदा करने के लिए इच्छुक न होना, पंजीकरण की शर्त अब पूरी न होना अर्थात् "फाल क्लाज" का उल्लंघन, आपूर्ति न करना, घटिया माल की आपूर्ति करना, दस्तावेज अथवा सूचना प्रस्तुत न करना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना, अपेक्षित परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने में विफल रहना, बैंक द्वारा यूनिट को कब्जे में ले लेना और विनिर्माण बन्द करना आदि शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योग की वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करना

2538. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लघु उद्योग क्षेत्र हेतु आरक्षित 506 वस्तुओं की सूची को 20 प्रतिशत कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव से लघु उद्योग प्रभावित होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इन उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) इस समय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र द्वारा विशेष विनिर्माण हेतु 114 वस्तुएं आरक्षित हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा विशेष विनिर्माण हेतु आरक्षित उत्पादों की सूची से अनारक्षण के लिए उत्पादों को चिन्हित करने से पूर्व उद्योग संघों, सरकार के मंत्रालयों तथा संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श किया जाता है। सरकार ऐसे परामर्श के आधार पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 के तहत गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखती है। परामर्श तथा सिफारिश की उपर्युक्त प्रक्रिया में अनेक मानदंडों पर विचार किया जाता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, रोजगार एवं निर्यात की संभावना, सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र में आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने की तकनीकी व्यवहार्यता तथा आर्थिक जीवनक्षमता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन की आवश्यकता तथा उन्नत अर्थव्यवस्था की उपलब्धि, आदि शामिल हैं। अनारक्षण की किसी प्रतिशतता पर अग्रिम में निर्णय नहीं लिया जाता है।

(ग) कहीं से भी विगत अनारक्षण के प्रतिकूल प्रभाव की कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर ध्यान देती है और एम एस ई की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोगी उपायों की व्यवस्था करने के लिए राज्यों के सहयोग से विभिन्न पूरक योजनाएं तथा कार्यक्रम कार्यान्वित करती है।

भारत और चीन के व्यापार

2539. श्री नवीन जिन्दल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाथूला और शिपकीला दर्रों के खोले जाने से भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दर्रों को दोनों ओर से सड़कों से जोड़ा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऊंचाई वाले इन दर्रों को खोले जाने से दोनों ओर से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में सहायता मिली है;

(च) क्या इन दर्रों के माध्यम से व्यापार की मात्रा को बढ़ाने हेतु कोई और कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान नाथुला के जरिए 19,68,235/- रुपए का व्यापार हुआ और वर्ष 2007-08 के दौरान अक्तूबर, 2007 तक 27,46,745/- रुपए का व्यापार हुआ था। वर्ष 2005-06 के दौरान शिपकीला के जरिए 316.26 लाख रुपये का व्यापार हुआ। तथापि, 2006-07 में व्यापार घटकर 7.01 लाख रुपये का रह गया।

(ग) और (घ) जी हां। दर्रे दोनों ओर से पक्की सड़कों से जुड़े हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) व्यापार मौसम 1 जून से 30 सितम्बर के स्थान पर 1 मई से 30 नवम्बर तक कर दिया गया है। शुल्क मुक्त सीमा व्यापार के अंतर्गत अलग-अलग सौदे की सीमा 25,000/- रुपए से बढ़ाकर 1,00,000/- रुपए कर दी गई है। व्यापारित वस्तुओं की सूची में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव भी चीन को किया गया है।

कर्नाटक पुलिस के साथ सीबीआई का समन्वय

2540. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का विचार ब्रिटेन के ग्लासगो विमानपत्तन का आस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में कथित आतंकवादी योजना के संबंध में राज्य में पुलिस जांच से मिली "संबंधित जानकारी" प्राप्त करने के लिए कर्नाटक पुलिस से समन्वय करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्रीय एजेंसी द्वारा इस जानकारी को जांच हेतु विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित प्राधिकारियों/एजेंसियों को सौंपने से पूर्व केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के साथ मिलकर इसकी जांच की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में राज्यों में इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166ख में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि किसी देश अथवा भारत से बाहर के किसी स्थान के ऐसे न्यायालय अथवा प्राधिकारी से यदि कोई अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जो उस देश अथवा स्थान में जांच किए जा रहे किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की जांच करने अथवा किसी दस्तावेज अथवा वस्तु को प्रस्तुत किए जाने के लिए उस देश अथवा स्थान में उक्त पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं, तो उचित समझे जाने पर केन्द्रीय सरकार उस पत्र को जांच के लिए किसी पुलिस अधिकारी के पास भेजेगी जो संबंधित अपराध की जांच उसी तरह से करेगा जैसे कि वह अपराध भारत में ही किया गया हो। गृह मंत्रालय ने आस्ट्रेलिया सरकार और यूनाईटेड किंगडम की सरकार से यू.के. में तथाकथित आतंकी प्लोट के संबंध में प्राप्त अनुरोध पत्रों की जांच करने के बाद भारतीय कानूनों के अनुमत दायरे में अनुरोध पत्रों का निष्पादन किए जाने के लिए सीबीआई को कर्नाटक पुलिस के साथ समन्वय करने के लिए कहा है।

(घ) आपराधिक मामलों में विधिक सहायता के लिए विदेशी राष्ट्रों से प्राप्त अनुरोध पत्रों पर विचार उक्त (क) से (ग) में दिए गए उत्तर में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता है।

डायरेक्ट-टू-होम सेवा

2541. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कैस की तर्ज पर डीटीएच (डायरेक्ट-टू-होम) सेवा के अंतर्गत टेलीविजन चैनलों के मूल्य निर्धारित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए डीटीएच के तहत तथा गैर-कैस क्षेत्रों में भी एक "फिक्स्ड चैनल" मूल्य निर्धारण फार्मूला बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(2) के अनुसार ट्राई को मूल्य

निर्धारित व नियत करने की अधिकार शक्ति प्राप्त है। ट्राई ने सूचित किया है कि कैस की तर्ज पर डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) प्लेटफार्म के तहत टी.वी. चैनलों की कीमत निर्धारित करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डी.टी.एच. सेवा अभी शैशवावस्था में है और केबल टी.वी. उपभोक्ताओं की तुलना में इसका प्रभाव स्तर काफी कम है। डी.टी.एच. प्लेटफार्म पर कीमतों का निर्धारण करते समय प्रभाव की विविक्षा, आई.पी.टी.वी. सेवाओं का प्रस्तावित वाणिज्यिक शुभारंभ और केबल टी.वी. को प्रभावी प्रतिस्पर्धा प्रदान करने को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) ट्राई ने 30.09.2007 को मौजूदा अंतरसंबंध विनियमन में संशोधन किया है ताकि डी.टी.एच. आपरेटर प्रसारकों से सस्ती दरों पर व्यष्टि आधार पर विषय-वस्तु प्राप्त कर उपभोक्ताओं को मुहैया करा सकें। ट्राई ने गैर-कैस क्षेत्रों के लिए दिनांक 4.10.2007 को एक प्रशुल्क संशोधन आदेश जारी किया है जिसमें देश के विभिन्न भागों के सशुल्क चैनलों की संख्या के आधार पर मासिक केबल टी.वी. प्रभारों पर उच्च सीमा निर्धारित की गयी है। गैर-कैस क्षेत्रों के लिए प्रशुल्क आदेश 01.12.2007 से प्रभावी होगा।

चिकित्सा वीजा

2542. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा उपचार हेतु भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए चिकित्सा वीजा (एम. वीजा) नामक एक नई श्रेणी के वीजा का आरंभ करने के संबंध में विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों/पोस्ट को 2005 के दौरान कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मिशनों/पोस्ट द्वारा उक्त वीजा जारी किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विदेशी नागरिक इस वीजा में रुचि दिखा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो यह वीजा शुरू होने के बाद से आज की तारीख तक कितने विदेशी नागरिक भारत आ चुके हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार मांग को देखते हुए एम. वीजा जारी करने की नीति को उधार बनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ज) इस मंत्रालय के दिनांक 21.6.2005 के परिपत्र संख्या 346 के तहत ''चिकित्सा वीजा'' (एम-वीजा) नामक एक नई श्रेणी के वीजा की शुरूआत की गई है। यह उन विदेशियों को दिया जाता जिन्होंने प्रारम्भिक चिकित्सा परामर्श अंपने मूल/आवास के देश में प्राप्त कर लिया है और उसे विशेषीकृत चिकित्सा उपचार लेने की सलाह दी गई है। विदेश स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट यह संतुष्टि करने के लिए चिकित्सा दस्तावेजों की जांच करते हैं कि चिकित्सा वीजा के लिए अनुरोध के लिए उद्देश्य सदाशयतापूर्ण है। चिकित्सा वीजा की प्रारम्भिक वैधता एक वर्ष के लिए अथवा उपचार की अवधि के लिए, इनमें से जो भी कम हो उस अवधि के लिए होती है। इसे भारत के विख्यात/मान्यताप्राप्त विशेषीकृत अस्पतालों से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकारों/एफआरआरओज द्वारा एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसकी और अधिक वृद्धि उपयुक्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित राज्य सरकारों/एफ आर आर ओज की सिफारिश पर, गृह मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है। यह वीजा एक वर्ष में अधिकतम तीन प्रविष्टियों के लिए वैध है। चिकित्सा वीजा पर भारत आने वाले विदेशियों को अपने भारत आगमन की तारीख से 14 दिनों के अंदर संबंधित एफ आर आर ओज/एफ आर ओ में स्वयं को पंजीकृत करा लेना अपेक्षित है।

विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/पोस्टों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे सामान्य जांच के अध्यधीन सभी पात्र विदेशियों को एम वीजा मंजूर करें। भारी संख्या में विदेशी लोग विशेषीकृत चिकित्सा उपचार के लिए एम वीजा प्राप्त कर रहे हैं। एम वीजा जारी करने की नीति को और अधिक उदार बनाने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान

2543. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास, व्यापार योजना, नीति बनाने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने में ''राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान'' की क्या भूमिका है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में संस्थान की उपलब्धियां क्या रहीं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान है। संस्थान की मुख्य भूमिका देश में प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और सूचना के माध्यम से उद्यमिता विकास का संवर्धन करने संबंधी है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्थान उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करता है और स्व-रोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं को अभिप्रेरित करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम के रूप में संस्थान प्रशिक्षुओं की व्यवसाय योजनाएं तैयार करने में भी सहायता करता है। संस्थान विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे क्लस्टर विकास कार्यक्रमों के तहत औद्योगिक क्लस्टरों के विकास के लिए शीर्ष एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त संस्थान सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों, विपणन अनुसंधान, मूल्यांकन अध्ययन, आदि के रूप में सरकार के लिए नीति निरूपण हेतु इनपुटों की व्यवस्था भी करता है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान संस्थान की उपलब्धियां निम्नोक्त हैं:

वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	सर्वेक्षणों, अध्ययन, परामर्श, आदि की संख्या	सहायता प्राप्त क्लस्टरों की सं.
2004-05	280	20	21
2005-06	279	23	23
2006-07	234	21	38

विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर प्रदान की जा रही कर रियायतें

2544. **श्री के.एस. राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर बिल्डरों को कोई कर रियायत प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सुविधा के दुरुपयोग का पता लगाने तथा रोकने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने वाले विकासकर्त्ता और प्राधिकृत प्रचालनों के लिए जोनों के भीतर स्थापित होने वाली इकाइयां ही कर छूटों की पात्र हैं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सीबीएसई द्वारा नए पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया जाना

2545. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) फिल्मों सहित नए पाठ्यक्रमों को अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नए पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए पाठ्यक्रमों को पढ़ाने हेतु विशेषज्ञों को भर्ती किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर नए पाठ्यक्रम शुरू करता है। नए पाठ्यक्रम शुरू करने से पूर्व, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का समुचित ध्यान रखा जाता है।

[अनुवाद]

गेहूं का पेटेंट

2546. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गेहूं के पेटेंट संबंधी मुद्दे की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जांच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 (जे) के अनुसरण में पौधों तथा जानवरों का पूर्णतः अथवा उनका कोई भाग पेटेंटनीय नहीं है। फिर भी, पादप किस्म तथा किसान अधिकार अधिनियम, 2001 (प्रोटेक्शन आफ प्लांट वारायटिज एण्ड फारमर्स राइट्स एक्ट, 2001) के तहत देश में गेहूं की किस्में संरक्षणीय है क्योंकि गेहूं उस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित फसलों की किस्मों में से एक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस

2547. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड में लौह अयस्क हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उस क्षेत्र के विभिन्न आवेदकों के संबंध में केन्द्र सरकार को मूल्यांकन का ब्यौरा भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) झारखण्ड राज्य सरकार से 01.01.2006 से आज तक मै. जेएसडब्ल्यू स्टील लि., मै. एस्सार स्टील लि. तथा मै. टाटा स्टील लि. के पक्ष में लौह अयस्क के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) मंजूर किये जाने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन चाहने वाले तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने मै. जेएसडब्ल्यू स्टील लि. तथा मै. टाटा स्टील लि. से संबंधित प्रस्तावों में पीएल के लिए पात्र आवेदकों के संबंध में गुण-दोषों का तुलनात्मक चार्ट भेजा है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संस्तुत क्षेत्र हेतु पीएल के लिए केवल मै. एस्सार स्टील लि. एकमात्र आवेदक है। राज्य सरकार ने इस आधार पर सभी तीनों कंपनियों के पक्ष में पीएल मंजूर करने की सिफारिश की है कि इन कंपनियों ने राज्य में मूल्यवर्धक उद्योग लगाने का प्रस्ताव किया है। आज की तारीख तक भारत सरकार ने लौह-अयस्क के लिए मै. जेएसडब्ल्यू स्टील लि. के पक्ष में पीएल मंजूर करने हेतु पूर्व अनुमोदन सूचित किया है।

अग्निशमन सेवा पदक विजेताओं को सुविधाएं

2548. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वीरता हेतु अग्निशमन सेवा पदक विजेताओं को पुलिस कार्मिकों को इसी प्रकार के पुरस्कार दिए जाने की तर्ज पर पहचान-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा निःशुल्क रेल पास नहीं दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) अग्निशमन सेवा पदक विजेताओं को वीरता हेतु वही मौद्रिक लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, जो पुलिस मैडल विजेताओं को वीरता के लिए उपलब्ध हैं।

पुलिस मैडल विजेताओं को वीरता के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं के लाभ अग्निशमन सेवा पदक विजेताओं को वीरता के लिए प्रदान किए जाने हेतु हाल ही में प्राप्त अनुरोधों पर अभी निर्णय लिया जाना है।

एचआईवी पीड़ित लोगों की भर्ती

2549. श्री मिलिन्द देवरा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी नौकरियों और केन्द्रीय पुलिस बलों में एचआईवी से पीड़ित लोगों की भर्ती के संबंध में गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मतों में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्द्ध सैनिक बलों के एचआईवी से पीड़ित कार्मिकों को सेवा मुक्त किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकारी सेवा और अर्द्ध-सैनिक बल-वार कितने कार्मिकों को सेवा से मुक्त किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में नीति की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों पर इस समय लागू राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति में सैन्य बलों में रोजगार नियोजन से पहले कुछ शर्तों के अध्यधीन एच आई वी जांच करने से छूट दिए जाने का प्रावधान है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल के कार्मिकों को सीमा पर तथा देश के दूरदराज के क्षेत्रों में काम करना पड़ता है अत: केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की भर्ती के संबंध में भी ऐसी ही छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों से किसी भी एच आई वी पोजिटिव कार्मिक को सेवामुक्त नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

2550. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं/लागू की गई हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार राज्य सरकारों के अलावा, केंद्र सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, महिला उद्यमियों के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती है:

(1) व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रेड) और

(2) कोलेटरल सिक्योरिटी देने में असमर्थ महिलाओं द्वारा संचालित/स्वामित्व वाले उद्यमों को सभी ऋणों के 80 प्रतिशत की सीमा तक क्रेडिट गारंटी कवर।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई लाभदायक योजनाएं घोषित की हैं, जैसे:-

(1) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत महिला उद्यमियों के लिए क्लस्टरों के विकास और प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक अनुदान की विशेष सहायता।

(2) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन हेतु पैकेज में की गई घोषणा के अनुसार 500 रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षु की छात्रवृत्ति के प्रावधान के साथ महिलाओं और अन्य लाभवंचित वर्गों के लिए मुफ्त विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों (कौशल विकास/उद्यमिता विकास/प्रबंधकीय विकास, आदि) का आयोजन।

(3) 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता के माध्यम से महिला उद्यमियों द्वारा बाजार तक पहुंच में सुधार।

(ग) और (घ) इन योजनाओं में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन शामिल नहीं होता। ट्रेड और क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I और II के रूप में संलग्न है। उपरोक्त 1, 2 और 3 में उद्धृत लाभों के तहत की गई प्रगति वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध होगी क्योंकि ये नए लाभ वर्तमान वर्ष के दौरान पहली बार कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

विवरण I

व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास (ट्रैड) योजना के तहत दी गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान लाख रु. में)			लाभान्वित महिलाओं की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1.	असम	8.67	1.95	2.50	97	178	
2.	उत्तराखंड	7.00	3.00	3.00	69	75	60
3.	कर्नाटक	10.00			19		
4.	दिल्ली		1.00			72	
5.	पश्चिम बंगाल		5.00	5.25		235	60
6.	मध्य प्रदेश		5.00			100	
7.	तमिलनाडु		14.25	22.05		640	474
8.	उत्तर प्रदेश		10.00	6.00		200	120
9.	गुजरात		1.73	1.25		100	0
10.	मणिपुर			2.00			40
11.	पूर्वोत्तर प्रदेश (एसआईएसआई)			0.60			
12.	एमएसएमई-डीआई			3.90			
	कुल	25.67	41.93	46.55	185	1600	754

विवरण II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
सितम्बर 30, 2007 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार अनुमोदित गारण्टियां (संचयी)

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला उद्यमी		कुल प्रस्ताव		महिलाओं का प्रतिशत	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (लाख रु. में)	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार	4	4.49	28	41.32	14.29%	10.86%
2.	आंध्र प्रदेश	2298	2260.59	6291	7667.18	36.53%	29.48%
3.	अरुणाचल प्रदेश	55	37.50	138	158.29	39.86%	23.69%

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	497	866.26	2252	4887.21	22.07%	17.72%
5.	बिहार	548	1009.65	3398	4755.45	16.13%	21.23%
6.	चंडीगढ़	34	259.34	166	1198.04	20.48%	21.65%
7.	छत्तीसगढ़	153	1084.44	991	5690.03	15.44%	19.06%
8.	दादरा और नगर हवेली	2	10.00	13	83.28	15.38%	12.01%
9.	दमन और दीव	4	35.00	23	239.75	17.39%	14.60%
10.	दिल्ली	69	474.38	353	3009.52	19.55%	15.76%
11.	गोवा	40	98.38	183	800.82	21 .86%	12.29%
12.	गुजरात	379	1524.73	2275	14520.03	16.66%	10.50%
13.	हरियाणा	729	851,20	2417	4849.04	30.16%	17.55%
14.	हिमाचल प्रदेश	363	423.23	1321	2398.63	27.48%	17.64%
15.	जम्मू-कश्मीर	366	196.44	866	802.89	42.26%	24.47%
16.	झारखण्ड	133	430.96	1555	7171.12	8.55%	6.01%
17.	कर्नाटक	1072	4614.99	6118	30435.74	17.52%	15.16%
18.	केरल	4968	4030.90	13235	18534.34	37.54%	21.75%
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	1	0.50	0.00%	0.00%
20.	मध्य प्रदेश	765	1533.02	3454	9296.23	22.15%	16.49%
21.	महाराष्ट्र	276	1737.98	1805	13203.20	15.29%	13.16%
22.	मणिपुर	46	68.39	101	149.65	45.54%	45.70%
23.	मेघालय	91	182.76	254	752.01	35.83%	24.30%
24.	मिजोरम	130	205.39	284	450.05	45.77%	45.64%
25.	नागालैंड	31	104.19	93	259.86	33.33%	40.09%
26.	उड़ीसा	975	1604.80	4998	7557.66	19.51%	21.23%
27.	पुडुचेरी	21	154.50	232	563.72	9.05%	27.41%
28.	पंजाब	332	497.13	1485	4504.14	22.36%	11.04%
29.	राजस्थान	663	798.51	3319	3939.13	19.98%	20.27%
30.	सिक्किम	20	47.99	72	204.18	27.78%	23.50%

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	तमिलनाडु	1480	5034.19	9160	32930.32	16.16%	15.29%
32.	त्रिपुरा	28	26.74	232	304.80	12.07%	8.77%
33.	उत्तर प्रदेश	1195	2165.59	9453	13388.44	12.64%	16.18%
34.	उत्तराखण्ड	44	210.72	239	1397.45	18.41%	15.08%
35.	पश्चिम बंगाल	761	2625.79	4540	19076.00	16.76%	13.76%
	कुल	18572	35210.14	81345	215220.01	22.83%	16.36%

महिला उद्यमियों से प्रस्ताव	संख्या	राशि
31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार	4898	7998
31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार	7304	15625
31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार	15430	27817

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दिवाली के दौरान पटाखों का उपयोग

2551. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दिवाली मनाने के दौरान पटाखों के उपयोग के संबंध में हो-हल्ला मचा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दीवाली मनाने के दौरान पटाखों के उपयोग के संबंध में आम जनता में कोई हो हल्ला नहीं मचा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) त्यौहारों के मौसम में जल्दी धन कमाने के लिए पटाखों की अवैध जमाखोरी/अधिक जमाखोरी की शिकायत मिली थी। चूंकि जो व्यापारी सामान्यत: अपनी दुकानों में पटाखे रखने और बेचने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, वे अन्य ज्वलनशील मदें भी बेचते हैं इसलिए आग लगने की दुर्घटना होने की गंभीर सम्भावनाएं रहती हैं। इसलिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने खतरे को कम करने के लिए विभिन्न दुकानों/गोदामों की तलाशी ली थी।

इन एहतियाती उपायों के कारण संघ राज्य क्षेत्र में दीवाली का त्यौहार आग की किसी घटना के बिना शांतिपूर्वक बीत गया।

[हिन्दी]

निजी विद्यालयों में शुल्क ढांचा

2552. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी विद्यालयों में शुल्क ढांचे के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निजी विद्यालयों के शुल्क ढांचे पर निगरानी रखने के लिए क्या उपबंध किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त उपबंधों के उल्लंघन की दशा में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) चूंकि शिक्षा समवर्ती विषय है, स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उपनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं-

"1. फीस संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए। फीस सामान्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों हेतु निर्धारित शीर्ष के अंतर्गत ली जानी चाहिए। स्कूल में दाखिला लेने अथवा किसी अन्य उद्देश्य हेतु कोई कैपीटेशन फीस अथवा कोई स्वैच्छिक चन्दा स्कूल के नाम से नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे कदाचार के मामले में बोर्ड सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर सकता है।

2. यदि कोई छात्र माता-पिता के स्थनांतरण अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारणों की बाध्यता से स्कूल छोड़ता है अथवा सत्र पूरा करने से पहले छात्र की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में तिमाही/सत्र-वार्षिक फीस यथानुपात लौटाई जानी चाहिए।

3. गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस संशोधित करने से पूर्व माता-पिताओं के प्रतिनिधियों के माध्मय से माता-पिताओं से परामर्श करना चाहिए। फीस को शैक्षिक सत्र के मध्य में संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।"

संदान

2553. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पब्लिक स्कूलों में संदान राशि लेकर प्रवेश दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किस प्रकार के नियंत्रण का उपयोग किया जाता है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल एक विषय है, अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उपनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं- "फीस संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप होनी चाहिए। फीस सामान्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों हेतु निर्धारित शीर्ष के अंतर्गत ली जानी चाहिए। स्कूल में दाखिला लेने अथवा किसी अन्य उद्देश्य हेतु कोई कैपीटेशन फीस अथवा कोई स्वैच्छिक चन्दा स्कूल के नाम से नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे कदाचार के मामले में बोर्ड सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता तक रद्द कर सकता है।" इसी प्रकार, अन्य विद्यालयों के लिए यह संबंधित सरकारों तथा परीक्षा बोर्डों पर निर्भर करता है कि वे इन पर आवश्यक कार्रवाई करें।

विद्यालयों में सुरक्षा मानदंड

2554. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह देखने के लिए किसी निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की है कि पूरे देश में राज्य सरकारें विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और देखभाल हेतु मानदंडों का पालन कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। केन्द्र सरकार स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्यों को सलाह/दिशा-निर्देश भी जारी करती है। हाल ही में राज्य सरकार को निम्नलिखित सलाह दी गई है:-

1. स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु दिनांक 1.3.2006 की सलाह।

2. अध्ययन दौरे के दौरान 'स्कूली बच्चों की सुरक्षा' के संबंध में दिनांक 9.8.2006 की सलाह।

3. स्कूलों में छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कराने हेतु दिनांक 8.8.2006 की सलाह।

[अनुवाद]

आकाशवाणी का कार्यनिष्पादन

2555. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एफएम चैनलों की तुलना में आकाशवाणी के कार्यनिष्पादन के बारे में जनता की राय जानने हेतु कोई प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) आकाशवाणी का देश भर में 38 आकाशवाणी स्टेशनों में श्रोता अनुसंधान इकाईयों का एक नेटवर्क है। ये इकाईयां विभिन्न आकाशवाणी स्टेशनों से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों पर श्रोताओं का फीडबैक एकत्र करती हैं। अन्य निजी एफएम चैनलों की तुलना में एफएम चैनलों सहित आकाशवाणी स्टेशनों की श्रोता संख्या संबंधी आंकड़ों का विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न स्टेकहोल्डरों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।

(ख) देश भर में निजी एफ एम चैनलों की तुलना में आकाशवाणी एफएम स्टेशनों की श्रोता संख्या संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा (2006-07) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश भर के एफ एम चैनलों की संख्या-2006-07

क्र.सं.	स्टेशनों के नाम	चैनल	कवर की गई आबादी	श्रोता लाख में (एक दिन में)	श्रोता (%) (एक दिन में)
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	रेनबो	163.80	71.91	36.0
2.	कोलकाता	रेनबो	175.10	23.94	29.0
3.	मुम्बई	रेनबो	180.00	54.00	43.2
4.	चेन्नई	रेनबो	98.25	15.18	25.8
5.	बंगलौर	रेनबो	65.23	38.70	69.1
6.	कोयम्बटूर	रेनबो	36.81	10.74	48.8
7.	कटक	रेनबो	13.40	03.06	20.0
8.	जालंधर	रेनबो	27.05	07.76	55.4
9.	कोडइकनाल	रेनबो	99.01	60.48	56.0
10.	लखनऊ	रेनबो	36.81	10.34	51.7
11.	पणजी	रेनबो	11.50	04.03	57.5
12.	तिरूचिरापल्ली	रेनबो	31.15	08.24	62.04
			938.11	308.92	राष्ट्रीय औसत 46.2

1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	गोल्ड	144.00	69.69	39.0
2.	कोलकाता	गोल्ड	132.20	09.45	15.0
3.	मुंबई	गोल्ड	160.00	49.39	44.1
4.	चेन्नई	गोल्ड	75.82	03.43	07.3
			512.02	131.96	राष्ट्रीय औसत 26.03

महानगरों में एफ एम स्टेशनों की तुलनात्मक श्रोता संख्या (आंकड़े % में)

क्र.सं.		रेनबो	गोल्ड	मिर्ची	रेड एफएम	रेडियो सिटी	सूर्यन एफएम	अमर	पावर	गो	अमृत वर्षाणी
1.	दिल्ली	36.0	39.0	56.8	25.7	42.7	–	–	–	–	–
2.	चेन्नई	25.8	7.3	18.4	–	–	36.6	–	–	–	–
3.	कोलकाता	29.0	15.0	35.9	13.1	–	–	11.3	9.7	–	–
4.	मुंबई	43.2	44.1	30.2	18.8	25.5	–	–	–	4.8	–
5.	बंगलौर	69.1	–	–	–	26.5	–	–	–	–	–
6.	कोयम्बटूर	48.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	जालंधर	55.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	कोडइकनाल	56.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	पणजी	57.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	लखनऊ (जिले स्टेशन-रेनबो)	51.7	–	–	–	35.6	–	–	–	–	–
11.	हैदराबाद	83.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	शिलांग	59.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	कसौली	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	मसूरी	57.0	–	27.3	–	18.7	–	–	–	–	–
15.	कर्सियांग	70.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग

2556. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सहायता राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को सर्व शिक्षा अभियान तथा महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है, इन दोनों कार्यक्रमों का यूनाइटिड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा आंशिक वित्तपोषण किया जाता है।

आव्रजन विभाग में भ्रष्टाचार

2557. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तनों पर तैनात आव्रजन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2005, 2006 और 2007 (आदिनांक) के दौरान दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नै और अमृतसर नामक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर स्थित आव्रजन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/रिश्वतखोरी से संबंधित तेरह शिकायतें दर्ज की गई थीं। इन सभी शिकायतों की जांच की गई तथा तीन मामलों में पाए गए तथ्यों के आधार पर तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। बाकी 10 मामलों में आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके।

विश्वविद्यालयों में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध

2558. श्री अजीत जोगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी विश्वविद्यालयों में छात्र कैंटीन में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी विश्वविद्यालयों द्वारा सरकार के निर्णय को लागू किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या हं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी शैक्षिक संस्थानों को उनकी कैन्टीन में जंक फूड तथा कोल्ड ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

ट्रांसजेन्डर जनसंख्या

2559. श्री के. सुब्बारायण: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में की गई जनगणना में ट्रांसजेन्डर की जनसंख्या का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में ट्रांसजेन्डर जनसंख्या का आवश्यक अनुमान लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) जी नहीं। यह सूचना ना तो जनगणना से एकत्रित की जाती है और ना ही देश में ट्रांसजेंडर जनसंख्या का अनुमान लगाने का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

परिवहन राजसहायता योजना

2560. श्री महावीर भगोरा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई परिवहन राजसहायता योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां पर परिवहन राजसहायता योजना लागू की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को राजसहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या इस योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां। परिवहन राजसहायता योजना देश के पहाड़ी दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 23 जुलाई, 1971 को शुरू की गई थी।

(ख) यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्यों, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले, संघशासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और दादर एवं नगर हवेली में क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत कुल 244.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों के राज्यवार ब्यौरे तथा संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) परिवहन राजसहायता योजना, 1971 योजना आयोग के मूल्यांकनाधीन है।

विवरण

1. परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी की गई तथा उपयोग की गई राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07
1.	असम	33.56	21.45	28.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	03.40	07.97	11.64
3.	मणिपुर	-	-	01.14
4.	मेघालय	19.36	20.32	17.95
5.	मिजोरम	13.90	01.21	00.48
6.	नागालैंड	-	-	24.62
7.	त्रिपुरा	00.28	01.4	00.73
8.	सिक्किम	-	00.59	02.63
9.	जम्मू-कश्मीर	05.00	-	05.98
10.	हिमाचल प्रदेश	06.00	04.50	06.50
11.	उत्तराखण्ड	04.41	-	-
12.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)	00.36	-	-
13.	अण्डमान	00.91	00.14	-
14.	लक्षद्वीप	-	-	-
	कुल	87.18	57.58	99.83

2. लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
1.	असम	333
2.	अरुणाचल प्रदेश	58
3.	मणिपुर	1
4.	मेघालय	144
5.	मिजोरम	754
6.	नागालैंड	613
7.	त्रिपुरा	59
8.	सिक्किम	15
9.	जम्मू-कश्मीर	253*
10.	हिमाचल प्रदेश	3472*
11.	उत्तराखण्ड	1150*
12.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)	उपलब्ध नहीं
13.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं
14.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

भारत-म्यांमार व्यापार

2561. डा. टोकचोम मैन्या:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और म्यांमार के बीच आधिकारिक व्यापार की तुलना में गैर-आधिकारिक व्यापार बहुत अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारत-म्यांमार व्यापार विशेषकर सीमा पर भारत-म्यांमार व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और म्यांमार के बीच गैर-अधिकारिक व्यापार को रोकने और व्यापार क्षेत्र एवं मूल्य को बढ़ाने के लिए म्यांमार के साथ विद्यमान द्विपक्षीय सीमा व्यापार समझौते में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) अनधिकृत व्यापार का कोई भी मामला जानकारी में नहीं आया है। पिछले 6 वर्षों के दौरान भारत और म्यांमार के बीच व्यापार की मात्रा निम्नानुसार है:-

(मूल्य मिलियन अम. डा. में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2001-02	60.89	374.43	435.32
2002-03	75.07	336.04	411.12
2003-04	89.64	409.01	498.66
2004-05	113.19	405.91	519.11
2005-06	110.7	525.96	636.66
2006-07	140.06	782.54	922.59

(ग) से (च) भारत और म्यांमार के बीच 21.1.94 को सीमा व्यापार संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 12.4.95 को लागू हुआ था। भारत-म्यांमार द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समय-समय पर चर्चा की जाती है।

[हिन्दी]

लम्बित औद्योगिक परियोजनाएं

2562. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों की कुछ औद्योगिक परियोजनाएं केंद्र सरकार के अनुमोदनार्थ लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) इस मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन हेतु राज्य सरकारों की कोई औद्योगिक परियोजनाएं लंबित नहीं हैं। तथापि, उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को पांच लाइसेंसनीय उद्योगों के संबंध में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। लाइसेंसमुक्त क्षेत्र के तहत उद्यमियों को इस विभाग के औद्योगिक सहायता सचिवालय (एस.आई.ए.) में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) दायर करना होता है। औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों का निपटान एक निरंतर प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

लघु क्षेत्र के लिए योजनाएं

2563. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत लागू की गई बड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आबंटित की गई धनराशि, खर्च की गई धनराशि और अप्रयुक्त शेष धनराशि का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, ग्राम एवं कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करता है। कुछ प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर सूचीबद्ध है।

(ख) वर्तमान वर्ष के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत आबंटित निधियां और व्यय संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर सूचीबद्ध है। अधिकतर योजनाएं/कार्यक्रम मांग आधारित हैं और इसलिए निधियों का आबंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं किया जाता है।

विवरण I

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कुछ प्रमुख प्लान योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

1. क्रेडिट गारण्टी फंड योजना

यह योजना नए एवं विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 50 लाख रु. तक के ऋणों पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा विस्तारित समपार्श्विकता मुक्त क्रेडिट (सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण) के 75 प्रतिशत तक का (महिलाओं के लिए 80) गारण्टी कवर प्रदान करती है। योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के प्रशासकीय नियंत्रण में है।

2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक क्लस्टर अर्थात् किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में समान अथवा एक ही प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के समुच्चय का होलिस्टिक विकास करना है। ऐसे क्लस्टरों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान निदानात्मक अध्ययन द्वारा की जाती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, आदि जैसे क्षेत्रों में अनुभव की जा रही आवश्यकताओं के संबंध में क्लस्टर के विकास के लिए कार्रवाई योजना तैयार की जाती है।

3. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)

आरईजीपी के तहत, उद्यमी अधिकतम 25 लाख रु. की लागत वाली परियोजनाओं के लिए केवीआईसी से मार्जिन मनी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से ऋण लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में ग्रामोद्योग स्थापित कर सकते हैं।

4. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

पीएमआरवाई के तहत, देशभर में अपने उद्यम स्थापित करने में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान की जाती है। पीएमआरवाई के तहत कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों परन्तु प्रत्यक्ष कृषि प्रचालनों जैसे कि फसल उगाना, खाद की खरीद, आदि को छोड़कर आर्थिक रूप से जीवनक्षम सभी कार्यकलाप स्वीकार्य हैं।

5. आईएसओ-9000/आईएसओ-14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा आईएसओ-9000 प्रमाणन प्राप्त करने की लागत की 75 प्रतिशत अथवा 75,000 जो भी कम हो, की मात्रा तक प्रतिपूर्ति की जाती है। योजना का उद्देश्य लघु उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाकर उनकी विपणनयोग्यता में सुधार लाना है।

6. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम

स्वरोजगार-रत बनने के लिए अपेक्षित कौशल प्राप्त करने के लिए बेरोजगार युवाओं को समर्थ बनाने की दृष्टि से ईडीपी/एमडीपी संचालित किए जाते हैं। पाठ्यक्रमों में 22.5 प्रतिशत सीटें समाज के कमजोर वर्गों के समर्थन में आरक्षित की जाती हैं, जिन्हें बिना किसी लागत के प्रशिक्षित किया जाता है और ऐसे प्रशिक्षण के दौरान प्रति माह 500 रु. की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

7. महिला कयर योजना

कयर बोर्ड की महिला कयर योजना के तहत राज्य में ग्रामीण महिलाओं को छात्रवृत्ति सहित स्पिनिंग कयर यार्न पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की समाप्ति पर स्पिनिंग रैट्स की प्राप्ति के लिए सफल प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

विवरण II

वर्तमान वर्ष 2007-08 के दौरान आबंटित निधियों और व्यय का योजना-वार विवरण दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	योजना का नाम विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय	वार्षिक योजना 2007-08 (ब.अ.)	व्यय
1.	क्रेडिट गारण्टी फंड योजना*	190.00	190.00
2.	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)*	43.00	0.21
3.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी)	539.00	222.49
4.	प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)	320.00	174.15
5.	आईएसओ-9000/आईएसओ-14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना*	10.00	2.75
6.	उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम*	6.12	1.28
7.	महिला कयर योजना	3.00	0.26

*26.11.2007 की स्थिति के अनुसार आंकड़े
अन्य-31.10.2007 को स्थिति के अनुसार आंकड़े

औद्योगिक पार्क योजना

2564. श्री हरिन पाठक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा औद्योगिक पार्क योजना चलाई और संचालित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक पार्क योजना का उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसमें उच्च गुणवत्ता की ढांचागत सुविधाएं केन्द्रीयकृत तौर पर उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि ऐसी परियोजनाओं से चलाई जाने वाली इकाइयों को सौदे की कम लागतों और कम अवधि में ही कार्य शुरू करने के लाभ मिल सकें। इस योजना के तहत, औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए उपक्रमों को आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के तहत कर छूट उपलब्ध कराई जाती है, जो कि उपक्रम द्वारा पार्क शुरू करने से लेकर पंद्रह वर्ष की अवधि में से किन्हीं भी क्रमिक दस वर्षों के लिए प्रदान की जा सकती है।

विद्यालयों में अवसंरचना

2565. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विद्यालयों में अवसंरचना के अभाव के कारण 50 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों से बाहर ही रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्यायलों में अवसंरचना की भारी कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संकलित चुनिंदा शैक्षिक आंकड़े, 2004-05 के अनुसार (30.9.2004 को संदर्भ तिथि मानते हुए) प्रारम्भिक (कक्षा 1-8), माध्यमिक (9-10), तथा उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात क्रमशः 93.5 प्रतिशत, 51.65 प्रतिशत तथा 27.82 प्रतिशत है। भारत सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को समयबद्ध तरीके से सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से सर्वशिक्षा अभियान कार्यान्वित कर रही है। राज्य रिपोर्टों के अनुसार 2007 में 6-14 वर्ष के आयुवर्ग में "स्कूल न जाने वाले" बच्चों की संख्या घटकर लगभग 75 लाख हो गई है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु "माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने" की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

(घ) और (ङ) बुनियादी सुविधाओं का अभाव उन कई कारणों में से एक है जिनके कारण कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सर्व शिक्षा अभियान तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं योजना अवधि में 11.73 लाख अतिरिक्त अध्ययन कक्ष संस्वीकृत किए गए हैं।

[हिन्दी]

एन.सी.टी.ई. के अंतर्गत मान्यता

2566. डा. धीरेंद्र अग्रवालः
श्री किन्जरपु येरननायडुः
श्री हरिकेवल प्रसादः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित देश में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी शैक्षणिक संस्थाओं ने बी.एड. और डी.एड. कोर्स शुरू करने हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किए हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार पृथक-पृथक कितने आवेदनों को मंजूर किया गया है;

(ग) राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार शेष आवेदनों को मंजूरी कब तक मिलने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कितनी संस्थाओं का निरीक्षण किया गया है;

(ङ) क्या इस संबंध में अनावश्यक विलम्ब होता है और आवेदन को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मुख्यालय में अग्रेषित करने में कदाचार की शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विवरण के कालम 1 से 10 में दी गई सूचना संलग्न है।

(ग) 13.1.2006 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली, 2005 (मान्यता संबंधी मानदण्ड एवं प्रक्रिया) के अनुसार आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है। जयपुर, बंगलौर, भोपाल तथा भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां अन्य बातों के साथ-साथ संबद्ध अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानकों तथा मानदण्डों के साथ-साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, नियम अथवा विनियमों के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही सम्बद्ध संस्था को मान्यता प्रदान करती हैं। अएतव मान्यता प्रदान करना आवेदक संस्था द्वारा सभी औपचारिकताओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदण्डों तथा विनियमों के अनुसरण में यथासमय पूरा किए जाने पर निर्भर करता है।

(घ) सम्बद्ध अवधि के दौरान जांच की गई संस्थाओ के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण के कालम 1, 2 तथा 11 से 14 में दी गई है।

(ङ) और (च) मान्यता प्राप्त करने संबंधी आवेदन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों को मान्यता प्रदान करने के अधिकार दिए गए हैं। क्षेत्रीय समितियों के लिए इन आवेदनों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को भेजना आवश्यक नहीं होता।

विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	प्राप्त आवेदनों की संख्या				प्रदत्त मान्यता की संख्या				मान्यता हेतु जांच की गई संस्थाओं की संख्या			
		04-05	05-06	06-07	07-08*	04-05	05-06	06-07	07-08*	04-05	05-06	06-07	07-08*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	बी.एड.	35	139	235	53	27	20	02	226	27	104	170	34
	डी.एड.	38	42	39	35	0	159	0	0	03	21	26	12
कर्नाटक	बी.एड.	48	55	41	45	36	25	06	02	38	30	10	14
	डी.एड.	102	460	106	43	45	225	40	01	86	292	44	14
केरल	बी.एड.	23	38	12	01	14	08	0	0	18	26	08	0
	डी.एड.	16	49	08	03	07	12	02	0	11	31	06	01
तमिलनाडु	बी.एड.	257	271	246	87	162	147	52	04	170	162	50	27
	डी.एड.	184	460	347	61	111	269	30	01	116	298	63	34
पाण्डिचेरी	बी.एड.	17	04	04	0	06	10	0	0	06	0	01	0
	डी.एड.	20	11	08	01	06	01	01	0	06	03	01	0
अरुणाचल प्रदेश	बी.एड.	0	02	0	0	0	01	0	0	0	02	0	0
	डी.एड.	02	0	0	0	02	0	0	0	02	0	0	0
असम	बी.एड.	08	05	0	01	05	01	0	0	08	04	0	0
	डी.एड.	08	0	01	0	0	0	0	0	03	0	01	0
बिहार	बी.एड.	09	06	20	17	04	04	06	0	04	06	12	01
	डी.एड.	08	03	06	08	03	01	01	0	06	02	01	01
झारखण्ड	बी.एड.	24	04	10	08	16	0	02	0	20	02	07	02
	डी.एड.	04	05	03	01	01	0	02	0	02	05	03	0
मणिपुर	बी.एड.	02	01	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0
	डी.एड.	08	0	0	0	08	0	0	0	08	0	0	0
मेघालय	बी.एड.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	डी.एड.	0	01	03	0	0	0	0	0	0	01	02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मिजोरम	बी.एड.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	डी.एड.	0	01	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0
नागालैंड	बी.एड.	0	0	01	0	01	0	0	0	0	0	01	0
	डी.एड	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	बी.एड.	02	02	01	02	01	01	0	0	01	02	01	0
	डी.एड.	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	01	0
सिक्किम	बी.एड.	01	01	0	0	01	0	0	0	01	0	0	0
	डी.एड.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	बी.एड.	01	0	0	0	01	0	0	0	01	0	0	0
	डी.एड.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	बी.एड.	14	30	41	11	08	20	14	01	12	24	33	03
	डी.एड	07	42	63	02	0	09	0	0	02	33	32	0
हरियाणा	बी.एड.	29	84	244	182	19	72	192	92	23	74	195	92
	डी.एड.	15	23	70	102	13	11	48	10	14	13	50	10
हिमाचल प्रदेश	बी.एड.	05	14	24	16	04	13	18	0	04	13	18	03
	डी.एड.	02	10	03	11	0	0	0	0	0	01	0	0
पंजाब	बी.एड.	82	44	34	38	75	31	28	27	75	34	30	27
	डी.एड.	08	08	66	06	07	07	27	06	08	07	27	06
राजस्थान	बी.एड.	323	27	271	98	260	22	164	11	303	19	228	30
	डी.एड.	05	57	84	33	05	48	52	06	05	54	67	13
उत्तर प्रदेश	बी.एड.	250	51	136	143	162	13	43	25	162	19	46	76
	डी.एड.	102	20	09	24	83	07	0	03	83	10	0	03
उत्तरांचल	बी.एड.	52	08	07	14	38	04	03	0	38	01	04	0
	डी.एड.	02	03	0	01	01	03	0	0	01	02	0	0
चंडीगढ़	बी.एड.	0	01	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	डी.एड.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	बी.एड.	07	22	12	14	02	01	07	02	02	0	08	02
	डी.एड.	11	12	01	05	03	01	0	01	03	05	01	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
छत्तीसगढ़	बी.एड.	37	24	35	08	12	13	0	0	18	18	13	0
	डी.एड.	08	04	02	04	03	01	0	0	05	03	0	0
गोवा	बी.एड.	01	0	0	0	01	01	0	0	01	0	0	0
	डी.एड.	0	01	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0
गुजरात	बी.एड.	41	131	142	12	37	77	44	0	41	94	94	01
	डी.एड.	133	255	121	10	118	183	30	0	125	215	59	03
मध्य प्रदेश	बी.एड.	192	45	175	92	160	27	21	0	177	33	87	10
	डी.एड.	42	90	135	94	39	73	23	0	41	80	70	07
महाराष्ट्र	बी.एड.	99	156	357	112	20	79	29	0	24	104	72	0
	डी.एड.	222	558	1295	346	150	394	114	0	173	465	415	09
दादर और	बी.एड.	0	0	01	0	0	0	01	0	0	0	01	0
नगर हवेली	डी.एड.	0	0	01	0	0	0	01	0	0	0	01	0
दमन और दीव	बी.एड.	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	डी.एड.	0	02	01	0	0	02	0	0	0	02	0	0

*अद्यतन स्थिति के अनुसार।

[अनुवाद]

भारत और थाईलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता

2567. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा क्षेत्र में सर्वसम्मति न बन पाने के कारण भारत और थाईलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच सेवा और निवेश क्षेत्र संबंधी कोई बातचीत शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत प्रशुल्क में कमी करने के लिए अभी तक कितनी मदों की पहचान की गई है; और

(च) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन पर दोनों देश प्रशुल्क में कटौती करने के लिए सहमत हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार करार (एफटीए) हेतु वार्ताएं चल रही हैं, जिनमें वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश पर वार्ताएं भी शामिल हैं। सेवाओं पर विचार-विमर्श के भाग के रूप में भारत ने थाईलैंड के समक्ष आरम्भिक अनुरोध सूची, प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन, वित्तीय सेवाओं संबंधी पाठ, तथा सेवा व्यापार संबंधी अध्याय का पाठ प्रस्तुत किया है। थाईलैंड ने भी अपनी आरम्भिक अनुरोध सूची प्रस्तुत कर दी है। निवेश के क्षेत्र में भारत ने वचनबद्धता अनुसूची हेतु प्रारम्भिक पेशकश उपलब्ध करा दी है। सेवाओं तथा निवेश संबंधी वार्ताएं चल रही हैं।

(ङ) और (च) 82 उत्पादों को शामिल करते हुए 82 मदों पर टैरिफ समाप्ति के संबंध में एक शीघ्र फलदायी स्कीम (ईएचएस)

दिनांक 1.9.2004 से कार्यान्वित की जा रही है। इन मदों की सूची http://commerce.nic.in पर देखी जा सकती है। वस्तु व्यापार के संबंध में आगे की वार्ताएं चल रही हैं।

स्पेशल इकानामिक जोन एंड डेसिगनेटेड एरियाज एक्ट, 2006 संबंधी विधेयक

2568. श्री बालासाहिब विखे पाटील:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र स्पेशल इकानामिक जोन एंड डेसिगनेटेड एरियाज एक्ट, 2006 संबंधी विधेयक केन्द्र सरकार के पास अनुमोदनार्थ लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विधेयक को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य विधायनों की जांच तीन दृष्टिकोणों से की जाती है अर्थात् (क) केन्द्रीय कानूनों से असंगति (ख) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विसामान्यता, और (ग) कानूनी और सांविधानिक वैधता। इस मामले में, कतिपय नीतिगत मुद्दों का समाधान राज्य सरकार तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके किया जाना है। इसलिए इस संबंध में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

समेकित परिवहन प्रबंधन यातायात प्रणाली को शुरू किया जाना

2569. श्री रशीद मसूद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समेकित परिवहन प्रबंधन यातायात प्रणाली (टी.एस.आई.टी.एम.) को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रणाली को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) इस प्रणाली से क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली में यातायात की बढ़ती हुई समस्या को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली में यातायात नियंत्रण करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई प्रयास किए हैं जिनमें शामिल हैं वाणिज्यिक वाहन चालकों और स्कूली बच्चों सहित सभी श्रेणी के सड़क प्रयोक्ताओं में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा शिक्षाप्रद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, अग्रणी एजेंसियों जैसे कि पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और दिल्ली कैण्टोनमेंट बोर्डों के मध्य यातायात प्रबंधन योजना निष्पादित करने के लिए उनका समन्वय एवं सहयोग मांगना, यातायात जाम से बचने के लिए कम लागत एवं उच्च लागत वाले यातायात प्रबंधन उपाय अपनाना, सुरक्षित एवं सहज यातायात सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं एवं प्रदूषण में कमी लाना, न्यून लागत प्रबंधन योजनाएं शुरू करके यातायात अवधि में कमी करना, कम्प्यूटरीकृत एरिया यातायात नियंत्रण प्रणाली शुरू करना, अबाधित सिग्नलिंग, ट्रैफिक सिग्नलों की संबंधित दृष्टिगोचरता और बेहतर परिणाम के लिए सौर सिग्नल्स लगाना, दूर से सिग्नल रिफ्लेक्टरों की दृष्टिगोचरता में सुधार लाने के लिए एलईडी सिग्नल लगाना, रेड लाइट लांघने और गति सीमा का उल्लंघन करने के लिए रेड लाइट एण्ड स्पीड चेक वायोलेशन इनफोर्समेंट सिस्टम लगाना, ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए स्पीड राडार गन्स का प्रयोग करना, होटलों, मयखानों, मद्यघरों और उन स्थानों पर, जहां लोग शराब पीते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की आकस्मिक चेकिंग करने के लिए अल्कोमीटर का प्रयोग करना, यातायात का प्रभावकारी एवं सुरक्षित यातायात विनियमन सुनिश्चित करने के लिए रिट्रो रिफ्लेक्टिव गजटरी का प्रावधान करना, यातायात का सहज बहाव बनाए रखने के लिए यातायात सिग्नलों को समक्रमिक बनाना, चुनिन्दा चौराहों पर यातायात की स्थिति की आनलाइन मानीटरिंग करने के लिएं "यातायात मानीटरिंग प्रणाली" का कार्यान्वयन करना, यातायात मामलों पर आम जनता को शिकायत करने/सुझाव देने की सुविधा प्रदान करने हेतु चौबीसों घण्टे यातायात हेल्पलाइन स्थापित करना, दिल्ली की सड़कों पर यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा में सुधार लाने के लिए विचारों की भागीदारी करने और शिकायतों/सुझावों को ई-मेल करने के लिए ई-मेल सुविधा का प्रावधान करना, एसएमएस यातायात सूचना सम्वितरण की शुरूआत करना जिसमें यातायात विपथन, यातायात सिग्नल फेल होना, किसी सड़क पर यातायात जाम, सड़क दुर्घटना के विवरण, नोटिस विवरण आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण

2570. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान गुजरात में जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में अभी तक कितनी सफलता मिली है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) गुजरात के 25 जिलों तथा 4 नगर निगम क्षेत्रों के लिए जिला वार्षिक कार्य योजनाओं तथा बजट प्रावधानों को भारत सरकार, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

(ग) वर्ष 2004-05 के लिए गुजरात राज्य में प्राथमिक स्तर का सकल नामांकन अनुपात 118.65 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 73.77 था। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दर 35.09 तथा प्रारम्भिक स्तर उच्च प्राथमिक स्तर पर 39:1 था।

(घ) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान भारत सरकार, सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निधियों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान भारत सरकार, सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	2006-07	2007-08
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	1131.13	1607.99
2.	अहमदाबाद (निगम)	606.88	1129.13
3.	आमरेली	810.88	950.06
4.	आनंद	946.30	960.47
5.	बनासकांठा	3965.65	2637.86
6.	भरूच	1509.83	1064.50
7.	भावनगर	1232.81	1866.94
8.	दाहोद	2630.98	1987.51
9.	डांग	344.10	374.33
10.	गांधी नगर	687.98	698.33
11.	जामनगर	1069.59	1501.15
12.	जूनागढ़	4155,56	3041.00
13.	खेड़ा	1117.17	1245.44
14.	कच्छ	1864.86	1626.65
15.	मेहसाना	856.84	982.60
16.	नर्मदा	670.44	666.97
17.	नवसारी	582.08	618.02
18.	पंचमहल	2442.40	1944.96
19.	पाटन	970.21	1405.35
20.	पोरबंदर	301.63	314.01
21.	राजकोट	2400.59	1793.72
22.	राजकोट (निगम)	144.06	153.84
23.	साबरकांठा	1427.46	1923.89
24.	सूरत	1538.34	1659.53
25.	सूरत (निगम)	277.91	364.16
26.	सुरेंद्र नगर	1169.84	1738.58
27.	वड़ोदरा	1550.12	1751.26
28.	वड़ोदरा (निगम)	113.89	170.11
29.	वलसाड़	1132.92	809.43
	राज्य घटक	1285.95	982.44
	कुल	38938.40	37970.21

[हिन्दी]

लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन

2571. श्री संतोष गंगवार: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) लघु एवं मध्यम उद्यम वैयक्तिक रूप से स्थापित किए जाते हैं और केंद्र सरकार राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती। तथापि, केंद्र सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु ऋण, मूल भूत सुविधाओं के विकास, तकनीकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता/कौशल विकास आदि के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से देशभर में (ग्रामीण क्षेत्रों सहित) लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु भावी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों की मदद करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार रोजगार सृजन के लिए दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है अर्थात्- (1) ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों में ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और (2) गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

2572. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में अध्यापकों/अनुदेशकों की कुछ रिक्तियां नहीं भरी गई हैं जिससे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) शैक्षिक पदों से संबंधित आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) रिक्तियां भरने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भरे गए (शैक्षणिक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	568	329
2.	अरुणाचल प्रदेश	57	50
3.	असम	429	254
4.	बिहार	408	408
5.	छत्तीसगढ़	200	164
6.	गुजरात	598	299
7.	हिमाचल प्रदेश	264	194
8.	जम्मू-कश्मीर	540	540
9.	कर्नाटक	643	545
10.	केरल	284	258
11.	मध्य प्रदेश	456	257
12.	महाराष्ट्र	316	147
13.	मेघालय	109	70
14.	मिजोरम	127	115

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	510	292
16.	पंजाब	252	189
17.	राजस्थान	556	356
18.	सिक्किम	22	10
19.	तमिलनाडु	638	494
20.	त्रिपुरा	79	27
21.	उत्तर प्रदेश	1750	823
22.	उत्तराखंड	268	158
23.	पश्चिम बंगाल	224	122
24.	पुडुचेरी	18	10
25.	मणिपुर	138	136
26.	दिल्ली	193	90
27.	हरियाणा	323	182
28.	गोवा	24	19
29.	दमन और दीव*	0	0
30.	दादर और नगर हवेली*	0	0
31.	चंडीगढ़*	0	0
32.	नागालैंड	105	78
33.	झारखण्ड	187	113
34.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	16
35.	लक्षद्वीप	14	1

*इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई डाइट संस्वीकृत नहीं किए गए हैं।

आयुध अधिनियम में संशोधन

2573. श्री एल. राजगोपाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद से जुड़े सुरक्षा जोखिमों से निपटने में सरकारी-निजी भागीदारी उपलब्ध कराने के लिए भारतीय आयुध अधिनियम में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर डोज़ियर

2574. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति पर एक जोड़ियर तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तानी सरकार ने डोज़ियर को स्वीकार कर लिया है और इस पर भारतीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसी चर्चाओं के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) राज्य पुलिस सहायता आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के विभिन्न रूपों के बारे में सरकार को सूचित करती रहती हैं जिन पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाती है। आतंकवाद का मुकाबला करने की रणनीति और युक्तियों की अन्य स्तरों के साथ-साथ राज्य में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एकीकृत मुख्यालय के संस्थागत ढांचे के माध्यम से और केन्द्र में विभिन्न स्तरों पर निरंतर रूप से समीक्षा की जाती है, सुधार किया जाता है और आवधिक रूप से मानीटरिंग की जाती है।

भारत सरकार और पाकिस्तान, 'संयुक्त आतंकवाद-विरोधी तंत्र' के तत्वावधान में आतंकवाद पर औपचारिक वार्ता और चर्चा करते हैं जिसमें आतंकवाद संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

आतंकवाद-विरोधी तंत्र की दूसरी बैठक, दिनांक 22 अक्तूबर, 2007 को नई दिल्ली में हुई। दोनों ही पक्षों ने दिनांक 6 मार्च, 2007 को इस्लामाबाद में हुई आतंकवाद-विरोधी संयुक्त तंत्र की पहली बैठक के दौरान और अंतवर्ती अवधि के दौरान सूचना के आदान-प्रदान पर उठाए गए कदमों की समीक्षा की। दोनों ही पक्षों

ने पिछली बैठक के बाद हुई आतंकवादी घटनाओं सहित अन्य आतंकवादी घटनाओं पर नई सूचना का आदान-प्रदान किया। वे उपायों का पता लगाने, विशिष्ट सूचना का आदान-प्रदान करने और जांच-पड़ताल में सहायता के लिए काम जारी रखने पर सहमत थे।

इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के साथ संयुक्त वार्ता जारी रखने के एक भाग के रूप में 'आतंकवाद' और 'नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार' पर पाकिस्तान के साथ गृह सचिव स्तर की वार्ताओं का चौथा दौर दिनांक 3-4 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में हुआ। वार्ता के दौरान भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद और घुसपैठ से संबंधित मुद्दों तथा आतंकवादियों के निरंतर बने आधार-भूत ढांचों और भारतीय कानून से भागे आतंकवादियों की पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में शरण लेने पर चिंता जताई और आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध कारगर और महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी सहमति हुई कि आतंकवादी क्रियाकलापों के विरुद्ध कारगर और निरंतर कार्रवाई की जाए।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

2575. डा. एम. जगन्नाथ: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए, स्वीकृत किए गए और कितना ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(ग) क्या उक्त योजना के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण स्वीकृत करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या उपलब्धियां हासिल की गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) प्रधानमंत्री रोजगार (पीएमआरवाई) के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों को इस ढंग से लक्षित किया गया चाहिए कि उन्हें संबंधित जिले/राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में लाभ मिले। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों की संख्या 22.5% से कम नहीं होनी चाहिए।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) द्वारा अनुमोदित/अनुशंसित और बैंकों द्वारा संस्वीकृत ऋण के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05			2005-06			2006-07*		
		डीआईसी द्वारा अनुमोदित/अनुशंसित और बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंकों द्वारा संस्वीकृत मामले/ऋण		डीआईसी द्वारा अनुमोदित/अनुशंसित और बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंकों द्वारा संस्वीकृत मामले/ऋण		डीआईसी द्वारा अनुमोदित/अनुशंसित और बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदन	बैंकों द्वारा संस्वीकृत मामले/ऋण	
		(सं.)	(सं.)	राशि		(सं.)	राशि		(सं.)	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हरियाणा	14786	9176	5346.91	16656	10558	6162.77	19911	12615	7346.51
2.	हिमाचल प्रदेश	3975	2977	2422.37	4086	3038	2634.17	4688	3731	3348.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	जम्मू-कश्मीर	1732	747	748.31	1190	590	629.49	1395	830	851.20
4.	पंजाब	13619	9178	5848.72	13252	8942	5716.72	13357	9108	6036.14
5.	राजस्थान	29533	16429	9411.55	28842	16982	9957.04	31948	19238	11341.39
6.	चंडीगढ़	474	288	186.27	390	251	152.30	130	60	44.42
7.	दिल्ली	2785	937	665.39	2345	799	572.29	1777	637	466.12
8.	असम	15137	10262	8809.95	13631	7262	5259.31	10803	5985	5189.58
9.	मणिपुर	907	440	400.15	612	420	379.70	861	255	174.15
10.	मेघालय	762	598	556.38	919	609	562.81	734	486	451 .04
11.	नागालैंड	1054	897	909.45	2431	2437	3241.20	1041	979	1267.92
12.	त्रिपुरा	3149	2126	1649.13	3901	2340	2010.51	3934	2797	2481.50
13.	अरुणाचल प्रदेश	527	443	438.05	1013	465	415.55	392	328	291.41
14.	मिजोरम	269	144	134.50	818	485	447.00	1146	910	799.39
15.	सिक्किम	75	37	27.95	70	31	20.34	54	39	27.02
16.	बिहार	16034	11634	10495.88	20256	14049	12516.20	12802	8791	8088.77
17.	झारखण्ड	8955	5492	4566.76	9065	5451	4780.04	8531	5583	4682.36
18.	उड़ीसा	28000	16132	10417.20	26409	16348	11549.31	28354	15440	11329.97
19.	पश्चिम बंगाल	9073	4607	3221.46	9282	5112	3412.37	6237	3700	2990.44
20.	अंडमान व निकोबार	305	150	116.13	317	188	135.56	189	119	92.23
21.	मध्य प्रदेश	50655	27538	18099.64	50965	28942	19263.20	51186	29945	20689.42
22.	छत्तीसगढ़	8198	4322	2746.24	7301	4384	2920.55	11232	6556	4391.99
23.	उत्तर प्रदेश	72335	45867	31955.99	66359	43505	31517.72	78304	49445	36145.62
24.	उत्तरांचल	10463	7200	4878.35	11416	7756	5534.88	11526	7668	5642.32
25.	गुजरात	11037	6981	3309.55	11818	6826	3464.86	10782	6861	3085.10
26.	महाराष्ट्र	47166	26796	15596.22	44291	28128	15713.51	42147	26220	15157.38
27.	दमन और दीव	7	4	3.51	25	14	10.66	9	4	3.00
28.	गोवा	77	53	45.26	78	52	46.39	56	30	24.81
29.	दादरा व नगर हवेली	27	23	16.00	53	30	24.00	20	8	4.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	आंध्र प्रदेश	41717	25002	17789.36	41054	27343	17194.87	30893	20076	12006.45
31.	कर्नाटक	30138	16806	10447.25	34819	21380	13261.43	31919	21583	13319.43
32.	केरल	30794	22517	11673.02	33752	25758	13150.16	35581	26177	13615.09
33.	तमिलनाडु	33536	20579	7917.99	34460	22203	8659.07	38250	24873	10122.96
34.	लक्षद्वीप	17	12	9.99	6	5	4.15	7	5	4.55
35.	पाण्डिचेरी	631	363	174.77	750	394	173.03	764	416	172.27
	अन्य	3377	1246	1289.74	3412	1799	1527.31	2520	1251	1547.85
	अखिल भारतीय	491324	298003	192325.39	496044	314876	203020.47	493480	312749	203232.04

स्रोत: आरबीआई आंकड़े

*अनंतिम

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान (मार्च, 2007 तक) के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को संस्वीकृत ऋण और हुई उपलब्धि (संवितरण) का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05				2005-06				2006-07			
		अनु. जाति/अनु. जनजाति संस्वीकृत मामले		अनु. जाति/अनु. जनजाति संवितरित मामले		अनु. जाति/अनु. जनजाति संस्वीकृत मामले		अनु. जाति/अनु. जनजाति संवितरित मामले		अनु. जाति/अनु. जनजाति संस्वीकृत मामले		अनु. जाति/अनु. जनजाति संवितरित मामले	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	हरियाणा	1231	800.62	1014	583.72	1531	865.62	1394	720.27	1881	1018.43	1465	748.73
2.	हिमाचल प्रदेश	675	548,31	623	507.49	687	553.26	670	535.18	949	787.63	789	642.07
3.	जम्मू-कश्मीर	93	77.60	85	72.28	249	211.02	161	137.24	278	263.33	198	180.28
4.	पंजाब	1918	1107.01	1726	993.57	2125	1277.84	1918	1118.53	1915	1173.21	1411	831.48
5.	राजस्थान	2972	1588.82	2342	1246.14	3176	1749.19	2616	1412.87	4626	2569.77	3219	1891.22
6.	चंडीगढ़	100	69.09	60	35.48	112	79.15	70	52.69	12	8.50	10	5.60
7.	दिल्ली	153	107.90	132	89.02	173	113.84	134	87.13	133	95.34	107	79.61
8.	असम	1559	1209.32	987	751.68	1025	796.66	923	702.04	763	561.45	629	429.35
9.	मणिपुर	98	83.75	56	43.29	201	171.39	173	147.39	79	60.68	78	59.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	मेघालय	206	177.34	163	140.04	511	477.30	496	463.16	247	215.74	104	78.23
11.	नागालैंड	199	181.84	34	27.84	2409	3198.09	2352	3108.35	836	1110.40	453	518.14
12.	त्रिपुरा	687	517.49	595	369.65	923	920.92	902	638.31	1286	114525	844	593.57
13.	अरुणाचल प्रदेश	132	111.05	95	83.80	403	357.55	401	355.55	266	232.80	195	154.80
14.	मिज़ोरम	58	32.50	48	31.20	485	447.00	375	303.52	871	765.94	45	33.94
15.	बिहार	2273	2061.23	1916	1651.17	2383	2114.41	2213	1848.59	1836	1537.70	1615	1140.60
16.	झारखण्ड	1306	1052.35	1182	939.55	1200	933.68	1086	835.19	1370	1073.32	921	651.96
17.	उड़ीसा	3382	2038.30	1853	1287.79	3332	2132.07	2505	1410.32	2964	1854.70	2001	883.58
18.	पश्चिम बंगाल	847	601.50	618	404.64	1084	711.39	993	641.52	974	685.99	877	593.07
19.	अंडमान व निकोबार	30	24.28	24	20.33	55	39.29	31	20.01	34	26.55	30	25.34
20.	सिक्किम	9	7.18	7	5.18	11	8.68	11	8.68	5	3.00	5	3.00
21.	छत्तीसगढ़	906	532.36	737	430.28	997	490.62	805	411.20	1478	982.27	1061	599.44
22.	मध्य प्रदेश	5487	3540.54	3575	2206.96	4368	2744.93	3407	2030.59	5246	3280.43	2870	1615.71
23.	उत्तरांचल	1330	861.12	1314	872.54	1140	770.75	1132	766.17	1134	766.08	996	690.24
24.	उत्तर प्रदेश	7927	5593.23	6845	4864.70	6953	5003.39	5839	4225.76	7692	5111.31	6077	3952.41
25.	गुजरात	1831	891.21	1303	602.17	1710	803.80	1639	746.84	2009	835.40	1839	771.64
26.	महाराष्ट्र	5286	3035.43	4443	2506.97	5307	2738.05	4339	2340.37	6427	3389.00	4494	239225
27.	दमन व दीव	0	0.00	0	0.00	2	2.00	2	2.00	0	0.00	0	0.00
28.	गोवा	7	3.58	7	3.58	2	1.80	2	1.80	6	3.93	5	3.53
29.	दादरा व नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	4	3.00	4	3.00	1	0.70	1	0.70
30.	आंध्र प्रदेश	4132	2795.69	3108	2095.29	3910	2353.84	3358	1950.51	3263	1793.46	1961	1189.48
31.	कर्नाटक	3371	1806.48	2485	1362.83	4364	2407.10	3427	185822	4391	2405.77	2922	1549.73
32.	केरल	3374	1773.83	2464	1242.36	3491	1701.05	2912	1393.47	3436	1611.77	2805	1203.75
33.	तमिलनाडु	5420	1822.87	3593	1101.58	4913	1881.69	3429	1327.54	4034	146883	2965	1406.42
34.	लक्षद्वीप	12	9.99	4	2.72	5	4.15	5	3.90	0	0.00	0	0.00
35.	पाण्डिचेरी	79	39.70	51	24.17	62	22.96	61	22.66	58	19.31	41	15.27
	अन्य	104	112.88	67	74.04	76	99.59	59	81.06	0	0.00	0	0.00
	अखिल भारतीय	57194	35236.39	43556	26674.05	59379	38186.97	49844	31711.63	60500	36857.99	43033	24934.94

आरबीआई/क्यूपीआर रिपोर्टों पर आधारित

[हिन्दी]

विदेशों में एल्यूमिनियम इकाइयां

2576. श्री टेक लाल महतो: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एल्यूमिनियम की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए विदेशों में कुछ इकाइयों की स्थापना करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) विद्युत के सस्ते स्रोत की उपलब्धता और परियोजना की साध्यता के अध्यधीन विदेश में एल्युमीनियम प्रगालक स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही है। तथापि, इस संबंध में आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्यालयों में शारीरिक सजा

2577. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री अनन्त नायक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालय के छात्रों को दी जाने वाली शारीरिक सजा के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में शारीरिक सजा और शारीरिक प्रताड़ना के कारण चोट और मौत के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यालय के अध्यापकों द्वारा छात्रों को शारीरिक सजा दिए जाने और शारीरिक प्रताड़ना रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) हाल ही में मीडिया के जरिए विद्यालयों में शारीरिक दंड के बारे में छिटपुट खबरें सामने आई हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल एक विषय है और स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। शारीरिक दंड के कारण विद्यालयों में छात्रों को चोट लगने/इनकी मृत्यु होने से संबंधित ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति तथा केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा संचालित विद्यालयों जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन हैं, में शारीरिक दंड पर सख्त मनाही है।

[अनुवाद]

खादी संस्थान

2578. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में खादी संस्थाओं की "क", "ख", "ग" और "घ" श्रेणियों में श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा कितनी संस्थाओं का प्रबन्धन किया जाता है;

(ग) क्या सरकारी निजी भागीदारी से कोई योजना चलाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) आंध्र प्रदेश में 'क+', 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों के खादी संस्थानों का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नोक्त है:

खादी संस्थान की श्रेणी	संस्थानों की संख्या
क+	10
क	15
ख	14
ग	20
घ	27
कुल	86

(ख) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा एक खादी संस्थान का प्रबंधन किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में पहले से ही बिक्री केन्द्रों का संवर्धन कर रही है और केवीआईसी द्वारा कई आउटलेटों का रखरखाव किया जा रहा है, जिन्हें भी पीपीपी मोड के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है। केवीआईसी को पायलट आधार पर विपणन एजेंटों के रूप में शिक्षित युवाओं को सहयोग देकर खादी उत्पादों के विपणन के लिए उचित रूप से डिजाइन किए गए उपयुक्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर विचार करने की सलाह भी दी गई है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों का आधुनिकीकरण

2579. **श्री बापू हरी चौरे:**
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों को आधुनिक बनाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं और उक्त केन्द्रों की राज्य-वार और संघ राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) प्रत्येक केन्द्र की प्रशिक्षण क्षमता का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सरकार (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ने अपनी ओर से खादी और ग्रामोद्योगों के विद्यमान प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए कोई नया प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। तथापि, हाल में, खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने विद्यमान प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण और नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के संबंध में मंत्रालय को एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए केवीआईसी के साथ इस पर चर्चा की जा रही है। विद्यमान प्रशिक्षण केंद्रों और जिन राज्यों में ये केंद्र चल रहे हैं, उनका ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। विद्यमान प्रशिक्षण केंद्रों की प्रशिक्षण क्षमता विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

केवीआई क्षेत्र में राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार प्रशिक्षण केन्द्र

राज्य	विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र		गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र	कुल
	केवीआईसी	केवीआईबी	संस्थानिक	
1	2	3	4	5
दिल्ली	1	0	0	1
राजस्थान	0	0	1	1
बिहार	1	0	0	1
झारखण्ड	0	0	1	1
उड़ीसा	1	0	1	2
पश्चिम बंगाल	1	0	1	2
महाराष्ट्र	4	1	2	7
आंध्र प्रदेश	0	1	0	1
कर्नाटक	2	0	1	3

1	2	3	4	5
केरल	1	0	2	3
तमिलनाडु	1	0	2	3
मध्य प्रदेश	0	1	1	2
उत्तर प्रदेश	1	0	3	4
उत्तराखंड	2	0	0	2
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1
असम	0	1	1	2
मिजोरम	0	1	0	1
नागालैंड	0	1	0	1
कुल योग	15	6	17	38

विवरण II

केवीआई क्षेत्र के प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता

(व्यक्तियों की संख्या)

क्र.सं.	केंद्र का नाम	प्रशिक्षण क्षमता
1	2	3
1.	सेंट्रल पामगुर एंड पाम प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट, चेन्नई	255
2.	खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, वीरापंडी	355
3.	खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, हुबली	277
4.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, बंगलौर	696
5.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, बंगलौर, नाडथारा	415
6.	केंद्रीय ग्रामीण पॉटरी इंस्टीट्यूट, बेलगांव	65
7.	खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, मालापल्ली, केरल	870
8.	खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, नानथियाट्टुकुन्नम	1475
9.	डा. जे.सी. कुमारप्पा इंस्टीट्यूट, टी कल्लूपट्टी	650
10.	खादी ग्रामोद्योग महाविद्यालय, हैदराबाद	860
11.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलोर, दहानु	340

1	2	3
12.	डा. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट, नासिक	605
13.	सीबी कोरा ग्रामोद्योग संस्थान, बोरीवली	270
14.	केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, पुणे	370
15.	क्षेत्रीय पाटरी प्रशिक्षण केंद्र, बद्रावथी	90
16.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, शिवदासपुर	150
17.	कस्तूरबा महिला खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, पुणे	665
18.	दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रपुर	415
19.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली	295
20.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, देहरादून	805
21.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, हलद्वानी	745
22.	खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, पतरंगा	190
23.	खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, वाराणसी	210
24.	जय प्रकाश नारायण केंद्र, बलिया	320
25.	टी एस गोखले खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर	310
26.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, पंजोखेरा	525
27.	गहन खादी और ग्रामीण विकास केंद्र, किरनाहर	145
28.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, बिरती	280
29.	ठक्करबप्पा खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, गुमला	350
30.	बहु आयामी प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर, भुवनेश्वर	350
31.	राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र, थानेश्वर	350
32.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, पटना	825
33.	खादी ग्रामोद्योग विद्यालय, कुमारीकट्टा	140
34.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, दोमुख	249
35.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, जेमाबुक	560
36.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, दीमापुर	445
37.	बहु आयामी प्रशिक्षण केंद्र, रोहा	1427
38.	हस्तनिर्मित कागज संस्थान, पुणे	125

[अनुवाद]

शिक्षा पर व्यय

2580. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजनावधि के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक दोनों विद्यालयों के अंतर्गत शिक्षा पर ''प्रति बालक'' व्यय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में ग्यारहवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) शिक्षा पर हुआ ''प्रति बालक'' व्यय उपलब्ध नहीं है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा पर हुए 'योजनागत' व्यय में नीचे दी गयी तालिका के अनुसार तीव्र वृद्धि हुई है:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक	माध्यमिक
2002-03	4257.57	574.51
2003-04	5201.01	637.99
2004-05	7710.18	652.29
2005-06	11749.33	874.88
2006-07	16559.95	1027.23
दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 कुल	45478.04	3766.90
नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 कुल	14523.29	2322.68

अमरनाथ यात्रियों को राजसहायता

2581. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अमरनाथ यात्रियों को राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अमरनाथ यात्रियों को सरकार द्वारा प्रदान की गई राजसहायता की वर्तमान दर क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन तीर्थ यात्रियों के लिए राजसहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

[हिन्दी]

के.वी.आई.सी. का बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सहयोग

2582. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या के.वी.आई.सी. का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संगठित खुदरा बाजार में सक्रिय बड़े औद्योगिक घरानों के साथ सहयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अभी तक संगठित खुदरा बाजार में कार्यरत किन-किन औद्योगिक घरानों का चयन किया गया है; और

(घ) औद्योगिक घरानों के चयन के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

पुलिसकर्मियों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन

2583. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानवाधिकार आयोग को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक आतंकवादी गतिविधियों में सैन्य कार्मिकों, अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस की संलिप्ता सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अलग-अलग कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्राप्त मामलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान लंबित/निपटाए गए ऐसे मामलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) सभी लंबित मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(च) क्या यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा समय सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों में टी.वी. कवरेज

2584. श्री मदन लाल शर्मा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले टी.वी. कवरेज के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) टी.वी. कवरेज के दायरे से अभी भी छूट गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अनेक क्षेत्रों में टी.वी. प्रसारण की गुणवत्ता काफी खराब है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत/प्रत्यावेदन मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन क्षेत्रों में टी.वी. प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) दूरदर्शन, समय-समय पर बनायी गई विभिन्न विस्तार योजनाओं के तहत देश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में टी.वी. कवरेज के प्रावधान को प्राथमिकता देता रहा है। स्थलीय पद्धति में लगभग 91% जनसंख्या को टीवी कवरेज उपलब्ध होने का अनुमान है जिसमें जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों की आबादी का एक बड़ा भाग शामिल है। स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों और देश के शेष भागों को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा के जरिए बहु चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध करवायी गई है जिसके सिगनल पूरे देश में (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में डीटीएच सेवा (सी-बैंड में) हेतु परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। स्थलीय कवरेज का विस्तार करने और इसमें सुधार लाने हेतु देश के विभिन्न भागों में 155 ट्रांसमीटर इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) से (च) दूरदर्शन नेटवर्क में टीवी ट्रांसमीटरों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है हालांकि समय-समय पर कुछ ट्रांसमीटरों के सुचारू ढंग से काम न करने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इस संबंध में कोई केंद्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

दूरदर्शन द्वारा शिकायतों का तुरंत निवारण करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। तथापि, अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर जो कि मानवरहित अधिष्ठापन हैं, के मामले में शिकायतों का निवारण करने में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि अनुरक्षण स्टाफ को निर्दिष्ट अनुरक्षण केंद्र से भेजा जाना होता है।

उग्रवादी अड्डों का दक्षिण भारत में स्थानांतरण

2585. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लश्कर-ए-तैयबा ने प्रचार पाने और फूट पैदा करने के लिए अपनी रणनीति के रूप में अपने आतंकवाद के अड्डे को दक्षिण भारत में स्थानांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) आतंकवादी गुटों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा इत्यादि की गतिविधियों के संबंध में जानकारियां समय-समय पर प्राप्त की जाती हैं और जब कभी आवश्यकता होती है आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ग) सरकार की नीति बहु-आयामी रणनीति के द्वारा आतंकवाद द्वारा दी गई चुनौती से निपटना है। इस रणनीति के अनुसरण में, सरकार ने राजनीतिक, सुरक्षा और विकासात्मक मोर्चों पर कई उपाय किए हैं। सरकार उन सभी ग्रुपों से वार्ता करने की इच्छुक है जो हिंसा त्यागने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा मोर्चे पर, आतंकवाद से निपटने के उपायों में सीमा पर से होनी वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन, आतंकवादी हिंसा वाले संभावित क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों की सहायता हेतु केन्द्रीय बलों की तैनाती, महत्वपूर्ण संस्थानों के चारों ओर सतर्कता और सुरक्षा में वृद्धि करना, विशेष रूप से निचले स्तर पर आसूचना के संग्रहण और आदान-प्रदान क्षमताओं को सुदृढ़ करना, पुलिस बल की संख्या में वृद्धि करना और उनका आधुनिकीकरण करना और इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करना, केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उनसे उन्हें सुसज्जित किया जाना सुनिश्चित करना एवं आतंकवाद के विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य से निपटने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए कदम उठाना शामिल है। विकासात्मक मंच पर, आतंकवाद/अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां तेज करने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

पुस्तकों का प्रकाशन

2586. श्री रामदास आठवले: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रकाशन विभाग ने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू आदि सहित भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और इन पुस्तकों के अलग-अलग शीर्षक क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन पर भाषावार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) अंग्रेजी भाषा की बजाय भारतीय भाषाओं में अधिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या और उनके शीर्षक विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर खर्च की गई धनराशि का भाषावार ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे कि संस्कृत, उर्दू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, बंगला आदि में पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियां हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भाषा में लोकप्रिय शीर्षक को बाजार में उनकी मांग पर निर्भर करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनूदित कराया जाता है।

विवरण I

अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की संशोधित सूची

अंग्रेजी

1. इंडियाज फारेन पालिसी (रिप्रिंट)
2. इंडिया-2004-ए रिफ्रेंस एनुअल (रिप्रिंट)
3. मदर टेरेसा
4. प्रेस इन इंडिया 2002-03 (वोल्यूम 1-2)
5. रिपोर्ट आफ द रेडियो ब्राडकास्ट पालिसी कमेटी
6. इंडियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम (रिप्रिंट)
7. महात्मा गांधी बाई रोमेन रोलैंड (रिप्रिंट)
8. द ब्लैसिंग एंड अदर स्टोरीज

9. कल्चर एंड रीलिजियस ट्रेडीशन्स इन टैम्पल्स आफ गोवा
10. हाइड एंड सीक (रिप्रिंट)
11. द टाकिंग ड्रम एंड अदर स्टोरीज
12. मदर टेरेसा-इन्सपायरिंग इन्सीडेंट्स (रिप्रिंट)
13. सरदार वल्लभ भाई पटेल (बीएमआई) (रिप्रिंट)
14. पंडित दीनदयाल उपाध्याय (बीएमआई)
15. आर्ट एंड कल्चर आफ उड़िया
16. इंडिया-2005
17. एनुअल रिपोर्ट-मिनिस्ट्री आफ आई एंड बी 2003-04 (वाल्युम-1)
18. एनुअल रिपोर्ट-मिनिस्ट्री आफ आई एंड बी 2003-04 (वाल्युम-2)
19. द भुज स्टोरी आफटर द क्वेक
20. गांधी-ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (रिप्रिंट) (डीलक्स)
21. ए मैसेज आफ महात्मा गांधी (रिप्रिंट) (डीलक्स)
22. ए रोप आफ सैंड एंड अदर स्टोरीज
23. द वर्ल्ड आफ इजरा मीर
24. होमेज टू द महात्मा (रिप्रिंट)
25. द नार्थ ईस्ट सागा (डीलक्स)
26. मास मीडिया इन इंडिया-2004
27. मिनिस्ट्री आफ आई एंड बी एनुअल रिपोर्ट 2004-05 (वाल्यूम 1)
28. मिनिस्ट्री आफ आई एंड बी एनुअल रिपोर्ट 2004-05 (वाल्यूम 2)
29. जवाहरलाल नेहरू : ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (रिप्रिंट) (डीलक्स)
30. परफार्मैंस बजट 2005-06
31. इंडियन हेरीटेज (डीलक्स)
32. मीडिया एथिक्स।

हिन्दी

1. वार्षिक रिपोर्ट—सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2003-04 (खंड 2)
2. वार्षिक रिपोर्ट—सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2003-04 (खंड 1)
3. जनकवि नागार्जुन
4. कविता आजकल
5. भारत-2004 (पुनर्मुद्रित)
6. युगपुरुष अम्बेडकर (संशोधित)
7. भीम राव अम्बेडकर (पुनर्मुद्रित) (बीएमआई)
8. विश्व की श्रेष्ठ लोककथाएं भाग-1 (पुनर्मुद्रित)
9. सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता (पुनर्मुद्रित)
10. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (पुनर्मुद्रित)
11. अंतरिक्ष में भारत (संशोधित)
12. पौराणिक बाल कथाएं (पुनर्मुद्रित)
13. सुकुमलिया का त्याग
14. विदेशी यात्रियों की नजर में भारत (पुनर्मुद्रित)
15. एकता की बोलती तस्वीरें (पुनर्मुद्रित)
16. लक्षद्वीप की समुद्री कथाएं (पुनर्मुद्रित)
17. लाक्षागृह (पुनर्मुद्रित)
18. बाल बोध कथाएं (पुनर्मुद्रित)
19. बागवानी कैसे करें (पुनर्मुद्रित)
20. अपनी हिंदी सुधारें (पुनर्मुद्रित)
21. खीर की गुड़िया (पुनर्मुद्रित)
22. एक देश एक हृदय (पुनर्मुद्रित)
23. कबूतर उड़ गया (पुनर्मुद्रित)

24. रोचक ऐतिहासिक कहानियां (भाग-2) (पुनर्मुद्रित)
25. नोबल पुरस्कार विजेता महिलाएं (पुनर्मुद्रित)
26. चेतक और प्रताप (पुनर्मुद्रित)
27. स्वामी सहजानंद सरस्वती
28. पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पुनर्मुद्रित) (बीएमआई)
29. हमारे आज के क्रिकेट सितारे (पुनर्मुद्रित)
30. सफर के साथी (पुनर्मुद्रित)
31. रिपोर्ट आफ द रेडियो ब्राडकास्ट पालिसी
32. छुपम छुपाई
33. देशभक्ति के नाटक
34. लो गुब्बारे (पुनर्मुद्रित)
35. विकलांगता-कारण, बचाव व निदान
36. कहनी आजकल (खंड-2)
37. समय का सफर
38. हमारे बहादुर बच्चे (पुनर्मुद्रित)
39. जवाहरलाल नेहरू (पुनर्मुद्रित) (बीएमआई)
40. वेदगाथा
41. तारों भरा आकाश
42. भारत के समाचार-पत्र 2002-03 भाग-1
43. सी. सुब्रह्मण्य भारती (बीएमआई)
44. सन सत्तावन के भूले बिसरे शहीद भाग-2 (पुनर्मुद्रित)
45. आंध्र केसरी टी. प्रकाशम (बीएमआई)
46. भारत के प्राचीन स्मारक (पुनर्मुद्रित)
47. आंध्र केसरी टी. प्रकाशम (बीएमआई)
48. उमर के इस दौर में
49. भारत-2005
50. भारत के समाचारपत्र 2002-03 भाग-2
51. हमारी झीलें और नदियां (पुनर्मुद्रित)
52. गांधी सचित्र जीवनगाथा (पुनर्मुद्रित) (डीलक्स)
53. बाल शिक्षा और बाल स्वास्थ्य
54. सरल पंचतंत्र (पुनर्मुद्रित)
55. छोटी आंखों का बड़ा सपना (पुनर्मुद्रित)
56. लाल फूलों वाला पेड़ (पुनर्मुद्रित)
57. कुर्बानी अनजान शहीदों की (पुनर्मुद्रित)
58. सांस्कृतिक एकता का गुलदस्ता (पुनर्मुद्रित)
59. विदेशी यात्रियों की नजर में भारत (पुनर्मुद्रित)
60. आला उदल (पुनर्मुद्रित)
61. हवेली (पुनर्मुद्रित)
62. आदि कवि महर्षि वाल्मिकी (पुनर्मुद्रित)
63. सरस कहानियां (पुनर्मुद्रित)
64. गुजरात की लोककथाएं (पुनर्मुद्रित)
65. सरदार वल्लभ भाई पटेल (बीएमआई) (डीलक्स)
66. वी.के. कृष्ण मेनन (बीएमआई) (डीलक्स)
67. भारत की सांस्कृतिक एकता
68. वार्षिक रिपोर्ट—सूचना और प्रसारण मंत्रालय, खंड-1
69. वार्षिक रिपोर्ट—सूचना और प्रसारण मंत्रालय, खंड-2
70. निष्पादन बजट 2005-06
71. महादेव गोविंद रानाडे (बीएमआई) (डीलक्स)
72. जवाहरलाल नेहरू सचित्र जीवनी (पुनर्मुद्रित) (डीलक्स)
73. हरे कृष्ण मेहताब (बीएमआई) (डीलक्स)

74. सी.एन. अन्नादुरै (बीएमआई) (डीलक्स)

75. नागालैंड के रंग बिरंगे उत्सव

76. गुरु नानक से गुरु ग्रंथसाहब तक (डीलक्स)

77. चिंत आजकल (डीलक्स)

78. टी.एस. शिवस्वामी अय्यर (बीएमआई) (डीलक्स)

क्षेत्रीय भाषा

1. डा. के.बी. हेडगेवार (संस्कृत)
2. डा. के.बी. हेडगेवार (तेलुगु)
3. सीयर्स एंड थिंकर (गुजराती)
4. पोएट्स ड्रामाट्स्टि एंड स्टोरी टेलर्स (गुजराती)
5. एन आउटलाइन हिस्टरी आफ इंडियन पीपुल (कन्नड)
6. साइंटिस्ट्स (तेलुगु)
7. पोएट्स ड्रामाटिस्ट एंड स्टोरी टेलर्स (तेलुगु)
8. ट्राइबल डांसेज आफ गुजरात (गुजराती)
9. डीवोशनल पोएट्स एंड मिस्टीक्स (पार्ट-1) (तेलुगु)
10. डीवोशनल पोएट्स एंड मिस्टीक्स (पार्ट-2) (तेलुगु)
11. फ्रीडम मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश (रिप्रिंट) (तेलुगु)
12. ग्लोरी आफ विजय नगर प्रभावम (रिप्रिंट) (तेलुगु)
13. अफसाना आजकल (उर्दू)
14. कम्पोजर्स (तेलुगु)
15. हम एक हैं (उर्दू)
16. ग्लोरी आफ ककतिया (तेलुगु) (रिप्रिंट)
17. ए पी ज्याग्राफी एंड रिसोर्सेज (तेलुगु) (रिप्रिंट)
18. ग्रेट मैन ग्रेट डीड्स (मराठी)
19. हरे कृष्ण मेहताब (बीएमआई) (उड़ीया) (डीलक्स)
20. लाल बहादुर शास्त्री (गुजराती) (डीलक्स)
21. लाल बहादुर शास्त्री (गुजराती) (डीलक्स)

वर्ष 2005-2006 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची

अप्रैल 2005 से मार्च 2006 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें:

भाषा

अंग्रेजी

1. सिटीजन चार्टर
2. इंडियन रेलवेज ग्लोरियस 150 इयर्स
3. इंडियन क्लासिक्स-गुजराती
4. प्रेस फ्रीडम-द इन्साइड स्टोरी
5. प्रेस इन इंडिया 2003-04
6. सलेक्टेड स्पीचेज—डा. मनमोहन सिंह वाल्युम-1
7. कैटलाग बाइलिंगुअल
8. हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया (वाल्यूम 3)
9. कल्पना चावला
10. आउट कम बजट 2005-06 वित्त मंत्रालय व्यय विभाग
11. महात्मा गांधी-ए ग्रेट लाइफ इन ब्रीफ
12. सरदार पटेल मेमोरियल लैक्चर (कम्बाइंड 1995-02)
13. भारतीय विज्ञान मंजूषा
14. कामन बर्डस आफ इंडिया
15. लेटअस नो गांधी जी
16. महात्मा गांधी एंड वन वर्ल्ड
17. लाल बहादुर शास्त्री (बीएमआई)
18. हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया (वाल्यूम 2)
19. गांधी जी: ए पैट्रियाट इन साउथ अफ्रीका

20. एपिग्राम्स फ्राम गांधी जी
21. सिग्निफिकेंस आफ गांधी एज ए मैन एंड थिंकर
22. कोट्स आफ सरदार पटेल
23. गांधी-हिज लाइफ एंड थाट्स (बीएमआई)
24. महात्मा गांधी एज स्टूडेंट
25. गांधी इन चम्पारन
26. गांधी द मैन एंड हिज थाट्स
27. आल आर इकुवल इन द आइज आफ गाड
28. कल्चर एंड फोकलोर आफ मिजोरम
29. कान्साइंस आफ द रेस-इंडियाज आफ बीट सिनेमा
30. हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया
31. इंडिया ए रेफ्रेंस एनुअल 2006
32. के. कामराज (बीएमआई)
33. हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वाल्यूम-4
34. ग्रोइंग फ्रूट्स एओंड वेजिटेबल
35. कामन फ्लावर्स आफ इंडिया
36. द गीत गोविंद आफ श्री जयदेव
37. बिरसा मुंडा (बीएमआई)
38. अ थाट आफ द डे (रिप्रिंट)
39. इंडियन कैलेंडरिक सिस्टम
40. द स्टोरी आफ सरदार पटेल
41. एनुअल रिपोर्ट 2005-06 वाल्युम-1
42. एनुअल रिपोर्ट 2005-06 वाल्युम-2
43. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रेक्टिस
44. फोक टेल्स आफ राजस्थान
45. परफारमेंस बजट 2006-07
46. आउटकम बजट 2006-07
47. फोक लीजेंड भगबान साहू
48. दिल्ली—हिस्ट्री एंड प्लेसेज आफ इंटरेस्ट
49. द गोस्पेल आफ बुद्धा
50. मेन हू बिल्ट कम्प्यूटर्स
51. सिख श्राइन्स इन इंडिया
52. ग्रेड मैन ग्रेट डीड्स

हिन्दी

1. नागरिक चार्टर
2. देशभक्ति की कविताएं
3. कथा सम्राट प्रेमचंद
4. साक्षात्कार आजकल
5. विश्वकवि विद्यापति
6. आइए आविष्कार बनें
7. कल्पना चावला
8. उत्तरांचल के आदिवासी
9. भारत के समाचारपत्र 2003-04
10. लालबहादुर शास्त्री
11. देवयानी
12. सफर वापसी का एवं अन्य कहानियां
13. बंटी का कम्प्यूटर
14. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के चुने हुए भाषण
15. हमारे त्योहार
16. दिल्ली की खोज

17. परिणामी बजट 2005-06 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग
18. सूचना भारती
19. बापू की ऐतिहासिक यात्रा
20. आर्यभट्ट
21. प्रकाश भारती
22. ऐरो थे बापू
23. लाल बहादुर शास्त्री
24. लोकनाट्य स्वांग
25. यह नक्षत्रों की आत्मकथा
26. अट्ठारह सौ सत्तावन
27. नन्हें बहादुर
28. भारत का स्वाधीनता संग्राम
29. बापू के साथ
30. सीवी रमण
31. पुलिस जांच में विज्ञान
32. मानव फैक्स मशीन
33. बाल अधिकार और बाल संरक्षण
34. भारत-2006
35. सूक्ष्म पोषक तत्व एवं हमारा स्वास्थ्य
36. उत्तरांचल के लोकगाथा गीत
37. थिरकते पंख
38. दलित देवो भव:
39. गांधी जी : एक महात्मा की संक्षिप्त जीवन
40. हे वसुधा
41. सरदार पटेल की अनमोल वाणी
42. फिर से हंसो धरती मां
43. जंगल के रंग
44. विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा
45. वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 खंड-1
46. वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 खंड-2
47. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी (बीएमआई)
48. परफारमेंस बजट 2006-07 (निष्पादन बजट)
49. आउटकम बजट 2006-07 (परिणामी बजट)
50. क्रांति ज्योति सावित्री बाई फूले
51. बस पांच मिनट
52. कोयले की कहानी
53. भारतीय डाक टिकटों का इतिहास
54. अट्ठारह सौ सत्तावन का स्वतंत्रता संग्राम
55. महात्मा गांधी का संदेश
56. मोहन दास कर्मचंद गांधी
57. खेल-नियम और प्रशिक्षण

क्षेत्रीय भाषा

उड़िया

1. लाल बहादुर शास्त्री
2. सरल पंचतंत्र भाग-1
3. सरल पंचतंत्र भाग-2
4. सुभाष चन्द्र बोस
5. हाइड एंड सीक
6. चिल्ड्रेन्स हिस्ट्री आफ इंडिया
7. अवर बर्ड्स
8. अवर ट्रीज

तमिल

1. लालबहादुर शास्त्री
2. गांधी—ए पिक्टोरियल (बायोग्राफी)
3. सी. राजगोपालाचारी (बीएमआई)

तेलुगु

1. लाल बहादुर शास्त्री
2. नोबल पुरस्कार विजेता महिलाएं
3. फ्रीडम मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश
4. ग्लोरी आफ विजयनगर
5. पन्ना धाय
6. हाडी रानी
7. युगपुरुष अम्बेडकर
8. चिल्ड्रेन्स पंचतंत्र
9. रानी दुर्गावती
10. गणित का जादूगर
11. साइंटिस्ट्स
12. बापू के साथ
13. अनकही शौर्य गाथाएं
14. ग्लोनी आफ काकतियाज
15. विश्व की श्रेष्ठ लोककथाएं
16. बेगम हजरत महल
17. एपी ज्यागरफी एंड रिसोर्सेस
18. रिडल्स
19. फ्रीडम स्ट्रगल
20. अवर नेशनल फ्लैग
21. शहीदों के खत
22. आर एन टैगोर की बाल कहानियां
23. चिल्ड्रेन्स हिस्ट्री आफ इंडिया
24. ग्रेट मैन ग्रेट डीड्स
25. द माइटी एंड मिस्टिकल रिवर्स आफ इंडिया
26. एन जी रंगा (बीएमआई)

गुजराती

1. सरदार वल्लभ भाई पटेल
2. कोटेबल कोट्स आफ सरदार पटेल
3. सलेक्टेड स्पीचेज आफ सरदार पटेल

मराठी

1. गीत रामायण
2. जवाहरलाल नेहरू पिक्टोरियल बायोग्राफी
3. सुलभ पंचतंत्र (भाग-2)
4. टेलो डी मासक्रेहंस (बीएमआई)
5. भूकम्प

उर्दू

1. गांधी—ए पिक्टोरियल बायोग्राफी
2. डा. जाकिर हुसैन

मलयालम

1. मदर टेरेसा

पंजाबी

भारत के पक्षी

बंगाली

1. एस सी बोस (बीएमआई)

वर्ष 2006-07 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें

अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की संशोधित सूची:

भाषा

अंग्रेजी

1. वाल्मिकी एंड व्यास
2. चिल्ड्रन्स रामायण
3. प्रेस इन इंडिया
4. ग्रेट मास्टर्स आफ इंडियन सिनेमा—दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर्स
5. ए कैरियर फार यू
6. डा. जाकिर हुसैन (बीएमआई) (डीलक्स)
7. स्पीचेज आफ प्रेसीडेंट राजेन्द्र प्रसाद (बीएमआई) (डीलक्स) (रिप्रिंट)
8. फोक टेल्स आफ कश्मीर
9. केटलाग 2006 बाइलिंगुअल
10. 5000 इयर्स आफ इंडियन आर्किटेक्चर (रिप्रिंट)
11. सेक्शनल कैटलाग 2006 (5 आइटम्स)
12. द स्टोरी आफ इंडियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम (डीलक्स) (आर्डिनरी)
13. इंडियन एम्ब्राइडरी (रिप्रिंट)
14. स्लेक्टेड स्पीचेज आफ सुभाष चन्द्र बोस डीलक्स (आर्डिनरी)
15. स्लेक्टेड स्पीचेज आफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाल्यूम-2 (डीलक्स)
16. आस्पैक्ट आफ इंडियन म्युजिक (रिप्रिंट)
17. हिस्ट्री आफ इंडियन रेलवे (डीलक्स) (रिप्रिंट)
18. फोक आर्ट्स एंड सोशल कम्युनिकेशन (डीलक्स) (रिप्रिंट)
19. इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया वाल्यूम-1 (डीलक्स) (रिप्रिंट)
20. इकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया वाल्यूम-2 (डीलक्स) (रिप्रिंट)
21. गोपाल भांड (रिप्रिंट)
22. अमीर खुसरो (डीलक्स) (रिप्रिंट)
23. इंडिया—2007 एनुअल रेफ्रेंस
24. टेल्स फ्राम इंडिया एंड अब्राड
25. कैसल्स इन द एयर—टेल्स फ्राम राजस्थान
26. इंडियन नेवी—ए पर्सपैक्टिव (डीलक्स)
27. प्रेस इन इंडिया—2005-06
28. एनुअल रिपोर्ट वाल्युम-1—मिनिस्ट्री आफ आई एंड बी 2006-07
29. एनुअल रिपोर्ट वाल्युम-2—मिनिस्ट्री आफ आई एंड बी 2006-07
30. आउटकम बजट 2007-08
31. स्पीचेज आफ राजेन्द्र प्रसाद-वाल्युम-2 (डीलक्स) (रिप्रिंट)
32. टेल फ्राम तवी
33. 100 इयर्स आफ सत्याग्रह (डीलक्स)

हिन्दी

1. प्रेस इन इंडिया 2004-05
2. कहावतों की कहानियां
3. भारत छोड़ो आन्दोलन
4. हमारे पक्षी (डीलक्स)
5. परिधि से बाहर
6. संगीत बच्चों के लिए
7. चार बातें
8. जलियां वाला बाग (रिप्रिंट)
9. हिंदी सिनेमा का इतिहास (डीलक्स)
10. जब्तशुदा गीत

11. उपग्रह के बाहर भीतर (डीलक्स)
12. अनोखी दुनिया अनोखे लोग
13. कहानियां बलिदान की (रिप्रिंट)
14. उपभोक्ता संरक्षण अभियान और उपभोक्ता अधिकार
15. इंडोनेशिया के सांस्कृतिक शिलालेख (डीलक्स)
16. लहरों के कहर (डीलक्स)
17. क्रांतिकारी महिलाएं (रिप्रिंट)
18. गैत्रेयी (रिप्रिंट)
19. पन्ना धाय (रिप्रिंट)
20. कमला देवी चट्टोपाध्याय (रिप्रिंट)
21. एनीबेसेंट (रिप्रिंट)
22. प्रकाश भारती
23. छत्रपति शिवाजी
24. नंद दास (डीलक्स) (आर्डिनरी)
25. तुलसीदास (डीलक्स) (रिप्रिंट)
26. भूले बिसरे क्रांतिकारी (डीलक्स) (रिप्रिंट)
27. भारत के गौरव खंड-3 (डीलक्स) (रिप्रिंट)
28. आयुर्वेद सामान्य रोग और उपचार (आर्डिनरी) (डीलक्स)
29. विज्ञान हमारे आसपास
30. विवेकानंद चित्रावली
31. भारत के गौरव भाग-1 (डीलक्स)
32. संस्कृति के पड़ाव
33. सी. राजगोपालाचारी (बीएमआई) (डीलक्स)
34. भारत के गौरव भाग-2 (डीलक्स)
35. भारतीय कला के हस्ताक्षर (डीलक्स)
36. सरदार पन्नियर बीएमआई
37. भारत—2007 वार्षिक संदर्भ
38. भारत की वीरांगनाएं (रिप्रिंट)
39. देश विदेश के महापुरुष (रिप्रिंट)
40. भारतीय वेशभूषा
41. अकबर (रिप्रिंट)
42. आर एन ठाकुर चित्रकथा (रिप्रिंट)
43. ये गाथा वीर जवाहर की (रिप्रिंट)
44. आउटकम बजट 2007
45. वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 भाग-1
46. वार्षिक रिपोर्ट 2006-07 भाग-2
47. विज्ञान में महानता की ओर

क्षेत्रीय भाषा

उर्दू

1. भारतेन्दू हरिश्चन्द्र
2. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान
3. आजकल और प्रेमचंद
4. सिग्निफिकेंस आफ गांधी एज ए मेन एंड थिंकर

पंजाबी

1. कल्पना चावला
2. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान
3. गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहिब तक

असमिया

1. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान

मराठी

1. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान
2. सुलभ पंचतंत्र
3. गीत रामायण

कन्नड़

1. लाल बहादुर शास्त्री
2. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान

तमिल

1. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान

2. सी एन अन्नादुरै (बीएमआई)
3. द स्टोरी आफ टेलीकम्युनिकेशन
4. रोचक ऐतिहासिक कहानियां भाग-2

मलयालम

1. इंडियन कास्ट्यूम्स
2. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान

उड़िया

1. गांधी ए पिक्टोरियल बायाग्राफी
2. कल्पना चावला
3. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान

संस्कृत

गुजराती

1. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान

तेलुगु

1. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान
2. ग्रेट मैन एंड वूमेन आफ इंडिया
3. एंसिएंट इंडिया
4. देश विदेश की कहानियां

बंगाली

1. एन अप्रोच टू इलेवन्थ फाइव इयर प्लान

प्रकाशन विभाग

2007-08 (अक्तूबर, 2007 तक) प्रकाशित पुस्तकों की सूची

अंग्रेजी

1. सेलेक्टेड स्पीचेज आफ लाल बहादुर शास्त्री
2. युनाइटेड नेशन्स इन द सर्विस आफ कामन मैन
3. स्पीचेज आफ प्रेसिडेंट डा. अब्दुल कलाम आजाद
4. सत्याग्रह
5. हाउ टू एज ग्रेसफुली एंड बी हैप्पी
6. लीजेंड एंड फोल्क टेल्स फ्राम एंड अराउंड एशिया

हिन्दी

1. सफलता का मंत्र
2. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खंड-1
3. अहिल्या बाई होल्कर
4. भोजपुर की लोकसंस्कृति एवं परम्पराएं
5. झारखंड की लोककथाएं
6. भारतेंदु हरिश्चन्द्र अवार्ड 2004-05
7. कहावतों की कहानियां
8. वैभव और वैराग्य
9. किले का रहस्य
10. अष्टछाप के कवि सूरदास
11. मायामृग
12. महान गणितज्ञ आर्यभट्ट
13. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खंड-4
14. ये कारवां हमारा
15. 1857 स्वतंत्रता संग्राम
16. उत्तराखंड के आदिवासी
17. शहीद बच्चों की गौरव गाथा
18. थिरकते पंख
19. आयुर्वेद सामान्य रोग और उपचार
20. काला पानी
21. वीर कुंवर सिंह
22. तात्या टोपे

क्षेत्रीय भाषाएं

1. 1857 (पंजाबी)
2. एस श्रीनिवास अयंयागार (तमिल) (बीएमआई)
3. रामानंद चट्टोपाध्याय (बीएमआई) (बांगला)
4. एमीनेंट ब्राडकास्टिंग (तेलुगु)
5. नेहरू—ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (उड़िया)
6. 1857 की जंगे आजादी (उर्दू)
7. 1857 रिवोल्ट (उर्दू)
8. ग्रेट मैन ग्रेट डीड्स (मलयालम)
9. आर एन ठाकुर की बाल कहानियां (मलयालम)

विवरण II

वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 अक्तूबर तक के दौरान पुस्तकों के प्रकाशन पर किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	भाषा	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 अक्तूबर 07 तक
1	2	3	4	5	6
1.	अंग्रेजी	3863088	5724628	7024912	462635
2.	हिन्दी	5308444	4262911	4907606	1122499
3.	उर्दू	64023	66077	113479	75527
4.	पंजाबी	6455	57380	105340	53820
5.	असमिया	-	-	-	-
6.	मराठी	67937	225543	212940	39232
7.	कन्नड़	30000	3393	16660	-
8.	तमिल	22321	124915	110833	24131
9.	मलयालम	22663	79439	41398	53031
10.	उड़िया	40335	275676	85161	42468
11.	संस्कृत	46283	-	-	-
12.	गुजराती	102385	91807	-	6420
13.	तेलुगु	226276	757062	121812	87415
14.	बांग्ला	19267	28059	1425	17878

नोटः पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व अनुवाद, प्रूफ रीडिंग आदि हेतु व्यावसायिक प्रभारों जैसे कतिपय व्यय, जोकि उसी वित्त वर्ष में नहीं आते हैं।

[अनुवाद]

विज्ञान शिक्षा संस्थानों की स्थापना

2587. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीरावः
श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मूल विज्ञान में शिक्षा और कैरियर को आकर्षक बनाने के लिए दो विज्ञान शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जैसा कि दिनांक 26 अक्तूबर, 2007 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अभी तक कितने विज्ञान शिक्षा संस्थानों को स्वीकृत किया गया है और इनके लिए किन-किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(घ) इन संस्थानों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) पुणे, कोलकाता एवं मोहाली में पहले

से ही स्थापित तीन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के अतिरिक्त, सरकार ने भोपाल तक तिरूवनन्तपुरम में दो और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए अनुमति दे दी है। प्रत्येक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की कुल आकलित परियोजना लागत 500.00 करोड़ रुपये है जिसमें भवन निर्माण एवं अन्य संस्थागत सुविधाओं के लिए 241.00 करोड़ रुपये शामिल है जिसकी समय सीमा 7 वर्ष की अवधि है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, कोलकाता एवं मौहाली में शैक्षिक सत्र पहले से ही आरंभ है और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल तथा तिरूवनन्तपुरम में यह शैक्षिक सत्र 2008-09 से आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

ब्लू लाइन बसों के खिलाफ दर्ज मामले

2588. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ब्लू लाइन बसों सहित बड़ी संख्या में बसें बिना उचित उपयुक्तता प्रमाण-पत्र/इलेक्ट्रानिक स्पीड गवर्नर के सड़कों पर चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) ऐसी बसों के मालिकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के प्रावधान के उल्लंघन के लिए और इलेक्ट्रोनिक स्पीड गवर्नर के प्रावधान के उल्लंघन के लिए 6583 बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	बसों की संख्या
2004-2005	1074
2005-2006	1999
2006-2007	2100
2007-08 (31 अक्टूबर तक)	1410

इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी उन मोटर चालकों पर अभियोग चलाया है जिनकी बसें बिना स्पीड गवर्नर के अथवा दोषपूर्ण स्पीड गवर्नर के चलते हुए पायी गई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	वाहनों की संख्या
2004	1369
2005	2796
2006	2633
2007 (31 अक्टूबर तक)	1647

(ग) और (घ) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि नियत गति से अधिक गति पर चलायी जाने वाली और बिना स्पीड गवर्नर के अथवा दोषपूर्ण स्पीड गवर्नर के चलती हुई पायी गई बसों के परमिट धारकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। वर्ष 2007 के दौरान ऐसी 120 बसों के परमिट निरस्त किए गए हैं। बसों सहित परिवहन वाहनों के 28 परमिट वर्ष 2007 के दौरान घातक दुर्घटनाएं किए जाने के कारण निरस्त किए गए हैं।

[हिन्दी]

उग्रवाद से लड़ने के लिए कृतिक बल

2589. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में अलग-अलग एक कृतिक बल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार प्रभावित राज्यों के पुलिस बल को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने और इस संबंध में उन्हें आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस प्रकार

की गतिविधियों से प्रभावित राज्यों ने ऐसे तत्वों से निपटने के लिए विशेष पुलिस एकक स्थापित किए हैं।

(ग) और (घ) सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजनाएं कार्यान्वित करती रही है जिसमें विशेष रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पुलिस अवस्थापना की सभी प्रमुख मदों जैसे कि सुरक्षित थानों/बाह्य चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण, आवाजाही, आधुनिक हथियार, सुरक्षा निगरानी, संचार और विधिविज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण अवस्थापना का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

लापता बच्चों के संबंध में सी.बी.आई. को एन.एच.आर.सी. के निर्देश

2590. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने लापता बच्चों के बढ़ते मामलों के संबंध में सी.बी.आई. को निदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 13.8.2007 को लापता बच्चों के प्रश्न पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति द्वारा संकलित सिफारिशों/मार्ग निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित किया है। सिफारिशों/मार्गनिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है, लापता बच्चों की समस्या पर ''प्राथमिक मुद्दे'' के रूप में विचार किया जाना, पुलिस स्टेशनों में लापता व्यक्ति स्क्वैड/डेस्क की स्थापना करना, होरिलाल बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली तथा अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (अपराधिक) संख्या 610, 1996 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्यान्वयन, करना, गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी, अनिवार्य रिपोर्टिंग, पंचायत राज संस्थानों की भागीदारी, बच्चों हेतु पहचान पत्र जारी करना, अवैध व्यापार मार्ग बिन्दुओं पर सतर्कता प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना।

संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार

2591. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से संस्कृत की वैज्ञानिकता को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संस्कृत का पुनरुद्धार करने और इसे एक वैज्ञानिक भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इस मंत्रालय के तहत एक सम विश्वविद्यालय, संस्कृत भाषा के प्रणालीबद्ध शिक्षण को बढ़ावा देता है जिसमें संस्कृत भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप, संरचना तथा इसके व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे संबंधित कई पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति भी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) में निष्णात कार्यक्रम का संचालन करती है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय के दिनांक 25 नवम्बर, 2005 के आदेश संख्या 14014/7/2004-एन.आई.-2 के जरिए संस्कृत भाषा को एक श्रेष्ठ भाषा के रूप में घोषित किया गया था। सरकार देशभर में संस्कृत भाषा में शिक्षण एवं शोध को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

(ङ) संस्कृत को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ 10वीं योजनावधि हेतु योजनागत आबंटन 153.08 करोड़ रु. था और चालू वर्ष (2007-08) हेतु योजनागत आबंटन 36.00 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

निजी डिश आपरेटर

2592. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी आपरेटरों द्वारा समाचार और स्थानीय विज्ञापनों के प्रसारण के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर महानगरों में निजी डिश आपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे समाचार चैनलों पर किस प्राधिकार की अनुमति से समाचारों और स्थानीय विज्ञापनों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी डिश आपरेटर इस मामले में सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे समाचारों और विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को दिए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार निजी समाचार आपरेटरों द्वारा समाचारों के प्रसारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) सामान्यतया केबल आपरेटरों के रूप में लोकप्रिय निजी डिश आपरेटरों को यथा-संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। समाचारों सहित सभी कार्यक्रमों में नियम 6 के अंतर्गत यथा-निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन किया जाना होता है तथा सभी विज्ञापनों के यथा-संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के तहत यथा-निर्धारित विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाना होता है।

(ख) किसी केबल आपरेटर को समाचार या स्थानीय विज्ञापनों के प्रसारण हेतु अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है और वह केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कर सकता है।

(ग) से (च) जी, हां। मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें सामान्यतया कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित होती हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के प्रवर्तन हेतु प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी होते हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 2(क) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट या उप-जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त प्राधिकृत अधिकारी होते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत राज्य सरकारों को संबंधी सरकार द्वारा अधिकार क्षेत्र के संबंध में यथा-निर्धारित की जाने वाली स्थानीय सीमाओं के लिए सरकारी राजपत्र अधिसूचना द्वारा किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त है। केबल टेलीविजन नेटवर्क के परिचालन के लिए प्रयुक्त कतिपय उपस्करों को जब्त करने, किसी अपराध को संज्ञान लेते हुए न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने, जनहित में कतिपय कार्यक्रमों का प्रसारण निषिद्ध करने तथा जनहित में केबल टीवी नेटवर्क का परिचालन निषिद्ध करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों को अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों के विचारार्थ भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

मिर्च विकास बोर्ड

2593. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के मिर्च उत्पादकों को सहायता देने के लिए मिर्च विकास बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने मिर्च का उत्पादन करने वाले किसानों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सरकार द्वारा मिर्च विकास बोर्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि केन्द्र व राज्य सरकारों के मौजूदा तंत्र के माध्यम से मिर्च से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। मिर्च सहित बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मिशन कार्यक्रमों का उद्देश्य घरेलू तथा निर्यात बाजारों में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में उत्पादित मिर्च के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

कृषि मंत्रालय भी कृषि एवं बागवानी की ऐसी जिंसों, जो शीघ्र खराब होने वाली होती हैं और कीमत समर्थन स्कीम में शामिल नहीं हैं, की खरीद हेतु बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस)

कार्यान्वित कर रहा है। मिर्च क्षेत्र पर राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम भी लागू की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जेल की स्थितियों पर एन.एच.आर.सी. की सिफारिश

2594. श्री अधीर चौधरी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने देश की विभिन्न जेलों में महिला कैदियों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एन.एच.आर.सी. ने तिहाड़ जेल सहित विभिन्न जेलों में सुरक्षा पहलुओं और कैदियों की मौत के संबंध में कोई सिफारिश/टिप्पणी की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की विभिन्न जेलों में कैदियों विशेषकर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि वे देश भर में सभी जेलों की बुनियादी सुविधाओं और महिला कैदियों सहित सभी कैदियों की स्थिति की मानीटरिंग करते हैं। आयोग के सदस्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन जेलों का दौरा करते हैं और राज्य सरकारों को उपयुक्त सिफारिशें करते हैं। राज्य सरकारें सीधे एनएचआरसी को अनुपालन रिपोर्ट भेजती हैं जिनकी आयोग में जांच की जाती है यदि जरूरी हो तो आयोग राज्य सरकारों को और अधिक निदेश/अनुदेश भेजता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाया कि विचाराधीन कैदियों के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। एनएचआरसी ने इस मामले को राज्यों के साथ उठाया है और देश की जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ की जटिल समस्या को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाने हेतु समुचित निदेश देने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचित किया है कि जेलों में विचारणाधीन कैदियों की असामान्य रूप से भारी संख्या को उनकी गिरती हुई स्थिति और जेलों में उनकी मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आयोग ने समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित अनुरोध में कहा है कि विचाराणाधीन कैदियों के मामलों और समय से पूर्व रिहाई किए जाने वालों के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मई-जून, 2007 में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हुई 7 मौतों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जेल प्राधिकारियों की सतत् मानिटरिंग करने, जटिल रोगियों की अतिरिक्त देखभाल करने, जेल अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों को कैदियों के मानवाधिकार के संबंध में अधिक जागरूक बनाने, भ्रष्ट जेल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक करने संबंधी कई सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एनएचआरसी की सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही कर रही है।

(ङ) कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए माडल प्रिजन मैनुअल में एक विशेष अध्याय है जिसमें महिला कैदियों की स्थिति में सुधार से संबंधित मुद्दों का वर्णन है।

2. जेल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने, कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए नई जेलों का निर्माण करने, मौजूदा जेलों की मरम्मत और पुनर्नवीकरण करने और कैदियों को पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

3. भारतीय दंड संहिता, 1973 में 436क नामक एक नई धारा जोड़ी गई है जिसमें प्रावधान है कि ऐसे विचारणाधीन कैदी, जिसके अपराध के लिए निर्धारित दंडों में से एक दंड मृत्युदंड हो, को छोड़कर अन्य ऐसे कैदियों, जो कथित अपराध के लिए प्रदत्त कारावास की सजा की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक जेल में कैद रहे हों, को जमानत या बिना जमानत निजी मुचलके पर रिहा किया जाना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि विचाराणाधीन किसी कैदी के मामले को उस कारावास की अवधि से अधिक समय के लिए नहीं रोका जा सकता है जिसके लिए

उसे कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता हो। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(1) में यह अनिवार्य प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति जमानती अपराध का दोषी है और वह दरिद्र है और अपनी जमानत नहीं दे सकता है तो न्यायालय उसे बिना जमानत के एक मुचलका निष्पादित करने पर रिहा कर सकता है।

4. सरकार ने जेलों में भीड़-भाड़ और न्यायालय में विचाराणाधीन मामलों के लंबित रहने को कम करने के लिए वर्ष 2005 में प्ली बारगेनिंग प्रणाली शुरू की है।

5. दीर्घ लंबित सत्रों और अन्य मामलों का निपटान करने के लिए भारत सरकार ने 1562 फास्ट ट्रैक भी स्थापित किए हैं।

प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का सार्वभौमिकरण

2595. श्री निखिल कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के सार्वभौमिकरण के कार्यान्वयन में खराब निष्पादन पर असंतोष जाहिर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपनी शिक्षा प्रणाली को सुचारू बनाने तथा एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की भागीदारी से किया जा रहा है, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उनके कार्यनिष्पादन की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान की मानीटरिंग के लिए एक सशक्त प्रणाली विद्यमान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा बैठकें, वार्षिक प्रारंभिक स्कूल आंकड़े प्रस्तुत करना, 40 स्वतंत्र मानीटरिंग संस्थाओं द्वारा फील्ड मानीटरिंग और छमाही स्वतंत्र समीक्षा मिशन शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है और समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं भी की जाती है।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जहां कहीं खामियां पाई जाती हैं, वहां सुधारात्मक कार्रवाई के लिए ऐसी खामियां राज्य सरकारों के ध्यान में लाई जाती हैं।

भारत में आई एस आई की गतिविधियां

2596. श्री उदय सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में आई एस आई की गतिविधियों पर काबू पाने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि आई एस आई ने सरकारी स्थापनों विशेष रूप से रक्षा सेनाओं में घुसपैठ कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में आई एस आई की गतिविधियों से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो देश में आई एस आई की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या और रणनीति अपनाये जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में सरकारी तथा निजी स्थापनाओं को क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, सुरक्षा आसूचना एजेंसियां पाकिस्तानी आई एस आई एजेंटों सहित जासूसी की गतिविधियों पर गहरी निगरानी रख रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2006 से 31 अक्तूबर, 2007 तक जासूसी एजेंटों को गिरफ्तार करने के कारण आई एस आई समर्थित कुल 36 जासूसी मोड्यूलों को देश में निष्क्रिय किया गया है।

(ङ) से (छ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने आई एस आई की गतिविधियों से निपटने के लिए सुसमन्वित और बहु आयामी रणनीति अपनाई है जिसमें सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को चुस्त करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आई एस आई की योजनाओं को निरस्त करना, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की बाह्य चौकियां स्थापित करना और उन्नत, आधुनिक हथियारों एवं संचार व्यवस्था से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना इत्यादि शामिल है।

केन्द्र सरकार ने देश में आई एस आई की धमकियों और गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को भी सुग्राही बनाया है। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए रणनीति बनाने के साथ-साथ विभिन्न तिमाहियों में जानकारियों का आदान-प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वित बैठकें भी आयोजित की जाती है। केन्द्र और राज्यों से संबंधित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां आई एस आई की गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं।

नैनो प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को शुरू करना

2597. श्री अनवर हुसैन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रहे सभी विश्वविद्यालयों में नैनो प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी विश्वविद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों के कब तक शुरू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) स्वायत्त निकाय होने के नाते विश्वविद्यालय इस संबंध में अपने अधिनियमों, विधानों और अध्यादेशों के अनुसार विषय और पाठ्यक्रम शुरू करने में सक्षम है, अत: किसी विशेष पाठ्यक्रम को शुरू करवाने में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ज्ञान के उदीयमान विषय (नैनो टेक्नोलाजी सहित) आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें विकास अनुदान प्रदान करता है।

कयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ए एस आई डी ई स्कीम

2598. डा. के.एस. मनोज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "टाउन आफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस" के रूप में घोषित कस्बों से कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए "ए एस आई डी ई स्कीम" कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने अलापुजा "द टाउन आफ एक्सपोर्ट एक्सिलेंस" में कयर उद्योग के उन्नयन तथा इसे बढ़ावा देने के लिए "ए एस आई डी ई स्कीम" के अंतर्गत कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) ए एस आई डी ई स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आम तौर पर निर्यातों के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और यह उत्पाद-विशिष्ट नहीं होती है। स्कीम में निधियों का आबंटन करने और निर्यातों की वृद्धि पर लक्षित परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) के गठन का प्रावधान है। निर्यात उत्कृष्टता के शहरों को एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) और (घ) कयर बोर्ड ने अलेप्पी से कोच्ची पत्तन तक निर्यात आधारित कार्गो को भेजने के लिए अलेप्पी में नहर के समीप अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने एवं घाट बनाने के लिए एएसआईडीई स्कीम के केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत 150 लाख रुपए की वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तथापि, कयर बोर्ड से परियोजना के ब्यौरेवार संघटकों के अभाव में वित्तीय संस्वीकृति हेतु इस पर विचार नहीं किया जा सका।

बलात्कार पीड़ितों को राहत

2599. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय राहत देने की एक योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में पिछड़े, ग्रामीण तथा जनजाति बहुल क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) बलात्कार के पीड़ितों को राहत और उनके पुनर्वास की एक स्कीम महिला और बाल विकास मंत्रालय में विचाराधीन है। उस मंत्रालय ने ग्यारहवीं आयोजना (2007-12) में इस स्कीम के लिए 201 करोड़ रु. के परिव्यय का सुझाव दिया है।

आपदा प्रबंधन हेतु एहतियाती उपाय

2600. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आपदा प्रबंधन के संबंध में एहतियाती उपाय आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो इन एहतियाती उपायों के दायरे में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) ये उपाय कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सरकार ने आपदा प्रबंधन के राहत केन्द्रित दृष्टिकोण में प्रतिमान परिवर्तन करते हुए समग्र, एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है और उसमें विविध वैज्ञानिक, इंजीनियरी, सामाजिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए उसमें आपदा प्रबंधन चक्र अर्थात् उसकी रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया, राहत और पुनर्वास के विभिन्न चरणों को शामिल किया है।

अभिवनीकरण में इस परिवर्तन के मद्देनजर निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए गए हैं:

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम (डी एम एक्ट) 2005 का अधिनियमन आपदा का प्रशमन करने, आपदाओं तथा अन्य संबंधित मामलों के आपातकालीन अनुक्रिया की तैयारी करने और समन्वय करने के प्रभावी कदमों को सुकर बनाने के लिए किया गया था।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) की स्थापना की गई है। एन डी एम ए आपदा प्रबंधन पर नीतियां, योजनाएं एवं दिशानिर्देश बनाने के लिए जिम्मेदार है। इस अधिनियम में राज्य एवं जिला स्तरों पर भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है।

3. जोखिम प्रतिरोधक निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञ समितियों ने प्रतिदर्श भवन उपविधियां, नगर एवं कंट्री नियोजन विधायन, जोनिंग एवं विकास नियंत्रण विनियमन अधिनियमित किए हैं और इन्हें राज्य सरकारों को भी बताया गया है।

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) स्थापित किया गया है।

5. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल किया है और विभिन्न राज्यों के संबंधित शिक्षा बोर्डों को भी अपने पाठ्यक्रमों में इसे शामिल करने का परामर्श दिया है।

6. देश के 169 बहु जोखिम सम्भावित जिलों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (डी आर एम पी) कार्यान्वयन के अधीन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावी खोज एवं बचाव कार्य, प्राथमिक चिकित्सा, राहत समन्वय आदि के लिए विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन समितियों का गठन करना एवं उन्हें संवेदनशील बनाना तथा आपदा प्रबंधन दलों की स्थापना करना एवं उन्हें प्रशिक्षण देना है।

7. विशेषीकृत अनुक्रिया के लिए एक राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की स्थापना की गई है।

8. केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों में आपातकालीन सहायता कार्य योजनाएं बनाना।

9. नाभिकीय हमले के पश्चात की घटनाओं से निपटने, रासायनिक हथियारों/रेडियोएक्टिव सामग्री/जैवकीय एजेंटों

का प्रयोग करते हुए आतंकवादी हमलों की जवाबी कार्रवाई के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) बनाई गई हैं।

10. हिन्द महासागर में सुनामी आने और तूफानी तरंगों के बारे में पूर्व चेतावनी के लिए एक सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली (टीईडब्ल्यूएस) स्थापित की गई है।

भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार

2601. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा को पार करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा चालू वित्तीय वर्ष में आज की तारीख तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) दोनों देशों के बीच कोई वार्षिक व्यापार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। चीन के प्रधानमंत्री श्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने वर्ष 2008 तक 20 बिलियन अम.डा. अथवा इससे अधिक का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को वर्ष 2006-07 में पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 25.75 बिलियन अम.डा. का हुआ था। इसके पश्चात नवम्बर 2006 में चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने वर्ष 2010 तक 40 बिलियन अम.डा. के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून, 2007 तक भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 8 बिलियन अम.डा. के स्तर पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार भारत से व्यापार शिष्टमंडल को चीन में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेमिनार और क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार

2602. **श्री अनन्त नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन देशों के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) पश्चिम एशियाई देशों में बहरीन, ईराक, इराक, इजरायल, जार्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई तथा यमन शामिल हैं। वर्ष 2006-07 में पश्चिम एशियाई देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार (तेल सहित) 68,986.33 मिलियन अम.डा. का हुआ (निर्यात 21,165.04 मिलियन अम.डा. तथा आयात 47,821.29 मिलि. अम.डा.)। व्यापार तथा आर्थिक संबंध समिति (टीईआरसी) की चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वाणिज्य विभाग खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, ओमान तथा कुवैत शामिल हैं, के साथ एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर बातचीत को आगे बढ़ाए। पहले दौर की बातचीत 21-22 मार्च, 2006 को रियाद में हुई थी।

केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन न दिया जाना

2603. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन न दिए जाने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन उन स्वतंत्रता सैनानियों को प्रदान की जाती है जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों और प्रामाणिक अपेक्षाओं एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पूरा करते हों। वे मामले जहां आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या प्रामाणिक अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके दावों को स्पष्ट आदेशों के माध्यम से आवेदकों को सूचित करते हुए रद्द कर दिया जाता है।

सरकार, सम्मान पेंशन प्रदान किए जाने के दावों को रद्द करने के आदेशों के विरुद्ध समय-समय पर अभ्यावेदन, शिकायतें, अपीलें और पुनरीक्षा संबंधी याचिकाएं प्राप्त करती रही है। ऐसे अभ्यावेदनों, शिकायतों, अपीलों और पुनरीक्षा याचिकाओं पर इस योजना के प्रावधानों और सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप विचार किया जाता है और उन्हें निपटाया जाता है। ऐसे अभ्यावेदनों, शिकायतों, अपीलों और पुनरीक्षा संबंधी याचिकाओं इत्यादि के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

2604. **श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विशेष रूप से पिछड़े राज्यों में अंडर ग्रेजुएट शिक्षा का व्यावसायीकरण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): सामान्य रूप से वेतन क्षेत्र और विशेष रूप से स्व-रोजगार क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार के लिए ज्ञान, कौशल तथा दक्षता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अवर-स्नातक स्तर पर शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने का एक प्रमुख कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम वर्ष 2003-2004 के दौरान वृत्तिका उन्मुख कार्यक्रम के रूप में पुनः सृजित किया गया था तथा परम्परागत बी.ए., बी.काम. और बी.एस.सी. डिग्री के समानांतर प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा कार्यक्रम की एक उदीयमान पद्धति शुरू की। विश्वविद्यालयों/कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर अपनी 'आवश्यकता आधारित' वृत्तिका उन्मुख पाठ्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता है। अभिज्ञात विषयों के पाठ्यक्रम विषय स्वयं विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए जाएंगे।

उड़ीसा में सोने के भण्डार

2605. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान देश के विभिन्न भागों विशेषरूप से उड़ीसा में हाल ही में सोने के भण्डार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियों ने सोने की खानों के अन्वेषण हेतु लाइसेंसों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन खानों से राज्य-वार सोने की कुल कितनी मात्रा का अन्वेषण किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्वर्ण भंडारों का पता लगाया है, लेकिन उड़ीसा में किसी स्वर्ण भंडार का पता नहीं लगा है। देश में पता लगाए गए स्वर्ण भंडारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 1.4.2006 से 31.3.2007 तक की अवधि में निजी कम्पनियों को स्वर्ण गवेषण के लिए कर्नाटक राज्य में दो पूर्वेक्षण लाइसेंस, उड़ीसा में दो टोही परमिट (आरपी) और मध्य प्रदेश में एक टोही परमिट (आरपी) प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन संसूचित किया गया है।

(ङ) स्वर्ण खानों से उपलब्ध होने वाले स्वर्ण की संभावना की कुल मात्रा विभिन्न कारकों जैसे अयस्क किस्म और ग्रेड, निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करती है।

विवरण

देश में पता लगाए गए स्वर्ण भंडारों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	क्षेत्र	संसाधन (मिलियन टन)	ग्रेडन (ग्राम/टन)
1. राजस्थान	भूकिया गोल्ड प्रोसपेक्ट, जिला बांसवाड़ा	55.22	1.87
	डुगोचा मैन ब्लाक, जिला-उदयपुर	0.48	2.24
	डुगोचा नार्थ ब्लाक, जिला-उदयपुर	0.25	1.91
	ढाणी बासड़ी क्षेत्र, जिला दौसा	3.80	1.53
2. झारखण्ड	पारासी, जिला रांची	1.51	2.47
	पहाड़िया, पश्चिम सिंहभूम	0.58	3.73
3. आंध्र प्रदेश	डोना साउथ ब्लाक, जिला कुर्नूल	1.11	1.16-6.28
	डोना नार्थ ब्लाक, जिला कुर्नूल	0.09	3.85
4. कर्नाटक	अज्जानहल्ली ईस्ट ब्लाक, जिला तुमकुर	0.29	2.00
	अज्जानहल्ली सेन्ट्रल सेक्टर, जिला-तुमकुर	0.10	1.65
	अज्जानहल्ली ईस्ट ब्लाक, (नार्थ सेक्टर), जिला-तुमकुर	0.38	1.70

भारत-पाकिस्तान व्यापार

2606. श्री जी.एम. सिद्दीश्वरः
श्री राजनरायन बुधौलियाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत-पाकिस्तान व्यापार एक प्रभावकारी दर से बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या भारत और पाकिस्तान का एक साथ मिल कर मजबूत उत्पादन आधारों का विकास करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। भारत-पाकिस्तान व्यापार 2005-06 में 868.79 मिलियन अम.डा. से बढ़कर 2006-07 के दौरान 1671.51 मिलियन अम.डा. का हो गया जिसमें 92 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। इससे पूर्व 2005-06 में व्यापार में 2004-05 की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून, 2007 की अवधि के दौरान पाकिस्तान को भारतीय निर्यात 406.49 मिलियन अम.डा. के हुए थे। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का ब्यौरा

(मूल्यः मिलि. अम.डा. में, स्रोतः डीजीसीआईएस कोलकाता बजरिए एनआईसी, डीओसी)

वर्ष	पाकिस्तान को निर्यात	पाकिस्तान से आयात	कुल व्यापार	पाकिस्तान को निर्यात % वृद्धि	आयात में वृद्धि	द्विपक्षीय व्यापार में % वृद्धि
2002-03	206.16	44.85	251.01			

2003-04	286.94	57.74	344.68	39	29	37
2004-05	521.05 (0.62)	94.97 (0.09)	616.02	82	64	79
2005-06	689.23 (0.67)	179.56 (0.12)	868.79	32	89	41
2006-07	1348.32 (1.07)	323.19 (0.17)	1671.51	96	80	92
2007-08 अप्रैल-जून 2007	406.49	68.17	474.66			

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को आतंकवाद का खतरा

2607. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य में न केवल बंगलौर में बल्कि लगभग सात स्थानों में आतंकवाद को ठोस आधार मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में ग्लासगो विमानपत्तन पर असफल आतंकवादी घटना के बाद एचएएल विमानपत्तन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य को कितनी तकनीकी और केन्द्रीय सहायता देने पर सहमत हुई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिससे यह पता चले कि बंगलोर अथवा राज्य के किसी भी भाग में आतंकवाद को कोई ठोस आधार मिल गया हो। तथापि, विगत दो वर्षों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर तीन आतंकवादी माड्यूलों को नष्ट किया गया है।

(ख) एचएएल विमानपत्तन, बंगलोर में सिटी साइड सुरक्षा प्रबंध किया जाना राज्य पुलिस का दायित्व है। तथापि, सीआईएसएफ अपने प्रबंधों से इस संबंध में सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने ऐसे किसी सहायता की मांग नहीं की है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के साथ व्यापार

2608. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पाकिस्तान के साथ सड़क के माध्यम से व्यापार शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा व्यापार के लिए कितनी वस्तुओं की पहचान की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत और पाकिस्तान द्वारा किसी व्यापार संधि/समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सड़क के जरिए भारत-पाकिस्तान व्यापार के लिए अट्टारी भू-सीमा शुल्क केन्द्र (एलसीएस) (भारत की तरफ बाघा सीमा), पहले से ही स्थाई आधार पर सभी वस्तुओं के व्यापार के लिए नवम्बर, 1994 से एक अधिसूचित मार्ग रहा है। तथापि, पाकिस्तान द्वारा सभी वस्तुओं के लिए तथा स्थाई आधार पर इसे अभी अधिसूचित किया जाना है। मई, 2005 में पाकिस्तान ने जीवित पशु, हलाल मांस, प्याज, आलू, टमाटर और लहसुन जैसी चुनिंदा वस्तुओं के लिए इस एल सी एस को व्यापार हेतु अस्थाई आधार पर अधिसूचित किया था जो अब भी प्रचालनरत है।

अगस्त, 2005 में नई दिल्ली में आयोजित वाणिज्यिक सचिव स्तर की तीसरी भारत-पाकिस्तान संयुक्त वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए इस भू-मार्ग को स्थाई आधार पर खोलने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान ने इस अनुरोध को नोट कर यह बताया था कि वे स्थाई आधार पर भू-मार्ग को खोलने के अवसंरचनात्मक और प्रशासनिक निहितार्थों का अध्ययन कर रहे हैं।

नई दिल्ली में 31 जुलाई से 1 अगस्त, 2007 तक आयोजित वाणिज्य सचिव स्तर की संयुक्त वार्ता के चौथे दौर के दौरान दोनों पक्षों ने इस सीमा पर समेकित जांच चौकी (आईसीपी) के विकास हेतु प्रस्तावित योजना की जानकारी दी थी और दोनों ओर आईसीपी के विकास के लिए सूचना के आदान-प्रदान को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवार्य शिक्षा

2609. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 6-14 वर्ष के आयु समूह वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की संविधानिक वचनबद्धता के संबंध में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या निजी तथा गैर-सरकारी स्कूल इस वचनबद्धता से मुक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक विधान अधिनियमित करके निजी और गैर-सरकारी स्कूलों के उक्त सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली के साथ जोड़ने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से संविधान में अनुच्छेद 21क सन्निविष्ट किया गया है, जो ''राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से प्रदान करेगा जैसा, राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे'' का प्रावधान करते हुए 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है।

अनुच्छेद 21क में परिकल्पित उचित अनुवर्ती विधान के लंबित अधिनियमन के परिणामस्वरूप ऊपर उल्लिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अभी लागू नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हुआ घाटा

2610. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को विज्ञापन एजेंटों से बकाया राशि न मिलने के कारण वित्तीय घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन विज्ञापन एजेंटों के नाम क्या हैं तथा इनसे कितनी धनराशि वसूली जानी है; और

(ग) यह बकाया धनराशि वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एनएफडीसी ने बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) बकाया राशि की वसूली के लिए प्रमुख देनदारों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

(2) देय-राशि के पुनर्भुगतान हेतु विभिन्न देनदारों को मांग-नोटिस भेजे गए हैं।

(3) वसूली के लिए की गई कानूनी कार्रवाई के समर्थन में चूककर्ता पक्षकारों के लेखा खातों और उनके निदेशकों के विवरणों की मदद से एनएफडीसी को देय राशि का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए आय कर विभाग एवं कंपनियों के पंजीयक जैसी सरकारी एजेंसियों से सूचना मांगी गयी है।

विवरण

31 मार्च, 2007 तक टिवी विपणन के देयों का विवरण

क्र.सं.	पार्टी का नाम	एनएफडीसी की लेखा पुस्तिका के अनुसार 31.03.2007 तक बकाया राशि (आंकड़े रु. में)
1	2	3
1.	एबीसीएल	4,440,715.90
2.	एडबर	1,655,860.00
3.	एडराइट	22,312.50
4.	एम्बिअन्स	103,062.50
5.	आर्ट विज्ञापन	228,995.00
6.	एपेक्स	123,952.00
7.	विज्ञापन एवेन्यूस	25,500.00
8.	एड विजन-दिल्ली	153,875.00
9.	एलाएन्स मार्केट	60,190.00
10.	आदित्य एन्टरप्राइजेस इंदौर	3,558,412.83
11.	ए एण्ड ए फिल्म्स् दिल्ली	9,430,775.39
12.	बी एम ए दिल्ली	442,000.00
13.	ब्रम्हा विजन	1,077,679.00
14.	बेटीज इंडिया	33,939.38
15.	बिसावा क्रिएसन	9,575,000.00
16.	सिने पेन्या दिल्ली	49,310,586.50
17.	कडिला लि. अहमदाबाद	211,394.00
18.	कान्ट्राक्ट विज्ञापन प्राईवेट लि.	808,585.00
19.	क्रिएटिव्ह चैनल	31,471,469.46
20.	कारट इंडिया सर्विस	935,371.50
21.	डाबर	382,500.00
22.	डेटा बेसीक्स	3,013.75
23.	दृष्टी इंडिया लि.	2,959,125.00

1	2	3
24.	डिजाइन आउटलुक	37,876.00
25.	इमामी-कोलकाता	1,645.00
26.	एलेक्वेन्ट पब्लिसिटी	59,500.00
27.	एवरेस्ट मुंबई	631,537.00
28.	यूरो आरएससीजी विज्ञापन प्राइवेट लि.	41,551.75
29.	फिल्म सेन्टर दिल्ली	2,213,844.50
30.	गोल्डन कम्यूनिकेशन	106,620.00
31.	ग्रूप विज्ञापन	29,,750.00
32.	हिन्दूस्तान थाम्पसन्स एसोसिएट्स	87,386,,470.88
33.	कार्मनि विज्ञापन-सूरत	19,948.00
34.	हूक्सले एण्ड कंपनी	255,000.00
35.	हिरो पब्लिसिटी	10,625.00
36.	आय बि डब्ल्यू	65,179.00
37.	आय एन सी ए क्रिएसन-चेन्नई	95,625.00
38.	इंद्रधनुष	10,441,538.00
39.	आरपीएसइएम हेल्थ केयर लि. (इंदौर)	9,586,196.46
40.	करमचंद	103,959.00
41.	केयर विज्ञापन	155,199.00
42.	कुनाल विज्ञापन	76,500.00
43.	एल.आल. स्वामि	173,734.74
44.	लिन्टास	5,207,099.96
45.	मडीसन	5,873,287.45
46.	मूवी कन्स	763,812.50
47.	मार्केट पल्स	440,408.00
48.	एम सी-कन एरिक्सन	1,618,730.94
49.	एम.सी.ए.-बैंगलोर	230,180.00
50.	माडर्न	459,000.00

1	2	3
51.	मुद्रा कम्यूनिकेशन प्राईवेट लि.	5,549,156.90
52.	एम ए ए बोंजील बैंगलोर	529,923.50
53.	नेत्रा विज्ञापन	14,380,638.19
54.	नेक्सस इक्वीटी विज्ञापन प्राइवेट लि.	596,727.00
55.	निम्बस कम्यूनिकेशन	4,254,947.89
56.	नीडवाइस विज्ञापन प्रा.लि.	364,290.50
57.	नोवा विज्ञापन	1,842,843.50
58.	ओग्लीव एण्ड माथर विज्ञापन	3,714,112.17
59.	आउट लूक सर्विस	195,500.00
60.	पारस फार्मास्यूटीकल्स	331,500.00
61.	पेनजान	121,181.10
62.	पाप्यूलर एन्टरटेनमेंट नेटवर्क	6,060,165.58
63.	प्राइम टाइम कम्यूनिकेशन (दिल्ली)	13,177.00
64.	प्रचार कम्यूनिकेशन लि.	22,851,294.21
65.	प्रामिनेन्ट-दिल्ली	306,903.00
66.	पॅशन-दिल्ली	63,750.00
67.	प्लस चैनल मुंबई	28,467,209.50
68.	पूर्णिमा विज्ञापन एजेंसी प्रा.	1,947,862.50
69.	प्रीमीअर विज्ञापन	3,193.00
70.	पब्लिक जेन	10,625.00
71.	आर के स्वामि बीबीडीओ विज्ञापन प्रा.लि.	1,429,391.75
72.	राष्ट्रीय विज्ञापन	646,999.94
73.	रेडिफ्यूसन डाय एण्ड आर	2,467,212.40
74.	रिस्पान्स कोलकाता	127,500.00
75.	शिवम मिडिया	54,824.00
76.	संतूर क्रियसन चैन्नई	5,621.20
77.	सिच्युअेशन साउन्ड	87,500.00

1	2	3
78.	स्वर सुधा	8,925.00
79.	स्पेक्ट्रा	293,250.00
80.	शार्प फोकस	126,547.00
81.	सिटवेसन विज्ञापन	55,715.30
82.	सिस्टा सात्वि एण्ड सात्वि विज्ञापन	648,467.50
83.	ससी विज्ञापन	21,285.50
84.	सानिटेक्स केमिकल्स लि. इंदौर	4,324,375.05
85.	त्रिकाया ग्रे	1,819,251.80
86.	टंडेम कम्यूनिकेशन	12,750.00
87.	टी सरकार	1,253,800.00
88.	टाइम एण्ड स्पेस मिडिया इन्टरटेनमेंट	318,750.00
89.	तारा सिन्हा	2,568,248.50
90.	टाईम शाप	1,333,091.87
91.	टी एल जी इंडिया प्रा.लि.	92,990.19
92.	उल्का विज्ञापन	1,887,052.00
93.	यूबिक्यूटेस मार्केटिंग एण्ड विज्ञापन	57,800.00
94.	विजन टाइम्स विज्ञापन	38,000.00
95.	विजन विज्ञापन एण्ड मार्केटिंग एसईआर	13,212,893.75
96.	विज्यूअल विज्ञापन-दिल्ली	7,963,187.50
97.	वेनआट विज्ञापन प्रा.लि.	578,817.00
98.	वायब्रन्ट मिडिया प्रा.लि.	2,742,063.36
99.	वर्ल्ड कम मल्टिमिडिया (दिल्ली)	736,017.25
100.	वेवस कम्यूनिकेशन (अहमदाबाद)	1,067,654.50
101.	डब्ल्यू पी पी मार्केटिंग (मुंबई)	2,377,880.00
102.	झेन कम्यूनिकेशन (मुंबई)	360,303.00
	कुल	383,422,298.60

मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार

2611. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्याह्न भोजन योजना के उपरि प्राथमिक कक्षाओं तक विस्तार के बाद इसके अंतर्गत कितने और बच्चों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ख) इस योजन को उपरि प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाए जाने के बाद वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हेतु अपेक्षित, इनके लिए निर्धारित तथा आबंटित धनराशि कितनी है; और

(ग) मध्याह्न भोजन योजना पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को घटाने तथा स्कूल में पंजीकरण कराने की दर को बढ़ाने में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी सफल हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 2007-08 में मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक स्तर तक हो जाने के बाद शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लाकों से 16696676 अतिरिक्त बच्चों के इसमें शामिल होने की सम्भावना है।

(ख) 2007-08 के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लाकों में मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक हो जाने के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आबंटित तथा जारी की गई अतिरिक्त राशि संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है। प्रतिवर्ष मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित राज्य प्रस्ताव के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निधियां आबंटित की जाती हैं।

(ग) 1995-96, जिस वर्ष मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी, में प्राथमिक स्कूलों (कक्षा I-V) में नामांकन 130.8 मिलियन था, जो (योजना शुरू होने के बाद) 2005 में तेजी से बढ़कर 130.8 मिलियन हो गया इसी प्रकार स्कूल छोड़ देने वालों की दर (प्राथमिक) भी जो 1995-96, में 42.07 थी 2004-05 में घट कर 29.00 हो गई है। वर्ष 1995-96 तथा 2004-05 की नामांकन दर और स्कूल छोड़ देने की दर का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए मध्याह्न भोजन योजना के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भिन्न-भिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुहैया कराई गई विभिन्न पहलों का संयोजन होने से ही यह प्रगति हुई है।

विवरण I

मध्याह्न भोजन योजना के तहत उच्च प्राथमिक स्तर के लिए वर्ष 2007-08 के लिए केंद्रीय सहायता का आवंटन और रिलीज (1.10.2007 से 31.3.2007 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	
		खाद्यान्न (मीट्रिक टन में)	निधियां (कुकिंग लागत+एम.एम.ई.*) (लाख रु. में)
1	2	3	4
गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	27649.93	3780.66
2.	बिहार	36238.83	4955.84
3.	छत्तीसगढ़	8728.69	1193.83
4.	गोवा	0.00	0.00
5.	गुजरात	8028.29	1097.44
6.	हरियाणा	3259.08	445.54
7.	हिमाचल प्रदेश	853.23	116.76
8.	जम्मू-कश्मीर	4622.75	632.37
9.	झारखण्ड	16348.69	2235.83
10.	कर्नाटक	20246.94	2768.59
11.	केरल	95.40	12.72
12.	मध्य प्रदेश	35191.57	4812.21
13.	महाराष्ट्र	8016.84	1095.91
14.	उड़ीसा	10339.16	1413.55
15.	पंजाब	2364.77	323.30
16.	राजस्थान	32004.18	4376.22
17.	तमिलनाडु	1983.35	271.45
18.	उत्तराखण्ड	2269.52	310.60
19.	उत्तर प्रदेश	75453.93	10318.52
20.	पश्चिम बंगाल	14327.33	1959.27
	कुल	308022.48	42120.61

1	2	3	4
विधान परिषद वाले संघ राज्य क्षेत्र			
21.	दिल्ली	0.00	0.00
22.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00
विधान परिषद रहित संघ राज्य क्षेत्र			
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
24.	चंडीगढ़	0.00	0.00
25.	दादरा और नगर हवेली	213.14	29.42
26.	दमन और दीव	0.00	0.00
27.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
	कुल	213.14	29.42

1	2	3	4
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य			
28.	अरुणाचल प्रदेश	725.33	114.22
29.	असम	12740.07	2001.60
30.	मणिपुर	56.00	8.59
31.	मेघालय	625.30	97.88
32.	मिजोरम	21.01	3.22
33.	नागालैंड	28.90	3.85
34.	सिक्किम	0.00	0.00
35.	त्रिपुरा	353.08	55.14
	कुल	14549.69	2284.50
	कुल योग	322785.31	44434.53

*एम.एम.ई.: प्रबंधन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन हेतु केंद्रीय सहायता

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन (कक्षा 1-5)		पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर (कक्षा 1-5)	
		1995-96	2004-05	1995-96	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	76,40,402	76,92,411	55.44	31.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,41,904	1,84,673	54.19	46.85
3.	असम	33,52,604	35,10,665	55.12	50.07
4.	बिहार	99,61,032	1,00,42,119	60.30	51.59
5.	छत्तीसगढ़	-	34,05,502	-	-
6.	गोवा	1,27,009	1,06,828	5.39	2.43
7.	गुजरात	58,79,030	65,53,022	41.20	35.09
8.	हरियाणा	18,95,897	20,73,939	12.79	4.81
9.	हिमाचल प्रदेश	6,80,709	6,70,807	24.52	7.74
10.	जम्मू-कश्मीर	8,65,022	9,69,479	31.28	36.92

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	-	34,46,984	-	-
12.	कर्नाटक	65,05,828	58,83,907	42.01	15.88
13.	केरल	28,65,066	25,43,422	-4.0	0.00
14.	मध्य प्रदेश	93,28,672	1,03,51,093	28.22	10.21
15.	महाराष्ट्र	1,14,56,469	1,13,85,483	23.81	6.70
16.	मणिपुर	2,32,179	3,48,897	42.80	31.18
17.	मेघालय	2,91,980	4,67,955	62.12	49.97
18.	मिजोरम	1,17,081	1,23,705	57.20	49.84
19.	नागालैंड	1,61,364	2,24,246	38.29	42.69
20.	उड़ीसा	41,46,193	52,18,568	52.62	39.34
21.	पंजाब	20,78,524	19,01,408	22.71	23.96
22.	राजस्थान	59,28,559	93,29,792	55.99	56.59
23.	सिक्किम	82,561	86,149	58.17	49.44
24.	तमिलनाडु	81,95,672	64,03,416	15.85	0.94
25.	त्रिपुरा	4,31,884	4,61.209	56.09	43.20
26.	उत्तर प्रदेश	1,33,95,321	2,45,79,638	39.27	12.06
27.	उत्तरांचल	-	11,91,505	-	-
28.	पश्चिम बंगाल	97.08,543	98,81,352	59.45	43.65
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43,035	40,274	10.5	3.72
30.	चंडीगढ़	60,248	62,908	-1.46	2.59
31.	दादरा और नगर हवेली	22,010	33,624	40.62	28.23
32.	दमन और दीव	13,903	16,321	-10.96	0.84
33.	दिल्ली	13,75,343	14,60,714	0.83	0.00
34.	लक्षद्वीप	8,658	7,053	14.461	7.62
35.	पांडिचेरी	1,02,347	1,03,999	-5.49	0.00
	भारत	10,70,95,049	13,07,63,067	42.07	29.00

स्रोत: चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 1995-96 और 2004-05, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

संस्थाओं को मान्यता

2612. **श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उच्च शिक्षा संस्थाओं/कालेजों को मान्यता देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पास लंबित आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संस्था-वार तथा राज्य-वार इनके लंबित रहने की तिथि क्या है; और

(ग) इन लंबित मामलों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर राज्यवार विश्वविद्यालयों/कालेजों को मान्यता देने के प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण-I और II में दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कालेजों/विश्वविद्यालयों से प्राप्त मान्यता तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रत्येक प्रस्ताव की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा ऐसे कालेजों/विश्वविद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और शैक्षिक सुविधाओं का मौके पर मूल्यांकन शामिल है। मान्यता प्रदान करने या अन्यथा निर्णय प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर समिति की सिफारिशों पर विचार करके किया जाता है और इसलिए इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों की सूची (नवम्बर, 2007)

	राज्य	दिनांक
	1	2
आंध्र प्रदेश		
1.	आदिकवि नान्या विश्वविद्यालय जयाकृष्णापुरम, राजामुंद्री-533105, (आंध्र प्रदेश)	08.08.2007
2.	तेलांगाना विश्वविद्यालय, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश	19.11.2007
3.	नलगोंडा विश्वविद्यालय, नलगोंडा, आंध्र प्रदेश	22.11.2007
4.	योगी वेमाना विश्वविद्यालय, वेनानापुरम, कडप्पा-516003	23.07.2007
गुजरात		
5.	कडी सर्व विश्वविद्यालय, सर्व विद्यालय परिसर, सेक्टर 15/23, गांधी नगर, गुजरात	10.6.2007
असम		
6.	कृष्णकांत हांडिके राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, लास्ट गेट, दिसपुर, गुवाहाटी-781006	जून, 2007
हरियाणा		
7.	दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मूर्थल, हरियाणा	23.07.2007
मिजोरम		
8.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, मिजोरम	17.10.2007

1		2
नागालैंड		
9.	दा ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, नागालैण्ड (निजी विश्वविद्यालय)	24.10.2007
मेघालय		
10.	मार्टिन लुथर क्रिश्चयन यूनिवर्सिटी, केजेपीए कांफ्रेंस सेन्टर, सेन्ट्रल वर्ड, शिलांग-793001 (निजी विश्वविद्यालय)	20.09.2007
सिक्किम		
11.	ईस्टर्न इंस्टीट्यूट आफ इंटिग्रेटेड इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, सिक्किम (निजी विश्वविद्यालय)	16.11.2007
तमिलनाडु		
12.	अन्ना विश्वविद्यालय, जीसीटी कैम्पस, ठंडागम रोड, कोयम्बटूर-641013, तमिलनाडु	30.07.2007
13.	अन्ना विश्वविद्यालय, त्रिची, तमिलनाडु	30.07.2007
14.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	30.07.2007
उत्तरांचल		
15.	हिमगिरि नभ विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तरांचल (निजी विश्वविद्यालय)	24.05.2007
उत्तर प्रदेश		
16.	एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश (मामला न्यायालय के विचाराधीन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय सी.डब्ल्यू.पी. सं. 18188, 2006 के विरुद्ध याचिका दायर की है।)	08.06.2005

विवरण II

आज तक की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के अंतर्गत तैयार की गई कालेजों की सूची में शामिल किए जाने हेतु लम्बित/विचाराधीन/पत्राचाराधीन प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाली सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बित प्रस्तावों/विविध पत्राचारों की संख्या		कुल
		प्रस्ताव	विचाराधीन	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	-	1	1
4.	बिहार	1	1	2
5.	छत्तीसगढ़	-	1	1

1	2	3	4	5
6.	गोवा	–	1	1
7.	गुजरात	–	6	6
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	–	1	1
11.	झारखण्ड	–	–	–
12.	कर्नाटक	–	–	–
13.	केरल	–	3	3
14.	मध्य प्रदेश	1	–	1
15.	महाराष्ट्र	1	20	21
16.	मणिपुर	–	–	–
17.	मेघालय	–	–	–
18.	मिजोरम	–	1	1
19.	नागालैंड	–	2	2
20.	उड़ीसा	–	–	–
21.	पंजाब	–	–	–
22.	राजस्थान	–	3	3
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	–	5	5
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	–	1	1
27.	उत्तरांचल	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	1	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
30.	चंडीगढ़	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–

1	2	3	4	5
33.	दिल्ली	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	-	-	-
35.	पाण्डिचेरी	-	-	-
	कुल	04	48	52

छात्रों पर जाति का प्रभाव

2613. श्री के.एस. राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के स्कूलों तथा कालेजों में छात्रों के विकास पर जाति तथा उसके प्रभाव की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में जाति प्रणाली समाप्त करने के उद्देश्य से छात्रों द्वारा अपनी जाति प्रकट करने/घोषित करने को वैकल्पिक बनाने का है जो कि उनके द्वारा निःशुल्क छात्रवृत्तियां लेने तथा जाति से जुड़े अन्य लाभों को लेने या न लेने के निर्णय पर निर्भर करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) यह माना जाता है कि शिक्षा की सुलभता और नामांकन, विद्यालयों में विद्यार्थियों को बनाए रखने और सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने जैसे घटकों पर जाति का प्रभाव पड़ता है। 1992 में यथा-संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी जाति, नस्ल, स्थान और बालक-बालिका पर ध्यान दिए बिना निर्धारित स्तर तक पर्याप्त गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ हो।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात की तुलना में कम है। संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से शामिल किए गए संविधान के अनुच्छेद 15(5) में इस संबंध में विस्तृत राष्ट्रीय नीति की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापकों के रिक्त पद

2614. श्री मनोरंजन भक्त: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बड़ी संख्या में स्कूलों में विभिन्न विषयों के पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं परन्तु रिक्तियां भरी नहीं जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) संघ शासित प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्थित विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है:-

स्नातकोत्तर शिक्षक	55
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	124
प्राथमिक स्कूल शिक्षक	22
शारीरिक शिक्षा शिक्षक	30
शिल्प शिक्षक	25
प्राथमिक स्कूल संसाधन शिक्षक	3

उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण शिक्षकों के ये पद रिक्त पड़े हैं। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन इन रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने हेतु सभी आवश्यक उपाय कर रहा है।

[हिन्दी]

भीड़ पर काबू पाने से संबंधित कानून

2615. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ हाल की हिंसक घटनाओं से पता चला है कि भीड़ द्वारा कानून अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र न्याय करने के उद्देश्य से कानूनों में कोई संरचनात्मक परिवर्तन करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में भीड़ द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं नोटिस में आई हैं। संविधान के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और पुलिस राज्य के विषय हैं तथा अपने राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा अपने लोगों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, भीड़ द्वारा हिंसा किए जाने की घटनाओं की स्थिति में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 19.09.2007 को अपने पुलिस बल को पर्याप्त रूप से सुग्राही बनाने की सलाह दी गई है जिससे कि भीड़ को हिंसा में शामिल होने की अनुमति न दी जाए तथा ऐसी हिंसा में शामिल व्यक्तियों/कर्ताओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए जिससे कि भीड़ के ऐसे उपद्रव और गतिविधि को रोका जा सके।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी आंकड़े

2616. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के नवीनतम जनगणना आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में ओबीसी के वर्तमान राज्य-वार आंकड़े प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) स्वतंत्रता के बाद की अवधि में जनसंख्या की जाति-आधारित कोई जनगणना नहीं की गई है और न ही जाति-आधारित जनगणना कराने का कोई प्रस्ताव है संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1951 से प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अलग से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अन्य पिछड़े वर्गों के जिलावार आंकड़े मांगे हैं। केवल 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ही अपेक्षित ब्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं।

विस्तृत विज्ञापन नीति

2617. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शराब, तम्बाकू तथा कतिपय मादक उत्पादों के प्रतिनिधि उत्पादों के अश्लील विज्ञापनों का केबल नेटवर्क पर निरंतर प्रसारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक तत्संबंधी चैनल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केबल चैनलों पर ऐसे विज्ञापनों तथा कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति केबल चैनलों पर ऐसे विज्ञापनों तथा कार्यक्रमों को रोकने में अप्रभावी सिद्ध हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान आज की तारीख तक ऐसे विज्ञापनों/कार्यक्रमों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा चैनल-वार क्या कदम उठाए गए हैं/कार्यवाही की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार निजी चैनलों के लिए एक विस्तृत विज्ञापन नीति का मसौदा बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) ऐसे अश्लील विज्ञापनों का कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है। केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(viii)(क) के अनुसार किसी भी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों, शराब, ऐलकोहल, मदिरा या अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री का उपभोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता हो तथा ब्रांड विस्तार से संबंधित विज्ञापनों के सभी मामलों को दिनांक 9 अगस्त, 2006 से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की जांच करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम की धारा 20 के तहत एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति स्व-संज्ञान से या शिकायत प्राप्त होने पर संहिताओं के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। यदि कोई उल्लंघन समिति की जानकारी में आता है तो नियमानुसार संबंधित टी.वी. चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(ङ) आज तक की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन हेतु 94 टीवी चैनलों के खिलाफ कुल 229 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं (जिनमें से 62 चैनलों को आदेश/चेतावनी/सलाह-पत्र जारी किए गए हैं)।

(च) और (छ) केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं और उनके तहत बनाए गए नियमों की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में, अन्य के साथ-साथ, प्रसारण संगठनों, सिविल सोसायटी समूहों, उपभोक्ता मंचों और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के प्रतिनिधि हैं तथा स्टेकहोल्डरों के साथ संहिता पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। समिति द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित संहिता का मसौदा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर डाल दिया गया है।

[हिन्दी]

अवैध निर्माण में एमसीडी के अधिकारियों का संलिप्त होना

2618. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण बेरोकटोक चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कुल कितने अवैध निर्माणों की पहचान की गई है तथा इनमें से ऐसे कितने निर्माणों को अब तक तोड़ा गया है;

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

2619. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक हिन्दी सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) केवल तीन मंत्रालयों—उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को छोड़कर शेष अन्य सभी मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित हैं। उक्त तीनों मंत्रालय अभी नवगठित मंत्रालय हैं। राजभाषा विभाग द्वारा पहले ही यह मामला इन मंत्रालयों के साथ उठाया गया है ताकि इन मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन तत्काल हो सके।

[अनुवाद]

नन्दीग्राम पर एन एच आर सी की रिपोर्ट

2620. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल सरकार से नन्दीग्राम में जारी हिंसा के संबंध में राज्य में जमीनी हकीकत पर रिपोर्ट देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट एनएचआरसी को सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयोग को राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसी रिपोर्टों पर अब तक एनएचआरसी द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(छ) राज्य में मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पश्चिमी बंगाल के नंदीग्राम में अस्थिर परिस्थितियों के बारे में शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने 12.11.2007 को मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार को 10 दिन के अंदर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिमी बंगाल सरकार से मंगाई गई उपर्युक्त रिपोर्ट एनएचआरसी को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) प्रश्न पैदा नहीं होते हैं।

(छ) संविधान के अनुसार, ''पुलिस'' और ''कारागार'' राज्य के विषय हैं और राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार ने मानवाधिकार के उल्लंघनों की शिकायतों से निपटने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 स्थापित किया है। एनएचआरसी ने सभी राज्य/संघ शासित सरकारों इत्यादि को मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों/सिफारिशों/सलाहें भी समय-समय पर जारी की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए मानव अधिकार आयोग भी स्थापित किए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में लाइसेंस रहित होटल

2621. श्री रशीद मसूदः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश होटल, गेस्ट हाउस, तथा होस्टल बिना लाइसेंस के चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन अवैध होटलों, गैस्ट हाउसों तथा होस्टलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस से उपलब्ध 15 नवम्बर, 2007 तक की सूचना के अनुसार कुल 384 होटल/गेस्ट हाउस बिना वैध वीजा के चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे होटलों, गेस्ट हाउसों और होस्टलों के उक्त अवधि तक दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 28/112 के अंतर्गत 840 बार चालान किए हैं।

[अनुवाद]

लेदर क्लस्टर

2622. श्री मंजुनाथ कुन्नुरः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास चमड़ा उद्योग को क्लस्टर के रूप में चिह्नित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास 'लेदर क्लस्टर' को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में 'लेदर क्लस्टर' में कितने शिल्पकार कार्यरत हैं;

(च) क्या सरकार ने चमड़ा उद्योग क्षेत्र के कामगारों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किसी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख)

पहले से ही पहचान किए गए चमड़ा उद्योग के मुख्य उत्पादन क्लस्टर हैं- चेन्नई, अंबूर, रानीपेट, वनियाम्बदी (तमिलनाडु), कानपुर, आगरा एवं नोएडा (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), जालंधर (पंजाब), बेंगलूर (कर्नाटक), गुड़गांव, अम्बाला एवं फरीदाबाद (हरियाणा)।

(ग) और (घ) आईआईयूएस योजना के तहत कानपुर एवं अंबूर के चमड़ा क्लस्टरों की अवसंरचना सुविधा के उन्नयन हेतु क्रमशः 9.75 लाख एवं 43.94 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। 10वीं योजनावधि के दौरान चमड़ा क्षेत्र योजना के अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के तहत दो उत्पादन क्लस्टरों, चन्नई एवं कोलकाता को 14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई एवं चेन्नई में फुटवियर परिसर एवं फुटवियर संघटक पार्क की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये एवं कोलकाता में चमड़ा उत्पाद पार्क के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। ग्यारहवीं योजना में, विभिन्न चमड़ा क्लस्टरों में, सरकार ने एकीकृत चमड़ा पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) यह अनुमान है कि असंगठित क्षेत्र में कुटीर, घरेलू क्षेत्र में फुटवियर, फुटवियर संघटक एवं लघु चमड़ा वस्तुओं के विनिर्माण में लगभग 0.90 मिलियन कारीगर लगे हुए हैं।

(च) और (छ) जी, हां। सरकार ने चमड़ा उद्योग के व्यावसायिकों के प्रशिक्षण हेतु फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई), नोएडा, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चैन्नई, केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा एवं चेन्नई, अन्तर्राष्ट्रीय जीनसाजी प्रौद्योगिकी एवं निर्यात प्रबन्धन संस्थान (आईआईएसटीईएम), कानपुर जैसे प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है। कानपुर एवं उन्नाव के चमड़ा क्लस्टर के प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फुरसतगंज में एफडीडीआई की एक शाखा स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त मांग एवं व्यवहार्यता के आधार पर देश के विभिन्न भागों में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मीडिया द्वारा भ्रामक विज्ञापन

2623. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुखः
प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः
श्री कीरेन रिजीजूः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन व अन्य मीडिया द्वारा उपभोक्ताओं को भ्रामक, अपूर्ण व गलत सूचना देने वाले विज्ञापनों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज की तिथि तक का मीडिया-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन भ्रामक विज्ञापनों के लिए उत्तरदायी कम्पनियों पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मीडिया-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापनों हेतु अपनी संहिता का अनुपालन करता है। तथापि, निजी टीवी चैनलों के संबंध में कुछ मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं। जैसेकि 'रूप अमृत (2005 में)', 'हिको गुड हाइट इंक्रीजिंग डिवाइस', 'योको हाइट इंक्रीज डिवाइस', 'हर्बल स्लिम टी', 'दंतपरी दंतमंजन', 'ओका गुड हाइट इंक्रीजिंग डिवाइस', 'डो केयर प्लस (आयुर्वेदिक)' (2006 में) 'गार्नियर लाइट फेयरनेस' (2007 में), 'पंचमुखी रूद्राक्ष माला' (2007 में), 'शनि रक्षा कवच' (2007 में), '7 अप' (2007 में)।

(घ) से (च) केबल सेवा के जरिए प्रसारित या पुनः प्रसारित किए जा रहे उपग्रह टी वी चैनलों के सभी विज्ञापनों में केबल टी वी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता के प्रावधानों तथा इनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया जाना होता है। विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। समिति स्व-प्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर संहिताओं के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। यदि कोई उल्लंघन समिति की जानकारी में आती है तो नियमानुसार संबंधित टी वी चैनल के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करने पर 94 टी वी चैनलों के विरुद्ध कुल 229 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें से 62 चैनलों को आदेश/चेतावनी/सलाह-पत्र जारी किए गए हैं जिनमें "वर्ल्डस सेक्सिएस्ट एडवरटीजमेंट्स" कैप्सूल का प्रसारण करने के लिए 'ए एक्स एन' शामिल है।

[अनुवाद]

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

2624. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना को वर्ष 2003 में आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों विशेष रूप से गुजरात सरकार से उक्त योजना के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(च) यदि हां, तो अब तक मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार के पास लंबित विशेषकर गुजरात सरकार के प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ज) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए चुनिंदा कार्यशील औद्योगिक क्लस्टरों में उत्तम अवसंरचना उपलब्ध कराकर घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना शुरू की गई थी। प्रत्येक परियोजना को 50 करोड़ रुपये की सीमा के शर्तों के अधीन, परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है। शेष 25 प्रतिशत अन्य पणधारियों द्वारा दी जाती है जिसमें परियोजना लागत का 15 प्रतिशत न्यूनतम औद्योगिक योगदान होता है। परियोजना का कार्यान्वयन कंपनी/सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत स्पेशल परपज व्हीकल द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) विवरण-I में दिये गए ब्यौरों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के 9 प्रस्तावों सहित, राज्य सरकारों से कुल 83 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ङ) और (च) 3 प्रस्तावों, यानि 55.06 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के इस्पात भूमि क्लस्टर, रायपुर, 65.07 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के वस्त्र क्लस्टर, इचलकरंजी तथा 69.86 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के रसायन क्लस्टर, अहमदाबाद को स्वीकृत दी गई।

(छ) विवरण-II में दिये गए राज्य-वार ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्राप्त 5 प्रस्ताव सहित, 51 प्रस्ताव लंबित हैं।

(ज) इस वर्ष 6 अतिरिक्त क्लस्टरों को हाथ में लेने की अनुमति है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त राज्य-वार प्रस्तावों की संख्या

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	10
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	2
बिहार	4
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	2
गुजरात	9
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू-कश्मीर	3
झारखण्ड	1
कर्नाटक	6
केरल	3
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	10

1	2
मिजोरम	1
पंजाब	4
राजस्थान	1
तमिलनाडु	7
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	7
पश्चिम बंगाल	3
जोड़	83

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त राज्य-वार लंबित प्रस्तावों की संख्या

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	1
बिहार	1
दिल्ली	2
गुजरात	5
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
झारखण्ड	1
कर्नाटक	2
केरल	3
मध्य प्रदेश	5
महाराष्ट्र	4
मिजोरम	1
पंजाब	4
राजस्थान	1
तमिलनाडु	3
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	7
पश्चिम बंगाल	2
जोड़	51

[हिन्दी]

दिल्ली में अपहरण की घटनाएं

2625. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लड़कियों के अपहरण की घटनाओं की वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक इस प्रकार के कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी बालिकाओं को बचाया गया तथा सरकार द्वारा अभी अपहृत बालिकाओं को बचाने के लिए अलग-अलग क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार को अपहरण मामलों की प्राथमिकी दर्ज न किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दिल्ली पुलिस के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में इन मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2005, 2006 और 2007 (15.11.2007 तक) के दौरान पंजीकृत मामलों की कुल संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	लड़कियों के अपहरण के मामले
2005	829
2006	809
2007 (15 नवम्बर तक)	809

ऐसे मामलों की वृद्धि के कारणों में शामिल हैं—मामलों के निःशुल्क और उचित पंजीकरण पर बल; इन मामलों में पुलिस द्वारा की गई प्रतिसक्रिय कार्रवाई; जैसे ही किसी लड़की के लापता होने की सूचना दी जाती है कानून की वास्तविक धाराओं के अंतर्गत मामले का पंजीकरण; पीढ़ियों के बीच वैचारिक अंतराल के कारण घर पर अव्यवस्था के परिणामस्वरूप घर से कई लड़कियां भाग जाती हैं; अपने बच्चों से माता-पिता की उच्च अपेक्षाओं के कारण लड़कियां घर से भाग जाती हैं; पीड़ितों तक आसान पहुंच के कारण घर से भागने के लिए उनके रिश्तेदारों अथवा ज्ञात व्यक्तियों द्वारा लड़कियों को प्रलोभन देना।

(ग) वर्ष 2005, 2006 और 2007 (15 नवम्बर तक) के दौरान बरामद की गई लड़कियों की संख्या नीचे दी गई है-

वर्ष	बरामद की गई लड़कियां
2005	511
2006	608
2007 (15.11.2007 तक)	435

(घ) और (ङ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

वर्ष	दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या	दोषी पुलिस अधिकारियों की संख्या	प्रदान की गई सजा
2005	शून्य	शून्य	शून्य
2006	2	निरीक्षक-1 सहायक उप निरीक्षक-2	सेंसर्ड
2007 (15 नवम्बर तक)	1	उप निरीक्षक-1	सेंसर्ड

(च) ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:-

1. अल्पायु की लड़कियों के अपहरण के मामलों को विशेष रिपोर्ट माना जाता है तथा की गई जांच की पाक्षिक रिपोर्ट संबंधित पुलिस उपायुक्त के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है।

2. माता-पिता की सहमति से दूरदर्शन पर इन ब्योरों को प्रसारित करने के लिए अपहृत/लापता अल्पायु की लड़कियों के पूर्ण विवरण सहित फोटोग्राफी को लापता व्यक्ति स्क्वाड के पास भेजा जाता है।

3. लापता व्यक्ति स्क्वाड में उपलब्ध आंकड़ा बैंक से सम्भावित मैचिंग तैयार की जाती है तथा फोटोग्राफ सहित उपलब्ध सूचना को www.tempwebs23.nic.in नामक वैबसाइट पर इंटरनेट (जीपनैनट) के जरिए आम जनता को उपलब्ध करवाया जाता है जोकि काफी उपयोगी साबित हो रही है।

4. अपहृत/लापता अल्पायु की लड़कियों के पूर्ण विवरण वाले बेतार संदेश भारत में सभी एस एस पी को भेजे जाते हैं।

5. पीड़ितों के संबंधित ब्योरों के साथ सूचना को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ बांटा जाता है।

6. लापता लड़कियों के फोटोग्राफों को तुरन्त समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।

7. अल्पायु लड़कियों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति से लापता लड़कियों के फोटोग्राफी को शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर व्यापक प्रचार किया जाता है जैसे, रेलवे स्टेशनों, अन्तर-राज्य बस स्टेन्ड, विमानपत्तन, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आदि।

8. लापता अल्पायु लड़कियों के पड़ौस, कार्य/अध्ययन, मित्रों, साथियों, परिचितों, रिश्तेदारों आदि से तत्काल पूछताछ की जाती है। लापता व्यक्तियों के कागजों और सामान की तत्काल जांच की जाती है।

9. लापता अल्पायु लड़कियों के प्रधानाध्यापक, अध्यापक और सहपाठियों से सम्पर्क किया जाता है।

10. शिकायत प्राप्त होने के पश्चात अस्पतालों और शवगृहों की तत्काल तलाशी की जाती है।

11. लापता लड़कियों के बारे में जानकारी देने वालों हेतु, पुरस्कार की तत्काल घोषणा की जाती है।

12. गुहार नोटिस तत्काल दिए जाते हैं।

13. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में ऐसे मामलों से निपटने के लिए दो उप-निरीक्षकों को किशोर कल्याण अधिकारियों के रूप में नामित किया जाता है। इन अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, दिल्ली में विशेष सुग्राही प्रशिक्षण प्रदान किया रहा है।

14. अल्पायु की लड़कियों का पता लगाने के लिए रेड-लाईट क्षेत्रों की भी जांच की जाती है।

[अनुवाद]

विद्यालयों के स्तर में सुधार

2626. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में अवसंरचना व शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में सभी विद्यालयों के स्तर को केन्द्रीय विद्यालयों के समतुल्य बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, "माध्यमिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने" संबंधी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने जून, 2005 की अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक विद्यालयों के लिए कतिपय मानदण्डों का सुझाव दिया है जो मुख्य रूप से अनेक केन्द्रीय विद्यालय पद्धति" से संबंधित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने अपनी जून, 2005 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि "राज्य को सार्वजनिक विद्यालय पद्धति में केन्द्रीय विद्यालयों जैसे स्तरों के अनुरूप ही मानकों, मानदण्डों, भवनों इत्यादि के लिए उपाय करने चाहिए।" विद्यालयों में मानकों का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि

2627. श्री एल. राजगोपालः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नामांकन दर में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): सर्व शिक्षा अभियान सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए सकल नामांकन अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सकल नामांकन अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 कक्षा I-VIII (6-14 वर्ष)			2003-04 कक्षा I-VIII (6-14 वर्ष)			2004-05 कक्षा I-VIII (6-14 वर्ष)		
		बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल	बालक	बालिकाएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	84.35	83.04	83.71	79.30	78.58	79.20	87.32	86.64	86.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	97.36	85.73	91.68	98.68	87.64	93.29	113.47	99.63	106.70
3.	असम	74.93	72.72	73.85	80.10	78.32	79.23	92.99	90.81	91.92
4.	बिहार	62.62	49.25	56.31	62.37	48.50	5582	74.95	54.43	65,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	छत्तीसगढ़	96.57	86.89	91.80	106.99	99.97	103.58	118.67	106.42	112.63
6.	गोवा	107.35	101.86	104.67	102.07	96.31	99.26	107.44	104.55	106.04
7.	गुजरात	102.30	93.40	98.12	104.19	89.38	97.23	109.02	93.42	101.70
8.	हरियाणा	76.81	74.50	75.74	71.53	71.49	71.51	79.12	81.07	80.01
9.	हिमाचल प्रदेश	112.66	110.07	111.41	103.62	102.61	103.13	109.49	107.93	108.74
10.	जम्मू-कश्मीर	80.97	69.17	75.25	67.31	59.17	63.37	76.69	72.06	74.45
11.	झारखण्ड	64.79	53.01	59.09	70.51	57.15	64.04	82.99	68.27	75.82
12.	कर्नाटक	98.27	94.01	96.18	97.95	93.76	95.89	100.38	97.07	98.76
13.	केरल	98.80	96.52	97.69	96.61	94.51	95.58	96.32	94.33	95.35
14.	मध्य प्रदेश	88.93	77.09	83.26	96.89	83.43	90.44	118.22	109.60	114.09
15.	महाराष्ट्र	100.41	96.85	98.70	100.71	98.31	99.56	106.00	105.38	105.70
16.	मणिपुर	122.24	119.67	120.98	118.85	114.60	116.77	132.45	126.75	129.65
17.	मेघालय	90.26	95.67	92.93	88.01	90.34	89.16	118.78	125.17	121.93
18.	मिजोरम	111.10	107.49	109.33	105.10	101.86	103.51	112.47	106.47	109.51
19.	नागालैंड	53.65	52.91	53.30	66.11	66.50	66.30	76.23	75.26	75.76
20.	उड़ीसा	89.29	81.75	85.61	93.28	85.86	89.65	111.70	105.10	108.47
21.	पंजाब	64.42	68.81	66.42	66.52	70.25	68.22	70.30	75.34	72.57
22.	राजस्थान	89.83	73.98	82.33	103.65	87.19	95.87	110.42	94.06	102.67
23.	सिक्किम	97.04	101.32	99.16	90.63	94.77	92.68	109.36	113.66	111.49
24.	तमिलनाडु	110.24	107.96	109.13	111.57	108.88	110.26	115.51	112.32	113.96
25.	त्रिपुरा	105.00	99.54	102.33	105.01	99.41	102.27	112.14	106.92	109.59
26.	उत्तर प्रदेश	78.01	72.18	75.27	81.09	74.86	78.16	90.78	82.88	87.04
27.	उत्तरांचल	97.26	96.23	96.76	96.57	96.88	96.72	106.01	106.80	106.39
28.	पश्चिम बंगाल	86.42	85.19	85.82	91.57	90.20	90.90	96.20	93.07	94.67
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	110.88	104.81	107.90	111.27	104.47	107.92	107.40	108.60	107.97
30.	चंडीगढ़	73.70	73.03	73.39	70.95	70.42	70.71	72.65	70.98	71.87
31.	दादरा और नगर हवेली	121.48	97.88	109.91	120.14	99.86	110.30	120.37	106.34	113.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	दमन और दीव	113.32	106.35	109.93	107.76	104.81	106.36	130.41	127.11	128.85
33.	दिल्ली	89.98	91.11	90.51	88.26	88.33	88.30	87.08	97.41	91.84
34.	लक्षद्वीप	115.88	101.02	108.71	108.51	96.38	102.56	60.34	56.99	58.75
35.	पाण्डिचेरी	119.51	116.02	117.80	121.92	118.18	120.09	128.57	114.42	121.34
	भारत	85.43	79.33	82.51	87.90	81.43	84.80	96.91	89.87	93.54

मानव संसाधन विकास मंत्रालयः चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी।

ऋण गारंटी निधि योजना

2628. श्री एम. जगन्नाथः क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना के तहत ऋण सीमा 50 लाख रुपये तक बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस योजना के तहत किस प्रकार के उद्योग पात्र हैं;

(ग) क्या सरकार ने योजना के तहत ऋण के आवेदनों की संवीक्षा के लिए एक जिला स्तर समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार किन-किन क्षेत्रों में जिला समिति नियुक्त की गई है तथा उनका निष्पादन क्या रहा है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। 2 जुलाई, 2007 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी निधि योजना के तहत पात्र ऋण सीमा 25 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र (खुदरा व्यापार सहित) में सभी नए और विद्यमान सूक्ष्म व लघु उद्यम इस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालयों में तरणताल को पट्टे पर देना

2629. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटीलः
श्री वी.के. ठुम्मरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय विद्यालयों को आवंटित भूमि पर तरणताल, वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक दुकानों के निर्माण से संबंधित नीति क्या है;

(ख) उन विद्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान तरणताल को पट्टे पर दिया गया है;

(ग) इसके लिए निबंधन एवं शर्तें क्या हैं तथा पट्टे की अवधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में किन्हीं अनियमितताओं की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आवंटित भूखंड पर व्यावसायिक और अर्धव्यावसायिक दुकानें निर्मित करने की कोई नीति नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में निजी पार्टियों द्वारा 'निर्माण करो, चलाओ और अंतरित

करो' आधार पर तरणताल और जिम निर्मित करने की एक स्कीम शुरू की है ताकि इन सुविधाओं को छात्रों को स्कूल घंटों के दौरान निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके। चूंकि ये तरणताल निजी पार्टियों द्वारा अपनी निधियों से बनाए गए हैं, अतः उन्हें स्कूल घंटों के बाद व्यावसायिक दर पर आम जनता के लिए इनका उपयोग करने की अनुमति दी गई है। केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों को स्कूल घंटों के बाद ये सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ख) 'निर्माण करो, चलाओ और अंतरित करो' आधार पर निर्मित 21 तरणताल चल रहे हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने किसी भी तरण ताल को पट्टे पर नहीं दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) ये अनियमितताएं केंद्रीय विद्यालय संगठन और प्रायोजित एजेंसियों के बीच पट्टे संबंधी करार के निबंध और शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है।

(च) अनियमितताओं का पता चलने के पश्चात केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसे करार करने बंद कर दिए हैं। यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना

2630. श्री बाडिगा रामकृष्णाः क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना के तहत लाभार्थियों का राज्य व संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के खादी बुनकरों तथा शिल्पकारों के लिए कोई चिकित्सा लाभ योजना प्रचलन में है;

(ग) यदि हां, तो राज्य व संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में खादी बुनकरों तथा शिल्पकारों के लिए कोई नई कल्याणकारी योजना भी प्रस्तावित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना के तहत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) से परामर्श में खादी क्षेत्र में बुनकरों एवं कताईकारों के लिए कार्यस्थल के निर्माण के लिए ''खादी कारीगरों के लिए कार्यस्थल योजना'' निरूपित की है। एक बार अनुमोदित होने के पश्चात योजना खादी कारीगरों के लिए कार्यस्थलों के निर्माण के लिए निम्नोक्त हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगीः

(1) बेहतर कार्यस्थल की व्यवस्था करना ताकि वे अपनी बुनाई और कताई के कार्य को दक्षता से कर सकें, और

(2) उनके उपकरण रखने एवं एसेसरीज, धागे, कपड़ा आदि के भण्डारण के लिए और अधिक जगह की व्यवस्था करना।

खादी कारीगरों के लिए कार्यस्थल योजना का यह प्रस्ताव अपने अवधारणात्मक चरण पर है और इसके केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होने की आशा है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना के तहत लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 (15.08.2004 से 14.08.2005)		2005-06 (15.08.2005 से 14.08.2006)		2006-07 (15.08.2006 से 14.08.2007)	
		संस्थानों की संख्या	कारीगरों की संख्या	संस्थानों की संख्या	कारीगरों की संख्या	संस्थानों की संख्या	कारीगरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	45	9781	53	11684	50	10342

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	13	1	15	1	21
3.	असम	11	541	15	1446	14	1427
4.	बिहार	45	3690	50	4236	64	4158
5.	छत्तीसगढ़	19	1189	19	1189	4	1245
6.	दिल्ली	4	1646	4	2062	3	2037
7.	गुजरात	53	3217	86	5823	112	10250
8.	हरियाणा	47	9414	77	12204	77	13370
9.	हिमाचल प्रदेश	2	266	4	662	4	488
10.	जम्मू-कश्मीर	22	833	22	833	33	1750
11.	झारखण्ड	17	1154	18	2329	17	1240
12.	कर्नाटक	65	9650	106	12658	107	13054
13.	केरल	23	7557	23	7557	26	8929
14.	मध्य प्रदेश	13	446	15	795	16	848
15.	महाराष्ट्र	9	1047	10	1149	12	1155
16.	मणिपुर	5	74	8	238	4	47
17.	मेघालय	1	14	1	14	1	14
18.	नागालैंड	1	18	1	18	1	18
19.	उड़ीसा	15	941	15	941	27	1219
20.	पंजाब	17	10405	17	10405	10	12207
21.	राजस्थान	83	11944	86	13741	104	15510
22.	तमिलनाडु	69	9798	70	13309	72	11429
23.	त्रिपुरा	1	7	1	7	1	26
24.	उत्तर प्रदेश	303	85282	342	101192	339	102100
25.	उत्तराखण्ड	13	958	35	2555	19	4266
26.	पश्चिम बंगाल	114	7066	114	7066	145	8750
	कुल	998	176951	1193	214128	1263	225900

संश्लेषित वेनिला

2631. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संश्लेषित वेनिला को हतोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वेनिला किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, हां। कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता की वजह से संश्लेषित वनीला अत्यंत कम कीमत पर बेचा जाता है जबकि प्राकृतिक वनीला अत्यधिक महंगा है। वनीला के कृषकों की सहायता करने और प्राकृतिक वनीला के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार आइसक्रीम की अनिवार्य लेबलिंग पर विचार कर रही है जिनमें संश्लेषित वनीला अथवा कृत्रिम सुगंध का उपयोग किया जाता है। सरकार दुग्ध उद्योग में प्राकृतिक वनीला के घरेलू संवर्धन के लिए एक प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। वनीला के कृषक जब वनीला का निर्यात करते हैं तो वे विशेष कृषि उपज योजना के पात्र भी होते हैं।

[हिन्दी]

आल इंडिया रेडियो व दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए लाभ

2632. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रिसमूह ने दूरदर्शन व आल इंडिया रेडियो के सभी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य माने जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या लाभ दिए जाने की संभावना है तथा इस योजना के तहत कितने कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) प्रसार भारती पर गठित मंत्री समूह ने 5 अक्तूबर, 2007 को हुई अपनी 5वीं बैठक में सिफारिश की है कि प्रसार भारती में समवत प्रतिनियुक्ति पर तैनात उन सभी कर्मचारियों को, जो मूल रूप से सरकारी कर्मचारी थे, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त होते रहेंगे बशर्ते मंत्रिमंडल ने इसका अनुमोदन कर दिया हो।

(ग) कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में पाकिस्तानी नागरिकों की भर्ती

2633. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी नौकरियों में पाकिस्तानी नागरिकों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान नौकरियां दी गई हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक ने वैध यात्रा दस्तावेजों पर अक्तूबर 1980 में अपने परिवार के साथ जम्मू तथा कश्मीर में प्रवेश किया। उसने राज्य में अपने और अपने परिवार के स्थायी आवास के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि वहां उसकी अचल संपत्ति होने के कारण वह राज्य का स्थायी निवासी है। राज्य में स्थायी आवास के लिए उसके अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने कोई सहमति प्रकट नहीं की। उनके प्रत्यावर्तन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों को जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा आस्थगित कर दिया गया। इसी बीच, वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी

स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (राज्य विषय प्रमाणपत्र) प्राप्त करने में सफल हो गया, जिसके आधार पर उसके चार बच्चों ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रोजगार प्राप्त कर लिया। जम्मू और कश्मीर के अधीन लोक सेवा, जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 124 से 127 के अंतर्गत अधिनियमित होती है तथा इस संबंध में कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

के.वी.आई.सी. के गुणवत्ता उत्पाद

2634. श्री मदन लाल शर्मा: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के उत्पादों की अच्छी बाजार क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कपड़े की गुणवत्ता में उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कुछ संगठनों को खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सम्बद्ध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निबंधन व शर्तें क्या हैं; और

(च) इन संगठनों के साथ केवीआईसी के उत्पादों की गुणवत्ता में किस हद तक सुधार हुआ है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा उठाए गए निम्नोक्त कदमों के परिणामस्वरूप खादी की बाजार संभावनाओं एवं खादी और खादी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार आया है:

(1) केवीआईसी ने सुधरे हुए डिजाइनों तथा पैकेजिंग के लिए ''उत्पाद विकास डिजाइन इण्टरवेंशन और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी)'' नामक एक योजना आरंभ की है।

(2) केवीआईसी उच्चतर मूल्य वर्धन के लिए खादी कपड़े को सिलेसिलाए वस्त्रों में परिवर्तित करने के लिए ''खादी मिशन'' कार्यान्वित करता है।

(3) केवीआईसी अपने केन्द्रीय स्लिवर प्लांट के माध्यम से खादी उत्पादन के लिए गुणवत्ता स्लिवर की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

(4) सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में खादी बुनकरों और कताईकारों की उत्पादकता में सुधार लाने, खादी कपड़े को पहनने योग्य खादी उत्पादों में रूपांतरित करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने, फैब्रिक और गारमेंट के लिए नए डिजाइनों का विकास, विपणन संवर्धन और अन्य क्लस्टरों और संस्थानों के प्रदर्शन दौरे जैसे कार्यकलाप करने, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, खादी कारीगरों के कौशल उन्नयन, आदि के लिए पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) आरंभ की है।

(घ) और (ङ) खादी एवं खादी कपड़े की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से केवीआईसी ने गुणवत्ता में सुधार लाने तथा साथ ही खादी कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), नई दिल्ली के साथ समझौता किया है ताकि बेहतर डिजाइनों और फैशन इन्पुटों का विकास किया जा सके।

केवीआईसी और वस्त्र समिति जो वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के तहत वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, के बीच खादी नमूनों के परीक्षण के लिए उनकी प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त समझौता ज्ञापन की शर्तों में शामिल हैं, खादी संस्थानों को आईएसओ-9000 और संबंधित मानदंड हेतु तकनीकी परामर्श प्रदान करना, केवीआईसी/केवीआईबी द्वारा भेजे गए नमूनों को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में इसकी प्रयोगशाला संबंधी सेवाओं का विस्तार करना, खादी को अन्य वस्त्र उत्पादों से अलग करने के लिए प्रणाली विकसित करना तथा बाजार सर्वेक्षण शुरू करना।

इसके अलावा सरकार ने जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा की सम्पूर्ण मरम्मत और पुनरुज्जीवित करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु महात्मा गांधी संस्थान (एमजीआईआरआई) स्थापित किया है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत स्वायत्त निकाय है। एमजीआईआरआई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण औद्योगिकीकरण को सुदृढ़ बनाने तथा खादी एवं ग्रामोद्योगों में ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थपूर्ण एवं उत्पादक रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए उच्च गुणवत्ता के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं प्रबंधकीय इन्पुटों की व्यवस्था करना है।

(च) केवीआईसी के उपरोक्त प्रयासों से खादी और खादी कपड़े की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार आया है। परिणामस्वरूप खादी की बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई है और गत तीन वर्षों के दौरान खादी द्वारा की गई बिक्री का मूल्य निम्नोक्त है:

वर्ष	बिक्री (करोड़ रु.)
2004-05	617.84
2005-06	628.69
2006-07	663.19

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को ब्याज मुक्त ऋण

2635. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को रियायतें/विशेष पैकेज तथा ऋण मुक्त ब्याज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रियायतें/विशेष पैकेज कब से कार्यान्वयनाधीन है तथा उनकी अवधि कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इन जिलों के विकास हेतु कर में छूट/विशेष पैकेज ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के बाद इन जिलों के औद्योगिकीकरण में कोई सुधार हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या विकास केन्द्र प्रोत्साहन योजना के फलोत्पादक परिणाम दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो देश में पिछड़े राज्यों के औद्योगिकीकरण के लिए सरकार की वर्तमान नीति से कितनी मदद मिली है तथा देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के औद्योगिकीकरण के लिए ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई/ अपनाई जाने वाली नीति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार, सिक्किम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष श्रेणी के राज्य जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड को राजसहायता एवं कर-छूट के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन का पैकेज उपलब्ध कर रही है। पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति वर्ष 1997 से 31 मार्च, 2007 तक 10 वर्षों तक कार्यान्वयनाधीन रही। इसके बाद, यह योजना पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति के रूप में संशोधित की गई एवं यह 1 अप्रैल, 2007 से कार्यान्वयनाधीन है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए विशेष पैकेज, जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) राज्य में वर्ष 2002 में, हिमाचल प्रदेश (एचपी) एवं उत्तराखंड में वर्ष 2003 में घोषित की गई।

(ग) और (घ) जिला-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, तथापि राज्य सरकारों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर राज्यों हेतु निवेश एवं रोजगार के ब्यौरे निम्न हैं:-

राज्य	निवेश	रोजगार
उत्तराखंड	7119 करोड़ रुपये (सितम्बर, 2007 तक)	88,000 व्यक्ति (सितम्बर, 2007 तक)
हिमाचल प्रदेश	3064 करोड़ रुपये (सितम्बर, 2007 तक)	47,435 व्यक्ति (सितम्बर, 2007 तक)
जम्मू-कश्मीर	1364 करोड़ रुपये (मार्च, 2007 तक)	34,139 व्यक्ति (जून, 2007 तक)

टाटा आर्थिक परामर्श सेवा (टीईसीएस) द्वारा किये गए मूल्यांकन एवं मौजूदा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी), 1997 के दिनांक 24.12.1997 को घोषित होने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए निवेश एवं रोजगार सृजन का ब्यौरा निम्नवत है:

(सितम्बर, 2004 तक)

राज्य	निवेश (करोड़ रुपये में)	प्रत्यक्ष सृजित रोजगार
असम	528.19	12,422
मेघालय	441.01	6,056
अरुणाचल प्रदेश	39.86	577
त्रिपुरा	31.58	665
नागालैंड	19.64	439
मिजोरम	4.00	300
मणिपुर	3.00	250
जोड़	1,067.28	20,709

(ङ) योजना आयोग द्वारा की गई विकास केन्द्र योजना के नमूना मूल्यांकन में तथा इसके बाद राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा

किये गए प्रभाव अध्ययन में यह दर्शाया गया कि यह योजना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकांशतया असफल रही है। इस विभाग ने योजना आयोग के परामर्श से इस योजना को समाप्त करने का निर्णय किया।

(च) नई औद्योगिक नीति की 1991 में घोषणा के बाद, निवेश हेतु निर्णय, उद्यमियों के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिया गया है जो कि अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं अन्य पहलों को उपलब्ध कराकर अनुकूल वातावरण सृजित करने में राज्य सरकारों के पहलों पर आधारित है। केन्द्र सरकार सहायता एवं दिशानिर्देश उपलब्ध कराती है एवं राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करती है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनवृत्त

2636. श्री रामदास आठवले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विशेषकर जनजाति समुदायों से संबद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनवृत्त पर धारावाहिक बनाने और प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय समुदायों के स्वतंत्रता सेनानियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में जनजाति समुदाय से संबद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर राज्य-वार एवं दूरदर्शनवार कितने धारावाहिक बनाए गए व प्रसारित किए गए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय समुदायों से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों सहित सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों पर प्रसारित/प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजाति समुदाय से संबंधित स्वतंत्रा सेनानियों सहित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर आधारित दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिकों का ब्यौरा

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	कार्यक्रमों का विवरण
1	2	3
1.	दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	"कोमाराम भीम" और "अलूरी सीतारामराजू" जिन्होंने जनजातियों का नेतृत्व किया, पर कमीशंड श्रेणी के तहत निर्मित वृत्तचित्र। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष प्रसारित किए जा रहे हैं।
2.	दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)	"सोसाइटी जैम्स" शीर्षक के तहत निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर निर्मित और दूरदर्शन कशीर चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम: 1. मकबूल शीरवानी : जनजातीय क्षेत्र से संबंधित 2. मौलाना मौहम्मद सई मसूदी : जनजातीय क्षेत्र से संबंधित 3. शैख मौहम्मद अब्दुल्ला 4. गुलाम मौहम्मद बख्शी 5. जी.एम. सादिक
3.	दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी "गुंधाधर" पर एक विशेष कार्यक्रम बनाने की योजना है।

1	2	3
4.	दूरदर्शन केन्द्र, शिमला (हिमाचल प्रदेश)	श्री भाग सरन – जिला "किन्नौर" के जनजातीय क्षेत्र से आजाद हिंद फौज के सदस्य श्री जंगी राम – जिला "किन्नौर" के जनजातीय क्षेत्र से आजाद सिंह फौज के सदस्य निम्नलिखित सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्यक्रमः 1. श्री वीर भंडारी राम 2. श्री सीता राम 3. श्री सूरत राम वैद्य स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका पर "महासमर की गौरवगाथा" नामक कार्यक्रम का निर्माण किया गया और दिनांक 08.06.2007 को प्रसारित किया गया।
5.	दूरदर्शन केन्द्र, पटना (बिहार)	बाबू जगजीवन राम की जीवनी पर आधारित वृत्तचित्र का निर्माण किया गया और उसे दिनांक 05.04.2007 को प्रसारित किया गया था।
6.	दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	केन्द्र ने स्वतंत्रता सेनानियों बिरसा मुंडा और सिद्दु कान्हा की जीवनी पर वृत्तचित्रों का निर्माण/प्रसारण किया है। गत वर्ष "मुक्ति युद्ध आदिवासी" और बिरसा मुंडा पर गीतों जैसे कई अन्य कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए हैं।
7.	दूरदर्शन केन्द्र, शिलांग (मेघालय)	केन्द्र ने स्वतंत्रता सेनानियों पर निम्नलिखित वृत्तचित्र प्रसारित किए हैं:- 1. तिरोत सिंह सियेम दिनांक 17.07.2007 एवं 31.07.2007 को प्रसारित किया गया। 2. श्रद्धेय जे.जे.एम. निकोल्स राय पर वृत्तचित्र 20.02.2007 और 03.03.2007 को प्रसारित किया गया।
8.	दूरदर्शन केन्द्र, चेन्नै (तमिलनाडु)	25.11.2007 तक प्रसारित कार्यक्रमों की सूची निम्नानुसार है:- 1. श्रीमती मीना कृष्णास्वामी 2. श्री अंसारी दुरैस्वामी 3. श्री सुंदरलिंगम 4. श्री सुब्बुरामन 5. श्री पुलितेवन 6. श्री पी.एस. कुमारस्वामी 7. श्री पी.एस. सुंदरम 8. श्री काल्की कृष्णमूर्ति 9. श्री वीरमुत्थु श्री गोपालास्वामी नायकर 10. श्री सिवामुत्थु करूपापिल्लै 11. श्री परमशिवम 12. श्रीमती जे.के.आर. जमाकिली

[अनुवाद]

कम प्रचलित भाषाओं का संरक्षण

2637. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 100 भाषाएं 10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती है;

(ख) यदि हां, क्या ये भाषाएं समाप्त होने की कगार पर हैं क्योंकि इन भाषाई परम्पराओं की युवा पीढ़ी मुख्य धारा में आ रही है जैसा कि दिनांक 17 अक्तूबर, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या कम प्रचलित इन भाषाओं को समाप्त होने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या कम प्रचलित भाषाओं के संरक्षण हेतु योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारत के रजिस्ट्रार जनरल (गृह मंत्रालय) द्वारा जनगणना 2001 के आधार पर संकलित की गई सूचना के अनुसार भारत में 264 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें से प्रत्येक 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं।

(ख) से (ङ) इन भाषाओं को बोलने वाले सीमित संख्या में होने के कारण इनका भविष्य खतरे में है। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन भाषाओं के संरक्षण तथा विकास हेतु नई स्कीम बनाने के लिए उपाय किए हैं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं (भारत भाषा विकास योजना)। यह स्कीम योजना आयोग द्वारा बनाई गई 11वीं योजना के तहत भाषा तथा पुस्तक प्रोन्नयन संबंधी कार्य दल की सिफारिशों पर आधारित है।

कागज का उत्पादन

2638. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज की तिथि तक देश में विभिन्न प्रकार के कागजों की मागं व आपूर्ति के बीच कोई अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में जिला-वार लघु, मध्यम तथा बड़ी कागज मिलों में कागज उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है;

(घ) क्या ये मिलें सेल्यूलोसिक कच्चे माल सहित पर्यावरणीय स्वीकृति के कारण कागज के उत्पादन के लिए कच्चे माल जैसे बांस तथा लकड़ी की कमी का सामना कर रही है; और

(ङ) इन मिलों के लिए कागज तथा कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कागज, गत्ता और अखबारी कागज की मांग और आपूर्ति निम्न प्रकार है:-

(मिलियन टन में)

विनिर्माण की मद	2004-05	2005-06	2006-07
कागज और गत्ता			
मांग	5.72	5.88	6.14
आपूर्ति	5.79	5.89	6.15
अंतर	+0.07	+0.01	+0.01
अखबारी कागज			
मांग	1.44	1.58	1.82
आपूर्ति	0.76	0.91	1.03
अंतर	-0.68	-0.67	-0.79

*अखबारी कागज के उपर्युक्त अंतर की पूर्ति आयातों से पूरी की जाती है।
(स्रोत: सीएमआईई)

(ग) कागज उद्योग को मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन खंडों में बांटा गया है:-

* लकड़ी और बांस की लुगदी का प्रयोग करने वाली मिलें (बड़ी मिलें)

* कृषि अवशेष से बनी लुगदी का प्रयोग करने वाली मिलें (मध्यम मिलें)

* पुन: उपचारित रेशों की लुगदी प्रयोग करने वाली मिलें (छोटी मिलें)

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खंडों में कागज और गत्ते तथा अखबारी कागज का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	लकड़ी और बांस आधारित	कृषि अवशेष आधारित	पुन: उपचारित रेशा आधारित
2004-05	2.34	1.95	2.21
2005-06	2.31	1.96	2.53
2006-07	2.15	2.29	2.72

(स्रोत: सीएमआईई)

(घ) जी, हां। कागज मिलों को कागज उत्पादन में बांस और लकड़ी जैसे कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ङ) कागज और कच्चे माल की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं—कागज बनाने के कच्चे माल, अर्थात् लकड़ी की छीलन, लुगदी और पुन: उपचारित रेशे के आयात पर शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना, अखबारी कागज के विनिर्माण हेतु लुगदी के आयात पर शून्य शुल्क और कृषि भूमि तथा बंजरभूमि पर औद्योगिक काष्ठ उत्पादन में सुविधा प्रदान करना।

[हिन्दी]

सीमा पर कैमरे लगाना

2639. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ पर निगरानी हेतु भारतीय सीमा पर अत्याधुनिक कैमरे लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सरकार ने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हाई-टेक इलेक्ट्रानिक सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाने का निर्णय लिया है जो सीमाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए बल संवर्धक के रूप में कार्य करेंगे। इन उपकरणों में शामिल है:- नाईट विजन डिवाईसेज (एनवीडी), हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स (एचएचटीआई), लांग रेंज रिकानेसिंस एंड आब्जर्वेशन सिस्टम (एलओआरआरओएस), मोबाइल सर्वेलिन्यस विकिल (एमएसवी), वैटल फिल्ड सर्वेलियन्स राडार (बीएफएसआर), डायरेक्शन फाइन्डर्स, हाई पावरटेलिस्कोप इत्यादि। कतिपय उपकरण जैसे कि एचएचटीआई, एलओआरआरओएस और बीएफएसआर का प्रापण/तैनाती पहले ही कर दी गई है।

[अनुवाद]

साक्षरता कार्यक्रम

2640. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में आयुवार संपूर्ण देश में निरक्षर लोगों का प्रतिशत कितना है;

(ख) प्राथमिक शिक्षा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर देश में निरक्षरता को दूर करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) पिछले वर्षों की तुलना में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) देश में साक्षरता दर दशकीय जनगणना के माध्यम से एकत्र की जाती है। वर्ष 2001 में की गयी पिछली जनगणना के अनुसार विभिन्न आयु वर्गों में निरक्षरता दर नीचे दी गयी है:

क्र.सं.	आयु वर्ग	निरक्षरता दर
1.	7+	35.16
2.	15+	39.00
3.	15-35	28.97

मौजूदा साक्षरता दर केवल अगली जनगणना किए जाने के पश्चात ही पता लगेगी।

सर्व शिक्षा अभियान जो गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, के अंतर्गत

पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 2001-02 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत में 6-14 आयु वर्ग में विद्यमान स्कूल-बाह्य बच्चों की संख्या घटकर वर्ष 2007 में 75 लाख हो गयी है।

विवरण

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान जारी अनुदान

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	28000	37999	46245.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	3009	4442.51	7143.74
3.	असम	20654	13850	51464.72
4.	बिहार	31970.56	32399.56	107744.39
5.	छत्तीसगढ़	20786.76	30184.39	50182.2
6.	गोवा	0	728.12	724.12
7.	गुजरात	14072	15084.84	14806.97
8.	हरियाणा	12881.55	10196.55	25647.12
9.	हिमाचल प्रदेश	6144	7614.66	6250.75
10.	जम्मू-कश्मीर	7747.18	18530.65	22083.37
11.	झारखण्ड	16568.5	28568.5	51515
12.	कर्नाटक	26280.7	28303.78	54206.98
13.	केरल	8939	5939	6382
14.	मध्य प्रदेश	44608.919	77173.12	110879.68
15.	महाराष्ट्र	35489.79	50235.31	52158.56
16.	मणिपुर	122.5	3208.44	9.24
17.	मेघालय	2930.81	1921	4294
18.	मिजोरम	3300.24	2559.15	3441.69
19.	नागालैंड	2088.49	2323.01	2315.2
20.	उड़ीसा	21807,27	32792.5	44010.95
21.	पंजाब	3040	14683.89	12879.92

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	23549.397	60313.43	75809.82
23.	सिक्किम	1000.25	1062.5	402.14
24.	तमिलनाडु	26517	35329.53	37329.65
25.	त्रिपुरा	4703.96	7070.19	5330.01
26.	उत्तर प्रदेश	87761	182799	206654
27.	उत्तरांचल	9144.705	10004	16934
28.	पश्चिम बंगाल	46024.36	34199.79	61736.8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	272.58	163	419.62
30.	चंडीगढ़	447.95	350	300
31.	दादरा और नगर हवेली	111.91	0	100
32.	दमन और दीव	0	111.91	
33.	दिल्ली	0	1100	4230.24
34.	लक्षद्वीप	12.031	0	87.47
35.	पाण्डिचेरी	225.53	529.4	
	कुल	511314.441	751770.73	1083719.91
36.	राष्ट्रीय घटक	2660.849	952	1115.04
	सकल योग	513975.29	752722.73	1084834.95

[हिन्दी]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

2641. श्री महावीर भगोरा: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी) के तहत धनराशि जारी करने का मानदंड क्या है;

(ख) एनएसआईसी के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएसआईसी के तहत स्थापित लघु उद्योगों (एसएसआई) की राज्य व संघ राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य व संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित प्रस्तावों तथा जारी ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य व संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ;

(च) क्या एसएसआई के तहत रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य तथा अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वर्तमान में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी),

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से विपणन सहायता योजना और कार्यनिष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग योजना नामक दो प्लान योजनाएं कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के व्यय को पूरा करने के लिए एनएसआईसी की निधियां जारी की जाती हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान विभिन्न प्लान योजनाओं के तहत एनएसआईसी को जारी निधियों का ब्यौरा निम्नोक्त है:

क्र.सं.	योजना का नाम	2004-05 (करोड़ रु.)	2005-06 (करोड़ रु.)	2006-07 (करोड़ रु.)
I.	इक्विटी	15.00	15.00	15.00
II.	अन्य अनुदान	0.90	12.60	15.40
III.	विपणन सहायता योजना	7.26	7.00	8.78
IV.	एनटीएससी के व्यय की प्रतिपूर्ति (अनुदान सहायता)	9.39	4.00	2.00
V.	पूर्वोत्तर प्रदेश का विकास	1.32	1.20	3.77
	कुल	33.87	41.80	44.95

ये सभी केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं और निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी नहीं की जाती हैं।

(ग) से (ङ) एनएसआईसी उद्योगों की स्थापना के लिए किसी प्रकार के प्रत्यक्ष ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। एनएसआईसी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्रेडिट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी आवश्यकतानुसार सावधि ऋण की संस्वीकृति तथा कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों से समझौता किया है। एनएसआईसी वित्तीय सहायता संबंधी व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को उनकी लैंडिंग नीति के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के ऋण प्रस्तावों को चालित एवं अग्रेषित करता है।

(च) और (छ) लघु उद्योगों के तहत रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए एनएसआईसी विपणन, प्रौद्योगिकी और क्रेडिट के तहत एकीकृत समर्थन सेवाओं के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की वृद्धि, विकास और स्थापना के लिए समर्थन प्रदान करता है। एनएसआईसी देशभर में फैले अपने पांच तकनीकी सेवा केन्द्रों (एनटीएसईसी) और दो तकनीकी सेवा विस्तार केन्द्रों (एनटीएससी) के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रौद्योगिकी एवं सामान्य सुविधा सहयोग भी प्रदान करता है। इन तकनीकी केन्द्रों पर प्रदान किया गया प्रशिक्षण उम्मीदवारों को मशीनरियों के प्रचालन के लिए आवश्‍यक दक्षता प्राप्त करना और अपने निजी उद्यम स्थापित करना अथवा रोजगारयोग्य बनने के लिए आवश्यक दक्षता प्राप्त करना सुगम बनाता है। इन तकनीकी सेवा केन्द्रों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तकनीकी सेवा केन्द्रों पर प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा निम्नोक्त है:

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (सित. 07 तक)
1	2	3	4	5
लक्ष्य	4000	4400	5000	6000
प्रगति (पास हुए प्रशिक्षु)				
एनटीएससी-ओखला	1200	1281	1488	600
एनटीएससी-हावड़ा	4200	776	1893	286

1	2	3	4	5
एनटीएससी-चेन्नई	584	1691	1790	547
एनटीएससी-हैदराबाद	1245	1762	1922	1300
एनटीएससी-राजकोट	28	250	238	0
एनटीएसईसी-राजपुरा	221	315	409	264
एनटीएसईसी-अलीगढ़	712	1035	1055	427
कुल	8190	7110	8795	3424

[अनुवाद]

स्टिंग आपरेशन

2642. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान 'लाईव इंडिया' चैनल ने दिल्ली की एक स्कूल अध्यापिका के विरुद्ध दुर्भावना से प्रेरित हेकर स्टिंग आपरेशन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या खामियां पाई गई क्योंकि स्कूल अध्यापिका के विरुद्ध कोई सबूत नहीं पाया गया; और

(ग) मानवाधिकारों का हनन करने वाले उक्त चैनल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) 'जनमत' टी.वी. चैनल (लाइव इंडिया) ने अध्यापिका श्रीमती उमा खुराना पर स्टिंग आपरेशन को प्रसारित किया था।

(ख) और (ग) चूंकि प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला पाया गया था, इसलिए इस चैनल की अपलिंकिंग अनुमति 20.9.2007 से 12.10.2007 तक अस्थायी तौर पर वापस ले ली गई थी।

उच्च शिक्षा पर सम्मेलन

2643. श्री अनवर हुसैन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियों के संबंध में दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन के दौरान अमरीकी दूतावास के प्रतिनिधि भी मौजूद थे;

(घ) यदि हां, तो किन-किन कुलपतियों ने सम्मेलन में अमरीकी दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति का विरोध किया था;

(ङ) चर्चा किए गए मुद्दों तथा तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10-11 अक्तूबर, 2007 को केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों तथा सम-विश्वविद्यायों संस्थाओं के कुलपतियों का एक 2-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें 240 से अधिक कुलपतियों, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों और नीति आयोजकों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। उच्चतर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे उच्चतर शिक्षा का विस्तार, समता एवं समावेश, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता, अकादमिक और प्रशासनिक सुधार और उच्चतर शिक्षा का वित्त पोषण पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु विचार किया गया।

कॉयर कामगारों के लिए कल्याण योजना

2644. डा. के.एस. मनोज: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉयर कामगारों के लिए उत्पादन वृद्धि से जुड़ी हुई कॉयर मजदूर कल्याण योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कॉयर उद्योग के उत्थान के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित स्कीम का ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) भारत सरकार ने कॅयर बोर्ड के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर 130 लाख रु. की कुल लागत पर अगस्त 2005 में "उत्पादन विस्तार संबद्ध कॅयर कामगार कल्याण योजना" कार्यान्वित की है। कॅयर क्लस्टरों को सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, वर्कशेड, समुदाय भवन, रेस्ट रूम, क्रैश, पेयजल संबंधी सुविधाएं, स्वच्छ शौचालयों, गोदामों, आदि के लिए कुल लागत के 90 प्रतिशत के मूल्य पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। लागत का शेष 10 प्रतिशत विद्यार्थी के अंशदान के रूप में था। योजना का वास्तविक कार्यान्वयन जो 2005-2006 के अंत में आरंभ हुआ था, वह पांच राज्यों अर्थात् केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 16 क्लस्टरों को कवर करते हुए 2006-2007 के दौरान ही समाप्त किया जा सकता है।

(ग) कॅयर उद्योग के पुनर्नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना अप्रचलित मशीनरी के प्रतिस्थापन द्वारा उनकी दक्षता एवं उत्पादकता को बढ़ाकर बुनकरों और अतिलघु/घरेलू इकाइयों के भत्तों तथा आय स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुमानतः 243 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से ग्यारहवीं योजना के दौरान संभावी कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन है। 243 करोड़ रु. के सम्पूर्ण लागत में से 99 करोड़ रु. सरकारी अनुदान के रूप में होगा तथा 132 करोड़ रु. सावधि ऋण के रूप में होगा तथा 12 करोड़ रु. लक्षित लाभार्थी से निवेश के रूप में होगा।

पाक अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ

2645. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाक अधिकृत कश्मीर से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः माह के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारी सेना द्वारा कितनी बार घुसपैठ के प्रयासों को विफल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो नागरिकों और सैनिकों के हताहत होने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी पहचान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पाकिस्तान के इस आश्वासन के बावजूद कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए उनकी धरती का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा, सीमा पार से आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। प्रशिक्षित आतंकवादियों को आधुनिक हथियारों से लैस करके व अभी भी भारत भेजा जा रहा है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2007 के अंतिम छह महीनों (मई-अक्तूबर) के दौरान अनुमानतः 378 आतंकवादियों ने देश में घुसपैठ की, हमारे सुरक्षा बलों ने घुसपैठ के 38 प्रयासों को निष्फल कर दिया।

(ग) पिछले छह माह के दौरान 28 नवम्बर, 2007 तक कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ जबकि सीमा पर सेना के 23 जवान शहीद हो गए।

(घ) और (ङ) सात आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी आतंकवादी स्थानीय निवासी हैं।

कॉफी का निर्यात

2646. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू कॉफी के उपभोग का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 की तुलना में 2007 के दौरान विकसित देशों की तुलना में भारत में कॉफी का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना था;

(ग) क्या विगत वर्षों के दौरान देश में कॉफी का उपभोग बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत से कॉफी का निर्यात वर्ष 2006-07 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़ा है एवं 2007-08 और आज तक भी बढ़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006 के दौरान भारत में कॉफी की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत 80 ग्राम थी जबकि विकसित देशों में यह लगभग 4.5 किग्रा. थी। वर्ष 2007 के लिए कॉफी की खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान भारत से कॉफी के निर्यात में वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2006-07 की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक इसमें कुछ कमी प्रदर्शित हुई है। चालू वर्ष तथा पिछले दो वर्षों के लिए कॉफी का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य	
		रुपए (करोड़ में)	अम.डा. (मिलियन में)
2005-06	2,01,555	1,510.38	352.93
2006-07	2,49,029	2,007.90	453.93
2007-08*	1,37,470	1,223.73	278.74

*26.11.2007 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए निर्यात परमिटों पर आधारित।

(च) कॉफी का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए विभिन्न कदम उठा रही है जिनमें भारतीय कॉफी की छवि को बेहतर बनाने हेतु प्रमुख विदेशी बाजारों में प्रमुख संचार पहलें करने के साथ-साथ बाजार हिस्से में सुधार करना; निर्यातकों तथा उपजकर्त्ता को शामिल करते हुए प्रमुख विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी करना; और प्रमुख बाजारों में भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी क्रेताओं की सहभागिता से क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा कपिंग सत्र आयोजित करना शामिल हैं।

गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन दिल्ली नगर निगम

2647. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को गृह मंत्रालय के नियंत्रण में लाने का आदेश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार प्रश्न पैदा नहीं होता है।

आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता

2648. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर शीर्ष स्तरीय वार्ता से पहले पाम आयल, काली मिर्च और चाय जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों के लिए आसियान हेतु बाजार पहुंच बनाने के लिए आसियान देशों से चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत ने कौन से कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार की पेशकश की है;

(घ) क्या मुक्त व्यापार समझौते पर शीर्ष स्तरीय वार्ता हाल ही में सिंगापुर में आयोजित की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा ऐसे परामर्श के पश्चात क्या परिणाम निकले; और

(च) भारत द्वारा आसियान देशों के साथ कब तक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) भारत-आसियान एफटीए हेतु वार्ताएं जारी हैं और दोनों पक्ष नकारात्मक सूचियों, संवेदनशील सूचियों, अत्यधिक संवेदनशील सूची, सामान्य ट्रैक तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ रियायतों हेतु रूपरेखाओं सहित प्रस्तावित करार के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। नकारात्मक सूची में मुख्यतः कृषि उत्पाद शामिल हैं जबकि अत्यधिक संवेदनशील सूची में पाम तेल, काली मिर्च, चाय तथा काफी जैसे उत्पाद शामिल हैं।

(घ) से (च) जी, हां। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 21 नवम्बर, 2007 को सिंगापुर में किया गया था। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में उल्लेख किया था कि मार्च 2008 तक वार्ताएं पूरी करने के लिए भारत-आसियान के साथ मिलकर कार्य करेगा। उन्होंने वर्ष 2010 तक 50 बिलियन अम.डा. के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य का भी प्रस्ताव किया था।

युवाओं में निरक्षरता

2649. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय युवाओं में निरक्षरता दर के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के सुझावों को माना/स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 एन.सी.ई.आर.टी.* द्वारा चर्चा और विचार-विमर्श की व्यापक प्रक्रिया के बाद तैयार की गई थी। इस दस्तावेज का अनुमोदन सितम्बर, 2005 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा किया गया था।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के अनुसार, एन.सी.ई.आर.टी. ने स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं और चरणबद्ध ढंग से पाठ्यपुस्तक विकास की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान में, कक्षा I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI और XII के लिए पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं और कक्षा V और VIII के लिए शैक्षिक सत्र 2008-09 से उपलब्ध होंगी।

इसके अलावा, हमारे राष्ट्र की विविधता और संघीय स्वरूप को देखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के विचारों को मूर्तरूप देने हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की गंभीर सहलग्नता मुख्य सरोकार रखती है। इस संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी. की वित्तीय और शैक्षिक सहायता के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन के कार्य में शामिल किया जाता है।

इग्नू के नामांकन और अध्ययन केन्द्र

2650. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विगत तीन वर्षों में हुए नामांकनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इग्नू ने इस अवधि के दौरान कौन से नए पाठ्यक्रम शुरू किये;

(ग) क्या इग्नू के अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों को नियमित और गुणवत्तापरक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इन अध्ययन केन्द्रों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अकादमिक आधारभूत सुविधाओं और इन अध्ययन सर्किलों के कार्य-निष्पादन की रैंकिंग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नए दाखिलों और आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को दर्शाने वाले आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अनुसार, विश्वविद्यालय अपने अध्ययन केन्द्रों पर दूरस्थ शिक्षार्थियों

को गुणवत्ता युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तथापि, विकास के लिए गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य शिक्षार्थियों से विभिन्न फारमेटों में प्राप्त फीडबैक रिपोर्टों और इसके साथ-साथ आमने-सामने की गई बातचीत के आधार पर किया जाता है। विश्वविद्यालय की अध्ययन केन्द्रों की रैंकिंग करने की प्रणाली है और यह भी उपर्युक्त फीडबैक पर आधारित है।

विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या		
		2004	2005	2006
1.	एप्रीसिएशन पाठ्यक्रम	–	–	270
2.	सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	35887	83116	58349
3.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	6965	6785	16997
4.	एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम	–	4	37
5.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	9677	9216	8220
6.	स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम	94167	107009	126448
7.	मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम	51857	54804	52505

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों की संख्या		
1.	जागरूकता पाठ्यक्रम	1	1	–
2.	सर्टिफिकेट	3	7	1
3.	डिप्लोमा	3	5	–
4.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2	2	–
5.	स्नातक डिग्री	1	–	1
6.	मास्टर डिग्री	2	6	–
7.	पी.एच.डी. (डाक्टर आफ फिलोस्फी)	2	4	2

प्रारंभिक शिक्षा कोष

2651. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा उपकर से संग्रहित धनराशि से प्रारंभिक शिक्षा कोष गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रारंभिक शिक्षा हेतु तथा मध्याह्न भोजन योजना पर खर्च की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 2004 (संख्या 2) के माध्यम से प्रमुख केन्द्रीय करों पर 2% की दर से शिक्षा उपकर लगाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षा उपकर से होने वाली आय को जमा करने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा कोष नामक अव्यपगत निधि का सृजन किया जाए। प्रारम्भिक शिक्षा कोष के गठन संबंधी आदेश 14 नवम्बर, 2005 को जारी किए गए थे।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा कोष में जमा किए गए शिक्षा उपकर से होने वाली आय को सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम

तथा मध्याह्न भोजन योजना पर व्यय किया जाता है। शिक्षा उपकर की अनुमानित आय के संबंध में वर्ष 2006-07 के केन्द्रीय बजट में पहली बार नए गठित प्रारम्भिक शिक्षा कोष में 8746 करोड़ रु. के प्रावधान का प्रारम्भिक अन्तरण किया गया। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा कोष के घटक से सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना पर खर्च की गई राशि के संबंध में राज्यवार जानकारी देने वाले ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

सर्व शिक्षा अभियान घटक के तहत 2006-07 और 2007-08 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा कोष से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने हेतु प्रमाणित राशि

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07	2007-08 (31.10.2007 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3048.37	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00
4.	बिहार	107648.71	61200.96
5.	छत्तीसगढ़	33204.71	10271.08
6.	गोवा	724.12	121.54
7.	गुजरात	0.00	2929.62
8.	हरियाणा	5133.00	5150.00
9.	हिमाचल प्रदेश	6250.75	902.86
10.	जम्मू-कश्मीर	22083.37	0.00
11.	झारखण्ड	18783.00	13901.61
12.	कर्नाटक	14305.00	4461.34
13.	केरल	0.00	2637.60
14.	मध्य प्रदेश	59000.00	19188.87
15.	महाराष्ट्र	52158.56	4832.18
16.	मणिपुर	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00

1	2	3	4
20.	उड़ीसा	19000.00	16657.43
21.	पंजाब	12879.92	0.00
22.	राजस्थान	70597.17	22883.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	36329.65	7559.15
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	80000.00	41385.00
27.	उत्तरांचल	3400.00	1393.69
28.	पश्चिम बंगाल	34025.80	24162.24
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	419.62	0.00
30.	चंडीगढ़	300.00	609.95
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00
33.	दिल्ली	2930.24	171.55
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
35.	पाण्डिचेरी	0.00	286.68
36.	अन्य	878.01	745.60
	कुल	583100.00	241451.95

विवरण II

प्रारंभिक शिक्षा कोष घटक से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत जारी केन्द्रीय सहायता

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	
		2006-07	2007-08 (29.11.2007 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	176.10	0.00
2.	बिहार	249.13	74.65

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	75.69	51.11
4.	गोवा	1.50	1.24
5.	गुजरात	39.90	0.00
6.	हरियाणा	32.01	21.68
7.	हिमाचल प्रदेश	30.93	0.37
8.	जम्मू-कश्मीर	55.79	0.00
9.	झारखण्ड	72.95	32.92
10.	कर्नाटक	136.52	0.00
11.	केरल	36.93	28.36
12.	मध्य प्रदेश	346.79	141.09
13.	महाराष्ट्र	261.42	124.81
14.	उड़ीसा	208.09	108.05
15.	पंजाब	41.39	0.00
16.	राजस्थान	179.93	11.14
17.	तमिलनाडु	84.14	0.30
18.	उत्तरांचल	38.42	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	578.67	5.40
20.	पश्चिम बंगाल	257.78	143.32
	कुल	2904.10	744.43
विधान परिषद वाले संघ राज्य क्षेत्र			
21.	दिल्ली	6.36	0.00
22.	पाण्डिचेरी	0.31	0.00
	कुल	6.67	0.00
विधान परिषद रहित संघ राज्य क्षेत्र			
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.04	0.50
24.	चंडीगढ़	0.00	1.70

1	2	3	4
25.	दादरा और नगर हवेली	0.17	0.87
26.	दमन और दीव	0.03	0.22
27.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
	कुल	0.24	3.29
28.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
29.	असम	0.00	0.00
30.	मणिपुर	0.00	0.00
31.	मेघालय	0.00	0.00
32.	मिजोरम	0.00	0.00
33.	नागालैंड	0.00	0.00
34.	सिक्किम	0.00	0.00
35.	त्रिपुरा	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00
	सकल योग	2911.00	742.32

अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित छात्रों के आंकड़े

2652. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों की गणना करने का आदेश दिया है तथा राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) से देशभर के सभी सरकारी तथा निजी प्राथमिक विद्यालयों में अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़े संग्रहित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (नूपा) जिला सूचना प्रणाली के माध्यम से देश के सभी जिलों से प्रतिवर्ष प्रारंभिक स्कूल आंकड़ों का संकलन करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक श्रेणी-वार नामांकित बच्चों की संख्या शामिल है।

धार्मिक स्थलों पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां

2653. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी सीमावर्ती राज्यों को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल धार्मिक स्थलों की पहचान करने हेतु अपने आसूचना प्रयासों का आसूचना ब्यूरो के साथ समन्वय करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार धार्मिक स्थलों और धार्मिक संस्थानों के अंदर गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु विधायी हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कानून और व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय होने के कारण अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के संरक्षण और राष्ट्र विरोधी तथा अपराधिक तत्वों को जघन्य/अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचाने की राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की संविधानिक जिम्मेवारी है। तथापि, गृह मंत्रालय भी विशिष्ट जोखिम की जानकारियां मिलने पर संबंधित राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को ऐसे स्थानों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सलाह जारी करता रहता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

अवैध कार्यों में पुलिस कार्मिकों की संलिप्तता

2654. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारी मकानों और भूखंडों को खाली कराने तथा अवैध रूप से उन पर कब्जा करने में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संवर्ग-वार सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों के आधार पर कितने मामलों में ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है तथा प्रत्येक मामले में अनुशासनिक जांच में क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार ने भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है:-

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
2004	3
2005	6
2006	2
2007 (15 नवम्बर तक)	2

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार निवारण के लिए किए गए प्रयासों में शामिल है संदिग्ध पुलिस कार्मिकों की गतिविधियों के प्रति सजग रहने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ की नियमित ब्रीफिंग करना, आपराधिक मनोवृत्ति वाले पुलिस कार्मिकों का गैर-संवेदनशील पोस्टों पर स्थानांतरण करना, इस तरह के दुराचार/दुर्व्यवहार में संलिप्त पाए गए कार्मिकों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई करना, पुलिस कार्मिकों के खिलाफ शिकायतों को सीधे उच्च अधिकारियों द्वारा देखा जाना, पुलिस कार्मिकों पर सघन निगरानी रखने के लिए जिलों/यूनिटों में लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना, संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की आपराधिक गतिविधियों पर सतर्कता शाखा द्वारा निगरानी रखना, जिलों के पुलिस उपायुक्तों द्वारा शिकायत रजिस्टर रखा जाना, आम आदमी को भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के खिलाफ ई-मेल से शिकायत भेजने की सुविधा देना।

विवरण

की-गई-कार्रवाई	सहायक पुलिस आयुक्त	निरीक्षक	उप-निरीक्षक	सहायक उप-निरीक्षक	हैड कांस्टेबल	कांस्टेबल
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2004						
विभागीय कार्रवाई लंबित	–	1	1	–	1	–
सेवा अपवर्तन	–	1	1	2	–	–
निंदा की कार्रवाई	–	–	1	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2005						
विभागीय कार्रवाई लंबित	–	2	1	–	1	–
चेतावनी दी गई	–	2	1	–	–	–
सेवा अपवर्तन	–	–	1	–	3	–
परामर्श ज्ञापन दिया गया	1	–	–	–	–	–
निंदा की कार्रवाई	–	1	–	–	–	–
बर्खास्तगी	–	–	1	–	–	–
वर्ष 2006						
विभागीय कार्रवाई लंबित	–	–	–	–	–	1
आपराधिक मामला दर्ज किया गया और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया	–	–	–	–	–	1
वर्ष 2007 (15 नवम्बर तक)						
जांच प्रक्रियाधीन	–	–	1	–	–	–
विभागीय कार्रवाई लंबित	–	–	1	–	–	–
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया	–	1	–	–	–	–

[अनुवाद]

आवासीय पब्लिक स्कूल

2655. श्री एल. राजगोपाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में आवासीय पब्लिक स्कूलों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधान सभा चुनाव क्षेत्र में कम से कम एक विद्यालय की स्थापना करते हुए सार्वजनिक निजी सहभागिता के जरिए कक्षा 6 से 12 वाले 300 आवासीय-सह-शिक्षा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, इन विद्यालयों की स्थापना करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है जबकि पूंजी लागत का एक बड़ा हिस्सा तथा संपूर्ण आवर्ती लागत प्राइवेट साझेदार द्वारा वहन की जानी है।

(ग) प्रधानमंत्री ने 15.8.2007 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सरकार के उस निर्णय की घोषणा की है जिसके तहत देशभर में प्रत्येक ब्लाक में एक विद्यालय की दर से 6000 उच्च गुणवत्तायुक्त माडल विद्यालयों को सहायता देने की बात कही गई है ताकि उस क्षेत्र में स्थित अन्य विद्यालयों हेतु उत्कृष्टता संबंधी मानदंड निर्धारित किया जा सके।

[हिन्दी]

खनन उद्योग में विनिवेश

2656. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन उद्योग पर विनिवेश प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप देश में बेरोजगारी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समीक्षा कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजैडएल) का विनिवेश 11.4.2002 को किया गया था और इसका प्रबंध नियंत्रण स्ट्रेटेजिक पार्टनर (एसपी) को हस्तांतरित कर दिया गया था। एचजैडएल ने सूचित किया है कि विनिवेश के बाद कंपनी ने आधुनिकीकरण/अवरोध-निवारण और विस्तार परियोजनाएं आरंभ की हैं और इन सबके लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना, कौशल संवर्धन तथा विस्तार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नए कर्मचारियों की भर्ती के पश्चात् जनशक्ति की पुन: तैनाती करना अनिवार्य था। 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार एचजैडएल की नामावली में 4640 कामगार हैं। एचजैडएल के विनिवेश के फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं हुआ है।

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) का विनिवेश 2.3.2001 को किया गया था और इसका प्रबंध नियंत्रण स्ट्रेटेजिक पार्टनर (एसपी) को हस्तांतरित कर दिया गया था। बालको ने सूचित किया है कि विनिवेश के बाद कंपनी बेहतर उत्पादकता के लिए अपने प्रचालनों के सभी क्षेत्रों में और अधिक दक्षता लाने और विशेषकर कंपनी के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है जिसके लिए जनशक्ति का पुन:आकलन/पुन: तैनाती करना, संवर्धन करना, कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश करने के साथ-साथ नई भर्ती करना अपेक्षित था। 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार बालको की नामावली में 5480 कामगार हैं। विनिवेश प्रक्रिया का कोई ऐसा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी हो।

(ग) चूंकि विनिवेश के समय प्रबंध नियंत्रण स्ट्रेटेजिक पार्टनर को हस्तांतरित कर दिया गया था, इसलिए इस संबंध में खान मंत्रालय द्वारा कोई समीक्षा नहीं कराई गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक कलस्टरों का गठन

2657. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के तहत शामिल औद्योगिक कलस्टरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को, राज्य-वार, राज्य सरकारों से उनके राज्यों में और अधिक औद्योगिक कलस्टर स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा ऐसे कलस्टरों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्यारहवीं योजना में कुल कितने ऐसे कलस्टरों को सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क), (ख) और (घ) महोदय, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के तहत देश भर में 26 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, जारी की गई निधियां और अतिरिक्त कलस्टरों के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुल प्राप्त 112 अतिरिक्त प्रस्तावों में से 52 प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए हैं क्योंकि वे आईआईयूएस मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। शेष 60 प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए जा सके क्योंकि आईआईयूएस के तहत 10वीं योजना का संपूर्ण आवंटन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध किया गया था।

(ङ) औद्योगिक रूप से कम विकसित राज्यों में 6 अतिरिक्त कलस्टर आरंभ करने हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं।

विवरण

आईआईयूएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, जारी की गई राशि तथा प्राप्त किए गए अतिरिक्त प्रस्तावों की सूची

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत क्लस्टरों की संख्या	स्वीकृत क्लस्टरों को जारी की गई राशि	अतिरिक्त क्लस्टरों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1.	तमिलनाडु	5	135.64	9
2.	गुजरात	4	118.27	8
3.	पश्चिम बंगाल	3	43.35	3
4.	कर्नाटक	2	65.67	7
5.	महाराष्ट्र	2	65.44	10
6.	आंध्र प्रदेश	2	32.14	11
7.	उड़ीसा	1	31.32	–
8.	छत्तीसगढ़	1	21.07	18
9.	हरियाणा	1	13.63	3
10.	उत्तर प्रदेश	1	3.25	11
11.	पंजाब	1	8.42	4
12.	केरल	1	14.20	4
13.	राजस्थान	1	9.20	2
14.	मध्य प्रदेश	1	33.30	6
15.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1
16.	असम	–	–	2
17.	बिहार	–	–	4
18.	दिल्ली	–	–	2
19.	झारखण्ड	–	–	1
20.	जम्मू-कश्मीर	–	–	3
21.	मिजोरम	–	–	1
22.	त्रिपुरा	–	–	1
23.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1
	जोड़	26	594.90	112

[हिन्दी]

दूरदर्शन और आकाशवाणी से आय

2658. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विज्ञापनों, धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों से विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि तक अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान अर्जित कुल आय में से लाभ की मात्रा पृथक-पृथक कितनी रही;

(ग) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन पर दिए गए विज्ञापनों के लिए कुछ निजी कम्पनियों पर शुल्क बकाया है;

(घ) यदि हां, तो बकाया राशि का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार बकाया राशि को उगाहने के लिए क्या कदम उठा रही है/उठाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की आय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
2004-05	156.67	665.27
2005-06	268.83	946.96
2006-07	283.65	818.22

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन लोक सेवा प्रसारक हैं। उनके कार्यकलाप लाभ एवं हानि जैसे पहलुओं से अभिशासित नहीं होते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन में बकाया देयराशियों का कंपनीवार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि बकाया देयराशियों को कम करने और उनकी वसूली करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

(1) बकाया देयराशियों पर मासिक आधार पर निगरानी रखी जाती है और एजेंसियों को बकाया देयराशियों का भुगतान करने तथा विनिर्दिष्ट अवधि में बकाया राशियों को समाप्त करने के लिए एक भुगतान योजना का अनुसरण करने की बाबत नियमित रूप से अनुस्मरण कराया जाता है। यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो सामान्य ऋण अवधि को निलंबित कर दिया जाता है और केवल अग्रिम भुगतान किए जाने पर एजेंसियों को अपने कार्यक्रम/स्पाट संचालित करने की अनुमति दी जाती है।

(2) किसी भी चूककर्ता एजेंसी/निर्माता को नए कार्यक्रमों/कार्यक्रमों का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(3) दूरदर्शन के राजस्व को सुरक्षित करने और ऋण अवधि को शामिल करने के लिए सामान्य प्रसारण शुल्क पर चल रहे धारावाहिकों की बैंक प्रत्याभूति राशि को बढ़ाकर आठ गुना कर दिया गया है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, चूककर्ता एजेंसियों के प्रत्यायित स्तर को वापस ले लिया जाता है और उनकी बैंक प्रत्याभूति को भुना लिया जाता है।

(4) बकाया देयराशियों की वसूली करने के लिए चूककर्त्ता एजेंसियों के विरुद्ध विवाचन/कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है।

विवरण I

(रुपयों में)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	बकाया राशि (मूल + ब्याज)
1	2	3
1.	अनुग्रह मेडीसन	200933
2.	वी.वाई. पाध्ये पब सर्विस	119413
3.	बुबना एडवरटाइजिंग एजेंसी	3592532
4.	चावड़ा एन एडवरटाइजिंग मीडिया	1212509

1	2	3
5.	इनविक्टा	1404696
6.	इंटरफेस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	259144
7.	जिंगल सन	151809
8.	लिंटास इंडिया लिमिटेड	472278
9.	मेडिसन कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	466486
10.	मैक-कैन-एरिक्शन (आई) लिमिटेड	570185
11.	मुद्रा कम्यूनिकेशन लिमिटेड	249928
12.	परसेप्ट एडवरटाइजिंग लिमिटेड	379682
13.	प्रचार कम्यूनिकेशन लिमिटेड	136763
14.	प्रगति रेडियो एडवरटाइजर्स	520012
15.	प्रतिसाद कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	107025
16.	प्राइम टाइम कम्यूनिकेशन	293811
17.	आर.के. स्वामी/बीबीडीओ एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	164671
18.	रेडियस एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	332427
19.	रविराज पब्लिसीटी	561516
20.	राकिया एडवरटाइजिंग एजेंसी	628365
21.	रिडिफयूजन डेन्टसू यंग एण्ड रब	504241
22.	रिजल्ट्स इंडिया कम्यूनिकेशन्स	2005114
23.	सासी एडवरटाइजिंग कन्सलटैन्ट्स	336646
24.	सिस्टा सांची एण्ड सांची एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड	910676
25.	सूर्यकला एडवरटाइजर्स	102029
26.	स्टैंडर्ड पब्लिसीटी	328864
27.	एड एअर एडवरटाइजिंग	1294636
28.	एड हाउस एडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग	875889
29.	डान मोड एडवरटाइजिंग	297577
30.	हेड स्टार्ट एडवरटाइजिंग	198677
31.	मंत्रालय महान ऐड्स	834924
32.	म्यूजीरेका कैसेट इनकौर्प लिमिटेड	4002195
33.	मा काम बोजल	1285246
34.	नौयजी रिकार्डिंग सैंटर	209014
35.	रेयर कम्यूनिकेशन	1485000
36.	रेनूके एडवरटाइजिंग कं.	4679522
37.	श्री एडवरटाइजिंग	1023209
38.	श्री राघवेन्द्र एडवरटाइजिंग	2353814
39.	सुचंद्रा एड मीडिया	695773
40.	वी आर जी एजेंसीज	1340339
41.	मीडिया वेव्ज	1628658
42.	शिल्पी एडवरटाइजिंग	120867
43.	एडबर प्रा.लि.	369571
44.	वनअप ऐड्स प्रा.लि.	511228
45.	ब्यूटैक्स एडवरटाइजिंग	1744882
46.	कारपोरेट वाइस प्रा.लि.	576238
47.	क्रियेटिव यूनिट प्रा.लि.	209488
48.	एफिशैंट पब्लिसीज	213557
49.	यूरी आरएससीजी एडवरटाइजिंग प्रा.लि.	435212
50.	हिन्दुस्तान थाम्सन एसोसिएट लि.	3965178
51.	इनसाइट एडवरटाइजिंग एण्ड कम्यूनिकेशन प्रा.लि.	149677
52.	इंटीग्रेटेड कम्यूनिकेशन्स	320000
53.	जेलिटा पब्लिसीटी	1220807
54.	जुपीटर एडवरटाइजिंग सर्विस	102675
55.	मास मार्केटिंग एडवरटाइजिंग सर्विस प्रा.लि.	818935
56.	मोड एडवरटाइजिंग एण्ड मार्केटिंग	747299

1	2	3
57.	प्रोफैड लि.	801255
58.	रेडियो एण्ड टीवी कमर्शियल्स	184544
59.	टेलिक्राफ्ट मूवीज प्रा.लि.	1478978
60.	ट्विन एडवरटाइजिंग	785884
	विविध	49,27,497
	कुल योग	5,29,72,503

विवरण II

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	बकाया राशि (मूल तथा ब्याज)
1	2	3
1.	एफसीबी उल्का एडवरटाइजिंग	3107370
2.	आधी सूरी विडियो फिल्म्स	220550
3.	आशिन कम्यू.	23950
4.	एबी विजुअल	2915626
5.	ऐस मीडिया	255360
6.	ऐड मीडिया	4180917
7.	अदबुर एडवरटाइजिंग	2414312
8.	एडलाइन कम्यूनिकेशंस	146783
9.	एडमोर	107825
10.	एडवांस टीवी नेटवर्क	17000
11.	एडवर्क शाप	64435
12.	अजय लिंक्स	187410
13.	अक्षर एडवरटाइजिंग, बंगलौर	16295
14.	अलग्र एडवरटाइजिंग, मुंबई	447669
15.	एलाइंस एडवरटाइजिंग प्रा.लि.	3056732
16.	एम्बिएंस एडवरटाइजिंग प्रा.लि.	133815
17.	एनिम्स कोनेक्स	135418
18.	एपेक्स एडवरटाइजिंग, मुंबई	30
19.	आरंभ वीडियो	32419
20.	एरीज एडवरटाइजिंग, चेन्नै	144866
21.	आर्म्स एडवरटाइजिंग, मुंबई	2893441
22.	आर्ट एडवरटाइजिंग, मुंबई	2412168
23.	आर्ट कमर्शियल, मुंबई	5169398
24.	आर्यन्स	4595
25.	अश्वमेध	116338
26.	ओडिया वीडियो सेंटर	2268
27.	बगला मुखी प्रोड.	20881
28.	बेसलाइन एडवरटाइजिंग	8595857
29.	बेसिक 4	5569
30.	बेट्स इंडिया (क्लेरियन)	2548449
31.	बीबीटीवी थाइलैंड	46553
32.	बायोस्टेड इंडिया	5170
33.	बिसावा क्रिएशन	68691
34.	ब्रह्मपुत्र टीवी नेटवर्क	305
35.	ब्रह्मा विजन	4125415
36.	ब्राइट एडवरटाइजिंग	695666
37.	कैपिटल एडवरटाइजिंग	124436
38.	कैरेट मीडिया	354306
39.	काविनकेरे (हेमलता एंट.)	329510
40.	सी-हिट	113533
41.	सैंसर एडवरटाइजिंग प्रा.लि.	5865
42.	सैंचुरी कम्युनिकेशन	215206
43.	चैताली	731180
44.	चैत्रा एडवरटाइजिंग	7783161

1	2	3
45.	चांदनी फिल्म्स	122521
46.	चैनल-10	31091174
47.	चैनल-8	833067
48.	चैनल-9	11885683
49.	चिरंजीवी	127992
50.	क्लासिक प्रोडक्शंस	26829
51.	क्लीया एडवरटाइजिंग, मुंबई	1704723
52.	कांटिनेंटल एडवरटाइजिंग	690734
53.	कांट्रैक्ट एडवरटाइजिंग	2413688
54.	क्रेयांस एडवरटाइजिंग	226889
55.	क्रिएटिव इन्फोलाइन	19743
56.	क्रिएटिव यूनिट, मुंबई	3818267
57.	क्रिएटिव वीडिया, भोपाल	2094602
58.	क्रिएटिव विजन	60865
59.	क्रिएटर आडियो वीडियो	28186
60.	क्यू कम., मुंबई	16072028
61.	डेली अलसफा	3771
62.	दासतोष एडवरटाइजिंग	105546
63.	डीएवीपी	10363972
64.	डेलकाम एडवरटाइजिंग	3449328
65.	धालीवाल प्रो.	106076
66.	डायमंड मीडिया	107073
67.	डाउन मैड	130051
68.	दत्ता एंड दत्ता	177160
69.	एफिशिएंट	658590
70.	ईएमआरसी	35394
71.	एटर्नल ड्रीम्स	1489522
72.	यूरो आरएसजी, मुंबई	10767898
73.	एवरेस्ट एडवरटाइजिंग	549261
74.	एफ.एस. एडवरटाइजिंग	15097816
75.	फेम एंड, फार्चून, दिल्ली	3960684
76.	फिलर एड., तिरूवनंतपुरम	1211665
77.	फिल्म सिटी, मुंबई	14531988
78.	फिल्म कृति, (निर्माता)	633945
79.	फिल्माना, मुंबई	2987027
80.	फार्चून	267654
81.	फाउंटेन हैड, चेन्नै	395250
82.	फ्रीक्वेंसी, कोलकाता	196327
83.	फ्यूचर कम्यूनिकेशन	3165679
84.	गायत्री टेलीफिल्म्स	64019
85.	गुडवर्क कम्यूनिकेशंस	66780
86.	गोयल मल्टीमीडिया	3763
87.	ग्रीन सिग्नल, चेन्नै	7502960
88.	ग्रे वर्ल्डवाइड	730504
89.	ग्रुप एडवरटाइजिंग	2587066
90.	गुलाब आर्ट्स	16099
91.	गंटास विजुअल	34323
92.	हेनटैक्स	415
93.	हैपनिंग्स	3140064
94.	हिंदुस्तान एडवरटाइजिंग	44040
95.	हिंदुस्तान मीडिया	31834
96.	होटल ग्रैंड पैलेस	10888
97.	एचटीए (मुंबई)	34361345
98.	आईबी एंड डब्ल्यू कम्यू.	485485

1	2	3
99.	आईसीडीएस	423586
100.	इन्द्रधनुष टीवी	6120256
101.	इंडियन मैजिक आई	1103
102.	इनिशिएटिव मीडिया	7377
103.	इनोवेशन	12483150
104.	इनसाइट एडवरटाइजिंग	238850
105.	इंस्टीट्यूट आफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ	5237651
106.	इंटर पब्लिसीटी	352436
107.	इन्टरेक्ट वीजन	12316
108.	इंटरफेस, नई दिल्ली	7556154
109.	ईषा एडवरटाइजिंग	489482
110.	जगुलई प्रोडक्ट्स	28568
111.	जयपुर पब्लिसिटी सेंटर	550
112.	जेलिया पब्लिसिटी	4332793
113.	के.टी. सीरीज	73865
114.	कनारा एड्स, चेन्नै	503220
115.	करिश्मा एडवरटाइजिंग	523781
116.	कश्मीर आडियो विजुअल	7093
117.	कुणाल एड्स, अहमदाबाद	1365532
118.	एल.आर., स्वामी	3626
119.	लेखा एडवरटाइजिंग	57276
120.	लियो फिल्म्स	17445
121.	लिंक वर्ल्ड, लखनऊ	1379228
122.	लिंटास	5057470
123.	लोडस्टार	2001
124.	लोटस मार्केटिंग	311676
125.	एम.जी. एडवरटाइजिंग	892576
126.	मां. कम्यु. बोजेल (हैदराबाद)	21400223
127.	माध्यम आर्ट्स	19870
128.	मेडिसन	10038221
129.	मद्रास एडवरटाइजिंग	1374689
130.	मेग्नेटिक क्रिएशंस	666
131.	महामाया एडवरटाइजिंग	10693
132.	महेश कामथ	1463053
133.	मंडी परिषद	12000
134.	मंजीत सिंह सैनी	11883
135.	मार्केट मैटर्स	2854600
136.	मार्केट मिशनरी	2835757
137.	मार्केट प्लस	16181
138.	मार्केटिंग एनेलिसिस एंड प्रोडक्ट्स	20655
139.	मार्कफेड	37950
140.	मारूती ट्रेवल्स	181
141.	मारूट मीडिया	7147
142.	मौव क्रिमसम (रजि.)	153000
143.	मेककेन एरिक्सन	14245394
144.	मीडिया कैफे	8403973
145.	मीडिया ब्लिट्स	100514
146.	मीडिया क्रेस्ट	1266
147.	मीडिया ऐज	96414
148.	मीडियाविजन एडवरटाइजिंग	82546
149.	मिड डे	2963
150.	एमआईएन एसजेई	140250
151.	मिनिम आडियो	64659
152.	मोनिका एडवरटाइजिंग	12840

1	2	3
153.	मूवी ट्रैक, भोपाल	30574
154.	मूविंग पिक्चर	482984
155.	मुद्रा कम्यूनिकेशंस	12680198
156.	मल्टी मीडिया	12616
157.	एन.के. कम्यूनिकेशंस	2834749
158.	नंदी मीडिया साफ्टवेयर	260
159.	नेशनल एडवरटाइजिंग	59702
160.	नेहा वीडियो वीजन	21058
161.	नेटवर्क 7/वीडियो 1	1427890
162.	नेक्सस	1403
163.	एनएफडीसी	19102055
164.	एनटीपीसी	45519
165.	आक्टोजन एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग, चेन्नै	308156
166.	आगिलवी एंड माथर एडवरटाइजिंग	1002447
167.	ओम साईं फिल्म्स	245362
168.	ओमेगा मास मीडिया	11131777
169.	वन अप ऐडस	924828
170.	आपटीमम मीडिया सोल्यूशंस	4911
171.	आरकिड	23078
172.	पीके इंटरटेनमेंट	1213437
173.	पदमालय टेलीफिल्म्स	98318
174.	पल्लवी प्रोडक्ट्स	2064
175.	पारस मार्केटिंग	5788479
176.	प्रमोद प्रोडक्ट्स	103739
177.	पीएएस इंटरनेशनल	51531261
178.	पेन्ट ए ट्रेट कम्यूनिकेशन	2709
179.	परसेप्ट	3593704
180.	परफेट 10 एडवरटाइजिंग	60174
181.	पोलारिस	50127
182.	पूर्णिमा एडवरटाइजिंग	80896
183.	पोपलर इंटरटेनमेंट	4909204
184.	प्रचार कम्यू.	5194534
185.	प्रतिभा एडवरटाइजिंग	9539
186.	प्रतिशाद कम्यूनिकेशन	468847
187.	प्रीमीयर एडवरटाइजिंग	2163634
188.	प्रेरणा फिल्म्स, जयपुर	10003111
189.	प्रेस सिंडिकेट	2781602
190.	प्रिंस इंटरटेनमेंट	58461
191.	प्रोफेद, मद्रास	20385197
192.	प्रोमिनेंट एडवरटाइजिंग	23399483
193.	पीएसएल	53507
194.	पब्लिसिटी पार्लर	242692
195.	पंजाबी एडवरटाइजिंग	12618
196.	आर.के. स्वामी	4999082
197.	रेडीकल इंटरटेनमेंट	117411
198.	रेडियो टीवी	296649
199.	राघवेन्द्र ऐड्स	18498
200.	राकिया एडवरटाइजिंग	8004
201.	राशि सीड्स	3420
202.	राष्ट्रीय एडवरटाइजिंग एजेंसी	4132
203.	राष्ट्रीय केमीकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.	47493
204.	रसिक पब.	43715
205.	रिजनेबल एडवरटाइजिंग	69036006
206.	रिडिफ्यूजन	14247573
207.	रेसपोन्स इंडिया, कोलकाता	35022

1	2	3
208.	रिजल्ट इंडिया	223958512
209.	आरटीबीसी	41282439
210.	रूपरिस्तान	38823
211.	सागर वीडियो एंड एडवरटाइजिंग	4405
212.	सेलजा सुमन	3954
213.	सज्जला क्रियेशन, हैदराबाद	1278666
214.	सपट इंटरनेशनल	28968
215.	शशि एडवरटाइजिंग, चेन्नै	1909199
216.	श्रद्धा सुमन क्रिएटिव आर्टस	664469
217.	शुभ टेलीफिल्म्स	16187
218.	साइट एंड साउंड	1868992
219.	सिस्तास प्राइवेट लिमिटेड	3366
220.	सितारा विजन, मुंबई	15026234
221.	साइट (लखनऊ)	32594
222.	सिच्यूवेशन एडवरटाइजिंग	128445
223.	सौभाग्य एडवरटाइजिंग	918
224.	स्पेलबाइंडर	15058754
225.	स्पेशल कम्यूनिकेशन	457950
226.	श्रीकृष्ण पिक्चर्स	522306
227.	स्टैण्डर्ड पब्लिसिटी	64178
228.	स्टार वीडियो	3761825
229.	स्टारकोम	1088587
230.	स्टूडियो सुरखाब	246552
231.	सुधरती एडवरटाइजिंग	121407
232.	सनराइज मीडिया	12971659
233.	सुयोजन मैनेजमेंट	2601911
234.	स्वर सुधा	124325
235.	टी. सरकार	395416
236.	टीवी टुडे नेटवर्क	1344450
237.	तारा सिंह एसोशियेट	20555
238.	टीबीडब्ल्यूए एंथम	1727933
239.	टेक्नोमार्क	78549
240.	टेलीमेटिक्स विजन	12174
241.	टेलीस्टार (प्रा.लि.)	9198508
242.	द प्रैस सिंडीकेट लि.	134341
243.	श्री ब्रादर्स	85149
244.	टाइम्स मीडिया	162581
245.	टीएलजी	5216111
246.	टुडे विजन	1699085
247.	ट्रावनकोर एडवरटाइजिंग	2240793
248.	ट्रिकिया ग्रे	446170
249.	ट्राइटन कम्यूनिकेशन	8217560
250.	ट्रान विडियोटिक्स	164291
251.	टीएसएमई	2741823
252.	ट्विन ऐड	3152477
253.	यूनीसेफ	97500
254.	यूनिक चैनल	462201
255.	यूनिट 1 प्रोडक्शन	19157322
256.	यूनिटेक आईपीटीवी	2202295
257.	यूनाइटेड टेलीशापिंग	132003
258.	यूपीआईडी	175241
259.	यूरेनस मार्केटिंग	2091849
260.	यूटीएस	113537
261.	यूटीवी	12651804

1	2	3
262.	वीके एडवरटाइजिंग	2695835
263.	वेनगाड विजन	5745245
264.	वेनचर डायरेक्ट	2215025
265.	व्यू फाइंडर	12000
266.	विहिरा कम्यू.	293854
267.	विशेष एडवरटाइजिंग	555281
268.	विजन टाइम इंडिया	6689878
269.	वेस्टर्न एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग	136642
270.	वर्ल्ड मीडिया	27400000
271.	युगम	25275
	कुल योग	1070111932

[अनुवाद]

योग को पेटेंट करना

2659. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योग मुद्राओं और तकनीकों को अमरीका में पेटेंट किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परंपराओं/तकनीकों को भारत के धरोहर के रूप में संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, आदि में पारंपरिक ज्ञान को प्रलेख करने के लिए सरकार ने पारंपरिक ज्ञान, डिजीटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) की स्थापना की है ताकि पारंपरिक ज्ञान के इन क्षेत्रों में पेटेंटिंग को रोका जा सके।

झींगा मछली के आयात पर प्रतिबंध

2660. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा मछली के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत से आस्ट्रेलिया को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया; और

(घ) सरकार तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ने उपर्युक्त प्रतिबंध के मद्देनजर समुद्री खाद्य पदार्थ उत्पादकों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, आस्ट्रेलिया को होने वाले झींगा एवं झींगा उत्पादों के सभी निर्यातों के साथ मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्तता का प्रमाणपत्र होता है और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उसे अनुमोदित परिसर में न्यूनतम समय एवं तापमान संबंधी मानक के अनुरूप पकाया गया है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एम्पीडा द्वारा आंध्र प्रदेश सहित तटवर्ती राज्यों में सतत धारणीय जलकृषि के संवर्धन में सहायता करने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। इनमें रोग नियंत्रण के लिए बेहतर प्रबंधन प्रणालियों का प्रसार, एस पी एफ (विनिर्दिष्ट पैथेजन मुक्त) ब्रूड स्टाक का उत्पादन, रोग मुक्त बीच के उत्पादन तथा फार्म प्रबंधन के लिए पद्धति संहिता, व्यापक स्वास्थ्य प्रबंधन नीति, आमूल जानकारी हेतु लेबलिंग तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई), एशिया एवं प्रशांत हेतु जलकृषि केन्द्र नेटवर्क (एनएसीए) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) को आवधिक वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्टें प्रस्तुत करना शामिल हैं।

विवरण

आस्ट्रेलिया को निर्यात का मद-वार ब्यौरा

मा: मात्रा टन में, मू: मूल्य करोड़ रुपए में, मिलि. अम.डा. में

		अप्रैल-सितम्बर 2007	2006-07	2005-06	2004-05
प्रशीतित श्रिम्प	मा:	783	2270	2452	3479
	मू:	30.70	93.02	82.55	122.16
	डा:	7.57	20.58	18.71	27.25
प्रशीतित मछली	मा:	156	1038	284	167
	मू:	1.74	3.48	2.24	1.30
	डा:	0.42	0.78	0.51	0.29
ताजी कट्ल फिश	मा:	53	59	91	49
	मू:	1.08	1.08	1.44	0.68
	डा:	0.26	0.24	0.33	0.15
ताजी स्क्विड	मा:	1	29	5	42
	मू:	0.01	0.35	0.06	0.37
	डा:	0.00	0.08	0.01	0.08
सूखी मदें	मा:	132	785	258	3
	मू:	0.58	3.91	0.93	0.05
	डा:	0.14	0.87	0.21	0.01
जीवित मदें	मा:	0	0	0	0
	मू:	0.00	0.00	0.00	0.00
	डा:	0.00	0.00	0.00	0.00
शीतित मदें	मा:	0	0	11	14
	मू:	0.00	0.00	0.20	0.22
	डा:	0.00	0.00	0.05	0.05
अन्य	मा:	109	251	317	296
	मू:	1.72	3.59	3.39	2.64
	डा:	0.42	0.80	0.77	0.59
कुल	मा:	1233	4433	3418	4049
	मू:	35.84	105.44	90.84	127.42
	डा:	8.81	23.34	20.58	28.43

[हिन्दी]

आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

2661. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2006 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई थी;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने अपने-अपने राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य पुलिस को प्रभावी बनाने हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) आंतरिक सुरक्षा के संबंध में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 5 सितम्बर, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(ख) कार्यसूची में नक्सली हिंसा से निपटना, पूर्वोत्तर में स्थिति, जम्मू और कश्मीर में स्थिति, भीतरी क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और उससे निपटना एवं सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना शामिल है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। प्रत्येक वर्ष, राज्यों की जरूरतों के ब्यौरे पुलिस स्टेशन/चौकियों का निर्माण करने, पुलिस आवास, आवाजाही, हथियार, संचार प्रणालियों, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान संबंधी सुविधाओं इत्यादि के संबंध में प्राप्त होते हैं। राज्य सरकारों को उनकी विशेष शाखाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) के अंतर्गत वार्षिक आबंटनों के 5% तक नियत करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, चार नक्सल प्रभावित राज्यों, अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को वर्ष 2007-08 में एमपीएफ योजना के तहत विशेष शाखाओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेष उप-योजनाओं को शामिल करने के लिए कहा गया है। तद्नुसार, इन राज्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधित योजनाओं में यथायपेक्षित उप-योजनाएं शामिल हैं। इन उप-योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ, संचार/सुरक्षा/निगरानी संबंधी उपकरणों, कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रावधान हैं और इन्हें केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है। इन राज्यों ने विशेष शाखाओं संबंधी घटकों के लिए 5.83% से 35.53% तक की रेंज वाली धनराशियों के लिए व्यवस्था की गई है। इन क्रियाकलापों में आमतौर पर ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और इनसे राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है जिससे वे आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं।

आयात शुल्क में छूट

2662. श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई देशों से आयातित कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण एशियाई देशों से शुल्क मुक्त आयातित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ इस प्रकार का व्यापार करने की अनुमति है और इससे देश में कुल कितनी विदेशी मुद्रा आने की संभावना है; और

(घ) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिन पर आयात शुल्क लिया जाता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई देशों से आयातित कुछ मदों पर आयात शुल्क से छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, शून्य/रियायती शुल्क पर व्यापार करने के लिए भारत ने दक्षिण एशिया के देशों सहित अन्य देशों के साथ निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

1. भारत और भूटान के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन संबंधी करार जिसमें दोनों देशों के बीच किसी नकारात्मक सूची के बिना मुक्त व्यापार की व्यवस्था है।

2. भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार। इस करार के अंतर्गत प्रत्येक देश द्वारा रखी गई नकारात्मक सूची की मदों को छोड़कर सभी मदों का शुल्क मुक्त व्यापार किया जा सकता है।

3. भारत-नेपाल व्यापार संधि। इस करार के अंतर्गत एक दूसरे देश से परस्पर रूप से सहमत प्राथमिक उत्पादों का मुक्त व्यापार किया जा सकता है और भारत द्वारा गैर-पारस्परिकता आधार पर नेपाल में उपस्थित वस्तुओं को शुल्क मुक्त बाजार पहुंच प्रदान की जाती है। इस शुल्क मुक्त सुविधा में संधि के अनुबंध 'ङ.' में वर्णित तीन मदों को छोड़कर सभी विनिर्मित मदें शामिल हैं।

4. भारत दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (साफ्टा) पर हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। साफ्टा के चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम (टीएलपी) के अंतर्गत, सभी सदस्य देश साफ्टा के लागू होने के दस वर्षों के भीतर टैरिफों को शून्य से पांच प्रतिशत तक कम करेंगे। तथापि, अल्प विकसित सदस्य देशों से इतर देशों (भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका) को दिनांक 31.12.2008 तक अल्प विकसित देशों (बंगलादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल) के लिए टैरिफों में शून्य से पांच प्रतिशत तक कमी करनी होगी। साफ्टा टी एल पी, जो 1 जुलाई, 2006 से लागू हुआ है, में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा संवेदनशील सूची में रखी गई मदों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनें शामिल हैं। भारत ने दो संवेदनशील सूचियां, पहली अल्प विकसित सदस्यों से इतर सदस्यों के लिए 865 मदों वाली और दूसरी अल्प विकसित सदस्यों के लिए 744 मदों वाली रखी हैं। सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान, क्षेत्र में सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिए बिना अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के लिए अपने बाजार खोलने समेत असीमित दायत्वों को स्वीकार करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है और इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की कि वर्ष 2007 की समाप्ति से पहले, भारत दक्षिण एशिया के अल्प विकसित देशों को शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति प्रदान कर देगा। इस प्रकार भारत अल्प विकसित सदस्यों के लिए साफ्टा टी एल पी को एक वर्ष पहले अर्थात् 31.12.2008 के बजाय 31.12.2007 को पूरा कर लेगा।

5. भारत ने सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) किया है जिस पर 29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अंतर्गत शीघ्र फलदायी कार्यक्रम में 506 उत्पादों पर टैरिफ समाप्त किया गया था।

6. भारत और थाईलैंड के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु एक कार्यढांचा करार पर 9 अक्तूबर, 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अंतर्गत शीघ्र फलदायी स्कीमें जिसमें 82 उत्पाद शामिल हैं, को 1.9.2004 से कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें दिनांक 1.9.2004 से टैरिफ के स्तरों को घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया गया है।

उपर्युक्त करारों के ब्यौरे "http://commerce.gov.in" पर उपलब्ध है। भारत और उपर्युक्त देशों के बीच व्यापार की गई मदें भी इस वेबसाइट पर निर्यात आयात डाटा बैंक शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध हैं। चूंकि उपर्युक्त करारों के अंतर्गत भारत अन्य भागीदार देशों को शून्य या रियायती शुल्क जैसा भी मामला हो, पर वस्तुओं का निर्यात कर सकता है, इसलिए घरेलू उद्योग को इनसे लाभ होगा परन्तु इन करारों से घरेलू उद्योग को होने वाले लाभ की मात्रा अथवा संभावित विदेशी निवेश की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) उपर्युक्त करारों के अंतर्गत संवेदनशील/नकारात्मक सूचियों में दी गई मदों पर यथा प्रयोज्य शुल्क देय है।

नन्दीग्राम से बारूदी सुरंग और अस्त्रों की बरामदगी

2663. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को नन्दीग्राम में बारूदी सुरंग और अस्त्रों का पता चला है/बरामद किए हैं जैसा कि दिनांक 14 नवम्बर, 2007 के "दानिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक बारूदी सुरंगों के राज्य-वार कितने मामलों का पता चला है; और

(घ) उपरोक्त बारूदी सुरंगों को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 13.11.2007 को सीआरपीएफ ने 5 कि.ग्रा. वजन का एक टिपिन बम्ब, 15 कि.ग्रा. वचन का एक सिलैण्डर आईईडी, एक .303 राईफल और दो एसबीएमएल देसी बंदूकें नंदीग्राम क्षेत्र से बरामद की हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य सुरक्षा बलों/राज्य पुलिस के साथ सीआरपीएफ द्वारा विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए चलाए गए अभियानों के दौरान बरामद किए गए आईईडी/खोजी गई बारूदी सुरंगों का राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	राज्य	2004	2005	2006	2007 (28.11.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20	23	52	14
2.	असम	13	29	10	33
3.	बिहार	02	17	08	05
4.	छत्तीसगढ़	18	41	124	85
5.	जम्मू-कश्मीर	43	36	43	45
6.	झारखंड	24	86	47	94
7.	मणिपुर	15	04	01	01
8.	मेघालय	00	02	00	00
9.	उड़ीसा	01	32	14	05
10.	त्रिपुरा	00	00	01	01
11.	उत्तर प्रदेश	00	01	01	00
12.	पश्चिम बंगाल	00	00	00	02
13.	नागालैंड	00	00	00	03
	कुल	136	271	301	288

(घ) विद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए चलाये गये अभियानों के दौरान बरामद किये गये आईईडी/खोजी गई बारूदी सुरंगों को सीआरपीएफ/राज्य पुलिस/सेना के बीडीडी स्क्वैड की सहायता से निष्क्रिय कर दिया जाता है और आगे की विधिक कार्रवाई/निपटान के लिए उन्हें संबंधित राज्यों की राज्य पुलिस को सौंप दिया जाता है।

[अनुवाद]

ओटावा के साथ मुक्त व्यापार समझौता

2664. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अगले वर्ष ओटावा के साथ किसी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार करार (एफटीए) विद्यमान नहीं है। दोनों देशों के बीच किसी एफटीए का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार के मुद्दों पर वार्षिक व्यापार नीति परामर्श में विचार-विमर्श किया जाता है।

विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की दर

2665. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री अनवर हुसैन:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों और राजनीतिक नेताओं ने विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की उच्च दर पर चिंता व्यक्त की है तथा शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की कक्षा-वार, लिंग-वार और राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की दर में कमी लाने के लिए राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार से सरकार को प्राप्त प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय सहित अन्य समुदायों में विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों की दर में कमी लाने के लिए और कौन से अन्य कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 53वीं बैठक जिसमें राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों ने भाग लिया था, दिनांक 14-15 जुलाई, 2005 को आयोजित की गई थी और इसमें 6-14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रयोजनार्थ किए गए 86वें संविधान संशोधन को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय विधान के मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) वर्ष 2004-05 में अध्ययन बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की बालक-बालिका वार, स्तर-वार और राज्य-वार दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) देश में सभी को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहभागिता से समयबद्ध ढंग से सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में अन्य बातों के साथ-साथ नए विद्यालय स्थापित करने, विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करने, विद्यालय न जाने वाले बच्चों के नामांकन के उपायों, बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन, विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण, बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति करने तथा सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उपायों की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षिक सत्र 2006-07 से शुरू की गई छात्रवृत्ति स्कीम के अनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय में अध्ययन करने वाली वर्ष 2006 तथा इससे बाद की कक्षा 10 की परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली अपने माता-पिता की इकलौती बालिका संतान को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध उस विद्यालय जो शैक्षिक वर्ष 2005-06 के दौरान अधिकतम 1000 रुपए प्रतिमाह शिक्षण शुल्क प्राप्त करता है, में कक्षा 11 तथा कक्षा 12 में अध्ययन करने के लिए 500 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान कक्षा 1-5, 1-8 और 1-10 में अध्ययन बीच में ही छोड़ने वाले सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों की दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कक्षा 1-5			कक्षा 1-8			कक्षा 1-10		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	31.77	32.14	31.95	57.72	61.08	59.36	62.30	65.24	63.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.86	48.01	46.85	63.23	61.90	62.63	69.59	72.30	70.79
3.	असम	51.58	48.34	50.07	72.41	74.60	73.38	75.18	74.69	74.96
4.	बिहार	53.37	48.62	51.59	73.57	76.44	74.69	81.46	85.64	83.06
5.	छत्तीसगढ़*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गोवा	0.00	6.26	2.43	4.28	9.69	6.90	42.66	38.52	40.65
7.	गुजरात	35.72	34.27	35.09	43.63	50.00	46.34	58.01	61.05	59.29
8.	हरियाणा	5.04	4.54	4.81	19.86	29.61	24.51	28.01	37.72	32.48
9.	हिमाचल प्रदेश	5.78	9.82	7.74	13.48	18.36	15.89	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	40.92	31.80	36.92	39.72	37.02	38.57	54.63	52.53	53.75
11.	झारखण्ड*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	16.25	15.49	15.88	49.81	50.21	49.99	59.71	58.99	59.38
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64	3.52	7.15
14.	मध्य प्रदेश	11.12	9.13	10.21	43.09	45.07	43.95	60.48	70.31	64.70
15.	महाराष्ट्र	6.60	6.81	6.70	26.46	31.74	28.99	52.11	56.40	54.16
16.	मणिपुर	29.71	32.74	31.18	34.47	30.91	32.80	46.04	39.58	43.02
17.	मेघालय	51.77	48.15	49.97	65.99	62.43	64.21	79.64	78.65	79.15
18.	मिजोरम	50.84	48.71	49.84	68.99	64.34	66.84	69.52	64.11	66.95
19.	नागालैंड	41.79	43.66	42.69	41. 09	43.93	42.49	66.98	67.63	67.29
20.	उड़ीसा	42.60	35.17	39.34	65.56	56.64	61.95	66.40	61.46	64.42
21.	पंजाब	27.42	19.91	23.96	32.64	34.82	33.67	43.68	44.49	44.06
22.	राजस्थान	58.92	52.90	56.59	60.85	71.33	65.34	69.33	80.72	73.87
23.	सिक्किम	52.01	46.80	49.44	72.48	70.02	71.22	83.34	81.15	82.30
24.	तमिलनाडु	1.94	0.14	0.94	24.62	23.24	23.96	57.27	52.71	55.19
25.	त्रिपुरा	43.76	42.58	43.20	62.05	66.42	64.15	73.58	73.11	73.36
26.	उत्तर प्रदेश	21.80	-3.78	12.06	43.71	39.18	41.94	40.49	48.99	43.77
27.	उत्तरांचल*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	43.23	44.10	43.65	63.70	63.55	63.63	75.92	80.34	78.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4.03	3.36	3.72	8.98	12.03	10.44	38.55	35.30	36.97
30.	चंडीगढ़	1.46	3.91	2.59	17.03	9.14	13.40	17.69	15.63	16.73
31.	दादरा और नगर हवेली	21.37	36.10	28.23	44.81	60.55	51.95	64.23	70.60	67.06
32.	दमन और दीव	1.51	0.06	0.84	12.91	21.29	17.03	41.62	45.36	43.43
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	27.71	28.53	28.12	45.04	48.84	46.92
34.	लक्षद्वीप	0.77	14.51	7.62	2.91	31.24	16.41	19.16	18.57	18.88
35.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24	15.47	16.89
	भारत	31.81	25.42	29.00	50.49	51.28	50.84	60.41	63.88	61.92

*अध्ययन बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर उनके मूल राज्य के साथ दर्शाई गई है।

शिक्षा के लिए धनराशि का उपयोग

2666. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में ऐसे कौन से क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर ग्यारहवीं योजना में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ख) ग्यारहवीं योजना धनराशि का 20 प्रतिशत भाग शिक्षा क्षेत्र पर व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आबंटित धनराशि का समुचित सदुपयोग अधिक आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं अथवा सरकार द्वारा ऐसी रणनीति अपनाने का प्रस्ताव है जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि दसवीं योजना अवधि के अनुभवों के मद्देनजर ग्यारहवीं योजना में आबंटित धनराशि को तर्कसंगत ढंग से व्यय किया जाए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

नक्सलवादियों और अण्डरवर्ल्ड के बीच सांठ-गांठ

2667. श्री उदय सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में विभिन्न हिस्सों से ठोस रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि नक्सलवादियों की अण्डरवर्ल्ड से सांठ-गांठ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नक्सलवादियों और अण्डरवर्ल्ड की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाली किसी ठोस योजना को तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) अपराध के पंजीकरण, जांच और अभियोजन की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। कानून और व्यवस्था राज्य के विषय होने के कारण, राज्य में नक्सलवादी और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं/मुद्दों को निपटाने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों को विभिन्न तरीकों से बढ़ावा देती है जिसमें राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता करना, राज्य आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करना और राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आसूचना के आदान-प्रदान और अंतर्राज्यीय समन्वय को बढ़ाना शामिल है।

उड़ीसा में नक्सल प्रभावित जिले

2668. **श्री अनन्त नायक:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में, विशेषकर अनुसूचित जिलों में बढ़ती माओवादी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में और अधिक जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में घोषित किये जाने की मांग की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन जिलों को अभी तक नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में घोषित किया गया है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार उड़ीसा में वर्ष 2007 के दौरान 31.10.2007 तक नक्सलवादी हिंसा की घटनाएं और उनके परिणामस्वरूप हुए हताहतों की संख्या क्रमश: 63 और 16 रही जबकि वर्ष 2006 की समसामयिक अवधि में इनकी संख्या क्रमश: 36 और 8 थी।

इस समय उड़ीसा के नौ जिलों को सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसमें राज्य सरकारों को सुरक्षा संबँधी व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुछ और जिलों को शामिल करने के लिए उड़ीसा सरकार का अनुरोध प्राप्त हो गया है। सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत जिलों को समुचित विचार एवं अनुमोदन के पश्चात शामिल किया जाता है जिनमें नक्सली हिंसा की तीव्रता और अवधि विभिन्न नक्सली गुटों द्वारा संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण, सशस्त्र दलम की मौजूदगी एवं उनकी नफरी, सक्रिय बहु अग्रणी संगठनों का फैलाव जो सशस्त्र काडरों को संभार एवं सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में सतत एवं प्रभावी सहायता प्रदान करते हैं और नक्सलवादी गतिविधियों का विरोध करने के लिए पुलिस/प्रशासन द्वारा शुरू किए गए सक्रिय प्रयासों के विस्तार क्षेत्र आदि को ध्यान में रखा जाता है। उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर निर्धारित दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस पर शीघ्र निर्णय लेने के सभी प्रयास किए जाएंगे फिर भी इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण संबंधित राज्य सरकारें नक्सलवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए जरूरी कार्रवाई करती है। केन्द्रीय सरकार विभिन्न साधनों से राज्य सरकारों के प्रयासों एवं संसाधनों में सहयोग करती है जिनमें राज्य पुलिस बलों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना, राज्यों को इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी देना, राज्य पुलिस एवं आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देना, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने में सहायता देना, आसूचना का आदान-प्रदान करना, अंतर-राज्य समन्वय करना और विकास कार्यों में सहायता देना शामिल है।

इस समय उड़ीसा में राज्य पुलिस बलों को सहायता देने के लिए नक्सलवाद रोधी ड्यूटी पर केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की 4 बटालियनें तैनात हैं। उड़ीसा को 3 इंडिया रिजर्व बटालियनों की मंजूरी दी गई है। उड़ीसा के 19 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से सहायता दी जा रही है। उड़ीसा को कोरापुट बोलानगिर-कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र को राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विशेष आबंटन किया जा रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार

2669. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की संभावना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विनिर्माण के किन-किन क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने उच्च वृद्धि तथा रोजगार के लिए इन क्षेत्रों को कोई प्रोत्साहन प्रदान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 1999-2000 के 48.0 मिलियन से बढ़कर 2004-05 में 53.71 मिलियन हो गया है। संगठित विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 1999-2000 के 6.6 मिलियन से घटकर 2004-

05 में 5.68 मिलियन हो गया। इसका कारण कंपनियों द्वारा अपना प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने की दृष्टि से पूंजी गहन उद्योग और कौशल आधारित विनिर्माण को अपनाना है। इसी अवधि के दौरान विनिर्माण के असंगठित क्षेत्र में रोजगार 41.4 मिलियन से बढ़कर 48.03 मिलियन हो गया।

(घ) और (ङ) सरकार ने व्यापक आधार वाली औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी नीतियां लागू की हैं, जो रोजगार का सृजन करती हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं—औद्योगिक क्षमता को लाइसेंसमुक्त करना, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर निविष्टियों तक बेहतर पहुंच सुलभ कराने के लिए विदेश व्यापार व्यवस्था का उदारीकरण, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाना एवं उनमें कमी करना, बेहतर बुनियादी सुविधाओं की सहायता एवं उदार एफडीआई अंतर्वाह, आदि। सरकार की नीति तेज और अधिक व्यापक विकास तथा रोजगार सृजन, विशेषकर श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र में, की ओर भी लक्षित है। जिन क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है, वे हैं,- खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, फुटवेयर और वस्त्र। पूर्वोत्तर तथा दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राजसहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मझौले उपक्रम अधिनियम, 2006 पारित किया गया है, ताकि इन उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके व विकसित किया जा सके, जोकि अधिक श्रम गहन हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इण्डो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7617/2007]

(2) (एक) प्रोसेस-कम-प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस-कम-प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7618/2007]

(3) (एक) इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7619/2007]

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7620/2007]

(5) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7621/2007]

(6) (एक) सेंटर फार द डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार द डेवलपमेंट आफ ग्लास इंडस्ट्री, फिरोजाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7622/2007]

(7) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7623/2007]

(8) (एक) इण्डो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7624/2007]

(9) (एक) फ्रेगरेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्रेगरेन्स एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7625/2007]

(10) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7626/2007]

(11) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7627/2007]

(12) (एक) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7628/2007]

(13) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7629/2007]

(14) (एक) इण्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7630/2007]

(15) (एक) इलेक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7631/2007]

(16) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7632/2007]

(17) (एक) इण्डो-डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डो-डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7633/2007]

(18) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7634/2007]

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7635/2007]

(20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार माइक्रो, स्माल एण्ड मिडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार माइक्रो, स्माल एण्ड मिडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7636/2007]

(21) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटरप्रन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटरप्रन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7637/2007]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1881(अ) जो 6 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केबल आपरेटरों द्वारा अपनी केबल सेवा पर पुन: प्रसारण के लिए भारत की संसद द्वारा अथवा भारत की संसद की ओर से प्रचालित तथा उसमें उल्लिखित चैनलों के नाम अधिसूचित किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-7638/2007]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-7639/2007]

(3) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 457(अ) जो 2 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 36 और नियम 44 को प्रतिस्थापित किया गया है और जिसका शुद्धिपत्र 21 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 561(अ) में प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7640/2007]

(5) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7641/2007]

(6) प्रेस काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7642/2007]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री माणिकराव गावित की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7643/2007]

(2) (एक) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7644/2007]

(3) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 के अधीन जारी 27 नवम्बर, 2007 का विशेष आदेश संख्या 5/3/07-एम एण्ड जी, जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है तथा जिसके द्वारा राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियम, 1987 की अनुसूची-दो के अतिरिक्त व्यय हेतु गोवा के राज्यपाल को प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7645/2007]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया सभा में शांति बनाए रखिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मरर संवर्ग (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2007 जो 8 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मरर संवर्ग (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2007 जो 8 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-7646/2007]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) यूटी मिशन अथारिटी, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) यूटी मिशन अथारिटी, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7647/2007]

(3) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) यूटी मिशन अथारिटी, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) यूटी मिशन अथारिटी, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7648/2007]

(5) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, राज्य मिशन, त्रिपुरा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, राज्य मिशन, त्रिपुरा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7649/2007]

(7) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान सोसायटी, पणजी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7650/2007]

(9) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7651/2007]

(11) (एक) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7652/2007]

(13) (एक) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7653/2007]

(15) (एक) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला समाख्या सोसाइटी, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7654/2007]

(17) (एक) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात महिला समाख्या सोसाइटी, अहमदाबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7655/2007]

(19) (एक) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7656/2007]

(21) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7657/2007]

(23) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एजुकेशन फार आल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7658/2007]

(25) (एक) डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एण्ड सर्व शिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एण्ड सर्व शिक्षा अभियान, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-7659/2007]

(27) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7660/2007]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17क के अधीन जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314(अ) जो 27 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी के माध्यम से खनन कार्य करने हेतु उड़ीसा राज्य में क्षेत्र के आरक्षण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-7661/2007]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं अपने सहयोगी, श्री अश्विनी कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7662/2007]

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अधीन गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2007 जो 24 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 677(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7663/2007]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7664/2007]

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11ख की उपधारा (3) के अधीन 10 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 857(अ) तथा उनमें किए गए अनुवर्ती संशोधनों को रद्द करने वाली प्रारूप अधिसूचना एफ. संख्या 7(7) 2006-आई.पी. की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-7665/2007]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार ईओयूज एण्ड एसईजेड यूनिट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार ईओयूज एण्ड एसईजेड यूनिट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7666/2007]

(2) (एक) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7667/2007]

(3) (एक) फुटवियर डिजायन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजायन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7668/2007]

(4) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7669/2007]

(5) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स प्रोमोशन एक्सपोर्ट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7670/2007]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7671/2007]

(ख) (एक) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7672/2007]

(ग) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7673/2007]

(घ) (एक) पी.ई.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पी.ई.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7674/2007]

(7) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 12 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1744(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-7675/2007]

(8) चाय बोर्ड के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7676/2007]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7677/2007]

(10) (एक) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएचईएमईएक्ससीआईएल), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7678/2007]

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7679/2007]

(12) (एक) केमिकल्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केमिकल्स एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीएपीईएक्सआईएल), कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7680/2007]

(13) (एक) इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजिनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7681/2007]

(14) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7682/2007]

(15) (एक) काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 (वर्ष 2006-2007 के लिए सामान्य निधि और वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 की 1.1.2006 से 31.3.2007 तक की अवधि के लिए पूल निधि) के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) काफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 कें कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7683/2007]

(16) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7684/2007]

(17) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7685/2007]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, पटना के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, पटना के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7686/2007]

(3) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सूरत के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सूरत के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7687/2007]

(5) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सूरत के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सूरत के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7688/2007]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7689/2007]

(9) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7690/2007]

(11) नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7691/2007]

(13) नार्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7692/2007]

(15) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7693/2007]

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, श्रीनगर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यट आफ टेक्नोलाजी, श्रीनगर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7694/2007]

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यट आफ टेक्नोलाजी, जमशेदपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यट आफ टेक्नोलाजी, जमशेदपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-7695/2007]

(21) (एक) सरदार बल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सूरत के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार बल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी, सूरत के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-7696/2007]

(22) (एक) बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7697/2007]

(23) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-7698/2007]

(25) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-7699/2007]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश
तथा
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 3 दिसंबर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 3 दिसंबर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 3 दिसंबर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय टायर कारपोरेशन लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 3 दिसंबर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंध के अनुसरण में, राज्य सभा द्वारा 3 दिसंबर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 3 दिसंबर, 2007 को यथापारित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 तथा सशस्त्र बल अधिकरण विधेयक, 2007 सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.04 बजे

अबुजा (नाइजीरिया) में हुए बावनवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सहभागिता संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं अबुजा (नाइजीरिया) में 1 सितम्बर से 10 सितम्बर, 2006 तक हुए बावनवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सहभागिता के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-7700/2007]

अपराह्न $12.04^{1}/_{4}$ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं "बीमा कम्पनियों द्वारा मोबाइल हैंडसेटों के बारे में विशेष आकस्मिक नीतियां" के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौबीसवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न $12.04^{1}/_{2}$ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

उनसठवां से पैंसठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 59वां प्रतिवेदन;

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 60वां प्रतिवेदन;

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 61वां प्रतिवेदन;

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 62वां प्रतिवेदन;

(5) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 63वां प्रतिवेदन;

(6) 'नई आयकर विवरणी फार्म शुरू किया जाना' के बारे में 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 63वां प्रतिवेदन;

(7) 'पूंजी बाजार में सुधार प्रक्रिया की प्रभावकारिता हाल ही का आईपीओ घोटाला' के बारे में 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

अपराह्न $12.04^{3}/_{4}$ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

इक्यावनवें से चौवनवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रमेश दूबे (मिर्जापुर): महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन में

अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति बनाए रखें। यहां यह सब क्या हो रहा है।

अपराह्न 12.05 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं 'रेल मंत्रालय की 2007-2008 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 35वें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05¼ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के इक्यावनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति की आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभाग (वित्त मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) से संबंधित 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का 51वां प्रतिवेदन 28 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में प्रतुत किया गया। यह अनुदानों की मांगों (2007-08) की जांच से संबंधित है। समिति ने प्रतिवेदन में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और तैंतीस (33) सिफारिशें कीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी थी। ये सिफारिशें मुख्यतया मुद्रास्फीति, कृषि ऋण, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकरण तथा कोर बैंकिंग साल्युशन, वाणिज्यिक बैंक द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण, फसल बीमा, बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा, सेबी निवेशक संरक्षण निधि, एफआरबीएम लक्ष्यों की उपलब्धि, विनिवेश नीति प्रलेख आदि जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरणियां 30 जुलाई, 2007 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थी। समिति द्वारा 51वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में निर्दिष्ट है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़कर सुनाने में सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी-7701/2007

अपराह्न 12.05½ बजे

(दो) इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): मैं इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो भारत सरकार का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है, के कार्यान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

भारत सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा का उल्लेख है जिसमें यह कहा गया है कि "सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।" ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित लोगों को 75 रुपए प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है।" यह खेद की बात है कि यह अपर्याप्त है। मैं पेंशन की राशि को बढ़ाकर 200 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे भी अपने संसाधनों से इतना ही अंशदान दें ताकि पेंशन प्राप्त करने वाले निराश्रितों को कम से कम 400 रुपए प्रति माह मिल सके। इस समय सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति लाभार्थी प्रति माह कम से कम 200 रुपए पेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति लाभार्थी, प्रति माह 200 रुपए या इससे अधिक दे रहे हैं।

इसके अलावा, सभी ग्रामीण और शहरी गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन देने तथा इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2007 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कहा था कि "हम 65 वर्ष से अधिक आयु और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन देंगे।"

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, ये इतना लंबा भाषण कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, उसी के अनुसरण में भारत सरकार ने 13.09.2007 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड में किए गए परिशोधन को अनुमोदित कर दिया। मौजूदा मानदंड के अनुसार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु अथवा इससे अधिक और निराश्रित व्यक्ति को पेंशन दी जाती है। इस मानदंड को परिशोधित कर दिया गया है और अब उन वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी "जो 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हों और निराश्रित हों।" इस मानदंड को परिशोधित कर दिया गया है और अब उन वृद्धि व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी "जो 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार से हों।"

यह निर्णय भी लिया गया था कि:

(क) इस योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना रखा जाए।

(ख) इस योजना को पूरी तैयारी के साथ 19.11.2007 को शुरू किया जाए।

(ग) राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि सभी पात्र व्यक्तियों को कवर किया जाए।

(घ) जहां भी व्यवहार्य हो पेंशन का भुगतान लाभार्थी के डाकघर खाते अथवा सार्वजनिक बैंक खाते में किया जाए।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथाशीघ्र संशोधित मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करें। उनसे यह अनुरोध भी किया गया था कि वे राज्य तथा जिला स्तर पर तथा यदि संभव हो तो ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर उपयुक्त तरीके से 19.11.2007 को आईजीएनओएपीएस की शुरूआत करें तथा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत में भी भाग लें।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

आईजीएनओएपीएस का राष्ट्रीय शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 19.11.2007 को जीएमसी बालयोगी सभागार, संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली में किया गया था। इसमें लगभग 800 लाभार्थियों तथा 24 राज्यों से राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया था तथा इस समारोह में प्रधानमंत्री के कर-कमलों से मंजूरी आदेश वितरित किए गए। शुभारम्भ समारोह में वित्त मंत्री ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक मांग आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है तथा इसमें बजट की कोई बाधा नहीं है।" नए मानदंडों से लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 87 लाख की लगभग दुगुनी होकर 1.6 करोड़ हो जाएगी। हमने अपने कमजोर वृद्ध नागरिकों में कुछ सुरक्षा की भावना पैदा करने की शुरूआत की है। सामाजिक सहायता के दायरे में विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों को भी शामिल करना उचित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को शामिल करने की जरूरत है। हमें आशा है कि हम भविष्य में ऐसा कर लेंगे।

आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लगभग 157.19 लाख लाभार्थियों को कवर करने में प्रति वर्ष 3772.56 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के लिए 435.07 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार एनएसएपी के लिए कुल 4207.63 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान है।

सभी माननीय सदस्यों से समर्थन और सहयोग की अपेक्षा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-7702/2007]

अपराह्न 12.10 बजे

(तीन) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालना में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थाई समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मुझे यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) की वर्ष 2007-08 की अनुदानों की मांगों की जांच की तथा दिनांक 26.04.2007 को लोक सभा में अपना सोलहवां प्रतिवेदन रखा। रिपोर्ट में 18 सिफारिशें की गई हैं। उन सिफारिशों का सारांश निम्न प्रकार है:-

(1) वर्ष 2006-07 की अनुदानों की मांगों के संबंध में ग्यारहवीं रिपोर्ट में आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई सिफारिशों का क्रियान्वयन।

(2) दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष के दौरान धन का समानुपातिक उपयोग।

(3) ग्यारहवीं योजना के लिए विभाग के मध्यम तथा दीर्घ कालिक कार्यक्रमों की औपचारिकताएं पूरा किया जाना।

(4) हरियाणा, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में 3 नए सीआईपीईटी केन्द्रों को समय पर पूरा किया जाना।

(5) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहरी विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय।

(6) भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से विषैले अपशिष्ट को हटाया जाना।

(7) बिना विलम्ब किए असम गैस क्रेकर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना।

(8) आईपीएफटी में निदेशक के पद को भरा जाना तथा वैज्ञानिकों को भर्ती किया जाना।

(9) नई योजनाओं (नए एनआईपीईआर की स्थापना किया जाना) को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना।

(10) रसायनों का उत्पादन करते समय आम जन की सुरक्षा।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-7703/07

(11) राष्ट्रीय भेषज नीति, 2006 को अन्तिम रूप दिया जाना।

(12) भेषजों का निर्यात।

(13) रसायन प्रोत्साहन तथा विकास योजनाओं (सीपीडीएल) के लिए आबंटित धनराशि का उचित उपयोग।

(14) सभी लघु उद्योगों में "ब्याज राजसहायता" योजना का प्रचार।

(15) वित्तीय सहयोग के अलावा सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता देना तथा उनके अधिकारियों की प्रभावशाली प्रबन्धन कौशल का विकास करना।

(16) आर्थिक नीति ने बार-बार परिवर्तन करने से बाज आना तथा एचओसीएल द्वारा रसायनी कास्टिक सोडा संयंत्र के लिए इनपुट का निरन्तर प्रबन्धन।

(17) आईडीपीएल के पुनरुद्धार के लिए बीआरपीएलएसई की सिफारिशों का क्रियान्वयन।

(18) समयबद्ध तरीके से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के प्रस्ताव का क्रियान्वयन तथा आईडीपीएल के पुनरुद्धार हेतु तत्काल कदम उठाना तथा बीआईएल का अधिग्रहण करना।

स्थाई समिति ने वर्ष 2006-07 के लिए अनुदानों की मांगों के संबंध में अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का आकलन किया। विभाग ने दीर्घकालिक कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य ईएफसी/एसएफसी कराए जा रहे हैं। सीआईपीईटी के तीन नए केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए मूलभूत मशीनरी लगाई गई है तथा परियोजना के मार्च 2009 तक पूरी हो जाने की संभावना है। तथापि, तीनों केन्द्र किराये के परिसर में कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत एक परियोजना के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी है जिसमें से मध्य प्रदेश सरकार ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र के आसपास के 14 इलाकों को कोलार जलाशय से पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भोपाल-नगरपालिका निगम को मध्य प्रदेश सरकार ने 14.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। रूपरेखा के क्रियान्वयन हेतु अब तक भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र स्थल से विषैले अपशिष्ट हटाने के लिए खोले गए खाते में भारत सरकार ने 1.00 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को यथानुपात मुआवजा दिया गया है।

लगभग 19000 अनुपस्थित दावाकर्ताओं के संबंध में कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 23.8.06 को ऐसे मामलों को बंद हुआ समझा जाने के लिए आवेदन दिया गया है। मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। असम गैस क्रैकर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ब्रह्मपुत्र क्रेकर तथा पालीमर लिमिटेड को पूंजी राजसहायता के रूप में भारत सरकार ने 31.10.07 को 30.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। आईपीएफटी में सात वैज्ञानिकों तथा एक हिन्दी अनुवादक को नियुक्त कर कर्मचारियों की कमी को दूर किया गया है। आईपीएफटी के निदेशक के लिए चयनित अभ्यर्थी ने संगठन में पदभार सम्भाल लिया है। केबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से अहमदाबाद (गुजरात), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), हाजीपुर (बिहार), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) तथा रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में एनआईपीईआर के छह केद्रों को अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय भेषज नीति 2006 को केबिनेट ने इसकी जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए मंत्रियों के समूह को भेज दिया गया है। केबिनेट ने 8 मार्च 2007 को हुई अपनी बैठक में पेट्रोलियम, रसायन तथा भेषज निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) को स्वीकृति दे दी है। रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग इस नीति के लिए नोडल विभाग है। इस क्षेत्र में 'इंडिया केम' के जरिए व्यापार प्रोत्साहन तथा निवेश का प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा 'रसायन प्रोत्साहन एवं विकास योजना' निधि का प्रयोग करते हुए ऐसी गतिविधियों में भागीदारी की जा रही है। औषधि तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की अनुसूची 'एम' के निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के लिए लघु उद्योग की इकाइयों को सहायक बनाने के लिए 'ब्याज राजसहायता' योजना पर योजना आयोग विचार कर रहा है। रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें सीपीएलयू को और अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान है। आईडीपीएल के पुनरुद्धार के लिए बीआरपीएलई द्वारा की गई सिफारिशों को केबिनेट के समक्ष रखा गया था जिसने प्रस्ताव मंत्रियों के समूह को भेज दिया है। मंत्रियों के समूह का गठन कर दिया गया है तथा मंत्रियों के समूह की प्रथम बैठक 11.10.2007 को हुई थी। बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड (बीआईएल) के पुनरुद्धार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित की गई समिति ने सिफारिश की है कि बीआईएल का सरकारी निजी भागीदारी के जरिए पुनरुद्धार किया जाए।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) बीआईएफआर से उबर आया है तथा हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल) ने भी लाभ दर्शाना शुरू कर दिया है। एचओसीएल के कास्टिक क्लोरीन संयंत्र को शुरू करने के लिए 20.00 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

अपराह्न 12.12 बजे

"भारत रत्न पुरस्कार" के बारे में दिनांक 15.05.2007 के अतारांकित प्रश्न सं. 5313 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों संबंधी विवरण

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री माणिकराव होडल्या गावित की ओर से "भारत रत्न पुरस्कारों" के संबंध में 15.5.2007 को दिए गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5313 के उत्तर में शुद्धि करने संबंधी निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं। चूंकि लोक सभा का बजट सत्र, 17.5.2007 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया तथा इसलिए इसे पहले नहीं किया जा सका।

प्रश्न के दिए गए उत्तर का भाग	के स्थान पर	पढ़िए
(ख)	"आज की तारीख तक भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए 40 व्यक्तियों के नामों की राज्य-वार सूची संलग्न है। संत सुकादोबो महाराज के संबंध में भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है।"	"आज की तारीख तक भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए 40 व्यक्तियों के नामों की सूची संलग्न है।"

असुविधा के लिए खेद है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एलटी-7704/2007]

अपराह्न 12.13 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(चार) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के एक सौ छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर यह वक्तव्य दे रहा हूं। देखिए दिनांक 1 सितम्बर, 2004 का लोक सभा बुलेटिन भाग-दो।

दिनांक 3 अप्रैल, 2007 को हुई अपनी बैठक में विभाग से संबंधित कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में वर्ष 2007-08 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार किया गया था और इस मंत्राल के वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य भी लिए गए। समिति ने अनुदानों की मांगों की जांच की और दिनांक 26 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में अपना 126वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति ने अपने 126वें प्रतिवेदन में कुल छत्तीस (36) सिफारिशें (पैराग्राफ सं. 8.7, 9.2, 10.4, 11.7, 11.8, 11.10, 11.11, 12.3, 13.7, 13.9, 14.5, 14.6, 14.8, 15.6, 15.7, 15.10, 15.11, 15.12, 16.5, 16.7, 17.3, 17.7, 17.8, 18.1, 19.3, 20.18, 20.19, 21.7, 21.8, 21.9, 23.6, 24.3, 24.4, 24.5 और 24.6) की जिनके संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी।

इस मंत्रालय ने प्रतिवेदन के पैरा 14.6 को छोड़कर सभी सिफारिशों को पूर्णतया अथवा मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है। कुछ सिफारिशों के संबंध में मंत्रालय, विभिन्न एजेंसियों से परामर्श कर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। यह उल्लेख किया जाता है कि अनेक सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सतत प्रकार की है अब तदनुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है/की जा रही है।

गृह मंत्रालय ने 126वें प्रतिवेदन के पैरा 14.6, जो सभा नक्सल प्रभावित राज्यों में एक समान कमान के गठन से संबंधित है, में निहित सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। यह देखा गया है कि संविधान की योजना के मद्देनजर सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए एक समान एकीकृत कमान तंत्र व्यवहार्य नहीं है। तथापि, अन्तर-राज्य समन्वय की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, सिफारिश, जैसा कि उल्लेख किया गया है, स्वीकार नहीं की जाती है।

समिति के 126वें प्रतिवेदन के विभिन्न पैराग्राफों में निहित सिफारिशों के संदर्भ में की गई कार्रवाई/की जा रही कार्रवाई को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एलटी-7705/2007]

अपराह्न 12.14 बजे

परा-चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा केन्द्रीय परिषद विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पराचिकित्सा (आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), परा चिकित्सा (विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रौद्योगिकी) और भौतिक चिकित्सा की केन्द्रीय परिषदों के गठन, परा चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा की शिक्षा में समवित विकास के लिए, ऐसी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और अनुरक्षण करने की दृष्टि से परा चिकित्सकों और भौतिक चिकित्सकों का रजिस्टर रखने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पराचिकित्सा (आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी), परा चिकित्सा (विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रौद्योगिकी) और भौतिक चिकित्सा की केन्द्रीय परिषदों के गठन, परा चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा की शिक्षा में समवित विकास के लिए, ऐसी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने और अनुरक्षण करने की दृष्टि से परा चिकित्सकों और भौतिक चिकित्सकों का रजिस्टर रखने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

1 दिसम्बर, 2007 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किये गये कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य की मुख्य मदों के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.12.2007 में प्रकाशित।

प्रश्नकाल के दौरान ग्रहीत 100 तारांकित प्रश्नों में से 29 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए थे। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर, 1033 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए थे।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वीजा और पासपोर्ट जारी नहीं किए जाने के बारे में आधे घण्टे की चर्चा को भी चर्चा हेतु लिया गया।

श्री रूपचंद पाल द्वारा "भारत-अमरीका परमाणु समझौते" के संबंध में नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा उठाई गई और विदेश मंत्री के उत्तर देने से पूर्व उस पर 6 घण्टे और 34 मिनट से अधिक समय तक चर्चा की गई थी।

जहां तक वित्तीय कार्य का संबंध है तो सभा ने वर्ष 2007-08 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) और वर्ष 2005-06 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर संयुक्त चर्चा एवं मतदान हेतु लगभग 4 घण्टे का समय लगा और संबंधित विनियोग विधेयकों को पारित करने से पूर्व वर्ष 2007-08 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में चर्चा एवं मतदान पर 5 घण्टे तथा 22 मिनट का समय लिया गया। श्री लालू प्रसाद द्वारा रेलवे अभिसमय समिति (2004) के छठे प्रतिवेदन में पेश की गई सिफारिशों के अनुमोदन के संबंध में एक सरकारी संकल्प भी स्वीकृत किया गया था।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है तो सभा द्वारा कर्नाटक राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को स्वीकार किए जाने पूर्व उसके अनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प पर 3 घण्टे, 45 मिनट तक चर्चा की गई थी। सभा में संदाय और निपटान प्रणाली विधेयक, 2007 को पारित किए जाने से पूर्व इस विधेयक पर 1 घण्टे 08 मिनट तक की चर्चा की गई थी। सभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय विधेयक, 2007 के साथ-साथ श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय अध्यादेश, 2007 के निरानुमोदन से संबंधित सांविधिक संकल्प पर भी लगभग 2 घण्टे 50 मिनट तक चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रो. रासा सिंह रावत द्वारा बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के निरनुमोदन की मांग करने वाले सांविधिक संकल्प के साथ बोनस संदाय विधेयक, 2007 पर संयुक्त चर्चा भी हुई थी। तत्पश्चात सांविधिक संकल्प वापस ले लिया गया था और विधेयक पारित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त इंडियन बायलर (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, इसे पारित किए जाने से पूर्व एक घण्टा 19 मिनट तक चर्चा की गई थी। सशस्त्र सीमा बल विधेयक, 2007 को पारित किए जाने से पूर्व इस विधेयक पर भी 3 घण्टे 9 मिनट तक चर्चा की गई थी।

[अध्यक्ष महोदय]

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य का संबंध है, तो इस बारे में 13 विधेयक पुरःस्थापित किए गए थे। सभा में गैर-सरकारी सदस्य के दो विधेयकों पर चर्चा शुरू हुई। (एक) दिनांक 24.08.2007 को श्री मोहन सिंह द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 पेश किया गया। इस विधेयक को वापस लिए जाने से पूर्व इस पर एक घण्टा और 6 मिनट तक चर्चा की गई; और (दो) श्री मोहन सिंह द्वारा ही अंतर्राज्यीय नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005 पेश किया गया था तथा इस विधेयक को वापस लिए जाने से पूर्व इस विधेयक पर 48 मिनट तक चर्चा की गई थी। श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने चुनाव सुधार आयोग विधेयक, 2006 पेश किया और इस विधेयक पर लगभग 20 मिनट तक चर्चा की गई थी लेकिन चर्चा से किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सका।

सप्ताह के दौरान सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के 79 मामले उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त नियम 377 के अधीन 76 मामले उठाए गए थे।

इस अवधि के दौरान तीन ध्यानाकर्षण मामले भी उठाए गए थे। पहला मामला योगी आदित्यनाथ द्वारा देश में एन्सीफिलाइटिस के फैलने और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों से संबंधित था। दूसरा मामला बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 से संबंधित था तथा इसे श्री बसुदेव आचार्य ने उठाया था एवं तीसरा मामला भूजल स्तर में गिरावट से उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी से संबंधित था एवं इस मामले को श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा उठाया गया था। ध्यानाकर्षण मामलों के प्रत्युत्तर में संबंधित मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिए गए थे और स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया गया था।

सभा में मंत्रियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में 26 वक्तव्य भी दिए गए थे।

पिछले सप्ताह के दौरान विभागों से संबद्ध स्थायी समिति ने 7 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

पिछले सप्ताह व्यवधानों और स्थगनों के कारण एक घण्टा और 43 मिनट का समय बर्बाद हुआ और वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों को पूरा करने तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए सभा ने 9 घण्टे तथा 12 मिनट तक अतिरिक्त कार्य किया।

मैं सभा की कार्यवाही चलाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से प्राप्त सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत ही संतोषजनक है, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी सभा इस बात से सहमत होगी कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यह सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है, जिसका मैं तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, मैं देश के उन आर्थिक पिछड़े लोगों का सवाल उठाना चाहता हूं, जो देश की मुख्य धारा से अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी माननीय राम विलास पासवान जी यहां बैठे हुए थे, उन्होंने भी कई जन-सभाओं में इस सवाल को उठाया है। माननीय लालू प्रसाद जी ने भी कई जन-सभाओं में और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने भी लखनऊ की एक जन सभा में इस सवाल को उठाया है।

अध्यक्ष महोदय, देश के तथाकथित जो सवर्ण जाति के लोग कहे जाते हैं, वे पहले जमीन-जायदाद से भरपूर होते थे। आज जमीन-जायदाद बेचकर करके बच्चे दिल्ली और गुजरात में 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति माह की प्राइवेट नौकरी करने पर मजबूर हो रहे हैं और वे लोग मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। इसलिए हम पूरे सदन से और दासमुंशी जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि सवर्ण जाति के जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उन्हें नौकरियों में, पदोन्नतियों में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन हेतु दस प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए। हम चाहते हैं कि सरकार को जिम्मेदारीपूर्वक और गम्भीरता में नामांकन हेतु दस प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए। ये लोग कल तक बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, समाज की मुख्य धारा में थे और उसे जोड़ने में कड़ी का काम करते थे। आज आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के कारण ये लोग मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं। अगर इसके लिए केन्द्र सरकार को संविधान में संशोधन भी करना आवश्यक हो, तो वह करे और उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु दस प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज मैं आप सबको मौका दूंगा बशर्ते मुझे समय मिलना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर कोई माननीय सदस्य 'अध्यक्ष महोदय मुझे भी मौका दें', कहेगा तो उसे अवसर नहीं दिया जाएगा। मेरे पास सूची है और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक सदस्यों को मौका दूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में नेशनल हाइवे है और वह फोर लेन का बना हुआ है। उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि अभी से ही जगह-जगह टूटनी शुरू हो गई है।

दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद शहर से करीब 40 किलोमीटर पहले डाइवर्शन हुआ है, गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण हो रहा है। उसके बनने की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वर्ष में करीब हजार लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत का शिकार हुए हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री जी से आग्रह कहना चाहूंगा कि वहां पर जो कार्य गुणवत्ता के आधार हो रहा है, उसे ठीक किया जाए और निर्माण कार्य तेजी से कराया जाए। इसके साथ ही गंगा नदी पर जो नया पुल बनने जा रहा है, यह जी.टी. रोड है, जो वाराणसी को जोड़ेगा, उसका निर्माण कार्य भी तत्काल कराया जाए, ताकि दुर्घटनाओं से निजात पाई जा सके। इलाहाबाद शहर का कोखराज से जो डाइवर्शन हो रहा है, उसका भी नेशनल हाइवे के तहत कार्य कराया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एम. शिवन्ना आप भी राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मामला उठाना चाहते हैं। अब आप बोल सकते हैं।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 और 212 की खराब हालत से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-209 और 212 मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरते हैं।

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-209 सत्यमंगला-कोयम्बटूर-चामराजनगर-कोलीगल-बंगलौर को जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-212 गुंडलूपेठ-नंजनगुड-मैसूर-टी-नसीरपुर को जोड़ता है। इन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है और रास्ते में गड्ढे के कारण इन मार्गों पर यात्रा करना भी ठीक नहीं है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। टी-नीसरपुर के समीप एक पुल सौ वर्षों से भी अधिक पुराना है और इसकी हालत बहुत ही खराब है। यह पुल कभी भी गिर सकता है। मैं माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिला था और मैंने उनसे इन सड़कों की हालत सुधारने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सड़कों की खराब हालत के कारण होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए इन सड़कों की स्थिति में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाये।

अध्यक्ष महोदय: आपको केवल मुद्दे का उल्लेख करना चाहिए। आप यहां पर भाषण नहीं दे सकते। जब तक सड़कों की मरम्मत नहीं हो जाती, क्या आप तब तक बोलना जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले भी कहा है कि जो माननीय सदस्य कहेंगे कि मुझे मौका दिया जाए, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। इस सूची में जिनका नाम है, उन्हें अवसर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर भी राजमार्गों से संबंधित मुद्दा उठाना चाहते हैं। वे यहां नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जजों की अत्यधिक कमी है। दुनिया के देशों में जजों का जो अनुपात है उसकी तुलना में हमारे देश में जज बहुत कम हैं। हमारे देश में 10 लाख की आबादी पर 13 जज हैं, जबकि अमरीका में 10 लाख की आबादी पर 107, कनाडा में 10 लाख की आबादी पर 75, ब्रिटेन में 10 लाख की आबादी पर 57 न्यायाधीश हैं।

अध्यक्ष जी, 31 दिसम्बर, 2005 तक हमारे देश में 72 लाख से ज्यादा दीवानी के मामले लम्बित थे। एक लम्बा अर्सा हो जाता है, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश के दीवानी न्यायालय में जो वाद लम्बित हैं उनकी संख्या 12 लाख से ज्यादा है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री रामजीलाल सुमन]

करूंगा कि जजों की संख्या हमारे देश में ज्यादा हो और जो सस्ता और सुलभ न्याय देने की बात की जाती है वह धरातल पर दिखाई दे। हमारा सरकार से विनम्र आग्रह है कि सरकार न्याय-व्यवस्था को दुरुस्त करे, जिससे आम आदमी को न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुकदमेबाजी पर होने वाले खर्चे का क्या होगा? क्या आप उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष जी, दवाइयों के बढ़ते हुए दामों के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठा रहा हूं। जीवन-रक्षक दवाएं बनाने वाले जो आईडीपीएल, एचएएल आदि उपक्रम थे, विदेशी दवा कंपनियों के दबाव में आकर आज उनके कारोबार पर भयंकर असर पड़ा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री गणेश सिंह, आपने नकली दवाइयों के बारे में नोटिस दिया है। कृपया आप अपनी बात तक ही सीमित रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंहः इनका असर दवाइयों की कीमत पर भयंकर पड़ा है। दवा कंपनियां 1998 तक सरकार के नियंत्रण में थी, तब दवाइयों के मूल्य नियंत्रण में थे। आज उन्हीं दवाइयों के दाम 500 प्रतिशत से अधिक बढ़ गये हैं। एक ही तरह की दवा के अलग-अलग दाम हैं। डीपीसीओ ने जो दरें निर्धारित की थीं उनका खुला उल्लंघन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदयः आपका नोटिस नकली दवाइयों के बारे में है।

श्री गणेश सिंहः वही कह रहा हूं सर। एक्साइज ड्यूटी वर्ष 2005 तक 8 प्रतिशत थी, जो एक्साइज ड्यूटी अब बढ़कर 16 प्रतिशत तक हो गई है। जिससे दवाओं के दाम 78 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। देश में नकली दवाओं का कारोबार भी भयंकर रूप से चल रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 40 तथा एसोचेम के अनुसार 30 नकली दवाएं बाजार में बिक रही हैं। नकली दवाओं के विरुद्ध कठोर कानून तथा देश में सभी दवा बनाने वाली कंपनियों को एक कानून बनाकर नियंत्रण में लेने की आवश्यकता है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उक्त गंभीर समस्या से निपटने के लिए तत्काल कारगर उपाय करें।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल राज्य को, केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न में भारी कटौती की गयी है। अकेले गेहूं में जहां पहले 18 हजार मीट्रिक टन का आवंटन था, अब यह घटकर 7 हजार मीट्रिक टन हो गया। यही स्थिति चावल, चीनी और मिट्टी के तेल की भी हो गयी है। महंगाई होने से गरीब परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कंट्रोल की दुकानों पर निर्भर होते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो राशन 35 किलो मिलना था वह आधा ही मिल रहा है। इससे जनता में बहुत रोष है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि इस ओर ध्यान देकर, आम आदमी को राहत पहुंचाएं।

[अनुवाद]

श्री नकुल दास राई (सिक्किम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत सिक्किम विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिक्किम विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं है। सिक्किम में अनुसूचित जनजाति आदेश 1978 और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत भूटिया और लेप्चाओं को आरक्षण दिया जाता है।

2002 के अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम में सिक्किम से अनुसूचित जनजातियों की सूची में लिम्बू और तमांग को शामिल किया गया है। परन्तु सिक्किम विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। इसलिए, सिक्किम सरकार केन्द्र सरकार के साथ सिक्किम विधान सभा की मौजूदा 32 सीटों को बढ़ाकर 40 करते हुए लिम्बुओं और तमांगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में पहले ही पत्राचार कर चुकी है। राज्य में जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने का केवल यही रास्ता है और इसी से लोगों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से राज्य विधान सभा में भूटियाओं और लेप्चाओं के लिए पहले से ही आरक्षित सीटें से छेड़छाड़

किए बिना लिम्बुओं एवं लेप्चाओं को उनकी जनसंख्या के अंतर्गत सीटों को आरक्षित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदयः मैं जो कर रहा हूं यह एक अपवाद है। पहले, मैंने इस समय केवल पांच मामले लेने का निर्णय लिया था। लेकिन आज, जितने मामले लिए जा सकते हैं उतने मामलों को ही लिया जाएगा।

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में खुले मुहाने में खनन से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त मुआवजे के बारे में बोलना चाहता हूं।

एससीसीएल एक सरकारी उपक्रम है और इसने आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के थिरयानी मंडल के वुल्लीपिट्टा और दोरली गांवों में खुले मुहाने में कोयले का खनन शुरू किया था। उक्त प्रयोजनार्थ लगभग 10 गांवों को खाली कराया जाना था और उक्त प्रयोजनार्थ लगभग 4000 एकड़ कृषि भूमि तथा लगभग 2000 एकड़ वन भूमि की पहचान की गई थी। स्थानीय प्राधिकारियों ने इन गांवों में कोई जन सुनवाई भी नहीं की थी। इस परियोजना के कारण लगभग 25000 लोगों को अपनी आजिविका से हाथ धोना पड़ा था।

मैं कोयला मंत्रालय से इन लोगों को भूमि के बदले भूमि और प्रति एकड़ भूमि के लिए 1.5 लाख रुपए देने तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का कार्य शुरू होने तक खनन कार्य को रोकने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में विकलांग कर्मचारियों की संख्या की बड़ी तादाद है। तीस लाख कर्मचारियों की समस्या की ओर सरकार अनदेखी कर रही है। जो कर्मचारी नौकरी करते हैं, उन्हें पदोन्नति के लिए केवल तीन परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है, उसे दस परसेंट किया जाए। जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी रिटायरमेंट उम्र साठ साल है, इसे पैंसठ साल किया जाए। जब कर्मचारी नौकरी के बाद रिटायर होते हैं तो मेडिकल एलाउंस नहीं मिलता है, इन्हें मेडिकल एलाउंस 2000 रुपए प्रति माह दिया जाए। मैं आपके माध्यम से विकलांगों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): आज देश को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि के गंभीर मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन केरल जैसे खाद्यान्नों की कमी वाले राज्यों में समस्या और गंभीर है क्योंकि खाद्यान्नों के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि वैगनों की अनुपलब्धता के कारण केरल जैसे राज्यों में अन्य राज्यों से खाद्यान्नों की आवक नहीं हो पा रही है। आज रेल मंत्रालय अधिकतर सीमेन्ट और ऐसी अन्य चीजों के संचलन के लिए ही वैगन प्रदान कर रहा है। रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण हमारे राज्य में चावल जैसे खाद्यान्नों की आवक नहीं हो पा रही है।

अत:, महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार और रेल मंत्रालय से अन्य राज्यों से केरल में चावल भेजने के लिए पर्याप्त वैगन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। मैं रेल मंत्रालय से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने और केरल में चावल की आवक हेतु पर्याप्त वैगन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः डा. अरूण कुमार शर्मा—उपस्थित नहीं।

श्री मोहन रावले।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी मेडिकल कोर्स पहले से ही लैंथी है और अब आप एक वर्ष इन्टरनशिप बढ़ाने जा रहे हैं। इसके विरोध में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार सारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वे लोग इन्टरनशिप बढ़ाने के लिए ना नहीं कर रहे हैं, इसका कारण यह बताया जाता है कि डाक्टरी पास करने के बाद लोग रूरल एरिया में प्रेक्टिस करने नहीं जाते हैं लेकिन वे इसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक वर्ष बढ़ाना स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पर अन्याय है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता कि मंत्री जी इस संबंध में जो बिल ला रहे हैं उसका इम्पलीमेंटेशन न करें। इसके लिए एमपीएससी और यूपीएससी से ही एक बार एग्जाम होने के कारण उनको चांस नहीं मिल पाता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं। यदि साढ़े छः साल का कोर्स हो गया तो वह सोचेगा कि इसे करूं या नहीं इसलिए सरकार इस बिल को न लाए। अगर सरकार ने उसे लाने का निर्णय किया है तो उसे रद्द कर दे।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार (कालीकट): महोदय, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने चार प्रतिशत वार्षिक की दर पर किसानों को कृषि ऋण देने की सिफारिश की है। नाबार्ड एकमात्र एजेंसी है जो राज्य कृषि

[श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार]

क्षेत्र को वित्तीय सहायता देती है और पुनर्वित्त पोषित करती है। अब नाबार्ड कृषि क्षेत्र को जारी ऋण के केवल 35 प्रतिशत का ही पुनर्वित्तपोषण कर रहा है। राज्य में जिला सहकारी बैंक उच्च ब्याज दर पर जुटाए गए अपने संसाधनों से शेष 65 प्रतिशत राशि को पूरा कर रहे हैं और उस राशि को न्यूनतम ब्याज दर पर आगे दे रहे हैं जिससे ऋणयोग्य राशि पर रोक लग जाती है। इस प्रकार वित्तपोषण का यह तरीका वांछनीय नहीं है और यह कृषि विकास के लिए सहायक नहीं रहा है। नाबार्ड, राज्य सहकारी बैंक की पात्रता के आधार पर पुनर्वित्तपोषण करता है। ऐसा करते समय, नाबार्ड को जिला सहकारी बैंक की पात्रता पर भी विचार करना चाहिए। नाबार्ड से, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसी) के स्तर पर जारी अल्पकालिक कृषि ऋण की 70 प्रतिशत तक की राशि का पुनर्वित्तपोषण करने का अनुरोध किया गया है। नाबार्ड केवल अल्पकालिक ऋण प्रदान कर रहा है। कृषि प्रसंस्करण एककों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण भी आवश्यक है।

इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध है कि वह नाबार्ड को, कृषि क्षेत्र को दिए गए कृषि ऋणों का पूरा भाग या कम से कम 70 प्रतिशत भाग का पुनर्वित्तपोषण करने तथा मध्यम और दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान करने का निदेश दें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की कई प्रोजैक्ट्स में प्रशंसा की गई है—चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या परिवार नियोजन का क्षेत्र हो। मंत्री महोदय ने राज्य सरकार की बहुत अच्छे ढंग से प्रशंसा की है। राज्य के 11वें वित्त आयोग ने राज्यों के हेतु राज्यों को राजकोष सुधार हेतु (एफ.आर.एफ.) की सिफारिश की थी जिसके अंतर्गत राजकोषीय सुधार सुविधा कोष की अविस्तृत राशि को उपयुक्त सुधार करने वाले राज्यों में सुधार किया जाना तय किया गया था। राज्य को इस सिद्धांत के अनुसार मिलने वाली राशि नहीं दी गई है। अन्य राज्यों को इस सिद्धांत के अनुसार राशि दी गई है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राज्य को इस सिद्धांत के अनुसार मिलने वाली राशि दी जाए जिससे राजस्थान राज्य और अधिक विकास करे। केन्द्र सरकार निश्चित रूप से आपके कहने के अनुसार, इस संबंध में विचार करके, राज्य सरकार को और अधिक सहायता देगी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और अन्य राज्यों को भी।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं अपने राज्य की बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: सभी स्टेट्स को सहायता देनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं जिस राज्य से चुनकर आया हूं, वहीं की बात करूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा (बोब्बिली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तेलुगू को अधिकारिक रूप से एक प्राचीन भाषा मानने में हुई देरी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहती हूं। वास्तव में, इस देरी से लगभग दस करोड़ तेलुगू भाषी लोगों को काफी ईर्ष्या हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, तेलुगू, हिन्दी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तेलुगू की पुरातन और प्राचीन प्रवृत्ति होने के बावजूद इसे अधिकारिक तौर पर प्राचीन भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इस संबंध में मैं केन्द्रीय गृह मंत्रालय का ध्यान 24 नवम्बर, 2005 को जारी की गई अधिसूचना की ओर दिलाना चाहती हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि प्राचीन भाषा का दर्जा दिए जाने की पात्रता हेतु किसी भाषा का 1000 वर्षों से अधिक के इतिहास का रिकार्ड होना चाहिए। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, तेलुगू भाषा 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। उदाहरण के लिए एतराया ब्राह्मण और वास्य महाभारत यह सिद्ध करने के पक्के सबूत हैं कि तेलुगू एक प्राचीन भाषा है। अधिकारिक अधिसूचना में दिए गए मानदंड के अनुसार भी तेलुगू को काफी पहले प्राचीन भाषा का दर्जा दे दिया जाना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले को सुलझाने में कोई उत्साहहीन दृष्टिकोण का अर्थ तेलुगू लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करना होगा। यहां तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को आवश्यक जानकारी भेज दी है।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि वे तेलुगू लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए तेलुगू को प्राचीन भाषा का दर्जा देने में तत्परता दिखाएं।

अध्यक्ष महोदय: तेलुगू काफी समृद्ध भाषा है। फिर कोई कठिनाई क्या है?

अपराह्न 12.49 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

टरमैक पर दुर्घटनाएं रोकने हेतु विमानपत्तनों पर एयरोब्रिजेज की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, टरमैक पर दुर्घटनाएं बढ़ रही है। हाल ही में, बिहार के उप-मुख्यमंत्री दिल्ली विमानपत्तन पर उस समय गंभीर रूप से जख्मी हो गए जब उनको टर्मिनल से विमान तक ले जा रही एक वैन के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। मैं जानता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के भीतर वाहन की आवाजाही के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फिर भी, कोई सुधार नहीं हुआ है।

पिछले अगस्त में, एक दुर्घटना हुई और काफी रहस्यमय तरीके से श्रीमती संस्कृति सिन्हा, एक 26 वर्षीय इंजीनियर, जो डक्कन एयरलाइंस में कार्यरत थी, टैक्सी के रास्ते में मृत पाई गई। अभी भी जांच चल रही है।

पैदल आवागमन पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। अभी भी नियमित रूप से दुर्घटनाएं हो रही हैं। वाहन खतरनाक ढंग से चलाए जा रहे हैं और लगभग 800 वाहन दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर चल रहे हैं। अत: लाउंज से विमान तक ले जा रहे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विमानपत्तन के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एयरोब्रिज का काम अभी भी लंबित है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? दिल्ली एयरपोर्ट में कम से कम सभी घरेलू यात्रियों को उसी प्रकार एयरोब्रिज उपलब्ध कराया जाए जिस प्रकार कोलकाता और चेन्नई विमानपत्तन पर उपलब्ध कराया जाता है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं इस मामले को नागर विमानन मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के शिक्षित बेरोजगारों को महंगाई भत्ता एवं उद्योग-धंधे आदि के लिए ऋण आदि के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक है, दस से पन्द्रह लाख के बीच में है। इसमें युवक और युवतियां भी हैं। शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने के कारण से नौकरी की समय-सीमा समाप्त हो गई है। वे लोग दर-दर भटक रहे हैं। कई लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं, कोई जुआ खेल रहा है तो कोई अफीम या शराब की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोग काम न मिलने की वजह से बेरोजगारी भत्ता या रोजगारी की तलाश में झगड़ों में फंस रहे हैं। कई लोग तो आतंकवाद और नक्सलवाद की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में केंद्र सरकार को विचार करने की आवश्यकता है जब उद्योगपति के उद्योग रुग्ण होने से हजारों करोड़ रुपए के घाटे की पूर्ति की जाती है। अगर विदेश में इस तरह की विषम परिस्थिति होती है तो विदेशों में लाखों करोड़ों रुपए की सहायता दी जाती है। लेकिन शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने के लिए सरकार विशेष योजना बनाए तथा शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह 2500 रुपए महंगाई भत्ता दे जिससे आतंकवाद, नक्सलवाद एवं नशे की ओर बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सके। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि इस पर विचार करे।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं सभा में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभी मामले महत्वपूर्ण हैं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: अनुमानत: देश के 32 पासपोर्ट कार्यालयों में वर्षभर में नए पासपोर्ट के लिए 50 लाख से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। इस समय व्यापक पुलिस जांच के बाद पासपोर्ट तैयार किए जाते हैं और उनका वितरण किया जाता है।

अब, विदेश मंत्रालय ने इस क्षेत्र का निजीकरण करने का निर्णय लिया है और सुविधा केन्द्र खोलने के लिए निजी उद्यमियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निजी पार्टियों को एक बार ये सेवाएं सौंप देने के बाद फीस में वृद्धि होने की संभावना है और इसके साथ-साथ इस सेवा हेतु डाकघरों जैसे वर्तमान बिक्री केन्द्र भी उपलब्ध नहीं रहेंगे।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है। देश आंतरिक और बाहरी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार बना हुआ है। इन महत्वपूर्ण सेवाओं को निजी पार्टियों को सौंपना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

सरकार को इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति देने के बजाय, पासपोर्ट बनाने व इसके वितरण कार्य को त्वरित गति प्रदान करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों में और अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने हेतु कदम उठाने चाहिए। अतएव, मैं सरकार से निजीकरण के निर्णय से परहेज करने का अनुरोध करता हूं।

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान बांस के फूलों की वजह से मणिपुर राज्य में विद्यमान स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

तमांगलौंग, सुरचानपुर और चंदेल जिलों में बांस की खेती की जाती है। इन जिलों में वर्ष 2005 से आज तक बांस पर बड़ी संख्या में फूल आ रहे हैं। इस खेती की वजह से चूहों की संख्या कई गुना बढ़ गयी है। इन चूहों ने पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्नों विशेषकर धान की फसल को नष्ट कर दिया है। इसकी वजह से, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले इन जनजातीय लोगों को भुखमरी और अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यहां अधिकांश परिवार, लगभग 95 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हैं। वे काफी निर्धन हैं। उनकी क्रय क्षमता भी काफी कम है। इसलिए मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह इन यथा चुरचांदपुर जिले के कांगलौन, तिपाइमुख, पारबंग और हेंगलब अनुमण्डली तथा तमांगलौंग जिले के तौशम, तमई और नाइओगबा अनुमण्डलों में आवश्यक वस्तुएं विशेषकर चावल शीघ्र भिजवाए। महोदय, ये लोग जंगली फलों और जंगलों से प्राप्त सब्जियां खाकर गुजारा कर रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वहां कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने तथा इस समस्या के स्थायी समाधान ढूंढने के लिए केन्द्र से एक टीम भेजें।

महोदय, आपको यह भी याद होगा कि मिजोरम में बांस की खेती की वजह से ही विद्रोह की शुरूआत हुई थी। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी समस्याएं पैदा हुई हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस कठिन स्थिति में इनके लिए कुछ करे।

अध्यक्ष महोदय: मैं आश्वस्त हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सामान्य तौर पर मुझे इस समय मामले उठाने हेतु मौका नहीं मिलता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने और अध्यक्षपीठ दोनों के प्रति अन्याय कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: भोजनावकाश के दौरान, मैं अपनी जगह पर नहीं रहूंगा। मैं वहां बैठा रहूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इससे आपकी लोकप्रियता और न्यायप्रियता परिलक्षित होती है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो देश में सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के बारे में है। पेरेण्ट (माता-पिता) एसोसिएशनों की आम शिकायत यह है कि इन स्कूलों में लिया जा रहा शुल्क काफी अधिक है। मध्यम और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी इन शुल्कों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। सैनिक स्कूलों में दाखिला पाने के बावजूद उनके लिए शुल्कों की वजह से इन स्कूलों में पढ़ाई जारी रख पाना काफी कठिन है।

इसलिए सरकार को उन अभिभावकों की दुर्दशा पर विचार करना चाहिए जो अपनी संतानों को सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। सरकार कोई निजी एजेन्सी नहीं है। एक निजी, स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थान अधिक शुल्क लेता है तो यह बात समझ में आती है। परन्तु मैं रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे इन गरीब विद्यार्थियों से इतना अधिक शुल्क लेने के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ हूं। ...*(व्यवधान)*

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल है। अभिभावकों ने सीधे मुझसे मिलकर वहां की विद्यमान स्थिति का ब्यौरा दिया है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से उनकी दुर्दशा पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि संबंधित शुल्क घटाया जाए ताकि इन विद्यार्थियों के निर्धन अभिभावक शुल्कों का भुगतान करने में समर्थ हो सकें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस, आप भाषण नहीं दे सकते। श्री राधाकृष्णन ने अभी-अभी जो कहा उससे अपने को संबद्ध करने की अनुमति आपको दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

डा. के. धनराजू (टिंडिवनाम): महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

नमक कामगारों के जीवन पर एक प्रश्न चिह्न लग गया है।

महोदय, मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नमक कामगारों की कार्य स्थितियों को जाना-समझा है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है और भारत का स्थान भी नमक

उत्पादन में विश्व में तीसरा है। नमक कामगारों की कार्य स्थितियों के मद्देनजर, मैं यह मामला भारत सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं। सरकार ने अनेक कल्याण योजनाएं घोषित की हैं। सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नमक मजदूर आवास योजना हेतु 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। परन्तु इन सभी योजनाओं को पूर्णतः लागू नहीं किया गया है।

इसलिए मैं इन सभी योजनाओं और नमक मजदूर आवास योजना को भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आज पहले ही 20 अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने की अनुमति दे चुका हूं।

श्री बसुदेव आचार्य और श्री बेल्लारमिन, आपके मामले इसी सप्ताह उठाए गए थे। इसलिए मैं इसकी अनुमति पुनः नहीं दे रहा हूं। श्रीमती करूणा शुक्ला, आपने भी इसी सप्ताह मामला उठाया था। इसलिए मैं आपको भी मामला उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अन्य मामले चर्चा हेतु दिन के अंत में लिए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैं आपको सिर्फ यह सूचित कर रहा हूं कि इसे प्रत्येक दिन नहीं उठाया जा सकता है।

अपराह्न 12.51 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक की छठी अनुसूची और संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007

(अनुच्छेद 244 और 332 का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय: सभा अब मद सं. 24 और 25 पर चर्चा करेगी। ठीक है, माननीय मंत्री महोदय।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस पर अभी चर्चा कैसे हो सकती है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी भी समय मेरी अनुमति के बिना खड़े हो सकते हैं? नहीं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने अभी आपके उचित व्यवहार की सराहना की थी।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृ-- न: महोदय, सामान्य कार्य के लिए यह बिलकुल सही है। परन्तु एक संविधान (संशोधन) विधेयक के लिए सभा में कम से कम कुछ सदस्य तो अवश्य उपस्थित होने चाहिएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपको उसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय इसकी चिन्ता करेंगे। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैंने अनुरोध किया था कि सभा में इन दोनों विधेयकों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इन्हें पारित किया जाना चाहिए। परन्तु कुछ माननीय सदस्यों तथा राजनीतिक दलों का सुझाव है कि इन विधेयकों को स्थायी समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। वस्तुतः विधेयक पारित करने की जल्दी इसलिए है क्योंकि आशंका है कि विलंब के कारण संवेदनशील क्षेत्र में स्थिति बिगड़ सकती है। इसी कारण हमने इन बिलों को लाने का सुझाव दिया था। यह अच्छा होगा यदि सभी सदस्य एक दूसरे के विचारों से सहमत होकर इस प्रकार के विधेयकों को मिलकर पारित करें। यही कारण है कि यदि इन विधेयकों को स्थायी समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है, इसलिए इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। इस कारण विधेयकों पर विचार बाद में किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? महोदय, पूरी विनम्रता के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक की संवेदनशील प्रकृति तथा इसे पारित करने की शीघ्रता के मद्देनजर इसे संयुक्त समिति के पास भेजा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, एक प्रणाली विद्यमान है। इसे स्थायी समिति को भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदयः मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक ये सभी परामर्श अध्यक्ष को क्यों दिए जा रहे हैं। इसकी बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है। मुझे ये सब पसन्द नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विधेयक पर बाद में विचार किया जाएगा। जब यह सभा के समक्ष आएगा तब हम इस पर विचार करेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटीलः महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि चाहे इसे एक समिति के पास भेजा जाए या दूसरी के पास, रिपोर्ट एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए। इसमें इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए ताकि अगले सत्र में हम इसे प्रस्तुत कर सकें और इन विधेयकों को पारित कर सकें। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अगले सत्र के पहले दिन इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): आप इस पर अभी क्यों बहस कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं यही बात कह रहा हूं। इसकी बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपके सुझावों के लिए मैं आप सबका आभारी हूं।

श्री शिवराज वि. पाटीलः महोदय, हम इसे आपके निर्णय पर छोड़ते हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, छठी अनुसूची के उपबंध का संबंध केवल असम की अनुसूचित जनजातियों से है। क्या असम के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में इस उपबंध को लागू कर सरकार इसके मूल उद्देश्य तथा महत्व को कम करने का असफल प्रयास नहीं कर रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इस विधेयक को अब विलम्बित किया जा रहा है। आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं उचित रूप से आदेश दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि संवैधानिक उपबंध के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को सभा के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जा सकता है। यूपीए सरकार और उसके समर्थक मित्र दल तथा सहयोगी आज इसके लिए तैयार हैं। यद्यपि, हम माननीय गृह मंत्री की इच्छा तथा प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदयः यह सभा 2 बजे अपराह्न पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मद सं.-23—नियम 377 के अंतर्गत मामले

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कल कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हुई। अगर आप मामले पर चर्चा की अनुमति दें तथा माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें, तो पूरा मामला समाप्त हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदयः हम यह मामला इसके बाद लेंगे।

श्री निखिल कुमार—उपस्थित नहीं।

(एक) गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के उन्नयन के लिए सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (मर्मुगाओ): महोदय, गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर पतरादेवी से पोलेम तक का एक महत्वपूर्ण खंड कई वर्षों से उन्नयन हेतु लंबित है। वास्तव में, यह ध्यान रखते हुए कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक महत्वपूर्ण पर्यटक

गंतव्य स्थल है, राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड का उन्नयन कार्य काफी पहले किया जाना चाहिए था तथा इसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए था।

यह पता लगा है कि गोवा खंड को तीसरे चरण में शामिल किया गया है लेकिन अभी तक सर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

इस खंड पर तीन पुल हैं जो कि गालिगिबागा, तलपाना तथा दक्षिणी एवं उत्तरी गोवा को जोड़ने वाला जुआरी स्थित नया पुल है। इस सभा के माननीय सदस्य जिन्होंने गोवा का दौरा किया है, इस बात का समर्थन करेंगे कि अगर यह पुल टूटता है, तब सम्पर्क खत्म हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदयः आप केवल स्वीकृत पाठ ही पढ़ सकते हैं।

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीनाः महोदय, ठीक है।

इन पुलों को अक्सर मरम्मत के लिए बंद किया जाता है। यह काफी पुराना है और अगर यह टूट जाता है तो दक्षिणी गोवा का संपर्क उत्तरी गोवा से टूट जाएगा और यह गोवा के लिए अनर्थकारी होगा।

अतः, मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने तथा तीन पुलों, अर्थात् तलपाना, गलगिबागा तथा जुआरी पुलों पर कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ करने का अनुरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री एन.एस.वी. चित्तन—उपस्थित नहीं।

श्री इकबाल अहमद सरडगी—उपस्थित नहीं।

श्री वीरेन्द्र कुमार—उपस्थित नहीं।

(दो) उड़ीसा में सिलसुआं और बड़बील स्थित अंतर्देशीय विमानपत्तनों का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): महोदय, भारत के खनिज मानचित्र में उड़ीसा के क्योंझर जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह अपनी उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क, बाक्साइट, मैंगनीज तथा कई अन्य खनिजों के लिए जाना जाता है। इन खनिजों का उत्पादन क्योंझर के खनिज बेल्ट से किया जा रहा है तथा पारादीप तथा हल्दिया पत्तनों के माध्यम से इसका निर्यात चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों को किया जाता है। क्योंझर के खनिज क्षेत्रों में तथा इन पत्तनों पर निर्यात प्रयोजनार्थ इन खनिजों के जहाजों पर लदान, इन्हें उतारने तथा परिवहन के लिए हजारों मजदूर लगे हुए हैं।

खनिज व्यापार की संभावना को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियों ने जिले में स्पंज आयरन संयंत्रों की स्थापना की है तथा स्टील संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इन कंपनियों में कार्य करने वाले उच्चाधिकारियों को अपने व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर तथा अन्य शहरों में विमान से यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। हवाई संपर्क के अभाव में व्यापार, उद्योग, पर्यटन तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों की वृद्धि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। दूसरी ओर, सिलसुआ तथा बारबिल के निकट दो छोटे विमानपत्तनों पर विस्तार की संभावना है।

अतः, मैं आपसे मांग करता हूं कि सिलसुआं तथा बारबिल स्थित विमानपत्तनों का विस्तार किया जाए तथा इन्हें उड़ीसा और झारखंड के लोगों के लिए पूर्ण विकसित विमानपत्त बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री पुष्प जैन—उपस्थित नहीं।

(तीन) धान की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): धान के लिए वर्तमान समर्थन मूल्य धान की खेती के लिए आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद नहीं रह गया है। इतना कम मूल्य किसानों को धान की खेती के लिए हतोत्साहित कर रहा है तथा इसके स्थान पर वे अन्य नकदी फसलों की खेती कर रहे हैं। उड़ीसा जैसे गरीब राज्य तथा के.बी.के. क्षेत्र सर्वाधिक नुकसान उठा रहे हैं। धान क्षेत्र कृषि में ठहराव को रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री के.एस. राव, श्री भर्तृहरि महताब, श्री सी.के. चन्द्रप्पन और श्री गणेश सिंह इस मामले से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहेंगे।

(चार) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कालपी नगर स्थित पुरातात्विक महत्व के स्मारकों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन-गरौठा की ओर दिलाना चाहता हूं।

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन-गरौठा में कालपी नगर है, जिसे महर्षि वेदव्यास की जन्म-स्थली के नाम से जाना जाता है, यह ऐतिहासिक नगरी है। यहां पर सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुण्ड है, जो कि पृथ्वी का मध्य माना जाता है। सूर्य ग्रहण पड़ने पर कई विदेशी एवं भारतीय, खगोल शास्त्री दूरबीन का प्रयोग कर यहां अध्ययन करने आते हैं। यहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था, घटोत्कच्छ का जन्म भी इसी नगर में हुआ था और भीष्म पितामह ने भी यहां पर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतीज्ञा की थी। यहां पर कई प्राचीन मंदिर, जैसे पचपंडा देवी, काली का मंदिर, वन खंडर देवी का मंदिर हैं, जिसके कारण यह हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। स्वतंत्रता संग्राम में कई महापुरुष जैसे चन्द्रशेखर आजाद, वीरांगना लक्ष्मीबाई आदि ने यहां पर समय व्यतीत किया था। सम्राट अशोक ने यहां 84 गुम्बद बनवाए थे।

इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर होते हुए भी इन सब की हालत जीर्ण-शीर्ण है, जिसके कारण हमारे सारे अवशेष समाप्त होते जा रहे हैं।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस राष्ट्रीय धरोहर को पर्यटन स्थल घोषित कर सभी पुरातत्व स्थलों का जीर्णोद्धार कराया जाये।

(पांच) केरल के मछुआरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): हिन्दू धर्म की धीवरा तथा इसकी उपजातियां अर्थात् वालन, अर्थात् परवार लेटिन कैथोलिक इसाइयों की मुकत्वा, मुक्कुवार, मराम्वान, अंजोव्यक्कर तथा इस्लाम धर्म की पोइस्लाम/कड्डापुरथुकर केरल की समुद्री सीमा नया झील तट के प्रमुख मुछआरा समुदाय है। केरल के आदिवासी समुदाय के बाद ये लोग सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व राजनीतिक तथा व्यावसायिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं। स्वतंत्रता के छह दशक बाद भी ये लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। जातिगत भेदभाव यहां भी विद्यमान है। यह राष्ट्र का कर्त्तव्य है कि उन्हें अधिकार दिए जाएं। संविधान में सकारात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था दी गई है। इसलिए मैं भारत सरकार से उक्त जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) दूरसंचार क्षेत्र में निजी जीएसएम आपरेटरों को स्पेक्ट्रम आबंटन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, यह दु:खद है कि जिस देश में देश के तीव्र विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना बनाने में जहां दूरसंचार क्षेत्र जबरदस्त विकास कर रहा है, कुछेक निजी जी एस एम आपरेटर सी ओ ए आई (सेल्यूलर आपरेटर एसोसिएशन आफ इंडिया) के तत्वावधान में जी एस एम श्रेणी में नई कंपनियों के आने में बाधा खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं।

वर्ष 2010 तक 500 मिलियन उपभोक्ताओं का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस उद्योग को स्पेक्ट्रम में इष्टतम उपयोग के निरक्षेप तथा पारदर्शी तकनीक से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए।

दूरसंचार क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रवृत्ति के मद्देनजर विनियामक ट्राई ने इस क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधारों की सिफारिश की है, जिन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमति दी गई है तथा ये क्रियान्वयन के प्रथम चरण में हैं।

तथापि, 3 अग्रणी निजी जी एस एम आपरेटरों के नेतृत्व में सी ओ ए आई गठबन्धन कर तथा प्रशुल्क में वृद्धि के द्वारा उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर जी एस एम क्षेत्र में नई कंपनियों के प्रवेश को रोकने का प्रयास कर रहा है। ये कंपनियां अपना अधिपत्य बढ़ाने के लिए याचिकाएं दायर कर नई पहलों के क्रियान्वयन में विलम्ब करने का प्रयास कर रही हैं।

यह समझा गया है कि इन निजी जी एस एम आपरेटरों को इनके लाइसेंस योग्यता से काफी अधिक तथा वास्तव में आवश्यक 6.2 मेगाहर्ट्ज नि:शुल्क दुर्लभ स्पेक्ट्रम दिया गया है। इन कंपनियों ने कुल मिलाकर विभिन्न सर्किलों में 50 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम पर कब्जा किया हुआ है तथा सरकार को इस अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को वापस लेने की मांग करनी चाहिए या अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उन्हें सरकार को उन्हें अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के लिए कहना चाहिए। इन आपरेटरों द्वारा स्पेक्ट्रम में अकुशल रूप से उपयोग करने पर सरकार को कई हजार करोड़ रुपये की हानि होती है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं इन कंपनियों को नि:शुल्क आबंटित किए गए स्पेक्ट्रम की व्यापक समीक्षा करने की मांग करता हूं तथा इन कंपनियों द्वारा कैसे एवं किस प्रकार से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है, इसकी जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामस्वरूप प्रसाद—उपस्थित नहीं।

(सात) भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के बारे में एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, भारत में हिन्द महासागर और खास तौर पर गहरे समुद्र में मछली के विशाल भंडार हैं। तीन दशक पूर्व, इन मत्स्यियन संशोधनों का दोहन करने के लिए 180 से अधिक गहरे समुद्री ट्रालर्स लगाए गए थे। अब पता चला है कि वर्तमान में केवल 60 मत्स्यपोत ही कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1981 की चार्टर नीति के बाद हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 300 गहरे समुद्री ट्रालर्स को प्रचालित करने की अनुमति दी गई थी लेकिन 1998 में इस नीति को बन्द कर दिया गया। यह दुखद है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में कोई नीति आज तक तैयार नहीं की गई है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कुछ वर्गों ने वर्ष 2000 में कुछ दर्जन गहन समुद्र मत्स्य पोत आयात कर लिए। आज 150 मत्स्य पोत संयुक्त उद्यम के नाम पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने का कार्य कर रही हैं। भारतीय संयुक्त उद्यम के सहभागियों को विदेशी मत्स्य पोत आपरेटरों से अत्यन्त कम राशि प्राप्त होती है और भारत की मत्स्य सम्पदा अन्य देशों में प्रसंस्करण के लिए सप्लाई भी की जा रही है। संयुक्त उद्यम नीति से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले उद्योग को नुकसान पहुंचा है। इसलिए अनुरोध है कि सरकार को भारतीय गहरे समुद्री ट्रालर्स की सहायतार्थ उन्हें अन्य कामों में लगाने के लिए पहल करे। इसके अलावा अनुरोध है कि भारतीय मछुआरों के हितों को ध्यान में रखते हुए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में एक नीति तैयार की जाए।

(आठ) जम्मू-कश्मीर में ऊधमपुर-बारामूला रेल लाइन निर्माण कुपवाड़ा तक किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामुला): महोदय, जम्मू-कश्मीर में प्रतिष्ठित उधमपुर-बारामुला राष्ट्रीय परियोजना का कार्य निर्माणाधीन है। इस परियोजना के स्थाई रूप से 2009 में तथा पूर्ण रूप से 2011 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तकनीक में विशेषज्ञता प्राप्त इरकान के अधिकारियों ने सुरक्षा स्थिति तथा भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया के बावजूद सफलता प्राप्त करने में प्रशंसनीय कार्य किया है।

अब जबकि कश्मीर घाटी में रेलवे एक वास्तविकता बनने जा रही है, कुपवाड़ा जिले के लोग अधिकारियों द्वारा दिए गए इस आवश्यकता को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं कि कुपवाड़ा को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चूंकि इरकान और रेलवे विभाग का साजो-समाज वहां अभी उपलब्ध हैं यह उपयुक्त होगा कि इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए एवं कश्मीर घाटी के इस सीमावर्ती जिले को भी रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। कुपवाड़ा जिले में निवेश की काफी संभावनाएं हैं और रेलवे नेटवर्क होने के कारण ही निवेशक इस जिले को निवेश हेतु चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

अतः परियोजना का यह भाग सरकार के तुरन्त विचार के लिए अत्यन्त व्यवहारिक है।

(नौ) मध्य प्रदेश के सागर में मलथौन से महाराजपुर तक चार लेन वाले एक्सप्रेस राजमार्ग पर वृक्षारोपण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में मालथौन से लेकर महाराजपुर तक के निर्माणाधीन फोर लेन एक्सप्रेस हाईवे मार्ग के अंतर्गत दोनों तरफ सैंकड़ों की संख्या में वृक्ष काट दिए गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फोर लेन एक्सप्रेस हाईवे के इस मार्ग में हजारों की संख्या में वृक्ष कट जाने से जहां एक ओर पर्यावरण का गंभीर संकट पैदा हो गया है, वहीं वृक्षों की कमी से जंगली जानवरों को भी परेशानियां बढ़ गई हैं तथा अच्छे-अच्छे वृक्ष कट जाने से पक्षियों को भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सड़क निर्माण के साथ ही सड़क के दोनों ओर दुगने वृक्ष लगाने एवं उनका रख-रखाव उनके बड़े होने तक करने तथा मार्ग में कुछ-कुछ किलोमीटर की दूरी पर पानी की खुली टंकियां बनवाने का प्रबंध किया जाए जिससे जानवर एवं पक्षियों को संरक्षण मिल सके।

(दस) बिहार के औरंगाबाद जिले के गोडीहा में ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाइन पर रेलवे हाल्ट बनाए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): ग्रैंड कॉर्ड रेलवे लाईन बिहार के औरंगाबाद जिले से गुजरती है। बहुत सी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां इस लाईन से गुजरती हैं जिनमें ग्रामीण जनता मुख्य रूप से यात्री होती है। यात्री रफीगंज रेलवे स्टेशन से वांछित रेलगाड़ी पकड़ते हैं। किन्तु इससे यात्रियों को अत्यधिक असुविधा और सुरक्षा संबंधी समस्याएं होती हैं जिन्हें वाम विचारधारा के उग्रवाद

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री निखिल कुमार]

प्रभावित क्षेत्रों में काफी दूरी तय करनी पड़ती है, और जहां सड़क सम्पर्क की स्थिति खराब है। जहां सड़कें मौजूद हैं, उनकी स्थिति खराब है। रात्रि में यह असुविधा और बढ़ जाती है। बिहार के ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्या पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि माननीय रेल मंत्री ग्रामीण जनता को अत्यावश्यक वांछनीय राहत देने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में एक रेलवे हाल्ट स्थापित करवाएं। अच्छा होगा कि यदि यह हाल्ट ग्रैंड कॉर्ड लाईन पर गोडीहा में स्थापित किया जाए। यह औरंगाबाद जिले के रफीगंज ब्लाक में आता है और यह इस प्रकार मध्य में स्थित है जिससे कि कम से कम बीस गांवों के यात्रियों को लाभ होगा अन्यथा उन लोगों को लाभ होगा जिन्हें वर्तमान में अपनी वांछित रेलगाड़ी पकड़ने के लिए रफीगंज तक आना पड़ता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि गोडीहा नामक हाल्ट पर केवल रात्रि रेलगाड़ियों को ही रुकने की अनुमति दी जाए।

(ग्यारह) उड़ीसा के जाजपुर जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता*

श्री मोहन जेना (जाजपुर): सभी विद्युतहीन गांवों के विद्युतीकरण के उद्देश्य से विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की उपलब्धियों की तुलना में वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य अभी तक पूरी तरह से विशेषकर पिछले पांच वर्षों के दौरान संतोषजक नहीं है। यहां-वहां यदा-कदा उपलब्धियां ही रही हैं जैसा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के विभिन्न प्रकाशनों से प्रतिबिम्बित होता है। विभिन्न योजनाओं विशेषकर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूर्णतः संतोषजनक नहीं है क्योंकि उड़ीसा के जाजपुर जिले के 132 विद्युतहीन गांवों का विद्युतीकरण अभी भी किया जाना है। इसलिए, मैं विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से कोल्हा राजस्व ग्राम जैसे सभी विद्युतहीन गांवों को तीन वर्षों की निश्चित अवधि में विद्युतीकृत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। चाहे इनको परम्परागत ढंग से विद्युतीकृत किया जाये अथवा अपरम्परागत ढंग से। मैं दो केन्द्रीय मंत्रालयों से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के सभी विद्युतहीन गांवों संबंधी सूचना को वे अपनी वेबसाईट पर भी प्रकाशित करें।

---

*सभा पटल पर रखा माना गया।

अपराह्न 2.22 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

राज्य के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कल जब सभा स्थगित हुई, डा. सिबैस्टियन पाल का भाषण चल रहा था। वे पहले ही सात मिनट बोल चुके हैं। मैं उनसे भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम): महोदय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। संसदीय सम्प्रभुता और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान के साथ लिखित संविधान के बीच हमारे संविधान ने जो सामंजस्य स्थापित किया है वह अद्वितीय है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का पूर्ण संतुलन सम्भव नहीं है। ऐसा होना सम्भव है कि संविधान की व्याख्या की अपनी शक्ति के अंतर्गत न्यायपालिका स्वयं को सम्प्रभु मान ले। यह संविधान का सेफ्टी वाल्व अथवा संतुलन चक्र है। संविधान वही है जो उच्चतम न्यायालय कहता है। हमारे संविधान ने अमेरिका की न्यायिक प्रभुत्व प्रणाली और संसदीय प्रभुत्व के इंग्लैण्ड के सिद्धांत के बीच मध्य मार्ग अपनाया है। हमारे संविधान ने विधान पालिका के हाथों में लिखित संविधान के संभाव्य दायरे के अंतर्गत परमसत्ता सौंपी है। किन्तु संसदीय सम्प्रभुता और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन अब बहुत बिगड़ गया है और यही वजह है कि हम यह गम्भीर चर्चा कर रहे हैं।

अपना भाषण पूरा करने से पहले मैं इस सम्माननीय सभा से विनम्रतापूर्वक न्यायधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की लुप्त भूमिका को बहाल करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, विश्व में कहीं भी यह स्थिति नहीं है जहां न्यायधीश ही न्यायधीश बना रहे हों। न्यायधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया अपारदर्शी है, इसे पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों द्वारा अक्षमता या दुर्व्यवहार के आरोप की जांच के लिए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का गठन इस सभा में लम्बित न्यायधीश (जांच) विधेयक को पारित करके शीघ्र से शीघ्र किया जाए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गुरूदास दास गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, उस

संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। जैसा सभी जानते हैं कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। हमारे देश के स्वाधीनता सेनानियों ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए और उस समय जनता की आवश्यकताओं की जो-जो अनुभूति उनको हुईं, उन सारी बातों को दृष्टिगत रखकर, उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान सभा ने काफी समय लगाकर सब बातों पर विचार करने के पश्चात् ही भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप दिया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मूल आधार भारत का संविधान है। भारतीय संविधान के अगर तीनों स्तंभ भली प्रकार से अपने कर्त्तव्यों की अनुपालना करें, तो मैं समझता हूं कि तकरार की कभी नौबत ही नहीं आयेगी। लोकतंत्र के तीन स्तंभ—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माने गये हैं। सबसे पहला स्तंभ विधायिका (संसद) है जो जनता के प्रति उत्तरदायी है। चूंकि जनता सर्वोच्च है, यदि हम कहें कि सर्वोच्च सत्ता जनता में अंतर्निहित है, तो इसमें तनिक मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जनता ही जन-प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका का निर्माण करती है। इसलिए सांसद हो या विधायक, उनको चुनने वाली जनता है। एक प्रकार से लोकतंत्र की प्रभुसत्ता जनता के अंदर निहित है और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में आते हैं। इसलिए संसद के अंदर लोकतंत्र की प्रभुसत्ता निहित है, देश की प्रभुसत्ता निहित है। इसलिए संसद सर्वोच्च है। जब जनता सर्वोच्च है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी सर्वोच्च हैं, तो विधायिका भी सर्वोच्च है। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। उसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कानून बनाने के बाद उसे लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव्स को दिया गया है, कार्यपालिका को दिया गया है। अगर उन कानूनों में कोई खामी रह गयी है, भली प्रकार से उनका पालन हो रहा है या नहीं, इसे देखने का काम न्यायपालिका को दिया गया है। इस प्रकार से लोकतंत्र के तीनों स्तंभ अपने-अपने स्थान पर भली प्रकार से कार्य करें, तो इस प्रकार के टकराव की नौबत ही न आये।

महोदय, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र के व्यापक हित में, सर्वोच्च राष्ट्र हित में और जनता के कल्याण के लिए जो तीनों स्तंभ हैं, जो तीनों महत्वपूर्ण आर्गन्स हैं, उनके अंदर भली प्रकार के समन्वय और सौहार्दपूर्ण वातावरण होने चाहिए। मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं: ''ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडम्बना है जीवन की।'' यह थ्योरी हमारे संविधान में है कि जो ज्ञान है, वह अलग है और जो क्रिया है, वह अलग हो रही है। मैं एग्जीक्यूटिव का एक उदाहरण देना चाहूंगा। कार्यपालिका के ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी आती है कि वह विधायिका द्वारा बनाये हुए कानूनों का पालन कराये, निर्णयों का पालन कराये, क्रियान्वित कराये। लेकिन जब से गठजोड़ सरकारें आने लगी हैं, खासकर अभी यूपीए की सरकार जब से आयी है, उसमें हरेक छोटे-छोटे दल बड़े दलों पर अपनी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। परिणामस्वरूप बड़ा दल कोई निर्णय नहीं ले पाता है और सत्ता में बने रहने के लिए जब वह कोई निर्णय नहीं ले पाता है, तो कार्यपालिका पंगु हो जाती है। वह कोई कार्य नहीं कर सकती है। जब कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पायेगी, तो विवश होकर मजबूरी के अंदर न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, यानी न्यायपालिका आगे आयेगी। आखिर जनता की कोई न कोई तो सुनने वाला हो। वैसे भी कार्यपालिका ब्यूरोक्रेट्स का सहारा लेती है, नौकरशाही का सहारा लेती है और नौकरशाही वातानुकूलित कक्षों में बैठकर जो कुछ लिख दे, जो कुछ निर्धारण कर दे, जो कुछ निर्णय कर ले और नीति का जो कुछ रास्ता अपनायें, ये उसके ऊपर चिड़िया बैठा देते हैं। इनको सोचना चाहिए कि जो विधायिका है, जिसने सारा विचार-विमर्श करने के बाद हमको कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान किये हैं, हमको चुना है, आज भी विधायिका में से चुने हुए जो लोग हैं, उनमें से और संसद में चुनकर आए हुए लोगों में से ही आप लोग लिए जाते हैं। इसलिए आपमें भी वह शक्ति निहित होनी चाहिए, शक्ति का भाव होना चाहिए। अगर वह भाव नहीं होगा तो कार्यपालिका निर्णय नहीं ले पाएगी, जैसा कि हो रहा है। परिणामस्वरूप जनता को पी.आई.एल. का सहारा लेना पड़ता है अथवा दूसरा कोई सहारा लेकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है।

मान्यवर, आज इन तीनों अंगों के अंदर कमजोरियां आ गई हैं। इसका एक मुख्य कारण मैं बताना चाहता हूं। व्यक्ति समाज में से ही आता है। चुने हुए व्यक्ति को भी देश की जनता यहां भेजती है। इसलिए उसके अंदर मानवीय मूल्यों के लिए, राष्ट्रीय मूल्यों के लिए, राष्ट्रीय मान-मर्यादा के लिए भावना और सम्मान होना चाहिए। हमारे कई क्रांतिकारी देश को आजाद कराने के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे। कइयों ने गोलियां खाईं और अंडमान की काल-कोठरी में लाठियां सहीं। यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा तो हम अपने ढंग से उसे मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और भारत को विश्व में सर्वोपरि राष्ट्र बनाकर रहेंगे।

जैसा अक्सर कहा जाता है—मनुष्य प्रमुख कारक है, मनुष्य जो है वह सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति में जब संस्कार नहीं बनेंगे, लोकतंत्रीय संस्कार नहीं होंगे, देशभक्ति के भाव पैदा नहीं होंगे, जनता के प्रति सेवा की भावना पैदा नहीं होगी, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा पैदा नहीं होगी तो फिर वह ऊट-पटांग कार्य करेगा और अतिक्रमण के लिए तैयार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें, क्योंकि आपकी पार्टी के अभी पांच और सदस्यों को बोलना है।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं यह कहना चाहता हूं- जैसा पीएंगे पानी, वैसी बोलेंगे वाणी। जैसा करेंगे संग, वैसा चढ़ेगा रंग। जैसी होगी दृष्टि, वैसी करेंगे सृष्टि। जैसा होगा विचार, वैसा बनेगा आचार। जितनी करेंगे भक्ति, उनती आएगी शक्ति। जैसी होगी मति, वैसी होगी जीवन की गति। जितना ज्यादा जानेंगे नीति, उतनी अच्छी होगी जीवन की रीति। जैसी करेंगे करनी, वैसी ही होगी भरनी और जैसा करेंगे काम, उतना ही अच्छा होगा नाम। लेकिन आज इन सब बातों को भुला दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय मूल्यों के लिए, मानवता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, देशभक्ति के लिए हमारे दिलों में अब पहले जैसा भाव नहीं रहा। परिणामस्वरूप तीनों अंगों में एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करना शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र के तीन स्तम्भ बनाए हैं। अगर ये तीनों अंग अपना-अपना आत्मलोचन, आत्मनिरीक्षण करें कि हम क्या कर रहे हैं, कितने गहरे पानी में हैं, अपने कर्त्तव्यों का पालन हम भली प्रकार से कर रहे हैं और भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसके प्रति कितने समर्पित भाव से निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं, तब तो कार्य ठीक चलेगा। अगर एक अंग भी ढीला रहेगा तो आप जानते हैं कि दूसरे अंग में भी शिथिलता आ जाएगी।

विधि से ऊपर कोई नहीं है, यानी कानून सर्वोपरि है। उसका पालन करने के लिए चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, तीनों को अपनी सीमा में रहना पड़ेगा। लेकिन आज प्रवृत्ति खराब हो रही है। जब हमारे पक्ष में कोई निर्णय आता है तो हम कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा किया, इसकी पालना होनी चाहिए। ज्यों ही सर्वोच्च न्यायालय हमारे विरुद्ध कोई टिप्पणी कर दे तो हमारा अहम् टकराता है और हम एकदम न्यायिक सक्रियता का नाम लेकर न्यायालय को, न्यायपालिका को दोष देने लग जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

प्रो. रासा सिंह रावत: ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे बोलने के लिए आपका आदेश प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप आलरेडी दस मिनट ले चुके हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं दो मिनट और लेने की आज्ञा चाहूंगा। कानून की नीति बनाने का दायित्व न्यायपालिका को नहीं, बल्कि यह अधिकार विधायिका का है। हाल के दिनों में न्यायालय ने जिस तरह से विधायी कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, वह नैतिक लिहाज से भले ही सही हो, लेकिन संवैधानिक लिहाज से ठीक नहीं है। यह सही है कि न्यायपालिका को किसी भी कानून या नीति की समीक्षा का अधिकार है, लेकिन अधिकार सीमित है और संविधान की मर्यादाओं के अंदर बंधा हुआ है। असल में कुछ समय से व्यवस्था के तीनों अंग अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के बजाय एक-दूसरे के क्षेत्र में दखल देने का प्रयास कर रहे हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। इस मैं की लड़ाई के अंदर देश की जनता पिस रही है।

इससे बचने के लिए ही संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे तीनों अंग अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर, अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। संसद के विधायी कार्यों में कम दिलचस्पी या निष्क्रियता के चलते ही, जनहित में, सुप्रीम कोर्ट को विधायी या कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देना पड़ा है। हालांकि, न्यायिक सक्रियता के लिए गठबंधन सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि इस तरह की सरकार अक्सर कमजोर होती है और उसमें राजनैतिक इच्छा-शक्ति की कमी होती है, जिसके कारण न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, संविधान-विशेषज्ञ लक्ष्मीमल सिंघवी ने भी कहा है कि संविधान में विधान तो ठीक बनाया है लेकिन हम लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और आत्मलोचन नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, अहमदिया की टोपी मेहंदिया के माथे और मेहंदिया की टोपी अहमदिया के माथे करते रहते हैं। अगर तीनों अंग, अपने-अपने कर्त्तव्यों का ठीक से पालन करें, तो मैं समझता हूं कि टकराव की कोई नौबत नहीं आयेगी और लक्ष्मण रेखा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर पायेगा। तीनों अंगों में सौहार्दपूर्ण संबंध कायम हों, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने-अपने क्षेत्रों में भारतीय संविधान के द्वारा दिये हुए मानकों के अनुसार कार्य करना होगा।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसद के अपने विशिष्ट विद्वान मित्र श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा कल प्रस्तुत प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेने के प्रलोभन से अपने आपको रोक नहीं सका। मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं सरकार का मंत्री हूं और सदन की सामूहिक जवाबदेही के संबंध में मंत्रिपरिषद की मूलभूत अवधारणा के विरुद्ध बोल अथवा कह नहीं सकता हूं। मैं स्वतंत्र सदस्य के रूप में नहीं बोल रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से अवगत हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा संविधान के तीनों भागों के सद्भावनापूर्ण कार्यकरण के लिए कोई समस्या उत्पन्न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस वर्ष 2007 तक के अपने राष्ट्रीय संघर्ष पर नजर डालते हैं, इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में वकील रहे महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह की शताब्दी के इतिहास को याद किया जा रहा है, देश का आंदोलन 100 वर्षों पूर्व वकालत कर रहे महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह की मूल भावना से शुरू हुआ था। इसके बाद, देश के ऐसे अनेकों प्रसिद्ध नेताओं के नाम गिना सकता हूं जिन्होंने न्यायपालिका के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष में प्रसिद्धि प्राप्त की। देश के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने और आजादी दिलाने वाले बड़े महान व्यक्ति और कानूनी विद्वान कानून की व्याख्या करने और जनता के मनोभाव को समझने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।

लाल किले में आईएनए के सैनिकों का भी प्रसिद्ध वकील और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा बचाव किया गया था। राष्ट्रीय संघर्ष में महान क्रांतिकारी अरविंदों के मुकदमे में उनके प्रमुख वकील प्रसिद्ध बैरिस्टर सी.आर. दास थे और उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता की मांग करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि विदेशी शासन से देश की स्वतंत्रता की मांग करना अपराध है तो माई लार्ड आप कार्रवाई कीजिए। यह हमारे कानूनी विद्वानों का इतिहास है जो राष्ट्रीय आंदोलन में आगे रहे थे।

राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व की महत्वपूर्ण क्षमता का इन प्रसिद्ध वकीलों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन किया गया था। मैं स्वतंत्र भारत को शक्ति प्रदान करने वाले इन व्यक्तियों और उनकी बुद्धिमत्ता को शीश झुकाकर नमन करता हूं। संविधान सभा की बात को लीजिए। इसमें कौन सदस्य नहीं था? डा. बी.आर. अम्बेडकर, श्री लक्ष्मीकांत मोइत्रा आदि सहित सभी प्रसिद्ध वकील इसमें थे।

महोदय, मुझे संविधान सभा के इतिहास के पन्नों को पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि इन्होंने भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु कई घंटों तक वाद-विवाद करने के लिए किस प्रकार प्रत्येक अनुच्छेद का प्रयोग किया। चुनावों में हमारे मतभेद हो सकते हैं। दल-क और दल-ख के बीच संसद में किसी छोटे विधेयक पर हमारे मतभेद हो सकते हैं परंतु हम सामूहिक रूप से इन नेताओं की महान बुद्धिमत्ता के आभारी हैं। जिन्होंने राष्ट्र के भाग्य को तय किया। आज मैं कह सकता हूं कि भारत में मौजूदा संसदीय लोकतंत्र के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

हमने पूरे विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है। ईस्टर्न ब्लाक को लीजिए—आप अलग हो सकते हैं तथा लड़ सकते हैं और विभाजित हो सकते हैं, संयुक्त राय में आप अपना मन बदल सकते हैं। परन्तु पूरे विश्व में आप कह सकते हैं कि जनता द्वारा प्रत्याभूत लोकतंत्र और गणतंत्र एवं संविधान की मजबूत बुनियाद के 60 वर्षों ने संसदीय लोकतंत्र को फलने-फूलने में सहायता की है। सत्ता पक्ष के व्यक्ति बदल सकते हैं। संसद का आकार कभी नहीं बदलेगा। व्यक्तियों की इच्छा कभी नहीं बदलेगी।

इसलिए, श्री गुरुदास दासगुप्त सद्भावनापूर्ण संबंध के इस विषय को जिस सच्ची भावना से लाए हैं वह अच्छी है। सद्भावना शब्द क्यों आया? यह अचानक नहीं आया है।

[हिन्दी]

रासा सिंह जी, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने बहुत अच्छा कहा है। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हर मुद्दे पर यूपीए-यूपीए मत कहिए। यह यूपीए या बीजेपी का मसला नहीं है, यह मसला बहुत लंबा है। कुछ आदमी देश में ऐसे हैं जो किसी पार्टी को सुबह से शाम तक गाली न दें, तो उन्हें रात का खाना हजम नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें न बीजेपी को दोष दीजिए और न कांग्रेस को दोष दीजिए, केवल विषय की बात कहिए।

[अनुवाद]

महोदय, मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय में कानूनी पाठ्यक्रम पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। मुझे पढ़ाने वाले अध्यापकों का मुझको बड़ा आशीर्वाद मिला। मुझे हिंदू विधि पढ़ाने वाले श्री चिन्ततोस मुखर्जी बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। मुझे अपकृत्यों और संविदाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक डा. प्रताप चंद्र चंदर भारत के शिक्षा मंत्री बने। मुझे दंड विधि पढ़ाने वाले श्री मुकुल गोपाल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। वह मेरे अध्यापक थे। मैं कक्षा में सौभाग्यशाली छात्र था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सब्यसाची मुखर्जी ने कंपनी विधि पढ़ाई। इनमें से सभी उच्च विशिस्टता के साथ न्यायालयों की पीठों तक पहुंचे। ...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): और आप संसदीय कार्य मंत्री बन गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संसदीय कार्य मंत्री के पास हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं। ...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): वास्तव में आपको सभी का आशीर्वाद मिला है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: धन्यवाद।

महोदय, अपने छात्र जीवन में मैं एक मुद्दे पर बहुत प्रेरित हुआ था और मैं उस मुद्दे पर आता है। अपने संविधान की उद्देशिका को क्या कहते हैं? इसका अर्थ "हम भाजपा", "हम कांग्रेस", "हम न्यायाधीश" या "हम सेना के जनरल" आदि नहीं है। इसका अर्थ 'हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश' नहीं है। यह सरल है। इसका अर्थ "हम भारत के लोग" है। इसका अर्थ "हम, लोग"। यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब लोगों का उल्लेख करता है। लोग लोकतंत्र का अंतिम शब्द है। यह व्यक्तिगत शब्द नहीं है।

मैं यहां लोगों की कृपा से यहां बैठा हूं। संभव है कि मैं यहां नहीं होता और मैं दोबारा यहां लोगों की कृपा से हूं। अतः लोग अंतिम शब्द है। यह 1969 में हुआ। कांग्रेस की ओर श्रीमती इंदिरा गांधी लड़ी थी। यह बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने यह कहते हुए इस मुद्दे को उठाया—स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए; तो राजाओं और महाराजाओं को निजी थैलियां के लिए उनके साथ खास बर्ताव क्यों किया जाए?

यह धनराशि स्वतंत्रता सेनानियों को वितरित क्यों नहीं की जानी चाहिए? उन्होंने भी कहा कि इस जंग में जानता चाहती थी कि एकाधिकारी बैंकों को उनके हाथों में दिया जाए ताकि निर्धनतम व्यक्ति ऋण प्राप्त कर सकें। उन्हें रिक्शा लेना चाहिए और उन्हें बस लेनी चाहिए और इस राशि को वापस किया जाना चाहिए। इससे वे महसूस कर सकते हैं 'मैं बिरला, टाटा या गोएनका का आभारी नहीं हूं, मैं अपने बैंक-यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि का आभारी हूं।' मैं यह कैसे कर सकता हूं? मुझे बंगलौर में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन याद है। वह चिल्लाकर बोली "क्या मुझे रोका जाएगा?" हां, उन्हें रोका गया था। उन्होंने इस बात को उठाया। उस समय मैं छात्र था। वह न्यायपालिका में खो गई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने न्यायपालिका का अपमान नहीं किया, उन्होंने न्यायाधीशों का अपमान नहीं किया। वह सद्भावना के संवैधानिक प्रतिमानों में विश्वास करती थी जो कि एकमात्र अधिकार- 'हम लोग' था। उन्होंने कहा कि, हम जनता के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या जनता हमें इस प्रकार से संविधान में संशोधन करने की शक्ति देगी जोकि जनता की सच्ची इच्छा को प्रतिबिंबित करेगी। जनता की इच्छा का अर्थ कुछ दस या बारह व्यक्तियों की इच्छा नहीं है। जनता ने उन्हें शक्ति दी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया और कुछ अन्य कार्यपालक आदेशों में भी संशोधन किया जिससे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और यह रद्द भी नहीं हुआ था। यदि देश में किसी अन्य दल लेफ्ट, राइट या केंद्र—'हम लोग' शब्दों के प्रत्युत्तर में जनता के लिए भारत के इतिहास में ऐसे पहली जंग का नेतृत्व किया था वह कांग्रेस थी। पहले महात्मा गांधी और स्वतंत्रता के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही दलितों के लिए कार्य किया था। यह कार्य किसके माध्यम से किया गया था? यह कार्य लोगों द्वारा संसद के माध्यम से किया गया था।

संसद जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। मैं जानता हूं कि हम जो कानून बनाते हैं उनमें खामियां हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है और कानून को अधिकारातीत घोषित करा सकता है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। जिस दिन हम यह कहते हैं कि हम उच्चतम न्यायालय को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उच्च न्यायालय को स्वीकार नहीं करेंगे, हम न्यायिक निर्णय की नहीं सुनेंगे तो हम गलत होंगे। हम लोकतंत्र और संविधान की अवधारणा को कमजोर करेंगे। यदि हमें यह महसूस होता है कि और कुछ किए जाने की आवश्यकता है तो हम जनादेश प्राप्त करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे तथा जनता को विश्वास में लेंगे, न्यायपालिका को विश्वास में लेंगे और सही कार्य करके दिखाएंगे। यही सद्भावना है।

किन्तु कई बार मुझे लगता है कि हम सांसदों से, जो यहां संसद में बैठे हैं, अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी पीठ में 30 न्यायाधीशों में से यदि एक न्यायधीश गलती करता है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायपालिका गलत है। संसद में 545 सांसदों में से यदि 6 सांसद गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि एक संस्था के रूप में संसद गलत है और सभी सांसद गलत हैं। किंतु ऐसी तस्वीर बना दी गई है कि सभी विधायक और सांसद गलत हैं और दो चैनल-न्यायपालिका और मीडिया ही ईमानदार हैं। यह सही नहीं है। अतः हमें तालमेल बिठाने का अर्थ समझना चाहिए। तालमेल बैठाकर चलने का यह अर्थ है कि मैं आपकी संस्था के गौरव को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और आपको उस गौरव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए और अन्यों को भी संस्था के गौरव को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।

कार्यपालिका में ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने महान काम किए हैं। इस देश में श्री पी.एन. हस्कर द्वारा दिए गए योगदान से कौन इंकार कर सकता है? कार्यपालिका में रहे ऐसे प्रसिद्ध अधिकारियों और उनके साथियों द्वारा दिए गए योगदान से इंकार कर सकता है? वे संसद के अंदर नहीं बैठे थे किन्तु वे कार्यपालिका के अनुदेशों को क्रियान्वित किया करते थे। मैं आपको हमारे संविधान के अनुच्छेद 139 और 140 के बारे में बताता हूं।

अनुच्छेद 139 कतिपय रिट जारी करने हेतु उच्चतम न्यायालय को शक्तियां देने से संबंधित है। उसमें कहा गया है:

"संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकेगी...."

उच्चतम न्यायालय जिस शक्ति का प्रयोग करती है वह उसे किसने प्रदान की है? उसे यह शक्ति संसद ने दी है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त है। अंततः जनता संसद से प्रश्न पूछेगी, उच्चतम न्यायालय से नहीं। हम सब वह कानून बनाते हैं जो उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जा सके। अतः मूल तत्व संसद से प्राप्त होता है।

मैं पुनः उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 140 पर आता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि:

"संसद, विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हों और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।"

उच्चतम न्यायालय कानून के दायरे में संसद से प्राप्त जिस शक्ति का प्रयोग करता है। उस शक्ति के संबंध में हमेशा उच्चतम न्यायालय में वाद-विवाद चलता रहता है और वह शक्ति है- 'हम लोग'।

गुरूदेव टैगोर ने एक बहुत सुन्दर गीत रचा था। इस समय मैं इसकी व्याख्या हिन्दी में नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

हम लोग सब राजा हैं, हमारा राजकीय घराना है, अमरा सोबाई राजा अमेदर राजार राजो ते।

[अनुवाद]

यह लोकतंत्र का गीत है जो यह संदेश देता है कि हम सब बराबर हैं। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ पार्टियों ने यह कहा है कि इस देश का अन्तिम शब्द पार्टी से है; इस देश का अन्तिम शब्द इस नेता से है; इस देश का अन्तिम शब्द इस प्रणाली से है, आदि। किन्तु महात्मा गांधी जी ने कहा था, नहीं। उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू से कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में अग्रणी हो सकती है, किंतु संविधान को इस प्रकार बनाओ कि ऐसा न हो कि 10 वर्षों तक सत्ता कांग्रेस के पास ही रहे और बाद में इसका हस्तांतरण हो. क्योंकि कांग्रेस ने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नहीं, मामला यह नहीं था। उन्होंने कहा था: "हम भारत के लोग", और जनता को सत्ता सौंप दी। यदि सत्ता कहती है तो पंडित नेहरू यहां बैठेंगे, यदि सत्ता कहती है तो श्रीमती इंदिरा गांधी यहां बैठेंगी; यदि सत्ता कहती है कि श्री मोरारजी यहां बैठेंगे; और यदि सत्ता कहती है तो श्री चन्द्रशेखर यहां बैठेंगे। यही है 'हम भारत के लोग' और यही ताकत है। यदि 'हम भारत के लोग' की इच्छा में हर बार हस्तक्षेप किया जाता है जो संविधान के अनुसार नहीं है तो यह सही नहीं है।

मैं संविधान के अनुच्छेद 16 पर पुनः वापस आता हूं। आप यह तो मानेंगे कि अनुच्छेद 16 आजकल मैदान-ए-जंग है जो सरकारी रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता से संबंधित है।

[हिन्दी]

नौकरी कैसे मिलती है, एजुकेशन से, एजुकेशन किस तरह होती है, मौका मिलने पर, मौका कैसे मिलता है, भर्ती होने पर, भर्ती कौन होगा, जिसके पास मौका होगा, मौका किसके पास है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा थोड़ा बहुत है, जिसके पास नहीं है उसके पास मौका नहीं है और उनको लाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि:

[अनुवाद]

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।"

किंतु उसी संविधान के अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है कि:

"इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में है पद पर नियोजन या सरकार के अधीन या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भी..."

इसके अतिरिक्त, यदि संसद को लगता है कि कुछ लोग अभी भी वंचित हैं, तो संसद विनियमन कर सकती है। यदि संसद कहती है कि भारत के लाखों व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से शिक्षा अवसर हेतु व्यावसायिक संस्थाओं में नहीं जा सके और हम प्रधानमंत्री

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

के आदेश द्वारा उनके लिए अवसर उपलब्ध नहीं कराएं बल्कि संसद की इच्छानुसार उनके लिए अवसर उपलब्ध कराएं, तो संसद के पीछे लाखों ऐसे लोग हैं, जो यह कहेंगे कि हमारी ओर ध्यान दें, हम मर रहे हैं; हमें अवसर नहीं मिल रहे हैं; हम डाक्टर, इंजीनियर आदि नहीं बन पा रहे हैं। यदि संसद विवेकशीलता का परिचय देते हुए कहे कि हां हम संविधान के अनुसार उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं और उस समय कुछ समझदारी बरतते हुए महसूस करें कि यह उचित नहीं है, तो मैं इससे सहमत हूं। मैं अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

मैं एक संसद सदस्य के रूप में दुख महसूस कर रहा हूं। हमने राजनीति नहीं की है। हमने ''ख'' के खिलाफ ''क'' को बचाने के लिए कार्य नहीं किया है; हम लोगों की केवल वेदनापूर्ण इच्छा को परिलक्षित कर रहे हैं, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान किया था। कभी-कभार, मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं 'सर्वोच्च' शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस संसद की इच्छा, जो कि संविधान के दायरे में लोगों के माध्यम से परिलक्षित होती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या आप इतने छोटे हैं।

मैं समझ सकता हूं कि यदि हम किसी दल को लाभ पहुंचाने के लिए कानून पारित करें, मैं समझ सकता हूं, यदि हम किसी वर्ग विशेष को पूर्णव्यापी प्रभाव से लाभ पहुंचाने के लिए कोई कानून पारित करें, जहां न्यायालय निश्चित तौर पर इसे निरस्त कर देगा। लेकिन देश के उन लाखों-लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पारित किये गये कानून के बारे में क्या कहा जाए। जिनके बेटे यह महसूस करते हैं कि दस वर्षों से मेरे दादा और मैंने किसान के रूप में मिट्टी को जोता है, क्या मेरे बेटे को अपने जीवनकाल में केवल इसलिए डाक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वह अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति का है और हताश है? ऐसा करने के लिए यदि यह संसद एक नयी राह खोले और एक कानून पारित किया जाए। तो वह कानून जनसाधारण की इच्छा होगी, न कि किसी वर्ग विशेष की इच्छा या आकांक्षा उजागर करने वाला कानून होगा। जब उसे निरस्त किया जाए या रोका जाए, तो कौन चिल्लाएगा? चिल्लाने वाले लाखों लोग होंगे। वे कब ऐसा करेंगे? कौन इसका संचालन करता है? राज्य ही ऐसा करता है। किसके माध्यम से? पुलिस के माध्यम से। कौन प्रभावित होता है? आखिरकार, हम यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। लगातार ऐसा होता है, लेकिन हम चुप रहते हैं। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक निषेधाज्ञा लाए हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह निरस्त कर दिया गया है या इस पर रोक लगा दी गई है।

पुनः, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की चीजों से इस संस्था को समुचित या अभीष्ट प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। हमें हर किसी के गौरव के प्रति आदरपूर्ण होना चाहिए न कि केवल एक या दो लोगों के गौरव के लिए। एक मंत्री या एक संसद सदस्य, जनहित याचिका के संदर्भ में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में, अन्य किसी भी चीज के संदर्भ में लोगों की परख के अधीन होता है। मैं इससे सहमत हूं। हमें हमेशा से परखा जाता रहा है।

मैं श्री स्वाईं से सहमत हूं, जब उन्होंने कल यहां कहा और मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा कहा कि अब समय आ गया है कि न्यायिक जवाबदेही भी सार्वजनिक रूप से तय की जानी चाहिए। ऐसा करने में क्या नुकसान है। मैं एक मंत्री हूं और सेवानिवृत्त हो चुका हूं; और यदि मैंने धन इकट्ठा किया है, क्या राष्ट्र को मुझसे पूछना चाहिए? राष्ट्र को मुझसे पूछना चाहिए। मैं पूर्व मंत्री था, मैंने 20 करोड़ रु. मूल्य की संपत्ति कैसे बनाई? आप इसे घोषित की गई आय से नहीं अर्जित कर सकते। यदि ऐसी जांच होती है, तो मुझे उस जांच को स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार, यदि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी सार्वजनिक रूप से सवाल किया जाता है, हमें न्यायाधीश का वेतन मालूम है, उसके वेतन और उसके परिवार की तुलना में उसने इतनी संपत्ति किस प्रकार अर्जित की? क्या यह जांच नहीं है? यदि मीडिया का कोई संवाददाता साहस के साथ इस बारे में लिखता है, तो क्या उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए? हमें व्यवस्था के प्रति पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। हम किसी के प्रति अनादर प्रकट किए बिना एक व्यवस्था ईजाद कर सकते हैं।

सामंजस्यता केवल तभी हासिल की जा सकती है, यदि उस जवाबदेही को कार्यान्वित किया जाए। मैं केवल यही कह सकता हूं। हम महसूस करते हैं कि न्यायपालिका ने निचली अदालतों से लेकर उच्चतम अदालतों तक इस देश के लिए असाधारण कार्य किया है। प्रत्येक अपील आवेदनकर्ता को यह अवसर उपलब्ध कराती है कि इसे कैसे किया जाए; विधि मंत्री भी ग्रामीण पंचायत, नगरपालिका आदि के बारे में सोच रहे हैं, नीचे स्तर तक पहुंचने, न्याय सुनिश्चित करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

मैं, पूरी विनम्रता के साथ केवल यह कहना चाहता हूं कि यहां हममें से अनेक वकील हैं, हम न्यायधीशों को ''माई लार्ड, युअर ऑनर'' आदि से संबोधित करते हैं। हम केवल जनप्रतिनिधि हैं; हम जांच के दायरे में आते हैं। इसलिए, मई लार्ड और युअर आनर को महसूस करना चाहिए चूंकि संविधान की शुरूआत ''हम भारत के लोग'' से होती है, वे भी इन लोगों में से हैं; यदि हममें से कोई भी जांच के दायरे में आता है; तो वे भी जांच के मुद्दे पर उतने ही जवाबदेह हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, मैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों के बारे में माननीय सदस्य श्री दासगुप्त द्वारा शुरू की गई चर्चा के दौरान व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि हमारे माननीय मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है, हम एक संसदीय लोकतंत्र में जी रहे हैं, इस संसदीय लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि वह इस देश की जनता के कष्टों को दूर करेगी। हम सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इसका कारण यह है कि हमारे विचार से लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की होती है। सरकार के सभी कार्यकलाप कुछ इस प्रकार होने चाहिए ताकि अधिकतम संख्या में लोगों को अधिकतम प्रसन्नता मिल सके। मंत्री महोदय, ऐतिहासिक क्रम में बता रहे थे। मुझे भी भारत के पहले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य का स्मरण है। 15 अगस्त, 1947 को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पश्चात्, वे लाल किले से नीचे आ रहे थे। पश्चिमी प्रेसकर्मी उनको घेरे हुए थे और उन्होंने उनसे एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा। "नेहरू जी, आपने काफी दुख सहे हैं। आप सबको जेल जाना पड़ा है। आपने इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। आपकी स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? आपने इतना ज्यादा क्यों सहा? जवाहरलाल नेहरू ने यह नहीं कहा, "मैं इस देश का औद्योगिकीकरण करना चाहता हूं, इसलिए हमने आजादी की आकांक्षा की। ऐसा नहीं है, चूंकि हम कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। इसलिए हमने आजादी हासिल करने की चाह की"। बल्कि उन्होंने कहा, "प्रत्येक भारतीय की आंखों से आंसुओं को दूर करना ही हमारा ध्येय रहा है। भले ही यह हमारी हद से दूर हो। किन्तु जब तक आंसू मौजूद रहेंगे, हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। यही स्वतंत्रता आंदोलन का निचोड़ था और यही इस देश के विकासात्मक परिदृश्य का सारतत्व था। हमने लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो प्रतिबद्धता जताई, संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाया, यह उसे साकार करने का एक संदेश था। इसलिए, जनता ही है, जो केन्द्र बिंदु में हैं, चाहे वह भारत का संविधान हो या लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे वह कुछ भी हो।

इतनी बड़ी जनसंख्या की सबसे बड़ी खुशी के इस कार्य को पूरा करने के लिए हमने राज्य के तीन अंगों की स्थापना की है; विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के प्रणेता डा. अम्बेडर जिन्होंने इस देश के दबे-कुचले लोगों को आजाद कराया और जब भारत की स्वतंत्रता के लिए आजादी अंग्रेजों की एक पूर्व शर्त थी तब उन्होंने भारत वे लोगों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उसी राज्य के तीनों अंगों के बीच नाजुक संबंध के बारे में सोच बहुत स्पष्ट थी। जैसाकि मंत्री जी ने कहा कि खण्डवार इस पर चर्चा की गई तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन तीनों अंगों के बीच आपसी सामंजस्य होना चाहिए। इस प्रकार की सरकार में यदि सभी तीनों अंग ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे।

आजादी के 60 वर्ष के बाद यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें नहीं देखने को मिलेगा कि इस देश में अभी भी 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से काफी नीचे हैं और श्रमशक्ति में भागीदार 50 प्रतिशत लोगों को लाभप्रद रोजगार नहीं मिलता है। देश के कुल आधे गांवों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। देश में भारी विसंगतियां हैं। इस देश में चाहते या न चाहते हुए भी आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया हमने अपनाई हुई है उससे देश में न केवल द्वैतवाद को बढ़ावा मिला बल्कि त्रैवाद को बढ़ावा मिला है। इस देश में एक भारत नजर नहीं आता है। यह सच है कि हम विभिन्नता में भी एक हैं- सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं अलग बात है। लेकिन हम आर्थिक विसंगतियों और विभिन्नताओं की ओर बढ़ रहे हैं।

आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो दुनिया के दूसरे भागों से जुड़ा हुआ नहीं है। आज हमारे देश में तीन भाग हैं। आज भारत ऐसी स्थिति में है। आज प्रश्न केवल आर्थिक वृद्धि का नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है और खेद का विषय है कि इस देश की आधी आबादी से यह न्याय नहीं मिलता। राज्य के तीनों अंगों—विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका—को न केवल वृद्धि को बढ़ावा देकर बल्कि इस देश में सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देकर जनता के दु:खों को दूर करने की दिशा में कार्य करना होगा। इसी आकांक्षा के साथ विधायिका या संसद को कार्य करना होगा। यदि ये इस तरह कार्य करती है तो अक्सर यह होता है कि देश में सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ विधान विशेष रूप से न्यायपालिका के दृष्टिकोण के विपरीत हो जाते हैं।

अत: संघर्ष की ऐसी परिस्थितियों में, विवाद शुरू होता है तथा राज्य के तीनों अंगों के बीच मधुर संबंध खराब हो जाते हैं। न्यायपालिका को जनता के प्रतिनिधियों की सामाजिक आकांक्षाओं को समझना चाहिए। न्यायपालिका मशीनी रूप से नियमों और विनियमों की व्याख्या नहीं कर सकती है और ऐसा नहीं कह सकती है कि अमुक-अमुक नियम को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि यह कार्य नहीं हो रहा है। इस देश में कोई भी न्यायाधीश मैं किसी व्यक्ति विशेष पर लांछन नहीं लगा रहा हूं—संसद द्वारा

[प्रो. एम. रामदास]

पारित कानून पर व्यक्तिगत निर्णय नहीं थोप सकता। ऐसा कई बार हुआ जब ऐसे निर्णय थोपे गए हैं तथा इस पर एक तंत्र के माध्यम से रोक लगनी चाहिए।

आज, अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले को ही लें। अभी क्या आकांक्षाएं हैं? महोदय, स्वतंत्रा को 60 वर्ष हो गए हैं। तथा 60 वर्ष बाद भी 50 प्रतिशत लोगों को भी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। लोक सभा, जनता के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया था। संसद में सभी दल इस बात पर सहमत थे कि इस विधेयक को पारित किया जाए लेकिन इसे भी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या कहा? न्यायालय यह नहीं समझ सका कि किस सामाजिक आकांक्षा, सामाजिक परिवेश एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से यह विधान लाया गया है बल्कि यह पूछा, "जनगणना से संबधित आंकड़े कहां हैं? स्थाई समिति का प्रतिवेदन कहा हैं? आपने 27 प्रतिशत का आंकड़ा किस प्रकार से निकाला? ये कैसे प्रश्न हैं? इस विधान के लिए ऐसे आंकड़ों की क्या आवश्यकता है? क्या न्यायपालिका को लोगों की आकांक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या न्यायपालिका को यह मालूम नहीं है कि लोगों की इच्छा संसद के अधिनियम में परिलक्षित होती है? यह उन्हें मालूम होना चाहिए। यदि न्यायपालिका ने 1931 के आंकड़ों की मांग की है तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 62 प्रतिशत जनसंख्या अन्य पिछड़े वर्गों की है। न्यायपालिका को और को क्या साक्ष्य चाहिए? न्यायपालिका द्वारा कानून की सही प्रकार से व्याख्या नहीं की जा रही है। संभवतः न्यायपालिका का मामला ही कुछ ऐसा है कि यह भारत की जनता द्वारा पारित विधेयक पर अपनी इच्छा लाद रही है।

महोदय, किसी पर आरोप लगाए बिना मैं बताना चाहूंगा कि संसद ने एक विधेयक पारित किया था तथा संबंधित व्यक्ति न्यायपालिका में चला गया। न्यायालय कैसे कह सकता है, "वस्तुतः, हम आपके साथ हैं।" वे ऐसा पूर्वकल्पित धारणा कैसे रख सकते हैं? मामला अभी जांच के लिए न्यायालय के पास नहीं आया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से स्पष्टीकरण देने को कहा है तथा इससे पहले कि केन्द्र सरकार स्पष्टीकरण भेजती उनका कहना है कि हम एक सम्मानीय व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा, "वस्तुतः, हम आपके साथ हैं। हम कार्यकाल पूरा होने से पहले जनवरी के मध्य तक निर्णय दे देंगे।" यह कैसा वक्तव्य है? क्या वे अधिनियम से सम्बद्ध नहीं है? पारित किए गए विधेयक में केवल छह पंक्तियों का वक्तव्य है तथा यह केवल संस्थान के निदेशक की आय निर्धारित करता है। क्या आप नहीं समझते हैं कि आयु निर्धारित करने के लिए सभा को लोगों की इच्छा प्राप्त नहीं है? और उनका कहना है कि वे उनके साथ हैं। एक न्यायाधीश ऐसा कैसे कह सकता है? न्यायपालिका इस स्तर तक कैसे नीचे आ सकती है तथा यह कह सकती है कि "वस्तुतः, हम आपके साथ हैं?" उनके पास कौन से लक्ष्य हैं? यदि सभी तथ्य उनके पास हैं तो वे संसद तथा भारत सरकार से तथ्य क्यों मांग रहे हैं? और वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे वे जनवरी के मध्य तक निर्णय दे देंगे?

महोदय, जब सेतु समुद्रम परियोजना क्रियान्वित नहीं हुई थी तो हमारे नेता कलियागनर करूणानिधि ने तमिलनाडु बन्द का आह्वान किया तो कोई व्यक्ति बन्द को रुकवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में चला गया और रविवार के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने बैठकर अभूतपूर्व उपाय के रूप में बन्द का स्थगन आदेश पारित किया। हमारे पास कैसी व्यवस्था है?

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, यहां पर न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा नहीं की जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: क्या उन्हें नहीं लगता कि वे सीमाएं लांघ रहे हैं? न्यायिक सक्रियता जनता की प्रसन्नता के संवर्धन के लिए, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा, जनता की गरीमा को ऊंचा रखने और मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हम इस बात से सहमत हैं कि न्यायिक सक्रियता आवश्यक है लेकिन जब एक विधान लोगों ने पारित किया है तो न्यायपालिका को सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं तथा यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य की इस भावना को नहीं समझा जाएगा तो केवल संघर्ष ही होंगे एवं सामंजस्य समाप्त होगा।

अतः राज्य के तीनों अंगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। राज्य के सभी तीनों अंगों को संविधान द्वारा यथा नियत अपनी भूमिका को समझना चाहिए। अन्ततः यदि कोई अंग दूसरे की तुलना में अधिक ऊपर है तो मैं समझता हूं कि संसद अन्य किसी अंग की तुलना में उससे ऊपर है।

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन के कई गणमान्य सदस्यों ने कहा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूलभूत अंग है। इसकी स्पष्ट व्याख्या संविधान में की गयी है जिसके अनुसार हमारे राज्य के तीनों अंगों को अलग-अलग और साथ ही सौहार्द्रपूर्वक कार्य करना चाहिए। इन तीनों अंगों के कार्यकरण में पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन का होना आवश्यक है। किसी भी अंग विशेष

को किसी अन्य अंग पर हावी होने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से एक विशेषता है।

इस बात को हमारे उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में माना है। परन्तु अब एक विचित्र समस्या उठ खड़ी हुई है। उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय अपने अति-उत्साह में बार-बार कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी देश में सेना ने अकेले ही शक्तियों को अपने में समेट लिया है और हमारे देश में यह काम न्यायालयों ने कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों में चोरी छुपे प्रवेश कर दिया है। विभिन्न मामलों में निर्णय देकर वे बार-बार ऐसा कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, तोड़फोड़ के अभियान, जिसे उच्चतम न्यायालय काफी रुचि लेकर कर रहा है, को ही लें। ...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में विधि और न्याय मंत्री जी का हस्तक्षेप चाहता हूं।

उच्चतम न्यायालय ने तोड़-फोड़ की निगरानी और उसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट न्यायालय को देने के लिए एक निगरानी समिति गठित की थी। मैं नहीं जानता कि संविधान के किस उपबंध या कानून के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने निगरानी समिति का गठन किया था और उसे रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

यह सब होने के बाद कुछ प्रख्यात कानून विदों ने खुले तौर पर यह कहा कि इन सब बातों की निगरानी करने वाले एक न्यायाधीश विशेष का इसमें निजी स्वार्थ था। किंतु आज तक कोई जांच नहीं कराई गई है क्योंकि किसी सेवानिवृत्त न्यायधीश के कार्यकलापों की जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश में जगदम्बिका पाल और झारखंड विधान सभा के मामले में यह सुस्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने अतिक्रमण करके विधायिका के कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया है। अन्यथा, कोई न्यायालय यह कैसे कह सकता है कि किसी विधान सभा की रोजाना की कार्यवाही की रिपोर्ट न्यायालय को दी जाए? न्यायालय संसद या किसी राज्य विधानमंडल की कार्यवाही निगरानी किस प्रकार कर सकता है? संसद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे अनेक निर्णय हैं।

केरल उच्च न्यायालय ने बुद्धिमानी से काम लेते हुए, जिसे एक महत्वपूर्ण निर्णय माना गया था, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी। रोक लगाना एक अच्छी बात है ऐसा अच्छे काम के लिए किया गया है। किंतु धूम्रपान पर रोक किस प्रावधान के अंतर्गत लगाई गई है? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर किस कानून के अंतर्गत रोक लगाई गई?

इसके बाद केरल उच्च न्यायालय ने कालेज और विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगा दी। हमारे संविधान ने इस देश में हरेक को स्वयं को संगठित करने और अपनी व्यथा को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी है। किंतु न्यायालय का यह कहना है कि समाज के इस विशेष वर्ग अर्थात् छात्रों को परिसरों में कोई संगठन नहीं बनाना चाहिए और कार्य नहीं करना चाहिए। यह संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

महोदय, उन्होंने किस प्रावधान के अंतर्गत यह आदेश जारी किया? कल वे यह कह सकते हैं कि मजदूर संघ देश के लिए ठीक नहीं हैं। अत: सभी मजदूर संघों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, न्यायालय प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न मामलों में अपने निर्णय देकर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वे नियुक्तियां स्वयं करते हैं। किसी और लोकतंत्र में इन न्यायधीशों को अपने समकक्षों और उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने की अनुमति है और वे एक निर्णय पारित करके ऐसा कर रहे हैं जिससे संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और उसने भी उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु दी गई शक्तियों को उपयुक्त माना। आज तक सरकार ने इसमें सुधार करने का साहस नहीं किया है। पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हाथ होता था। किंतु एक दिन उच्चतम न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत एक मामले में यह निर्णय दिया कि ऐसा करना असंवैधानिक है और केवल न्यायाधीशों को ही यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उनके उत्तराधिकारी कौन होने चाहिए और वे ऐसा कर रहे हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे ठीक किया जाए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त प्राधिकरण होना चाहिए जिसमें सरकार, विपक्षी दलों और न्यायाधीशों के प्रतिनिधि शामिल हों। ऐसी समिति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। यह अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय या न्यायधीशों को ही क्यों दिया जाए? यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका में भी प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति को सीनेट समिति अनुमोदित करती है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था, के नाम को जांच के समय सीनेट समिति ने अनुमति नहीं दी। उसने उस नाम को अस्वीकार कर दिया। उसकी नियुक्ति नहीं की गई। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुरूप जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

विभिन्न उच्च न्यायालयों, निचले न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में भी न्यायधीशों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का क्या हुआ? उन्हें स्वयं इसकी जांच करनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में संसद में प्रस्तुत किए गए न्यायधीश जांच विधेयक का क्या हुआ?

महोदय, जब देश को उच्चतम न्यायालय की सहायता की काफी जरूरत थी और जब हर कोई उच्चतम न्यायालय की ओर देख रहा था, तब वह इस देश में लोकतंत्र के बचाव में नहीं आया। आपातकाल के दौरान, उसने सरकार और कार्यपालिका के प्रत्येक कार्य को उचित ठहराया। उसने सरकार को संसद का कार्यकाल बढ़ाने और सरकार को सभी मौलिक अधिकारों को वापस लेने की अनुमति दी। अंततः न्यायधीशों ने नहीं अपितु इस देश के लोगों ने देश को बचाया।

इसलिए महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता ही इस देश में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की अंतिम रेफरी है। अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह संविधान के कार्यकरण में और उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायपालिका और कार्यपालिका से शक्तियां लेने को उचित ठहराने में आई पथभ्रष्टता को सुधारने हेतु कदम उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय: अगले माननीय सदस्यों से अनुरोध करने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चर्चा में भाग लेने को इच्छुक लगभग 25 वक्ताओं की लम्बी सूची मेरे पास है, अतः सभी वक्ताओं को अनुमति देना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं यहां एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। वह भी कार्यवाही का हिस्सा होगा।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा होने दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी का टाइम तो समाप्त हो गया है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं यहां सविनय निवेदन करना चाहूंगा। चूंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, इस पर विस्तार से चर्चा होने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों को अवसर देने का भरसक प्रयास करूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आगे श्री वीरचन्द्र पासवान को बोलना है। कृपया संक्षेप में बोलें। आपसे अनुरोध है कि पांच मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है कि हमारी शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है, जिसके ऊपर संविधान निर्माताओं ने एक बड़ी जवाबदेही, जिम्मेदारी डाली थी और उसके एक बड़े कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए अपना एक महत्वपूर्ण अंग मानती है। आज उनकी मर्यादा पर उंगली उठ रही है, उनके ऊपर उंगली उठ रही है, उनके कार्यकलापों पर उंगली उठ रही है, उनकी ईमानदारी पर शक किया जा रहा है, यह आज सब के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है। सिर्फ सरकार ही नहीं, तमाम दलों के नेताओं से तमाम माननीय सांसदों से और इस देश की जनता से हम निवेदन करना चाहेंगे कि देश के हित में दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर इस पर सोचने की जरूरत है, चिन्ता करने की जरूरत है और इसका शुद्धिकरण करने की जरूरत है।

यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को अखंड रखना चाहते हैं, इस देश में सौहार्द और हारमोनियस वातावरण बनाये रखना चाहते हैं तो न्यायपालिका को परिष्कृत करने की जरूरत है और मर्यादित करने की जरूरत है। वहां पर जो भी इस देश के हित में है, चूंकि न्यायपालिका इस देश की जनता की है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता के हैं और हमारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, वहां पर बैठे हुए हों या यहां पर बैठे हुए हों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है। इस देश की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस देश की जनता का है, चाहे व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, किसी पद पर बैठा हो, न्यायपालिका की गरिमा को गिराने, न्यायपालिका की जो गरिमा है, उनकी जो स्वतंत्र छवि है, उसको गिराने का किसी को हक नहीं बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी मेहरबानी की है, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। आशा है कि हमें आपका समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और सवाल है। जिन साथी ने

इसे उठाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज यह देश लोकतंत्र है, सम्प्रभुता जनता में निहित है और सम्प्रभु जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है और तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और ठीक उसी तरह से, जिस तरह से समाज के अन्य क्षेत्रों में इसी समाज से लोग जाते हैं। उसी तरह से समाज से एम.एल.ए. और एम.पी. भी बनते हैं। हो सकता है कि इसमें हममें से वीरचन्द्र पासवान जैसा व्यक्ति भो हो, जो अपराधी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तमाम माननीय सदस्य अपराधी हैं। यदि मैं अपराधी हूं तो मीडिया हो या ज्यूडीशियरी हो, उनको पूरा हक बनता है, कानून के आईने में, कानून के दर्पण में, जिसको संविधान ने बनाया है, जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, उनको पूरी और कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है, लेकिन आज बड़े दुख का विषय है कि बड़ी संकीर्ण भावनाओं से, बड़ी संकीर्णता के साथ न्यूज प्रसारित की जाती हैं, आज ज्यूडीशियरी बैठती है, कोर्ट जब बैठती है तो कोर्ट का कर्त्तव्य है, मैं उसको पावर नहीं करूंगा, न एम.पी. को पावर है, न प्रधानमंत्री को पावर है, यदि संविधान ने या किसी लॉ ने पावर शब्द का, राइट शब्द का इस्तेमाल किया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे एमेंड करने की जरूरत है, इस शब्द को विलोपित करने की जरूरत है और इसको कर्त्तव्य के रूप में दिखाने की जरूरत है, क्योंकि किसी को राइट या पावर डैमोक्रेसी में नहीं दी जाती है, उनको कर्त्तव्य निर्धारित किये जाते हैं, संसद जब कानून बनाती है तो वह कर्त्तव्य निर्धारित करती है कि किसके क्या कर्त्तव्य हैं, इसलिए यदि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेज बैठे हुए हैं तो उनको कोई पावर नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है, उनके कर्त्तव्य निहित किये गये हैं कि ऐसे हालात में आपको यह काम करना है। इस कानून के आईने में आपको कानून के दायरे में आपको ये काम करने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि न्यायपालिका हमारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके चरित्र को धूमिल करने का किसी का हक नहीं बनता है। न्यायपालिका का काम है या कोर्ट का काम है कि दो पक्षों के बीच में, हमारे और आपके बीच में या हिंदुस्तान के कोई भी लोग हों, जब दो पक्षों के बीच में कोई विवाद हो, तो कोर्ट उन दोनों पक्षों की बात को सुनने का काम करे और कानून जो कहता है, उसके अनुसार वह जजमेंट देने का काम करे। वह कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करे, जिससे यह लगे कि यह कोर्ट नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई पक्ष बोल रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जब कोर्ट से ऐसे आब्जर्वेशंस आए हैं, ऐसी टिप्पणियां आयी हैं, जब लगा है कि कोर्ट नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई पक्ष बोल रहा है। इस बात को सुनकर बड़ा दुख होता है। न्यायाधीशों को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए।

यह बड़े दुख का विषय है। मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह डेमोक्रेसी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी का समय पहले ही समाप्त हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवानः डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, सम्प्रभु है। यह राजशाही व्यवस्था नहीं है, जहां अपने उत्तराधिकारियों का चयन पहले राजा करते थे और उन्हें मनोनीत करते थे। यदि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति का सवाल है, तो इसके लिए राष्ट्रीय उच्च स्तरीय न्यायिक सेवा आयोग बनाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जो इस देश के सौ-डेढ़ सौ परिवार हैं, जिनका न्यायपालिका पर कब्जा है और वही लोग जज और चीफ जस्टिस बनते हैं। आप इसका सर्वे कराकर देख लीजिए कि उस परिवार के या उनसे नाते-रिश्तेदार लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज बनते हैं या उनके चमचे-बेलचे सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। इसकी कोई स्वच्छ और निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अनुशंसाराज है। अनुशंसा पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज बनते हैं। इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। यह जो अनुशंसा राज है, नादिरशाही व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था है, यह डेमोक्रेसी में नहीं चलनी चाहिए। देश को यदि आप बचाना चाहते हैं, देश में भाईचारा लाना चाहते हैं, देश को खंडित होने से रोकना चाहते हैं, तो न्यायपालिका में देश की तस्वीर होनी चाहिए। इसमें सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए. आप एलएलबी और एलएलएम की डिग्री निर्धारित कर दीजिए, आप दस, पन्द्रह या बीस साल का अनुभव निर्धारित कर दीजिए और एक खुली प्रतियोगिता के तहत चाहे हिंदी स्टेट्स के लोग हों, चाहे साउथ के हों, चाहे नार्थ के हों, चाहे पश्चिम के हों, चाहे किसी जाति या धर्म के लोग हों, उनको समान अवसर मिलना चाहिए। यदि आपने शुद्धीकरण करने में, इस तरह की व्यवस्था लाने में, विधान लाने में विलंब किया तो यह देश नहीं बचेगा। ...*(व्यवधान)* न्यायपालिका में डेमोक्रेसी में किसी को कर्त्तव्य दिए जाते हैं, तो उसके उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं, उसकी व्यवस्था हो।

मैं कुछ बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं। मैंने आपको पहले ही पर्याप्त समय दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान: अभी बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पटना असेंबली के बारे में दिया। मैं उसे बताता हूं। उसने जजमेंट दिया कि जो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया गया है, वह गलत है। यदि राष्ट्रपति शासन लगाना गलत था, तो असेंबली री-स्टोर होना चाहिए था। यह कहां का इंसाफ है कि मैं क्रिमिनल हूं, लेकिन मुझे फांसी की सजा नहीं होगी और मैं निर्दोष हूं, लेकिन मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति शासन लगाना अनुचित था, संविधान के विरुद्ध था, तो असेंबली री-स्टोर होना चाहिए। जनता के संचित हजारों करोड़ रुपए चुनाव कराकर बर्बाद कराने का हक सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। यदि तमाम जनप्रतिनिधि अपराधी हैं, तमाम एमएलएज़ अपराधी हैं, तो मैं तमाम दलों के नेताओं को चैलेंज करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह से दुष्प्रचार करके इस देश को खंडित करने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को गुलाम बनाने के लिए, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, तमाम जनप्रतिनिधियों पर आघात और प्रतिघात किया जाता है। यदि तमाम जनप्रतिनिधि इतना ही अपराधी है, तो उन तमाम लोगों को इस्तीफा देकर अपने घर चला जाना चाहिए और यहां पर किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को बैठाइए, किसी धनपिपासू को जो चैनल दिखाने का काम करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पासवान, कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)**

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): उपाध्यक्ष महोदय, यहां श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा शुरू की गयी इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, प्रश्न यह है कि किसे सर्वोपरि होना चाहिए? अन्ततः संविधान को सर्वोपरि होना चाहिए क्योंकि संविधान लोगों के लिए है और इसीलिए उद्देशिका इन शब्दों के साथ आरंभ होती है, "हम, भारत के लोग।" कुछ विरोध और शिकायतें हैं कि न्यायपालिका द्वारा अत्यधिक सक्रियता दिखायी जा रही है। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बालकृष्णन को उद्धृत करना चाहूंगा जिन्होंने कहा है:

> "किसी भी अन्य सरकारी संस्था के समान न्यायपालिका की आवश्यकता व अवसर के अनुसार उचित आलोचना की जा सकती है किन्तु यदि यह आलोचना उचित नहीं है और गैर-जिम्मेदारी से की गयी है तो इससे न्यायपालिका संस्था को अगणनीय क्षति पहुंचेगी।"

मैं इस बारे में अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि अधिक समय नहीं है। विरोधी विचारों के कारण कई बार संघर्ष होना स्वाभाविक है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष के बारे में उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री राजीव धवन ने एक बार कहा था, मैं उद्धृत करता हूं:

> "न्यायालयों और राजनीतिज्ञों के बीच ध्रुवीकरण एक अच्छी बात है। वास्तव में यह कानून और लोकतंत्र के बीच एक तनाव है। दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। किन्तु वर्तमान संघर्ष एक छोटा शक्ति संघर्ष नहीं है। सामाजिक न्याय के बारे में विचारों का संघर्ष है—हालांकि, राजनीतिज्ञ वोट मांग रहे हैं और न्यायाधीशों को लोगों का ध्यान प्राप्त है। इस संघर्ष में न्यायाधीशों का आदर किया जाना चाहिए। किंतु न्यायाधीशों को भी अपने रवैये में राजनीतिज्ञ विरोधी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा यह है कि उन्हें अपने और सांविधानिक शासन के पालन में कभी भी लोक विरोधी नहीं होना चाहिए।"

महोदय, जब एक निगम ने मामला दर्ज कराया और वह मामला केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष आया तो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि निगम के हितों को अवश्य देखा जाना चाहिए, लोगों के हितों को नहीं। यहीं पर लोकाधिकार तथा विधिक अधिकार में संघर्ष होता है। न्यायालयों को विधि का निर्वचन करना है।

अब मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता, किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के तीनों अंगों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। किन्तु इतिहास कुछ और कहता है जो इस एक इशारा है। 1977 और 1979 के बीच क्या हुआ? क्या सामंजस्य था? इसी संसद द्वारा मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन अधिकारों को छीनने के लिए संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल किया गया था, न्यायपालिका इससे सहमत रही और कार्यपालिका अवास्तविक सी बन गयी। इसका क्या परिणाम हुआ था? अंततः लोगों को संस्थाओं को बचाना पड़ा। ताकि संस्थाएं काल्पनिक न बन जाएं। संवैधानिक ढांचे के भीतर समग्र सामंजस्य होना चाहिए।

केवल संसद ही अपने द्वारा पारित विधि में सही गलत का फैसला नहीं करती है। यदि कुछ गलत है तो सही गलत का फैसला कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय सही गलत का फैसला करेगा क्योंकि उसे संसद द्वारा पारित विधि का निर्वचन करना है। संविधान तथा विधि का निर्वचन करना न्यायाधीशों का कर्त्तव्य है। इससे विवाद होता है और हमें लोकतंत्र में रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं एडमंड बुर्के को उद्धृत करता हूं, आग लगने पर बजने वाली खतरे की घंटी से हो सकता है कि आपकी नींद में खलल पड़े.... किंतु यह रात में आपको जलने से बचाती है। बहुमत का विचार भी कई बार अवास्तविक हो सकता है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अन्तर्निहित हैं और इस संसद ने मौलिक अधिकार दिया है। महोदय, राबर्ट्स पियरे ने ड्रूम्स आफ फ्रांस पर दांते को लटका दिया था और ऐसा ही पियरे के साथ भी हुआ। यह सब इतिहास है। अतः इन चीजों को ध्यान से देखा जाना चाहिए।

महोदय, मानवाधिकारों की रक्षा करने में न्यायपालिका ने ए.के. गोपालन के मामले से लेकर 1978 में मेनका गांधी के मामले तक लम्बा सफर तय किया है। पुलिस द्वारा किसी को भी मारा जा सकता है और वह कहते हैं, "वह अब नहीं रहा।" मानवाधिकारों का संरक्षण कैसे होगा? न्यायपालिका ने मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मैं आपके ध्यान में मीडिया के बारे में एक बात लाना चाहूंगा। मीडिया चौथा खम्भा है। इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। संसद को कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद या विधान सभा किसी को भी बुला सकती है और दोषी करार दे सकती है। इस पर कोई अपीलीय प्राधिकरण नहीं है। मान लीजिए, संसद बहुमत द्वारा किसी को किसी कार्य के लिए उम्र कैद देती है। वह कहां अपील करेगा?

महोदय, मैं सभा के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास विशेषाधिकार है और उनका उल्लंघन करने वालो को दण्ड देने की शक्ति है, किन्तु किसी संहिता के न होने की वजह से उस शक्ति का दायरा असीमित रहता है। जिस प्रकार हमने न्यायालय की अवमानना अधिनियम को अधिनियमित करके न्यायालय की अवमानना शक्ति को परिभाषित और सीमित किया है, उसी प्रकार हमें उचित कानून बनाकर अपनी अवमानना शक्ति को परिभाषित करना चाहिए। मुझे प्रसिद्ध ब्लिट्ज मामले की याद आ रही है जिसमें सम्पादक को इस सभा के 'बार' के समक्ष बुलाया गया और सदस्य की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक लेख प्रकाशित करने के लिए उसकी भर्त्सना की गई। संसद द्वारा ऐसी अनियंत्रित और अपरिभाषित शक्ति का उपयोग जनसंचार माध्यमों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए अनुकूल नहीं जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना गया है। इस पर गौर किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.37 बजे

[**श्री देवन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

महोदय, दल-बदल विरोधी कानून के संबंध में क्या है? अब, प्रत्येक सदस्य इस कानून से बंधा हुआ है। माना, मेरी पार्टी यह कहती है कि हम इस तरह से घोषित नीति का विरोध करेंगे, तो हम इससे असम्मत नहीं हो सकते अन्यथा यह तत्काल ही दल-बदल हो जायेगा। अगर यही कानून है तो असहमति कहां है? किस प्रकार से कोई सदस्य असहमति जता पायेगा जब कोई पार्टी अथवा संस्थान अपनी उद्घोषणा से पूर्णतः अलग जाता है तो हम कैसे विरोध कर सकते है? अगर यही कानून है तो केवल पार्टी के नेताओं को ही संसद में आने की जरूरत है, हम यहां क्यों आएं। वे स्वयं ही यह निर्णय कर लें कि कौन सी सरकार जानी चाहिए अथवा कौन सी सरकार रहनी चाहिए। वे सब बातों का निर्णय कर सकते हैं। इससे, क्या हुआ? सदस्यों के अधिकारों में कमी हो गई।

मुझे याद है जब प्रथम दल-बदल विरोधी कानून इस सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, तो मधु लिमये ने इसका विरोध किया था। तब हमने यह नहीं समझा था कि उन्होंने इसका विरोध क्यों किया। उन्होंने कहा था कि अन्तः इससे असहमति समाप्त हो जायेगी। इससे राजनैतिक दलों का असंगत निरंकुशता व्याप्त हो जायेगी। इससे फासीवाद और तानाशाही को कौन जन्म देता है। व्यक्ति नहीं अपितु संस्था करती है। जब राजनैतिक दल में ही आन्तरिक लोकतंत्र नहीं होगा तो बाह्य लोकतंत्र कैसे जिन्दा रह

[श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार]

सकता है। इस दल-बदल विरोधी कानून पर गौर किया जाना चाहिए। यदि किसी सदस्य के पास अभिव्यक्ति का अधिकार अथवा स्वतंत्रता नहीं होगी तो वह विधान मंडल में कैसे कार्य कर सकता है। यदि मेरी पार्टी घोषित विचारधारा के विरुद्ध कार्य करती है और इससे अलग हो जाती है तो मैं इससे कैसे सहमत हो सकता हूं। महोदय, यहां कौन सही है और कौन गलत है?

दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, जो सदस्य पार्टी की घोषित नीति के विरुद्ध जाते हैं और सही लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, उनकी आलोचना की जायेगी और इस सभा से विवर्जित किया जायेगा। इस कानून पर गौर किया जाना चाहिए।

सारांश यह है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद को संवैधानिक रूप से कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र इसी प्रकार कार्य कर सकता है। समय बदल रहा है, कानून बदल रहे हैं। अन्ततः, यह जनता की इच्छा है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। एक अर्थ में हम यह नहीं कह सकते कि संसद सर्वोच्च शक्ति है क्योंकि संसद के माध्यम से कई विचारों का गलत रूप, अपवर्तित किया जाता है और लोगों के अधिकार छीने जाते हैं। यह नहीं हो सकता। इसलिए, लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए न्यायपालिका को जवाबदेह होना चाहिए। संसद को जवाबदेह होना चाहिए। वास्तव में, कार्यपालिका को भी जबावदेह होना चाहिए। वे जो चाहे कर सकते हैं। मान लीजिए वे कुछ गलत करते हैं तो उनके सामने क्या समाधान है? क्या हम सब संसद आ सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं? आप न्यायालय जा सकते हैं और इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में, मैं मीडिया को भी शामिल करता हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मीडिया से हूं; मीडिया चौथा स्तम्भ है। केवल चार स्तम्भों पर ही कोई मकान खड़ा हो सकता है, तीन स्तंभों पर कोई मकान ठीक से खड़ा नहीं हो सकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सभा से यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण वाद-विवाद है और मुझे खुशी है कि अधिकतर पार्टियां इसमें भाग ले रही हैं। किन्तु, यह अल्पकालिक वाद-विवाद है। हमने इसे कल आरम्भ किया था और आज भी यह जारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुपूरक नोटिस में सूचीबद्ध विधान जिसके लिए मैंने विपक्ष के उपनेता से भी परामर्श किया था, को पारित किया जाए। वे सहमत हो गए। इसलिए, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, और आपके माध्यम से इस सभा से कि जो दल पहले बोल चुके हैं, वे अपने सदस्यों की संख्या और उनके समय को सीमित करें। इससे कार्य को पूरा करने में सहायता होगी और इससे अन्तिम निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकेगा। विधि मंत्री को विस्तार से उत्तर देना होगा। तत्पश्चात् हम विधान पर चर्चा कर पाएंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कोई माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहे तो वे रख सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा आरम्भ की गई चर्चा में वाद-विवाद करने और चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, यह राज्य के तीनों अंगों: विधायिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण के लिए आवश्यक है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझसे पहले के वक्ता काफी कुछ बोल चुके हैं। किन्तु, मैं कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने अपने विवेक के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों के विभाजन पर चर्चा की थी। यह केवल पिछले दस वर्षों में ही हुआ है कि तीन अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी है। मुझे लगता है कि यह न्यायपालिका की अतिसक्रियता की वजह से भी है जो सम्पूर्ण सौहार्दपूर्ण कार्यकरण के माहौल को बिगाड़ रहा है।

हम जिसकी बात कर रहे हैं वह सौहार्दता पहले हमेशा रहती थी। मुझे स्मरण है कि लगभग पांच-छह वर्ष पहले जब उच्चतम न्यायालय अपनी स्वर्ण जयंती मनाना चाहता था तो उनके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। किसी का नाम लिये बिना, मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लिया; वे प्रधान मंत्री जी के पास गए और बोले: "यह हमारी समस्या है।" मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सौहार्दपूर्ण संबंध हमने बनाए थे। वे प्रधानमंत्री जी के पास गए और प्रधानमंत्री बोले: "यह देश के लिए बहुत बड़ा अवसर है, और हम आपको 10 करोड़ रुपये देते हैं।" दस करोड़ रुपये प्रदान किए गए। कुछ समय बाद ही, वही मुख्य न्यायाधीश पुनः प्रधानमंत्री जी के पास गए, और प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि वह और पैसा चाहते हैं क्योंकि 10 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं हैं। जब वे वापस गए तो उन्होंने कहा: "मैं 8 दशमलव कुछ करोड़ रुपये वापस कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी धनराशि की आवश्यकता नहीं है।" यह सौहार्दता है जो होनी चाहिए। आज यह समाप्त हो रही है और अहम् का टकराव हो रहा है। मेरे राज्य में और कई राज्यों में जिनका उल्लेख किया गया है, अहं का टकराव इस प्रकार का हो चुका है कि न्यायाधीश सरकार के विरुद्ध प्रत्येक बात के लिए स्थगन आदेश देना चाहते हैं। कई राज्यों में और तो और राजस्थान में भी यही स्थिति थी। कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो केवल इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि कोई जनहित याचिका आये जिससे सरकार को शर्मिन्दा किया जा सके।

क्या यह संबंध सद्भावपूर्ण है? इस प्रकार समरसता कैसे आ सकती है? मैं इसके बारे में वास्तव में आश्चर्यचकित हूं।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर में मैं चाहूंगा कि वे हमें न्यायाधीशों के वेतनमान के लिए शेट्टी आयोग के बारे में बताएं। इस रिपोर्ट में, जिसे सभी राज्यों को भेजा गया है, यह कहा गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति के बावजूद अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों को ये भुगतान किया जाना है। क्या ऐसा शेट्टी आयोग के कारण है अथवा ऐसा भारत सरकार के अपर सचिव के कारण है जिन्हें जिला न्यायाधीशों की तुलना में कम भुगतान होता है? क्या यह सत्य है? क्या वे अपना वेतनमान स्वयं निर्धारित करेंगे? क्या यह इस प्रकार किया गया है?

महोदय, उच्च न्यायालय के गेस्ट हाउस हैं। जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राज्यों का दौरा करते हैं तो वे राज्य के गेस्ट हाउस में ठहरना नहीं चाहते हैं और वे कहते हैं कि वे पांच सितारा होटलों में ठहरेंगे। क्या यह सत्य नहीं है?

मुझे एक अन्य बात पर विचार करने दीजिए। यह भी कहा गया है कि उन्हें मनोरंजन (इंटरटेनमेंट) भत्ता मिलेगा। अब, क्या उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायपालिका द्वारा मनोरंजन किए जाने की आवश्यकता है अथवा उन्हें मनोरंजन भत्ता मिलना चाहिए। इसका भुगतान भी भूतलक्षी प्रभाव से किया गया था। क्या यह सही नहीं है कि उन्होंने कहा था कि इसका भुगतान भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना चाहिए। मनोरंजन भत्ते की क्या आवश्यकता है। यहां तक कि सांसदों को भी मनोरंजन भत्ते की आवश्यकता नहीं है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं।

क्या न्यायाधीशों के लिए कोई आचार संहिता है? अगर वे इसे स्वयं निर्धारित करें, फिर भी न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता होनी चाहिए। न्यायपालिका को यह कहना चाहिए कि यह आचार संहिता है और उनके लिए आचार संहिता होनी चाहिए जिसका पालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः सभी माननीय सदस्यों से और खासकर सभी दलों के सचेतक और मुख्य सचेतकों से मेरा अनुरोध है कि चेयर के साथ कोओपरेट करें, क्योंकि सभी दलों का आवंटित समय समाप्त हो चुका है। अब जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच टेबल पर ले करना चाहते हैं वे अपनी स्पीच ले कर सकते हैं और जो बोलना चाहते हैं वे समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि समय केवल पांच मिनट ही मिलेगा।

[अनुवाद]

***डा. टोकचोम मैन्या** (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं "राज्य के तीन अंगों नामशः विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सद्भावपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता" पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

चूंकि यह चर्चा नियम 193 के अंतर्गत हो रही है, इसके प्रस्तावक तथा इसका समर्थन करने वाले सर्वश्री बसुदेव आचार्य तथा गुरुदास दासगुप्त ने इस मुद्दे पर सुंदर अनुमान लगाए हैं। हमने पचास वर्ष से ज्यादा समय तक लोकतंत्र को अपनाया है, ऐसा मुद्दा कोई मुद्दा नहीं लगता है। क्या यह रोचक नहीं है?

महोदय, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते समय मैं आपका और इस महान सभा का अनुग्रह चाहूंगा। हम सभी यह जानते हैं कि हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। यह जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, हमने स्वयं को संविधान आत्मर्पित किया है, जिसकी उद्देशिका इस संबंध में काफी स्पष्ट है सरकार चलाते समय अथवा अन्यथा क्या अनुपालन एवं अनुसरण किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारा देश एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए; तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाने के लिए है।

महोदय, हमारे देश में बल्कि हमारी व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। संविधान का आधारभूत ढांचा विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण है। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के इन तीनों महत्वपूर्ण अंगों के कार्यकरण एवं संचालन में तथाकथित अंतर्विरोध, बल्कि सरकार अंतर्विरोध है। इन अंतर्विरोधों/विपथनों से बचने तथा इनका समाधान करने का एकमात्र तरीका स्वनियंत्रण तथा आत्मसम्मान बनाए रखना तथा सच्चे अर्थों में व्यावसायिक आचारों का पालन करना है।

महोदय, इसके अतिरिक्त, इनमें से किसी भी अंग को किसी अन्य अंग को दिशात्मक अनुदेश नहीं देना चाहिए। संक्षिप्त रूप में, जैसे ही किसी अंग को अपनी ओर से तनिक भी विपथन प्रतीत हो, उसे उस दिशा में आगे बढ़ने से स्वयं को तत्काल रोकना चाहिए। कारण बिल्कुल स्पष्ट है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. टोकचोम मैन्या]

संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में यह उपबंध है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य सभा और लोक सभा होंगे। संसद विधायिका है।

संविधान के अनुच्छेद 124 में यह उपबंध किया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है, तब तक सात (अभी पच्चीस) से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। भारत के मुख्यमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यही न्यायपालिका है।

महोदय, इसी तर्ज पर अनुच्छेद 153 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 168 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा दो सदनों अथवा एक सदन, जैसा भी मामला हो, से मिलकर बनेगा।

अनुच्छेद 214 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संभवतः, इसके पश्चात् इन अंगों के संबंधित कार्यकरण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। राज्य को सभी शक्तियां इसी से प्राप्त होती हैं। जब तक हम अपने संविधान की इस शुचिता को बनाए रखते हैं तब तक चिन्ता की कोई बात नहीं है।

आइये हम सब भारत के संविधान की शुचिता को संरक्षित करें।

महोदय, अब मैं इस सम्माननीय सभा की भागीदारी चाहता हूं जब मैं माननीय केन्द्रीय विधि मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय का संवैधानिक दायित्व अभी भी अपूर्ण है। उदाहरणार्थ मेरे राज्य मणिपुर में अभी भी अपना उच्च न्यायालय नहीं है। यह अभी भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। यदि मामलों की संख्या इसका मापदण्ड है तो इस राज्य से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है।

महोदय, अपनी बात पूरी करने से पहले, मैं आपका और लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परा हेतु ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे चर्चा के लिए उठाने के लिए इस चर्चा को आरंभ करने वालों का अत्यन्त कृतज्ञ हूं।

***श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा** (बोब्बिली): महोदय, मैं आपको राज्य के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान न्यायपालिका और विधायिका में तनाव बढ़ा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई कानूनों पर प्रश्न उठाए गए हैं।

हमारा संविधान 58 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। जहां तक कार्यपालिका का संबंध है, इसमें जवाबदेही ही है। जहां तक विधायिका का संबंध है इसमें जवाबदेही है। अब हमारे सामने मूल प्रश्न न्यायिक जवाबदेही का है। किसी लोकतांत्रिक देश में जहां विधि का शासन ही सर्वोच्च है, वहां न्यायपालिका अवश्य ही स्वतंत्र होनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर बनाए रखा जाए। किन्तु इसके साथ ही, न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जनता ने संविधान बनाया है। लगभग सभी महान विचार और ऊर्जा मानवता के कल्याणार्थ सभी महान सेवाएं जनता से ही उत्पन्न हुई हैं। विधायिका जनता की वास्तविक प्रतिनिधि है।

विधायिका को ऐसे कानून बनाने पड़ते हैं जो संवैधानिक रूप से विधि सम्मत और वैध हैं। कार्यपालिका को ऐसे संवैधानिक वैध कानूनों को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के लागू करना पड़ता है। न्यायपालिका की सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना है कि संविधान के कानूनों का विधायिका और कार्यपालिका दोनों के द्वारा अक्षरशः एवं मूल-भावना सहित पालन किया जाए।

किसी कानून की संवैधानिकता के निर्धारण और कार्यपालक के निर्णय की समीक्षा करने के न्यायिक समीक्षा के अनुप्रयोग से न्यायाधीश, विधायिका और कार्यपालिका शाखा के बीच कभी-कभी तनाव हो जाता है। इस प्रकार का तनाव स्वाभाविक है और कुछ सीमा तक वांछनीय है। इसके अलावा, विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अनिवार्य है। न्यायिक समीक्षा अतिसाधारण कानून आविष्कार है जो 'भ्रामक रूप

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से सामान्य' लगती है, किन्तु यह कानूनी युक्तियों में से सबसे विष्मयकारी साधन है। कभी-कभी इसे गलती से विधान पर वीटो शक्ति भी कहा जाता है। शक्तियों के विभाजन के सिद्धान्त को सबसे आगे रखा जाना चाहिए और न्यायाधीश को यह आश्वस्त करना चाहिए कि प्रत्येक अन्य शाखा विधि और न्यायिक समीक्षा के दायरे में ही कार्य करे।

संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (4) के अनुसार न्यायिक जवाबदेही हेतु महाभियोग की कार्यवाही ही एकमात्र प्रक्रिया उपलब्ध है। क्या यह व्यावहारिक समाधान है? हमारे पास रामास्वामी मामले का कड़वा अनुभव है। यह सही है कि यह प्रक्रिया दुर्वह है और इसे अचानक से ही आरम्भ नहीं किया जा सकता। मेरे विचार से हमारे संविधान में केवल यही उपबंध है। इससे हटाया जाना निश्चित नहीं होता।

हाल ही में, हमने विभिन्न घटकों के तर्क सुने हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा गठित विभिन्न आयोगों की अध्यक्षता करने से प्रतिबंधित किया जाए। आलोचकों का कहना है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करके कार्यपालक, न्यायपालिका का अन्यत्र तरीके से उपयोग कर रहे हैं जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। किन्तु सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले आयोगों की सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति होती की होती हैं और ये केवल कार्यपालक के कर्त्तव्यों के बेहतर निर्वहन में सहायता करते हैं।

संविधान के तीनों अंगों की अपनी भूमिकाओं और जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के सदस्यों के बीच समन्वय बनाने और मतभेद को कम करने के लिए सरकार शीघ्रतिशीघ्र एक न्यायिक परिषद के गठन पर विचार कर सकती है। देश के सम्पूर्ण विकास के लिए संविधान की सच्ची भावना जो कि संविधान निर्माताओं ने परिकल्पित की थी, तीनों अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम करने की होनी चाहिए।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): सभापति महोदय, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर संक्षिप्त रूप से बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं प्रशासन और लोकतंत्र की पूर्णता के बारे में इस संसद में बोलने का यह अवसर देने के लिए श्री गुरुदास दासगुप्त का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, जैसा कि आप स्वयं भी जानते हैं कि आपकी व्यवस्थाएं तथा सभी सभापतियों की व्यवस्थाएं दर्शाती हैं कि संसद को आजकल के गंभीर विषयों पर चर्चा के लिए अधिक समय नहीं मिलता। जब हम गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं तो वह महत्वपूर्ण होता है हम अपने विचार अपने सहयोगियों के साथ बांटना चाहते हैं क्योंकि ये प्रशासन की पूर्ण प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं पूर्णता वातावरण पर निर्भर होती है। जो आज पूर्ण नजर आ रहा है, शायद कल वह पूर्ण न रहे। यह सभ्यता की त्रासदी है। परन्तु यह पूर्णता प्राप्त करने की हमारी इच्छा को रोक नहीं पाई है।

सभ्यता के आगे बढ़ने के बाद अब यह निश्चित मान्यता बन गई है कि लोकतंत्र शायद सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप है। लोकतंत्र में यद्यपि शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होता है फिर भी मोंटेसक्यू सिद्धान्त लागू नहीं होता। एक सीमा तक शक्तियों का पृथक्करण अनिवार्य है। यदि हम सरकार के तीनों अंगों को विशिष्ट शक्तियों के साथ अलग करते हैं तो लोकतंत्र की सफलता तथा उसे समृद्ध बनाने के लिए एक-दूसरे पर इनकी निर्भरता तथा उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होना बहुत जरूरी है।

इस चर्चा में, हम अपने मित्रों की बहुत ही विरोधाभासी राय सुन रहे हैं। हमने सांसदों की बाध्यताओं के बारे में सुना, हमने न्यायालयों की अतिसक्रियता के बारे में सुना हमने सरकार के विशेष अंगों में शक्तियों के केन्द्रीयकरण पर भी चर्चा की और हमने न्यायिक हस्तक्षेप के बारे में बातचीत की कई बार हम इसकी सराहना करते हैं, कई बार हम इससे आहत भी होते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि संवैधानिक सौहार्द खतरे में है या नहीं और इस सबसे अतिरिक्त हम अपने मस्तिष्क में कुछ विरोध के साथ-साथ न्यायिक जवाबदेही की बात कर रहे हैं।

महोदय, एक युवा छात्र के रूप में जब मैं कैरियर चुनना चाहता था, उस समय मैं बहुत खराब छात्र नहीं था—मेरे पिता ने कहा था "तुम एक कैरियर चुन लो।" मैं वकील बनना चाहता था। जीवन में मेरा एकमात्र लक्ष्य था वकील बनना, एक अच्छा तथा सफल वकील बनना। आज भी, जब मैं आपके समक्ष एक सांसद के रूप में खड़ा हूं मेरा मानना है कि यह सबसे बड़ी त्रासदी है कि मैंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की और लगभग दो अथाव तीन वर्षों तक मैंने वकालत भी की, परन्तु फिर मैंने वकालत बंद कर दी। मैं अब वकालत नहीं कर सकता; राजनीति में आने के बाद मेरे पास इसके लिए समय ही नहीं है। आपके राजनीति में आने का अर्थ है, आप सांसद हो, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए आपको 24

[श्री किरिप चालिहा]

घंटे कार्य करना पड़ता है और लोगों के लिए जो भी करना संभव होता है, आप उसके लिए पूरा प्रयास करते हो। अत: आपको पढ़ने का भी समय नहीं मिलता। दूसरी ओर एक वकील शाम 6 बजे अपना कार्य समाप्त कर न्यायालय से वापस आता है, अपने संक्षिप्त नोट देखता है, अपने कनिष्ठों को बुलाता है, रात 8 बजे से 11 बजे तक तथ्य पढ़ता है, अगले दिन सुबह मसौदा तैयार करता है और मामलों को प्रस्तुत करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों का जीवन दाव पर लगा होता है। यह उसकी संपत्ति हो सकती है, यह उसकी स्वतंत्रता हो सकती है यह उसके तथा उसके परिवार के बीच हितों का संघर्ष हो सकता है। अत: विधि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है; और विधि का शासन ही सभ्य समाज का एकमात्र संकेत है।

वस्तुत: यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि जहां कानून समाप्त होता है, वहां निरंकुशता आरंभ होती है। अब हम कानूनी प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, हम विभिन्न कमियों अति-सक्रियता तथा विभिन्न नकारात्मकताओं के लिए न्यायपालिका की आलोचना कर रहे हैं। कानूनी प्रणाली के बारे में नकारात्मक बात करना फैशन बन गया है।

इसमें एक अंतर होता है। संस्था की आलोचना नहीं की जा सकती। संस्था के कार्यकरण में कुछ गलत हो सकती है। मैं सिद्धान्त रूप से कहता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्ष बाद आज भी तीनों अंगों में से न्यायपालिका को सबसे अधिक आदर दिया जाता है, चाहे मैं इसे पसंद करूं या आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, एक वकील अथवा एक न्यायाधीश को मेरे अथवा मंत्री से अधिक ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है। क्यों?

महोदय, इससे दुख होता है, परन्तु जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा था: ''जब आपमें कमियां हैं तो उन्हें छोड़ने में डरो मत।''

[हिन्दी]

हमारी कोई गलती है, तो हमें मान लेनी चाहिए। क्यों कहा जाता है कि मंत्री बन जाने के बाद, करप्शन करते हैं। सारे मंत्री तो गलत नहीं हैं, सारे एम पी तो पैसा नहीं खाते हैं। यह क्यों कहा जाता है कि हम अपनी क्षमता का दुरूपयोग करते हैं।

[अनुवाद]

मेरे पिता एक कालेज के प्राध्यापक थे। एक युवा छात्र के तौर पर मैं वहां स्थानीय राजनीति होती देखी कि किस प्रकार प्रशासनिक निकाय जोड़-तोड़ करते और उन्हें किस प्रकार भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के आधार पर हटाया जाने वाला था। उस समय उन्हें जिस एकमात्र संस्था ने सहारा दिया वह राजनीतिज्ञ नहीं थी, न ही कार्यपालिका थी बल्कि न्यायपालिका थी। इसलिए न्यायपालिका को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मैं यह कहकर सही नहीं ठहरा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री किरिप चालिहा, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं दो मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय: यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री किरिप चालिहा: मैं जानता हूं और मैंने इस संसद के स्तर को देखा है। मैं 1991 से यहीं हूं। मैं संसदीय वाद-विवादों का स्तर देख चुका हूं। मैं विद्वानों को मुद्दों पर चर्चा करते हुए देख चुका हूं। एक युवा लड़के के रूप में मैंने विस्मय और प्रशंसा के साथ देखा कि किस प्रकार सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, अटल बिहारी वाजपेयी और अर्जुन सिंह तथा नरसिम्हा राव बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी सम्मान के साथ कुशल तरीके से बहस किया करते थे। क्या आज ऐसा होता है? क्या हम दिल से यह कह सकते हैं कि हमारा वही स्तर है? क्या हम वे लोग नहीं हैं जो मंत्रियों को चुनते हैं? क्या हम वे लोग नहीं हैं, जिनके प्रति कार्यपालिका जवाबदेह है? कार्यपालिका की जवाबदेही इसलिए है क्योंकि यहां संसद है। संसद भी लोगों के प्रति जवाबदेह है। यह सत्य है। परन्तु न्यायपालिका के पास यह जवाबदेही नहीं है। परन्तु इसके बावजूद मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अब तक न्यायपालिका काफी अच्छा कार्य करती रही है। हां कुछ अपवाद भी हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ अपवाद भी हैं।

मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि 100 परिवारों या 200 परिवारों का ही न्यायाधीश के पदों या न्यायपालिका में पदों पर एकाधिकार हो। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि हां, हमें न्यायिक आयोग की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि मेधावी लोग आगे आएं और न्यायाधीश बनें। हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मेधावी लोग न्यायाधीश बनें क्योंकि न्यायाधीश हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके लिए हमारे द्वारा सांसदों द्वारा तंत्र ईजाद किया जाना चाहिए। हमें अपना कर्त्तव्य निभाना है या कार्यनिष्पादन करना है। क्या हमने अपना कर्त्तव्य निभाया है। क्या हमने उस कर्त्तव्य को आज तक अंजाम दिया है। क्या यह सच नहीं है कि कोई बहुत ही सफल वकील न्यायाधीश नहीं बनेगा? मैं उन वकीलों के बारे में जानता हूं, जो इतना सारा

पैसा कमाते हैं। लेकिन यदि उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति या न्यायाधीश बनने को कहा जाए, तो वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उनका वेतन बहुत ही कम है।

जब तक आप न्यायाधीशों या न्यायपालिका में समुचित भत्ते और अवसर प्रदान नहीं करेंगे, वे आगे नहीं आएंगे।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री किरिप चालिहाः मैं अपनी अंतिम बात कहना चाहता हूं।

मुझे हाल ही में, संसद सदस्य के रूप में मालदीव में "जवाबदेही के सिद्धांत और सरकार की तीनों शाखाओं के बीच संबंध" पर राष्ट्रमंडल सम्मेलन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां कुछ सुझाव दिए गए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय उनके बारे में जानते हैं।

आज का रुझान भी यही है कि न्यायिक जवाबदेही हो और मैं यह उद्धृत करना चाहता हूं। हमारे कई मित्र इसका पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जहां एक ओर संसद की कानून बनाने की प्रमुख जिम्मेवारी तथा दूसरी ओर कानून की व्याख्या करने और उसे लागू करने की न्यायपालिका की जिम्मेवारी सर्वोपरि है। वहीं न्यायिक जवाबदेही की भी आवश्यकता है। "लोगों को विशेष रूप से अपने मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में न्यायालयों में सुविधाजनक और बिना किसी अड़चन के जाने का अवसर उपलब्ध हो। न्याय पाने के मार्ग में किसी भी प्रकार की मौजूदा प्रक्रियारत बाधा को दूर किया जाना चाहिए।" यह किया जाने वाला कार्य है।

यह बहुत ही प्रासंगिक है। सभी राष्ट्रमंडल देश आज न्यायधीशों की सार्वजनिक आलोचना के बारे में बात कर रहे हैं।

सभापति महोदयः श्री किरिप चालिहा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अगले सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री किरिप चालिहाः महोदय, मेरा अंतिम विचार यह है कि "न्यायिक कार्यनिष्पादन की वैध सार्वजनिक आलोचना, जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है।" महोदय, यह एक बात है, जिससे सदस्य के रूप में आप भी सहमत होंगे। "आपराधिक कानून और अवमानना प्रक्रिया न्यायालयों की वैध आलोचना को प्रतिबंधित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां नहीं हैं।" महोदय, हम सभी चाहते हैं कि तीनों ही शाखाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण कार्यनिष्पादन होना चाहिए। कहीं पर, इस सामंजस्य का अभाव है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की तानाशाही खराब है किंतु बड़ी तादाद में लिए गए कड़े निर्णय ही हमेशा सही नहीं होते। इतिहास ने यह दर्शाया है। संसदीय लोकतंत्र हमारे द्वारा शक्ति का उपयोग करने पर निर्भर है। लेकिन शक्ति को सीमित करना भी शक्ति का उपयोग करने के समान ही महत्वपूर्ण है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अब, श्रीमती रंजीत रंजन।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री किरिप चालिहा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। नहीं, श्रीमती रंजीत रंजन के भाषण के अलावा, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

सभापति महोदयः कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान) *

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। हमने जो हालात पिछले दिनों देखे, सही मायने में बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिसमें न्यायपालिका ने अपनी सीमा को लांघा है।

अपराह्न 4.00 बजे

यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक नहीं हैं। कहीं न कहीं हम लोगों में ही कमी है। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार वही करता है, जिसकी नौकरी परमानेंट होती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में से यदि किसी की नौकरी पांच साल नहीं है, तो विधायिका की नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनकी नौकरी परमानेंट होती है, यह एक उदाहरण हमारे सामने है। यदि हम खाना खा रहे हैं, तो किस तरह खा रहे हैं और यदि हम चल रहे हैं, तो किस तरह चल रहे हैं, हमारे पास कितनी सम्पत्ति है, घर में कितनी ज्वैलरी या सोफे रखे हैं, उसकी एक-एक जानकारी न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक होती है, लेकिन हमें न न्यायपालिका की जानकारी होती है कि उनके पास कितनी सम्पत्ति है और न कार्यपालिका की जानकारी होती है कि उनके पास क्या है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती रंजीत रंजन]

मैं सबसे पहले आपको यह कहना चाहती हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को ईमानदार बनाने के लिए एक नियम पास किया कि हम लोग, मतलब कोई भी एमपी गाड़ी पर रेड लाइट नहीं लगाएंगे, क्योंकि शायद इससे भ्रष्टाचार फैलता है। मुझे हैरानी होती है कि एक एसएचओ, इंस्पेक्टर रेड गाड़ी पर लाइट लगा कर घूमता है, लेकिन हम यदि रेड लाइट लगा लें, तो हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, लेकिन वे भ्रष्टाचारी नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने सिर्फ चार बिंदू रखना चाहूंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या संविधान से ऊपर न्यायपालिका है या न्यायपालिका से ऊपर संविधान है? आज बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। चाहे अध्यक्ष महोदय का कोई निर्णय हो या राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई निर्णय हो, चाहे कोई सिविल मुद्दा हो, हर जगह न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है। सिर्फ हस्तक्षेप ही नहीं किया है, बल्कि इस तरह से टिप्पणी की है कि हमें शर्म आ रही है कि विधानपालिका में इस तरह से हो रहा है। शर्म की बात यह है कि आज कोड आफ कंडेक्ट के तहत इस तरह से आम व्यक्ति को, कार्यपालिका और विधानपालिका को इस तरह से चुप करा कर रखा गया है कि मीडिया की भी हिम्मत नहीं है कि अगर न्यायपालिका में कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसके खिलाफ बोल सके। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप जज, ज्यूरी और वकील को ले लें, मैं आपको धरातल की बात बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए, किसी गरीब की बात छोड़िए, मिडल क्लास व्यक्ति को भी बैंक लूटना पड़ेगा, डकैती डालनी पड़ेगी, मतलब एक क्राइम से बचने के लिए दूसरा क्राइम करना पड़ेगा, तब जा कर वह सुप्रीम कोर्ट की फीस चुका पाएगा। पचास हजार से लेकर छः लाख तक फीस लेते हैं क्या कोई ऐसा संशोधन होगा ताकि वकीलों की फीस को संशोधित किया जाए? जिसमें आम व्यक्ति निर्णय पाने के लिए पैसे की राह न देखे। यह बहुत जटिल समस्या है, मैंने जेल में जाकर देखा है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो 22 वर्ष से जेल में है सिर्फ इसलिए कि उसके पास वकील को पैसे देने की हैसियत नहीं है। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि जजों की नियुक्ति आज तक जिस तरह से होती रही है, यह शर्म की बात है कि समस्त भारत में परसेंटेज में पांच परसेंट भी बैकवर्ड क्लास के लोग जज नहीं हैं। आज हमें यह संशोधन करना चाहिए कि जजों की नियुक्ति में फ्री कम्पीटिशन का नियम बनाएं ताकि लोग कम्पीटिशन से आएं क्योंकि जो जज हैं उसी का बेटा या भतीजा जज न हो। यदि सर्वे करें तो पता चलेगा कि कुछ फैमिलीज हैं जिनके बच्चे, जिनके लोग जज की कुर्सी पर बैठ रहे हैं और दलित कम्युनिटी को इससे अलग रखा जा रहा है। हमें कहा जाता है कि हम सही मायने में राजनीति करते हैं लेकिन यदि सर्वे हो तो सही मायने में पता चलेगा कि उच्च कुर्सी पर बैठकर राजनीति होती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति को यदि कोई क्रिमिनल बनाता है तो वह काम उच्च कुर्सी से शुरू होता है। यदि एक व्यक्ति बेगुनाह है और वह पैसे के कारण बेगुनाही सिद्ध नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति दोबारा क्रिमिनल बनता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि यदि कोई व्यक्ति गलत जजमेंट् के कारण क्रिमिनल बनता है तो आखिर अपराधी कौन है? वह व्यक्ति है या जजमेंट देने वाला जज है?

मैं आपसे एक प्वाइंट और कहना चाहूंगी कि सम्पत्ति की सार्वजनिकता हमारे लिए अनिवार्य है। यदि हम पांच या दो साल बाद चुनाव लडते हैं तो हमें फीस से लेकर ऊपर तक एक-एक चीज को सार्वजनिक करना पड़ता है लेकिन चीफ जस्टिस आफ इंडिया की टिप्पणी आई कि हम भ्रष्ट नहीं हैं इसलिए हम अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं करेंगे। यह इस सदन का घोर अपमान है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो तीन स्तम्भ मजबूत हैं, उनकी तरह हमें भी अधिकार नहीं है कि हमें भी जानकारी हो कि उनकी संपत्ति की सार्वजनिकता क्या है?

इसमें ट्रांसपेरेन्सी बहुत जरूरी है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस लोकतंत्र में हम किसको सुप्रीमो मानते हैं और आज इस देश में यदि कोई सुप्रीम पावर है तो वह ज्यूरी को माना जाता है। जजों के द्वारा बहुत सारे ऐसे डिसीजन्स आये हैं, जिनमें संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक ही केस में एक व्यक्ति, जो यह स्वीकार करता है कि उसने हत्या की है, उसे कह दिया जाता है कि नहीं, इतने हत्या गैर-इरादतन की है और दूसरे को फांसी की सजा दी जाती है। यदि आप सर्वे करें तो आप बहुत सारे ऐसे केसिज पायेंगे जिनमें संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैं आपसे विनती करूंगी कि यदि हमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में यह लाना है कि हर एक अपनी सीमा में ही रहे और कोई अपनी सीमा को न लांगे तो सर्वप्रथम इस लोकतंत्र में विधायिका में हम लोगों को युनाइट होना पड़ेगा और युनाइट होने के बाद हम लोगों को जजों की नियुक्ति में और उनकी सम्पत्ति की सार्वजनिकता पर एक कानून जरूर पास करना चाहिए कि कोड आफ कंडक्ट के कारण जो मीडिया को अखबार को या किसी को भी जजों के खिलाफ बोलने या लिखने की अनुमति नहीं है, इसके लिए नया संविधान बने, ताकि उनके जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके बहुत सारे सम्पत्ति के भ्रष्टाचार हैं, रेप केसिज में जज फंसे हैं, उन्हें भी सार्वजनिक करने का अधिकार मीडिया को होना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अगली वक्ता श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव हैं।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): महोदय, मैंने अपना भाषण पहले ही सभा पटल पर रख दिया है।

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री एन.वाई. हनुमानथप्पा हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सर, हमारी पार्टी का समय है।

सभापति महोदय: आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया है।

श्री राम कृपाल यादव: सर, अलग से समय दीजिए।

सभापति महोदय: यहां अलग से नहीं हो सकता है। चेयर न्याय से चलता है।

[अनुवाद]

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा (चित्रदुर्ग): सभापति महोदय, शक्ति के विभाजन के बारे में मुझे कुछ शब्द बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। वस्तुतः, इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है, किंतु किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। यह इतना अधिक आश्चर्यजनक और जटिल विषय है।

तीन अंगों के बीच शक्ति का विभाजन भारत की मूल सोच नहीं है। हमने इसे अमरीकी संविधान से लिया है अर्थात् न्यायिक विभाजन। हमने स्वयं को ऐसा संविधान दिया, जिसकी प्रमुख दर्शन समानता, स्वतंत्रता और भाई-चारे के आधार पर सामाजिक न्याय है। ...*(व्यवधान)* इसलिए, हमारे संविधान के संस्थापकों ने यह सोचा कि कानून का प्रारूप तैयार करने अथवा उसे बनाने, कानून की व्याख्या करने और कानून को लागू करने की शक्ति को एक ही हाथों में सौंपने की बजाय शक्ति का विभाजन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे तानाशाही बढ़ती है अथवा कुछ मामलों में निरकुंशता फैलती है। दूसरे शब्दों में। संविधान ने तीन अंगों के बीच शक्तियों का वितरण किया है, अर्थात् संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका।

अपराह्न 4.08 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

इनमें से कौन सी सर्वोच्च है या कौन सी निम्नतर है? संविधान में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि संसद से न्यायपालिका सर्वोच्च है या कार्यपालिका से संसद सर्वोच्च है। ये राज्य के तीन अंग हैं और मेरी समझ से ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह हैं। कोई भी श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी अधीनस्थ नहीं है और हर किसी को अपनी भूमिका निभानी है। न्यायपालिका कर्तव्य व्याख्या करने का है; संसद का दायित्व कानून बनाने का है और कार्यपालिका का दायित्व इसे कार्यान्वित करने का है।

सौभाग्यवश, एक ओर संसद और विधानमंडल तथा दूसरी ओर कार्यपालिका के बीच कोई ज्यादा विवाद नहीं हं क्योंकि किसी न किसी तरह ये कार्य निष्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी ये कोई त्रुटि करते हैं, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही मौजूद हैं और ये त्रुटियों को सुधारें।

लेकिन मुझे डर है कि न्यायपालिका तथा संसद की भूमिका में बहुत ज्यादा विवाद है। दोनों अंगों को समझना चाहिए कि संविधान उनसे क्या आशा करता है। जहां तक संसद का संबंध है मैं नहीं कहता कि इसने कभी-भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है। बेशक मेरा अनुभव केवल तीन वर्ष या इससे कुछ ही ज्यादा समय का है।

मुझे पूर्व के रिकार्ड देखने का अवसर मिला था। मुझे लगता है कि इसने कभी भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है। संसद ने, न्यायपालिका द्वारा समय-समय जो भी कहा गया है उसके बाद भी इसका सम्मान किया है। साथ ही मैं यह भी नहीं कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका गलत कर रही है। तथापि मेरा अनुभव है न्यायपालिका-संविधान के अनुरूप कार्य करने, संसद के अनुसार कार्य करने, नियमानुसार कार्य करने की बजाय कई मामलों में विहित आदेशों से बढ़कर काम किया है। न्यायपालिका का काम सिर्फ यह देखना है कि क्या कोई विशेष या विधि अविधिक अथवा गैर-संवैधानिक या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है या नहीं। उन्हें संसद के कृत्यों पर कोई कथन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि न्यायाधीश विधि निर्माता नहीं है तथा वे कानून नहीं बना सकते हैं।

बेशक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व सर्वोपरि है। साथ ही न्यायाधीशों को समझना चाहिए कि संसद देश की जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करती है। देश की जनता ने संसद को सर्वोच्च शक्तियां दी हैं। संसद, जो कि एक चुने हुए प्रतिनिधियों का निकाय है, ने जब भी जरूरत पड़ी है लोगों की मदद की है तथा सहायता की है। यहां पर जनता की इच्छाओं के आधार पर कानून बनाए जाते हैं। जब हम समाज की आवश्यकता के आधार पर कानून बना रहे हैं तो न्यायपालिका को इसकी व्याख्या नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका कानून की व्याख्या केवल तभी कर सकती है जब ये विधिनुरूप नहीं है। या ये अंवैधानिक हैं या ये प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हैं। न्यायपालिका को इन सीमाओं के भीतर ही रहना चाहिए। न्यायपालिका संसद की शक्तियों

[श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा]

का प्रयोग नहीं कर सकती है तथा इस बात की घोषणा नहीं कर सकती है कि अमुक अधिनियम के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए या वैसा नहीं होना चाहिए। यह हमारा काम है। जब कोई अधिनियम सही नहीं है तो हम इसका संशोधन करेंगे। न्यायपालिका को ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका को केवल विधि की व्याख्या करनी है, न्यायपालिका को इससे आगे नहीं जाना चाहिए।

न्यायपालिका के कार्य की बात करें तो मेरे कुछ साथियों, विशेषकर महिला सदस्य ने कहा था कि न्यायपालिका कतिपय मामलों में पूर्णतया सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। माननीय विधि मंत्री यहां बैठे हैं। न्यायपालिका को समाज की आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिए। उन्हें आने वाले खतरे को समझना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि कानून लोगों द्वारा, हम सभी द्वारा बनाया गया है। यह कानून हमने नहीं बनाया है। कानून लोगों द्वारा बनाया गया है। यदि लोग कोई विशेष प्रकार का कानून चाहते हैं तो ऐसे कानून में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सामाजिक न्याय दिया जाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं खासतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी समाज का सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहां लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए तथा कल्याणकारी समाज होना चाहिए। न्यायपालिका कुछ मामलों में सीमाएं लांघ रही है। यह एक बात है। दूसरी बात यह कि न्यायपालिका की संरचना में समानता के सिद्धान्त, सामाजिक न्याय का सिद्धान्त प्रतिबिम्बित नहीं है। न्यायपालिका में समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोग बहुत कम हैं।

हमें स्वतंत्रता मिले हुए साठ वर्ष से अधिक हो गए हैं लेकिन पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित दस या पन्द्रह से अधिक लोग न्यायाधीश नहीं बने हैं। अत: यह न केवल न्यायपालिका के लिए बुरी बात है बल्कि अति सम्मान के साथ कहता हूं कि हमारे लिए भी बुरी बात है। यदि मंत्रालय के पास जरा भी शक्ति है, यदि मंत्रालय की सामाजिक न्याय के लिए जरा भी प्रतिबद्धता है तो उसे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का चयन करना चाहिए। मंत्रालय यह कार्य नहीं कर रहा है। वे केवल कहकर ही सहानुभूति जताते हैं। यह दोहरा मानदण्ड है। मैं कहता हूं कि यह संविधान के साथ बड़ी धोखेबाजी है। मैं परिणामों की परवाह किए बिना कह सकता हूं।

यदि उन्हें थोड़ी भी चिन्ता है तो उन्हें यह काम करना चाहिए, इन वर्गों में बहुत सारे अच्छे व सक्षम अधिवक्ता हैं किन्तु उन्हें कोई अवसर उपलब्ध नहीं है। उन्हें उन लोगों की सूची बनानी चाहिए। वस्तुत: मंत्रालय कह सकता है कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है। निश्चित रूप से उनके पास शक्तियां हैं, उच्चतम न्यायालय सीधे तौर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, इसे सरकार के साथ सलाह करनी होती है। यह काम सरकार को करना होता है।

मामलों के निपटान के संबंध में लोग आशा करते हैं कि न्याय तुरन्त दिया जाएगा। वर्तमान में कई-कई वर्षों से मामले लंबित पड़े हैं। यह किसकी गलती है? हमें यह देखना होगा। इसके अलावा न्यायिक अधिमत बहुत खर्चीले हो गए हैं। वे अमीर लोगों के लिए हैं न कि समाज के गरीब वर्गों के लिए।

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जनहित याचिका के मामले में, कोई व्यक्ति, सरकार जो कि हजारों करोड़ों रुपयों में चलती है, सरकार द्वारा प्रभारित किए जा रहे कर के विरुद्ध एक पोस्टकार्ड लिखकर जनहित याचिका दायर कर सकता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके पास एक या दो एकड़ जमीन है तथा जब इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है, यदि दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है और वह न्यायालय में अपील करना चाहता है तो उसे फीस देनी होती है। पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने के लिए उसकी पूरी जमीन चली जाती है, उसे न्यायालय की फीस देनी होती है। यह क्या प्रणाली है। क्या यह समाज के गरीब लोगों, ग्रामीण लोगों तथा दबे-कुचले लोगों के पक्ष में है? यह आम आदमी के पक्ष में नहीं है, यह अमीर लोगों के पक्ष में है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष होने तथा संविधान जिसमें कहा गया है कि सबके लिए समान न्याय होगा। स्वीकार करने के बावजूद भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी मामले में यह नहीं कहा गया है कि तंत्र सही नहीं है, हमें जाकर लोगों के दिलों को तलाशना चाहिए तथा ऐसे निर्णय देने चाहिए जो समाज में गरीब वर्गों के पक्ष में हों। उन्होंने इनकी परवाह नहीं की।

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक संसद ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखलअंदाजी नहीं की है क्योंकि संसद कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का ही सम्मान करती है। लेकिन न्यायपालिका राष्ट्र की आवश्यकताओं, लोगों की आवश्यकताओं और संसद ने क्या कहा है, समझने में नाकाम रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: इसके बाद सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए केवल पांच मिनट का समय मिलेगा। पहले ही बहुत से वक्ता इसमें भाग ले चुके हैं। माननीय मंत्री को आज इसका उत्तर भी देना है।

श्री मित्रसेन यादव।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): माननीय सभापति जी, सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य गुरुदास दासगुप्ता जी द्वारा प्रस्तावित नियम 193 की चर्चा में बोलने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन की जैसी भावना है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

आज संवैधानिक संस्थाओं में जो टकराव पैदा हो रहा है, उस पर विचार करने के लिए हम बैठे हैं। इस संविधान में कोई कमी है या इन संस्थाओं के क्रियाकलापों में कोई कमी है, कहां से ये विसंगतियां पैदा हो रही हैं, इसका हल हमारी संसद को करना है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। ये बताएंगे कि आखिर निर्णायक शक्ति कौन है, कौन सी ताकत ऐसी है जो इसका निस्तारण करेगी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ऐसे संविधान के ऐसे अंग हैं जिनके द्वारा हमने संविधान की प्रस्तावना में ही देश को डैमोक्रैटिक, सोशलिस्ट, सैक्यूलर स्टेट बनाने का संकल्प लिया और कुल मूल अधिकार देने के लिए हमने लोगों को स्वतंत्र किया। इसके बाद भी 60 साल के बाद देश में इस प्रकार की विसंगतियां हैं कि संविधान के प्रति अंगुली उठ रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि माननीय अध्यक्ष जी और न्यायपालिका के बीच कुछ ऐसे प्रश्न उठ गए और कुछ ऐसे भी प्रश्न हमने सुने हैं कि न्यायपालिका में बैठे बहुत से लोग हमारी इस ...*(व्यवधान)** की परिभाषा देते हैं। इसलिए विसंगति होना स्वाभाविक है। आज किस की शक्ति बढ़ी है, जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं, उनके प्रति जो असंतोष पैदा हो रहा है और उससे जो कानून-व्यवस्था भंग हो रही है और सामाजिक जीवन में जो असंगति पैदा हो रही है, उस पर विचार करने के लिए सबसे बड़ी संस्थाएं हमारी विधायिका हैं। समाज में किस प्रकार के लोगों को असंतोष है, उसके लिए हम चुनाव में जाते हैं। जनशक्ति से राजशक्ति बनती है और राजशक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। यह संस्था राजशक्ति की द्योतक है और राजशक्ति राज्य में किस प्रकार का असंतोष है, उसे दूर करने के लिए नियम एवं कानून बनाती है तथा उस कानून के तहत हमारी जो कार्यपालिका है, उसे दूर करने के लिए नियम एवं कानून बनाती है तथा उस कानून के तहत हमारी जो कार्यपालिका है, वह उसका पालन करती है, उसमें विसंगति होती है तो न्यायपालिका उसका निर्धारण करती है। अब इसमें कौन गलती कर रहा है और किस कारण हमारे अंदर असंतोष हो रहा है। कानूनों एवं नियमों से बाहर कोई नहीं है, इसके बाद भी कानूनों के प्रति अंगुली उठ रही है। इसका मतलब उसके प्रति सही आचरण नहीं हो रहा है। न्यायपालिका कानून का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रही है, वहां भी किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ टकरा रहा है—चाहे वह आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक स्वार्थ हो। स्वार्थों से परे कोई नहीं है और स्वार्थों के आधार पर आज सबसे बड़ी ताकत पैसा है।

"यशास्य वित्तम् सनराकुलीना, सएवम् वक्ता सचादर्शनीया, सर्वे गुणा कांचनम् माशर्येन्ते।" सभी गुण धन के आश्रित हैं, पूंजीवादी व्यवस्था का यह सबसे बड़ा अवगुण है और यही अवगुण आज हमारे देश में काम कर रहा है। धन की बदौलत न्यायपालिकाएं बिक रही हैं, कार्यपालिकाओं में भ्रष्टाचार है और उसकी बदौलत हमारी विधायिकाओं में भी कमजोरियां आई। इस पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, आप जितनी भी बहस करते रहें, तब तक कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यहां न्याय मंत्री जी बैठे हैं, वे बताएं कि इसका क्या नतीजा है, क्या हल है, आज जो हमारे संविधान के प्रति अंगुलियां उठाई हैं। हमने समय-समय पर संविधान में संशोधन किया, प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कोई भी दिक्कत पैदा हुई तो हमारी विधायिका ने उसमें संशोधन किया, उसके बाद भी यहां बीमारी बनी हुई है, दर्द हुआ है, नक्सलवाद पैदा है, न्यायपालिका गलती कर रही है एवं कार्यपालिका में भ्रष्टाचार है—चाहे आईएएस, आईपीएस हो या जितने भी उच्च कोटि के आफिसर हों, सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सारी व्यवस्था को पैसे पर बेचा जा रहा है।

महोदय, लोग साफ-साफ कहते हैं, साफ-साफ कहना पड़ेगा कि अर्थ पर नियंत्रण और आर्थिक व्यवस्था पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक आपके सारे नियम एवं कानून बिकते रहेंगे और यह व्यवस्था चलती रहेगी। इसलिए विधायिका के सामने आज सबसे बड़ा यह प्रश्न है कि आप किस प्रकार से देश को, अखंड भारत और हमारी संप्रभुता को तथा हमारे देश की जो तमाम धरोहर है उसे कैसे बचाएंगे, यह सवाल हमारे संविधान के सामने है? माननीय गुरुदास दासगुप्ता जी ने यह प्रश्न ऐसे ही नहीं उठाया, अनायास यह प्रश्न नहीं आया है, सबके दिल एवं दिमाग में यह बात थी, यह प्रश्न आना चाहिए था, और अच्छे ढंग से आना चाहिए था, बहुत सूझबूझ के साथ अच्छे सुझाव आने चाहिए थे। आज इसका निस्तारण होना चाहिए कि किस प्रकार से इस विसगंति को दूर किया जाएगा, आने वाले दिनों में, ये हमारे तीनों अंग, जो हमारी संप्रभुता को बचाने वाले हैं और संविधान की रक्षा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मित्रसेन यादव]

करने वाले हैं, इनमें किसी प्रकार का टकराव नहीं होगा और देश के अंदर बढ़ते हुए असंतोष की धारा को रोका जा सकेगा। यही हमारी इस बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको और गुरुदास दासगुप्ता जी को धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सरकार इस पर सही ढंग से निर्णय देगी और गंभीरता से विचार करेगी।

[अनुवाद]

***श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी): महोदय, श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा पेश किए गए संकल्प पर इस सभा में नियम 193 के अधीन जो चर्चा की जा रही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और इस राजनीतिक निकाय को इसका समाधान करना होगा।

महोदय, इस देश में सभी लोग आखिरी उपाय के रूप में न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। लेकिन लम्बित मामलों की बढ़ती हुई संख्या और यदा-कदा उठने वाले गंभीर भ्रष्टाचार के मुद्दे ने न्यायपालिका के प्रति लोगों के विश्वास को कम किया है।

हमारे संविधान ने राज्य के तीनों स्तंभों नामत: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को शक्तियां और स्वतंत्र प्राधिकार दिए हैं। केवल न्यायपालिका को अन्य दो स्तंभों के कार्यकरण के निर्वचन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संविधान के अनुच्छेद 226(2) के अंतर्गत, जब कार्यपालिका की तरफ से कोई चूक होती है तो न्यायपालिका इससे प्रभावित लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय कर सकती है। क्या न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों का किसी सीमा तक निर्वचन कर सकती है। जहां तक कार्यपालिका का संबंध है, क्या इसकी ऐसी कार्रवाइयों जो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है, की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जा सकती है। जहां तक विधायिका का संबंध है क्या इसके द्वारा बनाए गए कानून संविधान की भावना के विरुद्ध हैं, की जांच की जाएगी। इन दो अपवादों को छोड़कर न्यायपालिका के पास राज्य के अन्य दो स्तंभों के कार्यकरण पर प्रश्न लगाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल उलट है। यही कारण है जिसके चलते आज इस सभा में इस प्रश्न पर चर्चा हो रही है कि क्या संविधान द्वारा भारत के लोगों को प्रदान किए गए राज्य के तीनों स्तंभों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विद्यमान है। विद्यमान रुझान चिंताजनक है, न्यायपालिका दैनिक आधार पर कार्यपालिका के कार्यों में छोटे-मोटे हस्तक्षेप करने के बजाय गंभीर हस्तक्षेप करने लगी है। इस प्रवृत्ति को रोके जाने की आवश्यकता है।

जहां तक विधायिका का संबंध है, विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह है क्योंकि विधायी निकायों के सदस्यों को लोगों से मिलना पड़ता हैं, चुनाव का सामना करना पड़ता है और उनका जनमत प्राप्त करना पड़ता है क्योंकि वे सीधी जनता के प्रति जवाबदेह होते है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, वे प्रशासनिक प्राधिकरणों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होते हैं। प्रशासन अथवा कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। जबकि न्यायपालिका एक ऐसा स्तंभ है जिसे स्वतंत्र रखा गया है और यह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। यदि जब वहां पर पारदर्शिता का भी अभाव है तो न्यायपालिका से पार पाना मुश्किल है और इन हालातों में यदि न्यायपालिका से कोई भूल-चूक भी होती है तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है। जब पूरे देश के विभिन्न न्यायालयों में $2^1/_2$ करोड़ मुकदमे लम्बित हैं और जब उच्चतम न्यायालय के ही समक्ष 35,000 मामले लम्बित हैं तो हम ऐसी स्थिति में पाते है कि कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों को अनुचित प्राथमिकता दी जा रही है और अवकाश के दिन भी उनकी सुनवाई हो रही है। न्यायालयों की इस प्रकार की स्वीकृतियों और टिप्पणियों से लोग न केवल आश्चर्यचकित हैं अपितु दुखी भी हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री के आय से ज्यादा सम्पत्ति रखने का मामला लम्बे समय से लम्बित है जबकि उनके जनहित उपाय की वैधता से संबंधित प्रश्न संबंधी मामले को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और तो और देश के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अनावश्यक जल्दबाजी भी दिखाई। न्यायालयों द्वारा कामगारों के अपना विरोध प्रदर्शित करने के मूलभूत अधिकारों को कम करने की मांग की गई थी।

तत्पश्चात्, लोगों की जायज भावनाओं की अनदेखी करने की मांग की गई। यह मांग उस समय की गई जब लोगों ने कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के विरुद्ध विरोधस्वरूप एक दिन काम रोकने की घोषणा की थी। न्यायपालिका जिस तरीके से काम कर रही है लोग उससे काफी हैरान हैं। अभी तक इस प्रवृत्ति को रोकने का कोई रास्ता नहीं है।

हमारे संविधान में जनहित याचिकाओं की व्यवस्था की गई है। कुछ मामलों में कुछ अच्छी चीजें भी आई हैं और लोगों ने उसकी सराहना भी की है। लेकिन कई बार वास्तविक शिकायत की अनदेखी की जाती है; इसलिए हमारे न्यायालयों को चाहिए कि वह समाज के निर्धन और वंचित वर्गों का विश्वास जीते। उदाहरण के लिए लोकप्रिय सरकारों द्वारा चुनाव के समय किए गए वायदों

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को पूरा करने हेतु सामाजिक न्याय के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं लेकिन न्यायालयों द्वारा जनहित याचिकाओं के नाम पर जल्दबाजी में उसे अवरुद्ध किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं की आड़ में प्रशासन को चलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है और वे न्याय प्रदान करने के नाम पर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

पूरे विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्तियां न्यायाधीशों द्वारा ही की जाती है। इसलिए यहां पर सभी संवैधानिक अंगों और निकायों के लोगों को शामिल करते हुए कोई प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई व्यवहारिक तंत्र सामने आ सके जब तक यह कदम नहीं उठाया जाता तब तक न्यायपालिका स्वयं को राज्य का एक पारदर्शी अंग नहीं बना पाएगी। न्यायपालिका को चाहिए कि वह लोकतंत्र की इस वास्तविक भावना को समझे कि लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है। न्यायपालिका को संविधान और उससे अधिक इसकी प्रस्तावना के आलोक में लोकतंत्र की सच्चाई को समझना चाहिए। रोजगार और नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था का विस्तार न्यायपालिका में भी होना चाहिए अर्थात् न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, तभी विभिन्न तबकों के लोगों को न्याय मिल सकेगा। अत: न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रयोजनार्थ न्यायपालिका में वंचित वर्गों और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को शिक्षित तथा नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इससे न्यायपालिका आज की तुलना में संतुलित तरीके से कार्य कर पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे इसे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। श्री गुरुदास दासुगप्ता जी ने हारमोनियस रिलेशन्स बिटवीन लैजिस्लेचर, जुडीशियरी एंड एग्जीक्यूटिव विषय पर चर्चा शुरू की थी। मैं भी अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से उसी पर विचार प्रकट करना चाहती हूं। मैं इसमें और जोड़ना चाहती हूं। इसमें मेरा सोचना यह है कि प्रजातंत्र के जो चार स्तम्भ हैं—विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया न इनके साथ-साथ पांचवां स्तम्भ सामाजिक संगठन को भी मैं इसमें जोड़ना चाहती हूं। अभी जो चर्चा चल रही है, वह सिर्फ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के आपस के रिलेशन्स के ऊपर चल रही है। इस संदर्भ में यह बहुत ही स्पष्ट है कि इन तीनों के अपने-अपने दायरे तय हैं। इन दायरों के अंदर रह कर अगर इन्होंने काम किया, तो सारा सब कुछ ठीक होता है, लेकिन हो यह रहा है कि जो इन तीनों के अधिकार और कर्त्तव्य हैं, ये आपस में एक-दूसरे के ऊपर ओवर लैप हो रहे हैं। यह जो ओवर लैपिंग हो रही है, इसी के कारण इनमें जो हारमोनियमस रिलेशन्स होने चाहिए, वे नहीं हो पा रहे हैं। एक की गलती, दूसरा निकालता है। संविधान ने इन तीनों के काम को जिस तरह से बांध रखा है, जिस तरीके से उसे डिफाइन कर रखा है, वे अपने डिफाइन वर्क के अंदर नहीं रह कर, ओवर लैप करते हैं, तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है और इसी कारण इन तीनों में आपस में रिलेशन्स में कटुता आ जाती है। आज जब हम यह चर्चा कर रहे हैं कि इन तीनों के जो संबंध हैं, वे बराबर से बनाए रखे जाएं, इनके मूल में यही है कि ये तीनों अपने-अपने कर्त्तव्यों को अच्छी तरह से जानें और अपने अधिकारों को भी उतने तक ही यूज करें, तो अच्छा रहेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक उदाहरण न्यायपालिका के संदर्भ में ही देना चाहती हूं और चूंकि मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं इसलिए उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हम हर पांच साल में चुनाव लड़ने के लिए अपना फार्म भरते हैं, तो उस समय हम अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देते हैं। हम हर पांच साल में चुनाव के मैदान में जाते हैं और अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यह पाबन्दी केवल विधायिका के लिए की गई है। न्यायपालिका के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा कानून बने, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका को भी, यानी जजों को भी हर पांच साल में एक बार अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी हो। इसी प्रकार से जो कार्यपालिका है, जिसके अंतर्गत सभी बड़े-बड़े अधिकारी आते हैं, वे सब भी अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें। इससे कम से कम यह स्पष्ट हो सकेगा कि कानून के सामने सब बराबर हैं और केवल विधायिका को ही समाज के सामने इस हेतु विवश नहीं कर रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका भी इसमें बराबर आते हैं। हम देखते हैं कि विधायिका के बारे में तो समाज में टिप्पणी की जाती है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। इसलिए समाज इनसे भी क्लैरिटी चाहता है। इस तरीके से वह पारदर्शिता उन तक भी रहनी चाहिए। जब हम विधायिका के लिए ऐसा करते हैं, तो यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए भी होना चाहिए।

महोदय, न्यायपालिका के अंदर जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइल्स को ऊपर लाने के लिए क्या-क्या कुछ करना पड़ता है। यह बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है। कानून की जो व्याख्या न्यायपालिका में होती है, उससे बहुत कष्ट होता है। जो कानून बने हुए हैं, न्यायपालिका उनके दायरे में काम

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

करे, कानून को सही रूप से इंटरप्रेट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और अनेक बार देखा गया है कि कानून की गलत व्याख्या की जाती है। कभी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर हस्तक्षेप किया जाता है, उनके ऊपर कानून की गलत व्याख्या करके टिप्पणियां की जाती हैं। इससे किसी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में एक आम धारणा बन जाती है किसी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि शायद वह स्टेट गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन की गलत व्याख्या करती है, तो ऐसा लगता है कि न्यायपालिका शायद अपने अधिकारों से और आगे बढ़कर इस प्रकार की बात कर रही है।

महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, उसके अधिकार स्वयं न्यायपालिका ने अपने अंदर ही समाहित किए हुए हैं, जबकि यह अधिकार दूसरी जगह होने चाहिए। मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सांसद ने भी यह विषय उठाया था। मैं उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहती हूं कि किस प्रकार से बहुत सारा भ्रष्टाचार इन विषयों में हो रहा है। जजेज बनाने में कई जगह भ्रष्टाचार उजागर भी हुआ है।

महोदय, विधायिका को भी न्यायपालिका के निर्णयों को तवज्जुह देनी होगी। वह उसका भी मान-सम्मान करे, लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं होता। मैं एक उदाहरण इलाहाबाद हाईकोर्ट का देना चाहती हूं। उसने वर्ष 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी के इलैक्शन को अवैध करार कर दिया, तब वे चाहतीं, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर इस्तगासा पेश कर सकती थीं, आगे जा सकती थीं। लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट में नहीं गईं और उन्होंने इस देश के अन्दर आपात काल लागू किया, जिसके एक काला अध्याय इस देश के अन्दर शुरू हुआ। मेरा यह कहना है कि अभी वर्तमान में भी पार्लियामेंट के ऊपर जो बम विस्फोट हुए, उसमें अफजल गुरु को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाई गई, लेकिन उसके बाद भी उसे फांसी नहीं दी जा रही, यह जो चीज होती है तो मैं यही बार-बार कह रही हूं कि जब हम हारमोनियस रिलेशंस की बात करते हैं तो एक दूसरे का हम सम्मान करना सीखें। एक दूसरे के अधिकार के बारे में वे लोग स्पष्ट बात कहें, तभी ठीक होगा, क्योंकि बार-बार जनहित याचिकाओं के माध्यम से भी, जैसे सांसदों के सस्पेंशन का मैटर आया, अगर सांसदों का सस्पेंशन यहां इस जगह पर हुआ है, यहां लोक सभा में, संसद में हुआ और उसके बाद में वे कोर्ट में याचिका को एक्सैप्ट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि विधायिका द्वारा लिए गये किसी निर्णय को कैसे कोई कोर्ट उसके ऊपर प्रश्नचिह्न लगा सकती है। ये चीजें तो स्पष्ट होनी चाहिए कि अगर हमने कोई पावर्स इस इलैक्टिड विधायिका को दी हैं तो वे पावर्स कहां तक ले सकते हैं, कितने तक उनकी पावर्स हैं, हमारा कोई निर्णय कभी कहीं पर चैलेंज हो जाये, उनके द्वारा कोई निर्णय लिया है, न्यायपालिका ने कोई डिसीजन दिया है, उसको हम किस तरह से तोड़-मरोड़ सकते हैं, यह जो सारा सब कुछ चल रहा है, इसीलिए हारमोनियस रिलेशंस के अन्दर बहुत खटाई आ गई है। यह जो गुरुदास दासगुप्त जी ने शुरू किया, यह वास्तव में बहुत ही अच्छी चर्चा थी, जिसमें हमारे इतने सारे सदस्यों ने भाग लिया था।

सैक्शन 355 और सैक्शन 356 के संदर्भ में भी मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सैक्शन 355 केन्द्र सरकार राज्य सरकार को किसी बारे में संविधान के अन्दर अगर उसने कोई पालना में त्रुटि की है तो उसके बारे में केन्द्र सरकार सीधे-सीधे राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, लेकिन होता क्या है कि जब उन निर्देशों की पालना नहीं होती है तो राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। ऐसा भी किया गया, लेकिन जब केन्द्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू करती है तो संबंधित सरकारें कोर्ट के अन्दर जाती हैं और फिर उसके बाद कोर्ट से स्टे आ जाता है। इसीलिए मैं बार-बार कहना चाहती हूं कि यह जो ओवरलैपिंग हो गई है, उसको किसी तरह से बन्द करने के लिए कोई उच्च्व-स्तरीय समिति बनाई जाये, जो उच्च्व-स्तरीय समिति इन सारे मैटर्स को लेकर कोई अच्छा डिसीजन ले सके, जिसकी वजह से जो हारमोनियस रिलेशंस हम सोचते हैं कि इन तीनों के अन्दर होने चाहिए, वे रिलेशंस प्रोपर वे में हो सकेंगे।

मैं आपके माध्यम से आप सबसे और सरकार से इसके अन्दर सिर्फ विनती कर रही हूं कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे का सम्मान करते रहें और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अन्दर अतिक्रमण से बचना चाहिए और इनके बीच इस तरीके के अच्छे संबंध बन रहें ताकि हमारा लोकतंत्र जीवित रहे। लोकतंत्र के ये जो स्तम्भ हैं, अगर इनमें से एक भी गड़बड़ा गया तो लोकतंत्र बिल्कुल ध्वस्त हो जायेगा। जब हमने इस देश के अंदर लोकतंत्र लागू किया है तो यह लोकतंत्र तभी जीवन्त और सही माना जायेगा, जब हम इन सभी को बराबर प्रोपर वे में निर्धारित कर सकेंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ बातों को उठाने का अवसर देने पर आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अपने माननीय सहयोगी श्री गुरुदास दासगुप्त का आभारी हूं जिन्होंने इन तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर अब बढ़ती अव्यवस्था और अस्थिरता पर विचार करते हुए इस मुद्दे का विशेष उल्लेख किया है।

महोदय, आप जानते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि यहां पर प्रत्येक नागरिक को अधिकार और स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान किया गया है।

जहां तक संसद का प्रश्न है, संसद को कानून बनाना होता है, न्यायपालिका जो कानून की अभिरक्षक है उसे कानून की व्याख्या करनी होती है, और कार्यपालिका को इसका कार्यान्वयन करना होता है। इस संदर्भ में प्राय: न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है। जिसके कारण सभी माननीय सदस्य इस सम्माननीय सभा में अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

इस संबंध में मैं कतिपय पहलुओं का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। जहां तक पदोन्नति प्रक्रिया का संबंध है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हनुमानथप्पा ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों का विशेष उल्लेख किया है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आजकल पदोन्नति प्रक्रिया बहुत दोषयुक्त है।

महोदय, यह गुहार लगाई गई थी कि न्यायिक आयोग गठित किया जाएगा और वह निर्णय लेगा कि सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली वकीलों की न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति की जाए। परंतु यह देखा गया है कि इस दशक में सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली वकीलों का उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किए जाने के लिए कभी चयन नहीं किया गया है। इस बात का पता है कि उक्त चयन हेतु क्या प्रक्रिया है और बल्कि यह देखा गया है कि अधिकांशत: विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए निकट संबंधियों का चयन किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप हर कहीं यह शोर-शराबा है कि यह न्यायिक प्रणाली किसी भी समय ठप्प हो सकती है।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, हम यहां गरीबों, पददलितों तथा आम आदमी को न्याय देने के लिए हैं। यह देखने में आया है कि संविधान अथवा विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा तथा दायरे के भीतर गरीब आदमी को मुश्किल से न्याय मिल पाता है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसकी अपील का निपटारा कभी भी एक दशक में नहीं होता है। वे कहते हैं कि अवसंरचना का अभाव है। पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश नहीं हैं और स्वयं न्याय प्रदान करने की प्रणाली बहुत दोषयुक्त है। अत: मैं यह विशेष उल्लेख करना चाहूंगा तथा इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पदोन्नति में परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय सर्वोत्तम वकीलों का चयन किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरे विचार से लगभग 31 वर्षों तक वकील के रूप में मेरी वकालत और उड़ीसा उच्च न्यायालय के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता का अनुभव कहता है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली वकीलों की प्राय: अनदेखी की जाती है। इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जब न्यायिक आयोग गठित किया जाए तब बार एसोसिएशन के प्रेजीडेन्ट और सेक्रेटरी तथा अन्य क्षेत्रों के विभिन्न लोगों को इस आयोग का सदस्य बनाया जाए। इसके परिणामस्वरूप, कोई निष्पक्षता नहीं होगी अथवा हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने में समर्थ होंगे।

महोदय, हमें गर्व है कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष है और यह गरीब लोगों को न्याय प्रदान करती है। यह देखना है कि क्या गरीब लोगों को वास्तव में न्याय मिलेगा या उनको कई वर्षों तक अदालतों के चक्कर कटवाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब तक कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होंगे तो पूरी प्रणाली ही ध्वस्त हो जाएगी। इसके कारण अराजकता और अस्थिरता पैदा हो सकती है।

महोदय, यह पहले ही निर्णय हो चुका है कि संसद सर्वोच्च है। संसद विधि बनाएगी जहां तक इसके निर्वचन का संबंध है, इसका पता लगाना न्यायपालिका का कर्त्तव्य है कि इसमें कुछ गलत या बुरा तो नहीं है। जहां तक अन्य प्रणाली का संबंध है, विधि की व्याख्या करने हेतु अति सक्रियता नहीं होनी चाहिए।

महोदय, इस संबंध में मुझे आशा और विश्वास है कि चूंकि सभी माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता, निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए और इसे अल्प अवधि के भीतर न्याय प्रदान करना चाहिए। इस स्थिति को बनाकर रखा जाना चाहिए और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि तीन महत्वपूर्ण स्तंभों में लोकतांत्रिक प्रणाली के गौरव और पवित्रता को बनाए रखने हेतु सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए जिस पर हम स्वयं गर्व करें।

मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा हमारे विद्वान सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा शुरू की गई है। यह स्वागत योग्य कदम है। यह

[श्री बिक्रम केशरी देव]

आवश्यक है कि हमारे लोकतंत्र के तीनों स्तंभों अर्थात् न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ-साथ चौथे स्तंभ मीडिया को पारस्परिक समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। यदि इनमें समन्वय नहीं होगा तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

यहां, मैं ए.के. गोपालन बनाम स्टेट आफ मद्रास के मामले का उद्धरण देना चाहूंगा। जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने इसके बारे में कहा था तथा विधायिका की शक्तियों, विधायिका की सर्वोच्चता को परिभाषित किया था। इंसान से गलती होती है। न्यायाधीश ईश्वर नहीं होते हैं। वे इंसान हैं। परंतु उन्होंने उत्तर प्रदेश में जगदंबिका पाल और वर्ष 2005 में झारखंड वाले मामले में गलती की है। इन दो मामलों में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था कि न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अत:, महोदय, यह देखा गया है कि यह न्यायिक सक्रियता का स्पष्ट उदाहरण है। क्योंकि न्यायपालिका को विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

न्यायपालिका विधि की व्याख्या करती है। इस सम्माननीय सभा द्वारा बनाई गई विधि को न्यायालयों उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों अथवा निचली अदालतों द्वारा व्याख्या की जाती है। परंतु यदि आप न्यायपालिका के ढांचे को देखें तो प्रश्न पैदा होता है कि हमारी न्यायपालिका कितनी स्वायत्त है, क्योंकि उनकी वित्तीय क्षमता और शक्तियों पर विधायिका का नियंत्रण होता है। इन मामलों की जांच करने के लिए श्री नचीयप्पन के सभापतित्व में स्थायी समिति गठित की गयी है। इस प्रश्नों को वेबसाइट पर भी रखा है। प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिकाओं को वित्तीय देनदारियों, वित्तीय आवेदनों के संबंध में अधिक स्वायत्तता दी जाए अथवा नहीं। अत: इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा।

इसके अतिरिक्त, विधायिका के सदस्य होने के नाते हम इस देश के विधि-निर्माता हैं। हमें हमारा अपेक्षित अधिकार मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाओं का बहुत ज्यादा बोझ है। कुछेक जनहित याचिकाएं वास्तविक होती हैं और कुछेक गौण किस्म के मामलों से संबंधित होती हैं। अत: आपके पास ऐसी प्रणाली होनी चाहिए। जिसके द्वारा इनका निपटारा किया जा सके। संविधान में पहले से ही न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कर्त्तव्यों का सीमांकन किया गया है।

हमारे संविधान में कर्त्तव्यों का स्पष्ट तौर पर विभाजन किया गया है। लेकिन यह दुख की बात है कि कार्यपालिका की विफलता के कारण न्यायालयों में अधिकाधिक जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं। जल निकासी अथवा पीने के पानी की व्यवस्था करने अथवा पशुओं को चराने के अधिकारों जैसी छोटी-छोटी बातों के लिए लोग उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाएं दायर कर रहे हैं। इसलिए इन चीजों की समुचित संवीक्षा की जानी चाहिए। इस समय लगभग 2.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनका निर्णय अभी किया जाना है। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश के आज के वक्तव्य की तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा है कि हमें मामलों को निपटाने के लिए गुजरात में अपनाई जा रही पद्धति को अपनाना चाहिए। गुजरात में सांध्य न्यायालय काम रहे हैं और इन न्यायालयों में काम करने वालों को कुछ और अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है। आज गुजरात में ऐसा किया जा है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूत किया जाना चाहिए। हमें सार्वजनिक जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। ये न केवल विधायिका पर लागू होनी चाहिए अपितु यह कार्यपालिका और न्यायपालिका पर भी लागू होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि ओमबड्समैन अथवा लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह लम्बे समय से लटका हुआ है। मुख्य प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री का कार्यालय लोकपाल के दायरे में आना चाहिए या नहीं। एन डी ए शासन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन कभी पारित नहीं हुआ। इससे पूर्व भी ऐसा ही होता था। स्वर्गीय लोक सभा सदस्य डा. लक्ष्मीमल सिंघवी जब संसद सदस्य थे, उस दौरान उन्होंने राज्य सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किया था। तत्पश्चात इस विधेयक को लोक सभा में भी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के रूप में पुर:स्थापित किया गया था। इस पर जनमत व्यक्त हुआ था क्योंकि इसे इसके लिए भेजा गया था। राजनीतिक दलों के प्रत्येक चुनाव घोषणा-पत्र में हम देखते हैं कि लोकपाल का उल्लेख किया जाता है। चाहे वह कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र हो या भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र हो या किसी अन्य दल का चुनाव घोषणा-पत्र हो, प्रत्येक पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में इसका उल्लेख किया जाता है। क्या न्यायपालिका के काम के बोझ के दबाव को कम करने के लिए लोकपाल की आवश्यकता नहीं है? हम सार्वजनिक जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखने की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हर जगह शिकायतें हैं। वास्तव में क्या न्यायपालिका अथवा विधायिका अथवा कार्यपालिका में सच्ची पारदर्शिता है? इसलिए इस देश में किसी न किसी प्रकार का ओमबड्समैन (लोकपाल) होना चाहिए। कुछ राज्यों में ऐसा है। लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान जिस प्रकार के लोकपाल को लाए जाने का वायदा किया जाता है उस प्रकार का लोकपाल अभी तक नहीं आ पाया है।

पिछली बार जब इसे पुर:स्थापित किया गया था तो उस बार इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी और तत्पश्चात् चुनाव आ गए थे। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि ओमबड्समैन अथवा लोकपाल लोकतंत्र के तीसरे और चौथे स्तंभों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इन्हीं स्तंभों पर भारत

खड़ा है और हम यह प्रयत्न करेंगे कि अपने जीते जी इन स्तंभों को मजबूत बनाए रखें। यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार सबसे बढ़िया सरकार होती है। इंगलैंड में अमूनन राजशाही द्वारा वित्तीय मामलों का निर्णय किया जाता था लेकिन जब विद्रोह हुआ, तो किंग चार्ल्स का सिर कलम कर दिया गया और इंगलैंड में क्रामवेल लार्ड प्रोटेक्टर बने, उस दौरान राजा का भी गिलोटिन कर दिया गया था। क्योंकि हमारा अस्तित्व जनता की इच्छा से है और वह इच्छा बनी रहनी चाहिए तथा जनता की इच्छा का सम्मान करना हमारा कर्त्तव्य है। इसलिए जनता की इच्छा का सम्मान करने के लिए हमें एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है, एक मजबूत कार्यपालिका और एक मजबूत विधायिका की आवश्यकता है। सांसद सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है क्योंकि वह जनता द्वारा चुना जाता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका में नौकरी की गारंटी है लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जो लोक सभा में आते हैं और हमें पांच वर्षों के बाद पुनः जनता के पास जाकर यह बताना पड़ता है कि देश में क्या हुआ तथा हमने उनके लिए क्या किया है। हमें पुनः आना पड़ता है। इसलिए सांसद सर्वोच्च होता है। ''प्रश्न के बदले धन लेने'' के प्रकरण में यह सर्वोच्चता सिद्ध हो चुकी है, जब अध्यक्ष महोदय और माननीय सांसदों द्वारा सांसद के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसकी प्रशंसा की थी। यही भावना होनी चाहिए। केवल ऐसी भावना के साथ हम इस लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं।

सभापति महोदयः अब, हमें विधि मंत्री को भी सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः महोदय, मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः यहां ऐसी कई मांग की जाती हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः महोदय, मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दी जाए। आपने सभी को बोलने का मौका दिया है, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब माननीय मंत्री बोलेंगे। समय नहीं है। अभी भी बहुत से लोग शेष हैं। मैं इस तरह से कार्यवाही नहीं चला सकता। यह संभव नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बारे में मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः हम इस मामले के बारे में आपसे पहले ही बहुत सुन चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः महोदय, माननीय मंत्री जी तो बोलेंगे ही, उनकी बात हम लोग सुनेंगे, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): मुझे बोलने दीजिए। कृपया मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदयः मुझसे पहले भी आपको बोलने का मौका देने से इंकार कर दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हंस राज भारद्वाजः राम कृपाल यादव जी, मुझे जवाब देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मेरे से पहले अध्यक्षपीठ पर पीठासीन सदस्य द्वारा भी आपको बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। मैं केवल उनका अनुसरण कर रहा हूं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने स्वयं आपको बोलने का अवसर देने से मना कर दिया था। मैं केवल उनका अनुसरण कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, दूसरी पार्टियों का भी समय काफी पहले खत्म हो गया था, लेकिन यह परम्परा रही है कि पार्टी समय से ज्यादा समय माननीय सदस्यों को बोलने के लिए दिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मेरे प्रिय मित्र, मैंने आपको अनेक मौके दिए हैं। आपको पहले पर्याप्त मौके मिल चुके हैं। अब इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

***श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** (बोलनगीर): महोदय, संविधान निर्माताओं ने दो बातों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया था। पहली बात यह कि लोगों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना तथा दूसरी बात यह कि लोक भावना की सर्वोच्चता को कायम रखना। राज्य के तीन अंगों के बीच शक्तियों के कार्यपरक बंटवारे की व्यवस्था हमारे देश के संविधान की एक विशेषता है, जिसमें प्रत्येक अंग की शक्तियों, क्षेत्राधिकार और जिम्मेदारियों को इस तरीके से विनिर्दिष्ट किया गया है कि अतिव्याप्ति से बचा जा सके और प्रत्येक अंग अपने दायरे में रहकर और अन्य दो अंगों के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

विवादित बातों पर आम लक्ष्य को दिमाग में रखकर पारस्परिक सम्मान करते हुए स्वस्थ परम्परानुसार विचार किया जाएगा। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि सत्ता निरंकुशता की हद तक किसी एक अंग विशेष में ही केन्द्रित नहीं है।

18वीं शताब्दी के फिलो मान्टेस्क्यू ने यह कहा था कि शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से ही व्यक्तिगत आजादी की बेहतर ढंग से गारंटी दी जा सकती है।

भारतीय संसद एक संप्रभु विधि निर्मात्री है किंतु अब वेस्टमिनिस्टर माडल, जो संसद की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है, के विपरीत असीमित शक्तियों के साथ यह भारतीय संविधान का एक अंग है और इसकी शक्तियां, अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व हमारे संविधान के संगत अनुच्छेद में पाए जाते हैं।

संविधान ने संसद को उपयुक्त स्थानों और संविधान की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है और इसके अधिकारों और शक्तियों में विधि संबंधी अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग-3 के कतिपय अनुच्छेद के अंतर्गत कटौती की गई है।

संसद महाभियोग के मामलों के अलावा न तो न्यायाधीशों के आचरण पर और न ही न्यायनिर्णयाधीन मामलों पर विचार कर सकती है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि न्याय पालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक और संविधान की संरक्षक है, संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली के सृजन में काफी सावधानी बरती। तथापि, इसका क्षेत्र विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, जो लोगों की आम भावना का प्रतीक है, की व्याख्या करने तक ही सीमित है।

यद्यपि, संविधान ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को किसी कानून या अधिकारिक कार्यवाही, जिसे वह मूलभूत कानून या संविधान के प्रतिकूल माने, को असंवैधानिक मानने हेतु न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है।

तथापि, उसका क्षेत्र यह सुनिश्चित करने तक ही सीमित है कि कोई कानून इस प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है जिसने उसे बनाया है और दूसरे, क्या वह मौलिक अधिकारों संबंधी संविधान के भाग के अनुरूप है।

अमरीकी न्यायालय से भिन्न हमारा उच्चतम न्यायालय न्यायिक निरंकुशता का कारक नहीं बन सकता है क्योंकि हमारा संविधान न्यायिक सर्वोच्चता में विश्वास नहीं रखता है।

हमारे संविधान ने अमरीकी संविधान से लिए गए विधि सम्मत प्रक्रिया शब्द के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को रखा है। अतः संविधान न्यायालयों को विधान द्वारा बनाए गए कानून की प्रक्रिया का अनुसरण करने को बाध्य करता है।

न्यायपालिका को संसदीय रिकार्डिंग की वैधता की जांच करने या विधान की बुद्धिमता और नीति का मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है। वह केवल विधि के उन गुण और दोषों की जांच कर सकती है जहां संविधान ऐसा करने पर कोई रोक न लगाये। वर्तमान सरकार को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही से छूट प्राप्त है।

संसद और न्यायपालिका के बीच का युद्ध गोलक नाथ मुकदमा (1967) के साथ और तेज हो गया। यह एक नियमित मामला बन गया है कि न्यायालय निर्णय दे और संसद द्वारा उसके लिए संशोधन किया जाये और प्रत्येक दूसरे अंग के अधिकारों को कम करने का प्रयास करे, जैसे गोलक नाथ मुकदमा, 24वां और 25वां संशोधन, केशवनंद भारती मुकदमा, 42वां संशोधन मिनर्वा मिल्स मुकदमा।

विधायिका के अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका के प्रवेश के साथ ही एक ऐसे युग की शुरूआत हुई जिसमें व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ने लगा जैसे- जगदम्बिका पाल मुकदमा (1998 और झारखंड मुकदमा, 2005)

अब न्यायिक सक्रियता अपने चरम पर है और उसने जेहाद का रूप ले लिया है जो यह तय करता है कि:-

(एक) कारखाने कहां स्थापित होने चाहिए; कौन से कारखाने स्थापित होने चाहिए;

(दो) बांधों की ऊंचाई और उनका स्थान क्या होगा;

(तीन) खेल-कूदो के प्रसारण अधिकार;

(चार) दिल्ली में व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त करना या सील करना।

यह युग भी जनहित याचिका का है जिससे संसद के अधिकारों, लोगों की संप्रभुता का हनन होता है।

न्यायिक सक्रियता द्वारा दिए गए बहाने इस प्रकार है-

(एक) हम संसद द्वारा पारित कानूनों की ही व्याख्या करते हैं;

(दो) कहा जा रहा है कि संसद सो रही है;

(तीन) आचरण के व्यवसायीकरण के कारण संसद अब जनता की भावनाओं को व्यक्त नहीं करती।

मैं न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर को उद्धृत करना चाहूंगा जिन्होंने कहा था कि न्यायिक सक्रियता के नाम पर भारत में आज के न्यायाधीशों ने निस्पक्ष संदर्भों के पारंपरिक पथ का परित्याग कर दिया है और उन्होंने बड़े पैमाने पर न्यायिक मानकों की निस्पक्षता को कम किया है। ऐसे कृत्यों की वैधता की न्यायिक स्तर पर समीक्षात्मक आकलन की आवश्यकता है।

यह ट्रेंड अपनाया जा रहा है:

(1) शक्तियों के पृथक्करण के माडल सिद्धांत

(2) कम करके आंकी जा रही न्यायपालिका के कानून

(3) न्यायपालिका मामले को निरस्त करने के अपने शीर्ष पर है

(4) यह बिना जवाबदेही के अपना कार्य नहीं कर सकती है।

निष्कर्ष के रूप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायिक तानाशाही स्थापित कर सकती है और राज्य के तीनों अंगों के बीच असंतुलन पैदा करके समाज में अव्यवस्था पैदा कर सकती है।

विधायिका और न्यायपालिका दोनों को जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए और दोनों को संविधान, जो सर्वोच्च है, द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए।

संविधान ने तीनों अंगों के बीच एक नजदीकी संबंध स्थापित किया है किंतु ऐसा एक दूसरे को नियंत्रित करके नहीं अपितु एक दूसरे की प्रशंसा करके किया गया है। व्यवस्थापिका और विधायिका की तरह न्यायपालिका भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी बननी चाहिए। क्योंकि वह भी कानून से ऊपर नहीं है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): सर्वप्रथम, मैं आपको राज्य के तीन अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सौहार्दपूर्ण कार्यकरण जैसे अतिमहत्वपूर्ण विषय पर इस चर्चा की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं प्रस्ताव करने के लिए माननीय श्री गुरुदास गुप्ता को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): मेरा नाम गुरुदास गुप्ता नहीं बल्कि गुरुदास दासगुप्त है।

श्री हंस राज भारद्वाज: खैर, गुरुदास दासगुप्त। चूंकि, दो दास हैं। मैं उन्हें वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं जिसमें इतने माननीय सदस्यों ने भाग लिया। यह लोकतंत्र की जीवंतता और सफलता है कि इस सभा ने इस चर्चा को इतना अधिक महत्व दिया है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सभी माननीय सदस्य यह ध्यान में रखकर विषय की दृष्टि से बोले कि संविधान को अपने समुचित संदर्श में कार्य करना होगा और राज्य के किसी अंग को किसी अन्य अंग के कार्य क्षेत्र को हड़पने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

अपराह्न 4.50 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

यह वास्तव में वैसी सद्भावना है जिसकी हम आशा करते हैं। सामान्यतः कहें तो राज्य के स्तंभ स्वतंत्र हैं क्योंकि विधायिका अलग कार्य करती है, कार्यपालिका कार्यान्वयन करती है और न्यायपालिका न्यायनिर्णय करती है। संविधान की योजना के अंतर्गत ये अलग-अलग कार्य हैं और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इन्हें अपने कार्यक्षेत्र की परिधि में कार्य करना होगा।

महोदय, हमें अपने देश पर गर्व है और मैं निराशावादी नहीं हूं। कभी-कभी कुछ व्यक्ति कुछ छोटे मुद्दों पर जनहित याचिकाएं उच्चतम न्यायालय दायर करते हैं और उच्चतम न्यायालय निदेश देता है कि सीआरजेड का सृजन किया जाए अथवा सीएनजी दी जाए। यह एकदम हाल की घटना है जो उस समय शुरू हुई जब संविधान के अनुच्छेद के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। परंतु लोकतंत्र की बुनियाद हमारे उन संस्थापकों उन महान नेताओं द्वारा रखी गई है। जो इस सभा में इन सीटों पर बैठे थे। हमने युवावस्था में इस सभा में हुए वाद-विवाद को सुना है और हमें गर्व है कि प्रत्येक मुद्दे पर बिना किसी द्वेष, बिना किसी पूर्वाग्रह के वस्तु-निष्ठ चर्चा की गई थी जैसा कि हमने इस वाद-विवाद में किया है क्योंकि हम अपने भाग्य पर चर्चा कर रहे हैं चाहे आप अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद के मुद्दे को लीजिए, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आखिरकार हम भारत की जनता के भाग्य पर चर्चा कर रहे हैं। यह इस सभा का सम्मान और महत्व है कि हम भारत की जनता के प्रतिनिधि हैं।

इस संदर्भ में मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान में किए गए पहले संशोधन से सहमत हूं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह अंतरिम संसद थी और वह इस संशोधन को उस समय लाए जब

[श्री हंस राज भारद्वाज]

बिहार में भूमि सुधारों को चुनौती दी गई थी। शायद दरभंगा के महाराजा और कुछ अन्यों ने चुनौती दी थी और इस सभा में कुछ बहस हुई थी कि यह संपत्ति का अधिकार है, यह अति परम पावन है और हमें संपत्ति के अधिकार को परिरक्षित करना होगा क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। उस समय शायद पंडितजी ने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया था कि हजारों लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वादे किए हैं मैं जनता से किए गए वादों को नहीं तोड़ सकता और मैं चाहूंगा कि हम देश में जो नीतियां और कार्यक्रम तथा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते हैं उनमें कोई हस्तक्षेप न हो। इस संदर्भ में जैसा कि श्री गुरुदास दासगुप्त ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय मेरे रास्ते में नहीं आ सकता; न्यायाधीश मेरे रास्ते में नहीं आ सकते क्योंकि मैंने वादे किए थे और मैं उन्हें पूरा करूंगा। यह सम्माननीय सभा इस बात की साक्षी है और वह संशोधन पारित किया गया था। महोदय, एक दीर्घानुभवी प्रसिद्ध वकील के रूप में कृपया याद कीजिए कि क्या उस समय संसद सर्वोच्च थी।

संसद ने पंडित नेहरू के कार्यकाल में एक बार नहीं बल्कि कई बार संविधान में संशोधन किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंतजलि शास्त्री ने कहा: 'संसद के पास पूर्ण शक्तियां हैं। संसद की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं हैं।'' यह संसद ही थी जो सर्वोच्च थी, यद्यपि हम सब जानते हैं कि हमारे संस्थापकों की संसद की सर्वोच्चता की अवधारणा नहीं थी जो कि ब्रिटेन में थी क्योंकि कहां ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति नहीं है और वहां संसद सर्वोच्च है। शायद हमने संयुक्त राज्य अमरीका से कुछ अधिक ग्रहण किया है जहां कानूनों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका में निहित है। यह तनाव का एक कारण होगा क्योंकि हम यहां संसद में कार्य करते सच्चे मन से महसूस करते हैं कि हम सही कार्य कर रहे हैं। हम किसी कानून को पारित करते समय उसके समर्थन या विरोध में बहुत अधिक वाद-विवाद करते हैं, हम कई चरणों से गुजरते हैं जैसा कि पहले हम पहली बार उसका अध्ययन करते हैं, दूसरी बार अध्ययन करते हैं और तीसरी बार अध्ययन करते हैं। परन्तु तत्पश्चात् एक मूलभुत सिद्धांत है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को इसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल सीमित परिस्थितियों में किया जा सकता है और न्यायालयों ने भी इस बात को नोट किया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति में यह निहित है कि कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। यदि हम कोई ऐसा कानून पारित करते हैं जो संविधान के अधिकारातीत है तो निश्चित रूप से न्यायालय इसकी जांच-पड़ताल कर सकते हैं और उसे निरस्त कर सकते हैं। केवल न्यायाधीशों के पास ही यह शक्ति है कि वे यह बता सकते हैं कि यह संविधान के अनुरूप हो या नहीं।

अंततः, महोदय, कानून क्या है इसके बारे में कहने के लिए यह क्षेत्र केवल न्यायपालिका को आबंटित है। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्यों को सिर्फ यह याद दिलाऊंगा कि वर्ष 1803 में संयुक्त राज्य अमरीका में मार बरी बनाम मेडिसन में विरोध था, महान विधिवेत्ता और मुख्य न्यायाधीश जान मार्शल ने कहा था- ये वह शब्द हैं। जिनको भारतीय न्यायाधीशों द्वारा प्रायः दोहराया जाता है और कभी-कभी यह जानकर आश्चर्य होता है कि इन्हें कहां से ग्रहण किया जाता है परंतु चूंकि आप अनुसंधान करते हैं तो आप पाएंगे-''यह कहना सुस्पष्ट रूप से न्यायिक विभाग का कार्य क्षेत्र और कर्त्तव्य है कि कानून क्या है।'' इस वाक्यांश को पूरा का पूरा अपनाया गया है और शायद भारतीय न्यायालयों में प्रयोग में लाया गया है।

अब, प्रतिदिन न्यायाधीश कहते हैं कि हम जो कहते हैं वही कानून है। परंतु ऐसा कहना निश्चित रूप से सही नहीं है। कानून वह है जिसे संसद पारित करती है। एक बार इस पर सर्वसम्मति हो जाती है तो वह कानून बन जाता है। न्यायालय केवल सीमित क्षेत्र तक जांच-पड़ताल कर सकता है कि यह संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। संविधान में कानून में वर्णित नीतियां सरकार द्वारा प्रदान की जानी हैं और अकेले संसद इसे पारित कर सकती है। इन प्रतिपादनों के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इससे अवगत है।

एक और महत्वपूर्ण बात है। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि विधि सम्मत शासन जैसी कोई चीज है। जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि सरकार के कार्य कानून के अनुसार ही होने चाहिए। कोई भी मंत्री ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जो कानून के अनुसार नहीं हो। अतः, कानून के शासन की मांग यह है कि सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग कानून के अनुसार तथा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार करना चाहिए। न्यायालयों द्वारा मामलों पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से निर्णय दिया जाना चाहिए। यह प्रजातंत्र की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मैं इस अवसर पर अत्यंत सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि हम एक स्वाभिमानी देश हैं और अधिकांशतया हम ऐसा करने में सफल रहे हैं।

महोदय, आपको अपने विशद अनुभव से यह ज्ञात है कि इस सभा ने किस प्रकार इतिहास रचा है। जब-तब कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन सब मिलाकर इस सभा में स्वयं को सौंपी गई जिम्मेदारी से निपटने के लिए शक्ति एवं संकल्प का प्रदर्शन किया है। हाल ही में इस पक्ष के कुछ सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया जब कतिपय सदस्यों की ईमानदारी के बारे में प्रश्न था। महोदय, इस मुद्दे से निपटने के लिए आपने अवसर के अनुरूप आचरण किया, इस सभा ने अवसर के अनुरूप आचरण किया तथा सभी ने अवसर के अनुरूप आचरण किया। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय ले जाया गया, तब ऐसा किसी अजनबी के द्वारा नहीं किया गया था, ऐसा कुछ माननीय सदस्यों द्वारा किया गया जो इस सभा से निष्कासित किए गए थे। जब न्यायालय ने संसद को नोटिस जारी किया तो न्यायालय से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि पीठासीन अधिकारी न्यायालय के नोटिसों का उत्तर

नहीं देते हैं। यह एक निवेदन था जो कि उठाया गया था तथा संसद और कार्यपालिका ने अवसर के अनुकूल प्रतिक्रिया दी तथा मुख्य न्यायाधीश तथा उनके साथी न्यायाधीशों को यह बताया कि संसद अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है।

मुझे मामलों को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रान लाफ के मामले को लीजिए। इस सभा के निर्णय को सही ठहराया गया कि इस सभा में जो कुछ भी होता है वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है।

मैंने वकील के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मामले में बहस की थी। वहां यह तर्क देना काफी कठिन था कि मतदान अनुच्छेद 105 के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद हमें न्यायालय की स्वतंत्रता को श्रेय देना होगा, न्यायमूर्ति एस.पी. बरूचा तीन न्यायाधीशों के निर्णय दो न्यायाधीशों के निर्णय से ऊपर रखा और कहा, 'जी हां, सभा की चारदीवारी के अंदर जो भी होता है उसे संरक्षित किया जाना चाहिए तथा इस सबसे छूट दी जानी चाहिए।' इसका श्रेय भी न्यायालय को जाता है। अतएव कुछ पथान्तर आया है तो हम उनका संज्ञान लेंगे। किंतु संस्था-वार यह पहला अवसर नहीं है।

अपराह्न 5.00 बजे

विवाद पहले भी हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1965 में सौंपे गये पहले मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। आपकी अनुमति से मैं निर्णय के पैरा 40 को उद्धृत करना चाहूंगा। यह संवैधानिक स्थिति और राज्य के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। मैं उद्धृत करता हूं:

"हमारी विधायिका के पास निस्संदेह पूर्ण अधिकार है किन्तु इन अधिकारों पर लिखित संविधान की मूल संकल्पना द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और इन अधिकारों का प्रयोग सातवीं अनुसूची के अंतर्गत तीन सूचियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आबंटित विधायी क्षेत्र के भीतर किया जा सकता है। किन्तु सूची से परे विधायिका नहीं जा सकती है। निस्संदेह वे अपने पूर्ण विधायी प्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और संविधान के संबंधित उपबंधों द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों के माध्यम से अपने विधायी कार्य कर सकते हैं किन्तु अधिकार का आधार स्वयं संविधान है। इसके अलावा, संसद सहित विधायिका की विधायी सर्वोच्चता पर सामान्यत: संविधान के भाग 3 में निहित उपबंधों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यदि विधायिका उन्हें प्रदत्त विधायी क्षेत्र से परे कदम रखती है अथवा अपने संबंधित क्षेत्रों में काम करते हुए यदि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इस प्रकार उल्लंघन करती है जो उक्त मौलिक अधिकारों से जुड़े संबंधित अनुच्छेदों द्वारा तर्कसंगत नहीं ठहराता तो उसे न्यायालयों द्वारा रद्द किया जा सकता है।"

यही कठिनाई है। यदि हम उस क्षेत्र में भटकेंगे जहां फरिश्ते जाने से डरते हैं तो न्यायालयों द्वारा उसे रद्द किए जाने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय: किसी ने इस पर सवाल नहीं किया है कि विधि को संविधान सम्मत होना चाहिए।

श्री हंस राज भारद्वाज: एक लोकतांत्रिक देश में जिसमें लिखित संविधान का शासन है- मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा- संविधान सर्वोच्च और संप्रभु है।

इससे पूरी बात समाप्त हो जाती है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को वैसा ही करना होगा जैसा कि संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि वे इससे बाहर कार्य करते हैं तो वे संविधान जो कि देश का उच्चतम कानून है के दायरे से बाहर होकर ऐसा करते हैं। हमें ऐसे कानून बनाने हैं जो संविधान के अनुरूप हों। जैसा कि हमने बताया यह सभी का कर्त्तव्य भारत के लोगों के लिए हैं। हम सभी देश की सेवा करने के लिए हैं। हम संसद सदस्यों के रूप में यहां जो कुछ भी करते हैं, वह देश की सेवा के लिए ही होता है। न्यायाधीश जो कुछ भी करते हैं, वह देशवासियों की सेवा के लिए ही होता है वकील और न्यायाधीश भी देश की सेवा करने के लिए ही हैं। अत: इस विषय पर पूरी सभा एकमत है।

कल, एक लंबे समय बाद मैंने बहुत ही वरिष्ठ सदस्य श्री मोहन सिंह से एक ताजगी भरा भाषण सुना। उन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में कहा कि देश ने बहुत सी समस्याओं का सामना किया और हम उनका समाधान करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि हमारा लोकतंत्र परिपक्व है। हमारा लोकतंत्र छोटा नहीं है और न ही हमारा गणराज्य छोटा है। हम एक महाद्वीप हैं। समस्याएं बहुत-सी हैं। आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाजें उठ रही हैं। ये हमारे समाज के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश की स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी उतनी प्रगति नहीं हुई है, जितनी हमने आशा की थी। इसलिए इस सभा को यह मुद्दा उठाना पड़ेगा। यह सभा सर्वोच्च है। जो भी नीतियां तथा कार्यक्रम इसके समक्ष लाए जाएं, वे भारत के नागरिकों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को दर्शाते हों, जैसा कि नेहरू जी ने अपने समय में किया था। जैसा कि आपने कहा एक युग, जो कि नेहरू जी का युग था, वह ऐसा था जब विधायिका के साथ कोई

[श्री हंस राज भारद्वाज]

संघर्ष नहीं हुआ। न्यायालयों ने भी सहयोग किया था। न केवल न्यायमूर्ति पंतजलि शास्त्री बल्कि तत्पश्चात् सभी मुख्य न्यायाधीशों ने गोलकनाथ के मामले तक संवैधानिक वैधताओं का पालन किया। इसके बाद दूसरा दौर आया श्रीमती गांधी का, आपको याद होगा महोदय, जब 42वें संशोधन के माध्यम से कतिपय सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए गए, प्रिवी पर्सों को समाप्त किया गया, जहां बैंक राष्ट्रीयकरण जैसी कतिपय अन्य चीजें थीं। उस समय देश में दो प्रकार के अभिमत थे। समाजवाद बनाम पूंजीवाद। इस संसद में तनावपूर्ण बहस हुई थी और हमने उस समय बता दिया था कि हम समाजवाद के समर्थक हैं, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। यहां भलाई की लड़ाई लड़ी गई। इसकी कोई गिनती नहीं है। एक और स्वतंत्र पार्टी, ये पार्टी या वो पार्टी थी। वे पैसे वालों का प्रतिनिधित्व करते थे।

उन्होंने इसका विरोध किया किन्तु हमारे समाजवादी मित्रों ने इसका साथ दिया, उन दिनों यह देखा गया और समाजवादी कार्यक्रमों के सहारे श्रीमती गांधी ने चुनावों में जीत हासिल की। अत: वे कुछ और दिन थे किन्तु उस समय न्यायालयों ने सहयोग नहीं किया। उसी समय जो सामने आये थे—केशवानंद भारती मामला और मिनर्वा मिल जैसे कई मामले सामने आए। उसके बाद, महोदय, नेहरू के दिनों के वैभव को बनाए रखने में कोई भी संसद सक्षम नहीं हो सकी। इसका कारण मैं नहीं जानता हूं। फिर भी, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों इस विषय में हम असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम यह नहीं कह सकते कि हमारी भारतीय संसद सर्वोच्च है भारत का उच्चतम न्यायालय तहे दिल से मैं ऐसा कहना चाहता हूं किन्तु इसके लिए हमारे शरीर में ताकत होनी चाहिए। शरीर अपने आप में संपूर्ण होता है। संविधान एक समग्र इकाई है। आपको अपने हाथों में, अपने दिमाग में और हर जगह शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि यह सभा इस शक्ति को बरकरार रखने का संकल्प करती है तो एकजुट होकर दो मिनट के भीतर ऐसा कर सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): माननीय मंत्री, क्या इसका अर्थ है कि संसद के अधिकारों में कमी आयी है? ...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: जी हां, क्या कोई संदेह है? मैं आपको सलाह दूंगा कि केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल मामले को पढ़े। आज के कानून के अनुसार, यदि मैं सही हूं तो ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसी प्रकार क्या आप स्वीकार करेंगे कि न्यायपालिका के मौलिक कार्यकरण में विपथन आया है?

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकता। एक विधि मंत्री ऐसा नहीं कर सकता किन्तु मैं आपको तथ्य बता रहा हूं और अध्यक्षपीठ पर इतने विख्यात अध्यक्ष के रहते हुए मैं एक भी अर्धविराम या पूर्ण विराम भी इधर-उधर कैसे बोल सकता हूं, वे कानून के विश्व कोष हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि केशवानन्द भारती मामले के पहले संसद की जैसी सर्वोच्चता थी वैसी अब नहीं है। आज कल तो नौवीं अनुसूची पर प्रश्न उठाया जा रहा है। अन्य बातों पर भी सवाल किए जा रहे हैं। आपकी दृढ़ता अपेक्षित होगी। इस सभा का दृढ़ मत अपेक्षित है। माननीय अध्यक्ष ने कई अवसरों पर इसे उजागर किया किन्तु हम उस पर पूरा ध्यान नहीं देते। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: आपका वक्तव्य संसद को और कमजोर बनाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं पहले इस संसद का एक सदस्य हूं और उसके बाद एक मंत्री हूं, आप देखें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, वह आज की न्यायपालिका के दृष्टिकोण को बता रहे हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: केवल इतनी सी बात है कि मेरे दो प्रश्न हैं यदि आप उत्तर दे सकें तो।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं बहुत छोटा इंसान हूं और आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूं। मुझे माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए।

महोदय, मुझे कृपया चार-पांच मिनट का समय दें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। सभी सदस्यों ने एक बात का समर्थन किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस तरफ या उस तरफ से किसी भी सदस्य ने न्यायपालिका पर आक्रमण नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: न्यायपालिका उच्चतम सम्मान की अधिकारिणी है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

श्री हंस राज भारद्वाज: जी हां, महोदय। मैं इस देश का तीन बार विधि मंत्री रहा हूं। मुझे पता है कि वे क्षेत्राधिकार से कुछ बाहर निकल रहे हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं। किन्तु महोदय जैसा आप कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि इसका समाधान क्या है? वर्ष 1993 के बाद उन्होंने इस देश को एक कानून दिया और न्यायमूर्ति वर्मा उस निर्णय का हिस्सा थे कि न्यायाधीशों की

नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देने में मंत्रिमंडल के अधिकार को न्यायिक मत से परिसीमित किया जाएगा और आप राष्ट्रपति को केवल वही परामर्श दे सकते हैं जैसा कि हम सुझाते हैं। यह संविधान दुबारा लिखना है। किन्तु मुझे इसमें संशोधन करने और ऐसा करने के लिए संसद का वैसा सहयोग और ताकत प्राप्त नहीं है। पिछली सरकार में हमने उन्हें सुझाव दिया था किन्तु कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। हम 1993 से पूर्व की स्थिति बहाल करना चाहते हैं। एस.पी. गुप्ता मामले का मैं साक्षी हूं। मैं इसके प्रति प्रतिबद्ध हूं। एस.पी. गुप्ता मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की बात मानी गई थी और मुख्य न्यायाधीश को प्रधानता नहीं दी गई थी। बाद में, सुभाष शर्मा मामले में न्यायमूर्ति वेंकटचलैया और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ने कहा, "आप भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्चता क्यों नहीं दे सकते हैं?" मैंने कहा, "हमें कोई समस्या नहीं है। मुख्य न्यायाधीश उच्चतम सम्मान के अधिकारी हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है।" किन्तु उसके बाद क्या हुआ? भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिकता देने के बजाए उच्चतम न्यायालय में उनके सहकर्मियों को प्राथमिकता दी गयी और आज मुख्य न्यायाधीश स्वयं असहाय हैं क्योंकि यदि उनके तीन सहकर्मी उनके अधिकार को वीटो कर दें तो वह असहाय हो जाते हैं। अतः नियुक्तियां जिस प्रकार की उचित भावना के साथ होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं और उचित समय पर कुछ किया जाना चाहिए।

किन्तु मैं यह कह रहा हूं कि हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। यह बहुत संवेदनशील विषय है क्योंकि यह एक निर्णय है जो लम्बे समय से प्रवृत्त है।

महोदय, दूसरा विषय जवाबदेही है। मेरे विचार से इस पक्ष से एक माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि यह हाल का घटनाक्रम है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि संसद सदस्य को भ्रष्टाचार के कारण निलम्बित किया जा रहा हो। कभी नहीं। वे एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। यह बीमारी हमारी राजनीति में घुस आयी है और हमने इसका संज्ञान लिया है। मैंने अगले दिन पूरे पन्ने का साक्षात्कार दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: पहले भी सभा की सदस्यता से हटाये जाने का उदाहरण रहा है। कृपया ऐसा मत कहिए कि हमने पहली बार ऐसा किया है। एक घटना ऐसी हुई है।

श्री हंस राज भारद्वाज: मेरे प्रिय मित्र ....

श्री गुरुदास दासगुप्त: दूसरे, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं: "क्या आपने कभी संशोधन के लिए संसद से संपर्क किया है?"

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, आप मुझे पांच से 10 मिनट दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त उन्हें उनका भाषण समाप्त करने दीजिए। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं केवल इतना कह रहा हूं कि मैं उस प्रकार का मंत्री नहीं हूं जो यह नहीं जानता। मैं यह जानता हूं। यहां मुद्गल स्वामी का पहला मामला था और वह पंडित जी के समय की बात है। ऐसे बहुत से मामले नहीं हुए हैं। आपको इस सभा को श्रेय देना चाहिए जिसने ऐसे सांसदों को तैयार किया, जिनके चित्रों की हम प्रतिदिन पूजा करते हैं।

यह एक महान संस्था है और हमें इसका स्तर बनाए रखना चाहिए। हमें हमारे संसदीय जीवन का स्तर बनाए रखना है। मैंने बहुत से महान सांसदों को देखा है। मैं विधि संबंधी विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके भाषणों को पढ़ता हूं। उनका एक-एक शब्द ऐसा है जैसे कि हार में मोती पिरोया हुआ हो। परन्तु जैसे-जैसे समय बदलता है, परिवर्तन होता रहता है।

इसी प्रकार से महोदय, पहले कभी नहीं सुना गया था कि न्यायपालिका में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। परन्तु यह जीवन का सत्य है कि ऐसी कुछ शिकायतें सामने आई हैं। मैं तीन मुख्य न्यायाधीशों के साथ यह मुद्दा उठा चुका हूं कि "अब समय आ गया है कि आप अपने यहां की खामियों को दूर करें।" यह सभा भी आग्रह कर चुकी है कि न्यायपालिका को अपनी खामियां दूर करने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए, जैसा कि हम संसद में कर चुके हैं। हमने ऐसा किया है, हमने यह कर दिखाया है। सभी के प्रत्येक नेता ने एक होकर तथा कृतसंकल्प होकर कहा था कि "हमें ऐसे और सदस्य नहीं चाहिए। मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायपालिका के प्रमुख हैं, तक यही संदेश पहुंचाया कि: "कृपया भगवान के लिए कुछ कीजिए।"

अंततः महोदय, हमने खामियों को दूर किया। जहां तक मैं समझता हूं ये सबसे उत्तम उपाय नहीं हो सकते हैं। मैंने कुछ प्रख्यात न्यायविदों से विचार-विमर्श किया। मैंने कनाडा, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया के कुछ लोगों से विचार-विमर्श किया। क्योंकि इन देशों में न्यायपालिका के विरुद्ध शिकायतों से उनकी अपनी पीयर्स समिति के माध्यम से निपटने के लिए न्याय आयोग की संकल्पना विद्यमान है। मैंने वह विधेयक पुरःस्थापित किया था। इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति अब अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। अतः हम जल्द ही संसद में उस विधेयक को पारित करेंगे। यह एक शुरूआत होगी। अनुभव के साथ-साथ हम

[श्री हंस राज भारद्वाज]

इसे सशक्त बना सकते हैं। यदि कुछ और आवश्यकता पड़ी और यदि सभा की शुभकामनाएं मेरे साथ है तो हम इसे दोषरहित बनाने के लिए इसमें सुधार कर सकते हैं। हमने संसद में ऐसा ही किया है। कार्यपालिका पहले ही अपना कार्य कर चुकी है।

अतः सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लाने के लिए राज्य के इन तीनों अंगों के तंत्र पृथक ही रहेंगे। हम एक लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में आपके पैर हमेशा पानी में होते हैं परंतु आप आराम से तैरते हैं। हम सही दिशा में चल रहे हैं क्योंकि हम ध्यान रखते हैं, हम सभा तथा लोकतंत्र को चलाने के लिए भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाते। इस प्रकार से हम जवाबदेही पर, भ्रष्टाचार पर नजर रखते हैं और हम इसके लिए कृतसंकल्प हैं कि शिकायतों से निपटने के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान हो जहां तक एक सामान्य नागरिक आसानी से पहुंच सके। इसकी अवमानना नहीं की जा सकती। मैं अवमानना कानून में पहले ही संशोधन करा चुका हूं। यह सभा उसे पारित कर चुकी है। सच्चाई अब उचित बचाव है। मैं पहले ही इसे दोनों सभाओं से पारित करा चुका हूं। यह कानून लागू है। वस्तुतः कोई भी यह अभिवचन ले सकता है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सत्य है—सत्यमेव जयते। आज इस पर तर्क दिया जा सकता है।

इसलिए, धीरे-धीरे तथा सतत् रूप से इन बातों अर्थात् पारदर्शिता-जवाबदेही, ईमानदारी को तंत्र में शामिल किया जा रहा है।

महोदय अब जब भी न्यायपालिका अपनी सीमा लांघती है, वह चिंता का विषय बन जाता है। दिल्ली में पिछले दिनों क्या हुआ? वह एक प्रकार का विध्वंस था। मैंने पहले कभी इतना जनाक्रोश नहीं देखा। प्रतिदिन हमें समस्याएं पेश आती हैं और यही सभा कानून पारित कर सरकार को बचाती है। भाग्यवश, इस पर रोक नहीं लगाई गई।

अध्यक्ष महोदय: पहले वाले पर रोक लगाई थी।

श्री हंस राज भारद्वाज: नहीं, महोदय, दोनों ही अवसरों पर रोक नहीं लगाई गई थी। उन्होंने कहा था, "हम इससे आगे अनुमति नहीं देंगे।" कल का मामला लंबित मामले में है, बार में 45 वर्ष का अनुभव होने के बाद भी मैं लंबित मामलों पर नहीं बोल सकता। उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। परन्तु न्यायपालिका को अब पता चल रहा है कि यदि वे उचित रूप से अपना कर्त्तव्य नहीं करेंगी तो राज्य के जो अन्य अंग हैं, वे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। आप इसे रोक नहीं सकते। आपसी सम्मान तथा अनुशासन के सहारे ही हमने लोकतंत्र में 60 वर्ष का लंबा सफर तय किया है, जबकि शेष विश्व में लोकतंत्र समाप्त होता जा रहा है। हमारा बहुत ही अनूठा और बहुवादी लोकतंत्र है।

अध्यक्ष महोदय: क्या एक अंग के कार्य न करने की स्थिति में दूसरा अंग उसकी भूमिका निभा सकता है?

श्री हंस राज भारद्वाज: बिलकुल नहीं। यह लोकतंत्र की मृत्यु होगी। इस संविधान में अंग प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं है, चाहे आप जो कुछ करें, कितना ही प्रतिभाशाली शल्य-चिकित्सा क्यों लाएं। मैंने इसी बात से शुरूआत की थी। बाइबल में एक प्रार्थना है- "हे भगवान, यह पूरा शरीर एक साथ कार्य करे। वेस्टमिंस्टर एबे में वे न्यायालयों के प्रत्येक वार्षिक दिवस पर इसे दोहराते हैं। मेरा मानना है कि उच्चतम न्यायालय को भी ऐसा ही करना चाहिए। प्रत्यारोपण के बारे में मत सोचिए।

महोदय, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। यह 1973 का निर्णय केवल इससे बचने के लिए था कि संविधान की मूल विशेषता के आधार पर किसी अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाना चाहिए। अब हमने इसे विधि के शासन के रूप में अपनाया है। न्यायिक समीक्षा अब संविधान की मूल विशेषता बन गई है। विधि का शासन, संविधान की मूल विशेषता है। नौवीं अनुसूची पर लंबे वाद-विवाद के बाद उच्चतम न्यायालय ने तय किया कि आप नौवीं अनुसूची में ही सब कुछ नहीं डाल सकते। नौवीं अनुसूची का संबंध सुधारों, कृषि सुधारों तथा भूमि सुधारों से है। यह नवीनतम निर्णय उसी से संबंधित है। अतः धीरे-धीरे तथा सतत रूप से अंग प्रत्यारोपण को रोक दिया गया। हमें इसे मानना होगा। अंत में, मैं यही बताना चाहता हूं कि मिनर्वा मिल्स मामले के पश्चात् तो संसद भी वस्तुतः इसमें संशोधन नहीं कर सकती। आपको जनमत संग्रह कराना होगा। उच्चतम न्यायालय ने यही तय किया है।

लेकिन इस देश के बहुत से लोगों, विशेषकर बुद्धजीवी वर्ग का कहना है कि न्यायपालिका आप सभी से बेहतर कार्य कर रही है। यही बात वे हमारे मुद्दे पर कह रहे हैं। आप लोग फेल हो गए हैं। वे आपसे बेहतर हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। संसद पर सभी बाधाएं, सीमाएं होने पर भी यह वह मंच है जिस पर लोगों की आस्था है। जब चुनाव होते हैं तो यह हम पर है कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि खजाना संसद के पास होता है। यही वह सभा है जो इस देश के खजाने में से पाई-पाई की स्वीकृति देती है। अतः यह सर्वोच्च है और फिर यही वह सभा है जो कानून पारित करती है। कार्यपालिका केवल उन्हें लागू करती है। हम लोक सभा के प्रति जवाबदेह हैं। मैं मंत्री पद पर तभी तक हूं जब तक आप मुझसे प्रसन्न हैं। यदि संसद सदस्य प्रसन्न नहीं है, तो सरकार नहीं रह पाती है। हम लोक सभा के प्रति जवाबदेह हैं। अतः, यह जवाबदेही बेहतर है।

न्यायपालिका लोक सभा के प्रति जवाबदेह नहीं है। न्यायपालिका भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह है। दोनों स्तंभों के बीच यही अंतर है। अतः हमने जो इस सभा में कहा है, मैं उसे शत-प्रतिशत सहमत हूं कि हमें अपनी शक्तियों का निर्वहन करते समय आपसी तालमेल, संतुलन बनाये रखना चाहिए। हदबंदी का ख्याल रखना चाहिए तथा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और तब यह देखना चाहिए कि हम अपने देश की सर्वोत्तम सेवा किस प्रकार करें।

लंबित पड़े मामलों के बारे में एक या दो बातें कही गई हैं।

महोदय, आप मुझसे वह प्रश्न पूछिएगा। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं। तीन या चार करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। आप न्यायपालिका पर आरोप लगा सकते हैं कि मामले निपटाने की उनकी दर में कमी आई है। मैं उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कार्य देखता हूं। उच्च न्यायालयों में एक न्यायाधीश को प्रतिवर्ष 1300 मामलों का निर्णय करना होता है। वे इससे भी ज्यादा कर रहे हैं। न्यायालय और अधिक न्यायाधिक मानव शक्ति चाहते हैं। हम उच्च न्यायालयों में हर दूसरे वर्ष 100 या 150 न्यायाधीशों की बढ़ोत्तरी करते हैं। हम इससे ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे उच्च अदालतें हैं।

मूल समस्या यह है कि जांच न्यायालयों में चार करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। हरेक राज्य को इस संबंध में ध्यान देना पड़ेगा और अधिक धनराशि देनी पड़ेगी तथा न्यायिक मानवशक्ति का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा। मामलों के निपटान के लिए एडीआर प्रणाली अपनाइए। महोदय, इसकी शुरूआत हो चुकी है। हमारे न्यायालय आधुनिक हो रहे हैं। और अधिक न्यायक मानवशक्ति आ रही है। मुख्यमंत्री न्यायालयों को और अधिक धनराशि देने के लिए सहमत हो गए हैं। रुझान अच्छा है। हमें इसे बनाए रखना होगा।

कुल मिलाकर, इस महान संस्था के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। हमने मानवशक्ति नहीं बढ़ाई। हम पुराने न्यायालयों से काम चला रहे थे। अब आशा की किरण देखी है। यह जानकारी है कि जब न्यायिक मानवशक्ति एवं बुनियादी संरचना यहां से मिलती है तो हमें न्यायपालिका के काम में पिछड़ना नहीं चाहिए। जब तक आप और अधिक न्यायिक मानवशक्ति प्रदान नहीं करते तब तक आप मामलों की संख्या को तीव्र वृद्धि से निपटने की आशा न्यायालयों से कैसे कर सकते हैं। न्यायालयों में बहुत से मामले दायर किए जा रहे हैं। राज्य न्यायालय अधिकारीगण एवं न्यायाधीश तथा केन्द्र इस दिशा में प्रयासरत हैं।

जब पश्चिम बंगाल में जमीनी निचले स्तर पर एडीआर प्रणाली लाई गई तो लोग इसका विरोध कर रहे थे फिर भी मुझे वहां सफलता मिली है। इसके बिना लोग लंबित मामलों को नहीं निपटा सकते हैं। आप हर कस्बे में न्यायाधीश नहीं बैठा सकते हैं। आपके पास किफायती न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए। यदि आप पूरा धन न्यायालयों में ही लगा देंगे तो आपके अन्य कार्यक्रम इससे प्रभावित हो जायेंगे। अतः, निचली अदालतों में किफायती न्याय, एडीआर प्रणाली, पंचाट पद्धति आदि शुरू करनी होगी तथा कुछ जनसाधारण एवं उनके सहायक भी लेने होंगे। हम इनकी शुरूआत करने जा रहे हैं।

महोदय, मुझे मंत्रीमंडल से अनुमति मिली है कि गांवों में सात हजार ग्रामीण न्यायालय स्थापित किए जाएं। मैं समझता हूं कि यदि ये 7000 ग्रामीण न्यायालय स्थापित हो जाते हैं तो शुरूआत में केन्द्र सरकार इनका वित्त पोषण करेगी तथा शनैः शनैः वे कार्य करना शुरू कर देंगे तथा गरीबों को त्वरित एवं सस्ता न्याय मिलेगा। भविष्य के लिए यह मेरी सोच है।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पुराने-मित्र वरिष्ठ सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त ने इस सभा का ध्यान आकृष्ट किया है तथा सभी दलों ने ध्वनि मत से इस बात का समर्थन किया है कि राज्य के तीनों स्तंभों को सुदृढ़ एवं संजीदा होने चाहिए तथा उन्हें आपस में तालमेल बिठाते हुए कार्य करना चाहिए। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। इस सभा ने मुझे ताकत दी है। सम्मान के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः श्री गुरुदास दासगुप्त जी, आप स्पष्टीकरण मांग रहे थे।

श्री गुरुदास दासगुप्तः किसी के प्रति भी दुर्भावना रखे बिना, मैं माननीय मंत्री महदोय, जो स्वयं भी एक वकील हैं, को केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि यदि वे संसद में यह बात कहते हैं कि लोग यह कह रहे हैं कि केवल न्यायपालिका ही सही तरह से कार्य कर रही है और अन्य कोई सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और यदि आपने जो कहा उसका निहितार्थ यही है, तो यह सही बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): प्रबुद्ध वर्ग सभी नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः आप प्रबुद्ध वर्ग के बारे में कह रहे हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो दुर्भाग्यवश, यदि आपका आशय हो या आशय न भी हो, यह न्यायपालिका द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया से अलग जाने के रुझान को बढ़ावा देता है। ऐसा पूरी तरह से न भी हो, तो भी आंशिक रूप से ऐसा हो सकता है। आखिरकार आप देश के विधि मंत्री हैं। यदि आप अपनी बात अपने ढंग से न रखें, यदि आप वैसी ही बात करें जैसा कि लोग बाहर कह रहे हैं, तो इससे देश में गलत संकेत जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ वर्गों के लोग ऐसा कह रहे हैं।

मोहम्मद सलीम: यही बात है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपनी राय के तौर पर ऐसा नहीं कहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, संसद में बोलने का यही तरीका है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हो सकता है, आप बेहतर जानते हों।

श्री गुरुदास दासगुप्त: जब मैं संसद में कुछ कहना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि कुछ मित्रगण सुबह मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा, हालांकि, मैं विश्वास नहीं करता, किंतु वास्तव में यही धारण है। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: उन्होंने ऐसा कहा, मुझे मालूम नहीं था। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: यही धारणा है। संसद में बोलने का यही तरिका है।

अध्यक्ष महोदय: निश्चित तौर पर, यह मीडिया के बीच फैली धारणा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मुझे बड़ी चिंता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मीडिया में, इसी धारणा को जोर-शोर से व्यक्त किया जा रहा है कि आप कार्य नहीं कर रहे हैं और उन्हें, हमारे कार्यों का निष्पादन करना पड़ रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैंने खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यदि संसद अपना कार्य नहीं करती तो न्यायपालिका नीश्चित तौर पर हस्तक्षेप करेगी।

अध्यक्ष महोदय: हमेशा नहीं। वे ऐसा नहीं कर सकते।

श्री गुरुदास दासगुप्त: इस टिप्पणी को लेकर मैं बड़ा व्यथित और दुःखी हुआ हूं। हो सकता है, मैं गलत हूं। हो सकता है, वे सही हों लेकिन मैं बहुत ज्यादा व्यथित हूं।

महोदय, मजबूरी कोई सदगुण नहीं हैं। आप मजबूरी की वकालत कर रहे हैं। मजबूरी कोई सद्‌गुण नहीं है। यदि सच्चाई वास्तविकता है तो हमें इस सच्चाई को स्थापित करना चाहिए ताकि इसका कोई समाधान निकाला जा सके। इसीलिए, मैं आपके समक्ष दो साधारण प्रश्न रख रहा हूं। आप ऐसे अधिकरण की स्थापना कब तक करेंगे जो न्यायपालिका की जवाबदेही पर ध्यान देगा? ऐसी ही बात की जा रही थी। क्या यह सही है कि आप इस पर विचार कर रहे हैं और इस पर कभी विचार करेंगे। क्या आप भारतीय संसद से यह दरख्वास्त करेंगे कि वह संविधान में इस आशय का संशोधन लेकर आये ताकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समुचित और निष्पक्ष आधार सुनिश्चित किया जा सके?

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मंत्री महोदय, मैं इस सच्चाई का खुलासा करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में, वह सड़क पर रहने वाला आम आदमी है, जिसके लिए हम यह कह रहे हैं कि वह कार्यपालिका और विधानमंडल द्वारा बहुत ही हतोत्साहित महसूस करता है और वह सोचता है कि यह न्यायपालिका ही है, जो उसे वास्तव में न्याय दिला रही है। मैं इस टिप्पणी के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने कहा कि हम इस सभा की इच्छा, इस संसद की इच्छा को ही बहुमत की इच्छा मानते हैं। तो फिर बहुमत की इच्छा को भी इस तरह से नहीं दबाया जा सकता और किसी और के ऊपर थोपा भी नहीं जा सकता।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, आप अन्तर्संबंध को देखें।

अध्यक्ष महोदय: कोई दोषारोपण न करें। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): मेरी समझ में दोनों ने उनकी बातों को नहीं समझा।

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं बहुत ही निरभिमान व्यक्ति हूं। मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। मैं उनका ध्यान एक चीज की ओर दिलाना चाहता हूं। वे एक बहुत ही उत्कृष्ट सांसद हैं और मैं नहीं हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अनुच्छेद 105

जैसी कोई चीज है, जो कहता है कि एक मंत्री का भी संसद में बोलने का वैसा ही अधिकार है, जैसा कि माननीय सदस्य का। क्या आप इससे इंकार कर सकते हैं। आपने मुझे वह बोलने का मौका दिया, जो कुछ भी मैंने कहना चाहा। यदि आप मेरे मुंह को बंद कर देंगे तो यह न्याय और संविधान का मखौल होगा।

दूसरा, मैं इस मामले में आपके साथ हूं जवाबदेही सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए तत्काल एक कानून बनाया जाना चाहिए और मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूं जो प्रतिवेदन, स्थाई समिति ने वापिस भिजवाया है। उसमें व्यापक तौर पर कुछ संशोधन सुझाए गए हैं, जिसमें एक यह भी है कि महाभियोग प्रक्रिया में संसद की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, आपको शिकायतों के एक अन्य तंत्र से निपटना पड़ेगा। अतः, हम उसका सूक्ष्म विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं शीघ्र ही उन संशोधनों को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और जितनी जल्दी समय मिलेगा, मैं उसे यहां प्रस्तुत करूंगा।

जहां तक नियुक्तियों का संबंध है, महोदय, मैं आज आपको यह आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं संविधान में संशोधन करने की स्थिति में हूं। हम विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही संविधान में संशोधन कर सकें। हम पहले अपने सहयोगियों, अपने समर्थक दलों से बातचीत करेंगे और यहां तक कि विपक्षी दल से भी, जो कि शासन का ही एक हिस्सा है। विपक्षी दल से सदैव ही प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात्, हम इसे निश्चित तौर पर कार्यान्वित कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि यदि आम सहमति हो तो हम इसे तत्काल कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): मेरा एक सीधा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा और सदन में जो चर्चा हुई है, उससे स्पष्ट निकलकर आया है कि संविधान सर्वोपरि है। क्या भारतीय संविधान किसी भी डैमोक्रैटिक पिलर को इजाजत देता है- कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका को, किसी भी स्तम्भ को, फिर न्यायपालिका को ही यह अधिकार कहां से हासिल होता है कि वह दूसरे स्तम्भ के कार्यक्षेत्र में, जहां सीमांकन किया हुआ है, एक सीमा रेखा खींची हुई है, उसमें हस्तक्षेप करे। क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? यदि संविधान 121 के तहत अधिकार नहीं देता है या 212 के तहत राज्य में अधिकार नहीं देता है या 222 के तहत कहीं अधिकार नहीं देता है तो यदि कोई अंग काम नहीं भी करता है तो न्यायपालिका उस अंग में किस धारा के तहत हस्तक्षेप कर सकती है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहां बहुत विद्वान और टेलेन्टेड लोग हैं, लेकिन भारतीय संविधान ही सर्वोपरि है और सबने माना है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, और संविधान के तहत ही हम तीनों अंगों को काम करना है। संविधान की व्याख्या भी न्यायपालिका के अधीन है।

हम यह जानना चाहते हैं कि जब संविधान के किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है, क्योंकि संविधान के तहत जो कार्यक्षेत्र का बंटवारा हुआ है, सीमांकन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार है, यदि हस्तक्षेप होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार कोई समाधान निकालेगी? क्योंकि यहां पूरी बहस हुई है। पूरी लक्ष्मण रेखा लांघने की परिपाटी यदि चलती रहेगी तो इस डिबेट का अर्थ क्या होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कोई संवैधानिक प्रावधान, समाधान या कोई ऐसा संशोधन लाएगी कि एक स्तंभ दूसरे स्तंभ के कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करे, एन्क्रोच नहीं करे, क्या ऐसा कोई समाधान आप करेंगे?

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं अपनी बातें रख चुका हूं और सभी सदस्य भी बोल चुके हैं। मुझे ऐसा कोई सूची नहीं दी गई है। जहां इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया गया हो।

[हिन्दी]

वह होगा। आपने जो कहा है मैं उसे जरूर पढ़ूंगा और फिर उसका इलाज बताऊंगा। आप लोगों ने छोटी-छोटी बातें कही हैं कि उस गाड़ी को ढूंढने के आर्डर करिए। आप वह बेसिक चीज बताइए, जिससे कांस्टीट्यूशन आफेंड हुआ है और हमें वहां कार्य करना है। जजेस के एपाइंटमेंट के बारे में मेरी जरूर धारणा है कि उस आर्डर को हम सब को मिलकर ठीक करना चाहिए, क्योंकि केबिनेट की पावर सबसे ऊंची होती है और वह राष्ट्रपति को एडवाइज करती हैं। ज्यूडिशियरी को कोई अधिकार नहीं है, वे अपनी रिकोमेंडेशन भेजते हैं। इस पर हमने कई बार गौर किया है, बहुत सारे सजेशंस आए हैं, उन पर आज भी निरीक्षण हो रहा है—चाहे कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट हो या नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बने, इस पूरे चेप्टर को निकाल दें। ये सारी चीजें बहुत सबस्टेंश्यल नेचर की हैं, जिनमें जब तक आम सहमति नहीं बन जाती, तब तक इसे नहीं किया जा सकता। मैंने यह कहा कि हर गवर्नमेंट को सेंसटिव होना पड़ता है पार्लियामेंट की न्यूज भी देखनी पड़ती है ज्यूडिशियरी की भी देखनी पड़ती है। इस देश को चलाने के लिए कोई कन्फ्रन्टेशन न आपने किया है और न मैं चाहता हूं। हम जो भी कर सकते हैं वह सब मिल-बैठकर करेंगे। इस पर एक-दो बार फिर बहस होगी। आप विद्वान लोग हैं, आप और अच्छे सुझाव दीजिए, हम वही करेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उस पर आम सहमति के लिए कोई पोजीटिव बात करें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत आल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस या जो भी सर्विस कमीशन आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए आम सहमति की कोई प्रक्रिया एवं कोई प्रयास सरकार की ओर से होगा या नहीं? क्या इस पर सहमति होगी या नहीं? अपने आप तो सहमति नहीं बनेगी उसके लिए कोई सकारात्मक प्रयास करेंगे, तभी सहमति भी होगी। आप जो कन्सेंसस चाहते हैं, उस कन्सेन्सस की कोई प्रक्रिया, आपके मन में है, कोई कार्य योजना है या नहीं? क्योंकि मुनसिफ मजिस्ट्रेट, जो परीक्षा फेल हो जाता है, हाई कोर्ट का जज हो जाता है। जो वकील दस-पन्द्रह साल तक कामयाब रहे, वह मुनसिफ मजिस्ट्रेट की परीक्षा में फेल होता है। आप दस-पन्द्रह साल का अनुभव देख लीजिए। जो हाई कोर्ट का जज रहे, वही डिसीजन देता है, संविधान को इन्टरप्रेट करता है, पूरे भारतीय संविधान की व्याख्या करता है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहां टेलेंट और प्रतिभा की बहुत चर्चा होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई प्रयास आप करेंगे?

श्री हंस राज भारद्वाज: जो विवाद आप शुरू कर रहे हैं, वह छः घंटे भी चलेगा तो खत्म नहीं होगा। हमने कहा है कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह कहा है। आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम जो भी करते हैं न्यायालय उसे अकृत कर सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: हम जो भी कर रहे हैं उसे करना जारी रखेंगे और हम इसके बारे में आपको सूचित करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु स्पष्टीकरण के लिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं किन्तु सर्वप्रथम उनको अपनी निर्धारित सीट पर आना होगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं यह माननीय मंत्री जी से ही जानना चाहता हूं। हमारे संविधान के अनुसार विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका नामक तीन अंग हैं।

हमारे यहां विधान पालिका में आरक्षण नीति है। यहां हमने आरक्षण क्यों रखा है? क्योंकि सबको जानकारी होनी चाहिए कि देश का सामाजिक ढांचा किस प्रकार का है; देश की स्थिति के बारे में सबको पता होना चाहिए, सबको जनता की व्यथाओं की जानकारी होनी चाहिए; सबको जीवन स्तर के मानकों की जानकारी होनी चाहिए इत्यादि। इसलिए, हर कोई अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

हमने कार्यपालिका में आरक्षण का प्रावधान रखा है। उदाहरणार्थ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और राज्यों की सेवाओं आदि में भी इसका प्रावधान है। किन्तु हमने न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। वे सामाजिक ढांचे के बारे में; निर्धन जनता के जीवन स्तर; अन्य पिछड़ा वर्ग के जीवन स्तर; अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर; अनुसूचित जाति के जीवन स्तर; और अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर और परिस्थितियों को कैसे जान सकते हैं क्योंकि हमने न्यायपालिका में आरक्षण नहीं रखा है?

प्रत्येक क्षेत्र में, हम समाज के उन वर्गों से व्यक्तियों को चुनते हैं। और केवल तभी उनकी हितों का ध्यान रखा जाता है। तथापि, न्यायपालिका के मामले में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। न्यायपालिका को पृथक दर्जा क्यों प्रदान किया गया है? हमारे लोकतांत्रिक देश में राज्य के प्रत्येक अंग को समान माना जाना चाहिए। क्या सरकार न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई संशोधन करने जा रही है?

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, निचले न्यायालयों में तो आरक्षण है किन्तु उपरि न्यायालयों में कोई आरक्षण नहीं है। हम इस पर वाद-विवाद कर सकते हैं। यह सभा इसमें सक्षम है।

अध्यक्ष महोदय: प्रबुद्ध न्यायाधीश यह निर्णय करते हैं कि न्यायाधीश कौन बनेगा। मुझे लगता है कि केवल यही विश्व में देश ऐसा है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों को चुनते हैं। क्या मैं सही हूं?

श्री हंस राज भारद्वाज: जी, हां। लार्ड कुक ने कहा है, "जहां फरिश्ते भी जाने से घबराते हैं, मूर्ख वहां दौड़कर पहुंचते हैं।" यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी कोई भी सराहना नहीं करता है कि उन्होंने स्वयं को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त कर ली है।

किन्तु जब तक निर्णय नहीं हो जाता अथवा बड़ी खण्डपीठ द्वारा इसकी समीक्षा नहीं कर ली जाती, स्थिति यथावत बनी रहेगी। इसमें प्रभावशाली ढंग से ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या मैं यह सही कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि सरकार इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने की पहल करेगी यदि संसद में प्रतिनिधि राजनैतिक दलों के बीच एक राय बनती है? यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही करें।

श्री हंस राज भारद्वाज: जब तक मंत्रिमंडल इस पर चर्चा नहीं कर लेता तब तक मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता।

श्री गुरुदास दासगुप्त: आप पहल कर सकते हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं आपको यह वायदा नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय: आप क्यों इसे सरकार पर ही छोड़ना चाहते हैं? क्या संसद सदस्य चिंतित हैं अथवा नहीं?

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रत्येक अंग पर कुछ अंकुश होना चाहिए। हम जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम किसी गलत कार्य में लिप्त होते हैं तो जनता हमें हटा देगी। कार्यपालिका के मामले में, सरकार गलत कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को बर्खास्त कर सकती है। इसलिए, न्यायपालिका के लिए भी कोई प्रणाली होनी चाहिए। सभी माननीय सदस्य भी यही महसूस करते हैं। यदि सरकार कोई अच्छा संशोधन लाती है तो सभी राजनैतिक दल इसका समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायाधीश योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं। तथापि, उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे कुछ वकीलों को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। वे यह नहीं जानते कि मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा जिला स्तरीय न्यायालय में कोई मुकदमा कैसे लड़ा जाता है। निचली अदालतों में मुकदमा लड़ने की जानकारी के बिना वे उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बन रहे हैं। वे अपील में आने वाले उन मुकदमों का निर्णय कैसे कर सकते हैं जब वे यह नहीं जानते कि निचली अदालतों में इन मुकदमों की कार्यवाही किस प्रकार होती है?

अध्यक्ष महोदय: अपनी कथित जानकारी के अनुसार।

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं नहीं सोचता कि माननीय सदस्य ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं। मैंने अपने प्रश्नों को कम करके एक ही कर लिया है क्योंकि मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। सम्पूर्ण सभा से मेरा प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान के अधीन किसको यह निर्णय करने का अधिकार है कि जनहित में क्या है? जनहित की नीति क्या है? यह निर्णय कौन कर सकता है कि यह नीति क्या हो?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, विश्व में इस प्रकार की व्यवस्था कहीं नहीं है, जहां जज, स्वयं जज की नियुक्ति करता हो। अकेला हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है, जहां जज, स्वयं जज की नियुक्ति करता है। यह बहुत गम्भीर सवाल है।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी: हम अपने आप ही संसद की शक्ति को कम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, मुझे विश्वास है कि माननीय विधि मंत्री इसकी सराहना करेंगे कि इस सभा के कतिपय वर्ग यह मानते हैं कि इस मामले पर गौर किये जाने की आवश्यकता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे सहमत हो गए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सभा की महत्ता स्थापित हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जैसा कि श्री स्वाईं ने कहा है कि हमें स्वयं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने यही कहा है।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, बार काउंसिल के पास जिन अधिवक्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के मुकदमें चल रहे हैं उन्हें उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है। उनके न्यायाधीश बन जाने के बाद भी उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले लम्बित हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमने बहुत ही अच्छी चर्चा की है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं जोर देना चाहता हूं। मैंने पूछा कि नीति का निर्णय कौन लेता है। मैं जानना चाहता था कि क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि यह समझते हैं कि जनता के हित में क्या है जनता के लिए क्या अच्छा है या कोई अन्य एजेंसी जो निर्वाचित निकाय नहीं वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह मेरा साधारण सा प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं यह कहूं कि यह हम सब के सामने कठिन प्रश्न है? ठीक है, अतिसूचनात्मक चर्चा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अनुपूरक कार्यसूची पर आते हैं। माननीय मंत्री जी, श्रीमती पुरन्देश्वरी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सबकी बात आई गई है।

[अनुवाद]

ठीक है, अन्यथा आप मेरा जीना दूभर कर देंगे। कृपया आगे बढ़िए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मेरा एक सैकिण्ड का एक क्वेश्चन था।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलिये, आपका क्या क्वेश्चन है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: प्रश्न यह है कि कई माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की कि अभी जो न्याय की प्रक्रिया है, वह लम्बी तो होती ही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, जिनकी आर्थिक रूप से तंग हालत है, उनको प्रोपर ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है, वे जेलों में पड़े हुए हैं। क्या न्याय प्रक्रिया को सरल करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी को सुप्रीम कोर्ट में जाना हो और अगर उसकी आर्थिक हालत मजबूत नहीं है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे न्याय नहीं मिल पाता है। क्या सरकार कोई ऐसा प्रावधान करेगी, ताकि वे गरीब तबके के लोग, जिनके पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय पाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि दोनों जगह खर्च बहुत ज्यादा आता है, वहां खर्च करने में वे सक्षम नहीं हैं, वैसे आदमियों के लिए विशेष तौर पर वहां अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगी, उन गरीब तबके के लोगों को न्याय देने का कोई प्रावधान करेगी, ताकि उनको सहज रूप से न्याय मिल सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तत्पश्चात् और मुकदमेबाजी होगी। उन्होंने वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के बारे में कहा है।

श्री हंस राज भारद्वाज: देश में सभी स्तरों पर राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण है और हम उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करते हैं; वह कानून भी है; और हमें इसमें पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। मैं यहां और दूसरी चर्चा नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। फिर इतने अधिक प्रश्न आएंगे। मुझे माफ कीजिए। हम अगले सत्र में और चर्चा करा सकते हैं और ना कि इस सत्र में।

...*(व्यवधान)*

श्री के.वी. तंगबालु: महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि क्या सभा न्यायाधीशों हेतु आरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक हैं। इस देश में सभी राजनीतिक दल बार-बार न्यायिक प्रणाली में भी आरक्षण हेतु अनुरोध कर रहे हैं। यदि माननीय मंत्री जी इसका आरक्षण हेतु विधेयक लाना चाहते हैं तो सभा निश्चित रूप से इसका अनुमोदन करेगी। मैं उनसे अपील करता हूं कि वह कृपया न्यायाधीशों के पदों को आरक्षित करने हेतु विधेयक लाएं।

अध्यक्ष महोदय: आरक्षण हेतु एक विधेयक रुका हुआ है; दूसरा विधेयक मत लाइए।

श्री के.वी. तंगबालु: इसीलिए, सभा को यह विधेयक लाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, यह बात पूरी हो चुकी है; आपके मुद्दे को सुविज्ञ माननीय मंत्री जी द्वारा नोट कर लिया गया है।

हम अनुपूरक कार्यसूची पर आते हैं। माननीया मंत्री जी, श्रीमती पुरन्देश्वरी।

अपराह्न 5.44 बजे

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभा को सूचित करना चाहती हूं कि राष्ट्रपति ने विधेयक के विषय की सूचना दिए जाने के पश्चात सिफारिश की है कि लोक सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर विचार किया जाए।

मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करती हूं:

> "भारत में जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुकर बनाने और उनकी अभिवृद्धि के लिए मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक स्थित एक अध्यापन और संबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "भारत में जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुकर बनाने और उनकी अभिवृद्धि के लिए मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक स्थित एक अध्यापन और संबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 यहां प्रस्तुत किया है, मैं इस प्रस्ताव का दो कारणों से समर्थन करता हूं। प्रथम कारण यह है कि देश में पहली बार जनजाति वर्गों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय सरकार ने किया है। मेरे स्वागत का दूसरा कारण है कि यह विश्वविद्यालय मेरे मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित होना है, जहां नर्मदा जी का उद्‌गम है। उस क्षेत्र के आसपास सचमुच कई ऐसे जिले हैं, जो जनजाति बाहुल्य जिले हैं, और इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। उस जगह का चयन किया है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरी एक आपत्ति भी है। इस विश्वविद्यालय का नाम जनजाति विश्वविद्यालय रखा गया।

अपराह्न 5.46 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अच्छा होता यदि देश के एक ऐसे महापुरुष, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी बहादुरी के साथ, देश की आजादी में अपना योगदान दिया था, श्री बिरसा मुंडा जी, यदि उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय होता, तो मुझे लगता है कि जनजाति भाइयों को और अपनापन इस विश्वविद्यालय के प्रति हो जाता। जिस क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, उस क्षेत्र से रानी दुर्गावती जी का भी बहुत प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। अगर बिरसा मुंडा जी के नाम से विश्वविद्यालय का नाम आप नहीं रखना चाहते थे, तो इसे रानी दुर्गावती जी के नाम से रख सकते थे। श्रीमती गांधी जी के नाम से तो वैसे भी देश में हजारों संस्थान बन चुके हैं। मैं उनके नाम का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन अच्छा होता कि जब सरकार ने जगह का ठीक चयन किया है, तो उस जगह से जहां जनजाति भाइयों के बीच काम करने वाले एक से एक महापुरुष रहे हैं, जिनका इस देश को बनाने में बड़ा योगदान रहा है, यदि उनके नाम से इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाता, तो बहुत अच्छा होता। मैं फिर भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं, साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं।

हमारी कला और संस्कृति की पहचान सचमुच इस देश में जनजाति समाज की ओर से शुरू हुई और आज भी पूरे देश और दुनिया में इस का प्रचलन भी है। विश्वविद्यालय के उद्देश्य के बारे में मैं विधेयक को पढ़ रहा था। इसका बहुत अच्छा उद्देश्य है, लेकिन मैं उसमें एक संशोधन चाहता हूं। जब कभी प्राकृतिक आपदा आती है, तो एक ऐसी पद्धति का चलन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां खासतौर पर जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं कि

[श्री गणेश सिंह]

उनको पूर्व में ही उस आपदा के बारे में आभास हो जाता है। एक नहीं अनेकों उदाहरण इस बात के देश में देखे गए हैं कि ऐसी स्थिति में उन लोगों ने अपने जानमाल की रक्षा भी कर ली। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जब सुनामी आया था, तो सुनामी के समय अंडमान के अंदर एक आदिवासी गांव में 24 घंटे के पहले इस बात की जानकारी हो गयी थी कि लगता है समुद्र में बाढ़ आने वाली है और उस गांव के लोग पूरी तरह से अपने सभी लोगों को लेकर वहां से खाली करके चले गए। सच बात यह है कि वे सारे के सारे लोग बच गए। वह पद्धति आज भी गांव-गांव में कायम है। कभी तूफान आना हो, तो गांव के किसी बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया जाए, वह बता देगा कि निश्चित तौर पर तूफान आने वाला है, बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाला है। इन सब के लिए इस तरह की जो पद्धति हमारे बीच में पहले से कायम थी, उस पद्धति में कैसे शोध हो, कैसे अनुसंधान हो और उस पद्धति को हम कैसे पूरी तरह से डेवलप करने का काम करें, मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अपने एजेंडे में इसको जरूर शामिल करें। मेरा यह निवेदन है।

महोदय, जब सुनामी आया, तो सरकार ने कहा कि हम करोड़ों रुपए की लागत से कुछ यंत्र विदेशों से मंगाने का काम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपए के यंत्र आप लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यंत्र हमारे बीच में पहले से मौजूद हैं, जिनके बारे में अनुसंधान करके हम पता लगा सकते हैं, तो उनको हम क्यों नहीं डेवलप करने का काम करते? यदि जनजाति वर्ग के नाम से हम विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी अनुसंधान के विषय जोड़े जाएं, जो इस देश में पहले से प्रचलित हैं। मैं यही सुझाव देकर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, 2007 को प्रस्तुत किया है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं अभी भी देश की जनजातीय आबादी को सीमांत समुदाय माना जाता है जो शिक्षा, अर्थव्यवस्था आदि क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। अत: हमारे समाज में सौहार्दपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास देश में पिछड़े और कमजोर वर्गों को शिक्षा प्रदान करने की कोई प्रणाली होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य को कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की विशेष देखरेख को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनकी सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और सामाजिक शोषण से रक्षा करनी चाहिए।

शिक्षा राष्ट्र की शक्ति है और शिक्षा राष्ट्र की सस्ती रक्षा का साधन है। यदि हम अपने देश में वर्तमान राजनीतिक संकट सामाजिक संकट और उग्रवाद की स्थिति को देखें तो पाएंगे कि उग्रवाद की समस्या से ग्रसित ये क्षेत्र प्रमुख रूप से हमारे देश के जनजातीय क्षेत्र हैं। अत:, मेरे विचार से शिक्षा को बढ़ावा देकर उग्रवाद की समस्या से निपटा जा सकता है।

आप भली भांति जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का मार्गदर्शन राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम द्वारा किया जाता है और अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े और अल्पसंख्यकों को आर्थिक और शैक्षिक दोनों अवसर समान रूप से प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इसका विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सर्वप्रथम, मैंने अपनी बात रखी है कि मैं इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय की सराहना करता हूं। इसका आशय है कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

माननीय सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय के नामकरण को लेकर इस संबंध में एक विवाद छेड़ दिया गया है। हमारे देश में जनजातीय नेताओं, अनुसूचित जाति के नेताओं, अनुसूचित जनजाति के नेताओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह गलत मानसिकता का परिचायक है। यदि विश्वविद्यालय का नाम एक जनजातीय नेता के नाम पर रखे जाने से लेकर इसका विरोध किया जाए। जबकि इस संस्था की स्थापना के उद्देश्य को इस विधेयक में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि यह संस्था जनजातीय लोगों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं और अनुसंधान सुविधाओं को बढ़ावा देगी।

महोदय, इस बारे में कोई संशय नहीं है और इस तथ्य के बारे में भी कोई शंका नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत और विश्व में भी एक महान महिला का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पिछड़े लोगों/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में समर्पित किया है। केवल इतना ही नहीं है। उन्होंने हमारे राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान

किया है और शहीद हो गई हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि, यह एक विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखे जाने का मौका है, जिसकी स्थापना विशेष रूप से जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए की गई है। इस संबंध में, मैं इस विधेयक और संस्था के नाम के प्रति अपना समर्थन दोहराता हूं।

महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य को यहां स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसका आशय प्रमुख रूप से भारत के जनजातीय लोगों के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर उपलब्ध कराना और जनजातीय कला, संस्कृति, परम्परा, भाषा, चिकित्सा पद्धतियां, रिवाज, वन आधारित आर्थिक कार्यकलाप, वनस्पति और जीव-जन्तु के संबंध में अनुदेशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराकर ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना और इसे आगे बढ़ाना है तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में प्रौद्योगिकियों का उन्नयन करना है। यह एक बहुत ही व्यापक विचार है, जिसे विधेयक में लाया गया है। जनजातीय लोग एक दशक से इसके लिए दुहाई देते रहे हैं।

महोदय, इस विधेयक की आशय जनजाति केन्द्रित विकास माडल, सार्वजनिक रिपोर्ट तैयार करना भी है, मैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर रहा हूं, तथा मोनोग्राफ तैयार करने तथा जनजाति संबंधी मुद्दों पर संगोष्ठी, सेमिनार आयोजित करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत मामलों के लिए जानकारी प्रदान करना है। इसके जरिए जनजाति समुदाय के प्रबन्धन, प्रशासन करने में सक्षम सदस्यों के प्रोत्साहन के लिए उचित उपाय करना है तथा अपने स्वयं के विश्वविद्यालय के जरिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस विधेयक में इस बात पर विशेष जोर है।

सुझाव के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से एक अनुरोध करना चाहूंगा। जहां तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संबंध है, इसमें कोर्ट का प्रावधान है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कोर्ट में जनजाति समुदाय के कम से कम कुछ सांसदों को लिया जाए क्योंकि जहां तक शान्ति निकेतन का संबंध है, यह प्रावधान उस विश्वविद्यालय में लागू है जहां सांसद यूनिवर्सिटी कोर्ट से जुड़े हैं। इस विधेयक में 41 धाराएं हैं।

यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थापित किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री से इस विश्वविद्यालय के विस्तार क्षेत्र के बारे में पूछना चाहूंगा। इस विश्वविद्यालय को अपने अधीन विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को सम्बद्ध करने के लिए क्या-क्या शक्तियां दी गई हैं।

सायं 6.00 बजे

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें। बाद आप घड़ी देखें तो इसमें छह बज रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा इस विधेयक को आज ही पारित करना चाहती है।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): इसे आज ही समाप्त करना है तथा महोदय, आप शून्य काल शुरू कर सकते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): आज इस विधेयक पर चर्चा जारी न रखें। इस पर चर्चा कल की जाए। आप शून्य काल शुरू कर सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी: मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। इसके बाद शून्य काल शुरू होगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए। इसके बाद हम शून्यकाल शुरू करेंगे।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, इस विधेयक में देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में उतने क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने जितने विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है, संबंधी उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय जितने परिसरों की स्थापना करना उचित समझता है वह उतने परिसरों की स्थापना कर सकता है। इसलिए उन क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान सुविधाओं के लिए मंत्रालय पूर्वी क्षेत्र में भी एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना करने पर विचार कर सकता है। मैं इस विधेयक की विषय वस्तु की सराहना करता हूं जिसमें इस बात का उपबंध किया गया है कि यह विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, रंग, वर्ष, जाति अथवा वर्ग के लिए खुला है और इस विश्वविद्यालय में किसी भी व्यक्ति को इस विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अथवा इस विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने अथवा एक स्नातक के रूप में अथवा तत्संबंधी किसी विशेषाधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की ऐसी कोई जांच नहीं की जाएगी जिससे उस व्यक्ति के धार्मिक विश्वास का पता चले, यदि विश्वविद्यालय ऐसा कोई उपबंध अंगीकार अथवा अधिरोपित करता है तो वह गैर-कानूनी होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस विधेयक के उद्देश्य बहुत ही उदार हैं। उनकी प्रकृति बहुत ही व्यापक है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अंतर्गत इस सरकार ने शिक्षा के दोषों को समाप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। संस्थाओं के पाठ्यक्रम को गैर-साम्प्रदायिक बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त किजिए।

श्री अधीर चौधरी: इसलिए मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्रालय तथा हमारे माननीय मंत्री की सराहना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम शून्य काल शुरू करेंगे। हां, माननीय मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मैंने भाषण सुने हैं लेकिन मैं टिप्पणियों पर बार-बार प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी। कल, शायद मैं सभा में न आ पाऊं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि मामले पर चर्चा समाप्त की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है कि विधेयक पारित करने के लिए सभा की समय-सीमा बढ़ाई जाए। अत: मुझे इस विधेयक पर कल चर्चा करानी पड़ेगी।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, मैं केवल आपके ध्यान में ला रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय: आप इस पर कल या परसों निर्णय कर सकती हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री से बात कर सकती हैं। यदि आप कल आएंगी तो हम इस पर कल चर्चा करेंगे। यदि आप कल नहीं आएंगे तो इस पर परसों चर्चा की जाएगी। इस बारे में आप संसदीय कार्य मंत्री से सलाह कर लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम, विशेष उल्लेखों पर चर्चा करेंगे।

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही ज्वलंत समस्या उठाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में कटवा वर्धमान छोटी रेल लाइन सैकड़ों वर्ष पुरानी है। पिछले रेल बजट में सभी लाइनों का आमान परिवर्तन का कार्य करने की बात थी। कटवा-वर्धमान छोटी लाइन के आमान परिवर्तन कार्य का उद्घाटन करते हुए 30 जून, 2007 को माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद ने घोषणा की थी कि 203 करोड़ रुपये की लागत से आमान परिवर्तन का कार्य दो वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। छोटी लाइन का आमान परिवर्तन का कार्य पश्चिम बंगाल सरकार एवं भारतीय रेल का 50:50 का उद्यम है, इस पर अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

अत: मेरा रेल मंत्रालय, भारत सरकार से तुरन्त कार्रवाई करने का अनुरोध है ताकि उक्त परियोजना बजट अनुमान तथा निर्धारित समय-सीमा में पूरी का जा सके।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): भारत में इसाइयों की सबसे ज्यादा संख्या केरल में है। कोट्टायम में कानवेन्ट में सिस्टर अभय की हत्या हुए पन्द्रह वर्ष हो चुके हैं तथा थिरूथिपाराम्प गिरजाघर के फादर जाब चितिलापिल्ली का इरीगालाकुडा के विशेष क्षेत्र में हत्या हुए तीन वर्ष बीत चुके हैं। केरल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि नन तथा क्लर्जी की हत्या हुई। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इन मामलों की जांच कर रहा है। लेकिन ब्यूरो अपराधी का पता नहीं लगा पाया है। यह एक विरोधाभास ही है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पता लगा लिया था कि सिस्टर अभय की मृत्यु एक हत्या थी लेकिन ब्यूरो अपराधी को नहीं पकड़ सका है। फादर जाब चितिलापिल्ली की हत्या के मामले में अभी भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

लोगों में इस विलम्ब से बहुत अधिक असंतोष है क्योंकि इन दो हत्याओं से केरल के लोगों को झटका लगा है। अत: मेरा अनुरोध है कि केन्द्र को शीघ्र ही हस्तक्षेप करना चाहिए तथा यह निश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को दण्ड मिले।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): उपाध्यक्ष महोदय, उदारीकरण के बाद अन्य क्षेत्रों की भांति भारत के पूरे देश में विभिन्न शहरों तथा कस्बों में सीवर सफाई, जल मल व्ययन संयंत्रों का निर्माण एवं रखरखाव तथा स्वच्छता कार्यों का निजीकरण किया जा रहा है। ठेके पर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं तथा वे सुरक्षा मानदण्डों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। मैनहोल कामगार लूंगी या हाफ पैण्ट से ज्यादा कुछ नहीं पहनते। पूरे देश में प्रतिवर्ष 1000 मैनहोल कामगारों की मैनहाल से निकलने वाली घातक गैस जैसे- हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे सीवर गैस कहा जाता है, कार्बन डाईआक्साइड तथा कार्बन मोनो आक्साइड के रिसाव से मृत्यु हो जाती है। विकसित देशों में संदूषित जल के संपर्क से बचाव के लिए मैनहोल कामगारों को बनि सूट दिए जाते हैं तथा श्वशन उपकरण दिए जाते हैं, गन्दे नालों में अच्छी रोशनी होती है तथा बड़े-बड़े पंखों से बाहर की हवा लगती रहती है, अत: इन मैनहोल में आक्सीजन की कोई कमी नहीं होती है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन योजना जिसमें इसके कुल धन जो कि 1,20,536 करोड़ रुपये है का 40 प्रतिशत गंदा जल एवं गंदगी निकास काम के लिए आबंटित किया गया है, के जरिए पूरे देश

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में मैनहोलो में कार्यरत गरीब दलितों के संरक्षण के लिए कचरा एवं गंदगी निकास के प्रबंधन के लिए मानव हितैषी प्रणाली बनाएं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में पिछले तीन साल से पानी नहीं बरसा है, जिसके कारण वहां जितने भी बांध हैं वे सूख गये हैं। बांधों में पानी नहीं है और किसानों को खेत बोने के लिए पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड के कुछ ऐसे ब्लाक्स हैं, चाहे महैवा हो, माधवगढ़ हो, डकोर या अन्य क्षेत्र हों।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के क्षेत्र जैसे गुरसराय में बामौड़ हो, मौठ हो, जो नदी के किनारे के क्षेत्र हैं, उनमें अभी तक लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिला है। इस वजह से वे खेत ही जोत नहीं पाए हैं और किसानों की स्थिति आए दिन खराब होती जा रही है। इसी कारण क्षेत्र से सूचनाएं आ रही हैं कि एक-दो दिन के अंतराल कोई न कोई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। किसानों ने ट्यूबवैल भी लगा रखे हैं, लेकिन पिछली सरकार ट्यूबवैल लगाने के लिए जो सब्सीडी देती थी, वर्तमान की सरकार ने वह सब्सीडी बंद कर दी है। सूखे की समस्या से किसान परेशान हैं, लेकिन ट्यूबवैल पर सब्सीडी बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार को जो सब्सीडी दी जाती थी, वह दी जाए और अगर बुंदेलखंड को सूखे की समस्या से बचाना है, तो वहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक प्रसन्दा बांध की योजना है। अगर यह बांध बन जाता है तो निश्चित ही बुंदेलखंड का क्षेत्र पंजाब जैसा हो जाएगा और हर किसान को आने वाले समय में पर्याप्त जल मिल जाएगा। जो आज की स्थिति है किसान आत्महत्या करते हैं, इस बांध के निर्माण से उनकी आत्महत्या को रोका जा सकता है।

इस विषय से संबंधित मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, भारत-पाक सीमा पर स्थिति हमेशा ही पूरे देश के लिए स्थाई रूप से खिजाने वाली रहती है। गत चार वर्षों से भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम चल रहा है। तथापि हमारे पड़ौसी देश में राजनीतिक स्थिति खराब है। हम आशा करते हैं कि स्थिति में सुधार हो जाएगा लेकिन, अभी भी यह संक्रमण काल में है।

एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि पाकिस्तान की सेना ने जम्मू-कश्मीर सीमा पर भारतीय चौकियों पर गोली बारी की है। एक कहावत है, 'दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है।' पहले ही हम कारगिल पहाड़ियों पर धोखा खा चुके हैं, अतः हमें खट्टा अनुभव दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई विश्वासघात हुआ है तथा क्या पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर सीमा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है? ऐसा है तो मैं समझता हूं कि इसे बड़ी चिन्ता माना जाए।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, दिल्ली पुलिस बल गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1995 तक दिल्ली पुलिस का भर्ती अभियान बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. आदि जैसे अन्य अर्धसैनिक बलों की तरह प्रत्येक राज्य से चलाया जाता था, परन्तु अब यह केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक ही सीमित है। इसलिए विभिन्न राज्यों से बेरोजगार युवकों को आवेदन फार्म लेने, उन्हें जमा करने, साक्षात्कार के लिए तथा शारीरिक परीक्षा के लिए कई बार दिल्ली आना पड़ता है। अतः इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए उन्हें चार बार दिल्ली आना पड़ता है। इससे उन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है।

इससे पहले, केरल में तीन परीक्षा केन्द्र थे। दिल्ली एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली पुलिस हेतु व्यापक भर्ती अभियान चलाया गया था। इसी प्रकार से पता चला है कि सरकार 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले दिल्ली पुलिस में और युवकों की भर्ती की योजना बना रही है।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन राज्यों विशेषकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों से भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करे ताकि ये बेरोजगार युवक कठिनाई से बच सकें और यह भी सुनिश्चित हो सके कि दिल्ली पुलिस में विभिन्न राज्यों से युवक नियुक्त हों।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, वेल्लौर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

वेल्लौर जिले, तिरूवन्नामलाई, विल्लुपुरम तथा कुड्डालौर से होकर पलार नदी बहती है। पहले यह पानी से लबालब भरी जीवा नदी थी, परन्तु अब यह काफी सूख चुकी है। केवल वर्षा के मौसम के दौरान ही पलार नदी में पानी आता है। महोदय, दुर्भाग्यवश, तमिलनाडु से बाहर का राज्य आंध्र प्रदेश बार-बार पलार नदी पर बांध निर्मित करने का प्रयास करता है। पलार बेसिन

[प्रो. के.एम. कादर मोहिद्दीन]

के लोगों के लिए यह बहुत ही खतरनाक है। पलार बेसिन के लोगों को पलार नदी से पेयजल मिलता है। वर्षा के मौसम के दौरान पलार नदी का पानी रेल में रिसता रहता है। भू-जल अब लोगों की सहायता करता है, जिसे वे पेयजल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हो?

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और पलार नदी पर बांध निर्मित न करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सलाह दें।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, अविलंबनीय लोक महत्व का एक मामला उठाना चाहता हूं।

बंगलौर-मैसूर अवसंरचना गलियारा परियोजना (बीएमआईसीपी) को पहले ही दिन अर्थात् वर्ष 1995 से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह सबसे बड़ी और बहुत अच्छी परियोजनाओं में से एक है और इसका उद्देश्य बंगलौर और मैसूर के बीच यातायात को सुगम बनाना है तथा यह यात्रा के समय को 3 घंटे 50 मिनट से घटाकर 1 घंटा 5 मिनट कर देगा।

मैं यह बताना चाहूंगा कि मैसर्स नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कोरिडोर एंटरप्राइसेज (नाइस) क्रियान्वयन एजेंसी है तथा कल्याणी समूह, दो अमरीकी कंपनयों—वेनेस हेंगन ब्रस्टलिन और एस ए बी इंजीनियरिंग ने 1995 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेगौड़ा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। तत्पश्चात् 3 अप्रैल 1997 को नाइस लिमिटेड के साथ रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समय, नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कोरिडोर एंटरप्राइसेज (नाइस) लिमिटेड मेगा परियोजनाओं की प्रमुख क्रियान्वयन एजेंसियों में से एक है, उसने बी एम आई सी पी हेतु भूमि की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया। बी एम आई सी पी के क्रियान्वयन से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा। यह निसंदेह विश्व-स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं में से एक होगा, जिससे बंगलौर शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग-4 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर भीड़-भाड़ कम होने का मार्ग प्रशस्त होगा। बी एम आई सी पी के क्रियान्वयन से न केवल ईंधन की खपत कम होगी बल्कि इससे ध्वनि एवं वायु प्रदुषण भी काफी कम होगा। इससे प्रत्यक्ष रूप से 1000 से अधिक तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख नौकरियों का सृजन होगा। कर्नाटक सरकार को भी इससे लाभ होगा क्योंकि उसे इस परियोजना से 3000 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त होगा।

यह बताना प्रासंगिक होगा कि अशोक खेनी प्रबंध निदेशकों में से हैं और वह कर्नाटक से हैं, हालांकि, इसका संबंध अमरीकी समूह से है। वह इस परिदृश्य को विकसित करने में रुचि रखते हैं। क्या कर्नाटक सरकार तथा उसके अधिकारियों के लिए यह उचित नहीं होगा कि वे इसमें पूर्ण सहयोग करें तथा इस प्रकार की जन-हितैषी मेगा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में उन्हें प्रोत्साहित करें।

आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ट्रक टर्मिनलों का निर्माण, पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करना, बस टर्मिनलों का निर्माण, पार्किंग सुविधाओं का निर्माण, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, मोनो रेल परियोजनाओं का निर्माण तथा पुरानी टंकियों से गाद निकालना शामिल है।

मेरी राय है कि आपसे यह अनुरोध करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि कर्नाटक की जीवनरेखा बनने जा रही बी एम आई सी पी को बिना किसी और विलंब के क्रियान्वित करने के लिए सभी वर्गों के राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों द्वारा उत्पन्न सभी बाधाओं को दूर करने के प्रयास तत्काल शुरू किया जाए।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कर्नाटक सरकार से इस कार्य को तत्काल पूरा करने का अनुरोध करता हूं। समझौते के अनुसार इस मेगा परियोजना को 2010 तक पूरा किया जाना है। अब वर्ष 2007 चल रहा है। इस परियोजना पर 18,000 करोड़ रु. का निवेश किए जाने का अनुमान है। इस परियोजना में 149 गांव शामिल हैं। यह विश्व स्तरीय परियोजनाओं में से एक है, भारत में कहीं भी ऐसी कोई अन्य परियोजना नहीं है। यह भारत तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में से है। इसलिए हर तरीके से इस प्रकार की परियोजना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): मैं जंगलों में जो वन्य प्राणी हैं, उनके कारण जो किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वन्य जीव संरक्षण और संवर्द्धन के कानून और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है यह हम जानते हैं कि लेकिन वन्य प्राणियों की बढ़ती संख्या के कारण किसानों का नुकसान हो रहा है। मैं उस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। जहां वन्य क्षेत्र बहुल है, वहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर, जिला गढ़चिरौली आता है। वहां यह स्थिति है कि जहां अभ्यारण्य, रिजर्व फारेस्ट या टाइगर प्रोजेक्ट है, इन सभी के अगल-बगल में जितनी खेत हैं, जिनमें कृषक खेती करते हैं वहां वन्य प्राणी रात में घुसकर खेती का नुकसान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में

रिजर्व फारेस्ट और अभ्यारण्य की वजह से बड़ी तादादा में वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है। इससे समस्या ऐसी खड़ी हुई है कि वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ी है, बाघों की संख्या बढ़ी है और पिछले तीन माह में हमारे जिले में करीब 17 व्यक्तियों पर हमला हुआ है, बाघों के हमले से 17 व्यक्तियों की जानें गई हैं और 50 ग्रामीण व्यक्ति घायल हुए हैं। इनमें कुछ विद्यार्थी भी हैं। इस वजह से जनता में भारी रोष है। मैं यह नहीं करूंगा कि वन्य प्राणियों को समाप्त किया जाए, लेकिन वन्य प्राणियों से लोगों की फसल का जो नुकसान हो रहा है तथा लोगों की जो जानें जा रही हैं, उनकी जानें न जाएं, इसके लिए सरकार कानून में संशोधन करे या राज्य सरकार को निर्देश दे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में फसल का नुकसान होने पर सरकार जो मुआवजा देती है, वह नगण्य है। एक-एक एकड़ भूमि के लिए 90 रुपए या 100 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वन्य जीव कानून सरकार ने बनाया है, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान दे। किसानों को भी इस कारण नुकसान होता है, इसके लिए भी सरकार किसानों को नुकसान की भरपाई देने की पहल करे। बाघों के हमले से जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके परिजनों को कम से कम पांच लाख रुपए प्रति परिवार देने की मैं मांग करता हूं।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत ही गंभीर मामला सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में दो सौ से ऊपर कुंआरी माताएं पाई गई हैं। ये कुंआरी माताएं मेरे निर्वाचन क्षेत्र यवतमाल के झरीझामनी तहसील में कोलाम कम्युनिटी की हैं, जिसे प्रीमेटिव ट्राइब्स कहा जाता है। इस बस्ती में कुंआरी युवतियों ने बच्चों को जन्म दिया है। यह बहुत गंभीर बात है कि ये आदिवासी दूरदराज क्षेत्रों के रहने वाले हैं, इनके लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है लेकिन ऐसी क्या बात है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये अन्याय की शिकार हो रही हैं। मैं इन ट्राइबल्स के रिहेबिलिटेशन के लिए मांग करता हूं। सबसे गंभीर बात यह है कि वर्ष 2001-02 में यूनिसेफ ने सर्वे किया था, हमारे एक लीडिंग न्यूजपेपर 'लोकमत' में गोपालकृष्ण मांडवकर ने रिपोर्ट दी है कि यूनिसेफ के सर्वे के बाद, राज्य सरकार, डीएम से मीटिंग होने के बाद भी इनके लिए कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि देश में हजारों केसिस होंगे और हो सकते हैं जहां कुंआरी माताएं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि उनका स्वयं का भविष्य अंधकार में है, इसलिए उनके बच्चों का भी भविष्य खराब है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सरकार को सर्वे कराना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि उनके पैर गलत पड़ रहे हैं और उनके ट्राइबल होने की वजह से, उनकी गरीबी की वजह से बुरे लोग फायदा ले रहे हैं।

हमारा यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के बार्डर से लगा हुआ है। यहां आंध्र प्रदेश से लोग आते हैं, बड़े-बड़े व्यापारी आते हैं। वहां ये व्यापारी लोग अपनी हवस पूरी करने के लिए इन गरीब आदिवासी लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे गम्भीर मामलों में सरकार को अवश्य देखना चाहिए। ट्राइबल्स के ऊपर अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो कौन ध्यान देगा। आज वहां ऐसी परिस्थिति है कि कोई कुछ सुनने और देखने के लिए तैयार नहीं है। जब यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि उनकी सुध ले और उनका रिहेबिलिटेशन करे। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री राकेश सिंह बोलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य में आप समय पर सूचना दें। किंतु आज आपने 11 बजे के बाद सूचना दी है। एक विशेष मामले के तौर पर मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र की एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। यहां पांच बड़े सुरक्षा संस्थानों के अलावा केन्द्र सरकार के कई बड़े कार्यालय भी मौजूद हैं, जिसके कारण यहां शासकीय कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है। लगभग 25 लाख की आबादी वाले जबलपुर शहर में सी.जी.एच.एस. के मात्र तीन स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, जिनमें आठ चिकित्सक ही नियुक्त हैं। जबकि इस योजना के कार्डधारियों की संख्या लगभग 25,283 है तथा इनके परिवार के सदस्य, जो इसके लाभार्थी हैं, उनकी संख्या लगभग 1,01,437 है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार कराने हेतु इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं कि प्रतिदिन एक चिकित्सक के पास लगभग 150 मरीज पहुंचते हैं। इन सबकी जांच एक असंभव काम है। इसलिए प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को इलाज के अभाव में वापस लौटना पड़ता है। यदि पिछले कुछ वर्षों का रिकार्ड देखा जाए तो वर्ष 2002 में जहां सी.जी.एच.एस. कार्डधारकों की संख्या लगभग 18500 थी और

पिछले वर्ष 2006 में लगभग 21,879 थी, जबकि चिकित्सा केन्द्र मात्र तीन और चिकित्सकों की संख्या भी मात्र आठ ही थी। इससे स्पष्ट है कि इतने वर्षों में कार्डधारकों और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के बावजूद भी स्वास्थ्य केन्द्रों और चिकित्सकों की संख्या में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वर्ष 2006-2007 की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़ों पर यदि गौर करेंगे तो यह स्पष्ट दिखता है कि अन्य शहरों जैसे नागपुर, अहमदाबाद आदि की तुलना में जबलपुर में केन्द्रीय सुरक्षा संस्थानों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में भेदभाव किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से मेरा आग्रह है कि जबलपुर को उसका हक दिया जाए। इसके लिए यहां पर सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत कम से कम तीन अतिरिक्त सर्वसुविधायुक्त डिस्पैन्सरीज और स्थापित की जाएं। शहर के मध्य एक पोलिक्लीनिक की स्थापना की जाए, जहां से चिकित्सकों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अन्य बड़े अथवा निजी चिकित्सालयों में रेफर किया जा सके। साथ ही आकस्मिक चिकित्सा हेतु 24 घंटे मोबाइल यूनिट शुरू की जाए तथा अन्य शहरों की भांति जबलपुर में ऐलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भी खोले जाएं, ताकि मरीज अपनी सुविधानुसार चिकित्सा पद्धति अपना सकें।

[अनुवाद]

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

मैं कर्नाटक राज्य के अपने बेल्लारी जिले से संबंधित एक लोक महत्व के मामले को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं जहां पर मिर्च उत्पादकों को भारी हानि उठानी पड़ रही है। 1,760 हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर मिर्च की फसल विल्ट रोग से प्रभावित हुई है जिससे मिर्च की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। राज्य सरकार ने 6,58,50,000 रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। अर्थात् प्रति हेक्टेयर 37,500 रुपये का नुकसान हुआ है।

महोदय, इस हानि से किसान भारी मुसीबत में हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह किसानों की सहायता करे और मेरे बेल्लारी जिले में मिर्च उत्पादकों को हुई हानि की तत्काल भरपाई करे। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, अमरावती-नरखेड़ रेलवे मार्ग विदर्भवासियों की पुरानी मांग थी। मैं जब 1996 में सांसद बना, उस समय यह काम शुरू हुआ। एन.डी.ए. सरकार के समय जब ममता जी और नीतीश जी रेल मंत्री थे, उस समय इस रेल मार्ग के लिये भारी मात्रा में पैसा दिया गया था। यह रेल मार्ग 144 किलोमीटर लम्बा है जिसमें 38 किलोमीटर पहली स्टेज में पूरा किया गया लेकिन उसके बाद इस मार्ग का पूरा काम रुका हुआ है। जब माननीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुये, इस रेल मार्ग को पूरा करने के लिये भारी मात्रा में पैसा मिलना चाहिये था लेकिन यह काम तब से ठप्प है। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि इस रेलमार्ग को बनाये जाने की नींव महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने रखी थी, जब वह वहां से सांसद थी। उसके बाद मैं वहां से सांसद हुआ हूं। यह विदर्भवासियों की पुरानी मांग है। इस इलाके में संतरा बहुत अधिक होता है जिसे देश और विदेश में भेजा जाता है। पिछले कई सालों से किसान इस रेलमार्ग की मांग करते आ रहे हैं। आज विदर्भ में किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। यदि सरकार उन आत्महत्याओं को रोकना चाहती है, तो यह रेलमार्ग शीघ्र पूरा किये जाने की व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष जी, अचलपुर-अमरावती रोड के ऊपर पुलिया का काम चालू हुआ था लेकिन रेलमार्ग न बनने से वह आर.ओ.बी. का काम बंद पड़ा है। इससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रेलमार्ग शुरू किया गया है और पहले चरण का काम पूरा हो गया है, बाकी कार्य के लिये बजट में पैसे का प्रावधान किया जाये। अगर अमरावती से चांदुर बाजार तक रेल चल जायेगी तो अच्छा माहौल वहां बन सकता है और लोगों की पुरानी मांग भी पूरी हो सकती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः सभा, 5 दिसम्बर, 2007 को 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 दिसम्बर, 2007/14 अग्रहायण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	261
2.	प्रो. महादेवराव शिवनकर प्रो. एम. रामदास	262
3.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री जीवाभाई ए. पटेल	263
4.	श्री मोहन रावले	264
5.	श्री हंसराज गं. अहीर	265
6.	डा. धीरेंद्र अग्रवाल श्री वी.के. ठुम्मर	266
7.	श्री सुग्रीव सिंह श्री एस.के. खारवेनथन	267
8.	श्री काशीराम राणा	268
9.	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	269
10.	श्री के. सुब्बारायण	270
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल	271
12.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	272
13.	श्री संतोष गंगवार श्री अनंत गुढ़े	273
14.	श्री किन्जरपु येरननायडु	274
15.	श्री पी.एस. गढ़वी	275
16.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	276
17.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी श्री हरिभाऊ राठौड़	277
18.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	278
19.	श्री एल. राजगोपाल	279
20.	श्री हरिन पाठक	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2444, 2513
2.	आदित्यनाथ, योगी	2486
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2511, 2587, 2637, 2665
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2566, 2619, 2656
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2501, 2545, 2608
6.	अजय कुमार, श्री एस.	2512
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	2469, 2550, 2612
8.	आठवले, श्री रामदास	2508, 2510, 2586, 2636
9.	बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर	2526
10.	भगोरा, श्री महावीर	2459, 2560, 2641
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	2444, 2456, 2551, 2614
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2443, 2483, 2496, 2530
13.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2462, 2541
14.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2507, 2585, 2642
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2451, 2501, 2535, 2561, 2606
16.	चौरे, श्री बापू हरी	2499, 2579
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2474, 2482, 2557, 2583, 2618
18.	चौधरी, श्री पंकज	2493, 2502
19.	चौधरी, श्री अधीर	2441, 2523, 2594
20.	देवरा, श्री मिलिन्द	2450, 2549, 2568, 2611
21.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2562, 2623, 2658

1	2	3
22.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	2494
23.	धोत्रे, श्री संजय	2458
24.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2600
25.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2517
26.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2547, 2624
27.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2531, 2603, 2649
28.	गंगवार, श्री संतोष	2477, 2571
29.	गाव, श्री तापिर	2505
30.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2458, 2499, 2501, 2579
31.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2486, 2491, 2592
32.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2467
33.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	2502, 2580
34.	हुसैन, श्री अनवर	2525, 2597, 2643, 2665
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	2496, 2575, 2628
36.	जय प्रकाश, श्री	2476
37.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2521
38.	झा, श्री रघुनाथ	2473
39.	जिन्दल, श्री नवीन	2539, 2616, 2669
40.	जोगी, श्री अजीत	2485, 2558
41.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2522
42.	खां, श्री सुनील	2447
43.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2536, 2605, 2632, 2657
44.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2446, 2486, 2533, 2609
45.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2509, 2661
46.	कृष्ण, श्री विजय	2524

1	2	3
47.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2555, 2622, 2657
48.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2475, 2582, 2632
49.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	2661
50.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	2494
51.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2518, 2589, 2639
52.	महरिया, श्री सुभाष	2508
53.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2504, 2633
54.	महतो, श्री टेक लाल	2497, 2576
55.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2477, 2623
56.	माने, श्रीमती निवेदिता	2531, 2603, 2649
57.	मनोज, डा. के.एस.	2464, 2598, 2644
58.	मसूद, श्री रशीद	2481, 2569, 2621
59.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2515
60.	मैन्या, डा. टोकचोम	2484, 2561
61.	मिश्रा, डा. राजेश	2444, 2513
62.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2479, 2513
63.	मो. ताहिर, श्री	2662
64.	मंडल, श्री अबु अयीश	2500, 2527
65.	मोरे, श्री वसंतराव	2526
66.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2498, 2577, 2663
67.	नायक, श्री अनन्त	2463, 2509, 2577, 2602, 2668
68.	निखिल कुमार, श्री	2523, 2595
69.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2542, 2620, 2635, 2666
70.	उरांव, डा. रामेश्वर	2471, 2478
71.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2465, 2581, 2646
72.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2489, 2591, 2664

1	2	3
73.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2445, 2453, 2534, 2537, 2625
74.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2476, 2494, 2594, 2599, 2645
75.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	2529
76.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2552, 2557, 2618, 2654
77.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2567, 2557, 2618, 2654
78.	पाठक, श्री हरिन	2564
79.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2488, 2568
80.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2468, 2548, 2647, 2648
81.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2662
82.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2553, 2566, 2619
83.	राजगोपाल, श्री एल.	2573, 2627, 2655, 2660
84.	रामदास, प्रो. एम.	2565, 2617, 2653
85.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2466, 2578, 2630
86.	राणा, श्री काशीराम	2482
87.	राव, श्री के.एस.	2449, 2501, 2544, 2613
88.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2487, 2501, 2563, 2583, 2665
89.	राव, श्री डी. विट्टल	2528
90.	रावले, श्री मोहन	2478
91.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2626, 2610, 2650
92.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2572, 2626, 2659
93.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2474, 2553, 2623
94.	रिजीजू, श्री कीरेन	2453, 2514, 2623

1	2	3
95.	साई प्रताप, श्री ए.	2494
96.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2448, 2478, 2540, 2607, 2652
97.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2472
98.	सत्पथी, श्री तथागत	2668
99.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2495, 2574
100.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2543
101.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2460, 2501, 2520
102.	शर्मा, श्री मदन लाल	2492, 2584, 2634
103.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2511, 2587, 2637, 2665
104.	शिवन्ना, श्री एम.	2519
105.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2565, 2617, 2653
106.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2440, 2538, 2606, 2651
107.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2487
108.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2552, 2656
109.	सिंह, श्री लक्ष्मण	2532, 2604
110.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2501
111.	सिंह, श्री गणेश	2442, 2501
112.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2531, 2649
113.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2454, 2588, 2638
114.	सिंह, श्री राकेश	2455
115.	सिंह, श्री रेवती रमन	2615
116.	सिंह, श्री सुग्रीव	2567, 2620, 2648
117.	सिंह, श्री सूरज	2503
118.	सिंह, श्री उदय	2483, 2596, 2667
119.	सुब्बारायण, श्री के.	2559, 2616

1	2	3
120.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2457, 2590
121.	सुमन, श्री रामजीलाल	2475, 2503, 2582, 2632
122.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2470
123.	सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव एच.	2526
124.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2461
125.	थामस, श्री पी.सी.	2490, 2631
126.	तुम्मर, श्री वी.के.	2629, 2654
127.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2445, 2453, 2534, 2625

1	2	3
128.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2478, 2583, 2601, 2646
129.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2480, 2501, 2593, 2640, 2665
130.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2506, 2583
131.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2516
132.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2443, 2511, 2587, 2637, 2665
133.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2452
134.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2554, 2566

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	261, 264, 265, 267, 268, 277
गृह	:	270, 275, 276, 280
मानव संसाधन विकास	:	269, 271, 272, 274, 278, 279
सूचना और प्रसारण	:	266, 273
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	262
खान	:	263
संसदीय कार्य	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2441, 2445, 2446, 2449, 2451, 2462, 2465, 2469, 2471, 2472, 2475, 2480, 2495, 2499, 2505, 2506, 2510, 2511, 2517, 2519, 2520, 2521, 2532, 2537, 2539, 2544, 2546, 2560, 2561, 2562, 2564, 2567, 2593, 2598, 2601, 2602, 2606, 2608, 2622, 2624, 2631, 2635, 2638, 2646 2648, 2657, 2659, 2660, 2662, 2664, 2669
गृह	:	2447, 2448, 2450, 2453, 2454, 2456, 2457, 2464, 2468, 2473, 2477, 2486, 2494, 2496, 2498, 2500, 2502, 2507, 2515, 2522, 2526, 2527, 2529, 2534, 2540, 2542, 2548, 2549, 2551, 2557, 2559, 2568, 2569, 2573, 2574, 2581, 2583, 2585, 2588, 2589, 2590, 2594, 2596, 2599, 2600, 2603, 2607, 2615, 2616, 2618, 2619, 2620, 2621, 2625, 2633, 2639, 2645, 2647, 2654, 2661, 2663, 2667, 2668
मानव संसाधन विकास	:	2440, 2443, 2455, 2458, 2460, 2461, 2466, 2474, 2476, 2479, 2482, 2483, 2485, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2493, 2501, 2504, 2508, 2509, 2512, 2516, 2518, 2523, 2524, 2525, 2528, 2530, 2531, 2536, 2545, 2552, 2553, 2554, 2556, 2558, 2565, 2566, 2570, 2572, 2577, 2580, 2587, 2591, 2595, 2597, 2604, 2609, 2611, 2612, 2613, 2614, 2626, 2627, 2629, 2637, 2640, 2643, 2649, 2650, 2651, 2652, 2655, 2665, 2666
सूचना और प्रसारण	:	2481, 2484, 2503, 2535, 2541, 2555, 2584, 2586, 2592, 2610, 2617, 2623, 2632, 2636, 2642, 2658
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	2452, 2463, 2470, 2492, 2514, 2533, 2538, 2543, 2550, 2563, 2571, 2575, 2578, 2579, 2582, 2628, 2630, 2634, 2641, 2644
खान	:	2442, 2444, 2459, 2467, 2478, 2497, 2513, 2547, 2576, 2605, 2656.
संसदीय कार्य	:	

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/31/14/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।